जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

जनपद टिहरी गढ़वाल

(2020)

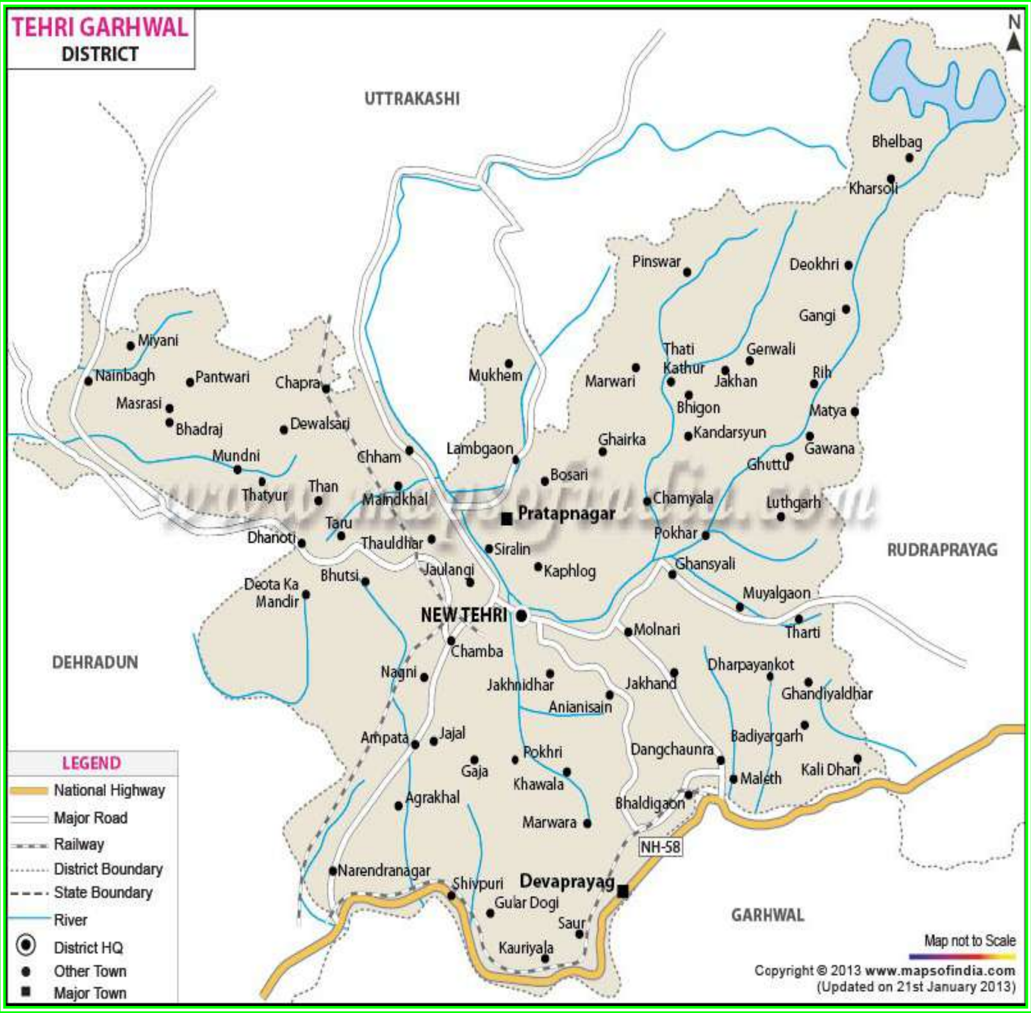

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

(DEOC)

—: संकलन :—

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

(फोन— 01376 233433, 234793, टोल फ्री—1077)

संदेश

प्राकृतिक कारणों एवं मानव जनित त्रुटियों या असावधानियों के फलस्वरूप आपदाओं का घटित होना एक सामान्य बात है। किसी स्थान की असामान्य भू–भौतिक स्थितियां, जलवायुनिक असामान्यता भूगर्भीय एवं मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, औद्योगिकरण आदि अनेक कारण हैं जिनसे प्रकृति में अंसुतलन पैदा होता है। जनोन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था में आपदाओं के भय से प्राकृतिक घटनाओं एवं विकास कार्यों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन प्राकृतिक सन्तुलन विकास कार्य के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण को विकास कार्य की भांति संचालित कर आपदाओं के प्रभावों व जन–धन की हानि को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के पश्चात अपेक्षित तैयारी का होना अति आवश्यक है।

पूर्व में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (GOI-UNDP-DRM) एवं उत्तरांचल शासन के संयुक्त तत्वाधान में जनपद में जिला आपदा प्रबन्ध योजना संचालित की गयी थी। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन विषयक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रस्तुत 'जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना' में जनपद की आपदा संवेदनशीलता, आपदा राहत हेतु विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध मानवीय, एवं भौतिक संसाधनों के साथ ही आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव हेतु प्रतिक्रिया योजना का समावेश किया गया है। प्रस्तुत 'जिला आपदा प्रबन्धनन कार्ययोजना' तभी उपयोगी होगी जब जनपद के सभी अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूचि लेकर इस सम्बन्ध में अपने दायित्वों पर पूर्ण गम्भीरता से मनन एवं अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

सूचना का उचित समय पर उचित ढंग से त्वरित सम्प्रेषण एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता एवं आपसी समन्वय से अनेकों समस्याओं से बचा जा सकता है। जनपद मुख्यालय पर जिला आपात कालीन परिचालन केन्द्र (नियन्त्रण कक्ष) वर्तमान में चौबीसों घण्टे क्रियाशील है।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में संकलित सूचना एवं समन्वयन प्रणाली एक सराहनीय प्रयास है। मुझे आशा है कि प्रस्तुत 'जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना' जनपद में संकटकालीन स्थितियों, आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण कार्यों में सहायक व उपयोगी सिद्ध होगी।

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्राकथन

भारत सरकार, उत्तरांचल सरकार व संयुक्त राष्ट्र विकास के संयुक्त तत्वाधान में जनपद टिहरी गढ़वाल में समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबन्ध परियोजना विगत 2004 से 2009 तक संचालित की गयी है। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 2005 के अन्तर्गत जनपद में आपदा प्रबन्धन विभाग स्थापित है। इस परियोजना के तहत ग्राम/स्थानीय शहरी निकाय, ब्लॉक व जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन कर कार्ययोजना एवं DEOC का निर्माण किया गया है। जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं, ताकि समुदाय, स्थानीय तन्त्र व जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया तत्परता व प्रशमन उपायों को सुदृढ़ कर आपसी समन्वय द्वारा प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दुष्प्रभावों से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके।

भौगोलिक परिस्थितियों, आपदा प्रवृत्ति व संवेदनशीलता एवं विशेष संकटकालीन स्थितियों को ध्यान में रखकर जनपद की यह आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना तैयार की गई है, जो विगत वर्षों में विभिन्न स्तरों पर हुई अनेकों बैठकों व चर्चाओं एवं सूचना संकलन का प्रतिफल है। यद्यपि इसमें विभिन्न स्तर पर विभागों से प्राप्त सूचना एवं जानकारियों का समावेश किया गया है तथापि जानकारियों में वर्तमान संशोधन व आपदाओं से सम्बन्धित संसाधनों, कार्यरूपों, प्रणालियों एवं प्रतिक्रियाओं पर नवीन जानकारी को समावेशित करने के पूरे अवसर हैं ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये जिला स्तर पर एक उपयोगी कार्ययोजना तैयार हो सके।

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
भाग–1	**परिचय**	
	प्रस्तावना	1
	बहुआपदा प्रतिक्रिया (Response) कार्ययोजना	2
	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का महत्व	2
	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का उद्देश्य	3
	आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के तत्व	3
	नीति निर्धारण	3
	जनपद में सड़क मार्ग	4
	टिहरी जनपद की अवस्थिति	5
	सामान्य सूचनाएं	6
	स्वास्थ्य केन्द्र सुविधा मानचित्र	8
	क्षेत्रफल व प्रशासनिक विभाजन	9
	जल प्रवाह तंत्र	10
	सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य	10
	कृषि	10
	विद्युत व्यवस्थापन	11
	उद्योग	11
	परिवहन एवं दूरसंचार तंत्र	11
	सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु परिवहन विभाग की कार्यवाही	11
	टैक्सी–मैक्स व्यवसायी	12
	विकास योजनाएं	13
	बांध क्षतिग्रस्त/टूटने विषयक कार्ययोजना	14
भाग–2	**इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0)**	
	इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0)	16
	जिला स्तर पर कार्यवाही का समन्वयन	17
	उत्तरदायी अधिकारी–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	19
	ऐरिया कमाण्डर–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	20
	कार्यवाही समन्वयन	21
	स्थानीय प्राधिकारी–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	21
	इंसीडेंट (घटना) कमाण्डर–कमान स्टाफ	22
	इंसीडेंट (घटना) कमाण्डर–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	22
	सूचना एवं मीडिया अधिकारी–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	24
	सम्पर्क अधिकारी–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	25
	सुरक्षा अधिकारी–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	26

	आई0आर0टी0 चार्ट	27
	ऑपरेशन सैक्शन–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	28
	स्टैजिंग ऐरिया–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	29
	रिस्पॉन्स ब्रांच–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	30
	डिवीजन सुपरवाईजर एण्ड ग्रुप–इन–चार्ज भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	31
	सिंगल रिसोर्सेज–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	32
	स्ट्राइक टीम भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	32
	ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच	32
	ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच–भूमिका एवं उत्तरदायित्व	33
	ग्रुप–इन–चार्ज रोड ऑपरेशन–भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व	34
	कॉर्डिनेटर रोड ऑपरेशन	35
	लोडिंग/अनलोडिंग–इन–चार्ज–सड़क, रेल, जल	35
	ऐयर ऑपरेशन	40
	हैलीबेस/हैलीपैड इन चार्ज	42
	प्लानिंग सैक्शन	44
	रिसोर्स यूनिट लीडर	46
	चैक–इन/स्टेटस रिकार्डर	47
	सिचुऐशन यूनिट लीडर	47
	डिस्प्ले प्रोसेसर	48
	फील्ड ऑबजर्वर	48
	डॉक्यूमेंट यूनिट लीडर	49
	डिमोबिलाईजेशन यूनिट लीडर	49
	टैक्निकल स्पेशिलिस्ट	50
	लॉजिस्टिक एण्ड फाईनेंस सैक्शन	51
	सर्विस ब्रांच डायरेक्टर	53
	कॉम्यूनिकेशन यूनिट लीडर	53
	मेडिकल यूनिट लीडर	54
	फूड यूनिट लीडर	54
	सपोर्ट ब्रांच डायरेक्टर	55
	रिसोर्स प्रोविजनिंग यूनिट लीडर	56
	फैसिलिटी यूनिट लीडर	57
	ग्राउंड सपोर्ट यूनिट लीडर	59
	फाईनेंश ब्रांच डायरेक्टर	59
	टाईम यूनिट लीडर	60
	प्रोस्यूजमेंट यूनिट लीडर	60
	कम्पनसेशन/क्लेम यूनिट लीडर	61
	कॉस्ट यूनिट लीडर	62
	अनुबन्ध प्रपत्र	63

	आई0आर0एस0 स्ट्रक्चर	73
	आई0आर0टी0 सदस्य, नाम व सम्पर्क	74
भाग–3	**आपदा प्रवृत्ति, उपलब्ध संसाधन, संस्थागत उपाय**	
	विशिष्ट आपदा प्रवृत्ति	79
	भूकम्प	79
	बाढ़	80
	बाढ़/डूब क्षेत्र सम्भावित स्थल	81
	मानसून सत्र में बाढ़ चौकियां	82
	भू–स्खलन/मेघ विस्फोट	84
	भूस्खलन सम्भावित क्षेत्र	86
	क्रॉनिक लैण्ड स्लाइड जोन	89
	क्रॉनिक जोन–दुर्घटना सम्भावित	90
	महामारी	92
	औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटना	92
	अग्निकाण्ड	92
	सड़क दुर्घटना	93
	सड़क दुर्घटना सम्भावित स्थल	93
	सड़क दुर्घटनाओं का विवरण	94
	सूखा	112
	जनपद में माहवार वर्षा के आंकडे	113
	आपदा दौरान एवं पश्चात सेवाओं की घातकता एवं व्यवस्था	118
	जनपद में दिव्यांगजन/विकलांगजन	119
	जनपद में विभिन्न विभागों की आपदा प्रबन्धन में भूमिका	121
	पुलिस विभाग	121
	थाने/चौकी/फायर ब्रिगेड	122
	राजस्व विभाग	123
	आपदा प्रबन्धन	123
	सूचना विभाग	124
	स्वास्थ्य विभाग	124
	पशु चिकित्सा विभाग	125
	नागरिक आपूर्ति विभाग	125
	खाद्यान्न भण्डार	126
	पूर्ति निरीक्षक	126
	गैस सर्विस	127
	डीजल/पेट्रोल पम्प	128
	कृषि विभाग	128
	वन विभाग	129
	शिक्षा विभाग	129

	समाज कल्याण विभाग	130
	विकास विभाग	130
	लोक निर्माण विभाग	131
	जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग	132
	पेयजल विभाग	132
	उत्तरांचल पावर कारपोरेशन	132
	दूरसंचार विभाग	133
	महिला एवं बाल विकास	133
	जिला होमगार्ड	134
	युवा एवं कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल	134
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	134
	जिला उद्योग केन्द्र, श्रम प्रवर्तन, खादी व ग्रामोद्योग	134
	पर्यटन विभाग, जिला क्रीडा	135
	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	135
	संकट प्रबन्धन कार्ययोजना–पुलिस विभाग	146
	जिला स्तर पर संस्थागत उपाय	146
	मा0 जिलाधिकारी महोदय की भूमिका	146
	जिला स्तर पर संयोजन तंत्र	147
	जिला आपदा प्रबन्धन समिति	148
	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य	149
	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य	151
	जिलाधिकारी की उपस्थिति में प्रतिक्रिया प्लान बैठक	154
	जिला आपदा परिचालन दल	155
	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र	159
	आपदा नियंत्रण कक्ष में कार्मिकों हेतु निर्देश	161
	जिला प्रतिक्रिया योजना	162
	भूकम्प अनुक्रिया	163
	विशेष अनुक्रियात्मक कार्यवाहियां	167
	भूकम्प आने पर क्या करें	169
	भूकम्प सुरक्षा और हमारी तैयारी	169
	घरों को अधिक सुरक्षित बनायें	169
	भूकम्प के बाद क्या करें	170
	भूकम्प के बाद क्या न करें	170
	भूकम्प में कार्य करने वाले महत्वपूर्ण संस्थान/विभाग	171
	त्वरित बाढ/मेघ विस्फोट	172
	सम्भावित प्रभाव	172
	अग्रणी एजेंसियां	172
	प्रतिक्रिया योजना	172

	बाढ़ पूर्व तैयारी	173
	आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपाय	174
	बाढ़ के समय कार्य	174
	घर छोडने की सलाह दिये जाने पर	175
	बाढ़ में डूबे व्यक्ति की सहायता	175
	बाढ़ के बाद	175
	बाढ़ के प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित करें	176
	बाढ़/डूब क्षेत्र	176
	भूस्खलन	177
	सम्भावित प्रभाव	177
	अग्रणी एजेंसियां	177
	प्रतिक्रिया योजना	177
	सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र	178
	भूस्खलन कुछ सावधानियां	179
	भूस्खलन के पश्चात	180
	महामारी	181
	सम्भावित प्रभाव	181
	अग्रणी एजेंसियां	181
	प्रतिक्रिया योजना	181
	सड़क दुर्घटना	183
	सम्भावित प्रभाव	183
	अग्रणी एजेंसियां	183
	प्रतिक्रिया योजना	183
	सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील स्थान	184
	सड़क सुरक्षा यातायात नियम	185
	सड़क सुरक्षा अनुक्रिया प्रणाली	189
	अग्निकाण्ड	190
	सम्भावित प्रभाव	190
	अग्रणी एजेंसियां	190
	प्रतिक्रिया योजना	190
	घरेलू आग	191
	वनाग्नि	193
	एस0ओ0पी0 फॉर फलड	195
	एस0ओ0पी0 फॉर रोड ब्लॉक	207
	एस0ओ0पी0 फॉर रोड एक्सीडेंट	209
	एस0ओ0पी0 फॉर डिपार्टमेंट्स	215
	विद्युत विभाग	215
	पुलिस विभाग	218

	स्वास्थ्य विभाग	221
	सिंचाई विभाग	228
	कृषि विभाग	230
	पशुपालन विभाग	233
	जल संस्थान	236
	लोक निर्माण विभाग	239
भाग–4	**संलग्नक**	
	1– प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरण/सम्पर्क नम्बर एवं जनपद में उपलब्ध सैटेलाइट फोन	245
	2– खोज बचाव उपकरण एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं महत्वपूर्ण स्वयं सेवी संस्थान	273
	3– आपदा के सन्दर्भ में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण	288
	4– आपदा की स्थिति हेतु विशिष्ट निर्णय–निर्धारण व दिशा निर्देशन	289
	5– आपदाओं की सूची	296
	6– जनपद/तहसील नियंत्रण कक्ष	297
	7– आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थलों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले स्थानों/खुले मैदानों/गेस्ट हाऊस/होम–स्टे की उपलब्धता	300
	8– जनपद के हैलीपैड़ को–आर्डिनेट्स	326
	9– पैदल वन मार्ग, वन विभाग, नई टिहरी	329
	10– जनपद क्षेत्रान्तर्गत ए.टी.एम. की सूची	332
	10– अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थ	334

भाग–1

टिहरी गढ़वाल– परिचय

प्रस्तावना

आपदायें प्राकृतिक एवं मानवजनित प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग हैं। प्रकृति में होने वाले बदलाव, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगिक विकास के साथ ही अन्य अनेक कारण हैं जिनसे प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ मानव जनित आपदाओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले एक शताब्दी के दौरान ही विश्वभर में 4 करोड़ लोग आपदाओं का शिकार हो गये जिनमें से एक करोड़ केवल भारत वर्ष के हैं। नवीन तकनीकी के विस्तार के साथ यद्यपि विश्व स्तर पर आपदाओं से होने वाली जनहानि में कमी आयी है किन्तु उनसे होने वाली आर्थिक क्षति कई गुना अधिक बढ़ गई है। भारत जैसे विकासशील देशों में तकनीकी अभाव के कारण स्थिति जस की तस है।

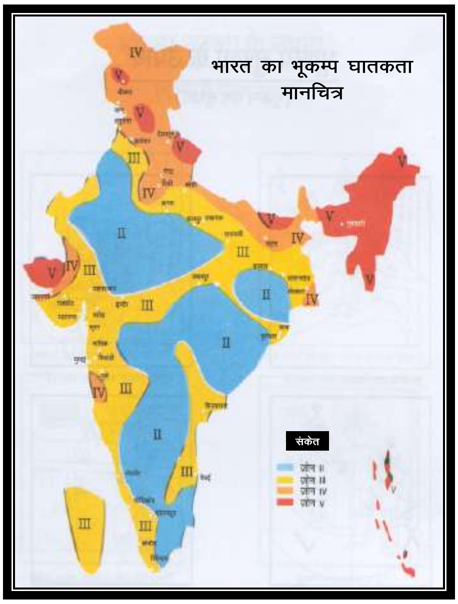

भारत का हिमालयी क्षेत्र नवीन पर्वत श्रंखला होने के कारण अनेक भौगोलिक परिवर्तनों से गुजर रहा है तथा आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। इस क्षेत्र में आये पिछले भूकम्पों जिनमें 1905 में आया कांगडा का भूकम्प जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हुई, भी सम्मिलित है ने विकास और प्रकृति के संतुलन को बनाये रखने के संकेत दिये हैं।

उत्तराखण्ड राज्य अपनी विषम भौगोलिक स्थिति के कारण सूक्ष्म पारिस्थितिकीय बदलाव के प्रति संवेदनशील है। अतः कोई भी ऐसी क्रिया जो कि प्रकृति के विरूद्ध हो आपदा को जन्म देती है। राज्य में टिहरी गढ़वाल एक बहुआपदा ग्रस्त जनपद है, भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, मेघ–प्रस्फोट एवं त्वरित बाढ़ जनपद में होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदायें हैं। अन्य प्राकृतिक आपदाओं में अतिवृष्टि, भूमि कटाव, सूखा, ओलावृष्टि, वज्रपात तथा शीत का प्रकोप है। मानवजनित आपदाओं में सड़क दुर्घटनायें प्रमुख है। भारत के भूकम्प मानचित्र के अनुसार जनपद का अधिकतर भाग जोन IV में आता है एवं जनपद के अन्तर्गत तहसील घनसाली पूर्ण रूप से व तहसील देवप्रयाग के ब्लाक कीर्तिनगर का कुछ भाग जोन V में आता है। जनपद के अन्तर्गत तहसील घनसाली भूस्खलन व मेघ विस्फोट (Cloud Brust) की दृष्टि से भी अतिसंवेदनशील है। विगत दशकों में इस तहसील ने प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक क्षति उठाई है।

उत्तराखण्ड का आपदा प्रबन्धन तंत्र राज्य में आपदा की स्थिति के नियोजन को सम्बोधित करता है। जिला आपदा कार्य योजना का निर्माण जिला स्तर पर बहुआपदा प्रतिक्रिया तंन्त्र की आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास है। जिला आपदा कार्य योजना में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्व तैयारी व न्यूनीकरण उपायों का क्रियान्वयन आवश्यक है।

बहुआपदा प्रतिक्रिया (Multi Disaster Response) कार्ययोजना

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना जनपद में होने वाली विभिन्न आपदाओं जैसे भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, त्वरित बाढ़ व सड़क दुर्घटनाओं आदि के समय जिले में कार्यरत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की प्रतिक्रिया को निर्देशित करती है। कुछ प्राकृतिक आपदायें जैसे भूकम्प, भूस्खलन व त्वरित बाढ़ एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती हैं तथा जान–माल व पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाती हैं। ऐसी आपदाओं के प्रबन्धन व राहत कार्य में संसाधन व मानव शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है।

प्रस्तुत कार्ययोजना आपदा से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु संस्थागत उपायों की आवश्यकता की रूपरेखा एवं आपदा हेतु प्रस्तावित बहु प्रतिक्रिया योजना है। कार्ययोजना आपदा प्रबन्धन में संलग्न विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आपदा के समय किये जाने वाले कार्यों को भी निर्देशित करती है। प्रथम स्तर या स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया तन्त्र आपदा के प्रकार पर आधारित होता है, परन्तु अन्तिम छोर अर्थात जिला स्तर पर नियन्त्रण एवं समन्वयन सभी प्रकार की आपदाओं हेतु लगभग समान ही रहेगा।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का महत्व

जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण से एक सुनियोजित प्रतिक्रिया तन्त्र व उत्तरदायित्व के विभाजन के अभाव में संसाधनों के कुप्रबन्धन एवं विभिन्न ऐजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में दुहराव को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे कि आपदा के समय उपयुक्त प्रतिक्रिया कर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

- प्रतिक्रिया कार्यों का क्रमबद्ध पूर्वनियोजन।
- प्रतिभागी ऐजेन्सियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण।
- संसाधनों का प्रभावी प्रबन्धन, तथा
- आपदा प्रबन्धन में संलग्न विभिन्न विभागों एवं राहत एजेन्सियों के बीच बेहतर तालमेल हेतु कोड व विशिष्ट परिचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का विकास।

<u>जनपद में प्रमुख आपदाएं</u>

❖ *Water and climate related Disasters* -

1- भूस्खलन, बादल फटना, त्वरित बाढ़ Land slide, Cloud brust/Flash Flood.
2- आकाशीय बिजली Thunder Storm.
3- सूखा Drought.
4- ओलावृष्टि Hail storms.

❖ *Geolosical-*

5- भूकम्प Earthquake.
6- बांध सम्बन्धी दुर्घटनाएं Dam/Reserviour related Disasters/accidents.

❖ *Industrial -*

7- औद्योगिक एवं निर्माण सम्बन्धी दुर्घटनाएंIndustrial/ Construction related Accidents.
8- दावाग्नि Forest Fire.

❖ *Accident related-*

9- सड़क दुर्घटनाएं / नाव दुर्घटनाएं Road accidents/Boat accidents.
10- भवन ढ़हना Building Collapse.
11- विद्युत दुर्घटनाएं Electric Accidents.
12- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आग लगना Urban and rural fire.
13- पहाड़ से पत्थर गिरकर मृत्यु होना अथवा घायल होना Death injury due to stone and boulder hits from hills.

❖ *Bilogical*-

14- मानव महामारी, पशु महामारी Human and animal epidemics.
15- भोजन विषाक्तता Food Poisining.

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का उद्देश्य

विस्तृत रूप में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का उद्देश्य जनपद में होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से जीवन, सम्पत्ति व पर्यावरण को होने वाली क्षति को कम कर उसके प्रभाव को न्यूनतम करना है। आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के उद्देश्य निम्नवत है :–

- जनपद में आपदा प्रबन्धन में संलग्न विभिन्न एजेन्सियों के पास उपलब्ध सुविधाओं व विद्यमान संसाधनों का निर्धारण करना।
- बहुआपदा प्रतिक्रिया में उनकी उपयोगिता व अनुपयोगिता का मूल्यांकन करना।
- जिला स्तर पर आपदा प्रबन्धन में प्रशासनिक प्रतिक्रिया की गुणवत्ता में सुधार हेतु संस्थागत मजबूतीकरण, तकनीकी सूचना तंत्र का सुधार व आकड़ों के प्रबन्धन हेतु सुझाव देना।
- आपदा प्रबंधन कार्ययोजना को एक प्रभावी प्रबंधन उपकरण के रूप में विकास करना।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के तत्व

पिछले अनुभवों पर आधारित आपदा के समय होने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान व जनपद के परिप्रेक्ष्य में उनके सम्भावित समाधान के निम्न प्रमुख तत्व है–

- आपदा से पूर्व व आपदा के पश्चात जरूरी कार्यों का चिन्हीकरण व इन कार्यों का व्यक्ति विशेष, संगठनों, विभागों में वितरण।
- प्रशासनिक तंत्र के आत्मबल में वृद्धि हेतु एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया जाना।
- गैर सरकारी संगठनों सहित सभी प्रतिक्रिया दलों के बीच एक सुगठित व प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु तालमेल स्थापित करना।
- राज्य स्तरीय प्रतिक्रिया तंत्र के साथ बेहतर तालमेल।

नीति निर्धारण

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रमुख नीति आपदाओं से होने वाली जन–धन व पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करना है, आपदा के बाद शीघ्रातिशीघ्र जनजीवन को सामान्य बनाना नीति का प्रमुख तत्व है।

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में समावेश हेतु महत्वपूर्ण विषय

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश किया जाना है:–

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों व क्षेत्रों का चिन्हांकन व विवरण।
2. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य।
3. त्वरित एवं प्रभावी आपदा प्रतिवादन (response) के दृष्टिगत आवश्यक क्षमता विकास (capacity building) एवं पूर्व तैयारी (preparedness) हेतु जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य।
4. निम्नलिखित के दृष्टिगत आपदा की स्थिति के लिए प्रतिवादन (response) योजना एवं कार्यवाविधियां (operating procedures)।
5. जनपद स्तरीय विभागों व स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण।
6. आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन एवं तत्कालिक राहत।
7. आवश्यक सामग्रियों का क्रय व आपूर्ति।
8. संचार तंत्र की स्थापना।
9. जन साधारण के लिए सूचनाओं का प्रसारण।
10. राज्य प्राधिकरण द्वारा वांछित अन्य जानकारियां।

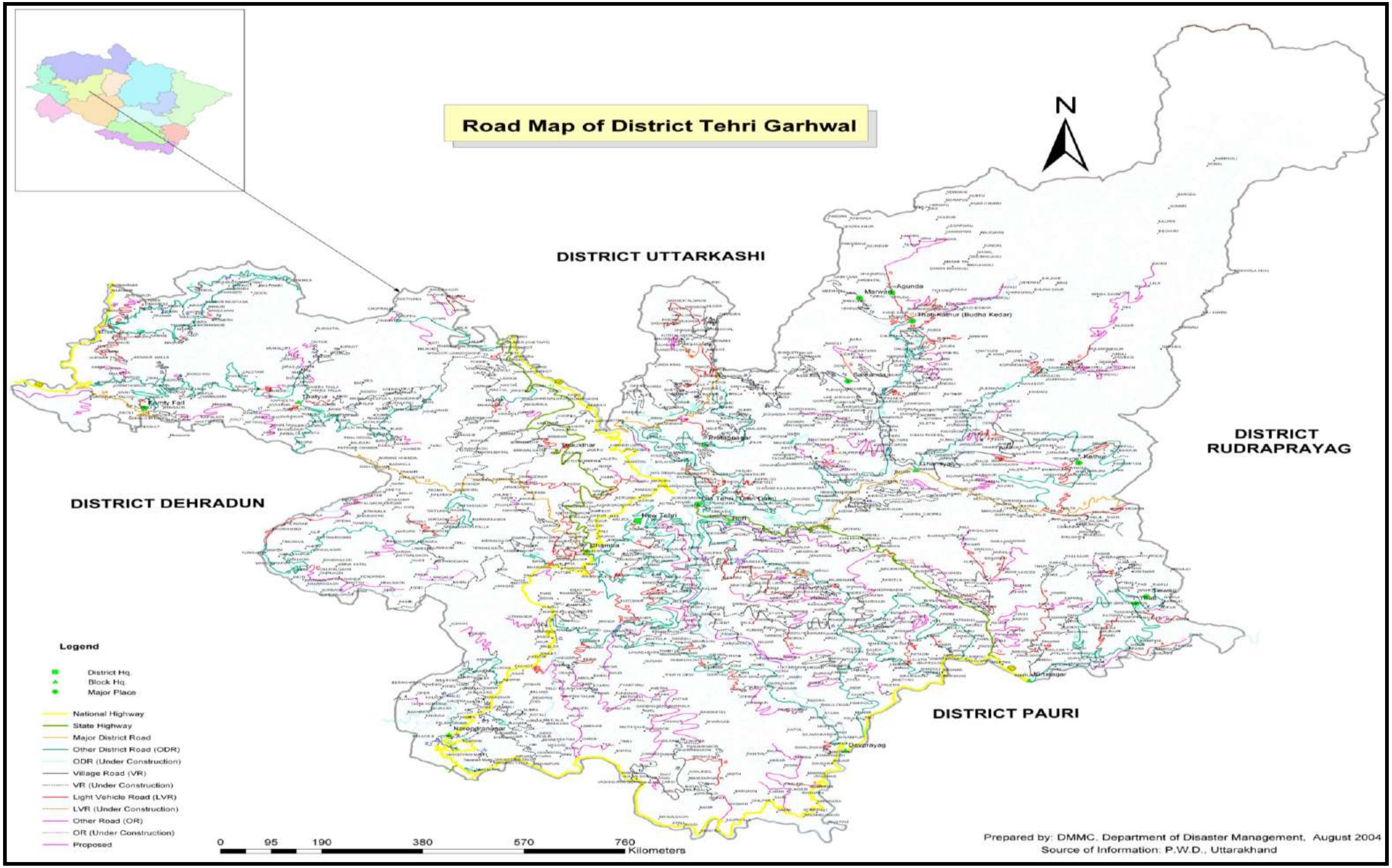

Road Map of District Tehri Garhwal
N
DISTRICT UTTARKASHI
DISTRICT RUDRAPRAYAG
DISTRICT DEHRADUN
DISTRICT PAURI
New Tehri
Devprayag
Legend
District Hq.
Block Hq.
Major Place
National Highway
State Highway
Major District Road
Other District Road (ODR)
ODR (Under Construction)
Village Road (VR)
VR (Under Construction)
Light Vehicle Road (LVR)
LVR (Under Construction)
Other Road (OR)
OR (Under Construction)
Proposed
0 95 190 380 570 760
Kilometers
Prepared by: DMMC, Department of Disaster Management, August 2004
Source of Information: P.W.D., Uttarakhand

टिहरी जनपद की अवस्थिति

जनपद टिहरी गढ़वाल राज्य के उत्तर–पश्चिम दिशा में 30°.03' से 30°.53' उत्तरी अंक्षांश तथा 77°.56' से 79°.04' पूर्वी देशान्तर के मध्य बसा है। जनपद की सीमायें उत्तर दिशा में उत्तरकाशी, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल, पूरब में रूद्रप्रयाग व पश्चिम में जनपद देहरादून से मिलती हैं।

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3796 वर्ग किमी है। जनपद का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका छोटी–छोटी पहाड़ियों से लेकर पर्वतीय श्रृंखलाओं में विस्तार है। पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती के योग्य बनाया जाता है। भूमि ढालू होने के कारण यह क्षेत्र भूक्षरण की समस्या से ग्रस्त है।

जनपद का मुख्यालय नई टिहरी में स्थित है। जनपद का मुख्यालय सभी प्रमुख नगरों व शहरों से सड़क यातायात से भली–भॉति जुडा हुआ है। यहॉ से निकटतम रेलवे स्टेशन 71 किलोमीटर पर ऋषिकेश व हवाई अड्डा 93 किमी0 दूर जौलीग्राण्ट में स्थित है। नई टिहरी से प्रदेश की राजधानी देहरादून 116 किमी0 दूर है व यहॉ से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की दूरी लगभग 350 किमी0 है। जनपद में सबसे निचला भाग 335 मी0 (1,000 फीट) मुनिकीरेती व सबसे ऊॅची चोटी 6,705 मी0 (20,000 फीट) पर है।

जनपद टिहरी गढ़वाल की सामान्य सूचनाएं

क्र.	बिन्दु	विवरण
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	3642 वर्ग किमी0
2	वन क्षेत्र	231517.47 हैक्टेयर
3	जनसंख्या (2011) की जनगणना	618931
	पुरूष	297986
	महिला	320945
4	जनसंख्या घनत्व	169 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
5	लिंग अनुपात	1078 महिला–1000 पुरूष
6	साक्षरता	पुरूष 227406, महिलाएं 180588
7	जनपद में साक्षरता प्रतिशत	76
8	तहसीलें	12 तहसीलें, 02 उपतहसील
9	न्याय पंचायतें	75
10	ग्राम सभायें	1036
11	विकासखण्ड	9
12	विकासखण्ड सदस्यों की संख्या	345
13	जिला पंचायत सदस्यों की संख्या	45
14	वन पंचायतें	899
15	पटवारी क्षेत्र	183
16	कानूनगो क्षेत्र	14
17	नगरपालिका	4
18	नगर पंचायत	6
19	पुलिस स्टेशन	11
20	पुलिस चौकियां	24
21	पंजीकृत उद्योग/लघु औद्योगिक इकाईयां	3234
22	प्राथमिक विद्यालय	1691
23	जूनियर हाईस्कूल	355
24	इण्टर कालेज	164
25	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	336
26	केन्द्रीय विद्यालय	02
27	राजकीय स्नातक महाविद्यालय	9
28	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	5
29	संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय	2
30	कृषि विश्वविद्यालय, परिसर रानीचौरी	1
31	प्राविधिक शिक्षण संस्थान	4
32	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	8
33	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1
34	जिला चिकित्सालय	1
35	संयुक्त चिकित्सालय	1
36	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	11

37	ऐलोपैथिक चिकित्सालय	37
38	होम्योपैथिक चिकित्सालय	16
39	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	110
40	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र	26
41	उप—केन्द्र	204
42	क्षय रोग निवारण केन्द्र	1
43	कुष्ठ निवारण केन्द्र	1
44	पशु चिकित्सालय	38
45	पशुधन विकास केन्द्र	92
46	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	44
47	नहरों की लम्बाई	781.383 किमी0
48	पक्की सड़कें	4238.14 किमी0
49	कुल डाकघर	262
50	ग्रामीण डाकघर	246
51	नगरीय क्षेत्र में	16
52	सस्ते गल्ले की दुकानें	1100
53	व्यवसायिक बैंक शाखाऐं	79
54	ग्रामीण बैंक	20
55	सहकारी बैंक	33
56	नाबार्ड	1
57	पैट्रोल पम्प	25

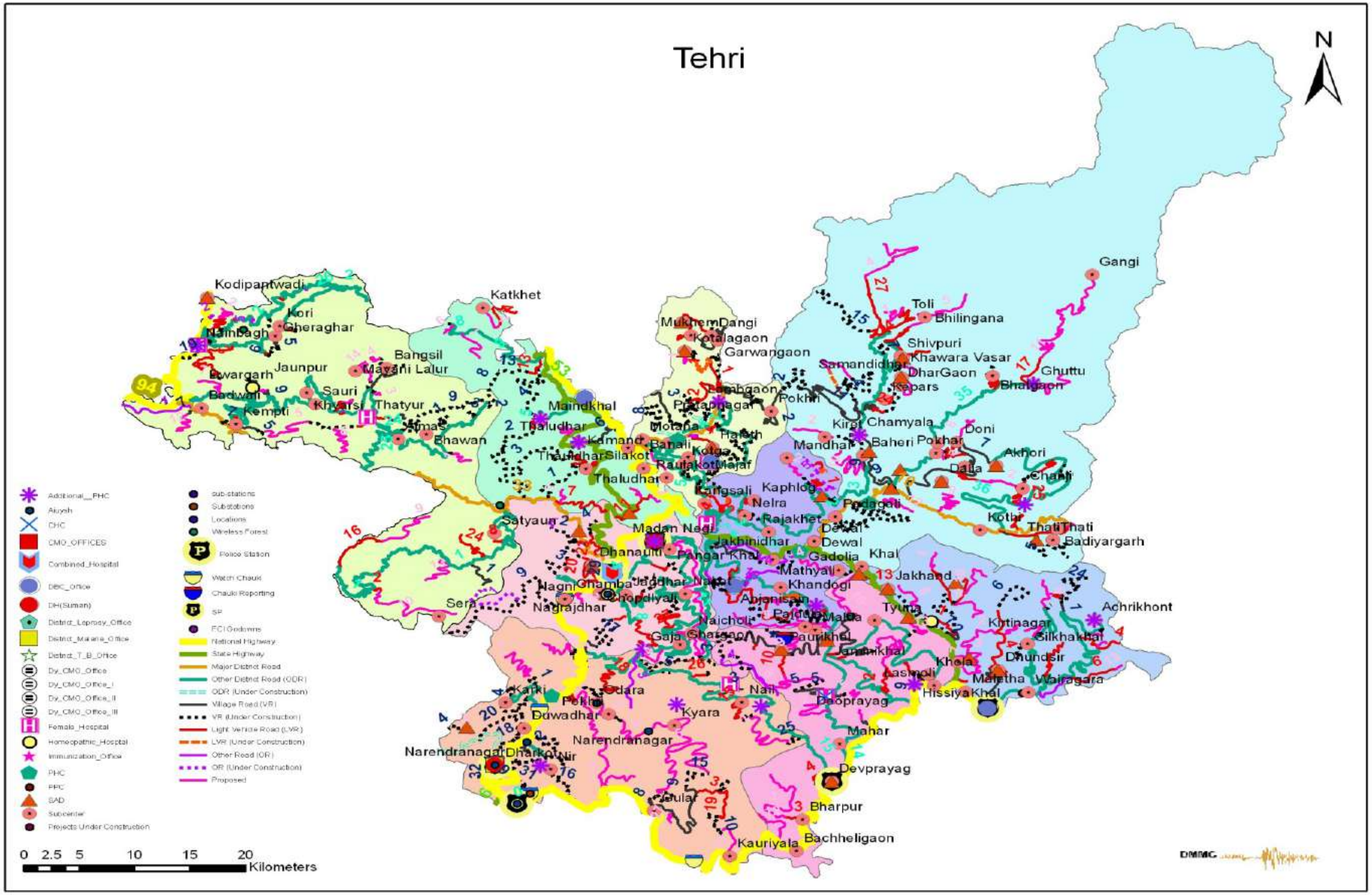

Tehri
N
Gangi
Toli
Bhilingana
Shivpuri
Khawara Vasar
Samandidhar
DharGaon
Kepars
Ghuttu
Bhalgaon
Pokhri
Kirst
Chamyala
Baheri
Pokhal
Doni
Akhori
Mandhar
Dalla
Chanti
Kaphlog
Nelra
Rajakhet
Padagali
Kothi
ThatiThati
Badiyargarh
Dewal
Gadolia
Khal
Jakhand
Achrikhont
Khandogi
Mathyali
Kotinagar
Silkhakhal
Dhundsir
Khela
Maletha
Wairagara
Hissiya Khal
Laxmoli
Devprayag
Mahar
Bharpur
Bachheligaon
Kauriyala
Gular
Narendranagar
Kyara
Nail
Odara
Duwadhar
Karki
Narendranagar
Dharkot
Nir
Pokhal
Madan Negi
Jakhinidhar
Dhanaulti
Chamba
Jaddhar
Nagni
Nagrajdhar
Chopdiyali
Naicholi
Gaja
Sera
Satyaun
Maindkhal
Thaludhar
Kamand
Banali
Silakot
Kolga
Raulakot
Majaf
Thaludhar
Motana
Pratapnagar
Lambgaon
Mukhem
Dangi
Kotalagaon
Garwangaon
Katkhet
Kodipantwadi
Kori
Gheraghar
Nainbagh
Jaunpur
Bangsil
Mayani
Lalur
Sauri
Khyarsi
Thatyur
Bhawan
Kempti
Badwali
Lewargarh
Additional_PHC
Aiuysh
CHC
CMO_OFFICES
Combined_Hospital
DBC_Office
DH(Suman)
District_Leprosy_Office
District_Malaria_Office
District_T_B_Office
Dy_CMO_Office
Dy_CMO_Office_I
Dy_CMO_Office_II
Dy_CMO_Office_III
Female_Hospital
Homeopathic_Hospital
Immunization_Office
PHC
PPC
SAD
Subcenter
Projects Under Construction
sub-stations
Substations
Locations
Wireless Forest
Police Station
Watch Chauki
Chauki Reporting
SP
FCI Godowns
National Highway
State Highway
Major District Road
Other District Road (ODR)
ODR (Under Construction)
Village Road (VR)
VR (Under Construction)
Light Vehicle Road (LVR)
LVR (Under Construction)
Other Road (OR)
OR (Under Construction)
Proposed
0 2.5 5 10 15 20
Kilometers
DMMC

क्षेत्रफल व प्रशासनिक विभाजन

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 3796 वर्ग कि0 मी0 (3,95,240.587) है। जिसमें से कुल कृषि क्षेत्र 64962 हैक्टेयर है व सिंचित क्षेत्रफल 8651 हैक्टेयर है।

जनपद टिहरी गढ़वाल का मुख्यालय नई टिहरी नगर है। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु 2016–17 तक जनपद 12 तहसीलों में क्रमशः टिहरी, प्रतापनगर, घनसाली, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर, जाखणीधार, धनोल्टी, नैनबाग, गजा, कण्डीसौड़, कीर्तिनगर, बालगंगा तथा 02 उपतहसील क्रमशः पावकीदेवी व मदननेगी में बंटा है। सभी तहसीलें 183 पटवारी क्षेत्र में बंटी हुई हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद में कुल 09 विकासखण्ड हैं, जिसके अन्तर्गत 1786 आबाद ग्राम तथा 51 गैर आबाद को 1036 ग्राम सभाओं तथा 75 न्याय पंचायतों में समाहित किया गया है। जनपद का शहरी क्षेत्र 04 नगर पालिका परिषद, 06 नगर पंचायत क्षेत्र में विभाजित है।

क्र0	विकासखण्ड का नाम	तहसील का नाम	जिला मुख्यालय से विकासखण्ड की दूरी किमी0
1	प्रतापनगर	प्रतापनगर	95
2	भिलंगना (मुख्यालय घनसाली)	घनसाली	64
3	जाखणीधार (मुख्यालय टिपरी)	जाखणीधार	40
4	जौनपुर (मुख्यालय थत्यूड़)	धनोल्टी	80
5	थौलधार (मुख्यालय छाम)	कण्डीसौड़	62
6	चम्बा	टिहरी	12
7	नरेन्द्रनगर (मुख्यालय फकोट)	नरेन्द्रनगर	38
8	देवप्रयाग (मुख्यालय हिण्डोलाखाल)	देवप्रयाग	89
9	कीर्तिनगर	देवप्रयाग	87

जलवायु

जनपद की जलवायु उप–शीतोष्ण से शीतोष्ण है। जनपद में जलवायु एक समान नहीं रहती है। तहसील धनोल्टी, प्रतापनगर, व घनसाली के उंचाई वाले क्षेत्र में शीतकाल में हिमपात होने से कई सम्पर्क मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं।

भौतिक विशेषता एवं भूमि उपयोग

जनपद भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सेण्ट्रल क्रिस्टेलाइन या मध्य हिमालय क्षेत्र में पडता है। भू–आकृतिक दृष्टि से जनपद हिमालय पर्वत की छोटी–छोटी पहाड़ियों से घिरा व उॅची–नीची घाटियों से बना हुआ है। इस क्षेत्र में नवविवर्तनिक क्रियाओं की गतिशीलता के कारण सभी मुख्य भ्रंश भी गतिशील हो गये हैं, जो कि तीव्र ढ़लान वाले क्षेत्रों से होने वाले भू–स्खलन, मलवा गिरना तथा बड़े पत्थरों के लुढ़कने का मुख्य कारण है। इन भ्रशों के गतिमान होने के कारण इस क्षेत्र की भू–आकृति लगातार बदल रही है।

जनपद में कुल भूमि का 17 प्रतिशत भाग ही कृषि उपयोग में है, जबकि 80 प्रतिशत भाग जंगल है व भूमि का 3 प्रतिशत भाग ही अन्य उपयोगों में है। जनपद में बहने वाली नदी व गधेरों के किनारे की भूमि सामान्यतः उपजाऊ होती है तथा यहां पर सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होते हैं। जनपद की अधिकांश कृषि भूमि असिंचित व वर्षा पर निर्भर करती है।

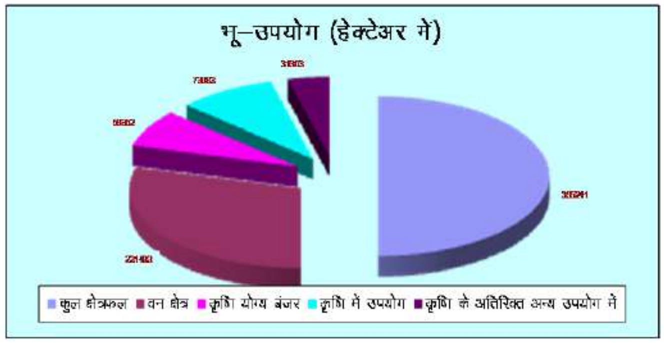

जल प्रवाह तंत्र

सारे जिले की पर्वत मालाओं की शाखा प्रति शाखाओं को एक–दूसरे से पृथक रखने वाली छोटी–बड़ी नदियों और सूखे नालों का जाल बिछा हुआ है। पर उन सब में गंगा और यमुना ही दो ऐसी प्रसिद्ध नदियां हैं, जो भौतिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सूरकण्डा व नाग टिब्बा को मिलाने वाली पर्वत श्रृंखला से पश्चिमी ढाल का जल जमुना नदी में तथा पूर्वी भाग का जल गंगा नदी में जाता है। इन प्रमुख नदियों के अतिरिक्त अनेकों छोटे बडे गाड–गदेरे बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण खेतों के कटान व भू–स्खलन का कारण बनते हैं।

सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य

जनपद की कुल जनसंख्या 618931 है जिसमें 297986 पुरूष एवं 320945 महिला हैं। जिले की 94 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है। जनपद में अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या कम है। सामान्य जाति में मुख्यतः ब्राहमण व राजपूत हैं। आर्थिक दृष्टि से जिला बहुत पिछड़ा है। अधिकतर लोग कृषि से जुडे है व भूमि भी कृषि योग्य नहीं है। जिस कारण अधिकांश लोग बेरोजगार हैं व सरकारी नौकरियों व मैदानी क्षेत्रों में छोटी–छोटी नौकरी पर आश्रित हैं। आर्थिक रूप से ज्यादातर लोग निम्नवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय हैं।

कृषि

जिले में साधारणतया रबी और खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, लाई, राड़ा, मटर, तम्बाकू, लहसून, मेथी, धनिया, जीरा पैदा होता है। ये फसलें अक्टूबर–नवम्बर में बोई जाती हैं और अप्रैल–मई में काटी जाती हैं।
खरीफ की फसल में धान, झंगोरा, मंडूवा, बाजरा, ज्वार, कौणीं, मारसा, गहथ, भट, उड़द, मूंग, मक्कई, तिल, कपास तथा बर्षाती सब्जियों की पैदावार होती है। इसमें से धान, झंगोरा, कौणीं, तिल, तोर व कपास की फसलें अप्रैल–मई में बोई जाती हैं और सितम्बर, अक्टूबर में काटी

जाती हैं। मंडूवा, मारसा, गहब, भट, उड़द, मूंग व मक्कई की फसलें मई जून में बोकर अक्टूबर–नवम्बर तक काटी जाती हैं। खरीफ की फसल ठण्डे भागों में जल्दी काटी जाती हैं।

विद्युत व्यवस्थापन

जनपद टिहरी गढ़वाल में विद्युत आपूर्ति चम्बा एवं मुनिकीरेती से की जाती है। जनपद में विद्युत का वितरण 03 प्राथमिक उपकेन्द्रों (चम्बा–220 केवी, श्रीनगर–132 केवी व वीरभद्र ऋषिकेश–400) व 18 33/11 केवी उप संस्थानों से की जाती है। वर्तमान में जनपद में विद्युतीकरण से कोई भी ग्राम से वंचित नहीं हैं।

उद्योग

ढालवाला नामक स्थान पर वर्ष 2012–13 की गणना के अनुसार जनपद में औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यरत कारखानों की संख्या 14 है, जिनमें 539 व्यक्ति कार्यरत हैं। जनपद क्षेत्रान्तर्गत लघु औद्योगिक इकाईयों की संख्या 2545 है, जिनमें 5919 व्यक्ति कार्यरत हैं। खादी ग्रामोद्योग इकाईयों की संख्या 1488 है, जिनमें 2718 व्यक्ति कार्यरत हैं।

परिवहन एवं दूरसंचार तंत्र

जनपद में परिवहन व्यवस्था मुख्यतः मोटर वाहनों पर आधारित है। खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का ढुलान सड़क मार्ग से ही ट्रकों द्वारा किया जाता है। जनपद में अभी भी ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, जिन्हें अभी मोटर मार्गों से भी नहीं जोड़ा जा सका है, ऐसे स्थानों हेतु दैनिक आवश्यकता की चीजों को घोड़े–खच्चरों के माध्यम से ढुलान किया जाता है। इस प्रकार ढुलान पर लागत बहुत अधिक आती है।

जनपद में मोबाइल सेवायें प्रारम्भ होने से जनसम्पर्क बढ़ा है हालॉकि दूर दराज के क्षेत्रों व गांवों में अभी भी दूरसंचार व्यवस्था का अभाव है। जनपद में 262 डाकघर।

सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु परिवहन विभाग द्वारा निम्न उपाये किये जाते हैं–

क– वाहनों की सघन चैकिंग की जाती है तथा वाहन के प्रपत्रों की चैकिंग जैसे–ओवर लोड, बीमा, स्वस्थता प्रमाण, परमिट, कर व अतिरिक्त कर की जांच की जाती है। यदि उक्त प्रपत्रों में कोई कमी हो तो वाहन का चालान व यदि कोई थाना हो तो वाहन को थाने में सीज भी किया जाता है।

ख– यदि जनपद में नया सड़क निर्माण होता है, तो विभाग द्वारा मोटर मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है और यदि मार्ग पर कमी पाई जाती है तो तब तक सड़क मार्ग को यातायात हेतु स्वीकृत नहीं किया जाता है, जब तक कि सड़क वाहन चलाने योग्य न हो।

ग– सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा समय–समय पर गोष्ठियां आदि की जाती हैं तथा वाहन स्वामियों व वाहन चालकों को सड़क दुर्घटनाओं से बचने के सुझाव व निर्देश दिये जात हैं।

घ– बड़ी प्राकृतिक आपदायें जैसे भूकम्प आदि के समय विभाग द्वारा राहत सामग्री व खोज–बचाव दल भेजने हेतु शासन के निर्देशानुसार वाहनों की व्यवस्था की जाती है।

ड.– सड़क दुर्घटना होने पर विभाग द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन का निरीक्षण व दुर्घटनाग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाती है कि किन कारणों से वाहन की दुर्घटना हुई है।

च– सड़क दुर्घटना होने पर विभागीय सिपाहियों द्वारा घायल यात्रियों की हर सम्भव मदद की जाती है।

टैक्सी/मैक्स परिवहन व्यावसायियों का विवरण

क्र.	यूनियन व क्षेत्र का नाम	यूनियन अध्यक्ष का नाम	मोबाईल नम्बर
1	घनसाली टैक्सी/मैक्सी वाहन यूनियन	श्री हरिकृष्ण कंसवाल	7500236609
2	छाम टैक्सी/मैक्सी वाहन यूनियन	श्री कर्ण सिंह भण्डारी	9756623633
3	चमियाला टैक्सी/मैक्सी वाहन यूनियन	श्री प्यार सिंह बिष्ट	9411144285
4	चम्बा टैक्सी/मैक्सी वाहन यूनियन	श्री देवेन्द्र सिंह	9756623734
5	बौराड़ी टैक्सी/मैक्सी वाहन यूनियन	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	9760370482
6	लम्बगांव टैक्सी/मैक्सी वाहन यूनियन	श्री उदय रावत	9759698493
7	जाखणीधार टैक्सी/मैक्सी वाहन यूनियन	श्री मनवीर सिंह	9756005647

2.10 विकास योजनाएं

टिहरी बांध परियोजना–

मूल रूप से कल्पित देश की इस विशाल नदी घाटी परियोजना, जिसमें क्षेत्र में सिंचाई का विकास भी निहित था, को योजना आयोग ने 1972 में स्वीकृति दी। वर्ष 1988 में संयुक्त उपक्रम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गयी। इसके साथ ही इस परियोजना का आकार प्रारम्भिक 60 मेगावाट से 2400 मेगावाट की क्षमता कर दिया गया है। यह जल विद्युत परियोजना 653.2 करोड़ यूनिट बिजली वार्षिक उत्पादन करेगी। इसके साथ ही सिंचाई तथा पेयजल की सुविधाएं जुड़ी हैं।

इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर रखी गयी है। यह एशिया का सबसे ऊंचा रॉकफिल बांध है तथा विश्व में इसका स्थान चौथा है। इससे 42 वर्ग किमी क्षेत्र का विशाल जलाशय अस्तित्व में आ चुका है। इसकी कुल संग्रहण क्षमता 354 करोड़ घनमीटर है। इसमें जलाशय की मात्रा 261.5 करोड़ घनमीटर रहेगी। परियोजना द्वारा गंगा–यमुना क्षेत्र की 6.04 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचन क्षमता स्थाई बनानें के साथ 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के सघन सिंचाई की व्यवस्था है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 27 लाख लोगों को 200 क्यूसेक पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लगभग 40 लाख निवासियों को पेयजल की आवश्यकता हेतु 300 क्यूसेक पानी पहुंचाया जा सकेगा, ताकि यह 21वीं सदी के प्रारम्भ में विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने हेतु चल रहे राष्ट्रीय प्रयासों में समान रूप से भागीदार बन सकें।

DAM BURST : EMERGENCY DISASTER ACTION PLAN -

जनपद क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित पॉवर प्रोजेक्ट क्रियाशील हैं:–

1– टिहरी बांध परियोजना।
2– कोटेश्वर बांध परियोजना (टिहरी बांध का भाग)।
3– स्वास्ति पावर प्राईवेट लिमिटेड (भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट), घनसाली।
4– अगुण्डा थाती लघु हाइड्रो पावर, बालगंगा।
4– अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी, देवप्रयाग/कीर्तिनगर।

यद्यपि उपरोक्त डैम/पावर प्रोजेक्ट विगत 30 वर्षों से अधिक पुराने नहीं हैं, तथापि बांध के टूटने अथवा इससे हो सकने वाली क्षति तथा तत्सम्बन्धित प्रतिवादन कार्यवाही हेतु टिहरी बांध परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना एवं स्वास्ति पावर प्राईवेट लिमिटेड (भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट) घनसाली के DAM BURST : EMERGENCY DISASTER ACTION PLAN जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा प्रबन्धन में आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत् उपलब्ध हैं।

भाग–2

घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली
इंसीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम
(आई0आर0एस0)

Incident Response System-IRS

घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली :–

(Incident Response System-IRS)

क्षेत्र की घटना प्रत्युत्तर टीम के माध्यम से आई0आर0एस0 संगठन कार्य करता है। डी0डी0एम0ए0 के अध्यक्ष के रूप में जिला समाहर्त्ता/जिला अधिकारी ही घटना प्रत्युत्तर प्रबन्धन के सर्वोच्च पदाधिकारी एवं जबावदेह व्यक्ति होते हैं। आवश्यकतानुसार जिला समाहर्त्ता/जिला अधिकारी किसी अन्य जबावदेह अधिकारी को अपना कार्यभार सौप सकते हैं या किसी बरीय अधिकारी को इंसिडेंट कमांडर नियुक्त कर सकता है।

अगर आपदा एक से अधिक जिले में हुई रहती है तो उस जिले के जिला समाहर्त्ता/जिला अधिकारी इंसिडेंट कमांडर का काम करते हैं, जहॉ आपदा की गंभीरता सबसे ज्यादा है और क्षति सबसे ज्यादा हुई है। घटना प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय के साथ–साथ लाइन डिपार्टमेंट के सभी संगठन/व्यक्ति इंसिडेंट कामांडर के निर्देशों को पालन करने लगेंगे। जिला समाहर्त्ता/जिला अधिकारी जिले के सभी तंत्र एवं संसाधनों को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आपदा क्षेत्र में प्रतिनियोजित कर सकते हैं। हादसा प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय होने के साथ–साथ एक कार्य संचालन सेक्शन, एक योजना सेक्शन, एक रसद सेक्शन और एक वित्त सेक्शन अपने–अपने प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ त्वरित कार्य करने की भूमिका में आ जायेगें। इन सेक्शनों के प्रभारियों के नियुक्ति करने का अधिकार केवल इंसिडेंट कमांडर को है। सेक्शन प्रभारियों में पीड़ितों तक रसद सहायता पहुॅचाने तक की सभी संबंधित जबावेदही निहित होती है।

Responsible Officer(RO)/District Magistrate

जिला स्तर पर कार्यवाही का समन्वयन

1.1 जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार District Disaster Management Authority (DDMA) के अध्यक्ष हैं। उसे जिले में Risponsible Officer (RO) के रूप में पदनामित किया गया है।

1.2 आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करते हुए जिले में विभिन्न विभागों के प्रमुखों को अलग–अलग भूमिकाएं निभानी होती है। District Disaster Management Authority (DDMA) के सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, सम्बन्धित सदस्यों के परामर्श से अग्रिम में तय की जाएंगी। अन्य सम्बद्ध विभागों की भूमिकाओं को भी जिला आपदा प्रबन्धन योजना District Disaster Management Action Plan (DDMAP) में विभिन्न आपदा परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा जिससे कि कार्यर्वाही के दौरान अपने कार्यो के बारे में किसी प्रकार का संदेह न हों।

1.3 जिला मजिस्ट्रेट/Risponsible Officer (RO) जिला मुख्यालय और तहसील/ब्लॉक स्तरों पर Iincident Response Team (IRT) के गठन के लिए एक स्थायी आदेश जारी करेगें। वह यह सुनिश्चित करेगें कि IRT के गठन के लिए उपयुक्त और अनुभवी अधिकारियों का चयन किया जाएगा।

1.4 तथापि, Operation Section Chief (OSC) का चयन आपदा की प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रभावित क्षेत्र में बाढ या अन्य आपदा की स्थिति में, कार्यवाही कर्ताओं का प्रमुख कार्य प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचना, प्रभावित व्यक्तियों को बचाना और उन्हें राहत उपलब्ध कराना होता है।

1.5 राहत सामग्रियों के परिवहन किए जाने के समय उनके लूटे जाने की सम्भावना होती है। ऐसे मामलों में पुलिस, और सशस्त्र बल अभियान चलाने और नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। जिला स्तर पर आग लगने की स्थित में, परिस्थितियों पर कार्यवाही करने के लिए जिला अग्निशमन अधिकारी उपयुक्त अधिकारी होगा। स्वास्थ्य संबंधी आपदा के मामले में, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी सर्वाधिक उपयुक्त होगा और ऐसे ही क्रम जारी रहेगा। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जब कार्यवाही के प्रचालनीकरण में जिला पदाधिकारियों के पास कोई विशेषज्ञता न हो, जैसे Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN) आपदाएं। ऐसी आपदा परिस्थितियों में Operation Section Chief (OSC) की पहचान अग्रिम में की जानी चाहिए ताकि वह अनुभाग प्रमुख के रूप में Operation Section (OC) का नेतृत्व करने के लिए आसानी से संगठित हो सके। NDMA ने ऐसी आपदा के प्रबंधन के संबंध में नाभिकीय और विकिरणकीय आपात स्थितियों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों द्वारा पहले ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी है, अन्य अनुभाग प्रमुखों को चयन, अधिकारी की उपयुक्तता और क्षमता के अनुसार किया जायेगा। उप–मंडल, तहसील या ब्लॉक के मामले में, संबधित प्रमुख अर्थात उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, बी.डी.ओ. अपने–अपने Incident Response Team (IRT) में Incident Commander (IC) के रूप में कार्य करेगें तथा Operation Section Chief OSC) का चयन आपदा की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा। पूर्ण **Incident Response Team (IRT)** को **रेखाचित्र–1** में संदर्भ हेतु दिखाया गया है। आपदा पूर्व अवधि के दौरान Risponsible Officer (RO) सभी Incident Response

Team (IRT) सदस्यों का अपनी–अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगें।

Incident Response Syustem (IRS)

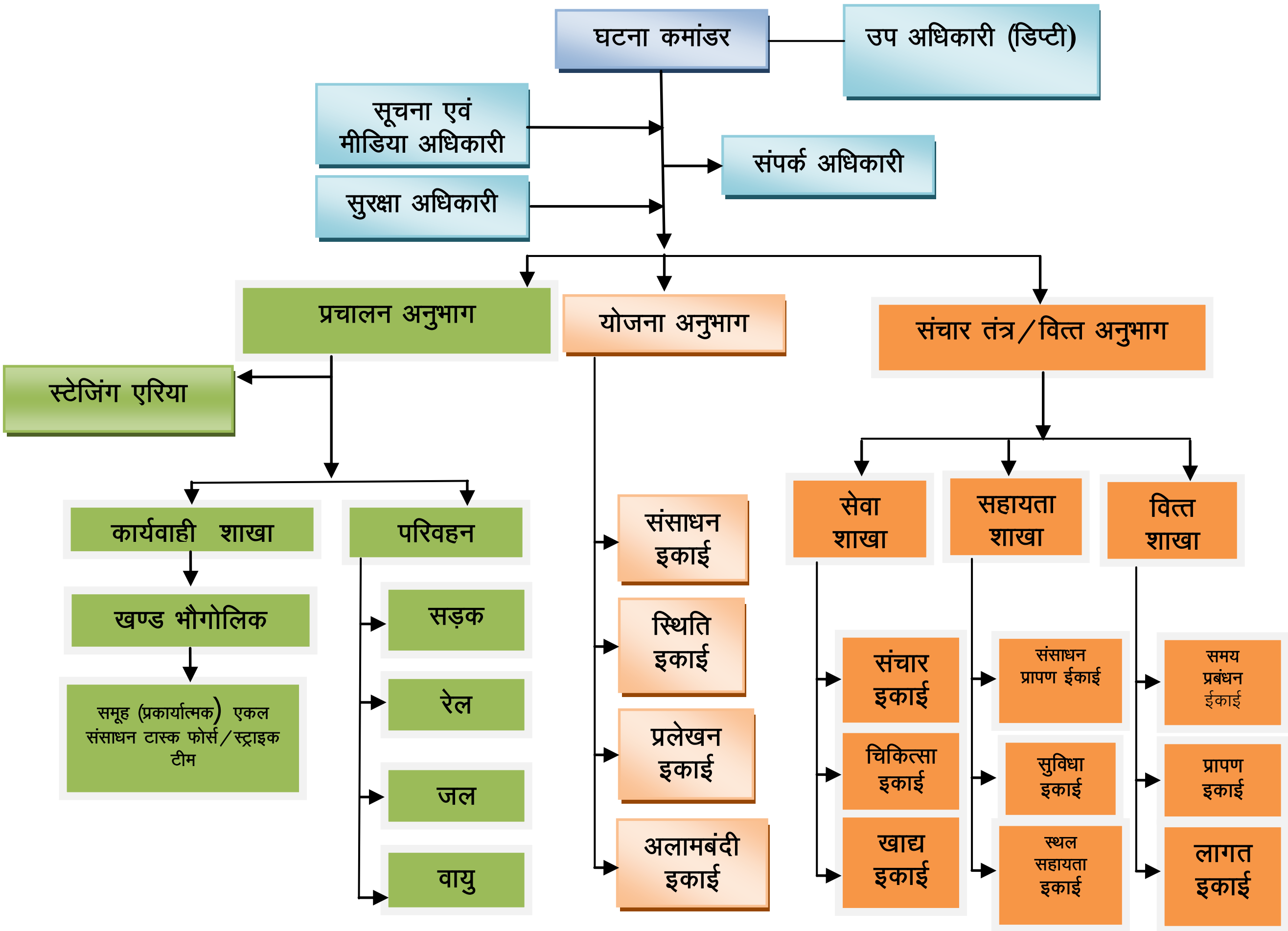

रेखाचित्र–1

1.6 ऊपर दिखाया गया ढॉचा **(रेखाचित्र–1 घटना कार्यवाही टीम Incident Response Team (IRT))** आवश्यकता पडने पर सक्रिय किया जा सकता है। घटना कार्यवाही के अनुवीक्षण और सहायता के लिए Risponsible Officer (RO) सभी अपेक्षित ESF और मुख्यालय **Incident Response team (IRT)** को घटना स्थल पर **Incident Commander (IC) (रेखाचित्र–2)** की सहायता के लिए सम्मिलित करेगा। ऐसे मामले में जब केन्द्रीय टीमें (*NDRF*, सशस्त्र बल) तैनात की जाये, तो **Risponsible Officer (RO)** यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मतभेदों का समाधान हो जायें। इस प्रयोजन के लिए वह **Emergency Operation Centre (EOC)** में ऐसे अभिकरणों के प्रतिनिधि को सम्मिलित कर सकेगा जहॉ सभी मतभेदों का समाधान उच्चतम स्तर पर आसानी से किया जा सके। इस प्रकार तैनात टीमों को **Operation Section Chief (OSC)** के पर्यवेक्षण में एकल संसाधन, स्ट्राइक टीमों या कार्य बलों के रूप में **Operation Section (OS)** में कार्य करना होगा। यदि अपेक्षित हो, तो **Incident Commander (IC)** भी सभी विवादों/मतभेदों के समाधान के लिए निकट पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।

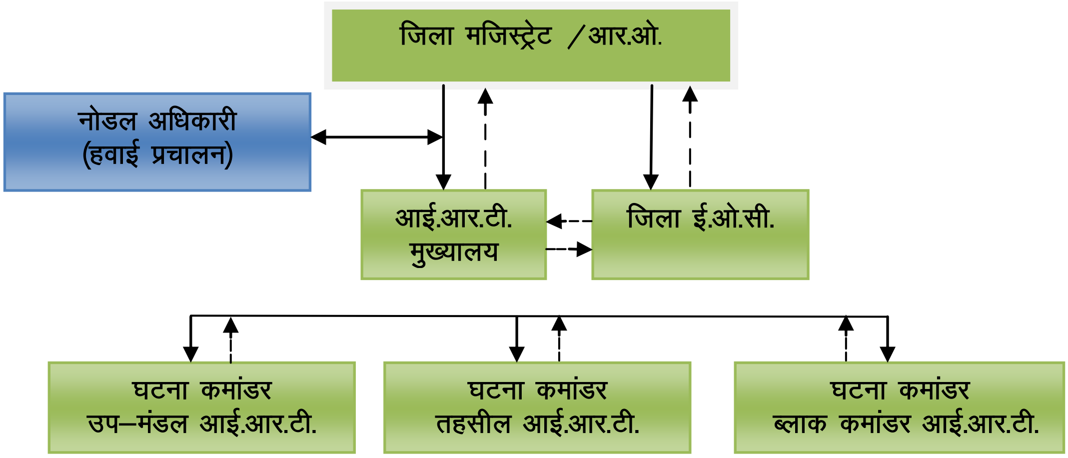

रेखाचित्र–2

1.7 **Incident commander IC, Emergency Operation Centre EOC** के साथ निकट समन्वय से कार्य करेगा और **Risponsible Officer RO** को रिर्पोट करेगा, जैसा **रेखाचित्र–2** में दर्शाया गया है। **Risponsible Officer RO** यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र में कार्य कर रही **Incident Response Team IRT** द्वारा **Incident Action Plan IAP** के क्रियान्वयन के माध्यम से रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये है।

1.8 उत्तरदायी अधिकारी (जिला स्तर) भूमिका एवं उत्तरदायित्व

i. सुनिश्चित करेगा कि जिला, तहसील/ब्लाक स्तरों पर **IRT** तैयार कर ली गयी है और आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 31 के अनुसार **Incident Response System (IRS)** को जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल कर लिया गया है। इसे **Risponsible Officer (RO)** द्वारा सभी एस.डी.एम. और तहसीलदारों/बी.डी.ओ. को स्थायी आदेश जारी करके प्राप्त किया जा सकता है।

ii. **Emergency Operation Center (EOC)** में वेब आधारित/ऑनलाईन निर्णय सहायता प्रणाली **Decision Support System (DSS)** का मौजूद होना तथा सहायता के लिये उपमण्डल और तहसील/ब्लाक स्तरीय **Incident Response Team (IRT)** से जुड़ा होना सुनिश्चित करेगा।

iii. सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सीय सहायता के लिये सभी विद्यमान टॉल मुक्त आपातकालीन नम्बर, कार्यवाही, कमान और नियंत्रण के लिये **Emergency Operation Center (EOC)** से जुड़ें हों। उदाहरण के लिये यदि कोई आग लगने की घटना घट जाये तो सूचना केवल अग्निशमन केन्द्र पर ही न पहुँचे बल्कि **Emergency Operation Center (EOC)** तक एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवायें जुटाने के लिये निकटमत अस्पताल तक भी पहुँचे।

iv. 13वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेगा कि जिले के **Incident Response Team (IRT)** के लिये प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार कर लिया जाय। और **Incident Response Team IRT** के सदस्य **TI** और जिले का अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित हो जायें।

v. प्राधिकार **Incident Commander (IC)** को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

vi. जब और जैसे अपेक्षित हो, जिला मुख्यालय उप–मण्डल, तहसील/ब्लाक स्तरों पर **Incident Response Team (IRT)** को सक्रिय करेंगे।

vii. जब जैसे अपेक्षित हो, **Incident Commander (IC)** और **Incident Response Team (IRT)** को नियुक्त/तैनात, बर्खास्त और भंग कर सकते हैं।

viii. समग्र घटना उद्देश्य, प्राथमिकतायें निश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न उद्देश्यों के मध्य आपस में टकराव न हो।

ix. सुनिश्चित करेंगे कि **Incident Action Plan (IAP), Incident Commander (IC)** द्वारा तैयार और क्रियान्वित की जाए।

x. **Incident Action Plan (IAP)** और इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्णतया अवगत रहेंगे।

xi. सभी कार्यवाई सम्बन्धी कार्यकलापों का समन्वयन करेंगे।

xii. जिले में सरकार के किसी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, प्राइवेट सेक्टर आदि के पास उपलब्ध संसाधनों को निर्मुक्त (जारी) करने और उनका उपयोग किए जाने का निर्देश देंगे।

xiii. सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय सशस्त्र बल कमांडरों को योजना प्रक्रिया में शामिल किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उनके संसाधनों का समुचित रूप से सह प्रयोग किया जाए।

xiv. सुनिश्चित करेंगे कि जब आपदा कार्यवाही में सहायता करने सशस्त्र बल पहुंचे, तो उनके लिए शिविर स्थल, पेयजल, विद्युत और वाहनों की आवश्यकता जैसी संभार–तांत्रिक अपेक्षाओं की व्यवस्था की जाए।

xv. केन्द्रीय और राज्य सरकार के **Nodal Officer (NO)** के साथ समन्वयन में हवाई प्रचालन आयोजित करने के लिए जिला स्तर पर एक **Nodel Officer (NO)** की नियुक्ति की जाए। यह भी सुनिश्चित करेंगे की जिले के **Incident Response Team (IRT)** के सभी **Incident Commander (IC)** इससे अवगत हों।

xvi. सुनिश्चित करेंगे की **NGO** अपने क्रियाकलापों का संचालन सौम्यपूर्ण और भेदभाव रहित तरीके से करें।

xvii. आवश्यकता पडने पर, घटना स्थल पर जिला मुख्यालय के **Incident Response Team (IRT)** की तैनाती करेंगे।

xviii. सुनिश्चित करेंगे की कारगर संचार सेवाएं उपलब्ध रहे।

xix. सुनिश्चित करेंगे कि सभी **Emergency Support Function (ESF)** की दूरभाष निर्देशिका (टेलीफोन डायरेक्टरी) तैयार की जाए तथा वह **Emergency Operation Center (EOC) & Incident Response Team (IRT)** के सदस्यों के पास उपलब्ध हो।

xx. कार्मिक की जवाबदेही और सुरक्षित प्रचालनात्मक वातावरण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

xxi. स्थिति बिगड़ जाने की दशा में आर.ओ,. आई.सी. की भूमिका अपनाएंगे तथा राज्य स्तरीय **Risponsible Officer (RO)** को सहायता हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

xxii. जहां आवश्यक प्रतीत हो, सलाह और सहायता के लिए संगत क्षेत्रों से विशेषाज्ञों एवं परामर्शदाताओं को एकत्र करेंगे।

xxiii. किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से सुविधाओं का अनन्य या अधिमानतः प्रयोग प्राप्त करेंगे।

xxiv. **Incident Response Team (IRT)** के कार्यपालन पर कार्यवाही–पश्चात पुनरीक्षण करेंगे और कार्यपालन में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठायेंगे।

xxv. ऐसी अन्य कार्यवाई करेंगे जैसी कि स्थिति की मांग हो।

Area Commander (AC)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1.9 जब नियंत्रण का कार्यक्षेत्र या तो भौगोलिक कारणों से या एक ही समय पर विभिन्न स्थानों में घटित होने वाली घटनाओं की बड़ी संख्या के कारण बहुत बडा हो जाएं तो एरिया कमान को सक्रिय किया जाता है। एरिया कमान को उस समय भी सक्रिय किया जाता है जब अनेक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रभावित हो जाएं यह आई.आर.टी. को निकटतर पर्यवेक्षण, सहायता और स्थानीय रूप से विवाद समाधान प्रदान करता है। जब ऐसे कई जिलें प्रभावित

हो जाएं जिसमें एक से अधिक राजस्व मण्डल शामिल हों तो राज्य आर.ओ. द्वारा राजस्व मंडल–वार एरिया कमान की संकल्पना लागू की जा सकती है। ऐसे मामलों में जिले का जिला मजिस्ट्रेट/**Responsible Officer (RO), Incident Commander (IC)** के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार से, जब तहसीलों/ब्लाकों की एक बडी संख्या विभिन्न उप–मण्डलों में प्रभावित हो जाये तो जिला **Responsible Officer (RO)** इस कमान की उप–मण्डल–वार प्रारम्भ कर सकते हैं।

अपने–अपने स्तरों पर आर.ओ. यह सुनिाश्चित करेंगे कि **Area Commander (AC)** के लिए पर्याप्त सहायता स्टाफ उपलब्ध रहें। ए.सी. की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैः–

भूमिकाः–

- **i.** यह सुनिश्चित करना कि घटना प्रबन्धन उद्देश्यों को पूरा किया जाये और उनमें आपस में टकराव न हो।
- **ii.** पहचान की गयी प्राथमिकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण संसाधनों का आवटंन करना।
- **iii.** घटना के प्रबन्धन में समुचित समन्वयन सुनिश्चित करना।
- **iv.** क्षेत्राधिकार में सभी विवादों का समाधान सुनिश्चित करना।
- **v.** कारगर संचार सेवायें सुनिश्चित करना।
- **vi.** महत्वपूर्ण संसाधन आवश्यकताओं की पहचान करना और उनकी आपूर्ति के लिए ई.ओ.सी. के साथ सम्पर्क में रहना।
- **vii.** कार्मिक की जवाबदेही तय करना और सुरक्षित प्रचालनात्मक वातावरण सुनिश्चित करना।
- **viii.** ऐसा अन्य कार्य करेगा जो आर.ओ. द्वारा समनुदेशित किया जायें।

कार्यवाही समन्वयन

उत्तराखण्ड जैसे राज्यों के पहाडी क्षेत्रों में प्रशासनिक संरचना, देश के शेष भाग से थोडी सी भिन्न है। कुछ विभागों और अभिकरणों को वर्चस्व वाली उपस्थिति प्राप्त है। जबकि अन्य को कोई महत्व प्राप्त नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में, ग्राम प्रधान और समुदाय स्तर के नेता भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे राज्य और जिले के **Risponsible Officer (RO)** को अपनी **Incident Response Team (IRT)** अपनी–अपनी प्रशासनिक संरचना और पदाधिकारियों के अनुसार डिजाइन करनी चाहिए। उन्हें अपने ग्राम और वार्ड स्तरीय **Incident Response Team (IRT)** का चयन करके उन्हें कार्यवाही के लिए **Incident Response System (IRS)** सिद्धान्तों के अनुसार सुग्राही बनाना चाहिए तथा प्रशिक्षित करना चाहिए। एक समुचित संचार सेवा कि व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

स्थानीय प्राधिकारी

भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

1.10 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में खण्ड़ 41(1) (2) के अधीन एन.ए.सी., नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों और पी.आर.आई. की भूमिका को परिभाषित किया है। यह निकाय यह सुनिश्चित करेगें कि उनके पदाधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबन्धन में प्रशिक्षित हों तथा आपदा प्रबन्धन से सम्बंधित संसाधन भी अनुरक्षित रखें जाए जिससे कि किसी भी आशंकित आपदा स्थिति या आपदा में प्रयोग के लिए वे तुरन्त उपलब्ध रहे। इन निकायों द्वारा राज्य और जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यकलाप किया जाना भी अपेक्षित है। SDMA/DDMA, आपदा प्रबन्धन योजनाओं में इन

स्थानीय निकायों की विशिष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और उन्हें सुसंगत IRT के साथ समुचित रूप से एकीकृत करेंगे।

Incident Commander-IC

Command Staff (कमान स्टाफ)

2.0 घटना कमांडर (**Incident Commander-IC**) किसी घटना स्थल पर कार्यवाई के प्रबंधन के लिए समग्र प्रभारी होता है। इसे RO (District Magistrate) द्वारा नियुक्त/पदनामित किया जाता है। घटना के परिमाण और प्रकृति के आधार पर वह अपने अधीन एक डिप्टी रख सकता है। उसकी सहायता और घटना के प्रबंधन के लिए स्टाफ के दो वर्ग–(क) कमान स्टाफ, और (ख) सामान्य स्टाफ। कमान स्टाफ **(Incident Commander-IC)** सूचना एवं मीडिया अधिकारी **(Information & Media Commander IMO),** सुरक्षा अधिकारी **(Safety Officer SO)** और सम्पर्क अधिकारी **(Liaison Officer LO)** से मिलकर बनता है। **IRS** संगठन के कमान स्टाफ की संरचना **रेखाचित्र–3** में दी गई हैः–

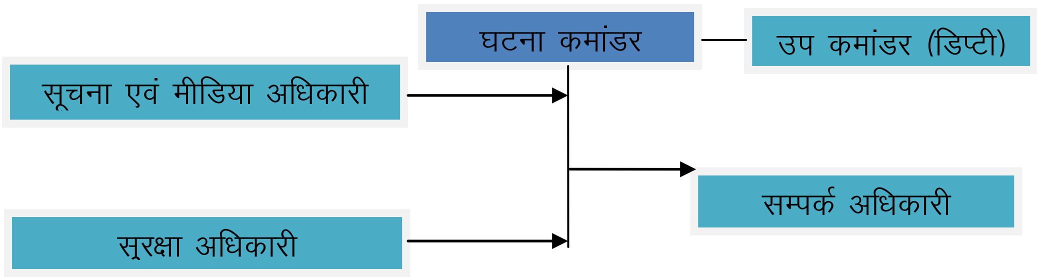

रेखाचित्र–3

2.1 घटना कमांडर *(Incident Commander-IC)*– भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना–

क. स्थिति की प्रास्थिति जैसे लोगों की संख्या और प्रभावित क्षेत्र आदि।

ख. संसाधनों की उपलब्धता और अधिप्राप्ति।

ग. **Incident Command Post (ICP), Staging Area (SA),** घटना बेस **(Incident Base),** शिविर (**Camp**), राहत शिविर **(Relief Camp-RC)** आदि सुविधाओं की आवश्यकता।

घ. संचार प्रणाली की उपलब्धता और आवश्यकता।

ड. भारत मौसम विभाग (IMD) से भविष्य में मौसम का हाल और

च. सभी उपलब्ध स्रोतों से कारवाही के लिए अपेक्षित कोई अन्य सूचना और स्थिति का विश्लेषण करना।

ii. उपलब्ध सूचना और संसाधनों के आधार पर घटना के लिए उद्देश्य और रणनीतियां निर्धारित करना।

iii. खोज और बचाव तथा राहत सामग्री वितिरण रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना।

iv. घटना स्थल पर कानून एवं व्यवस्था, यातायात आदि, यदि कोई हो, बनाए रखने के लिए अपेक्षाओं का आकलन करना और स्थानीय पुलिस की सहायता से व्यवस्था करना।

v. **अनुबंध 1–** में संलग्न **Incident Response System (IRS)** घटना की सूचना देने (ब्रीफिंग) वाला फार्म– 001 के अनुसार, स्थिति के संबंध में उच्च अधिकरियों को संक्षेप में विवरण देना और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त संसाधनों के लिए अनुरोध करना।

vi. यदि **RO/District Magistrate** द्वारा आवश्यक समझा जाए, तो **Area Commander (AC)** और **Unified Command (UC)** के कार्यान्वयन के लिए सहायता देना।

vii. घटना के नियंत्रण के दायरे और पैमाने के आधार पर अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और/या इकाइयों के साथ समुचित आई.आर.एस. संगठन स्थापित करना।

viii. किसी भी उचित स्थान पर **Incident Command Post (ICP)** स्थापित करना। घटना के बहु क्षेत्राधिकार वाला होने पर भी एक ही **Incident Command Post (ICP)** होगी पूर्ण संचार उपस्कर के साथ मोबाइल वैन और उपयुक्त कार्मिकों का भी **Incident Command Post (ICP)** के रूप में उपयोग किया जा सकता है। भवनों के पूर्णतया नष्ट हो जाने की स्थिति में, टैंटों या अस्थायी शरणस्थलों का उपयोग किया जा सकता है। यदि समुचित या पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो, तो अन्य अनुभाग किसी भिन्न सुविधाजनक स्थान से कार्य कर सकते हैं, किन्तु तुरन्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए **Incident Command Post (ICP)** के साथ उचित और अचूक सुरक्षित संपर्क रहना चाहिए ।

ix. यह सुनिश्चित करना कि घटना पर कार्यवाही की योजना **Incident Action Plan (IAP)** तैयार है।

x. यह सुनिश्चित करना कि टीम के सदस्यों को घटना पर कार्यवाही की योजना **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार विभिन्न कार्यकलापों के कार्यपालन के संबंध में संक्षेप में अवगत (ब्रीफ) कराया जाए ;

xi. किसी **Incident Action Plan (IAP)** के क्रियान्वयन का अनुमोदन और उसे प्राधिकृत करना और यह सुनिश्चित करना कि **Incident Action Plan (IAP)** को **Incident Response Team (IRT)** सदस्यों को डिब्रीफिंग के अनुसार नियमित रूप से विकसित और अद्यतन किया जाए। इसे प्रत्येक 24 घंटो में पुनरीक्षित और सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित किया जाए;

xii. यह सुनिश्चित करना कि योजना बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाएं। कारगर घटना अनुक्रिया के लिए बैठकों में कार्यान्वयन रणनीति और **Incident Action Plan (IAP)** तैयार की जाएंगी। इस बैठक को आयोजित करने के निर्णय की एकमात्र जिम्मेदारी **Incident Commander (IC)** की है। यह सुनिश्चित करना कि अन्य सदस्यों के अलावा, **Planning Section Chief (PSC)** सभी ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग बैठकों में उपस्थित हों।

xiii. यह सुनिश्चित करना कि सभी अनुभाग या इकाइयॉ **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

xiv. यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाहीकर्ताओं और प्रभावित समुदायों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हों।

xv. **Incident Response Team (IRT)** के सभी अनुभागों, कार्यवाही कार्यकलापों में कार्यरत अभिकरणों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी विवादों का समाधान हो जाए।

xvi. यह सुनिश्चित करना कि योजना बनाने, संसाधन लामबंदी और प्रशिक्षित **Incident Response Team (IRT)** सदस्यों के नियोजन लिए कम्प्यूटरीकृत और वेब आधारित **IT** समाधानों का उपयोग किया जाए।

xvii. ऐसे संसाधनों और उपस्करों की आवश्यकता पर विचार करना जो कार्यात्मक क्षेत्राधिकार में उपलब्ध न हो, **Planning Section Chief (PSC)** और **Logistic Section Chief (LSC)** से चर्चा करना और उनके प्रापण के संबंध में **Risponsible Officer (RO)** को सूचित करना।

xviii. यह अनुमोदित और सुनिश्चित करना कि अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन अधिप्राप्त करके संबंधित अनुभागों, शाखाओं और इकाईयों आदि को दिए जाएं और उनका उचित उपयोग किया जाए। सौंपा गया कार्य पूर्ण हो जाने पर संसाधनों को, उनका उपयोग कहीं और किए जाने के लिए वापस करें या संबंधित विभाग को तुरंत वापस किया जाए।

xix. यदि अपेक्षित हो तो, **PRIs, ULBs, CBOs, NGOs** आदि से सम्पर्क स्थपित करना और **Incident Action Plan (IAP)** के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका सहयोग प्राप्त करना तथा बाहरी बचाव और राहत दलों की सहायता करने में स्थानीय गाइडों के रूप में कार्य करने में उनके सहयोग हेतु उन्हें सूचीबद्ध करना।

xx. स्वयंसेवकों और वैसे ही अन्य कार्मिकों की तैनाती का अनुमोदन करना और यह सुनिश्चित करना कि वे कमान की श्रृखला का अनुसरण करें।

xxi. मीडिया को देने के लिए जानकारी संबंधी प्रक्रिया को प्राधिकृत करना।

xxii. यह सुनिश्चित करना कि बाहर से जुटाए गए संसाधनों का अभिलेख (रिकार्ड) रखा जाए ताकि किराए पर प्राप्त संसाधनों के संबंध में तुरंत भुगतान किया जा सके।

xxiii. यह सुनिाश्चित करना कि घटना प्रास्थिति सार **(Incident Status Summary-ISS)** पूरा किया जाए और इसे **Responsible Officer (RO)** को अग्रेषित किया जाए (अनुबंध–2 के साथ IRS फॉर्म–002 संलग्न है)।

xxiv. जब समुचित हो, **Incident Response Team (IRT)** की अलामबंदी की सिफारिश करना।

xxv. लोक शिकायतों की समीक्षा करना और **Responsible Officer (RO)** से समुचित शिकायत निवारण उपयों की सिफारिश करना।

xxvi. यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित स्थलों में तैनात **NGO** और अन्य सामाजिक संगठन उचित रूप से और साम्यपूर्ण ढंग से कार्य करे।

xxvii. घटना पर कार्यवाही के पूरा होने पर **Incident Response Team (IRT)** की अलामबंदी के पूर्व कार्यवाही पश्चात रिर्पोट **(After Action Report-AAR)** का तैयार किया जाना सुनिश्चित करना;

xxviii. ऐसे किन्हीं अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो घटना के प्रबंधन के लिए आवश्यक हों।

xxix. यह सुनिश्चित करना कि शाखाओं प्रभागों, इकाइयों/समूहों के सदस्यों द्वारा निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकार्ड इकट्ठा किया जाए; (अनुबंध–4 के साथ संलग्न *IRS* फॉर्म–004) और यूनिट लॉग में अनुरक्षित किया जाए (अनुबंध–3 के साथ संलग्न *IRS* फॉर्म–003)।

xxx. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो **Responsible Officer (RO)** द्वारा समनुदेशित किया जाएं।

2.2 सूचना एवं मीडिया अधिकारी (*Information & Media Commander - IMO*)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

मीडिया ब्रीफिंग में **Incident Commander (IC)** की सहायता के लिए **Information & Media Commander-IMO** संपर्क बिन्दु है। वह प्रारंभिक रूप से कार्यवाही की जारी गतिविधियों का प्रलेखन भी करता है। **Information & Media Commander (IMO)** की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :–

i. घटनाओं के सम्बंध मे सूचना तैयार करना और **Incident Commander (IC)** के अनुमोदन से मीडिया अभिकरणों तथा अन्य को जारी करना।

ii. आकस्मिक आपदाओं की स्थिति में, जब **Incident Response Team (IRT)** पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हुई हो, लिए गए निर्णयों तथा जारी निर्देशों को संक्षेप में लिखना और सक्रिय हो जाने पर **Incident Acvtion Plan (IAP)** में समावेशित किए जाने के लिए **Planning Section (PS)** को सौपना।

iii. घटना के पैमाने और कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त कार्मिक सहायता की मांग करना।

iv. घटना के संबंध में ऐसी अनेक मीडिया रिपोर्टो को मॉनीटर और पुनरीक्षित करना जो घटना हेतु योजना बनाने के लिए उपयोगी हो सकें।

v. **Incident Commander (IC)** के निर्देशानुसार या जब अपेक्षित हो, **Incident Acvtion Plan (IAP)** की बैठकें आयोजित करना।

vi. मौसम की सूचना प्राप्त करने के लिए **IMD** के साथ समन्वयन को बनाए रखना और इस सूचना को सभी सम्बद्ध व्यक्तियों प्रसारित करना।

vii. निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड **IRS फॉर्म–004** (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखना।

viii. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

2.3 सम्पर्क अधिकारी (*Liaison Officer- LO)*

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Liaison Officer (LO) अनुक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न संबद्ध विभागों, **NGO** के प्रतिनिधियों, **PRI** और **ULB** आदि के लिए सम्पर्क का एक केन्द्र बिन्दु है। **Liaison Officer (LO)** प्रथम कार्यवाहीकर्ताओं, सहयोगी अभिकरणों और कार्यवाई सम्बद्ध विभागों की सहायता का संपर्क बिन्दु है। **Liaison Officer (LO)** की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

i. संबंधित संबद्ध विभागों, अभिकरणों (**CBO, NGO etc.**) और उनके प्रतिनिधियों की विभिन्न स्थानों पर एक सूची तैयार रखना।

ii. **NDRF** और सशस्त्र बलों सहित सभी संबंधित अभिकरणों और सरकार के कार्यवाही सम्बद्ध विभागों से संपर्क बनाए रखना।

iii. चालू या अभिकरणों के बीच की संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रचालनों को मॉनीटर करना।

iv. योजना बनाने की बैठकों में सम्मिलित होना और भाग लेने वाले अभिकरणों द्वारा कार्यवाही पर सूचना उपलब्ध करना।

v. यदि अपेक्षित हो तो कार्मिकों की सहायता की मांग करना।

vi. सभी सरकारी और गैर–सरकारी अभिकरणों के कार्यवाही में सम्मिलित होने और उनके संसाधनों के संबंध में **Incident Commander (IC)** को सूचित करते रहना।

vii. **Incident Commander (IC)** के साथ सभी सरकारी और गैर–सरकारी अभिकरणों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना।

viii. निष्पादित विविध कार्यकलापों का ***IRS*** फार्म–004 (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रिकॉर्ड रखना।

ix. ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

2.4 सुरक्षा अधिकारी *(Safety Officer- SO)*

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Safety Officer (SO) का काम, कार्मिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय विकसित करना और उनकी सिफारिश करना, तथा खतरनाक और असुरक्षित स्थितियों का निर्धारण करना और/या पूर्वानुमान लगाना है। असुरक्षित कार्यो को रोकने या बंद करने के लिए ***Safety Officer (SO)*** प्राधिकृत है। **Safety Officer (SO)** प्रभावित समुदायों की सुरक्षा पर सामान्य सलाह भी दे सकता है। **Safety Officer (SO)** की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है:–

i. कार्यवाहीकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना और खतरनाक तथा असुरक्षित स्थितियों का निर्धारण करना या पूर्वानुमान लगाना और नियमित रूप से इसका पुनरीक्षण करना।

ii. सहायकों की मांग करना और अपेक्षानुसार उन्हें उत्तरदायित्व सौंपना।

iii. **Incident Acvtion Plan (IAP)** तैयार करने के लिए योजना बनाने की बैठकों में भाग लेना।

iv. सुरक्षा विवक्षाओं (इम्लीकेशंस) के लिए **Incident Acvtion Plan (IAP)** का पुनरीक्षण करना।

v. यदि अपेक्षित हो या **Incident Commander (IC)** के निर्देश दिया हो, तो घटना क्षेत्र के भीतर हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे प्राप्त करना और उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचित करना।

vi. जब कभी अपेक्षित हो, स्थल सुरक्षा योजना का पुनरीक्षण और अनुमोदन करना।

vii. निष्पादित विविध कार्यकलापों का **IRS** फॉर्म–004 (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रिकार्ड रखना।

viii. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

वर्तमान संगठन (IRT के सक्रिय किए गए अनुभाग का ब्यौरा)

सक्रिय अनुभागों/शाखाओं/इकाईयों का रेखांकन

IRS संगठन

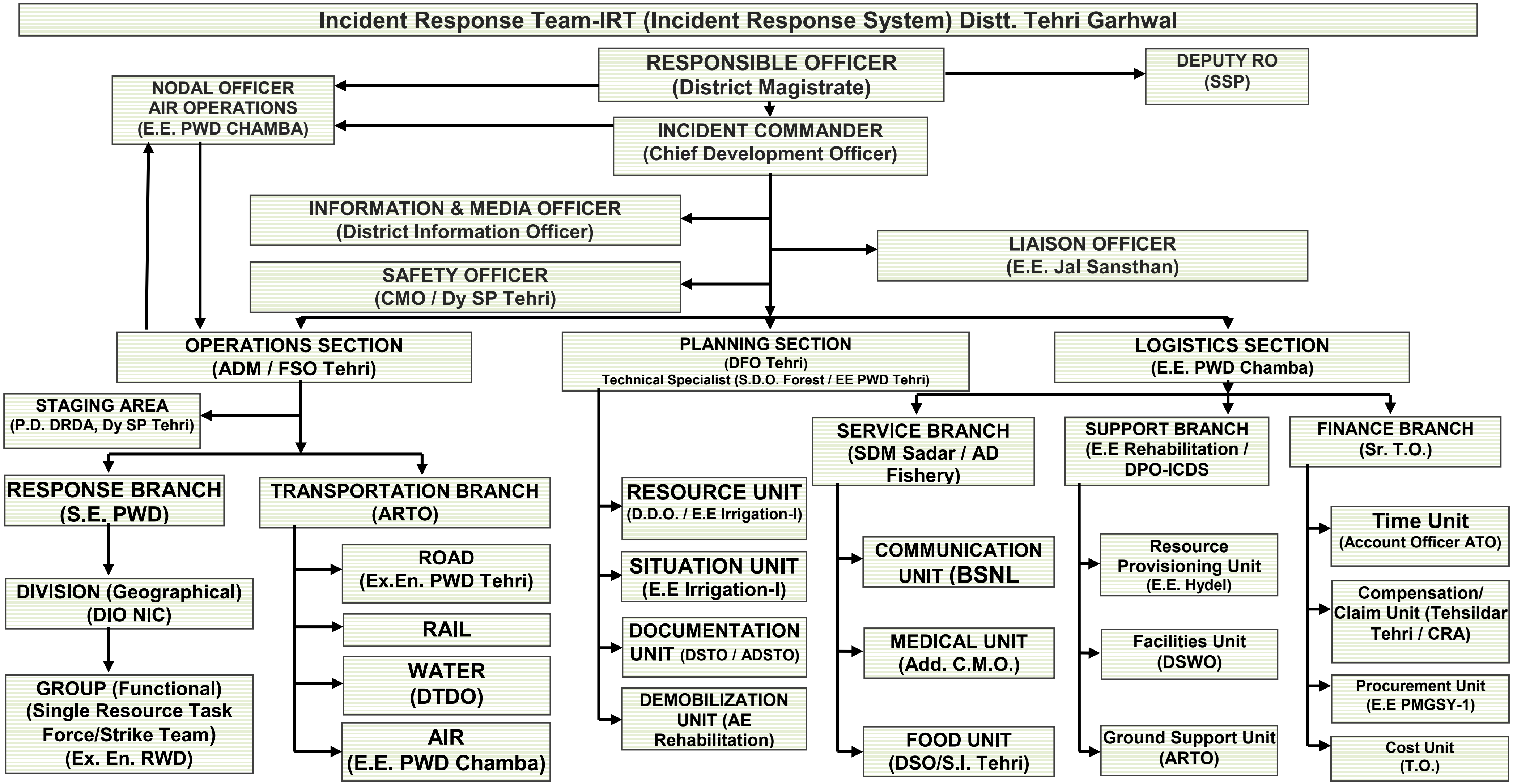

OPERATION SECTION
(प्रचालन अनुभाग)

भूमिका और उत्तरदायित्व

3.0 Operation Section (AOS) किसी घटना के प्रबन्धन पर सीधे तौर पर लागू होने वाले सभी प्रकार के क्षेत्रीय स्तर के भौगोलिक स्थिति से सम्बन्धित है। इस अनुभाग का अध्यक्ष प्रचालन अनुभाग प्रमुख Operation Section Chief (OSC) होता है तथापि, (Operation Section Chief (OSC) का चयन आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर होगा। प्रचालन अनुभाग आगे शाखाओं प्रभागों और समूहों में उप–विभाजित है, जो प्रचालन अनुभाग प्रमुख कंमाडर के घटना की क्षेत्रीय प्रचालनों के निष्पादन में उनकी सहायता करते है।

3.01 Operation Section Chief AOSC), Incident Commander (IC) को रिपोर्ट करेगा। वह Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अपने अनुभाग के सक्रियण, नियोजन और विस्तार के लिए उत्तरदायी होगा। भौगोलिक कारणों की वजह से जैसे–जैसे प्रचालन सम्बन्धी कार्यकलापों में वृद्धि होती है, Operation Section Chief (OSC) उचित नियत्रंण के तालमेल और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए शाखा का प्रभागों में समावेश या सक्रियण तथा विस्तार करेगा। रेखाचित्र–5 में Operation Section (OS) का संघटन दिया गया है:–

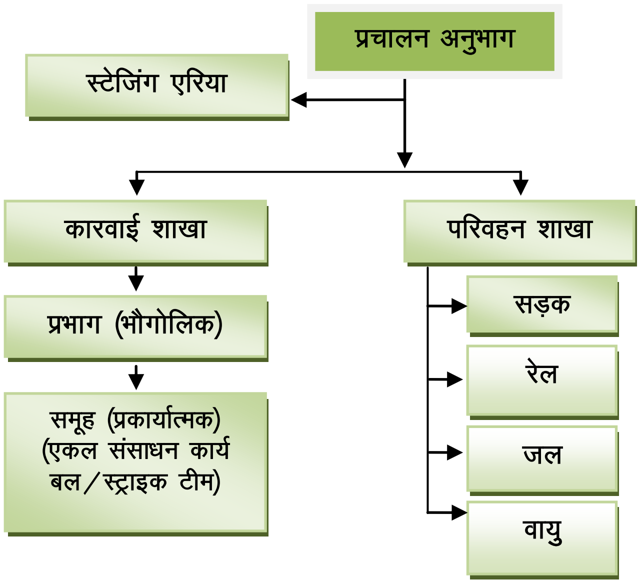

रेखाचित्र–5 प्रचालन अनुभाग

3.1 प्रचालन अनुभाग की प्रमुख भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सक्रिय किए गए अनुभाग–प्रमुखों के साथ समन्वय।
2. घटना संबन्धित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रचालनों का प्रबन्धन करना।
3. प्रचालन अनुभाग तथा प्रभावित समुदायों में लगे कार्मिकों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
4. **Incident Commander (IC)** से परामार्श करके और **Iincident Action Paln (IAP)** के अनुसार अपने अनुभाग के संगठनात्मक घटकों (शाखा, प्रभाग, समूह आदि) में तैनाती, सक्रियण, विस्तार कार्य और पर्यवेक्षण करना।

5. कार्य को ध्यान में रखते हुए, उचित कार्मिकों को उनकी क्षमता अनुसार प्रचालन में उपयोग करना और अनुबंध–7 में संलग्न ड्यूटी अधिकारी सूची (IRS Form –007) को उस दिन के लिए तैयार रखना।
6. सहायता के लिए, यदि आवश्यक हो, एक **Deputy Operation Section Chief (OSC)** की व्यवस्था हेतु **Incident Commander (IC)** से अनुरोध करना।
7. प्रत्येक प्रचालन की अवधि के प्रारम्भ में प्रचालन अनुभाग के कार्मिकों को ब्रीफ करना।
8. अपने अनुभाग की विभिन्न शाखाओं के बीच के सभी विवादों का समाधान करना, सूचना को साझा करना समन्वय और सहयोग को सुनिश्चित करना।
9. यदि आवश्यक हो, तो **Iincident Action Paln (IAP)** के अनुसार अनुभाग की प्रचालन संबंधी योजना तैयार करना।
10. **Incident Commander (IC)** को **Iincident Action Paln (IAP)** में समीचीन परिवर्तनों के लिए सुझाव देना।
11. समय–समय पर **Incident Commander AIC)** से परामर्श करना और प्रचालन के बारे उसे पूरी तरह अवगत कराना।
12. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निर्धारित करना और तद्नुसार मांग रखना और उनकी आवक सुनिश्चित करना।
13. शाखाओं, प्रभागों, यूनिटों/समूहों के सदस्यों (IRS Form–004) द्वारा किए गए विधि कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और यूनिट लॉग (IRS Form–003) में इनका अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
14. Responsible Officer (RO)/Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करना।

3.2 Staging Area

Staging Area (SA) ऐसा क्षेत्र है जहां संसाधनों को इकट्ठा किया जाता है और क्षेत्रीय प्रचालनों (Field Operation) में उपयोग हेतु तैयार रखा जाता है, इनमें भोजन, वाहन अन्य सामग्रियां तथा उपस्कर जैसी वस्तुएं सम्मिलित हो सकती है।

स्टेजिंग एरिया प्रभावित स्थल के निकट किसी उपयुक्त स्थान पर संसाधनों के तत्काल, प्रभावी और तुरंत नियोजन के लिए स्थापित किया जायेगा।

यदि आवश्यकता हो ,तो एक से अधिक Staging Area (SA) स्थापित किये जा सकेगें। यदि संसाधनों की अन्य अवस्थानों पर अंततः प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के लिए लामबंदी की जाती है, तो ये अवस्थान भी Staging Area (SA) के नाम से जाने जायेंगें। Staging Area (SA) का सम्पूर्ण प्रभावी **Staging Area Manager (SAM)** के नाम से जाना जाता है और उसके प्रचालन अनुभाग प्रमुख (**Operation Section Chief-OSC**) के माध्यम से **Logistic Section (LS)** और **Planning Section PS)** दोनो के साथ निकट तालमेल के साथ करना आवश्यक है।

3.2.1 Staging Area Manager (SAM)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. Staging Area को उचित सेटअप के साथ स्थापित करना, इसे व्यवस्थित रूप में बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि वाहनों, संसाधनों आदि के आवगमन में कोई बाधा न आए।
2. प्राप्त हुए संसाधनों के भंडारण और प्रेषण को संगठित करना और **Iincident Action Plan (IAP)** के अनुसार उन्हे प्रेषित करना।

3. सभी प्राप्तियों और प्रेषणों की सूचना **Operation Section Chief (OSC)** को देना और उनका रिकॉर्ड रखना।
4. Staging Area के सभी कार्यकलापों का प्रबन्धन करना।
5. सभी नष्टयोग्य (Perishable) आपूर्तियों का शीघ्रता से उपयोग करना।
6. यथोचित Check-in function स्थापित करना।
7. Staging Area में उपस्करों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यकतानुसार अनुरोध करना।
8. यह सुनिचित करना कि Incident Command Post (ICP) और अन्य अपेक्षित स्थानों, उदाहरणतः भिन्न–भिन्न Staging Area, Incident Base, Camp, Relief Camp, आदि के साथ संचार व्यवस्थाएं स्थापित हों।
9. संसाधन की प्रास्थिति बनाए रखना और Planning Section (PS) और Logistic Section (LS) को मुहैया करना।
10. अलामबंधी योजना के अनुसार (IRS Form–010) Staging Area की अलामबंधी।
11. IRS Form–004 के अनुसार पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबंधित अनुभाग को भेजना।
12. अन्य कर्तव्य जो Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे जाए, पूरा करना।

3.3 Response Branch

कार्यवाही शाखा क्षेत्र में परिस्थिति से निपटने और विभिन्न कार्यो को पूरा करने वाली प्रमुख कार्यवाहीकर्ता है। आपदा के पैमाने पर निर्भर करते हुए, Response Branch Director (RBD) को समूहों की संख्या में बढोत्तरी करनी पड सकती है, जिसके फलस्वरूप प्रभाग के सृजन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह ढांचा किसी बडी घटना के प्रबन्धन में Operation Section Chief (OSC) द्वारा निकट पर्यवेक्षण करने के लिए अपेक्षित है।

पर्यवेक्षण के लिए आर्दश विस्तार 1:5 है अर्थात एक शाखा निदेशक पॉच प्रभागों तक का पर्यवेक्षण कर सकता है। एक प्रभाग पर्यवेक्षक पॉच समूह तक का पर्यवेक्षण कर सकता है और एक समूह प्रभारी पांच टीमों का पर्यवेक्षण कर सकता है, आवश्यकतानुसार और अधिक शाखाएं, प्रभाग, समूह बनाए जा सकते है।

3.3.1 Response Branch Director (RBD)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. Operation Section Chief (OSC) के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करना तथा सौंपी गई भूमिका के अनुसार Incident Action Plan (IAP) के कार्यन्वयन के लिए उत्तरदायी होना।
2. Operation Section Chief (OSC) द्वारा आवश्यकतानुसार पर योजना संबंधी बैठकों में भाग लेना।
3. अपनी शाखा के अधीन प्रभागों और समूहों के लिए समनुदेशन सूचियों के IRS Form–005 (अनुबंध–5 में संलग्न) की समीक्षा करना।
4. प्रभाग तथा समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना।
5. शाखा के कार्यो को पर्यवेक्षण करना।
6. अधीनस्थों द्वारा सूचित किए गये विवादों को सुलझाना।
7. Incident Action Plan (IAP) में, यदि अपेक्षित हो, संशोधनों के सम्बन्ध में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता अधिशेष संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियां या उल्लेखनीय घटना आदि होने पर ओ.एस.सी. को रिर्पोट करना।

8. विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों को एकल संसाधन, स्ट्राईक टीम और कार्य बल सहायता प्रदान करना।
9. यह सुनिश्चित करना की सभी टीमलीडर अपने–अपने क्षेत्र प्रचालनों के संबंध में पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का (IRS Form–004 के अनुसार) रिकॉर्ड रखा जाए और Operation Section Chief (OSC) को भेजा जाए।
10. ऐसे अन्य कर्तव्य पूरे करना जो Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे जाए।

3.4. Division Supersisor And Groups-in-Charge

(प्रभाग पर्यवेक्षेक और समूह प्रभारी)

पदानुक्रम भिन्नता को छोडकर, प्रभाग पर्यवेक्षकों और समूह प्रभारी की भूमिका और उत्तरदायित्व एक जैसे है।

प्रभाग तब सक्रिय होते है जब किसी एकांत और दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र में या उचित नियंत्रण बनाए रखने के प्रयोजनार्थ जब कार्यात्मक समूहों की संख्या में वृद्धि की जाती है या विभिन्न विशेषीकृत कार्यवाहीयों के लिए पर्यवेक्षणीय आवश्यकता होती है। समूह–प्रभारियों को शाखा के भीतर ही विशिष्ट कार्य करने के लिए सौंपे जाते है, जबकि प्रभाग बडी संख्या में समूहों के ऊपर प्रभावी पर्यवेक्षण करने के लिए सृजित किए जाते है।

3.4.1 Division Supersisor And Groups-in-Charge
(प्रभाग पर्यवेक्षक और समूह–प्रभारी)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. प्रभाग (**Division**) या समूह को सौंपे गए कार्यो की सूची का कार्यान्वयन करना।
2. उनके अधीन प्रभाग या समूह के भीतर संसाधन सौंपना।
3. प्रचालनों की प्रगति तथा प्रभाग या समूह के भीतर संसाधनों की प्रास्थिति संबंधी रिपोर्ट करना।
4. समूह, स्ट्राइक टीम और कार्य बल के लीडरों को संगठनात्मक समनुदेशन सूची (IRS Form–005 के अनुसार) (प्रभागीय/समूह) परिचालित करना।
5. अधीनस्थों के साथ सौपे गए समुनदेशन और घटना संबंधी क्रियाकलापों की समीक्षा करना और स्थिति के अनुसार कार्य सौंपना।
6. संलग्न प्रभागों या समूहों के साथ, यदि अपेक्षित हो क्रियाकलापों का समन्वय करना।
7. Response Branch Director (RBD) और Operation Section Chief (OSC) को स्थिति और संसाधनों की प्रास्थिति (Status) प्रस्तुत करना।
8. सभी खतरनाक परिस्थितियॉं, विशिष्ट परिणामों या उल्लेखिनीय घटनाओं (दुर्घटनाओं, बीमारी, खराब मौसम आदि) की सूचना Response Branch Director (RBD) और Operation Section Chief (OSC) को देना।
9. प्रभाग या समूह के भीतर समस्याओं को सुलझाना।
10. अगली प्रचालन अवधि के लिए, यदि अपेक्षित है, Incident Action Plan (IAP) तैयार करने की प्रक्रिया में भाग लेना।
11. यह सुनिश्चित करना है कि पूरे किए गये विविध कार्यकलापों का रिकार्ड (IRS Form–004 के अनुसार) रखा जाए और Response Branch Director (RBD) और Operation Section Chief (OSC) को भेजा जाए।
12. कोई अन्य कर्तव्य पूरा करना, जो Response Branch Director ARBD) /Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपा जाए।

3.5 Single Resources
(एकल संसाधन)

एकल संसाधन के अन्तर्गत किसी निर्धारित घटना में तैनात किए जाने वाले कार्मिक और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर, उदाहरण के लिए अपेक्षित कार्मिक सहित अग्निशामक तथा अपेक्षित चिकित्सा अधिकारी, पराचिकित्सकीय (Paramedic) और ड्राइवर सहित एम्बुलैंस आदि, दोनों सम्मिलित है।

3.5.1 Single Resource Leader (एकल संसाधन लीडर)
भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. आवश्यक उपस्कर और आपूर्तियों का प्रभार लेना।
2. स्वयं में सौंपे गये क्षेत्र में स्थानीय मौसम और वातावरण की दशा, विधि, और व्यवस्था की स्थिति आदि का निर्धारण करना और प्रभार को सूचित करना।
3. स्वंय को सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करना।
4. अपने पर्यवेक्षक के साथ संपर्क बनाए रखना।
5. कोई ऐसा अन्य कर्तव्य पूरा करना, जो उसके पर्यवेक्षक द्वारा सौंपा जाए।

3.6 Strike Team or Task Force (स्ट्राइक टीम या कार्य बल)

Strike Team एकल साधन के ही ''प्रकार'' और ''किस्म'' का एक सामान्य संचार सुविधा और एक लीडर सहित, एक संयोजन है।

कार्य बल एकल साधन से भिन्न ''प्रकार'' और ''किस्म'' का एक संयोजन है। ये किसी विशिष्ट सामरिक आवश्यकता के लिए एक सामान्य संचार सुविधा और एक लीडर सहित, गठित किए जाते है।

Strike Team की उस समय भी आवश्यकता पड सकती है जब किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य में विशिष्ट विशेषज्ञता अपेक्षित हो और साधनों को एक लीडर के अधीन समूहबद्ध किया जाए।

3.6.1 Strike Team or Task Force Leader
(स्ट्राइक टीम या कार्य बल लीडर)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. अपने दल के सदस्यों के साथ सौंपे गए कर्यो की समीक्षा करना।
2. कार्य की प्रगति रिपोर्ट करना
3. निकटवर्ती एकल संसाधन, स्ट्राइक टीम और कार्य बल के साथ कार्यकलापों, यदि सौंपे गए है, में समन्वय करना।
4. संचार व्यवस्था को स्थापित और सुनिश्चित करना।
5. सौंपे गए अन्य कार्य पूरा करना।
6. विविध कार्यकलापों को रिकॉर्ड रखना।

3.7 Transporatation Branch (TB)
परिवहन शाखा

प्रचालन अनुभाग मं परिवहन शाखा विभिन्न साधनों, राहत सामग्रियों, प्रभावित स्थलों पर कार्मिकों का परिवहन करके तथा यदि आवश्यक हो, तो विपदाग्रस्तों का भी परिवहन करके कार्यवाही प्रयासों में सहायता करती है।

यद्यपि Logistic Section (LS) में एक स्थल सहायता (Ground Support) यूनिट है। जो सभी प्रकार का परिवहन और अन्य संबद्ध संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है, फिर भी प्रचालन अनुभाग में परिवहन शाखा Incident Response Team AIRT और Incident Action Plan (IAP) की आवश्यकताओं के अनुसार घटना–स्थल पर परिवहन के वास्तविक नियोजन और उपयोग को व्यवस्थित करती है।

परिवहन शाखा के सभी कार्यात्मक समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) का प्रबंध परिवहन शाखा निदेशक द्वारा किया जाता है। चूंकि हवाई परिवहन को राज्य और जिला स्तरों पर समन्वित करना होता है, इसलिए परिवहन शाखा निदेशक के लिए हवाई प्रचालनों के लिए Responsible Officer (RO), Incident Commander (IC) & Nodel Officer (NO) के साथ निकट तालमेल बनाकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। वह संबंधित Nodel Officer (NO) से सभी संबद्ध उड़ानों का ब्यौरा एकत्रित करेगा और स्थल सहायता की आवश्यकता का प्रबन्ध करेगा।

परिवहन शाखा निदेशक Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक समूहों के सक्रियण और विस्तार के लिए भी उत्तरदायी होगा।

3.7.1 Transporatation Branch Director-TBD (परिवहन शाखा निदेशक)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. विभिन्न प्रचालन समूहों, जैसे सड़क, रेल, जल और वायु का सक्रियण और प्रबंध करना।
2. आवश्यक संसाधनों के लिए Logistic Section (LS) के साथ समन्वय करना और अपनी शाखा के समूह को सक्रिय करना।
3. रेलवे, सड़क परिवहन, जल परिवहन और विमानपतन प्राधिकारियों के साथ यथा आवश्यक सहायता के लिए समन्वय करना।
4. यह सुनिश्चित करना है कि संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभागीय/समूह) अनुबन्ध–5 में संलग्न IRS Form–005 के समूह प्रभारी (प्रभारियों) और अपनी शाखा के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं के बीच परिचालित की जाए।
5. हवाई प्रचालनों को स्थलीय सहायता उपलब्ध करना और समुचित सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित करना।
6. रेल और जल संबंधी प्रचालन समूह को यथा आवश्यक सड़क परिवहन सहायता उपलब्ध कराना
7. घटना कार्यवाही संबंधी कार्यकलापों में शामिल अपनी शाखा के सभी कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
8. यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में संचालित सभी यूनिटें सड़क मानचित्र या स्थानीय पथ प्रदर्शक (गाइड) की सहायता से मार्ग से परिचित हो।
9. परिवहन शाखा (TB) की प्रगति के बारे में Operation Section Chief (OSC) और Incident Commander (IC) को सूचित करना।
10. Incident Action Plan (IAP) के अनुसार परिवहन योजना आदि अपेक्षित हो तैयार करना।
11. अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता उनके उचित और भरपूर उपयोग का निर्धारण करना और तद्नुसार अग्रिम तौर पर मांग प्रस्तुत करना।
12. समस्याओं और विवादों, यदि कोई हो, को सुलझाना।
13. भाड़े (किराये) पर लिए गए साधनों की प्रास्थिति को बनाए रखना, उनके भरपूर उपयोग और समय पर निर्मुक्त को सुनिश्चित करना।
14. यह सुनिश्चित करना कि प्रचालन संबंधी अलग–अलग समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा किए गए विविध कार्यकलापों का रिकार्ड (अनुबन्ध–4 में संलग्न IRS Form–004 के अनुसार) रखा जाए और संबंधित अनुभाग को भेजा जाए।

15. Incident Commander (IC) या Operation Section Chief द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्त्तव्य पूरा करना।

Transporation Branch (TB) में चार प्रचालन समूह, जैसे सड़क रेल, जल और वायु समाविष्ट हो सकेंगे। इन समूहों को, जब भी अपेक्षित हो सक्रिय किया जा सकेगा आपदाओं के दौरान वायु प्रचालन एक महत्वपूर्ण परिवहन क्रियाकलाप होता है, जिसके लिए जिला स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है। वायु प्रचालनों के लिए राज्य और जिला के Responsible Officer (RO) एक Nodel Officer (NO) निर्धारित करेंगे और उसे पदनामित करेंगे।

3.8 Group-in-charge-Road Operation (समूह प्रभारी.सड़क प्रचालन)

समूह प्रभारी (Group-In-Charge) (सड़क प्रचालन) Transporation Branch Director (TBD) के अधीन कार्य करता है और सभी सड़क परिवहन क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। उसके पास सहायता के लिए उसके अधीन एक समन्वयक (सड़क प्रचालन) होता है। यदि प्रचालनों के पैमाने में वृद्धि होती है, तो TBD एक सहायक समन्वयक के पद को सक्रिय कर सकता है,। भारण और अभारण प्रभारी (Loading & Unloading-in-charge) समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

3.8.1 Group-in-charge-Road Operation (समूह प्रभारी–सड़क प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

- **i.** प्रभावित स्थलों तक सड़क द्वारा साधनों के परिवहन को सुनिश्चित करना।
- **ii.** अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए मांग करना।
- **iii.** Operation Section Chief (OSC) के निर्देश पर योजना सम्बंधी बैठकों में भाग लेना।
- **iv.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न गंतव्य स्थानों के साथ समन्वय प्रक्रिया का निर्धारण करना।
- **v.** पार्किंक के लिए उचित स्थल सुनिश्चित करना।
- **vi.** समूह के बीच के विवादों, यदि कोई हो, को सुलझाना।
- **vii.** संडक प्रचालन योजना को यथा अपेक्षित अद्यतन करना और उनको उच्च प्राधिकारियों के साथ सांझा करना।
- **viii.** दुर्घटनाओं के मामले में Transporation Branch Director (TBD) तथा स्थानीय पुलिस को सूचित करना और यदि आवश्यक हो तो जॉच में सहायता करना।
- **ix.** यह सुनिश्चित करना कि वाहनों की मरम्मत के लिए मैकेनिक उपलब्ध रहे तथा पेट्रोल, तेल और स्नेहक (Lubricants) (POL) की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- **x.** नियोजित किए गए वाहनों की संख्या, वाहनों का स्रोत (अर्थात सरकारी या प्राइवेट), ऐसे स्थान जहां वाहन तैनात किए गये है तथा साथ ही साथ उनके द्वारा ले जाए जाने वाले संसाधन के विवरण आदि से संबंधि सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना।
- **xi.** रेल, जल और हवाई प्रचालनों की आवश्यकता के अनुसार उनके सड़क संबंधी प्रचालनों के भाग में सहायता और समन्वय करना।
- **xii.** समन्वयक और अन्य सदस्यों से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध–4 में संलग्न IRS Form–004 के अनुसार) रखना और Transporatation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) को भेजना।

xiii. Transporatation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3-8-2 Coordinator Road Operations (समन्वयक सड़क प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

समन्वयक (सडक प्रचालन) मुख्यतः सडक परिवहन संबंधी आवश्यकताओं में समन्वयक करने के लिए उत्तरदायी है। तैनात किए गए वाहनों की संख्या पर निर्भर करते हुए एक से अधिक समन्वयक हो सकते है। समन्वयक (सड़क प्रचालन) (Coordinator Road Operations) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

i. परिवहन के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण करने और अन्य संभावित समस्याओं की पहचान करने के लिए सौंपे गए घटना–स्थल के क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।

ii. घटना की गंभीरता पर निर्भर करते हुए और आवश्कता के आधार पर सहायक समन्वयक (सड़क प्रचालन) के लिए मांग करना।

iii. संसाधनों के निर्बाध परिवहन के लिए Staging Area Manager (SAM) के साथ समन्वय करना।

iv. समनुदेशन (Assignments) प्राप्त करना, मार्गो के बारे में चालकों (ड्राईवरों) को ब्रीफ करना, लक्ष्य सौंपना, वाहनों की आवाजाही का पर्यवेक्षण करना और वाहनों के रखरखाव और मरम्मत संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

v. सौंपे गए सभी वाहनों के क्रियाकलापों को मॉनीटर करना और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना।

vi. भिन्न–भिन्न स्थानों को की गई आपूर्तियों का रिकॉर्ड रखना।

vii. वाहनों की आवाजाही पर दृष्टि बनाए रखना। GPS सहायता, यदि उपलब्ध है, प्रदान करना।

viii. राहत सामग्री के परिवहन के लिए सुरक्षा सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए अनुरोध करना और परिवहन मार्ग के साथ पडने वाले प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को सतर्क करना।

ix. भारण और अभारण स्थलों पर समन्वय बनाए रखना।

x. यह सुनिश्चित करना कि भारण (लोड़िग) वाले स्थानों Staging Area (SA) और गंतव्य स्थलों पर संचार की सुविधाए स्थापित हो।

xi. अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना और उनकी पूर्ति करना।

xii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (IRS Form–004 के अनुसार) रखना और उसे समूह–प्रभारी या Transporatation Branch Director (TBD) को भेजना।

xiii. Operation Section Chief (OSC) या Transporation Branch Director (TBD) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3-8-3 Loading/Unloading-in-charge (Road, Rail & Water) (भारण/अभारण प्रभारी (सड़क, रेल और जल)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

किसी आपदा पर कार्यवाही में भारण/अभारण प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रहती हैं, रेल, सड़क और जलीय प्रचालनों में की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व एक समान

है, जबकि हवाई प्रचालनों में भूमिकांए एवं उत्तरदायित्व कुछ अलग है, इसलिए, भारण/अभारण प्रभारी की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व रेल, सड़क और जलीय प्रचालनों के लिए एक जगह दिए जा रहे है। भारण/अभारण प्रभारी (सडंक, रेल, और जल) की भूमिकाएं एवं उत्तरादायित्व निम्नलिखित है :–

i. भारण/अभारण कार्यकलापों के सुरक्षित प्रचालनों का पर्यवेक्षण करना।
ii. समूह प्रभारी (सड़क, रेल, और जल परिवहन) से प्रचालनों का साराशं प्राप्त करना।
iii. भारण (लोडिंग) वाले क्षेत्रों का संगठन करना।
iv. भारण तथा अभारण कर्मीदल का पर्यवेक्षण करना और यथा अपेक्षित उपस्कर (सीढी, दस्ताने, हेलमेट आदि) एकत्रित करना।
v. भारण/अभारण कार्यकलापों की प्रगति के बारे में समय–समय पर समन्वयक को सूचित करना।
vi. पूरे किए गये विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड IRS Form–004 के अनुसार रखना और Transporation Branch Director (TBD) और समन्वयक को भेजना।
vii. समन्वयक या प्रभारी (सड़क, रेल और जल) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्त्तव्यों को पूरा करना।

3.9 Group-in-charge (Rail operation)
समूह–प्रभारी (रेल प्रचालन)

आपदा की अधिकांश कार्यवाही स्थितियों में रेल परिवहन का अति दूरस्थ स्थानों से राहत सामग्री और संसाधनों का परिवहन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए समुचित स्थानों पर रेल गाडिया और वैगन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्राधिकारियों से समन्वय बनाए रखना आवश्यक है। रेल–स्टेशन विनिर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होते है और कभी–कभी प्रभावित स्थलों से बहुत दूर होते है। भारण और अभारण की आवश्यकता रेल से सड़क और सड़क से रेल तक हो सकती है। जब कभी रेल द्वारा परिवहन परिकल्पित हो, तो एक रेल प्रचालन समूह को सक्रिय किए जाने की आवश्यकता होती है और उनका सड़क प्रचालन प्रभारियों से घनिष्ट सर्म्पक बना रहना चाहिए। समूह प्रभारी (रेल) Transporatation Branch Director (TBD) के अधीन कार्य करता है और सभी रेल परिवहन क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। परिवहन आवश्यकताओं के पैमाने और उचित नियत्रंण के प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए Transporatation Branch Director (TBD) यदि आवश्यक हो, तो सहायक समन्वयक के पद को सक्रिय कर सकेगा। भारण/अभारण प्रभारी, समन्वयक के अधीन कार्य करेगा।

3-9-1 Group-in-charge- (Rail operation)
समूह–प्रभारी (रेल प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. Transporatation Branch Director (TBD) के अधीन कार्य करना और सभी रेल प्रचालनो का समन्वय करना।
ii. भारण और अभारण के लिए कर्मी दल को संगठित करना।
iii. सामग्रियों का सुरक्षित भंडारण और भांडागरण (वेयरहाउसिंग) सुनिश्चित करना।
iv. भंडारण के स्थनों का मूल्यांकन करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और यदि आवश्यक हो तो Transporatation Branch Director (TBD) से मार्गदर्शन प्राप्त कराना।
v. संसाधनों की आवाजाही के लिए सड़क प्रचालन समूहों के साथ समन्वय करना।

vi. जब भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपेक्षा की जाए, रेल प्रचालनों का सारांश, प्रस्थान और पहूंच का समय, गंतव्य स्थानों, संसाधनों आदि के ब्यौरे सहित तैयार करना और प्रस्तुत करना।

vii. यदि आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त कार्मिक सहायता के लिए अनुरोध करना।

viii. Transporatation Branch Director (TBD) को समय–समय पर अद्यतन करना और यदि आवश्यक हो, तो सहायता की मांग करना।

ix. अपने समूह के भीतर विवादों को, यदि कोई है, सुलझाना।

x. रेल प्रचालन योजना को अद्यतन करना।

xi. विभिन्न भंडारणों और भांडागारण क्षेत्रों, गंतव्य स्थलों और रेलवे अधिकारियों के साथ संचार की व्यवस्था करना और बनाए रखना।

xii. समन्वयक और अन्य प्रभारियों से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (IRS Form–004) रखना और Transporatation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC)को भेजना।

xiii. Operation Section Chief (OSC) या Transporatation Branch Director (TBD) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3-9-2 Co-ordinator (Rail operation)
समन्वयक (रेल प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. समूह प्रभारी के अधीन कार्य करना और रेल द्वारा सहायता सामग्री का परिवहन करने के लिए समन्वय सेवाएं प्रदान करना।

ii. समनुदेशित स्टेशनों या स्थलों का सर्वेक्षण वहॉ पर स्थिति और अन्य संभावित कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए करना।

iii. यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त कार्मिक सहायता की मांग करना।

iv. समनुदेशन प्राप्त करना और संसाधनों की आवाजाही का पर्यवेक्षण करना।

v. रेलों के समय आदि के बारे में रेलवे प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना।

vi. रेल प्रचालनों में घटित होने वाली घटनाओं या दुर्घटनाओं की सूचना देना।

vii. संसाधनों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग करना और मॉनीटर करना।

viii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापें का रिकॉर्ड (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) IRS Form–004 के अनुसार रखना और समूह–प्रभारी या Transportion Branch Director (TBD) को भेजना।

ix. समूह–प्रभारी द्वारा सौपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3-9-3 Loading/Unloading-in-charge- (Rail operation)
भारण/अभरण प्रभारी (रेल प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. भारण/अभरण क्रियाकलापों के सुरक्षित प्रचालनों का पर्यवेक्षण करना।

ii. समूह–प्रभारी (सडक, रेल और जल परिवहन) से प्रचालों का सारांश प्राप्त करना।

iii. भारण (लोडिंग) क्षेत्रों का संगठन करना।

iv. भारण तथा अभारण कर्मीदल का पर्यवेक्षण करना और यथा अपेक्षित उपस्कर (सीढी, दस्तावेज, हेलमेट आदि) एकत्रित करना।

v. समन्वयक को समय–समय पर भारण/अभारण क्रियाकलापों की प्रगति के बारे में सूचित करना।

vi. भारण/अभारण योजना, उनके संसाधनों और गर्तव्य स्थानों, सहित तैयार करना।

vii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड IRS Form–004 के अनुसार (अनुबंध–3 में यथा संलग्न) रखना और Transportation Branch Director (TBD) या समन्वयक को भेजना।

viii. समन्वयक या प्रभारी (सडक, रेल और जल) द्वारा सौपे गए कोई अन्य कार्य पूरे करना।

3-10 Group-in-charge (Water operation)
समूह– प्रभारी (जल संबंधी प्रचालन)

कुछ आपदाओं, विशेषकर बाढ और बवंडर (चक्रवात) में जल प्रचालनों की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। बचाव कार्य और सहायता सामग्री के परिवहन के लिए नावों/देशी कश्तियों और अन्य जलीय परिवहन का नियोजन करना आवश्यक हो सकता है। आपदा के अनुपात पर निर्भर करते हुए, Transportation Branch Director (TBD) एक जल प्रचालन समूह सक्रिय कर सकती है जिसमें समूह–इंचार्ज, समन्वयक और भारण/अभारण प्रभारी समाविष्ट हों। यदि आवश्यकता हो, तो समूह–प्रभारी, एक सहायक समन्वयक के लिए अनुरोध कर सकेगा।

3.10.1 Group-in-charge- (Water operation)
समूह– प्रभारी (जल संबंधी प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. प्रभावित स्थलों पर मोटर नावों/देशी कश्तियों या किसी अन्य जलीय परिवहन द्वारा बचाव दल (रेस्क्यू टीम) और सहायता सामग्री के साथ संचार सुविधाओं और प्रत्येक टीम के साथ मार्गदर्शन के लिए एक–एक स्थानीय मार्गदर्शक (गाइड) का परिवहन सुनिश्चित करना।

ii. यदि आवश्यकता हो, तो कार्मिक सहायता के लिए मांग करना।

iii. विभिन्न गंतव्य स्थानों के साथ Incident Action Plan (IAP) के अनुसार समन्वय प्रक्रिया का निर्धारण।

iv. घटना से संबद्ध सभी जलीय प्रचालनों और संबंद्ध क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।

v. नौकाघाट (डॉकिंग) या आश्रय (हार्बरिंग) स्थलों की क्षमता का मूल्यांकन और सुनिश्चित करना।

vi. विवादों का निपटान, यदि कोई हो।

vii. जलीय प्रचालन योजना का अद्यतन करना और इसे एल.एस.सी. सहित उच्चतर अधिकारियों के साथ सांझा करना।

viii. जब भी आवश्यकता हो, दुर्घटना जॉच टीम की व्यवस्था करना और समुचित जॉच प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना।

ix. नाव प्रचालनों के लिए पी.ओ.एल. और अन्य संभार–तंत्र सहायता की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

x. अपने साथ कार्यरत कार्मिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना।

xi. समन्वयक और अन्य प्रभारियों से पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध–4 में संलग्न IRS Form–004 के अनुसार) रखना Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) को भेजना।

xii. Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्त्तव्य पूरे करना।

3.10.2 Coordinator (Water operation)
समन्वयक (जल संबंधी प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. मोटर नावों/देशी कश्तियों आदि द्वारा संसाधनों के परिवाहन से संबंधित सभी क्रियाकलापों का समन्वय करना। इस पद का सक्रियण घटना की जटिलता पर अवलंबित है। किसी घटना के लिए समुदेशित भारण और अभारण प्रभारी सहित एक से अधिक समन्वयक हो सकते है।

ii. समुदेशित घटना क्षेत्रों का स्थिति और अन्य संभावित कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण करना।

iii. राहत समाग्री यदि अपेक्षा की जाए, के निर्बाध परिवहन के लिए Staging Area Manager (SAM) के साथ समन्वय बनाना।

iv. समनुदेशन प्राप्त करना और जलीय परिवहन संचलन क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।

v. सभी जलीय प्रचालनों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मॉनीटर करना।

vi. खोज और बचाव तथा राहत प्रचालनों में तैनात जल परिवहन कार्मिकों के साथ उचित संचार को सुनिश्चित करना।

vii. भिन्न–भिन्न स्थानों को की गई आपूर्तियों, जल परिवहन संबंधी संचालनों आदि का रिर्कार्ड रखना।

viii. जलीय प्रचालनों में घटित हाने वाली घटनाओं या दुघटनाओं की रिपोर्ट Transportation Branch Director (TBD) या पदनामित प्राधिकरियों को करना।

ix. जलीय प्रचालनो के लिए पी.ओ.एल. आदि की आवश्यकता का निर्धारण करना और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

x. क्योंकि अधिकांश राहत सामग्री सड़क द्वारा पहुंचेगी, इसलिए समन्वयक (सड़क प्रचालन) के साथ संपर्क बनाए रखना।

xi. पूरे किए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध–4 में संलग्न IRS Form–004 के अनुसार) रखना और समूह–प्रभारी या Transportation Branch Director (TBD) को भेजना।

xii. Operation Section Chief (OSC) या Transportation Branch Director (TBD) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्त्तव्य पूरे करना।

3.10.3 Loading and Unloading in-charge- (Water operation)
भारण और अभारण प्रभारी (जल संबंधी प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. भारण/अभारण कार्यकलापों के सुरक्षित प्रचालनों का पर्यवेक्षण करना।

ii. समूह–प्रभारी (सड़क रेल और जल परिवहन) से प्रचालनों का सारांश करना।

iii. भारण (Loading) क्षेत्रों का संगठन करना।

iv. भारण और अभारण कर्मीदल का पर्यवेक्षण करना और यथा अपेक्षित उपस्कार (सीढी, दस्ताने, हेलमेट आदि) एकत्रित करना।

v. भारण/अभारण क्रियाकलापों की प्रगति के बारे में समय–समय पर समन्वयक के सूचित करना।

vi. भारण/अभारण की उनके संसाधनों और गंतव्य स्थानों के ब्यौरों सहित योजना बनाना।

vii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध–4 में संलग्न) IRS Form–004 के अनुसार रखना और ओ.बी.डी. या समन्वयक को भेजना।

viii. समन्वयक या प्रभारी (सड़क रेल और जल) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तवय पूरे करना।

3.11 Air operation हवाई प्रचालन

विपदा की कार्यवाही के लिए हवाई प्रचालनों की चार कार्यो के लिए आवश्यकता हो सकती:–

(क) प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों और संसाधनों के शीघ्र परिवहन के लिए।

(ख) अगम्य और प्रभावित क्षेत्रों मे राहत सामग्रियों, भोजन, औषधियों आदि का शीघ्र वितरण (हवाई जहाज द्वारा गिराना)।

(ग) अगम्य क्षेत्रों में फंसे विपदाग्रस्तों की खोज और बचाव।

(घ) हताहत व्यक्तियों को निकालना।

हवाई सहायता प्रचालनों का कार्य समान्यतः, भारतीय वायु सेना को सौंपा जाएगा। समय–समय पर इंडियन एयरलाइंस, पवनहंस और अन्य प्राइवेट एयरलाइनों का भी परिवहन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऊपर चर्चा किए गए अभिकरणों में से किसी भी अभिकरण से भिन्न–भिन्न मिशन (लक्ष्य) की आवश्यकताओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के वायुयान उदाहरणतः, परिवहन वायुयान या हेलीकॉप्टर आदि का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पड सकती है।

किसी भी हवाई प्रचालन को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निकट समन्वय होना अनिवार्य है।

इस कार्य के लिए एन.डी.एम.ए., एन.ई.सी., एयरफोर्स, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राज्य के Responsible Officer (RO) तथा उन जिलों के Responsible Officer (RO) जहां हवाई प्रचालन किया जाना है, के बीच घनिष्ठ सम्पर्क की आवश्यकता होती है। अतः यह अति आवश्यक है कि इन सभी स्तरों पर समन्वय के लिए तथा हवाई सहायता के सक्रियण के लिए अग्रिम तौर पर एक Nodal Officer (NO) की पहचान और पदनामित किया जाना चाहिए। हितधारकों को हवाई प्रचालनों के लिए पदनामित Nodal Officer (NO) की जानकारी होनी चाहिए।

Incident Response System (IRS) के सन्दर्भ में, प्रभावित क्षेत्रों में सभी अपेक्षित अवतरण (landing) और उडान भरने के सुविधाओं पर एक स्थल सहायता अवश्य स्थापित किया जाना होगा। हवाई प्रचालनों के लिए Aviation Turbine Fule (ATF) सुरक्षा आदि सहित स्थल सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व Transporation Branch Director (TBD) को होगा। हवाई प्रचालन चलाने का फैसला लेने पर, Transportation Branch Director (TBD) अपने अधीन के हवाई प्रचालन समूह को सक्रिय करेगा। समूह नेतृत्व एक पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा और सभी हवाई अड्डों, हैलीबेसों, हैलीपैड़ो पर एक प्रभारी के नेतृत्व में अपेक्षित अवतरण और उडान भरने के स्थानों पर आवश्यक संगठनात्मक अवयव सक्रिय किए जाएंगे।

3.11.1 Nodal Officer (NO)
नोडल ऑफिसर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. हवाई प्रचालनों के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।

ii. Incident Action Plan (IAP) के आधार पर समुचित प्राधिकारियों के अपेक्षित हवाई सहायता के प्रकार का अनुमान लगाना और अग्रिमतौर कम–से–कम चौबीस घंटे पूर्व या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना।

iii. अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई संचलनों और अवतरण ALanding समय–सारणियों के बारे में में Iicident Commander (IC) और Operation Section Chief (OSC) को सूचित करना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि हवाई प्रचालनों में शामिल सभी अभिकरणों के पास घटनाग्रस्त स्थानों के प्रासंगिक मानचित्र उन स्थानों की सही जानकारी देने के लिए उपलब्ध हों, जहां हवाई सहायता की आवश्यकता है।

v. एयरफोर्स प्राधिकारियों और जिले के प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके हैलीपैड और हैलीबेसों की उपयुक्तता का निर्धारण करना।

vi. हवाई संचालनों और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के संबंध में हवाई यातायात नियंत्रण और स्थल सहायता स्टाफ के साथ संचार को बनाए रखना।

vii. अपेक्षित एटीएफ आदि को अधिप्राप्त करने में Iicident Commander (IC) और Logistics Section Chif (LSC) की सहायता करना।

viii. हवाई प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों के बारे में (Responsible Officer) को सूचित करना।

ix. Responsible Officer (RO) और Iicident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.11.2 Group-in-charge (Air operation)
समूह–प्रभारी (हवाई प्रचालन)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. हवाई प्रचालनों को Incident Action Plan (IAP) के अनुसार स्थल सहायता प्रदान करना।

ii. हवाई प्रचालनों की प्रगति की Transportation Branch Director (TBD) को रिपोर्ट करना और Nodal Officer (NO), Iicident Commander (IC) Operation Section Chief (OSC) और Transportation Branch Director (TBD) के साथ निकट समन्वयन में कार्य करना।

iii. यह सुनिश्चित करना कि हवाई प्रचालनों के लिए अपेक्षित संसाधनों और आपूर्तियों की संबंधित स्थानों पर उपलब्धता रहे।

iv. हवाई प्रचालन में शामिल पायलटों और अन्य व्यक्तियों को सही समन्वय प्रदान करने के लिए समुचित मानचित्रों को रखना।

v. अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, के लिए मांग करना।

vi. यह सुनिश्चित करना कि हवाई जहाज के उतरने और उड़ान भरने के स्थानों पर तेल भरने की सुविधाएं उपलब्ध हों।

vii. यह सुनिश्चित करना कि हेलीबेस और हैलीपैड हेतु स्थानों की पहचान हो और समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हो।

viii. प्रत्येक हैलीबेस और हैलीपैड पर कार्मिक और उपस्कर सौंपने के लिए आवश्यकता का निर्धारण करना।

ix. हैलीबेसों और हैलीपैड की पहचान और अंकन (Marking) सुनिश्चित करना।

x. यह सुनिश्चित करना कि संचार प्रणालियां सुव्यवस्थित हो।

xi. Nodal Officer (NO) द्वारा यथासूचित हवाई जहाजों और हैलीकॉप्टरों के उतरने और उड़ान भरने की समय–अनुसूची का अद्यतन करना।

xii. राहत आपूर्तियों की उचित रूप से भारण/अभारण के लिए लोड मैनिफेस्ट की तैयारी को सुनिश्चित करना।

xiii. हवाई अड्डों/हैलीपैडों और हैलीबेसों पर जो राहत सामग्री पहुंचती है, उसकी उतराई और प्रेषण या भंडारण की व्यवस्था करना। हवाई अड्डों को प्रचालन योग्य बनाने के लिए, वहॉ आने वाली बिना आग्रह की (Unsolicited) राहत आपूर्तियों के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसी आपूर्तियों को प्रचालन क्षेत्र से तुरंत हटाया जाना चाहिए।

xiv. यह सुनिश्चित करना है कि पैकिंग करने और तोलने की सही सुविधाएं हो और राहत सामग्रियों की चढ़ाई (Loading) में प्रयुक्त की जाएं।

xv. सड़क परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए सड़क प्रचालन समूह के साथ सम्पर्क रखना।

xvi. हैलीबेसों और हैलीपैडों पर हवाई जहाजों के बचाव और अग्निशमन सेवा की क्रियाशीलता (Functionality) सुनिश्चित करना और सुरक्षा, उचित प्रकाश, स्मोंक केंडल, यंत्र, तोलने की सुविधाएं, विंड डायरेक्शन सॉक्स आदि सही स्थान पर मौजूद हों।

xvii. हैलीबेस और हैलीपैड प्रभारी से पूरे किए गये विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध–3 मे संलग्न IRS Form–004) रखना और Transportation Branch Director (TBD) या Operation Section Chief OSC या Iicident Commander (IC) को भेजना।

xviii. (Transporation Branch Director (TBD) द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.11.3 Helibase/ Halipad -in-charge
हेलीबेस/हैलीपैड प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व

हैलीबेस हैलीकॉप्टरों को खड़ा करने (पार्किग), ईंधन भरने और रखरखाव करने के लिए मुख्य स्थान है। इसे राहत सामग्रियों की भारण और अभारण के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। हैलीपैड घटना स्थल क्षेत्र में ऐसे अस्थायी स्थान हैं जहां हैलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारा जा सकता है और उडान भरी जा सकती है।

हेलीबेस प्रायः हवाई अड्डे या जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर संचालित करने वाले अभिकरण से परामर्श और अनुमोदन करने के पश्चात् विनिश्चित किए गए किसी अन्य स्थान पर खड़ा किया जाता है जब एक से अधिक हैलीबेस स्थापित किया जाता है, तो घटना के नाम और संख्यांक द्वारा नमोदिष्ट होगा। हैलीपैड केवल प्रचालन संबंधी प्रयोजन, जैसे कार्मिकों, उपस्करों और अन्य राहत सामग्री आदि की भारण–अभारण, के लिए स्थापित और प्रयुक्त किये जाते हैं। हैलीबेस/हैलीपैड प्रभारी (Transporyation Branch Director (TBD) को रिर्पोट करेगा। हैलीबेस/हैलीपैड प्रभारी की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित है :–

i. घटना स्थल पर हैलीकॉप्टरों को सभी स्थल सहायता की आवश्यकता को मुहैया कराना।

ii. पायलटों के साथ सही समन्वय बनाने के लिए समुचित मानचित्र रखना।

iii. संभावित वायुयान जोखिम और अन्य संभाव्य कठिनाईयों का विशलेषण करने के हैलीबेस/हैलीपैड क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि हैलीपैड और हैलीबेस का अंकन समुचित रूप से किया गया हो ताकि यह वायुयानों के निर्बाध अवतरण के लिए आकाश से ही दृष्टिगोचर हो।

v. हैलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए स्थल पर्यवेक्षक के साथ समन्वय करना।

vi. स्थलीय और आकाशीय सुरक्षा आवश्यकताओं तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण और क्रियान्वयन करना।

vii. निर्धारित हैलीबेसों और हैलीपैडों की निरंतर मॉनीटरिंग करना और ऐसी असामान्य घटना या जोखिम के प्रति सतर्क रहना जो हवाई प्रचालनों को प्रभावित करें तथा एहतियाती उपाय करना।

viii. यह सुनिश्चित करना कि हैलीबेसों और हैलीपैडों पर नियोजित सभी कार्मिक सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति जागरूक हो।

ix. भूमि संचार (Ground Communication) सुविधाएं स्थापित करना।

x. हेलीकॉप्टर की समय–अनुसूचियों में किसी विलंब के बारे में तुरन्त पर्यवेक्षक को सूचित करना।

xi. यह सुनिश्चित करना कि हवाई जहाज संबंधी बचाव उपाय, अग्निशमन सेवाएं, प्रकाश व्यवस्था, स्मोक केंडल्स, तोलने की सुविधाएं, विंड डायरेक्शन सॉक्स, धूल प्रशमन उपाय और सुरक्षा आदि सुव्यवस्थित हों तथा हैलीबेसों और हैलीपैडों पर उचित रूप से कार्य कर रही हों।

xii. वायुयान कार्मियों के लिए आराम, जलपान, पानी और सफाई की उचित सुविधाएं सुनिश्चित करना।

xiii. लक्ष्य AMission) के पूर्ण होने के बारे में पर्यवेक्षक को सूचित करना।

xiv. पूरे किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड (अनुबंध–4 में संलग्न) IRS Form–004 के अनुसार रखना और समूह–प्रभारी को भेजना।

xv. समूह–प्रभारी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना।

3.11.4 Loading / Unloading in-charge
भारण/अभारण प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. हैलीबेसों पर कार्गो और कार्मिकों की सुरक्षित भारण और आभारण संबंधी प्रचालनों के लिए उत्तरदायी होना।

ii. एयरबेसों, हैलीबेसों और हैलीपैडों के प्रभारी को रिपोर्ट देना।

iii. कार्मिकों और कार्गो के लोड मैनिफेस्ट को सुनिश्चित करना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि वायुयानों में कोई ज्वलनशील सामग्री न चढ़ाई जाए ।

v. भारण और अभारण कर्मीदल का पर्यवेक्षण।

vi. लदानों, (Load) की उचित पैकेजिंग, ऐसे वजन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करना, जो मौसम की दशा के कारण पायलटों द्वारा लगाये जा सकतें है तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे प्रयोजन के लिए तोलने की सुविधाएं हों।

vii. पूरे किए गए विविध कार्यकलापो का रिकार्ड (अनुबंध–4 में संलग्न IRS Form–004 के अनुसार) रखना और समूह–प्रभारी को भेजना।

viii. कोई अन्य कर्तव्य पूरे करना जो समूह–प्रभारी, हैलीबेस प्रभारी और हैलीपैड प्रभारी द्वारा सौंपे जाएं।

Planning Section
(योजना अनुभाग)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

4.0 योजना अनुभाग Planning Section (PS) संसाधन इकाई, स्थिति इकाई, प्रलेखन इकाई और आलामबंदी इकाई से मिलकर बनता है **(रेखाचित्र–6)** अनुभाग का अध्यक्ष योजना अनुभाग प्रमुख Planning Section Chief (PSC) कहलाता है।

4.0.1 योजना अनुभाग प्रमुख Planning Section Chief (PSC) सूचना एकत्रित करने मूल्यकांन करने, प्रसारित करने और उसका उपयोग करने का जिम्मेदार होता है। यह बदलते घटनाक्रम और संसाधनों की प्रास्थिति पर नजर रखता है। आवश्यकता पडने पर, किसी घटना के प्रबन्धन में तकनीकी योजनागत मामलों का समाधान करने के लिए Planning Section (PS) में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता भी ले सकता है। ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची Planning Section (P.S.) में उपलब्ध रखी जाएगी। Planning Section Chief (PSC), Incident Commander (IC) को रिपोर्ट करता है और अपेक्षा के अनुसार इकाइयों को सक्रिय करने तथा अनुभाग में कार्मिक तैनात करने के लिए उत्तरदायी होगा।

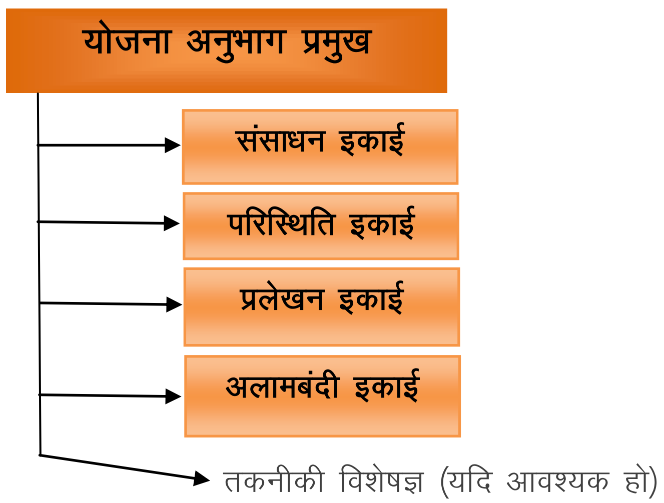

रेखाचित्र–6 योजना अनुभाग

4.1 Planning Section Chief (PSC)
योजना अनुभाग प्रमुख

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. ***Incident Commander (IC)*** के साथ परामर्श करके, योजना बनाने और **Incident Action Plan (IAP)** तैयार करने के लिए सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करेगा।
2. सुनिश्चित करेगा कि आकस्मिक आपदाओं के मामले में जब **Planning Section (PS)** सक्रिय नही किए गए थे, लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश **Information & Media Officer(IMO),** (कमान स्टाफ) से प्राप्त किए जाए और उन्हें **Incident Action Plan (IAP)** में सम्मिलित किया जाए।

3. संबंधित विभागों और अन्य स्रोतों से मौसम पर्यावरण में विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि सहित घटनाओं के बारे में सूचना के संग्रहण, मूल्यांकन और प्रसार को सुनिश्चित करेगा। पी.एस. के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके स्थानों सहित एक डेटा बैंक होना चाहिए, जहां से उसे जुटाया जा सके।

4. वह **Incident Action Plan (IAP)** तैयार करके वर्तमान स्थिति के निर्धारण घटना की संभाव्य दिशा का अनुमान करके और प्रचालनों के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करके समन्वय करेगा। **Incident Action Plan (IAP)** में सम्पूर्ण घटना रणनीति और विशिष्ट कूटनीतिक कार्यवाही को प्रतिबिंबित करने वाले उद्देश्य और अगली प्रचालन अवधि के लिए सहायक सूचना शामिल होती है (24 घंटों को एक प्रचालनात्मक अवधि माना जाता है) योजना मौखिक अथवा लिखित हो सकती है। लिखित योजना में घटना उद्देश्यों, संगठन समनुदेशन सूची **IRS form - 05** (अनुबंध–5 के साथ संलग्न) घटना संचार योजना **IRS form**–09 (अनुबंध–9 के साथ संलग्न), अलामबंदी योजना **IRS form** फॉर्म–10 (अनुबंध–10 के साथ संलग्न) यातायात योजना, सुरक्षा योजना और घटना मानचित्र आदि सहित बहुत से अनुलग्नक हो सकते है। **Incident Action Plan (IAP)** तैयार करने में उठाए जाने वाले प्रमुख कदम निम्नानुसार हैः–

क. क्षति और खतरे की प्रारंभिक सूचना और निर्धारण।
ख. अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण।
ग. घटना उद्देश्य तैयार करना और कार्यनीति बैठकों का संचालन।
घ. प्रचालन विवरण **(Briefing)** ।
ड. **Incident Action Plan (IAP)** का क्रियान्वयन।
च. **Incident Action Plan (IAP)** की समीक्षा।
छ. यदि अपेक्षित हो, तो अगली प्रचालनात्मक अवधि के लिए घटना उद्देश्य तैयार करना।

5. सुनिश्चित करेगा की अनुबन्ध–2 के साथ संलग्न घटना प्रास्थिति सार (**IRS form**–02) भरा जाए और **Incident Action Plan (IAP)** में समावेशित हो।

6. सुनिश्चित करेगा की अनुबंध–5 में यथा संलग्न संगठनात्मक समनुदेशन सूची (प्रभागीय/समुहिक) **IRS form -** 005 इकाई लीडरों और उसके अनुभाग के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं के मध्य परिचालित किया जाए ।

7. **Incident Commander (IC)** और **Operation Section Chief (OSC)** के साथ परामर्श करके IRS संगठनात्मक पदों **(Position)** को सक्रिय और निष्क्रिय, जैसा उचित हो, करने की योजना बनाएगा।

8. घटना प्रबंधन के लिए किसी विशेषज्ञता प्राप्त संसाधन की आवश्यकता निर्धारित करेगा।

9. सकारात्मक योजना के लिए **IT** समाधानों, निर्णय समर्थन के लिए **GIS** तथा हताहतों के निर्धारण और प्राक्कलन एवं व्यापक कार्यवाही प्रबंधन योजना के लिए मॉडलिग क्षमताओं का उपयोग करेगा।

10. घटना होने की सम्भवना पर समय–समय पर पूर्वानुमान लगाना।

11. घटना की प्रास्थिति में होने वाली किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की रिपोर्ट **Incident Commander (IC)** को देगा।

12. घटना कमान चौकी **Incident Command Post (ICP)** घटना पर प्रास्थिति सार को संकलित करके प्रदर्शित करेगा।

13. अनुबंध–10 के साथ संलग्न घटना आलामबंधी योजना (*IRS form*–10) की तैयारी और क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा।
14. समुचित कार्मिकों को कार्य के लिए उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, समनुदेशित करेगा और दिन के लिए अनुबंध–7 के साथ यथा संलग्न, ड्यूटी पर अधिकारियों की सूची (**IRS form** –007) तैयार रखेगा।
15. सुनिश्चित करेगा की इकाइयों के सदस्यों द्वारा निष्पादित विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड (अनुबंध–4 के साथ संलग्न **IRS form** फार्म–004) संगृहीत किए जाए और अनुबंध–3 के साथ संलग्न इकाई लॉग (**IRS form** –03) में रखे जाए
16. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Incident Commander (IC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए ।

4.1.1 *Resource Unit Leader (RUL)* संसाधन यूनिट लीडर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सभी प्राप्त संसाधनों की आवक (चेक–इन) के निरीक्षण द्वारा और संसाधन का जायजा रखने वाली प्रणाली बनाए रखकर घटना स्थल पर सभी समनुदेशित संसाधनों (प्राथमिक और सहायक) की प्रास्थिति (**Status**) बनाए रखेगा और प्रदर्शित करेगा। प्राथमिक संसाधन कार्यवाही कर्ताओं के लिए और सहायक संसाधन प्रभावित समुदायों के लिए आशयित होते है।
2. सभी उपलब्ध संसाधनों की एक संपूर्ण माल–सूची संकलित करेगा। वह अन्य स्थानों पर अपेक्षित सभी संसाधनों की उपलब्धता के बारे में सूचना प्राप्त करेगा और यदि अपेक्षित हो तो संसाधनों को जुटाने के लिए एक योजना बनाएगा। इस प्रयोजन के लिए **India Disaster Resource Network (IDRN), Corporate Disaster Resource Network (CDRN) and India Disaster Knowledge Network (IDKN)** सुविधाओं का भी उपयोग किया जाएगा।
3. विभिन्न घटना स्थल पर चेक–इन कार्य **(Function)**सुनिश्चित और स्थापित करेगा।
4. समय–समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की प्रास्थिति के संबंध में **Planning Section Chief (PSC)** और **Incident Commander (IC)** को अद्यतन करेगा।
5. आबंटित संसाधनों की प्रास्थिति की जांच और उपयोग के लिए विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और OS के समूहों के साथ समन्वयन रखेगा।
6. नश्यवान (**Perishable**) संसाधनों को शीघ्र और उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा।
7. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS form**–004 (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबधित अनुभाग को भेजेगा।
8. एसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो उसे **Planning Section Chief (PSC)** के द्वारा समनुदेशित किया जाए ।

4.1.1.1 Check-in/Status
चेक–इन/स्टेटस रिकॉर्डर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. **Resource Unit Leader (RUL)** को रिपोर्ट करेगा।
2. सुनिश्चित करेगा कि किसी भी घटना हेतु समनुदेशित सभी साधनों का प्रत्येक चेक–इन बिन्दु **(Check-in-point)** पर हिसाब रखा जाए।
3. चेक–इन सूचियों, संसाधनों की तैनाती के लिए विभिन्न स्थल दर्शित करने वाले संसाधन प्रास्थिति प्रदर्शन बोर्डो प्राप्ति के समय और संसाधनों की किस्मों के साथ संसाधनों के संग्रहण आदि सहित अपेक्षित कार्य–सामग्री प्राप्त करेगा। संसाधनो की प्रास्थिति 'टी' कार्ड बोर्ड या कम्प्यूटरों पर कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी।
4. **Emergency Operation Center** और **Logistics Section** की स्थल सहायता इकाई **Ground Support unit (GSU)** के साथ संचार सुविधा स्थापित करेगा।
5. चेक–इन स्थलों को सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करेगा ताकि आने वाले संसाधन के लिए चेक–इन स्थलों का आसानी से पता लग सके।
6. अनुबंध–6 के साथ संलग्नक **IRS form -** 006 के अनुसार घटना चेक–इन और तैनाती सूची संबंधी सूचना प्रविष्ट या रिकॉर्ड करेगा।
7. घटना चेक–इन और तैनाती सूचना, नियमित और पूर्व–निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर या जब आवश्यक हो, संसाधन इकाई को पारेषित करेगा।
8. पूर्ण चेक–इन सूचियां संसाधन इकाई को अग्रेषित करेगा।
9. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS form**–004 (अनुबंध– 4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभागों को भेजेगा।
10. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा, जो **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए ।

4.1.2 *Situatin Unit Leader (SLU)*
(स्थिति इकाई लीडर)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सभी घटनाओं की सूचनाएं, विशलेषण के लिए यथा संभव शीघ्र एकत्रित, प्रक्रियान्वित और संकलित करेगा, ऐसे प्रयोजनों के लिए वह एकल संसाधन, कार्य बलों के सदस्यों, स्ट्राइक टीम, क्षेत्र स्तरीय **(Field level)** सरकारी अधिकारियों और **PRI, CVO, NGO** आदि के सदस्यों की सहायता ले सकेगा।
2. घटना की प्रगति पर आवधिक भावी पूर्वानुमान (यदि आवश्यक हो तो मानचित्र सहित) तैयार करेगा और **Planning Section Chief (PSC)** तथा **Incident Commander (IC)** को सूचित करता रहेगा।
3. स्थिति और संसाधन प्रास्थिति रिर्पोट तैयार करेगा और अपेक्षानुसार उन्हे प्रचारित–प्रसारित करेगा।
4. यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफी, सेवाएं, कार्यवाही कर्ताओ को उपलब्ध कराएगा।
5. अपेक्षित जानकारी, आकडों, दस्तावेजों और भारतीय सर्वक्षण के मानचित्रो आदि के साथ **Incident Action Plan (IAP)** बैठक में शामिल होगा।

6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS form -004** (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और **Situaion Unit Leader (SUL)** को भेजेगा।
7. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Situaion Unit Leader (SUL)** या **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4.1.2.1 Display Processor-DP
डिस्प्ले प्रोसेसर–डी.पी.

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Display Processor (DP) क्षेत्र प्रेक्षकों **(Field Observers-FO)** एकल संसाधन, स्ट्राइक टीमों, कार्यबलों और अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त घटना प्रास्थिति सूचना को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। **Display Processor (DP)** की भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

1. क्षेत्र प्रेक्षकों **(Field Observers-FO)** एकल संसाधन स्ट्राइक टीमों कार्य बलों से प्राप्त घटना प्रास्थिति तकनीकी स्रोतों से प्राप्त हवाई फोटोग्राफ और अन्य आंकडे प्रदर्शित करेगा।
2. **Situation Unit Leader (SUL)** को रिपोर्ट करेगा।
3. डिस्प्ले चार्ट को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करेगा।
4. आवश्यक उपस्कर एवं लेखन–समाग्री प्राप्त करेगा।
5. क्षेत्र रिपोर्टो के विशलेषण और मूल्यांकन में सहायता करेगा।
6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS-004** (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और **Situation Unit Leader (SUL)** को भेजेगा;
7. ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Situation Unit Leader (SUL)** या **Planning Section (PS)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।
8.

4.1.2.2 (Field Observers-FO)
क्षेत्र प्रेक्षक

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Field Observers-FO घटना के व्यैक्तिक प्रेक्षण से स्थिति सूचना एकत्रित करने और यह सूचना **Situation Unit Leader (SUL)** को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। वह स्थानीय व्यक्ति या प्रचालनात्मक इकाइयों/समूहो का कोई सदस्य हो सकता है। Planning Section Chief (PSC) ऐसे प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को विशेष रूप से पदनामित करेगा। **Field Observers-FO** की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्ननिलिखित हैः–

1. ऐसी किसी प्रेक्षित स्थिति पर जिससे कार्यवाही कर्ताओं और प्रभावित समूदायों को खतरा और सुरक्षा संकट उत्पन्न हो सकता हो, तुरंत **Situation Unit Leader (SUL)** को रिपोर्ट करेगा। इसमें स्थानीय मौसमी स्थितियां भी सम्मिलित हैं।
2. ऐसी आसूचना एकत्र करेगा जो बेहतर योजना और प्रभावी कार्यवाहीं को सुनकर बनाए।
3. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड, **IRS Form–004** (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और **Situation Unit Leader (SUL)** को भेजेगा।

4. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Situation Unit Leader (SUL)** या **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4-1-3 Document Unit Leader (DUL)
(प्रलेखन इकाई लीडर–डी.यू.एल.)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

1. सुनिश्चित करेगा की सभी अपेक्षित फार्म और लेखन–सामग्री प्राप्त कर ली जाए तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को जारी कर दी जाए ।
2. घटना से संबंधी सभी जानकारी और रिपोर्ट संकलित करेगा।
3. सटीकता और पूर्णतया के लिए रिकॉर्डो और विभिन्न **IRS Forms** का पुनरीक्षण और संवीक्षा करेगां।
4. समुचित इकाइयों को उनके प्रलेखन में गलतियों या चूक यादि कोई हों, के संबंध में सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गलतियों और चूक का परिशोधन कर दिया गया है।
5. घटनोपरांत विश्लेषण के लिए फाइलों का समुचित रूप से सुरिक्षत रखेगा।
6. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकार्ड **IRS Form - 004** (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभाग को भेजेगा।
7. ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4-1-4 Demobilisation Unit Leader (Demob.UL)
(अलामबंधी इकाई लीडर–डीमोब. यू.एल.)

भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व

किसी बडी घटना के प्रबंधन में अलाबंधी खासा जटिल क्रियाकलाप हो सकता है और इसमें समुचित तथा पृथक योजना अपेक्षित होती है। जब आपदा कार्यवाही पूर्ण होने के निकट हो, तो कार्यवाही के लिए जुटाए गए संसाधनों को वापस किया जाना होता है। इसे एक सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

अलामबंधी में उपस्कर और कार्मिक, दोनों का निकट और दूरस्थ दोनो प्रकार के स्थानों की बडी संख्या के लिए परिवहन किया जाना अपेक्षित होता है। अलामबंधी इकाई **Risponsible Officer (RO), Iincident Commander (IC)** और **Planning Section Chief (PSC)** के साथ परामर्श करके एक अलामबंधी योजना तैयार करेगी। योजना में, अलामबंधी किए जाने वाले कार्यवाहीकर्ताओं तारीख, परिवहन की किस्म, स्थान जहां से उन्हे आलामबंध किया जाना है, गंतव्य स्थान जहां उन्हे अंततः पहुॅचना है, आदि के ब्यौरे सम्मिलित होने चाहिए। इसी प्रकार की एक योजना खराब उपस्करों और बीमार कार्मिकों के लिए भी होगी। आलामबंधी इकाई लीडर (Demobilisation Unit Leader-Demob.UL) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

1. अनुबंध–10 में दिए गए **IRS Form**–010 के अनुसार घटना अलामबंधी योजना (**Incident Demobilisation Plan-IDP**) बनाएगा।

2. अधिशेष संसाधनों की पहचान करेगा और **Planning Section Chief (PSC)** के साथ परामर्श करके एक अनंतिम (टेंटेटिव) **Incident Demobilisation Plan-IDP** तैयार करेगा और अधिशेष संसाधनों की अलामबंधी को प्राथमिकता देगा।
3. सभी अनुभागों के साथ परामर्श करके, अनुभागा शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना चेक–आउट फंक्शन शुरू करेगा और **Planning Section (PS)** को भेजेगा।
4. **Logistic Section (LS)** के साथ परामर्श करके घटना आलामबंधी के लिए संभार–तंत्र और परिवहन के लिए सहायता हेतु योजना बनाएगा।
5. समुचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों को **Incident Demobilisation Plan-IDP** का प्रसार–प्रचार करेगा।
6. सुनिश्चित करेगा की सभी अनुभागों, इकाइयों, टीमों और संसाधनों को अपनी–अपनी विशिष्ट घटना अलामबंधी जिम्मेदारियों की समझ है और उन्हे आलमबंधी सुविधाएं प्राप्त हों।
7. **Incident Demobilisation Plan-IDP** के समुचित पर्यवेक्षण और निष्पादन की व्यवस्था करेगा।
8. आलाबंधी की प्रगति के संबंध में **Planning Section Chief (PSC)** को अवगत कराएगा।
9. यदि अपेक्षित हो, तो अतिरिक्त मानव संसाधनों के लिए **Planning Section Chief (PSC)** से अनुरोध करेगा।
10. निष्पादित विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड **IRS Form**–004 (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार रखेगा और संबंधित अनुभागों को भेजेगा।
11. किसी ऐसे अन्य कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो **Planning Section Chief (PSC)** द्वारा समनुदेशित किया जाए।

4-1-5 Technical Specialists-TS (तकनीकी विशेषज्ञ–टी.एस.)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

यदि अपेक्षित हो तो **Risponsible Officer RO, Incident Commander (IC)** के परामर्श से पी.एस.सी विशिष्ट कार्यवाही के लिए तकनीकी संसाधन और संसाधन जुटाएगा। तकनीकी योजना या विशिष्ट तकनीकी अनुभाग के प्रमुख के अधीन कार्य करेंगें।

Technical Specialists-TS कार्यवाही प्रबंधन को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगें। जिला, राज्य महानगर और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर **Technical Specialists-TS** का एक आंकडा आधार (डेटा बेस) अग्रिम में तैनात किया जाएगा और उनको आपदा प्रबन्धन योजना में समावेशित किया जाएगा।

Logistic & Finance Section (L & FS)
संभार एवं वित्त तंत्र

भूमिकायें एवं उत्तरदायित्व

5.0 संभार तंत्र **Logistic Section (LS)** और वित्त अनुभाग **Finance Section (FS)** कारगर कार्यवाही प्रबन्धन के लिये सभी संभार–तंत्र **(Logistic Section)** सहायता प्रदान करता है। जैसा की **रेखाचित्र–7** में दिखाया गया है, संभार–तंत्र **(LS)** और वित अनुभाग **(FS)** की विभिन्न शाखाओं के अधीन इकाईयॉं न केवल विभिन्न ''किस्म'' और ''प्रकार'' के संसाधनों की आपूर्ति के लिए बल्कि **Incident Base Camp, ICP & Relief Camp** आदि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी उत्तदायी है। इसमें सरकार के विभिन्न तरह के विभागों और अन्य अभिकरणों का शामिल होना अपरिहार्य होगा। इसमें प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर उचित और सुचारू समन्वयन की अपेक्षा होगी।

5.0.1 संभार–तंत्र **Logistic Section (LS)** और वित्त अनुभाग **RO, Emergency Operation Centre (EOC) & Incident Commander (IC)** के साथ सहयोग से कार्य करेगा। राज्य और जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओं में विस्तृत ब्यौरे जैसे कहां से अपेक्षित संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है और जनशक्ति को जुटाया जा सकता है, आदि, होंगे। **India Disaster Knowledge Network, (IDKN), India Disaster Resource Network (IDRN) & Corporete Disaster Resource Network (CDRN)** भी उपस्कर और जनशक्ति को जुटाने के लिए उपयोगी हो सकते है।

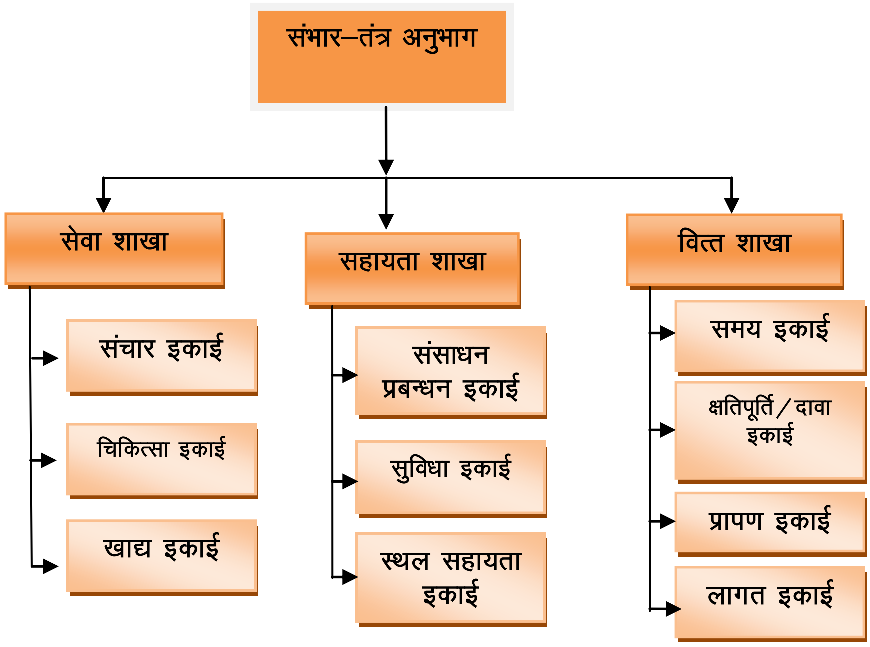

रेखाचित्र–7

5.1 Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)-
भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

अनुभाग का प्रमुख **Logistic & Finance Section Chief- L&FSC** के रूप में जाना जाता है। **L&FS** की विभिन्न शाखाओं की सक्रियता विशेष संदर्भ से है और घटना की प्रमुखता और अपेक्षाओं के आधार पर निर्भर होगी। वित्त शाखा, विशेषकर शीघ्र प्रापण को सुकर बनाने के लिए और निम्नलिखित वित्तीय प्रक्रियाओं और नियमों के उचित

देखभाल के लिए **Logistic & Finance Section-L&FS** का एक महत्वपूर्ण संघटक है। **Logistic & Finance Section Chief -L&FSC** की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

i. सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय।
ii. सभी घटना के प्रति प्रयास जिसके अंतर्गत स्थापना कार्य भी है, के लिए संभार–तंत्र सहायता, **Staging Area (SA), Incident Base Camp, Relief Camp, Helipad** उपलब्ध कराना आदि।
iii. **Incident Action Plan (IAP)** के विकास और क्रियान्वयन में भागीदारी करना।
iv. सम्बद्ध वित्तीय मुद्दों पर **RO & IC** को सुचना देना।
vi. यह सुनिश्चित करना कि अनुबंध–5 के संलग्नानुसार संगठन समनुदेशन सूची को (प्रभागीय/समूह) IRS Form-005 शाखा निदेशकों और अपने अनुभाग के अन्य कार्यवाहीकर्ताओं को परिचालित किया जाए।
vii. पेशगी निधि (**Imprest Fund**), यदि अपेक्षित है, के अनुमोदन का अनुरोध।
viii. इस अनुभाग के कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
ix. अनुभाग के कार्मिकों को कार्य क्षेत्र और प्रारंभिक कार्य समनुदेशित करना।
x. यह सुनिश्चित करना कि व्यापक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता से **Incident Action Plan (IAP)** की संभार–तंत्र **Logistic Section-LS** अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है।
xi. शाखा निदेशकों और इकाई लीडरों को जानकारी देना।
xii. राहत कार्य प्रणाली प्रचालनों के लिए सभी संभार–तंत्र **Logistic Section-LS** अपेक्षाओं का पूर्वानुमान लगाना और तद्नुसार तैयार करना।
xiii. स्थिति की परिवर्तनीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए **Commumication Plan(CP), Medical Plan(MP) & Traffic Plan(TP)** का लगातार पुनरीक्षण करना।
xiv. अतिरिक्त संसाधनों की अपेक्षा का निर्धारण करना और **RO & IC** के अनुमोदन के साथ परामर्श करके उनके प्रापण के लिए कदम उठाना।
xv. **RO & IC** के अनुमोदन के अनुसार **Incident Demobilisation Plan (IDP)** के लिए संभार–तंत्र (**Logistic Section**) सहायता उपलब्ध कराना।
xvi. **Incident Demobilisation Plan (IDP)** के अनुरूप संसाधनों का दिया जाना सुनिश्चित करना।
xvii. यह सुनिश्चित करना कि अपेक्षित संसाधनों के किराये पर लिए जाने की प्रक्रिया का उचित प्रलेखन किया गया है और **Finance Branch (FB)** द्वारा भुगतान किया गया है।
xviii. किए जाने वाले कार्यो के लिए कार्मिको की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित कार्मिक को कार्य सौपना और अनुबंध –7 में संलग्नानुसार दिन के लिए ड्यूटी अधिकारी सूची **IRS Form - 007** तैयार रखना।
xix. यह सुनिश्चित करना कि समस्त कार्यवाही सम्बन्धी कार्यकलापों का लागत सम्बन्धी विश्लेषण तैयार कर लिया गया है।
xx. यह सुनिश्चित करना कि शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा (अनुबंध–4 में संलग्न **IRS Form- 004**) किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड रखे गए है और अनुबंध–3 के संलग्नानुसार इकाई लॉग **IRS Form - 003** में अनुरक्षित किए गए है।
xxi. **RO** अथवा **IC** द्वारा समनुदेशित कोई अन्य कर्तव्य करना।

5.2 Service Branch Director (SBD)
सेवा शाखा निदेशक

भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व

i. **Logistic & Finance Section Chief-L&FSC** के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करना और घटना प्रबंध के लिए सभी अपेक्षित सेवा सहायता का प्रबंध करना।

ii. **Communication Unit (CU), Medical Unit, Food Unit** जैसी शाखा की विभिन्न इकाइयों और किसी अन्य सक्रिय इकाई का प्रबधंन और पर्यवेक्षण करना।

iii. अपेक्षित सामग्रियों और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडरों से चर्चा करना और **Logistic & Finance Section Chief-L&FSC** के माध्यम से इसे अधिप्राप्त करना।

iv. **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार, कार्मिक, टीम, संसाधन, आदि का उचित रूप से भेजा जाना सुनिश्चित करना।

v. समनुदेशन सूची, यदि अपेक्षित हो, तैयार करना।

vi. समय—समय पर, **Logistic & Finance Section Chief- L&FSC** को सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करते रहना।

vii. सेवा शाखा की समस्या, यदि कोई हो, को सुलझाना।

viii. **IRS Form-004** (अनुबंध—4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सम्बद्व अनुभागों को भेजना।

ix. **IC** और **Logistic & Finance Section Chief- L&FSC** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.2.1 Communication Unit Leader (Com. UL)
संचार इकाई प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व

i. **Service Branch Director (SBD)** के निदेशानुसार कार्य करना।

ii. **Communication Facility** जब कमी अपेक्षित हो, उपलब्ध कराना।

iii. यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण चालू स्थिति में है और नेटवर्क कार्य कर रहा है।

iv. **Communication Unit** क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।

v. फील्ड में लगाए गए सभी संचार उपकरण का रिकॉर्ड रखना।

vi. घटना का कार्य समाप्त होने के पश्चात संचार इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण को वापस लेना। यह सुनिश्चित करना कि इसे उचित रूप से **Incident Demobilisation Plan (IDP)** से जोडा गया है।

vii. विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, यूनिटों और उच्च प्राधिकरणों से रेडियो, टलीफोन और अन्य संदेशों को प्राप्त करने और पारेषित करने के लिए संदेश केन्द्र की स्थापना को सुनिश्चित करना और उनके रिकॉर्ड को रखना।

viii. सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित खराबी की स्थिति में निष्पादन के लिए वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना। वैकल्पिक संचार नेटवर्क में वायरलेस, सैटेलाइट फोन, सेल फोन, **HAM** रेडियो आदि होगे।

ix. भारी आपदा के प्रबंधन के लिए गठित स्थानीय संचार सेटअप के साथ केंद्रीय टीमों (NDRF, सशस्त्र बल) के संचार सेटअपों के समेकन के लिए योजना तैयार करना जब वे कार्रवाई संबंधी कार्यकलापों में सहायता के लिए आती है।

x. पर्याप्त कर्मचारी (**Staff**) सहायता की मांग करना और उसे सुनिश्चित करना।

xi. यह सुनिश्चित करना कि संचार योजना **Incident Action Plan (IAP)** की सहायता कर रही है।

xii. **IDP** के अनुसार संचार केन्द्र की अलामबंदी करना।

xiii. **IRS Form-004** (अनुबंध–3 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों के रिकॉर्ड को रखना और उन्हें **Service Branch Director (SBD)** को भेजना।

xiv. **Service Branch Director (SBD)** या **Logistic & Finance Section Chief - L&FSC** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.2.2 (Medical Uuit Leader (MUL) चिकित्सा इकाई लीडर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. **Service Branch Director (SBD)** के निर्देशों के अधीन कार्य करना।

ii. चिकित्सा योजना तैयार करना और **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार अपेक्षित संसाधन प्राप्त करना, पीडितों को चिकित्सा सहायता और उनके परिवहन के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराना और इसका रिकॉर्ड रखना, और **Incident Response System(IRS) Form - 008** (अनुबंध–8) में दिया गया है, एम्बुलेंस सेवाओं, चिकित्सा कार्मिकों और पीडितों के परिवहन के लिए **Planning Section (PS)** से क्षेत्र का सडक–मार्ग का मानचित्र प्राप्त करना।

iii. **Service Branch Director (SBD)** और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** की सूचना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि के लिए **Operation Section (OS)** के अनुरोध पर कार्रवाई करना।

iv. ऐसे चिकित्सा कार्मिकों की सूची तैयार रखना जिन्हें आवश्यकता के समय काम पर लगाया जा सके।

v. घटना उदेश्यों को पूरा करने के लिए जब, कभी अपेक्षित हो, अधिक मानव संसाधनों की मांग करना।

vi. निर्देशित (**Referral**) सेवा केंन्द्रों की सूची तैयार करना और सभी चिकित्सा टीम लीडरों को परिचालित करना;

vii. **IRS** फॉर्म–004 (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Service Branch Director(SBD)** को भेजना ।

viii. **Service Branch Director (SBD)** और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.2.3 Food Unit Leader (FLU) खाद्य सामग्री प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तदायित्व

i. **Service Branch Director (SBD)** के निर्देशों के अधीन काम करना।

ii. **Service Branch Director (SBD)** के निर्देशों के अनुसार विभिन्न सक्रिय अनुभागों शाखाओं, इकाइयों और Incident Response Team (IRT) के समूहों को संसाधनों की आपूर्ति करना।

iii. क. **Incident Command Post (ICP), Camp, Incident Base, Staging Area(SA)** आदि के **Incident Response Team (IRT)** कार्मिकों और ख. अस्थायी शरण–स्थल, राहत कैम्प आदि के पीडितों को खाद्य आपूर्ति करना।

iv. सहायकों के लिए अनुरोध करना यदि कार्य काफी बड़ा हो जाता है। **Food Unit Leader (FUL), Service Branch Director L&*FSC)*** से इकाई को दो समूहों में– एक कार्मिको को और दूसरा पीडितों को खाद्य आपूर्ति के लिए अलग–अलग समूह बनाने का अनुरोध कर सकता है। **Incident Base, Relief Camp, Food & other Facility centres** को आपूर्ति करने के लिए परिवहन की मांग करना।

v. खाद्य और पेयजल की जरूरतें और उनके परिवहन का निर्धारण करना और **Service Branch Director (SBD) & Service Branch Director (L&FSC)** को जानकारी देना।

vi. संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की सूची तैयार रखना।

vii. इकाई क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना।

viii. **IRS Form-004** (अनुबंध–3 के साथ संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Service Branch Director SBD** को भेजना।

ix. **Service Branch Director (SBD)** और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.3 Support Branch Director (Sup. BD)
सहायक शाखा निदेशक

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और संसाधन व्यवस्था इकाई, सुविधा इकाई और स्थल सहायता इकाई के कार्य का पर्यवेक्षण करना।

ii. अनुभाग प्रमुख की सहमति से प्रचालनों के लिए अपेक्षित सामरिक सामग्री और संसाधन प्राप्त करना और प्रषित करना।

iii. **Logistic & Finance Section Chief (L&FS)** की योजना बैठक में भाग लेना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि शाखा से संबंधित संगठन समनुदेशन सूची उसके अधीन सभी इकाइयों को परिचालित की गई हैं।

v. सहायता शाखा के विभिन्न क्रियाकलापों का समन्वय करना।

vi. कार्य की प्रगति के बारे में **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** को सूचित करते रहना।

vii. अपनी इकाई की समस्या, यदि कोई है, का समाधान करना।

viii. **IRS Form-** 004 (अनुबंध–4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और संबद्व अनुभागों को भेजना।

ix. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.3.1 Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)– संसाधन प्रबन्धन इकाई लीडर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करना।
ii. कार्मिक, उपस्कर और आपूर्ति की आवाजाही को आयोजित करना।
iii. घटना कार्रवाई के लिए अपेक्षित आपूर्तियों को प्राप्त करना और सुरक्षित रूप से भंडारित करना।
iv. आपूर्तियों और उपकरण की माल–सूची तैयार करना।
v. उपकरण और कार्मिक सहित आपूर्तियों की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड रखना।
vi. टिकाऊ (**Non-expendable**) वस्तुओं की आपूर्तियों और उपस्कर की मरम्मत और सफाई–धुलाई कराना।
vii. **Logistic & Finance Section Chief (L & FSC)** की योजना बैठक में भाग लेना।
viii. उपलब्ध और प्रेषित वस्तुओं की आपूर्तियों की किस्म प्रकार और मात्रा को मॉनीटर करना।
ix. सक्रिय अनुभाग, शाखा, प्रभाग, इकाई और सहायता शाखा निदेशक की सूचना के अधीन **Incident Response System (IRS)** संगठन के समूहों से कार्मिक, आपूर्तियों और उपस्कर का अनुरोध प्राप्त करना और उन्हें भेजना।
x. यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की मांग करना। ऐसे सहायकों को संसाधन आदेश, संसाधन प्रापण आपूर्ति प्राप्त करना तथा औजार और उपस्कर अनुरक्षण जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्रियाकलापों के लिए तैनात किया जा सकता है।
xi. **Incident Response System (IRS) Form-004** (अनुबंध–4 के साथ संलग्न) के अनुसार किए गये विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना।
xii. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** या सहायता शाखा निदेशक द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

क. Resource ordering-in-charge संसाधन आदेश प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. **Resource Provisioning Unit Leader** को रिर्पोट करना।
ii. प्रापण और अनुमोदन हेतु संसाधनों की एक सूची तैयार करना।
iii निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से संसाधन आदेश देना।
iv **IRS** फॉर्म–004 (अनुबंध–4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Resource Provisioning Unit Leader** को भेजना।
v **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

ख. Resource Receiving & Distribution-in-charge
संसाधन प्राप्ति और संवितरण प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** को रिर्पोट करना।

ii. ऐसे सभी संसाधनों और सेवाओं जिनके आदेश दिए गए है, को प्राप्त करना और संवितरित करना।

iii आपूर्तिओं और उपकरण की सुपुर्दगी के लिए समय और स्थान की पहचान करना और सुनिश्चित करना।

iv सरकार के संबद्ध विभागों और अन्य स्रोतों से प्राप्त संसाधनों की पृथक सूची तैयार करना।

v आपूर्ति क्षेत्र का भौतिक खाका (फिजिकल लेआउट) तैयार करना।

vi आपूर्तियों और उपस्कर को प्राप्त करने और वितरित करने के लिए फाइल प्रणाली (फाइलिंग सिस्टम) विकसित करना और **Resource Provisioning Unit Leader** को सुचित करते रहना।

vii. सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को सुनिश्चित करना।

viii. आपूर्तियों की स्थिति और प्राप्त उपस्कर के बारे में संसाधन आदेश प्रभारी को सूचित करते रहना।

ix. **IRS Form**–004 (अनुबंध–3 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Resource Provisioning Unit Leader** को भेजना।

x **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

ग. Tool and Equipment Specialist
यन्त्र और उपकरण विशेषज्ञ

भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

i. **Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)** को रिपोर्ट प्रदान करना।

ii. सेवा का प्रर्यवेक्षण करना और सभी यन्त्र और उपकरण कि मरम्मत करना और Resource Provisioning Unit Leader (RPUL) को उनकी प्रास्थिति के बारे में सूचित करते रहना।

iii. **IRS Form - 004** (अनुबंध–4 में संलग्नक) के अनुसार किये गये कार्य विविध कार्य कलापों का रिकार्ड रखना और Resource Provisioning Unit Leader को भेजना।

iv. **Resource Provisioning Unit Leader(RPUL)** द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.3.2 Facilities Unit Leader (fac. UL)
सुविधा इकाई प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i & ii घटना संबंधी सुविधाओं अर्थात **Incident Base Camp, Relief Camp, IPC** आदि का खाका तैयार करना और उन्हें प्रारम्भ करना तथा कार्यवाहीकर्ताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

iii. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) को रिपोर्ट करना।

iv. **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार विभिन्न सुविधाओं का पता लगाना।

v. अनुभाग की योजना बैठक में भाग लेना **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के समन्वय से प्रत्येक सुविधाओं और उसकी जरूरतों की सूची तैयार करना।

vi. **Incident Base & Camp** आदि में सुविधाओं को मॉनीटर करने और प्रबन्ध करने के लिए अतिरिक्त कार्मिक सहायता, यदि अपेक्षित हो, मांग करना।

vii. **IRS Form -004** (अनुबंध–4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सहायता शाखा निदेशिक को भेजना।

viii. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

क. सुविधा इकाई लीडर (Facility Unit Leader) के अधीन अन्य प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

अपेक्षित वयवस्था के पैमाने और परिमाण के आधार पर सुविधा इकाई लीडर को विभिन्न सुविधाओं और उनकी सुरक्षा के अनुरक्षण के लिए अधीन अन्य प्रभारी को तैनात करने की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न अन्य प्रभारी और उनकी भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व इस प्रकार हैः–

ख. सुविधा अनुरक्षण प्रभारी (Facility Maintenance–in-charg)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. यह सुनिश्चित करना है कि सोने और आरम्भ करने की उचित सुविधाएं मुहैया कराई है;

ii. शौचालय, स्नान–गृह और स्वच्छता की व्यवस्था करके उन्हें उपलब्ध कराना।

iii. प्रकाश व्यवस्था (**Iighting arrangement**) बनाए रखना।

iv. **Incident Base Camp, Relief Camp, Incident Command Post(ICP)** आदि में सामान्य सफाई बनाए रखना।

v. **IRS Form-004** (अनुबंध–4 में संलग्न) के अनुसार किए जाने वाले विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सुविधा इकाई लीडर को भेजना।

vi. सुविधा इकाई लीडर **Food Unit Leader (FUL)** के निर्देशानुसार किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

ग. (Security-in-charge)
सुरक्षा प्रभारी

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. अपेक्षित स्थानों और राहत कैम्पों में कार्यवाहीकर्ताओं राहत सामग्री सहित उपलब्ध कराए गए संसाधनों की सुरक्षा उपलब्धता कराना;

ii. यथापेक्षित स्थानीय विधि प्रवर्तन (**Low enforcement**) अभिकरणों से संपर्क स्थापित करना।

iii. कार्य समनुदेशन को पूरा करने के लिए यदि अपेक्षा हो कार्मिक सहायता की मांग करना।

iv. घटना सुविधाओं के लिए सुरक्षा योजना समन्वय करना।

v. **IRS Form - 004** (अनुबंध–4 में सलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और सुविधा इकाई लीडर को भेजना।

vi. सुविधा इकाई लीडर द्वारा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.3.3 Ground Support Unit Leader (GSUL)

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. सहायता शाखा निदेशक (**Sub. Branch Director**) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना।

ii. **Transportation Branch Director (TBD)** को फील्ड प्रचालनों के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करना।

iii. हवाई प्रचालनों के सक्रिय होने की स्थिति में, **Transportation Branch Director (TBD)** के माध्यम से अपेक्षित स्थल सहायता करना और उपलब्ध कराना।

iv. उचित प्रक्रियाओं के अनुसार घटना प्रबंधन के लिए प्रयुक्त सभी वाहनों और संबद्ध उपकरण के लिए अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं उपलब्ध कराना और सहायता शाखा निदेशक और **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के माध्यम से संबद्ध सहवर्ती विभागों (**Line departments**) को सूचित करते रहना।

v. घटना यातायात योजना तैयार करना और लागू करना।

vi. सभी वाहनों और उपकरण की उपलब्धता और सर्विसिंग के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना।

vii. सहायता शाखा निदेशक के परामर्श के वायुयान सहित सभी परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना और उन्हें चालू करना।

viii. समनुदेशित, उपलब्ध और अनुरक्षित (ऑफ रोड) या खराब संसाधनों की सूची बनाए रखना।

ix. अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना।

x. **IRS Form** –004 (अनुबंध–4 में संलग्न के) अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकार्ड रखना और सहायता शाखा निदेशक को भेजना।

xi. सहायता शाखा निदेशक द्वारा यथाा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4 Finance Branch Director (FBD)
भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

वित्त निदेशक कारवाई प्रबंधन के सभी वित्तीय पहलुओं का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी है। वित्त शाखा को शीध्र और प्रभावी प्रापण के लिए **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के अधीन रखा गया है। सभी वित्तीय संव्यवहारों में सम्यक् सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। और उचित प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस शाखा के कार्यकरण के लिए वित्तीय नियमों के जानकार और अनुभवी कार्मिक का चयन करने में विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। वित्त शाखा निदेशक **Finance Branch Director (FBD)** की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैः–

i. **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** के अधीन कार्य करना।

ii. योजना बैठकों में भाग लेना।

iii. **Incident Action Plan (IAP)** के अनुसार जुटाए गए, प्राप्त किए गए या किराए पर लिए गए संसाधनों की सूची तैयार करना। वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना और अविलंब उनके प्रापण के लिए कदम उठाना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि भुगतान के लिए किराए पर लिए गए उपकरण, कार्मिक और उनकी सेवाओं के समय संबंधी रिकॉर्ड (टाइम रिकॉर्ड) सरकारी मानकों के अनुसार ठीक–ठीक बनाए रखे गए हैं।

v. सम्पूर्ण कार्यवाही क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत आलमबंदी और लगने वाली लगत का विश्लेषण है, अंतरग्रस्त लागत की जांच करना और समीक्षा करना;

vi. यह सुनिश्ति करना कि घटना के समय वहाँ एकत्रित सभी अनिवार्य दस्तावेजों को उचित रूप से तैयार और पूरा किया गया है तथा इन्हें समुचित अनुभाग प्रमुख और **Branch Director (BD)** द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया है।

vii. ध्यान दिलाए गए हेतु आवश्यक संबद्ध वित्तीय मुद्दों से संबंधित सभी घटना के बारे में या अनुवर्ती करवाही के बारे में **Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** या **Incident Commonder (IC)** को ब्रीफ करना।

viii. **IRS Form**–004 (अनुबंध–4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों के रिकार्ड रखना और सम्बद्व अनुभागों को भेजना।

ix. **Logistic & Finance Section Chief L&FSC** और **Incident Commonder (IC)** द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4.1 Time Unit Leader (TUL)
समय प्रबन्धन इकाई लीडर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. किराए पर लिए गए उपकरण और कार्मिक के समय का रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित करना कि इसे दैनिक आधार पर और सरकारी मानकों के अनुसार अनुरक्षित किया जाए।

ii. किराए पर लिए गए सभी उपकरण और कार्मिक का उनके इष्टतम उपयोग से संबधित लॉगबुक की जॉच करना।

iii. यह सुनिश्चित करना कि किराए पर लिए गए संसाधनों की आलमबंदी के पूर्व के सभी रिकार्ड सही और पूरे है।

iv. बकाया मुद्दों और अपेक्षित किसी अनुवर्ती कारवाई पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं से **Finance Branch Director (FBD)** को परिचित कराना।

v. सहायता के लिए मानव संसाधन यदि अपेक्षित हो, की अतिरिक्त सहायता की मांग करना।

vi. **IRS Form**–004 (अनुबंध–4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Finance Branch Director (FBD)** को भेजना।

vii. **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4.2 Procurement Unit Leader (PUL)
खरीद/प्राप्त ईकाई लीडर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

i. विक्रेताओं और संविदाओं (ठेकों) से संबंधित सभी वित्तीय मामलों का काम देखना।

ii. **Finance Branch Director (FBD)** के परामर्श से प्रापण आवश्यकताओं की समीक्षा करना।

iii. ऐसे विक्रेताओं **(Vendors)** की सूची तैयार करना जिनसे प्रापण किया जा सकता है और उचित प्रक्रियाएं अपनाना।

iv. यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रापण आदेशों की समय से डिलीवरी हो जाए।

v. यथापेक्षित पेशगी निधि **(Imprest Fund)** के उपयोग के लिए एफ.बी.डी. के साथ समन्वय करना।

vi. कारवाई प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों की अंतिम निपटान प्रक्रिया को पूरा करना और **Finance Branch Director (FBD), Logistic & Finance Section Chief (L&FSC)** और **Incident Commonder (IC)** के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना।

vii. बकाया मुद्दों और अनुवर्ती अपेक्षाओं पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं से **Finance Branch Director (FBD)** को परिचित कराना।

viii. **IRS Form**–004 (अनुबंध –4 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और Finance Branch Director (FBD) को भेजना।

ix. **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4.3 Compensation /Claims Unit Leader (Com./CUL)
प्रतिपूर्ति / दावा ईकाई लीडर

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 65 और 66 प्रतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान करती हैं। आपदा कारवाई और बचाव अभियान, आदि के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत परिसर, किराये पर ली गई सेवा, संसाधनों और वाहनों के लिए भी भुगतान किया जाना होता है। सरकार को नुकसान के स्वरूप और परिणाम के आधार पर अनुग्रह राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

बाढ़ सूखा आदि जैसे विभिन्न परिदृश्यों में हानि की मात्रा निर्धारित करने के लिए कुछ मापदण्ड (**Benchmarks**) हैं। जहाँ कुछ राज्यों के पास ऐसे प्रयोजनों के लिए अपने निजी मानक हो सकते हैं। वहीं भारत सरकार ने भी **Calamity Relief Fund (CRF)** मानक निर्धारित किए हैं, जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि घटना ऐसी है कि प्रतिपूर्ति और दावे से संबंधित भुगतान करने की अपेक्षा हो सकती हैं। वहां **Responsible Officcer (RO)** के परामर्श से **Incident Commonder (IC)** प्रतिपूर्ति / दावा इकाई को सक्रिय करेगा और **Calamity Relief Fund (CRF)** मापदण्ड के सुसंगत सरकारी मानकों और निर्देशों के प्रावधान के अनुसार जीवन और संपत्ति आदि की हानि के आंकडे एकत्रित करने और संकलित करने के लिए एक लीडर नियुक्त करेगा। ऐसे मामलों में लीडर को, ऐसी क्षति जो हुई है के फोटोग्राफ लेने की सलाह दी जानी चाहिए और मृत पीड़ितों और पशुओं के फोटोग्राफ भी लिए जाने चाहिए। वह अधिगृहित परिसरों, सेवाओं और किराए पर लिए गए संसाधनों के भी ब्यौरे आगे आवश्यक आदेश और भुगतान के लिए आई.सी. के माध्यम से **Responsible Officcer (RO)** को भेजे जाने चाहिए। प्रतिपूर्ति / दावा इकाई लीडर की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:–

i. सभी लागत संबंधित आंकडा संगृहित करना और लागत अनुमान उपलब्ध कराना।

ii. ऐसे अधिग्रहण की सही तारीख और समय के साथ अधिगृहीत परिसर, सेवा, संसाधन और वाहन, आदि की सूची तैयार करना और उसका अनुरक्षण करना।

iii. दावे तैयार करने और प्रतिपूर्ति के लिए समुचित प्रकियाओं का पालन करना।

iv. अतिरिक्त मानव संसाधन, यदि अपेक्षित हो, की मांग करना।

v. **IRS Form**–004 (अनुबंध–3 में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलापों का रिकॉर्ड रखना और **Finance Branch Director (FBD)** को भेजना।

vi. **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथा समनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना।

5.4.4 Cost Unit Leader (CUL)
लागत इकाई लीडर

भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व

Cost Unit Leader-CUL (लागत इकाई लीडर) सभी लागत संबंधी आंकडे एकत्रित करने और लागत अनुमान उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। कार्यवाही की समाप्ति पर लागत इकाई लीडर लागत–किफायत (**Cost effectiveness**) विश्लेषण उपलब्ध कराता है। **Cost Unit Leader-CUL** (लागत ईकाई लीडर) की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:–

i. लागत विश्लेषण रिर्पोट के आधार पर **Finance Branch Director (FBD)** के परामर्श से घटना पर कारवाई संबंधी लागत का सार बनाना।

ii. **Finance Branch Director (FBD)** को लागत–बचत सिफारिशें करना।

iii. आलमबंदी के पूर्व वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूरे करना।

iv. **IRS Form**–004 (अनुबंध–3में संलग्न) के अनुसार किए गए विविध कार्यकलाप का रिकार्ड रखना और Finance Branch Director (FBD) को भेजना।

v. **Finance Branch Director (FBD)** द्वारा यथासमनुदेशित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना ।

5. संसाधन का सार				
आदेशित संसाधन	स्रोत	*ETA* (पहुंचने का संभावित समय)	तैनाती का स्थान	समनुदेशन (सौपे गए कार्य)

द्वारा तैयार (नाम और पद)
हस्ताक्षर

अनुबन्ध–1

घटना की सूचना देना– *IRS Form -01*

पर्याप्त स्थान न होने पर प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत एक पृथक पत्र (शीट) संलग्न करें

1.	घटना का नाम
2.	मानचित्र (प्रस्तावित स्थल का विवरण दें)
	तैयार करने की तिथि– तैयार करने का समय–
3.	**वर्तमान कार्यवाहीयों का सार**
	पहले ही की जा चुकी
ख.	**की जाने वाली कार्यवाही**
ग.	**संसाधन और जनशक्ति की लामबंदी (उनका जुटाया जाना) सहित कार्यवाही में आई कठिनाइयां, यदि कोई हों**

अनुबन्ध–2

घटना प्रास्थिति सार *Incident Status Summary (ISS)– IRS Form -02*

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

1. घटना का नाम	2. *IRT* का नाम	3. प्रचालन अवधि	4. तैयार किया गया तिथि : समय :
4. *Incident Commander (IC)* का नाम		5. फोन सं	

6. वर्तमान स्थिति (हताहतों की संख्या)

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)			
स्थान	जख्मी	उपचार किया गया	छुट्टी दी गई	रेफर किया गया मरीज(स्थान के साथ अस्पताल का उल्लेख करें)	मृत	पहचान किए गए और अंतिम संस्कार किए गए/दफनाए गए शव	अज्ञात शव

7. अवसंरचना की प्रास्थिति–सही का निशान अंकित करें

	(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1	अवसंरचना	क्षतिग्रस्त नहीं हुए	आंशिक क्षतिग्रस्त	पूर्णतः क्षतिग्रस्त
2	सड़क			
3	रेल			
4	हवाई अड्डा			
5	जलापूर्ति			
6	बिजली आपूर्ति			
7	संचारनेटवर्क			
8	सामुदायिक/महत्वपूर्ण संरचना			
9	निवास			
10	अन्य (उल्लेख करें)			

8. खतरा, यदि कोई हो, जो घटना की भीषणता बढ़ा सकता है, का उल्लेख करें

9. कार्यवाई हेतु तैनात किए गए संसाधनों का ब्यौरा

(क)	(ख)				(ग)		(घ)
स्थान	संसाधन				संलिप्त ई.एस.एफ.		गतिविधियां
	मानव संसाधन	उपकरण			सरकारी	गैर–सरकारी	
		स्वरूप	प्रकार	मात्रा			

10. अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता

(क)			(ख)
संसाधनों का विवरण			लामबंदी का स्रोत
स्वरूप	प्रकार	मात्रा	

11. टिप्पणीयॉं, यदि कोई हों

12. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम

अनुबन्ध–3

यूनिट लॉग– *IRS Form* – 03

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

1. घटना का नाम	2. अनुभाग का नाम	3. प्रचालन अवधि	4. तैयार किया गया तिथि : समय :	
5. इकाइयों का नाम	6. संसाधनों के साथ सौंपा गया कार्य	7. स्थान का नाम	8. कार्य की प्रास्थिति	
			(क)	(ख)
			पूरा किया गया	अधूरा है
9. दुर्घटना/घटना/मौसम संबंधी स्थितियां जिनसे घटना की भीषणता बढ़ सकती है, का उल्लेख करें				
(क)	(ख)	(ग)		
समय	स्थान	की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित		
10. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम				

अनुबन्ध–4

किये गए कार्यकलापों का रिकार्ड– *IRS Form* – 04

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

<table>
<tr><td rowspan="3">1. घटना का नाम</td><td rowspan="3">2. प्रचालन अवधि</td><td>3. तैयार किया गया</td></tr>
<tr><td>तिथि :</td></tr>
<tr><td>समय :</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. नाम–
....
....
अनुभाग ....
शाखा/प्रभाग/इकाई ....</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. सुविधाओं का नाम जहॉं (आई.सी.पी/घटना/बेस/कैंप/राहत कैम्प/स्टेजिंग एरिया/चिकित्सा कैंप/हेलीबेस/हैलीपैड/कोई अन्य) जहां प्रभाग या इकाई (सही स्थान के साथ उल्लेख करें) तैनात की गई</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">6. सौपा गया कार्य</td><td colspan="2">7. कार्य की प्रास्थिति (सही का निशान अंकित करें)</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>(ख)</td></tr>
<tr><td></td><td>पूरा किया गया</td><td>अधूरा है</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">8. कार्यवाही के दौरान घटना/दुर्घटना और की गई कार्यवाही</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>(ख)</td></tr>
<tr><td>घटना/दुर्घटना (यदि कोई हो उल्लेख करें)</td><td>की गई कार्यवाही</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">9. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम
(नाम, पदनाम और अनुभाग का उल्लेख करें)

(अनुभाग के सभी कार्यवाहीकर्ताओं द्वारा तैयार)</td><td>10. प्रेषण :
तिथि ....
समय ....</td></tr>
<tr><td>11. प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर</td></tr>
</table>

अनुबन्ध–5

संगठन समनुदेशन की सूची–आई.आर.एस. फार्म–005

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

यह समनुदेशन सूची आई.ए.पी. के अनुसार तैयार की जाएगी और संबधित अनुभाग प्रमुखों द्वारा प्रत्येक प्रचालन अवधि की शुरूआत में सभी कार्यवाही कर्ताओं और पर्यवेक्षण स्टाफ के बीच परिचालित किया जाएगा

1. घटना का नाम	2. प्रचालन की अवधि	3. तैयार किया गया
		तिथिः
		समयः
4. अनुभाग का नाम, जो कार्य सौंपा गया..		
5.संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी का नाम		
6 कार्यवाही कर्ता का नाम		
7. सौंपे गए कार्य की सूची–		
(क)____________________		
(ख)____________________		
(ग)____________________		
(घ)____________________		
(ङ)____________________		
(च)____________________		
(छ)____________________		
(ज)____________________		
(झ)____________________		
8. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम		9. अनुमोदनकर्ता

अनुबन्ध–6

घटना चेक–इन एवं तैनात अधिकारियों की सूची – IRS Form–06

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

1. घटना का नाम ______________	2. अनुभाग/शाखा/प्रभाग/ इकाई और सुविधा का नाम ______________	3. प्रचालन की अवधि ______________	4. तैयार किया गया तिथि : समय :

5. संसाधन चैक–इन की सूचना			6. लामबंदी का स्रोत		7. चेक–इन		8. संसाधनों की प्रास्थिति				
(क)	(ख)		(क)	(ख)	(क)	(ख)	(क)	(ख)	ग	घ	ड
कार्मिक	उपक्रम		सरकारी	निजी	तिथि	समय	संकाय में अभी कार्यरत हो	बेकार/मरम्मत के लिए/ अनुरक्षण	तैनाती का स्थान (उल्लेख करें)	तिथि	समय
	प्रकार	किस्म					सही का निशान लगाएं				

9. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम..

अनुबंध–7

ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची–आई.आर.एस. फार्म–007
(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

इसे सभी अनुभागों द्वारा तैयार किया जाएगा और आर.ओ. को आई.सी. के मार्फत भेजा जाएगा

1. घटना का नाम	2. अनुभाग/शाखा/प्रभाग/इकाई का नाम (उल्लेख करें)	3. प्रचालन की अवधि	4. तैयार किया गया तिथि : समय :

क्र. सं.	5. अधिकारी का नाम	6. सामान्य अवधि में पदनाम	7. फोन नं./ई–मेल आई.डी.	8. घटना के लिए आई.आर.एस. की स्थिति	9. तैनाती का स्थल	10. संपर्क ब्यौरे के साथ कैंप का स्थान	11. कोई अन्य सूचना

12. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	13. अनुभाग प्रमुख के हस्ताक्षर	14.प्रेषण	
		तिथि :	
		समय :	

अनुबंध – 8

चिकित्सा योजा– IRS Form –08

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

1. घटना का नाम	2. प्रचालन की अवधि	3. तैयार किया गया	4. स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा सहायता शिविरों की कुल संख्या
		तिथिः	
		समयः	

4.1 क्र.स.	4.2 स्थान	4.3 चिकित्सा शिविर के लिए उपलब्ध संसाधन							
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)		(ड)		(च)
		चिकित्सा अधिकारियों की संख्या	पैरामेडिक्स स्टाफ (कर्मचारियों) की संख्या	अन्य (ए.एन.एम. और प्रशिक्षित स्वयं सेवक) उल्लेख करें	जीनव रक्षक दवाएं/उपकरण		रेफरल सेवाएं और रक्त बैंक की सुविधाए		कोई अन्य (उल्लेख करें)
					हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	

5. ऐम्बुलेंस सेवाओं की प्रास्थिति				6. निरन्तर चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता (संख्या में निर्दिष्ट करें)										
(क)	(ख)	(ग)		6.1 सरकारी					6.2 निजी					
ऐम्बुलेंस सेवा प्रदाता का नाम	पता और संपर्क सं.	पैरामेडिक्स संख्या		(क) स्थान	(ख) उपकेन्द्र	(ग) पीएचसी	(घ) अस्पताल	(ड) चिकित्सा कॉलेज	(क) स्थान	(ख) क्लिनिक	(ग) नर्सिंग	(घ) अस्पताल	(ड) चिकित्सा कॉलेज	(च) आर. एम.पी.

7. ऐम्बुलेंस सेवा बीच परिचालित क्षेत्र का मानचित्र		8. निकटवर्ती रेफरल चिकित्सा सुविधाएं		
(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)
हॉ	नही	स्थान	पता	विशेषज्ञता

9. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम (चिकित्सा यूनिट)	10. द्वारा अनुमोदित

अनुबंध – 9

संचार योजना (Communication Plan)–IRS Form–09

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

1. घटना का नाम	2. प्रचालन की अवधि	4. तैयार किया गया तिथि : समय :

3. स्थानों की सूची जहाँ संचार उपलब्ध है

(क)	(ख)	(ग)		(घ)								
				संचार व्यवस्था का प्रकार								
स्थान का नाम	संगठन	बैकअप विद्युत आपूर्ति की जरूरत		बेतार			टेलीफोन			हैम रेडियो	वेब	
		हॉ	नही	एच.एफ.	वी.एच.एफ.	मोर्स	लैंड लाईन	मोबाइल	उपग्रह		ई–मेल	स्काइप

4. स्थानों की सूची जहाँ संचार स्थापित करना है

(क)	(ख)	(ग)		(घ)		(ङ)								
स्थान का नाम	उत्तरदायी संगठन	बैकअप विद्युत आपूर्ति की जरूरत		कार्मिकों की आवश्यकता (यदि जरूरी हो तो संख्या का उल्लेख करें)		संचार व्यवस्था का प्रकार								
						बेतार			टेलीफोन			हैम रेडियो	वेब	
						एच. एफ.	वी.एच. एफ.	मोर्स	लैंड लाईन	मोबाइल	उपग्रह		ई– मेल	स्काइप
		हॉ	नहीं	हॉ	नही									

5. खराब यंत्रों की मरम्मत और उन्हें बदलने की सुविधाएं	6. भंडार में उपलब्ध यंत्र (संख्या, स्वरूप और प्रकार का उल्लेख करें)
7. स्थानीय संगठन (थल सेना/एन.डी.आर.एफ. एस0डी0आर0एफ0 इत्यादि) के साथ अंतर–संगठन संचार सुविधओं के समेकन हेतु नेटवर्किंग योजना रिपीटर अथवा रिले स्थापना की आवश्यकता है अथवा नही।	8. पर्यवेक्षण और अनुरक्षण हेतु परिवहन जरूरतें

9. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम–

अनुबंध–10

अलामबंदी योजना (Demobilisation Plan)- IRS Form–010

(प्रमुख घटक)

पर्याप्त स्थान न होने पर एक पृथक पत्रक (शीट) संलग्न करें

1. घटना का नाम	2. अलामबंद किया जाने वालाअनुभाग/शाखा/प्रभाग/ इकाई (उल्लेख करें)			3. प्रचालन की अवधि		4. तैयार किया गया तिथि : समय :	
5. कार्यवाहीकर्ता का नाम/ अलामबंद किये जाने वाले संसाधनों का ब्योरा	6. स्थान जहां अलामबंदी की जायेगी	7. तिथि और समय	8. परिवहन का प्रकार	9. मार्गस्थ गंतव्य यदि कोई हो	10. अंतिम गंतव्य एवं एजेन्सी का नाम जिसे लौटाया जाना है।	11. अंतिम गंतव्य एजेन्सी को अधिसूचित किया गया या नहीं	
						हाँ	नहीं
12. खराब पडे उपकरण और बीमार कार्मिको के लिए अलामबंदी							
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	(छ)	
बीमार कर्मी/खराब पडे उपकरणों के नाम	स्थान जहां अलामबंदी की जायेगी	तिथि और समय	परिवहन का प्रकार	मार्गस्थ गंतव्य यदि कोई हो	अंतिम गंतव्य एवं एजेन्सी का नाम जिसे लौटाया जाना है।	अंतिम गंतव्य एजेन्सी को अधिसूचित किया गया या नही	
						हाँ	नही

13. तैयार करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम ______________________ 15. जारीकर्ता

______________________ 14. अनुमोदनकर्ता ______________________

Incident Response Team-IRT (Incident Response System) Distt. Tehri Garhwal

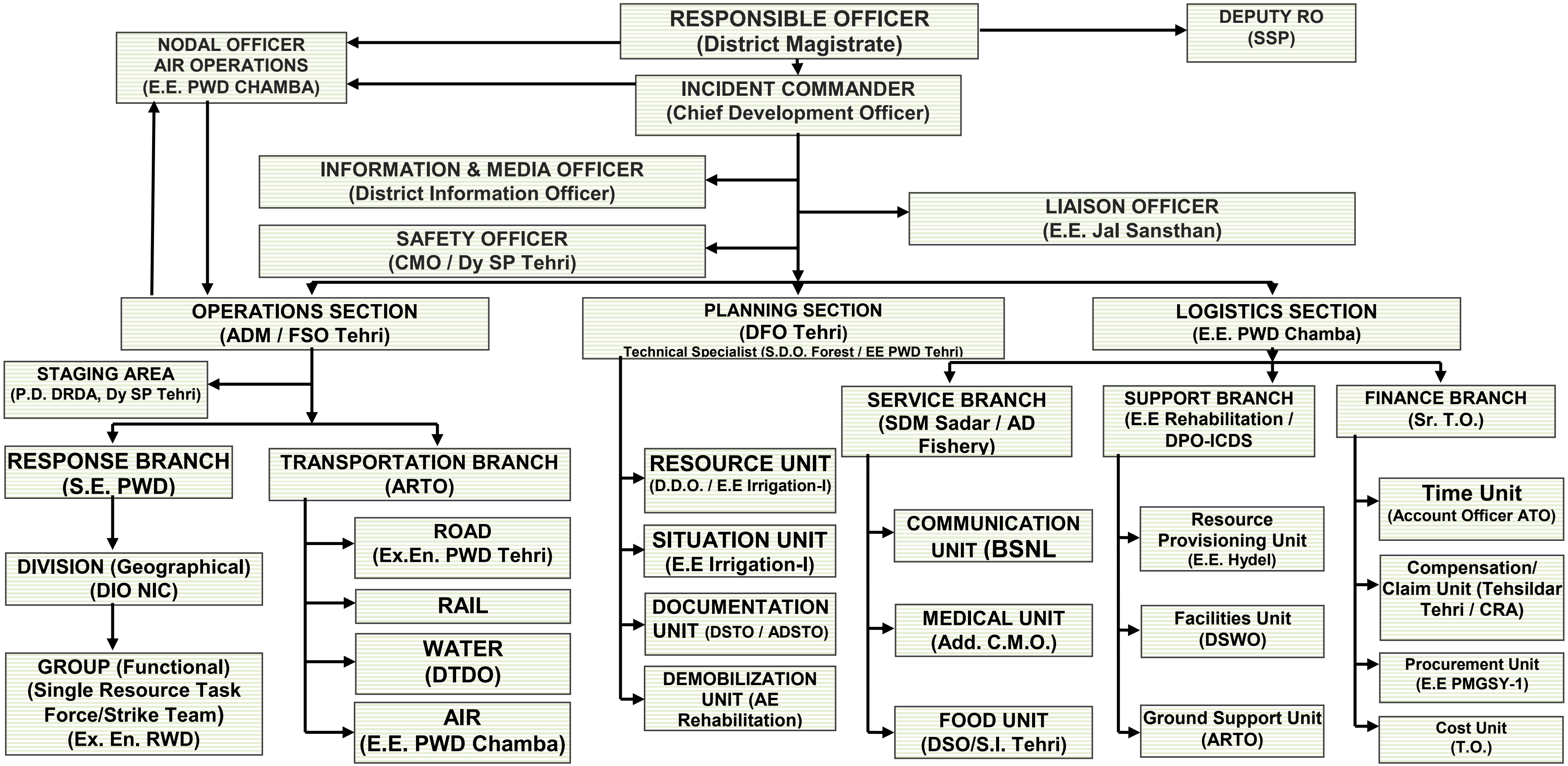

Disaster Management -Tehri Garhwal
Incident Response System (IRS)-Incident Response Team-IRT

S.n.	Designation	Name Of Officer	Mob. Number	Landline Number	Fax Number
1	**District Magistrate/Responsible Officer**	Dr. V.Sanmugham DM residency New Tehri	9458997766	01376-232092 (O) 01376-232040 (R)	01376-232233
2	Deputy **Responsible Officer (SSP)**	Mr. Yogendra Rawat SP residency New Tehri	9411114544	01376-232162(O) 01376-232399(R)	01376-232162
3	**Chief Development Officer/ Incident Commander**	Mr.Abhisekh Ruhela CDO residency New Tehri	9412018088	01376-232603(O) 01376-232322(R)	01376-232603
4	Liaison Officer **(E.E. Jal Sansthan)**	Mr. Satish Nautiyal D-Block 5/3	9410071076	01376-232154(O) 01376-232175(R)	01376-232154
5	Nodal Officer (Air Operation) **(E.E. PWD Chamba)**	Mr. N.S. Kholiya PWD Colony Chamba	7895455269	01376-254062(O) 01376-254061(R)	01376-254062
6	Information & Media Officer **(D.I.O.)**	Km. Janki	7055007018	01376-232231(O)	01376-232231
7	Safety Officer **(C.M.O, Anaesthetist Distt. Hospital, Supported By Anaesthetist Distt. Hospital, Dy SP Tehri)**	Dr. Meenu Rawat CMO Awas Near All Sent School New Tehri	9411362810	01376-232093(O) 01376-232055(R)	01376-232093
		Dr. Sandeep Singh Pangti Distt. Hospital Colony Borari	9412977766	01376-232093(O)	01376-232093(O)
		Dr.Shayam Vijay PHC Pilkhi	9720658690	01376-232093(O)	01376-232093(O)
		Mr. Dhan Singh Tomar	9411112776	01376-232162(O)	01376-232399
8	Operation Section **(Additional District Magistrate, FSO Tehri)**	Mr. Shiv Charan Dwivedi B-Block 2/3 New Tehri	9411188666	01376-233992 01376-232333	01376-233992
		Mr. Birbal Singh	8979065186	01376-233611	
9	Staging Area **(Project Director DRDA, Dy SP Tehri)**	Mr. Bharat Bhatt Puld House Colony New Tehri	8449994000 9412352165	01376-232150	01376-232150

		Mr. Dhan Singh Tomar	9411112776	01376-232162(O)	01376-232399
10	Response Branch **(S.E. PWD New Tehri)**	Mr. Narendra Pal Singh Inspection hall PWD New Tehri	9412435659 8604234522	01376-232073(O) 01376-232086(R)	01376-232073
11	Division (Geographical) **(D.I.O.- NIC)**	Mr. Sourabh Raturi D-Block Type-4 New Tehri	9458150733	01376-232059	01376-232059
12	Group Functional (Single Resource Task Force/Strike Team) **(Ex.En. RWD)**	Mr. Yuraj Singh Govt. Clony New Tehri	9639333569	01376-232152	
13	Transportation Branch **(ARTO)**	Mr. Niklesh Kumar B-Block 8/1 New Tehri	9411035573	01376-233623	01376-233623
14	Road **(E.E. PWD Tehri)**	Mr. K.S. Negi D-Block 5/4 New Tehri	9411154657 7500340747	01376-233312(O) 01376-233317(R)	01376-233312
15	Rail	-	-	-	-
16	Water **(DTDO)**	Mr. Suresh Singh Yadav B-Block 11/8 New Tehri	9412998518	01376-227059	01376-227059
17	Air **(E.E. PWD Chamba)**	Mr. N.S. Kholiya PWD Colony Chamba	7895455269	01376-254062(O) 01376-254061(R)	01376-254062
18	Planning Section **(DFO Tehri)**	Dr. Koko rose DFO Awas Near Picnic Spot N.T.	9639422628 9412076133	01376-232077(O) 01376-232078(R)	01376-232077
19	Technical Specialist **(SDO Forest)**	Mr. Aasish Dimari चार्ज में	9411135887	01376-232077	
	(E.E. PWD Tehri)	Mr. K.S. Negi D-Block 5/4 New Tehri	9411154657 7500340747	01376-233312(O) 01376-233317(R)	01376-233312
20	Resource Unit **(District Development Officer)**	Mr. Anand Singh	9411735051	01376-232150(O) 01376-232667(R)	01376-232150
	(Ex.En. Irrigation-I)	Mr. Bijendra Kumar	9634069999	01376-232072	

21	Situation Unit **(Ex.En. Irrigation-I)**	Mr. Bijendra Kumar	9634069999	01376-232072	
22	Documentation Unit **(DSTO,**	Mr. Nirmal Kumar shah	8449066660	01376-232075	
	ADSTO)	Miss. Ritu Negi Block-C/2 Type-3	9719077340	01376-232075	
23	Demobilization Unit **(AE Rehabilitation)**	Rakesh Kumar 5/2 9B Exitention Borari	9897244302	01376-232429	
24	Logistics Section **(E.E. PWD Chamba)**	Mr. N.S. Kholiya PWD Colony Chamba	7895455269	01376-254062	01376254061
25	Service Branch **(SDM Sadar)**	Mr. Phincha Ram Chauhan B-Block 2/3 New Tehri	9411181108	01376-232520	01376-232520
	(AD Fishery)	Smt. Alphana Haldiya	8126981281		
26	Communication Unit **(AGM BSNL Head)** **(ARO)**	Mr. Balwant Singh Negi BSNL Colony Near Collector office Type 4 No.1	9412077666	01376-233777	01376-233777
		Mr.Vipin kumar	8477053150	01376-234500	01376-234500
27	Medical Unit **(Additional C.M.O.)** **(Anaesthetist Distt. Hospital)**	Mr. Manoj Kumar Verma Distt. Hospital Colony Borari	9634242111	01376-232093	01376-232093
		Dr. Sandeep Singh Pangti Distt. Hospital Colony Borari	9412977766	01376-232093(O)	01376-232093(O)
28	Food Unit **(D.S.O / S.I. Tehri)**	Mr. Dinesh Lal Muyala	9411502361	01376-232160	01376-232160
		Mr. Sunil Badhoni	9411370249	01376-232160	01376-232160
29	Support Branch **(E.E. Rehabilitation)**	Mr.Parshidh Narayan Ray 13-6/4 NTT	9412901945	01376-232429	
	(DPO-ICDS)	Mr. Sandeep Arora D-Block 8/3 New Tehri	9808244742	01376-232213	
30	Resource Provisioning Unit **(E.E. Hydel)**	Mr. Rakesh Kumar	9412078666	01376-233117	01376-233117
31	Facilities Unit **(DSWO)**	Mr. Avinash Bhadoriya C-Block 2/1 New Tehri	7579218617	01376-232130	
32	Ground Support Unit **(ARTO)**	Mr. Niklesh Kumar B-Block 8/1 New Tehri	9411035573	01376-233623	01376-233623
33	Finance Branch **(Senior Treasury Officer)**	Mr. Romil Chaudhary G Block -28 Sector 2 Vidhi Vihar	9411291568 7060108577	01376-232237	01376-232237

34	Time Unit **(Account Officer ATO)**	Mr. Bhagat Singh Pundir	9412960365	01376-232237	01376-232237
35	Compensation/Claim Unit **(Tehsildar Sadar)**	Mr. Yasveer Rawat	9690803057	01376-232520	01376-232520
	(CRA Tehri)	Mr. Rajendra Prasad Uniyal E-Block Type 2 New Tehri	9456555549	01376-233433	01376-233433
36	Procurement Unit **(E.E PMGSY-I)**	Mr. Sanjay Srivastav K-7Y/3 New Tehri	9411502025	01376-234594	
37	Cost Unit **(Treasury Officer)**	Mr. Balakram D-Block 3/3 New Tehri	9219736164 7060108586	01376-227267	01376-227267

भाग–3

आपदा प्रवृत्ति, उपलब्ध संसाधन, संस्थागत उपाय

विशिष्ट आपदा प्रवृत्ति

जनपद की तहसील घनसाली एवं तहसील नरेन्द्रनगर सर्वाधिक आपदान्मुख क्षेत्र है। तहसील घनसाली के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में प्रायः भूस्खलन होता रहता है। तहसील नरेन्द्रनगर के एक भाग ढ़ालवाला एवं शीशमझाड़ी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तहसील टिहरी में चम्बा व खाड़ी के मध्य प्रायः सड़क दुर्घटनायें घटित होती रहती है।

भूकम्प

जिला टिहरी भूकम्प के जोन IV व V में आता है। तहसील घनसाली पूर्ण तथा तहसील देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर का कुछ हिस्सा भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन V में आता है। भूकम्प एक ऐसी दैवी आपदा है जिसका कोई पूर्वानुमान लगाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद में वर्ष–1991 में व वर्ष–1999 में आये भूकम्प के कारण जनहानि/पशुहानि के साथ–साथ आवासीय निजी भवनों, सरकारी भवनों एवं अन्य सार्वजनिक परिसम्पतियों की भारी क्षति हुई है। सार्वजनिक परिसम्पतियों के अन्तर्गत अनावासीय भवन, सड़क, पुल, पैदल मार्ग, नहरें, पेयजल योजनायें, विद्युत, टेलीफोन लाइनें आदि की अपार क्षति हुई है। अनुभव किया गया है कि ऐसी आपदा घटित होने पर जनपद में संचार व्यवस्था अधिकांशतः भंग हो जाती है। वैसे भी जनपद में संचार सेवाओं की बहुत कमी है। तहसीलों, उप तहसीलों में टेलीफोन हैं। भूकम्प जैसी भीषण आपदा घटित होने पर आपदा प्रभावित क्षेत्र में तैनात राजस्व अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को बिना किसी विलम्ब के उच्चाधिकारियों को आपदा की सूचना सुलभ साधनों से भेजन हेतु तहसील/उपतहसीलों में व्यवस्थायें की गई हैं। इनमें क्रमशः उपजिलाधिकारी व तहसीलदार नोडल अधिकारी हैं।

- वर्ष– 1991(20 अक्टूबर) भूकम्प से 63 व्यक्तियों एवं 71 पशुओं की मृत्यू हुई तथा लगभग 70 हजार भवन पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।
- इस जनपद में पुनः दिनांक 28/29 मार्च, 1999 को भूकम्प आया जिससे 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 72 व्यक्ति घायल हुए तथा 18 पशुओं की मृत्यु हुई। जनपद में 70100 भवन पूर्ण / आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।
- दिनांक–24 जून, 2015 को जनपद क्षेत्रान्तर्गत उत्तरकाशी सीमा के समीप हल्की तीव्रता का भूकम्प आया, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई।
- इसके अतिरिक्त 25–26 अप्रैल व 12 मई 2015 को पड़ोसी देश नेपाल में भूकम्प के तीव्र झटके आये, जिससे अनुमानतः नेपाल में 8000 लोगों की मृत्यु तथा करोड़ों रूपये की सम्पत्ति की क्षति हुई।

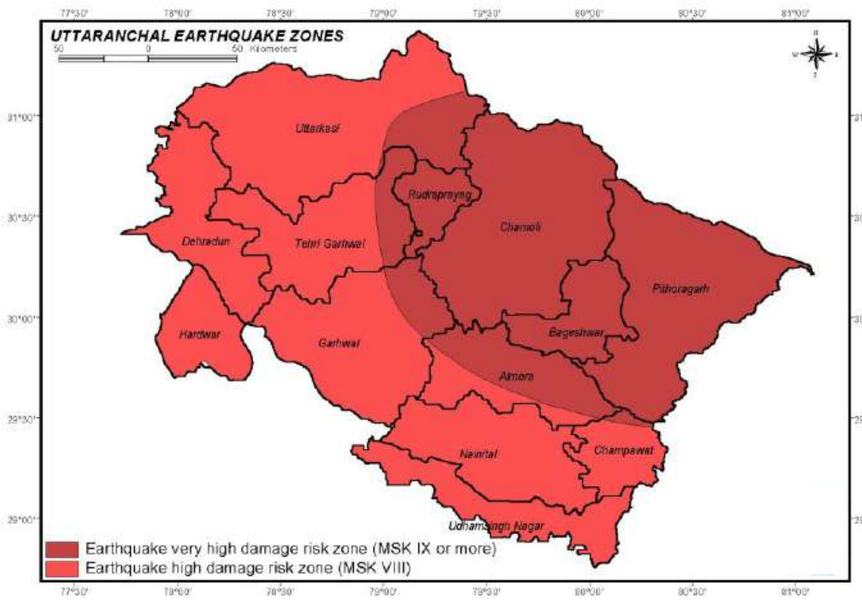

Disclaimer: This map was collated based on the data/information compiled by the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation. UNDP has not verified the accuracy of information of the Map
Source: BMTPC, India

बाढ़

जनपद के अन्तर्गत बहने वाली मुख्य नदियां भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा एवं कुछ भाग में बहने वाली यमुना नदी का जलस्तर आवादी वाले क्षेत्रों से काफी नीचे है और अधिकतर इन नदियों के बाढ़ के खतरे की कोई सम्भावना नहीं रहती है। गंगानदी से मुनि की रेती क्षेत्र में स्थित शीशमझाड़ी नामक स्थान को बाढ़ के खतरे की सम्भावना बनी रहती है परन्तु वहां अब सिंचाई विभाग द्वारा आवादी की ओर तटबंध बनाये गये हैं जिससे गंगानदी की बाढ़ से इस क्षेत्र को कोई क्षति होने की सम्भावना कम रहेगी। मुनिकीरेती के ढ़ालवाला क्षेत्र में बर्षाती नदी से लगभग हर वर्ष क्षति होती है यद्यपि इस वर्षाती नदी से कोई जनहानि अब तक नहीं हुई है, परन्तु नदी के तटपर बने भवनों को क्षति अवश्य हुई है। इस वर्षाती नदी में बाढ़ आने पर इसके तटवर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। यह क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है अतः यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घनसाली तहसील के अन्तर्गत बहने वाली भिलंगना नदी एवं भिलंगना नदी में मिलने वाली स्थानीय गधेरों से वर्षाकाल में जलस्तर बढ़ने से भूमिकटाव होता है, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। बाढ़ से बचाव हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–2, नरेन्द्रनगर को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

16/17 अक्टूबर,1998 में अगलाड़ एवं हेवंलनदी नागणी गाड) में बाढ़ से विकासखण्ड जौनपुर एवं चम्बा में सिंचित कृषि योग्य भूमि जनहानि, पशुहानि एवं भवनों की क्षति हुई।

- वर्ष 2002 में बूढ़ाकेदार में बादल फटने व बाढ़ के कारण 38 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए, 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 28 लोग घायल हुए। एक मौत राजस्वकर्मी की बचाव कार्य के दौरान हुई। कुल 99 पशु मारे गए।
- वर्ष 2013–14 में थत्यूड क्षेत्र में अगलाड़ नदी में बाढ़ आने से 40 भवन आंषिक, 27 तीक्ष्ण व 20 पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये। 05 पशुओं की मृत्यु तथा 61 व्यक्तियों की कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई।

बाढ़/डूब क्षेत्र के निकटतम स्थल जहां अपेक्षित सावधानी आवश्यक है

<u>सिंचाई खण्ड नरेन्द्र नगर के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बाढ एवं जल भराव से प्रभावित होने वाले सम्भावित स्थल</u>

क्र0	नदी /गदेरें का नाम जिससे क्षेत्र प्रभावित हो सकता है।	प्रभावित होने वाले सम्भावित स्थल का नाम	प्रभाव का प्रकार
1	चन्द्रभागा नदी	ढालवाला क्षेत्र	बाढ एवं जल भराव
2	गंगा नदी	शीषम झाडी	–तदैव–
3	–तदैव–	कोडियाला	बाढ
4	हेवल नदी	षिवपुरी	बाढ
5	गूलर खाला	गूलर	बाढ
6	खारास्रोत गदेरा	खारा श्रोत	बाढ
7	अलकनन्दा नदी	नौर	बाढ
8	–तदैव–	ज्यूदी सेरा	बाढ
9	–तदैव–	नैथाणा	बाढ
10	–तदैव–	रानीहाट	बाढ
11	–तदैव–	घिन्डयाल गांव	बाढ
12	–तदैव–	देवली	बाढ
13	–तदैव–	जाखणी	बाढ
14	डुंगसिर गाढ	खर्क	बाढ
15	–तदैव–	खोला	बाढ
16	–तदैव–	ऐराडी	बाढ
17	अगलाड नदी	थत्यूड बाजार	बाढ
18	–तदैव–	भवान	बाढ
19	–तदैव–	कुफल्टा खाला	जल भराव
20	–तदैव–	बन्दरकोट	बाढ
21	–तदैव–	पाण्डव बस्ती	बाढ
22	–तदैव–	डोबाल नामे तोक	बाढ
23	सौंग नदी	सत्यों	बाढ
24	–तदैव–	मरोडा	बाढ
25	–तदैव–	हटवालगांव	बाढ
26	–तदैव–	रगडगांव	बाढ
27	–तदैव–	सेरागांव	बाढ
28	बांदल नदी	सीतापुर	बाढ
29	–तदैव–	कुमाल्डा	बाढ
30	भद्रीगाड	छापगांव	बाढ
31	–तदैव–	नौताडा	बाढ
32	–तदैव–	सौन्दाला	बाढ
33	–तदैव–	नैग्याणा	बाढ
34	–तदैव–	आखली	बाढ

35	–तदैव–	सांगो	बाढ
36	–तदैव–	सैन्दुल	बाढ
37	–तदैव–	म्याणी	बाढ
38	–तदैव–	मोगी	बाढ
39	–तदैव–	विरोड	बाढ
40	–तदैव–	देवन	बाढ
41	–तदैव–	खैराड	बाढ
42	–तदैव–	घंसी	बाढ
43	–तदैव–	मातली	बाढ

सिंचाई खण्ड नई टिहरी के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बाढ एवं जल भराव से प्रभावित होने वाले सम्भावित स्थल

क्र0	स्थान
1	14 बीघा, क्षेत्र नरेन्द्रनगर।
2	ढालवाला, क्षेत्र नरेन्द्रनगर।
3	अनुसूचित क्षेत्र, क्षेत्र नरेन्द्रनगर।
4	बूढ़ाकेदार बाजार, क्षेत्र भिलंगना।
5	रगस्या, क्षेत्र भिलंगना।

मानसून सत्र में बाढ़ चौकियां स्थापित होने वाले स्थल

क्र0	बाढ़ सुरक्षा स्थल (चौकी) का नाम	बाढ़ सुरक्षा स्थल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र	तहसील	स्थल प्रभारी/सहायक का नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर
1	थत्यूड़/भवान	अगलाड़ नदी एवं समस्त थत्यूड़ क्षेत्र	धनोल्टी	श्री पवन कुमार सिलवाल, सहायक अभियन्ता	9412974832
				श्री सुरेश चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	9012348237
				श्री अभिषेक देव राहुल, कनिष्ठ अभियन्ता	9634330304
				राजेन्द्र सिंह, मेट	9456117212
2	कैम्पटी	कैम्पटी एवं नैनबाग क्षेत्र	धनोल्टी	श्री शिवराम जगुड़ी, सहायक अभियन्ता	9412932400
				श्री अमित रावत, कनिष्ठ अभियन्ता	9760362945
				श्री महिपाल सिंह, मेट	9456502411
3	कीर्तिनगर	देवप्रयाग में अलकनन्दा नदी के जलस्तर की माप एवं समस्त देवप्रयाग क्षेत्र	कीर्तिनगर	श्री वीरपाल सिंह भट्ट, सहायक अभियन्ता	8126945062
				श्री हेमन्त पठोई, कनिष्ठ अभियन्ता	7579407716
				श्री राजेन्द्र सिंह राणा, मेट	8448170318
4	उपखण्ड कार्यालय मुनिकीरेती	आस्थापथ का बाढ़ सुरक्षा कार्य एवं ढालवाला	नरेन्द्रनगर	श्री मंगल सिंह, सहायक अभियन्ता	8077481770 9410199325
				श्री आलोक जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता	8410675866

				श्री दिनेश चन्द्र पैन्यूली, मेट	9412902207
5	मरोड़ा पुल सकलाना	सकलाना क्षेत्र में निर्मित नहरों की सुरक्षा	धनोल्टी	श्री पवन कुमार सिलवाल, सहायक अभियन्ता	9412974832
				श्री सुरेश चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	9012348237
				श्री ज्ञान सिंह, मेट	8006552945
6	खाड़ी	खाड़ी एवं गजा स्थित नहरों की सुरक्षा	नरेन्द्रनगर	श्री मंगल सिंह, सहायक अभियन्ता	9557567674
				श्री संजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	9759255902
				श्री विरेन्द्र सिंह मेट	9410105367
7	गूलर	खारा श्रोत मुनिकीरेती से गंगा नदी के अपस्ट्री में गूलर तक का क्षेत्र	पावकीदेवी	श्री मंगल सिंह, सहायक अभियन्ता	9557567674
				श्री आशीष कोण्डल, कनिष्ठ अभियन्ता	9411576621
				श्री मदन सिंह, मेट	9411750820

भू–स्खलन/मेघ विस्फोट

बूढ़ाकेदार में सन् 2002 में बादल फटने व बाढ़ के कारण 38 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए, 28 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 28 घायल हुए। एक राजस्वकर्मी की मौत बचाव कार्य के दौरान हुई। कुल 99 पशु मारे गए।

बरसात के दिनों में अक्सर सड़कों के किनारे अथवा नदी/गाड गदेरों के तटों पर अत्यधिक भू–स्खलन होता है। पहाडों से मिट्टी व पत्थरों के गिरने की घटनायें आम हैं। भू–स्खलन के अतिरिक्त बादल फटने व अतिवृष्टि से भी धन जन की अत्यधिक हानि होती है। भू–स्खलन व मेघ विस्फोट से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र तहसील घनसाली, धनोल्टी, नरेन्द्रनगर व तहसील टिहरी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष– 1998 में विकासखण्ड भिलंगना, जौनपुर में मानव हानि एवं कृषि भूमि व भवन क्षतिग्रस्त हुए। माह अगस्त 2001 में ग्राम गोना तहसील घनसाली में बादल फटने व भूस्खलन के कारण 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 10 व्यक्ति घायल हुए। इस घटना में 11 भवन पूर्ण रूप से तथा 10 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए तथा कई पशु मारे गए। इसी प्रकार 10–11 अगस्त, 2002 की रात्रि को तहसील घनसाली के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में 17 ग्रामों में बादल फटने, अतिवृष्टि, भूस्खलन एवं बाढ़ के कारण फसलों एवं कृषि भूमि को अत्यधिक नुकसान हुआ। वर्षा जल से प्रभावित क्षेत्र में स्यांसू पुल रतवाड़ी नकोट खोल मोटर मार्ग के किमी 2.00 क्र0सं0 1/18 से 1/19 खड् साईड में वर्षा जल से ग्रामीणों के खेत व भवनों में जल भराव होता है। दिनांक–31 जुलाई, 2014 को नौताड़ ग्राम, तहसील घनसाली में बादल फटने से 06 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

- 11 सितम्बर, 2001 को तहसील नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डौंर के ऊपर भूस्खलन होने से मलबा डौंर गांव में आया, जिससे 06 लोगों तथा 5 पषुओं की मृत्यु हुई।

- वर्ष 2013–14 में थत्यूड़ विकासखण्ड क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परोड़ी के मध्य भूस्खलन हुआ, जिससे 20 भवन आंषिक, 06 तीक्ष्ण व 16 पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये। 12 पषुओं की मृत्यु हुई तथा 85 लोगों की कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई।

- वर्ष 2013–14 में 16–17 जून को तहसील घनसाली क्षेत्रान्तर्गत जखन्याली में बादल फटने व बाढ़ आने से 06 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें ग्राम प्रहरी राजेष नौटियाल भी सम्मिलित हैं, जो लोगों को सचेत करते हुए मलबे में दब गये व आतिथि तक इनका शव प्राप्त नहीं हुआ है। 04 पषुओं की मृत्यु, 20 भवन पूर्ण व 1 आंषिक क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अतिरिक्त 198 लोगों की कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई।

- वर्ष 2013–14 में 16–17 जून को तहसील घनसाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिन्स्वाड़ में भूस्खलन से 29 पशुओं की मृत्यु हुई तथा 48 व्यक्तियों की कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई।

- 2014–15 में पुनः तहसील घनसाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिन्स्वाड़ में भूस्खलन होने से 07 पशुओं की मृत्यु हुई। 3 भवन आंषिक क्षतिग्रस्त व 59 लोगों की कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई।

- दिनांक–24 जून, 2013 को तहसील देवप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मरोड़ा के ऊपर स्थित पुसा तप्पड़ में रात्रि लगभग 12 बजे बादल फटा, जिससे उत्पन्न मलबा ग्राम के नीचे स्थित गदेरे से होते हुए बहा। रात्रि को गदेरे में स्थित घराट में कार्य करने गये 02 व्यक्ति क्रमशः श्रीमती सुखदेई पत्नी शिव सिंह, ग्राम मरोड़ा तथा श्री विकास पुत्र शिव सिंह, ग्राम मरोड़ा इसमें बह गये तथा दोनों की मृत्यु हुई।

- वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक–14 अगस्त 2014 की मध्यरात्रि को सीतापुर तोक से लगभग 15 किमी दूर ताल नामक जगह पर मेघ विस्फोट हुआ। इसके अतिरिक्त सीतापुर से 18 किमी दूर सिल्ला कोल्ठियांण में भी मेघ विस्फोट हुआ। सिल्ला कोल्ठियांण क्षेत्र जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत आता है। इन दोनों क्षेत्रों मे अत्यधिक वर्षा एवं मेघ विस्फोट होने से उत्पन्न हुआ मलबा और पानी बाढ़ के रूप में बहते हुए सीतापुर नामक तोक (ग्राम धौलागिरी, तहसील धनोल्टी) से लगी हुई बांदल नदी से बहते हुए गुजरा। इसी नदी के किनारों पर ग्राम धौलागिरी के ग्रामीणों के आवासीय भवन तथा सिंचित कृषि भूमि थी। मलबा/बाढ़ आने से 1 पषु की मृत्यु तथा 4 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये। 80 लोगों की कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई।

- 27–28 मई, 2016 को तहसील घनसाली के ग्राम कोठियाड़ा, सीताकोट क्षेत्र में बादल फटने से कुल 523 परिवार प्रभावित हुये। 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 03 घायल हुये। 85 पूर्ण, 22 तीक्ष्ण व 250 आंषिक भवन क्षतिग्रस्त हुये। इस आपदा में 78 पषुओं की मृत्यु हुई व 02 पषु घायल हुये।

- 17 जुलाई, 2016 को तहसील नरेन्द्रनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थान कुमारखेड़ा में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की चपेट में 01 कार आ गयी, जिसमें 04 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

- 14 अगस्त, 2018 को तहसील धनोल्टी के राजस्व क्षेत्र ल्वार्खा अन्तर्गत तिमली सैण नामे तोक के मौन खाला (ग्राम ल्वार्खा) की पहाड़ी में भूस्खलन होने से प्राकृतिक गदेरे का बहाव रूक गया, जिससे वहां पर लगभग 100 मी0 चौड़ी व 50 मी0 गहरी झील बन गयी। झील बनने से 05 लोगों की कृषि भूमि/फसल नष्ट हो गयी। पहाड़ी पर निवासरत् 02 परिवारों को खतरा उत्पन्न हो गया, जिन्हें अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा।

- 29 अगस्त, 2018 को तड़के प्रातः तहसील बालगंगा तहसील के ग्राम कोट में भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में 01 आवासीय भवन के 03 कमरे पूर्णतः जमींदोज हो गये। मलबे में कुल 08 लोग दब गये, जिसमें से 07 की मृत्यु हो गयी तथा 01 बच्ची घायल हुआ।

- 02 सितम्बर, 2018 को तहसील धनोल्टी क्षेत्रान्तर्गत कैम्पटी फॉल में अतिवृष्टि से बड़े–बड़े बोल्डर/पानी आने से झील 2 में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे वहां लगभग 180 पर्यटक/यात्री फंस गये, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। पानी बढ़ने से इसका पानी/मलबा स्थानीय 26 लोगों की दुकानों/खोखों में पानी/मलबा भर गया, जिससे अनुमानित रूप से लगभग रू0 6,64,000.00 के सामान/सामग्री की क्षति हुई।

भूस्खलन प्रभावित/सम्भावित क्षेत्र

क्र0	स्थान
1	भेलुन्ता, मण्डोली, पांचरी, कोर्दी तहसील प्रतापनगर।
2	चमियाला–घत्तु सडक मार्ग, तहसील घनसाली।
3	ग्राम कस्तल, ढुगमघार तहसील जाखणीधार।
4	ग्राम नवागांव चौपडियाली तहसील जाखणीधार।
5	ग्राम–मोगी पट्टी सिलवार, तहसील नैनबाग।
6	नालूपानी के पास भणेती, तहसील धनोल्टी।
7	मेरणा जौनपुर, तहसील धनोल्टी।
8	कण्डीसौड के पास भणेती, तहसील कण्डीसौड़।
9	ग्राम जड़धार गांव, तहसील टिहरी।
10	बेमुण्डा से दल्लागांव के मध्य सड़क मार्ग, तहसील नरेन्द्रनगर।
11	ग्राम डौंर, तहसील नरेन्द्रनगर।
12	नैलचामी, अगुण्डा, मेड़, मरवाड़ी, कोट विषन तहसील घनसाली।
13	ग्राम जखन्याली, तहसील घनसाली।
14	टिपरी–उठड पिपोला–पीपलडाली मार्ग, तहसील जाखणीधार।
15	लम्बगांव, पीपलडाली, मुण्डोली में पीपलडाली–प्रतापनगर मार्ग।
16	कीर्तिनगर–बडियारगढ़ मार्ग।
17	मसूरी–उत्तरकाषी मोटर मार्ग पर अगलाड पूल, तहसील नैनबाग।
18	कैम्पटी फॉल, तहसील धनोल्टी।
19	ग्राम परोड़ी, तहसील धनोल्टी।
20	घनसाली–धौंतरी सड़क मार्ग, तहसील घनसाली।
21	घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग।
22	गडोलिया–कीर्तिनगर मार्ग, तहसील देवप्रयाग।
23	भागीरथीपुरम–कोटेष्वर सड़क मार्ग।
24	जीरो प्वाईंट से टिपरी मोटर मार्ग, तहसील टिहरी।
25	चम्बा–ऋषिकेष मोटर मार्ग पर जिजली, आमसेरा, बेमुण्डा, ताछला, फकोट, जाजल।
26	चौंधार बैण्ड, तहसील प्रतापनगर।
27	टिहरी–पांगरखाल मोटर मार्ग।
28	थाती बूटाकेदार, तहसील धनोल्टी।
29	चम्बा से चिन्यालीसौड मोटर मार्ग।

30	अलमस बैण्ड, थत्यूड से चिन्यालीसौड मोटर मार्ग।
31	थत्यूड़–भवान मोटर मार्ग।
32	रानीचौरी–नकोट मार्ग पर दिवाड़ा तथा पाली।
33	सुनेरीगाड़–रजाखेत–घनसाली मार्ग में सारपुर में।
34	ग्राम मंथल के नीचे वाला क्षेत्र, तहसील जाखणीधार।
35	मूल्यागांव, तहसील देवप्रयाग।
36	कमान्द, तहसील कण्डीसौड़।
37	ग्राम लंगोर, तहसील देवप्रयाग।
38	ग्राम भटवाड़ी, चखैरा, जमोइना, भाटगांव, इन्द्रौला तहसील घनसाली।
39	ग्राम चांठी, तहसील प्रतापनगर।
40	ग्राम रमोलसारी, रत्नौ मल्ला तहसील कण्डीसौड़।
41	ग्राम सौड़, भ्वींट, दनसारा तहसील देवप्रयाग।
42	स्यांसू पुल–रतवाड़ी–नकोट खोली मोटर मार्ग किमी 2 क्रास से0 1/32 से 1/34 में हिल साइड श्री शूरवीर सिंह भवन के नीचे।
43	स्यांसू पुल रतवाड़ी नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी 2 क्रास से0 1/17 से 1/18 में खड साइड प्राथमिक विद्यालय के ऊपर।
44	स्यांसू रतवाड़ी कमान्द–ज्वारना मोटर मार्ग के किमी 13 क्रास से0 12/17 में हिल साइड।
45	धुधली ढुंगा धमाड़ी मैण्डखाल मोटर मार्ग के किमी 8 क्रास से0 7/13 से 7/17 तक खड साइड।
46	उक्त के अतिरिक्त टिहरी बांध झील परिक्षेत्र के समीपवर्ती ग्रामों पर भूस्खलन/भूधसाव का निरन्तर जोखिम बना हुआ है।

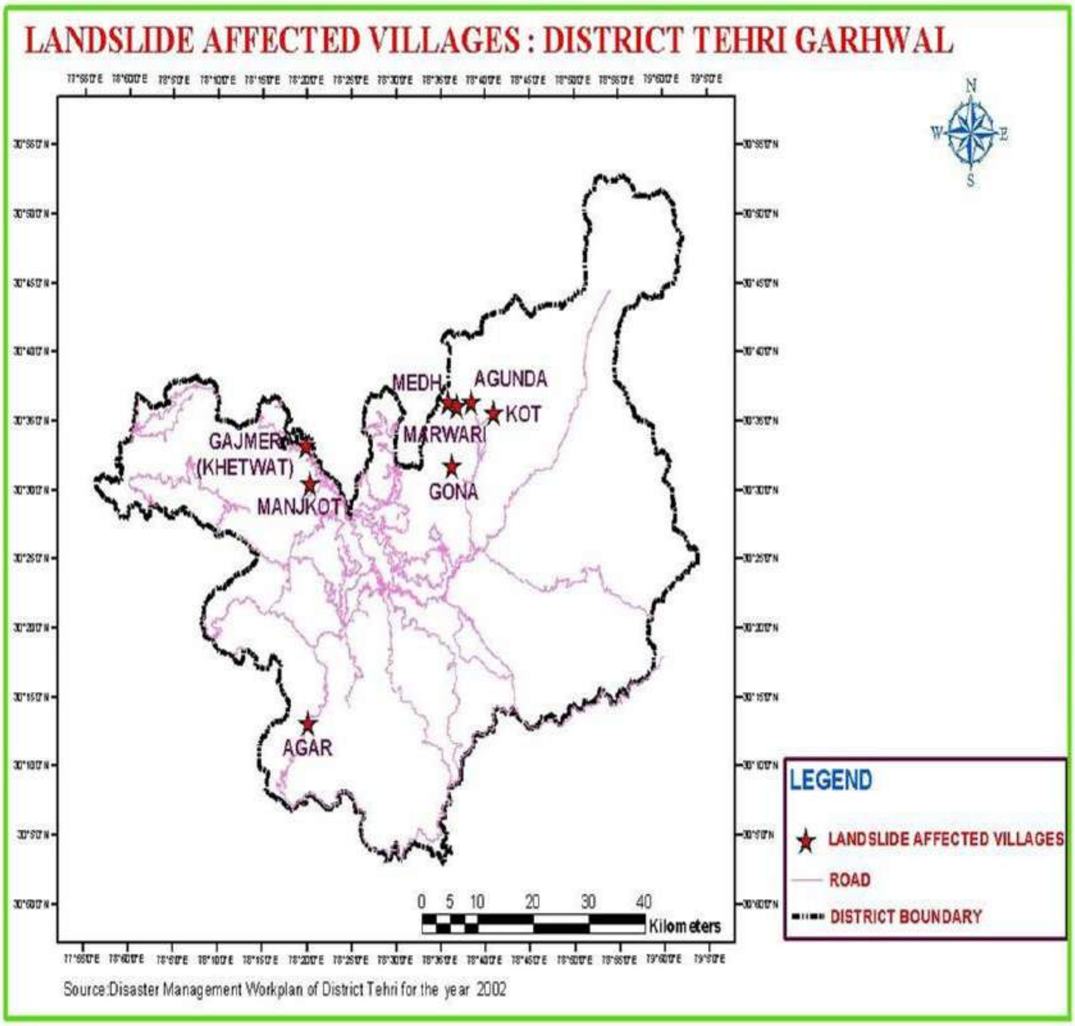

LANDSLIDE AFFECTED VILLAGES : DISTRICT TEHRI GARHWAL
MEDH
AGUNDA
KOT
MARWARI
GAJMER
(KHETWAT)
MANJKOT
GONA
AGAR
0 5 10 20 30 40
Kilometers
LEGEND
LANDSLIDE AFFECTED VILLAGES
ROAD
DISTRICT BOUNDARY
N
S
E
W
Source:Disaster Management Workplan of District Tehri for the year 2002

जनपद क्षेत्रान्तर्गत क्रोनिकल लैण्ड स्लाईड जोन

क्र0	मार्ग का नाम	किमी	वैकल्पिक मार्ग
1	डोबरा मरोड़ा जाख टिहरी ग्रा0मार्ग	किमी 6, 12	वैकल्पिक मार्ग रामगांव झुल्क सुलिया एवं भल्डियाना कुनेर पैदल मार्ग
2	चम्बा कोटी कालोनी अन्य जि0मा0	किमी 10,12,13	वैकल्पिक मार्ग जाख जसपुर गोदमू पैदल मार्ग
3	डोबरा से भल्डियाना बैण्ड	किमी 3,7,10	वैकल्पिक मार्ग भल्डियाना कुनेर पैदल मार्ग
4	नागणी जडधारगांव नागदेव पथल्ड ग्रा0 मार्ग	किमी 3	वैकल्पिक मार्ग चम्बा नागणी पैदल मार्ग
5	चम्बा जौल कुडियालगांव ग्रा0मा0	किमी 10	वैकल्पिक मार्ग चम्बा नागणी पैदल मार्ग
	ज्वारना बंगियाल मोटर मार्ग	किमी 3,5,10	वैकल्पिक मार्ग चम्बा नागणी पैदल मार्ग
6	उत्तरकाशी लम्बगांव घनसाली तिलवाड़ा राज्य मार्ग 15	किमी 15, 87 लाटा	—
7	टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग व्यासघाट विलखेत एसएच 49	किमी 39 सिंगटाली के समीप	—
8	घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग	किमी 18	—
9	घनसाली कोटी अखोड़ी	किमी 5	—
10	छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग	किमी 5	—

दैवीय आपदा के दृष्टिगत् जनपद में चिन्हित दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
8वां वृत्त लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

क्र0	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	स्लिप जोन/दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
	प्रांतीय खण्ड, लोनिवि, नई टिहरी–		
1	लम्बगांव मोटणा रजाखेत घनसाली (सेन्दुल) मो0मार्ग	राज्य मार्ग	मोटणा मदननेगी मो0 मार्ग प्रभाग)–किमी 2 है0मी0 4–6, किमी 10 है0मी0 0–4, किमी 13 है0मी0 6–10, (घनसाली टिहरी प्रतापनगर मो0 मार्ग प्रभाग)–किमी 18 है0मी0, 4–6 किमी 20 है0मी0 6–10, किमी 22 है0मी0 6–10, किमी 26
2	उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मो0मार्ग (लम्बगांव कोटालगांव चमियाला मो0मार्ग)	राज्य मार्ग	किमी 58 चै0 57/25 से 57/30, किमी 60 चै 60/35, किमी 64 चै0 63/29, 63/38
3	लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पनियाला मो0मार्ग	मुख्य जिला मार्ग	किमी 1 चै0 0/22, किमी 2 चै0 1/5, 1/8 किमी 3 चै0 2/20, 2/28, किमी 16, किमी 17
4	प्रतापनगर टिहरी मो0मार्ग	मुख्य जिला मार्ग	किमी 24
5	जाखणीधार गराकोट मो0मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 5
6	पीपलडाली चाह गडोलिया मो0मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 1 चै0 0.020, किमी 4 चै0 3.600 किमी 5 चै0 4.200
7	भैंतोगी डोबरा मो0मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 2 चै0 1.500, किमी 03 चै0 2.700, किमी 5 चै0 4.600, किमी 6 चै0 5.300, किमी 7 चै 6.200
8	जीरो ब्रिज सैण पिपोला मो0मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 4 चै0 3.100, किमी 6 चै0 5.300
9	स्यालगी डोडग थापला	ग्रामीण मार्ग	किमी 1
10	जाखणीधार वरील झिववाली मो0 मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 3 चै0 2.300 से 2.350, किमी 5 चै0 4.900 से 5.000
	निर्माण खण्ड, लोनिवि, नरेन्द्रनगर–		
11	पौडी देवप्रयाग गजा जाजल राज्य मार्ग संख्या–31	राज्य मार्ग	किमी 65, 66, 110
12	आगराखाल कुसरैला मो0मार्ग	अन्य जिला मार्ग	किमी 4, 7, 8, 11
13	ऋषिकेश हर्षिल उत्तरकाशी मो0मार्ग	अन्य जिला मार्ग	किमी 18, 19
14	हिण्डोलाखाल शिवपुरी मो0मार्ग	ग्रामीण मार्ग	किमी 9
	अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर–		
15	टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग राज्य मार्ग	राज्य मार्ग	किमी 47

16	रामपुर श्यामपुर बमाणा मो0मार्ग अन्य जिला मार्ग	अन्य जिला मार्ग	किमी 8
17	दुगड्डासौड़ पिपलधार मो0मार्ग अन्य जिला मार्ग	अन्य जिला मार्ग	किमी 7
	अस्थाई खण्ड, घनसाली–		
18	उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मो0मार्ग	राज्य मार्ग	उत्तराकाशी घनसाली तिलवाडा मोटर मार्ग पर किमी 69 में 100 मीटर चट्टान खिसकने का खतरा रहता है। उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर किमी 87 में 200 मीटर में भूस्खलन का खतरा बना रहता है।

महामारी

जनपद में महामारी के अन्तर्गत सामान्यतः हैजा आदि बीमारियां छोटे रूप में प्रकाश में आती है। इन बीमारियों की सूचना मिलने पर चिकित्सालय को प्रभावित क्षेत्रों में दवाइयों एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ तत्काल भेजा जाता है। इसके अलावा चार धाम यात्रा का प्रमुख मार्ग भी इसी जनपद से हो कर गुजरता है। चारधाम यात्रा ग्रीष्मकाल में प्रारम्भ होती है और देश विदेश के तीर्थ यात्री इसी जनपद से होकर गुजरते हैं। ग्रीष्मकाल होने के कारण इन दिनों संक्रामक रोगों के फेलने की अधिक सम्भावना रहती है। यात्राकाल में जनपद के मुख्य–मुख्य स्थानों पर यात्रियों की सुविधा हेतु चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाते हैं। इन शिविरों में चिकित्सक एवं अन्य आवश्यक स्टाफ चौबीस घंटे तैनात रहता है। महामारी हेतु उप मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

औद्योगिक एवं रसायनिक दुर्घटना

जनपद में कोई भारी रासायनिक उद्योग स्थापित नहीं है जिस कारण रासायनिक दुर्घटना होने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। औद्योगिक दुर्घटना के मामले में टिहरी निर्माणाधीन भूमिगत पावर हाऊस व टनल निर्माण कार्य में बहुत अधिक जोखिम है, जिसके लिए अलग से सुरक्षा योजना टी. एच.डी.सी. द्वारा बनाई गई है।

महत्वपूर्ण पावर परियोजनाएं–

1. टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी बांध।
2. टिहरी जल विद्युत परियोजना, कोटेश्वर।
3. पावर प्रोजेक्ट, घनसाली।
4. पावर प्रोजेक्ट, घुत्तु।
5. एनएचपीसी, देवप्रयाग।

अग्निकाण्ड

जनपद में अग्निकाण्ड की भी घटनायें घटित होती हैं यह अग्निकाण्ड अधिकतर मानव जनित होती है। कभी–कभी आकाशीय बिजली गिरने अथवा बिजली सार्टसक्रिट होने की कारण भी अग्निकाण्ड होते हैं। अग्निकाण्ड से जनहानि, पशुहानि, निजी/सार्वजनिक परिसम्पतियों को काफी क्षति होती है। जंगलों में होने वाले अग्निकाण्डों से वन सम्पदा को बहुत ज्यादा क्षति होती है। जंगलों के आस–पास बसे ग्रामीणों की फसलों व उनके भवन भी कभी–कभी अग्नि की चपेट में आ जाते हैं। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ग्रामस्तर पर समितियों को गठन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में होने वाले अग्निकाण्डो पर काबू पाने के लिए अग्निशमन सेवा नई टिहरी तथा नरेन्द्रनगर में उपलब्ध है।

फायर स्टेशन में आने वाले क्षेत्र

क्र0सं0	फायर स्टेशन नई टिहरी	फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर	फायर स्टेशन घनसाली
01	लम्बगांव	देवप्रयाग	स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
02	घनसाली	व्यासी	
03	प्रतापनगर	मुनिकीरेती	
04	धनोल्टी	डालवाला	
05	कीर्तिनगर	आगराखाल	
06	चम्बा	फकोट	
07	खाड़ी		
08	कैम्पटीफाल		

सड़क दुर्घटना

पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां अधिकांशतः वाहन दुर्घटना होती रहती है। यहां की सड़कें अधिकतर ढालदार और तीव्र मोड़ वाली है। तीव्र मोडों पर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाइयों में गिर जाते है जिस कारण जनहानि होती है। यह दुर्घटनायें यांत्रिक खराबी एवं वाहन चालकों की गलतियों से जैसे– वाहन को तीव्र गति से चलाना, कभी–कभी मदिरा प्रयोग कर चलाने से घटित होती है अथवा रात्रि के समय वाहन चलाने पर भी होती है। रात्रि में होने वाली दुर्घटना को देखते हुए सांय सात बजे के बाद जिले की सीमा में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

सड़क दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील स्थानों की सूची

क्र0	संवेदनशील मोटर मार्ग / स्थल
1	सिलक्यारा बनगांव चापडा सरोट मार्ग (क्यारी) किमी0 8.5 तथा 91.0 में स्लाइड जोन
2	कमान्द–थौलधार मोटर मार्ग के किमी0 1.0 क्रास से0 0/30 से 0/31 पर हेयर पिन बैण्ड स्लाइड जोन
3	ऋषिकेश–श्रीनगर राष्ट्रीय राज मार्ग (तीनधारा, तोताघाटी, बछेलीखाल, सौडपानी, मूल्यागांव, भ्वीटं चुंगी)
4	ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (धौलापानी, बेमुण्डा, बेमुड, ताछला, थान गांव, डोभाल गांव)
5	चम्बा–मसूरी मार्ग (आराकोट एवं ज्वारना)
6	घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग
7	घनसाली–मूलगढ़–हुलाणाखाल मोटर मार्ग
8	चम्बा–धनौल्टी मोटर मार्ग
9	नैनबाग–कैम्पटी–मसूरी मोटर मार्ग
10	चम्बा–धरासू मोटर मार्ग– चम्बा से 13 किमी.(चम्बा–रामगढ़ के मध्य) तथा चम्बा से 22 किमी. दूर (चम्बा–अलेरू के मध्य)
11	स्यांसू पुल रतवाड़ी नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 2.00 क्रा0 से0 1/32 से 1/34 में हिल साइड श्री शुरवीर सिंह के भवन के नीचे।
12	स्यांसू पुल रतवाड़ी नकोट खोली मो0मार्ग के किमी0 2.00 क्रा0से0 1/17 से 1/18 में खड साइड प्रा0वि0 के ऊपर।
13	स्यांसू रतवाड़ी कमान्द–ज्वारना मोटर मार्ग के किमी0 13 क्रा0 से 12/16 से 12/17 में हिल साइड।
14	धुधती ढुंगा धमाडी मैण्डखाल मो0 मार्ग के किमी0 8.00 क्रा0से0 7/13 से 7/17 तक खड साइड।

माह मई–2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	01.05.2017	09:25AM	जामणीखाल मोटर मार्ग/त्यूड़ी बैण्ड के समीप	–	–	–	03	निजी वाहन
2	03.05.2017	04:00PM	उत्तरकाशी–चमियाला मो0मार्ग/चंगोरा बैण्ड के समीप	वाहन संख्या UK-17PA-0128 (इण्डिका कार)	–	–	01	निजी वाहन
3	04.05.2017	01:20PM	पीपलडाली–लम्बगांव मो0 मार्ग/भोनियाणा गांव के समीप	वाहन संख्या UA-07-3410 (ऑल्टो कार)	–	–	03	निजी वाहन
4	04.05.2017	07:20PM	देवप्रयाग–श्रीनगर मो0 मार्ग/पाली गांव के समीप	वाहन संख्या UK-07BD-2451 (ऑल्टो कार)	01	–		निजी वाहन
5	04.05.2017	05:00PM	गजा–तमियार मो0 मार्ग/गौड़ी डांडा नामे तोक के समीप	वाहन संख्या UA-07-5740 (टाटा सूमो)	01	–	02	यात्री वाहन
6	05.05.2017	10:15PM	उत्तरकाशी–चम्बा मो0 मार्ग/कुनेर गांव के समीप	वाहन संख्या UK-07CC-2154(ट्रक)	01	–	01	भार वाहन
7	06.05.2017	12:30PM	उत्तरकाशी–तिलवाड़ा मो0 मार्ग/चंगोरा बैण्ड के समीप	वाहन संख्या HR-69B-2718 (मैटा डोर)	04	03	03	यात्री वाहन
8	07.05.2017	10:20PM	पावली–बमोली मो0 मार्ग/हुलानाखाल के समीप	वाहन संख्या UK-09TA-0521 (मैक्स)	01	–	02	यात्री वाहन
9	08.05.2017	07:05AM	देहरादुन–उत्तरकाशी मो0 मार्ग/रौतुकी बेली के समीप	वाहन संख्या UA-07J-8251 (ट्रक)	–	–	01	भार वाहन
10	10.05.2017	11:25AM	कीर्तिनगर–बडियार मो0 मार्ग/सेन्द्री गांव के समीप	वाहन संख्या UK-14TA-0430 (टाटा सूमो)	–	–	07	यात्री वाहन
11	12.05.2017	10:20 AM	मसूरी–कैम्पटी मो0 मार्ग/बंग्लोंकीकाण्डी के समीप टक्कर	वाहन संख्या UA-07G-5747 (ओमनी मारूती)/ DL-1PC-6899 (बस)	–	01	04	निजी वाहन/यात्री वाहन
12	13.05.2017	09:40 PM	उत्तरकाशी–मोरयाणा सुवाखोली मोटर मार्ग/ जामणी बैण्ड के समीप	वाहन टैक्टर–ट्राला	–		9	निजी वाहन
13	16.05.2017	05:00 PM	घनसाली–गोजियाणा मो0 मार्ग/इन्द्रोला गांव के समीप	वाहन संख्या UK-14CA-0559 (मैक्स पिकअप)			2	भार वाहन
14	17.05.2017	07:10 PM	तहसील नरेन्द्रनगर चम्बा–ऋषिकेश मो0मार्ग/ बैमुण्डा के समीप	वाहन संख्या UA-08B-9400	–	–	2	निजी वाहन
15	22.05.2017	08:50 PM	तहसील प्रतापनगर प्रतापनगर–लम्बगांव मोटर मार्ग/लम्बगॉव थाने के समीप	वाहन संख्या UK-11-9611	–	–	1	निजी वाहन
16	24.05.2017	04:00 PM	तहसील टिहरी चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग/तिमली सेरा के पास	वाहन संख्या UK-07AF-2306 वाहन संख्या UK-09-9587 बुलेरे/सेन्ट्रो	–	–	1	निजी वाहन
17	25.05.2017	04:35 PM	तहसील देवप्रयाग श्रीनगर–ऋषिकेश मो0 मार्ग व्यासी के समीप	बाईक संख्या UP-08AD-2436 बस संख्या UK-09-9587 बस/मोटर साईकल	01	–	–	निजी वाहन
			योग–		09	04	42	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 17
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 09
गम्भीर घायलों की संख्या– 04
घायलों की संख्या– 42

माह जून–2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	03.06.2017	06:15 PM	तहसील नरेन्द्रनगर चम्बा–ऋषिकेश मो0मार्ग/ थानगांव के समीप	आल्टो 800 UP-09A-7372	–	–	01	निजी वाहन
2	05.06.2017	07:55 AM	तहसील नरेन्द्रनगर चम्बा–ऋषिकेश मो0मार्ग/ बगड़धार पीटीसी. के मध्य	स्कुटी UK-14B-0448 ट्रक UK-09CA-1415	–	–	02	निजी/भार वाहन
3	06.06.2017	12:35 PM	थाना देवप्रयाग, देवप्रयाग–ऋषिकेश मो0मार्ग/ कोडियाला के समीप	आल्टो UK-14B-6649 डस्टर UK-07BA-2574	–	–	06	निजी वाहन
4	06.06.2017	12:35 PM	तहसील बालगंगा घनसाली–बुढाकेदार मो0मार्ग बुढाकेदार के समीप	मैक्स वाहन UK-04TA-0113	–	02	–	यात्री वाहन
5	10.06.2017	01:35 PM	तह0 धनोल्टी, थत्युड़–भवान मो0मार्ग पावर हाउस (थत्यूड़)के समीप	यूटिलिटि UK-07CA-8526	–	–	1	भार वाहन
6	11.06.2017	02:35 PM	तह0 नरेन्द्रनगर, ऋषिकेश–चम्बा मो0मार्ग प्लास्डा चौकी के समीप	बुलेरो UK-09TA-0428 वैन UK-07F-9020	–	–	3	यात्री/ निजी वाहन
7	14.06.2017	12:00AM	तह0 नरेन्द्रनगर, ऋषिकेश –चम्बा मो0मार्ग चौकी जाजल के समीप	होण्डा HR-11J-6804	01	–	–	निजी वाहन
8	15.06.2017	02:15PM	तहसील टिहरी, उत्तरकाशी–चम्बा मो0 मार्ग कोट गांव के समीप	सैन्ट्रो कार UA-07AB-2992	02	–	02	निजी वाहन
9	17.06.2017	09:00AM	थाना मुनिकीरेती, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग गुलर घाटी के समीप	मैक्स UK-14B-1332	01	–	02	यात्री वाहन
10	18.06.2017	06:30AM	तहसील देवप्रयाग, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग तीन धार के समीप	महिन्द्रा UP-15BH-8781	–	–	02	निजी वाहन
11	18.06.2017	03:45 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग आरटीओ0 चैक पोस्ट के समीप	सैन्ट्रो कार UK-12C-5647	–	–	03	निजी वाहन
			योग–		04	02	22	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 11
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 04
गम्भीर घायलों की संख्या– 02
घायलों की संख्या– 22

माह जुलाई–2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	03.07.2017	08:30 AM	तहसील प्रतापनगर, लम्बगांव–उत्तरकाशी मो0मार्ग/कफलोगा बैण्ड के समीप	आल्टो, 800 UA-09-1547	–	–	01	निजी वाहन

2	03.07.2017	08:50 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, ऋषिकेश–चम्बा मो0मार्ग / हिण्डोलाखाल	बस, UK-07PC-0086	–	–	01	यात्री वाहन
3	11.07.2017	05:50 AM	तहसील टिहरी क्षेत्रान्तर्गत,जीरो प्वाइंट–कोटेश्वर मो0मार्ग / पॉवर हाऊस के समीप	यूटिलीटी, UA-07M-2597	1	–	–	भार वाहन
4	15.07.2017	12:05 PM	तहसील घनसाली, घनसाली–सुनहेरीगाड़ मो0 मार्ग, सैणगांव के समीप	आल्टो कार, UA-07S-8919	1	–	–	निजी वाहन
5	16.07.2017	08:30 AM	तहसील कण्डीसौड़, चम्बा–उत्तरकाशी मो0 मार्ग कमान्द के समीप	बाइक UP-12U-3971	1	–	–	निजी वाहन
6	17.07.2017	11:10 AM	तहसील कण्डीसौड़, चम्बा–उत्तरकाशी मो0 मार्ग उनियालगांव के समीप	बाइक UP-15BX-0004	2	–	–	निजी वाहन
7	21.07.2017	01:45 PM	तह0 पावकीदेवी ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग, झूलाघाट, शहीद ढाबा के समीप	स्वीफ्ट कार PB-01A-4113	–	2	2	निजी वाहन
8	24.07.2017	06:55 AM	तह0 कीर्तिनगर, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग, मलेथा लंगर के समीप	बाइक UP-12P-1177 ट्रक HR-58A-1647	2	–	–	निजी व भार वाहन
9	29.07.2017	06:30 AM	तहसील पावकीदेवी, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग, गुलर गदेरे के समीप	मारूती, CH11-6T-0277	–	–	3	निजी वाहन
10	29.07.2017	08:50 PM	तहसील कण्डीसौड़, चम्बा–धरासू मो0मार्ग, कमान्द के समीप	EON CAR, UK-09A-8630	1	–	–	निजी वाहन
11	30.07.2017	04:15 PM	तहसील पावकी देवी, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग, शिवपूरी के समीप	ट्रक– UK-07CC-0019, बाइक-PB-65AD-2741 स्वीफ्ट कार-UK-07DE-7895	–	–	1	निजी व भार वाहन
			योग–		8	2	8	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 11
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 08
गम्भीर घायलों की संख्या– 02
घायलों की संख्या– 08

माह अगस्त–2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क0सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग / दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	01.08.2017	07:00 PM	तहसील गजा, गजा–पोखरी मो0 मार्ग, दबड़ाखाले नामे तोक	स्विफ्ट UK-08-9822	-	-	1	निजी वाहन
2	05.08.2017	11:00 PM	तहसील देवप्रयाग, ऋषिकेश श्रीनगर मो0मार्ग, बछेलीखाल के समीप	मारूती UP-12H-0988 ट्रक UK-14CA-0273	-	-	4	निजी व भार वाहन
3	12.08.2017	08:25 PM	तहसील कीर्तिनगर, चौरास के समीप	UK-12C-5492	-	-	1	निजी वाहन
4	15.08.2017	12:45 PM	तहसील धनोल्टी, मसूरी–कैम्पटी मो0मार्ग, कैम्पटी के समीप	DL-5CG-2396	-	2	2	निजी वाहन
5	16.08.2017	12:50 PM	तहसील टिहरी, चम्बा–ऋषिकेश मो0मार्ग, नागणी के समीप	UK-07T-9257	-	-	5	निजी वाहन
6	18.08.2017	02:30 PM	तहसील टिहरी, खाण्डखाल मस्जिद के समीप	UK-07CC-1883	-	-	1	निजी वाहन
7	18.08.2017	05:30PM	तहसील घनसाली,जाखकोटी के समीप	यूटीलिटी पिकअप	-	4	.	भार वाहन

8	20.08.2017	05:10PM	तहसील पावकीदेवी, व्यासी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0मार्ग	ट्रक UA-09-6016	3	2	–	भार वाहन
9	22.08.2017	05:30 PM	तहसील टिहरी, नागणी के समीप, ऋषिकेश–चम्बा मो0 मार्ग	बाइक UA-07D-5760	-	-	2	निजी वाहन
10	25.08.2017	8:15 AM	तहसील धनोल्टी, थानगांव के समीप	मारूति DL8C-D-8133	-	1	–	निजी वाहन
11	27.08.2017	7:00 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, भद्रकाली के समीप, ऋषिकेश चम्बा मो0 मार्ग	मारूति UK07-BA-4189	-	-	3	निजी वाहन
12	28.08.2017	06:45 PM	तहसील कण्डीसौड़, चम्बा–उत्तरकाशी मो0 मार्ग, खाण्डगांव के समीप	टाटा सूमो UK07-TA-5822	-	-	1	यात्री वाहन
13	30.08.2017	12:30 PM	तहसील देवप्रयाग, ऋषिकेश –देवप्रयाग मो0 मार्ग, गुलर के समीप	ट्रक UK-07CC-1007	-	-	1	भार वाहन
14	31.08.2017	05:00 PM	तहसील कण्डीसौड़, चम्बा–उत्तरकाशी मो0 मार्ग, पनियाली के समीप	कार HR-51X-2919 व UK-07AV-7913	-	-	2	निजी वाहन
			योग–		**3**	**9**	**21**	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– **14**
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– **03**
गम्भीर घायलों की संख्या– **09**
घायलों की संख्या– **21**

माह सितम्बर –2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	07.09.2017	06:00 PM	तहसील देवप्रयाग, साकनीधार के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0मार्ग	बस UK-14PA-0173 व अल्टो UA-07L-8218	–	–	2	निजी वाहन यात्री वाहन
2	09.09.2017	07:00AM	तहसील देवप्रयाग, भ्वीड चूगीं के समीप, ऋषिकेश –श्रीनगर मो0मार्ग	टैंम्पो UK-07TP-1383 व ट्रक UK-07C-2155	–	–	–	भार वाहन यात्री वाहन
3	15.09.2017	07:10AM	तहसील देवप्रयाग, बच्छेलीखाल के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0मार्ग	ट्रक–UK-08CA-1915 व सूमो UK-07TB-1679	–	–	1	भार व निजी वाहन
4	16.09.2017	10:00AM	तहसील नरेन्द्रनगर, ताछला के समीप, ऋषिकेश–चम्बा मो0 मार्ग	ट्रक UK-09CA-0043	–	–	1	भार वाहन
5	19.09.2017	05:00AM	तहसील देवप्रयाग, बच्छेलीखाल के समीप, ऋषिकेश –श्रीनगर मो0मार्ग	बुलेरो कैम्पर UK-12CA-0686	–	–	1	यात्री वाहन
6	22.09.2017	12:30AM	तहसील नरेन्द्रनगर, शिवपुरी के समीप, ऋषिकेश –श्रीनगर मो0मार्ग	मारूती UK-07PA-1561	–	–	2	निजी वाहन
7	23.09.2017	07:40 PM	तहसील देवप्रयाग, बच्छेलीखाल के समीप, ऋषिकेश –श्रीनगर मो0मार्ग	बाईक UK-07BW-5559	1	–	1	निजी वाहन
8	29.09.2017	6:00 AM	तहसील गजा, डाबड़ाखाल के समीप, ऋषिकेश–पोखरी मार्ग	ट्रक UK-07 CC 1177	–	–	–	भार वाहन

9	29.09.2017	9:55 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, ताछला के समीप, ऋषिकेश–चम्बा मो0 मार्ग	बाईक DL 7S BH 0217	–	–	1	निजी वाहन
			योग–		1	–	9	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 09
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 01
गम्भीर घायलों की संख्या– 00
घायलों की संख्या– 09

माह अक्टूबर –2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	1.10.2017	7:45 PM	तहसील नैनबाग, नैग्याणा गांव के समीप, नैनबाग–ऐन्दी मो0 मार्ग	कार DL02 CA 6794	1	–	2	निजी वाहन
2	2.10.2017	1:30 AM	तहसील नैनबाग, घण्डियाला गांव के समीप, लगवाड़–घण्डियाला ग्रा0 मो0 मार्ग	पिकअप UA07 F 8860	2	–	2	भार वाहन
3	7.10.2017	6:50 PM	तहसील टिहरी, दिखोलगांव के समीप, ऋषिकेश–चम्बा मो0 मार्ग	स्कूटी UK09 A 5409 व ट्रक UK 07 CA 2721	1	–	1	निजी व भार वाहन
4	9.10.2017	9:10 PM	तहसील घनसाली, म्युण्डा सारपुल गांव के समीप, लम्बगांव–घनसाली मो0 मार्ग	डम्पर UK09 C 0836	1	–	–	भार वाहन
5	11.10.2017	04:05 PM	तहसील कण्डीसौड़, रत्नौगाड़ के समीप, चम्बा–उत्तरकाशी मो0 मार्ग	ट्रक UK07-CC-0797 बाईक UK-09-7238	1	–	1	निजी व भार वाहन
6	18.10.2017	10:00 PM	तहसील प्रतापनगर, नौघर के समीप	बाईक UK-14-8504 TVS (Apachi)	–	1	–	निजी वाहन
7	20.10.2017	04:30 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, तपोवन के समीप श्रीनगर ऋषिकेश मो0 मार्ग	आल्टो कार UK-12A-8880	–	–	1	निजी वाहन
8	25.10.2017	02:35 PM	तहसील नैनबाग, टिकरी गांव के समीप, नैनबाग जागधार मो0 मार्ग	यूटिलिटि HP-17B-0463	–	–	2	भार वाहन
			योग		6	1	9	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 08
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 06
गम्भीर घायलों की संख्या– 01
घायलों की संख्या– 09

माह नवम्बर –2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	07.11.2017	11:50 AM	तहसील नैनबाग, गढ़खेत से 02किमी0 आगे, थत्यूड़ मो0मार्ग	जेसीबी HP-17E-1827	1	–	1	मशीन
2	11.11.2017	02:20 PM	तहसील कण्डीसौड़, रत्नोगाड़ के समीप, चम्बा–धरासू मो0 मार्ग	ट्रक– UK-10-0048, बाईक– UA-07L-3795	–	–	1	भार व निजी वाहन
3	12.11.2017	03:45 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, ताछला के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	स्वीफ्ट– UK-07AG-9667	1	–	5	निजी वाहन
4	17.11.2017	01:40 PM	तहसील टिहरी, चम्बा के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	बस– UK-14PA-0107	–	–	1	यात्री वाहन
5	18.11.2017	08:00 PM	तहसील घनसाली, सुनहरी गाड़ के समीप, घनसाली– ढुंगमन्धार मो0 मार्ग	बस व बाईक	1	–	–	यात्री व निजी वाहन
6	21.11.2017	10:15 PM	तहसील कण्डीसौड़, नगुण के समीप, चम्बा–धरासु मो0 मार्ग	बाईक DL-6HAF-9694	1	–	–	निजी वाहन
7	22.11.2017	05:30 PM	थाना चम्बा, दुर्वालगांव के समीप, चम्बा– ऋषिकेश मो0 मार्ग	आल्टो UK-07AR-3904	–	–	3	निजी वाहन
8	23.11.2017	08:10 AM	थाना लम्बगांव, स्यासू पूल के समीप, लम्बगांव–स्यासू मो0 मार्ग	ट्रक–UK-07-1707	–	–	1	भार वाहन
9	23.11.2017	05:40 PM	तहसील जाखणीधार, टिपरी के समीप,	आल्टो कार	–	–	1	निजी वाहन
10	25.11.2017	08:55 AM	तहसील बालगंगा, नागेश्वर सौड़ के समीप, चमियाला– उत्तरकाशी मो0 मार्ग	पिकअप–UK-09CA-9660	–	–	14	भार वाहन
			योग		4		27	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 10
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 04
गम्भीर घायलों की संख्या– 00
घायलों की संख्या– 27

माह दिसम्बर–2017 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
01	01.12.2017	09:15 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, आगराखाल के समीप, ऋषिकेश– चम्बा मो0 मार्ग	ट्रक–UK-07CC-0521	–	–	1	भार वाहन
02	06.12.2017	02:35 PM	तहसील देवप्रयाग, तीनधार के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	मैक्स– UK-07-7206	4	1	7	यात्री वाहन
03	09.12.2017	01:00 AM	तहसील नरेन्द्रनगर, व्यासी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0मार्ग	ट्रक–UK-13CA-0471	1	–	1	भार वाहन
04	09.12.2017	01:15 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, ब्रह्मपुरी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0मार्ग	कार– UA-07Q-2800, UK07-TC-0271	–	–	2	निजी वाहन
05	09.12.2017	08:30 PM	थाना मुनिकीरेती, पीडब्लूडी के समीप, ऋषिकेश– देवप्रयाग मो0 मार्ग	DL-85AB-4363	1	–	1	निजी वाहन
06	12.12.2017	08:20 PM	तहसील प्रतापनगर,रजाखेत के समीप, रजाखेत–लम्बगांव मो0मार्ग	बस–UP-07CC-0304, स्कूटी–UK07B-0729	1	–	1	निजी दुपहिया– यात्री वाहन
07	22.12.2017	01:35 PM	तहसील धनोल्टी, शिपाखेत के समीप, नैनबाग–थत्यूड़ मो0 मार्ग	जेसीबी	1	1	1	जेसीबी
			योग–		8	2	14	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 07
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 08
गम्भीर घायलों की संख्या– 02
घायलों की संख्या– 14

माह जनवरी –2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र.	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
01	06.01.2018	05:12 PM	तहसील घनसाली, मुलगढ़ बनोली नामे तोक के समीप, घनसाली–तिलवाड़ा मो0 मार्ग	अज्ञात वाहन		1	2	भार वाहन
02	16.01.2018	07:00 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, दिउली के समीप,. ऋषिकेश–चम्बा मो0मार्ग	स्विफ UK-07-9862	1			निजी वाहन
03	19.01.2018	07:10 PM	तहसील धनोल्टी, कुमाल्डा चौकी के समीप, मसूरी–चम्बा मो0मार्ग	HP-33-TA-9113			2	निजी वाहन
04	28.01.2018	02:20 AM	तहसील टिहरी, कणाताल के समीप, मसूरी–चम्बा मो0मार्ग	UP-25BU-3456			2	निजी वाहन
05	29.01.2018	10:20 AM	तहसील टिहरी, गाजणा के समीप, चम्बा– कोटीकलोनी मो0 मार्ग	UK-07CC-3400	3		1	भार वाहन
			योग–		04	01	07	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 05
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 04
गम्भीर घायलों की संख्या– 01
घायलों की संख्या– 07

माह फरवरी –2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र.	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
01	07.02.2018	09:00 AM	तहसील देवप्रयाग, बछेलीखाल के समीप, ऋषिकेश देवप्रयाग	JH-01CJ-7002	1		2	निजी वाहन
02	10.02.2018	02:15 PM	तहसील कण्डीसौड़, पोखरी गांव के समीप, थत्यूड़ भवान मो0 मार्ग	अज्ञात वाहन			1	निजी वाहन
03	16.02.2018	03:10 AM	तहसील नरेन्द्रनगर, PTC चौकी के समीप,. ऋषिकेश–चम्बा मो0मार्ग	UK-07CC-0168	1			भार वाहन

04	17.02.2018	05:10 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, धौलापानी के समीप,. ऋषिकेश–चम्बा मो0मार्ग	UK-10-5300	2		3	निजी वाहन
05	19.02.2018	05:25 PM	तहसील नैनबाग, मराड़ के समीप, देहरादून–उत्तरकाशी–मसूरी मो0 मार्ग	UK-07-4500	1		4	यात्री वाहन
06	20.02.2018	08:35 AM	तहसील देवप्रयाग, मूल्यागांव के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	DL-10CE-7672			3	निजी वाहन
07	20.02.2018	05:30 AM	तहसील घनसाली, देवरीगांव के समीप, टिहरी–श्रीनगर मो0 मार्ग	UK-09TA-0491	2		7	यात्री वाहन
08	22.02.2018	11:55 PM	तहसील गजा, जयकोट–फलसारी मो0 मार्ग	UK-07AL-9660			1	निजी वाहन
09	27.02.2018	07:30 AM	तहसील नरेन्द्रनगर, दुवाधार के समीप, ऋषिकेश–चम्बा मो0मार्ग	UK-07B-6325			3	निजी वाहन
			योग–		7	0	24	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 09
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 07
गम्भीर घायलों की संख्या– 00
घायलों की संख्या– 24

माह मार्च–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र.	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
01	10.03.2018	05:30 PM	तहसील धनोल्टी, नगराजाधार बैण्ड के समीप, नगुण–सुवाखोली मो0 मार्ग	HR-10M-8813			6	निजी वाहन
02	22.03.2018	10:20 AM	तहसील टिहरी, काण्डीखाल अलेरू गांव के समीप चम्बा–धरासु मो0 मार्ग	UA-08-1617			4	निजी वाहन
03	25.03.2018	06:10 AM	तहसील देवप्रयाग, पाली गांव के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	UP-10C-5656	1	1	1	निजी वाहन
04	29.03.2018	05:45 PM	थाना लम्बगांव धौंतरी के समीप	UK-14T-5152			2	निजी वाहन
			योग–		1	1	13	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 04 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 01 गम्भीर घायलों की संख्या–01 घायलों की संख्या–13

माह अप्रैल–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र.	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
01	07.04.2018	04:20 PM	तहसील देवप्रयाग, पहाड़ी ढाबा के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	UK-11-5008	2	3		निजी वाहन
02	09.04.2018	09:00 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, फकोट के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	ट्रक UA-09-1972	–	–	2	भार वाहन
03	10.04.2018	04:15 PM	थाना मुनिकीरेती, व्यासी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	स्कूटी UK-12C-3987, डम्फर UK-16PA-0418 आपस मे टक्कर होने से	1	–	1	निजी व भार वाहन
04	15.04.2018	05:00 PM	तहसील पावकी देवी, बजाज होटल के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	स्वीफ्ट UK-07BY-3810			4	निजी वाहन
05	16.04.2018	12:30 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, ताछला के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	बलेलो UK-07BX-7682	1	1	–	निजी वाहन
06	16.04.2018	06:15 PM	तहसील टिहरी, छमुण्ड के समीप, टिहरी–कोटीकलोनी मो0 मार्ग	ओवेला कोर्सा UA-08E-5888	1		4	निजी वाहन
7	23.04.2018	07:30 AM	तहसील देवप्रयाग, तीनधार के समीप, ऋषिकेश–देवप्रयाग मो0 मार्ग	Indigo UA-07AB-9725	2		1	निजी वाहन
8	24.04.2018	06:45 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, फकोट के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	Scooty UK-14B-1806			1	निजी वाहन
9	24.04.2018	07:45 PM	तहसील मदननेगी, मदननेगी बाजार के समीप, लम्बगांव– प्रतापनगर मदननेगी मो0 मार्ग	Maruti 800			2	निजी वाहन
10	26.04.2018	07:00 AM	तहसील देवप्रयाग, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	Sky Fobiya UK-07VG-5779	1		2	निजी वाहन
11	28.04.2018	11:05 AM	तहसील देवप्रयाग, काण्डी बैण्ड के समीप, गडोलिया–श्रीनगर मो0 मार्ग	BUS UA-09-6058			3	यात्रा वाहन
12	28.04.2018	03:50 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, बेमर के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	BUS UA-10-4727			9	यात्रा वाहन

13	28.04.2018	05:50 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, प्लास्टा के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	Utility UK14-CA-1141			1	भार वाहन
14	30.04.2018	08:40 PM	तहसील कण्डीसौड़, जसपुर गांव के समीप, चम्बा–उत्तरकाशी मो0 मार्ग	Taxi UA10-4736, BUS UK-07DA-2103			2	यात्रा वाहन
			योग–		8	4	32	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 14   दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 08

गम्भीर घायलों की संख्या– 04   घायलों की संख्या– 32

माह मई–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग / दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
01	02.05.2018	09:00 AM	तहसील देवप्रयाग, बागवान धर्मनगर के समीप ऋषिकेश–बद्रीनाथ मो0 मार्ग	Indigo PB-11AQ-0853			3	निजी वाहन
02	06.05.2018	08:00 PM	तहसील टिहरी, टीएचडीसी के समीप, नई टिहरी–बी0 पुरम मो0 मार्ग	Bike RJ-14PW-0507			2	निजी वाहन
03	09.05.2018	04:45 PM	तहसील धनोल्टी, मोरियाना के समीप, सुवाखोली मोरियाना मो0 मार्ग	Swift UK-07DA-0275			5	निजी वाहन
04	12.05.2018	12:55 PM	तहसील टिहरी, नागणी के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	Bike UK-09A-5787			1	निजी वाहन
05	12.05.2018	04:35 PM	तहसील नरेन्द्रनगर, ताछला के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	BUS UK-14PA-0119		3		यात्री वाहन
06	12.05.2018	06:50 PM	तहसील टिहरी, सिलोगी बैण्ड के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	Maruti 800 UA-09-2943			7	निजी वाहन
7	14.05.2018	06:30 PM	तहसील बालगंगा, सेन्दुल के समीप, घनसाली–चमियाला मो0 मार्ग	Bike (Passion)	2			निजी वाहन
8	17.05.2018	08:45 PM	तहसील प्रतापनगर, धौंतरी–कोडार के समीप, उत्तरकाशी–धौंतरी मो0 मार्ग	Tempo Trevler UK-08TA-0351 Dumfar UK-07CB-3607			1	यात्री / भार वाहन
9	24.05.2018	09:00 AM	तहसील नरेन्द्रनगर, आगराखाल के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0 मार्ग	UA-07F-7495			7	निजी वाहन
10	27.05.2018	11:10 PM	तहसील कीर्तिनगर जुयालगढ़ पुलिया के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	DL-9CY-2199	1		2	निजी वाहन
11	29.05.2018	09:00 AM	तहसील बालगंगा, जसपुर दल्ला के समीप, लम्बगांव–घनसाली मो0 मार्ग	UK-11CA-0090			6	भार वाहन
12	30.05.2018	05:10 PM	तहसील बालगंगा, घेरका बैण्ड के समीप,	UK-08TA-5486			9	यात्री

			चमियाला–लम्बगांव मो0 मार्ग					वाहन
13	31.05.2018	07:00 PM	तहसील देवप्रयाग, कौडियाला के समीप, देवप्रयाग–श्रीनगर मो0 मार्ग	BUS, UK-11CA-0113 BUS, UK-15TA-4828			4	यात्री वाहन
				कुल	3	3	47	

कुल वाहन दुर्घटनाएं–13 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 03 गम्भीर घायलों की संख्या– 03 घायलों की संख्या–47

माह जून–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
01	03.06.2018	12:45 PM	तहसील देवप्रयाग, व्यासी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	UK-08PA-0469			4	यात्री वाहन
02	06.06.2018	07:50 PM	तहसील धनोल्टी, ग्राम मरोड़ा, नगुण–उत्तरकाशी मो0 मार्ग	UK-07BA-0719			1	निजी वाहन
03	10.06.2018	09:50 AM	तहसील देवप्रयाग, भरपूर गदरे के समीप ऋषिकेश बद्रीनाथ रा0 राज मार्ग,	UP-17AT-3549	2		15	यात्री वाहन
04	12.06.2018	11:20 AM	तह0 कण्डीसौड़, उत्तरकाशी–चम्बा मो0 मार्ग	Tacter HR32-4738			1	निजी वाहन
05	13.06.2018	09:00 AM	तह0 नरेन्द्रनगर, थाना मुनिकीरेती	Tacter UK07AY-0139	1		2	
06	15.06.2018	06:45 AM	तह0 टिहरी, चम्बा–मसूरी मो0मार्ग, खाडकीखाल के समीप	DL2T AU 3680	2			निजी वाहन
7	16.06.2018	07:00 PM	तह0 प्रतापनगर, लम्बगांव भरपूर मो0मार्ग, सालगी के समीप	UK07TC 2524	2			यात्री वाहन
8	21.06.2018	05:30 PM	तह0 देवप्रयाग, सौड़पानी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	PB02-BQ 2017 Bike	1			
9	28.06.2018	06:00 AM	तह0 देवप्रयाग, सौड़पानी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	HR56-A2125	2			भार वाहन
			कुल		10	0	23	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 09
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 10
गम्भीर घायलों की संख्या– 00
घायलों की संख्या– 23

माह जुलाई–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1.	05.07.2018	07:45 PM	तह0 घनसाली, गैस एजेन्सी के समीप,	UK-14C-0990	1			भार वाहन
2.	09.07.2018	05:20 PM	तह0 नरेन्द्रनगर, ढालवाला के समीप, चम्बा–ऋषिकेश मो0मार्ग					टेक्टर
3.	19.07.2018	08:00 AM	तह0 टिहरी, चम्बा–स्यूलाधार के समीप उत्तरकाशी मो0 मार्ग	UK07-PA-1929	17	2	11	यात्री वाहन
4.	21.07.2018	06:40 PM	तह0 देवप्रयाग, शिवपुरी के पास, ऋषिकेश–देवप्रयाग मो0 मार्ग	Bolero Camper UK-14TA-0712	1	1		भार/यात्रा वाहन
			योगः–		19	3	11	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 04 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 19 गम्भीर घायलों की संख्या– 03 घायलों की संख्या– 11

माह अगस्त–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1.	05.08.2018	09:30 AM	तह0 नरेन्द्रनगर, ब्रह्मपुरी के समीप, ऋषिकेश–देवप्रयाग मो0 मार्ग	Bike UP-15AH-3765	1		1	निजी वाहन
2.	25.08.2018	11:50 AM	तह0 कण्डीसौड़, कुनेर के समीप, चम्बा–धरासू मो0 मार्ग	Maxx UK-10TA-0331	2	5	4	यात्री वाहन
3.	28.08.2018	01:43 PM	उप तह0 पावकी देवी, मिण्डाथ–ससमण ग्रा0मो0मार्ग, चार पानी नामे तोक मिण्डाथ के समीप	BUS UK07-PC-0323	2	11	22	यात्री वाहन
			योग		5	16	27	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 3
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 5
गम्भीर घायलों की संख्या– 16
घायलों की संख्या– 27

माह सितम्बर–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1.	12.09.2018	09:40 PM	तह0 प्रतापनगर, क्यारी के समीप, लम्बगांव–प्रतापनगर मो0 मार्ग	Alto UK-14-8818	1		5	निजी वाहन
2.	12.09.2018	11:40 AM	तह0 देवप्रयाग, सौड़पानी के समीप, देवप्रयाग मो0 मार्ग	TUV 500 UK-12CC-7799	1	_	1	निजी वाहन

3.	23.09.2018	06:40 PM	तह0 देवप्रयाग, जामणीखाला, चन्द्रबदनी–देवप्रयाग 0मो0मार्ग,	Maruti 800 UK-07D-2922	1	_	_	निजी वाहन
योग					3	0	6	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 3
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 3
गम्भीर घायलों की संख्या– 0
घायलों की संख्या– 6

माह अक्टूबर–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1.	03.10.2018	06:05 PM	थाना थत्युड़ मंजगांव के समीप, कुमाल्डा–रायपुर मो0मार्ग	Mini Bus UK-07c-0212	1	3	3	यात्री वाहन
2.	03.10.2018	02:15 PM	तह0 देवप्रयाग, बच्छेलीखाल के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	Maruti 800 DL-07CD-8752	1		3	निजी वाहन
3.	10.10.2018	05:30 PM	उप तह0 पावकीदेवी, (शिवपुरी) तिमलीपानी के समीप, ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग	Omni DL-14CC-8007	_	_	3	निजी वाहन
4.	13.10.2018	08:00 PM	तह0 देवप्रयाग, हिण्डोलाखाल, टिपरी–जाखणीधार 0मो0मार्ग,	HR-70A-5702	3	_	3	निजी वाहन
योग					4	3	12	

कुल वाहन दुर्घटनाएं– 4
दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 5
गम्भीर घायलों की संख्या– 3
घायलों की संख्या– 12

माह नवम्बर–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1.	03.11.2018	09:05 PM	तहसील प्रतापनगर पीपलडाली पुलिस चौकी के समीप, पीपलडाली–रजाखेत मो0मार्ग	Truck UA-07CC-0708	02	01 लापता	01	भार वाहन
2.	08.11.2018	12:30 PM	तह0 देवप्रयाग, सकनीधार के समीप, ऋषिकेश–देवप्रयाग मो0 मार्ग	Bus UK-15PA-0493	-	-	05	यात्री वाहन
3.	12.11.2018	05:00 PM	तह0 नैनबाग, छौंतीगांव के समीप अग्लाड–थत्यूड़ मो0 मार्ग	Pikup UK-07CB-4508	01	_	_	भार वाहन

4.	19.11.2018	08:45 PM	तह0 घनसाली, गोरियागांव के समीप, मुयालगांव लिंक रोड़ 0मो0मार्ग,		01	_	02	निजी वाहन
5.	22.11.2018	04:00 AM	तह0 नरेनदनगर पलास्डा चौकी के समीप ऋषिकेश–चम्बा मार्ग	UK-11CA-0368	-	-	01	भार वाहन
6.	22.11.2018	11:30 PM	तह0 कण्डीसौड़ चम्बा उत्तरकाशी मार्ग उनियाल गांव के समीप पनीयाली तोक	UK11-CA8585	-	-	03	भार वाहन
7.	22.11.2018	06:45 PM	तह0 चम्बा चम्बा कोटी मार्ग शनीदेव मन्दिर के समीप	UP-07J-2598			02	निजी वाहन
8.	28.11.2018	01:30 PM	तह0 धनोल्टी सुवाखोली–अलमस–भवान मार्ग रौतु की बेली के समीप	UK-09-9200			02	निजी वाहन
योग					04	01	16	

कुल वाहन दुर्घटनाएं–8 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 4 गम्भीर घायलों की संख्या– 01 घायलों की संख्या–16

माह दिसम्बर–2018 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	11.12.2018	7:45 AM	त0–देवप्रयाग ऋषिकेश–श्रीनगर मो0 मार्ग बछेलीखाल के समीप	UK-07BW-1452	02	-	04	निजी वाहन
2	12.12.2018	7:30 PM	त0 कण्डीसौड चम्बा उत्तराकाशी मो0मार्ग0 काण्डीसौड के समीप	UA-09A-7079	-	-		निजी वाहन
3	13.12.2018	12:20 PM	त0 टिहरी चम्बा कोटी मो0 मार्ग शानि मन्दिर के समीप टैम्पों ट्रेवलर और ईनोवा कार की टक्कर	UK-07TA-5798 HR-51AJ-3390	-	-	04	निजी वाहन
4	13.12.2018	2:30 PM	त0–धनोल्टी अगलाड–थत्यूड मो0 मार्ग ललोटना गांव के समीप	UK-07P-0326	-	-	01	निजी वाहन
5	15.12.2018	9:30 PM	त0 नरेन्द्रनगर दिउली खार्की–खुसरेला लिंक मार्ग रसमोली के समीप	UK-07CC-0852	01	-		भार वाहन /पिकअप
6	13.12.2018	2:30 PM	त0–धनोल्टी अगलाड–थत्यूड मो0 मार्ग ललोटना गांव के समीप	UK-07P-0326	-	-	01	निजी वाहन
7	27.12.2018	9:15 AM	त0 टिहरी नई टिहरी चम्बा मार्ग पुलिस लाईन बदशाही थौल के समीप	UA-07R-7105		-	10	यात्री वाहन /बस
8	27.12.2018	5:50 PM	त0 प्रतापनगर कण्डाखाल प्रतापनगर मार्ग बनाली गांव के समीप	UK08HP-2955	03	-	-	
9	30.12.2018	10:40 AM	त0 धनोल्टी थत्यूड देहारदून मार्ग बांगसी गांव के समीप	UK07BS-2371	-	-	01	

कुल वाहन दुर्घटनाएं–9 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 8 गम्भीर घायलों की संख्या– 0 घायलों की संख्या–21

माह जनवरी –2019 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	03.01.2019	12:45 PM	त0–धनोल्टी रायपुर कुमाल्डा राज्य मार्ग–19 कुमाल्डा के समीप	UK-07BTA-0162	.	-	03	बाईक
2	07.01.2019	3:45PM	त0–कीर्तिनगर श्रीनगर हिसारियाखाल मार्ग पोढीखाल के समीप	Uk-13TA-0108	01	-		मैक्स
3	09.01.2019	4:45 PM	त0 नरेन्द्रनगर ऋषिकेश चम्बा मार्ग अगराखाल के समीप	UK-07TA-9496	-	-	06	टाटा सूमो
4	13.01.2019	11:40 PM	त0–प्रतापनगर प्रतानगर ओखलाखाल मार्ग ओखलाखाल के समीप	UK-07CB-3626	-	-	02	मिनी ट्रक
5	13.01.2019	2:30 PM	त0 नरेन्द्रनगर ऋषिकेश चम्बा मार्ग पोलिटेक्नीक के समीप	UK-15B-0538	–	-	02	निजी वाहन
6	14.01.2019	6:15 PM	त0 धनोल्टी अगलाड थत्यूड जिला मार्ग–10 बांसीगांव के समीप	UA-07J-7753	02	-	.	पिकअप
7	16.01.2019	3:40 PM	त0 नरेन्द्रनगर ऋषिकेश चम्बा मार्ग मार्ग फकोट के समीप	UK-09B-4068		-	04	निजी वाहन
8	19.01.2019	10:50 PM	त0 पावकीदेवी ऋषिकेश देवप्रयाग श्रीनगर एन एच 58 गुलर पुल के समीप	PB13BD-6882	01	-	-	ट्रोला (भार वाहन)
9	22.01.2019	1:50 PM	त0 नरेन्द्रनगर ऋषिकेश चम्बा मार्ग आगराखाल के समीप	-	02	-	.	
10	22.01.2019	10:40 AM	त0–देवप्रयागऋषिकेश देवप्रयाग श्रीनगर एन एच 58 तोताघाटी के समीप	UK-07F-9822	01			भार वाहन ट्रक
11	22.01.2019	8:25 AM	त0–टिहरी नई टिहरी बौराडी मार्ग जेजे फूड के समीप	UK-14TA-1609	01			निजी वाहन
12	31.01.2019	4:35 pM	त0 देवप्रयागऋषिकेश देवप्रयाग श्रीनगर एन एच 58 तीनधारा के समीप	PB-07Y-4547			01	ट्रोला (भार वाहन)

कुल वाहन दुर्घटनाएं–12 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 8 गम्भीर घायलों की संख्या–0 घायलों की संख्या–17

माह फरवरी –2019 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	01.02.2019	03:25 PM	त0–धनोल्टी रायपुर कुमाल्डा राज्य मार्ग–19 मालदेवता के समीप	UK-09-7077	.	-	03	निजी वाहन
2	05.02.2019	3:50PM	त0–पावकीदेवी गुलर चमेली मार्ग चमेली के समीप	-	01	-		निजी वाहन

कुल वाहन दुर्घटनाएं–02 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 01 गम्भीर घायलों की संख्या–0 घायलों की संख्या–03

माह मार्च –2019 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र.	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	06.03.2019	09:05 PM	त0 नरेन्द्रनगर ऋषिकेश चम्बा मार्ग आमसेरा के समीप	-	02	-	.	पिसी 200
2	21.03.2019	7:00PM	त0 कण्डीसौड स्यांसू रतवाडी मार्ग पर	HR-09A-9767	-	-	02	निजी वाहन

कुल वाहन दुर्घटनाएं–02 दुर्घटना में मृतकों की संख्या– 02 गम्भीर घायलों की संख्या–00 घायलों की संख्या– 02

माह अप्रैल –2019 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	07.04.2019	08:00 AM	त0 घनसाली घनसाली घुत्तु मार्ग घुत्तु के समीप	UK-09CA-0778	.	02	02	पिकअप
2	10.04.2019	10:00PM	त0 नरेन्द्रनगर चम्बा ऋषिकेश मार्ग खाडी के समीप	UK-16B-6872	01	01	.	ट्रेक्टर
3	12.04.2019	8:50AM	त0 प्रतापनगर लम्बागांव टिहरी मार्ग भैलुन्ता के समीप	UK-07-5968			04	मैक्स
4	16.04.2019	9:30AM	त0 काण्डीसौड चम्बा धरासू मो मार्ग मठियाली के समीप	UK-10TA-0032	03	-	.	टाटा सूमो
5	21.04.2019	01:15 PM	त0 काण्डीसौड चम्बा धरासू मो मार्ग–94 नागरजाधार	-	01	-	.	निजी वाहन
6	21.04.2019	02:30 AM	त0 टिहरी चम्बा कोटी मार्ग जाख के समीप	UK-07-0538	-	01	.	निजी वाहन
7	25.04.2019	02:00 PM	त0 टिहरी चम्बा ऋषिकेश मार्ग खाडी के समीप	UK-11PA-0143	-	-	07	बस

कुल वाहन दुर्घटनाएं–07 दुर्घटना में मृतकों की संख्या–05 गम्भीर घायलों की संख्या–04 घायलों की संख्या–13

माह मई–2019 को जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत घटित दुर्घटनाओं का विवरण।

क्र0 सं0	दुर्घटना की तिथि	समय	मोटर मार्ग/दुर्घटना का स्थान	दुर्घटनाग्रस्त वाहन का विवरण	मृतक	गम्भीर घायल	घायल	वाहन प्रकार
1	06.05.2019	11:00 PM	त0 टिहरी बदशाहीथौल सौन्दकोटी कोटी मार्ग सौन्दकोटी के समीप।	UK-09-9341	01	-	02	निजी वाहन
2	11.05.2019	03:00 PM	त0कण्डीसौड सुवाखोली अलमस भवान मार्ग मारियाणा के समीप।	UK-10TA-0602	01	02	.	मैक्स
3	21.05.2019	03:20 PM	त0 देवप्रायग ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग मुल्यागांव के समीप।	UK-13TA-0032			22	बस
4	25.05.2019	03:00AM	त0 जाखणीधार टिपरी जाखणीधार मार्ग कोटीखास के समीप।	UK-14CA-1122	02	-	.	भार वाहन ट्रक
5	26.05.2019	12:15PM	त0 देवप्रायग ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग लक्ष्मोली के समीप	UA-110-702/UA-13PA-0183	03	03	11	बस/मैक्स

			बस/मैक्स की टक्कर।					
6	28.05.2019	7:30AM	त0कण्डीसौड सुवाखोली अलमस भवान मार्ग मारियाणा के समीप।	CH-01-T-9851	-	01	04	निजी वाहन
7	30.05.2019	3:30PM	त0 टिहरी चम्बा कोटी कलोनी मार्ग बागबाटा के समीप ।	UA-07BH-2395	-	-	03	निजी वाहन

कुल वाहन दुर्घटनाएं—07 दुर्घटना में मृतकों की संख्या—07 गम्भीर घायलों की संख्या—06 घायलों की संख्या—52

सूखा

जनपद ने वर्ष 2006 में सूखे की मार झेली है। इस से पूर्व भी 1987–88 में सूखे के फलस्वरूप कृषि/फल उत्पादन प्रभावित हुआ तथा पेयजल एवं पशुचारे की गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई। सन् 2002 में जिले के 1090 राजस्व ग्रामों की फसल सूखे के कारण 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट हुई है। तद्समय जनपद के 6 ब्लाकों में 50 से 95 प्रतिशत तथा 3 ब्लाकों में 50 प्रतिशत से कम क्षति हुई। उस समय सूखे के फलस्वरूप रबी की फसलों को हुई क्षति का विवरणः–

तहसीलों की संख्या	**7 (तद्समय)**
कुल ग्रामों की संख्या	**1715**
प्रभावित ग्रामों की संख्या	**1707**
कुल कृषित क्षेत्रफल (है0)	**66910.231**
बोया गया क्षेत्रफल (है0)	**36872.745**
प्रभावित क्षेत्रफल (है0)	**32725.627**
क्षति का प्रतिशत	**63%**
क्षति का मूल्यांकन (लाख रू0 में)	**2696.36**
प्रभावित फसलें	**गेंहू, जौ, लाई आदि**
प्रभावित जनसंख्या	**562372**

जनपद क्षेत्रान्तर्गत आपदाएं–आपदाओं की बारम्बारता

आपदाएं	आपदा की बारम्बारता		
	न्यून	मध्यम	अधिक
भूकम्प	— — — — —	— — — — — —	— —
भू–स्खलन	— — — — —	— — — — —	
बाढ़/अतिवृष्टि/ओलावृष्टि	— — — — —	— — — — — —	— — -
वनाग्नि	— — — — —	— -	
सूखा	— — — — —	-	
महामारी	— — — — —		
सड़क दुर्घटनाएं	— — — — —	— — — — — —	— — -

जनपद टिहरी क्षेत्रान्तर्गत माहवार औसत वर्षा के आंकडे (mm में)

(वर्ष 2012)

माह	तह0 टिहरी	तह0 नरेन्द्रनगर	तह0 देवप्रयाग	तह0 कीर्तिनगर	तह0 धनोल्टी	औसत वर्षा
जनवरी	77.00	42.05	40.00	30.44	65.00	50.53
फरवरी	27.00	15.00	11.00	00.00	06.00	11.80
मार्च	71.60	32.00	25.00	10.00	39.00	35.52
अप्रैल	52.00	02.00	00.00	00.00	27.00	16.20
मई	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
जून	21.50	66.00	09.00	00.00	14.00	22.10
जुलाई	321.40	394.00	233.00	64.35	356.00	273.75
अगस्त	703.40	738.85	357.00	406.38	404.00	521.92
सितम्बर	107.30	463.50	122.00	79.12	104.00	175.18
अक्टूबर	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
नवम्बर	12.00	04.00	00.00	04.30	09.00	05.86
दिसम्बर	30.60	20.00	17.00	18.70	18.00	20.86

(वर्ष 2013)

माह	तह0 टिहरी	तह0 नरेन्द्रनगर	तह0 देवप्रयाग	तह0 कीर्तिनगर	तह0 धनोल्टी	औसत वर्षा
जनवरी	112.00	70.00	70.50	70.00	74.00	79.30
फरवरी	267.30	152.14	117.70	190.70	173.00	188.69
मार्च	17.00	15.00	00.00	16.70	20.00	17.17
अप्रैल	08.00	03.00	00.00	26.40	00.00	09.35
मई	55.00	01.00	00.00	00.00	41.00	24.25
जून	652.50	647.00	05.50	384.20	476.00	531.18
जुलाई	415.80	674.90	38.00	95.50	435.00	331.84
अगस्त	299.80	507.40	103.00	156.71	296.00	272.58
सितम्बर	149.00	246.80	02.00	46.10	134.00	115.58
अक्टूबर	18.00	30.00	00.00	18.80	18.00	16.96
नवम्बर	00.00	00.00	01.00	00.00	00.00	00.20
दिसम्बर	02.00	00.00	00.00	00.00	10.00	02.40

(वर्ष 2014)

माह	तह0 टिहरी	तह0 नरेन्द्रनगर	तह0 देवप्रयाग	तह0 कीर्तिनगर	तह0 धनोल्टी	औसत वर्षा
जनवरी	23.00	97.00	33.00	15.40	77.00	49.08

फरवरी	118.00	106.00	98.00	109.60	206.00	127.52
मार्च	116.00	54.00	38.00	59.30	95.00	72.46
अप्रैल	44.00	16.00	04.00	36.40	51.00	30.28
मई	138.50	16.00	09.00	53.50	54.00	54.20
जून	13.00	104.00	02.20	03.30	34.00	31.30
जुलाई	433.50	637.00	369.80	190.65	251.29	336.44
अगस्त	433.50	637.00	369.80	190.65	251.29	343.60
सितम्बर	87.50	83.90	33.10	16.30	70.00	58.16
अक्टूबर	11.50	21.00	04.00	13.30	05.00	10.96
नवम्बर	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
दिसम्बर	16.00	03.00	21.60	17.30	10.00	13.58

(वर्ष 2015)

माह	तह0 टिहरी	तह0 नरेन्द्रनगर	तह0 देवप्रयाग	तह0 कीर्तिनगर	तह0 धनोल्टी	औसत वर्षा
जनवरी	44.00	21.00	86.30	27.70	32.00	42.20
फरवरी	76.00	20.00	95.20	39.50	77.50	61.64
मार्च	179.00	120.00	194.56	76.65	179.00	149.80
अप्रैल	31.00	75.01	91.91	21.02	62.20	56.228
मई	41.50	15.00	75.29	21.08	56.00	41.774
जून	139.00	208.00	214.24	127.53	88.00	155.354
जुलाई	283.50	382.70	201.71	110.63	390.00	273.708
अगस्त	205.24	687.07	113.35	170.04	170.03	269.146
सितम्बर	19.37	55.00	14.08	10.06	13.00	22.138
अक्टूबर	09.50	58.00	01.02	06.00	11.00	28.00
नवम्बर	01.00	00.00	01.00	00.00	05.00	00.00
दिसम्बर	19.00	5.00	4.60	4.00	14.00	7.76

(वर्ष 2016)

माह	तह0 टिहरी	तह0 नरेन्द्रनगर	तह0 देवप्रयाग	तह0 कीर्तिनगर	तह0 धनोल्टी	तह0 घनसाली	औसत वर्षा
जनवरी	2.00	8.00	1.60	0.00	3.00	1.00	2.60
फरवरी	82.16	26.00	68.14	27.03	53.00	57.00	52.20
मार्च	47.13	9.00	30.10	14.03	31.00	38.00	28.19
अप्रैल	25.00	1.00	16.10	5.05	5.00	11.00	10.42
मई	80.00	14.00	37.22	18.30	30.00	98.00	46.25
जून	76.80	106.00	113.34	22.21	105.00	54.04	79.56

जुलाई	584.70	849.00	343.73	341.10	518.22	408.00	507.44
अगस्त	237.90	242.00	225.50	137.70	354.00	298.10	249.20
सितम्बर	13.00	437.00	40.80	50.40	36.00	44.00	103.49
अक्टूबर	—	30.00	—	—	—	—	5.00
नवम्बर	—	—	—	—	—	—	—
दिसम्बर	7.00	—	—	1.02	—	—	1.33

(वर्ष 2017)

माह	तह0 टिहरी	तह0 नरेन्द्रनगर	तह0 देवप्रयाग	तह0 कीर्तिनगर	तह0 धनोल्टी	तह0 घनसाली	औसत वर्षा
जनवरी	104.50	5.00	34.00	21.50	9.00	40.00	35.66
फरवरी	45.10	—	5.50	—	12.00	12.00	12.44
मार्च	84.00	5.00	10.00	35.00	34.00	19.00	31.16
अप्रैल	101.00	5.00	3.48	30.00	53.00	19.00	35.24
मई	92.50	46.00	62.62	73.40	131.00	21.00	70.75
जून	306.50	226.00	90.54	131.00	298.00	11.0	176.29
जुलाई	360.05	416.00	314.44	265.05	699.00	79.00	355.59
अगस्त	252.10	753.00	197.67	108.05	310.00	35.00	275.97
सितम्बर	279.00	189.00	162.80	116.00	116.00	60.00	154.80
अक्टूबर	—	—	—	—	—	—	—
नवम्बर	—	—	—	—	—	—	—
दिसम्बर	44.00	1.00	23.00	7.00	13.00	2.00	15.00

(वर्ष 2018)

माह	तह0 टिहरी	तह0 नरेन्द्रनगर	तह0 देवप्रयाग	तह0 कीर्तिनगर	तह0 धनोल्टी	तह0 घनसाली	औसत वर्षा
जनवरी	25.00	5.00	17.00	5.00	8.00	—	10.00
फरवरी	—	—	—	—	7.00	—	1.17
मार्च	46.00	2.00	10.00	14.00	17.00	12.00	16.84
अप्रैल	77.00	4.00	7.00	25.00	37.00	42.00	32.00
मई	48.00	16.00	26.90	14.50	59.00	37.00	33.57
जून	183.50	55.00	203.90	37.00	214.00	131.00	137.40
जुलाई	274.00	122.00	289.60	50.00	651.00	244.00	271.80
अगस्त	276.00	141.76	626.99	69.05	454.00	69.00	272.80
सितम्बर	160.00	33.00	252.18	40.50	221.00	16.00	121.44
अक्टूबर	16.00	2.00	11.40	—	5.00	2.00	6.06
नवम्बर	34.00	2.00	16.20	—	8.00	23.00	13.86
दिसम्बर	—	—	—	—	—	—	—

मानसून सत्रावधि में विगत तीन वर्षों में हुई क्षतियों का विवरण

मानसून सत्र (जून–सितम्बर) 2016

S.No	Natural Disaster	Human Losses			Animal Losses		Houses Damaged		
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully
1.	Earthquake	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flood	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Land Slide	4	-	-	1	-	2	1	-
3.	Flash Flood/ Cloudburst / Heavy Rain Fall	7	3	-	13	-	188	27	33
4.	Lightning	-	-	-	3	8	-	-	-
5.	Hail Strom	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Thunderstorm	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total		**11**	**3**	-	**17**	**8**	**190**	**28**	**33**

मानसून सत्र (जून–सितम्बर) 2017

S.No	Natural Disaster	Human Losses			Animal Losses		Houses Damaged		
		Dead	Injured	Missing	Big	Small	Partially	Severely	Fully
1.	Earthquake	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flood	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Land Slide	2	-	-	3	-	-	-	-
3.	Flash Flood/ Cloudburst / Heavy Rain Fall	2	1	-	7	25	165	15	21
4.	Lightning	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Hail Strom	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Thunderstorm	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Others	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total		**4**	**1**	-	**10**	**25**	**165**	15	21

मानसून सत्र (जून–सितम्बर) 2018

S.No	Natural Disaster	Human Losses			Animal Losses		Houses Damaged			
		Dead	**Injured**	**Missing**	**Big**	**Small**	**Partially**	**Severely**	**Fully**	**Cowshed**
1.	Earthquake	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Flood	-	-	-	02	-	-	-	-	-
2.	Land Slide	08	01	-	01	-	-	-	01	02
3.	Flash Flood/ Cloudburst / Heavy Rain Fall	-	-	-	06	-	87	10	13	16
4.	Lightning	-	-	-	02	01	-	-	-	-
5.	Hail Strom	-	-	-	-	-	03	-	-	-
6.	Thunderstorm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Others	01	03	-	06	-	-	-	-	-
Grand Total		**09**	**04**	-	**17**	**01**	**90**	10	14	18

आपदा दौरान एवं पश्चात सेवाओं की घातकता एवं व्यवस्था

जन सेवाएं	आपदाएं					
	भूकम्प	भू–स्खलन	बाढ़	वनाग्नि	सूखा	महामारी
परिवहन	अधिक	अधिक	अधिक	न्यून	न्यून	न्यून
जल व्यवस्था	अधिक	अधिक	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून
विद्युत व्यवस्था	अधिक	आंशिक	आंशिक	न्यून	न्यून	न्यून
चिकित्सालय	अधिक	अधिक	अधिक	न्यून	न्यून	अधिक
भण्डारण एवं वितरण	अधिक	आंशिक	अधिक	न्यून	न्यून	न्यून
दूरसंचार	अधिक	अधिक	अधिक	न्यून	न्यून	न्यून
शिक्षण संस्थाएं	अधिक	अधिक	अधिक	न्यून	न्यून	आंशिक
सिंचाई	आंशिक	अधिक	अधिक	न्यून	न्यून	न्यून
लो.नि.वि.	अधिक	अधिक	अधिक	न्यून	न्यून	न्यून
भूमि संरक्षण	आंशिक	अधिक	अधिक	न्यून	न्यून	न्यून

जनपद में दिव्यांग/विकलांग

आपदाओं के दौरान सबसे अधिक प्रभावित बच्चे, बुढ़े, महिलाएं एवं विकलांगजन/दिव्यांगजन होते हैं। अतः आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए तथा राहत बचाव कार्यों के दौरान ऐसे असहाय लोगों को प्राथमिकता में राहत पहुचायी जानी चाहिए। जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में जनपद के समस्त दिव्यांगजनों/विकलांगों की सूची मय मोबाईल नम्बर के उपलब्ध रखी गयी है तथा समस्त तहसीलों/विकासखण्डों को तद्नुसार आपातकालीन परिस्थितियों के मध्यनजर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

जनपद क्षेत्रान्तर्गत दिव्यांगजन/विकलांगजनों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	विकासखण्ड	कुल दिव्यांगजन/विकलांगजन
1	थौलधार	661
2	कीर्तिनगर	431
3	जौनपुर	597
4	प्रतापनगर	1036
5	जाखणीधार	645
6	नरेन्द्रनगर	1044
7	चम्बा	783
8	देवप्रयाग	564
9	भिलंगना	1244
	कुल योग:–	7005

शरणालय

भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन एंव अग्निकाण्डो के फलस्वरूप प्रभावित आवादी को सुरक्षित स्थानों पर भेजने जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में शरणस्थलों की व्यवस्था/स्थापना करने की नितान्त आवश्यक्ता होती है। उपलब्धता के अनुसार शरण स्थलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :—

1. अस्थाई— टैण्ट, कनात, तिरपाल आदि उपलब्ध कराकर प्रभावितों के अस्थाई रूप से शरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. स्थाई— ऐसी निजी अथवा सरकारी भवन जैसे— पंचायतघर, स्कूल भवन आदि जो प्रभावित क्षेत्र से बाहर हों, का आपदाओं के दौरान शरण स्थल व राहत शिविरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जनपद में गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर व राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यालय स्थित हैं। इनका भी उपयोग शरण स्थलों व राहत शिविरों के रूप में किया जा सकता है।

जनपद में विभिन्न विभागों की आपदा प्रबन्धन में भूमिका

पुलिस विभाग

जनपद के पुलिस विभाग में कुल 687 कर्मचारी हैं जिनमें निरीक्षक ना0पु0 3 व निरीक्षक स0पु0 1 हैं। उपनिरीक्षक ना0पु0 19 तथा उपनिरीक्षक स0पु0 3 हैं। इसी प्रकार फायर सर्विस में 2 एफ0एस0ओ0 व 28 फायर मैन के साथ कुल 37 कर्मचारियों का स्टॉफ है। वायरलैस सर्विस के अन्तर्गत 4 आर0एस0ओ0 के साथ 24 कर्मचारियों का स्टॉफ तथा अभिसूचना में 21 कर्मचारियों का स्टॉफ उपलब्ध है।

पुलिस विभाग में आपदाओं से निबटने के लिये अलग–अलग संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सम्भावित दुर्घटनास्थलों का चिन्हीकरण कर बोर्ड/होर्डिग लगाने व जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
1	**पुलिस विभाग** कार्यालय पुलिस अधीक्षक,नईटिहरी पुलिस नियंत्रण कक्ष 234500 पुलिस लाइन चम्बा फायर ब्रिगेड नई टिहरी फायर ब्रिगेड नरेन्द्रनगर थाना नई टिहरी थाना चम्बा थाना नरेन्द्रनगर थाना मुनिकीरेती थाना देवप्रयाग थाना कीर्तिनगर थाना घनसाली थाना लम्बगांव थाना हिण्डोलाखाल थाना थत्यूड थाना कैम्पटी	नागरिक सुरक्षा आन्तरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण परिवहन नियंत्रण अग्निशमन एवं आपात कार्य गुमशुदा एवं लापता लोगों की खोज	खोज बचाव सुरक्षित निकासी तात्कालिक अनुक्रियात्मक कार्यवाही कानून व्यवस्था नियंत्रण बाहरी सहायता संसाधन आंकलन नियंत्रण कक्ष संचालन वायरलैस/सूचना संकलन चेतावनी/सूचना प्रसार बाहरी सहायता प्राप्त करना राहत केन्द्रों की सुरक्षा आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा	रेगुलर पुलिस आर्मड पुलिस नागरिक पुलिस अग्निशमन इकाई वाहन एम्बुलेंस खोज बचाव उपकरण टैण्ट योजनाएं– पुलिस आधुनिकीकरण मित्र पुलिस पर्यअन पुलिस महिला हैल्पलाईन उपकरण सूची संलग्न

—:: थाने एवं थाना अन्तर्गत चौकियां ::—

थाना	थाना अन्तर्गत चौकी
1—कोतवाली नई टिहरी	1— कोटी
	2— बी0पूरम
	3— पीपलडाली
	4— नई टिहरी बाजार
	5— ढुंगीधार
	6— कोटेश्वर
	7— काण्डीखाल
2—थाना कीर्तिनगर	8— चौरास
3—थाना देवप्रयाग	9— बछेलीखाल
4—थाना चम्बा	10— नागणी
	11— कुमाल्टा
5—थाना नरेन्द्रनगर	12— प्लास्टा
	13— आगराखाल
	14— जाजल
6—थाना मुनिकीरेती	15— ढालवाला
	16— गुलर
	17— शिवपुरी
	18— ब्यासी
	19— भद्रकाली
	20— तपोवन
	21— कैलाशगेट
7—थाना घनसाली	—
8—थाना कैम्पटी	—
9—थाना हिण्डोलाखाल	—
10—थाना लम्बगांव	—
11—थाना थत्यूड	22— धनोल्टी

फायर ब्रिगेड :—

1. फायर सर्विस, टिहरी— 101 (टोलफ्री), 01376—233611
2. फायर सर्विस, नरेन्द्रनगर— 01378—227255, 101

उपरोक्त से टेलीफोन एवं वायरलैस **"डेल्टा"** के माध्यम से प्रति घण्टा सूचनाओं का आदान—प्रदान किया जाये। वायरलैस पर आपदा/दुर्घटना/मौसम/सड़क मार्ग अवरोध सम्बन्धी सूचनाओं को ध्यान से सुनकर नोट किया जाये।

राजस्व विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम / कार्यालय / स्थान / फोन नं0 / स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका / कार्य	उपलब्ध संसाधन
2	**राजस्व एवं प्रशासन** परगना अधिकारी– टिहरी 01376232520 नरेन्द्रनगर 01378227283 गजा 01378221230 धनोल्टी 01376226236 जाखणीधार01376238864 कीर्तिनगर 01370260045 घनसाली 01379258511 प्रतापनगर 0137926223 नैनबाग 01376226220 कण्डीसौड़ 01376288040	भू–राजस्व प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्थाएं	तहसील नियंत्रण कक्षों का संचालन खोज–बचाव निकासी प्राथमिक सहायता राहत सहायता टैण्ट, कम्बल वितरण प्रभावितों को सहायता अस्थाई आश्रय स्थल व्यवस्था क्षति का आंकलन	तहसील नियंत्रण कक्ष पटवारी–कानूनगो तहसीलों में खोज बचाव उपकरण– घनसाली टिहरी प्रतापनगर नरेन्द्रनगर कण्डीसौड़ नैनबाग गजा देवप्रयाग धनोल्टी

आपदा प्रबन्धन

क्र. सं.	विभाग का नाम / कार्यालय / स्थान / फोन नं0 / स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका / कार्य	उपलब्ध संसाधन
3	**आपदा प्रबन्धन** प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ टिहरी गढ़वाल 01376234793 01376233433	आपदाओं के खतरों का आंकलन आपदा न्यूनीकरण एवं नियंत्रण आपातकालीन सूचना समन्व्यन एवं सहायता हेतु DEOC का संचालन खोज–बचाव सुरक्षित निकासी एवं प्राथमिक तात्कालिक सहायताएं उपलब्ध करने हेतु कार्य प्रभावितों को राहत सहायता का वितरण परिसम्पित्तियों की मरम्मत हेतु सहायता प्रभावितों की पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास सम्बन्धी सहायताएं आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना एवं प्रवासियों का निर्माण एवं अद्यतीकरण आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण, अभ्यास एवं जन–जागरूकता	विभागीय समन्वयन, सूचना, अनुक्रियात्मक कार्यवाहियां	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र–1 खोज–बचाव उपकरण वायरलैस सैट, सैटेलाईट फोन, कम्प्यूटर, प्रिंटर, इन्टरनेट, मानव संसाधन

सूचना विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
4	**सूचना विभाग** जिला सूचना अधिकारी नई टिहरी 01376–232231 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC नई टिहरी 01376–232059	विभागीय एवं जन कल्याणकारी सूचनाओं का संकलन, प्रचार एवं प्रसार सूचना विज्ञान सम्बन्धी जानकारियों का प्रसार एवं संकलन विभागीय सूचनाओं का इन्टरनेट के माध्यम से संकलन एवं नेटवर्किंग स्थापित करना विभागों की सूचना प्रौद्योगिक के उपयोग हेतु तकनीकी सहायता/सहयोग प्रदान करना वीडियो कॉन्फ्रेंस संचालित करना	आपदा दुर्घटनाओं सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन, समन्वयन एवं प्रकाशन मीडिया एवं जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क चेतावनी– महत्वपूर्ण सूचना का जनहितार्थ प्रसारण आपदा की सूचना वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम/सूचना उपकरणों, इन्टरनेट आदि का उपयोग कर समन्वयन एवं सहायता प्रदान करना इण्डिया रिसोर्स नेटवर्क गुगलर्थ का उपयोग करना	मीडिया सूचना नेटवर्किंग NIC कक्ष इन्टरनेट सर्वर सूचना प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त उपकरण

स्वास्थ्य विभाग

जिले में 01 जिला चिकित्सालय, 01 संयुक्त चिकित्सालय, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 एलोपैथिक चिकित्सालय, 03 महिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वाकेन्द्रों में रोगी वाहन उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामु0स्वा0 केन्द्रों/संयुक्त चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय में चिकित्सा दलों का गठन किया जा चुका है, जिसमें एक चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट, वार्डव्याय, वाहन चालक एवं रोगी वाहन उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त जिले में 01 कुष्ठ चिकित्सालय ब्रह्मपुरी नरेन्द्रनगर, 01 क्षय रोग निवारण केन्द्र नरेन्द्रनगर में है। जिले में 03 गैर सरकारी चिकित्सालय स्थापित हैं।

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
5	**चिकित्सा, जनस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मुख्य चिकित्साधिकारी 01376232093 अधीक्षक जिला चिकित्सालय 01376232280	रोगों का उपचार प्राथमिक चिकित्सा गहन चिकित्सा महामारी नियंत्रण सामुदायिक रोग नियंत्रण	आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा प्राथमिक सहायता घायलों की चिकित्सा मृतकों का पोस्टमार्टम आश्रय स्थलों में जनस्वास्थ्य परीक्षण पेयजल, भोजन, खाद्यान्न का निरीक्षण मेडिकल टीम अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना	आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा–108 आशा कार्यकत्रियां ए0एन0एम0 कार्यकत्रियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता

			चिकित्सा हेतु उच्च चिकित्सालयों तक प्रभावितों को भेजना	

अन्य/प्राईवेट चिकित्सालयों उपलब्धता

1	टीएचडीसी, बी पुरम, डॉ प्रमोद कुमार	8954894892
2	मसीहा अस्पताल, चम्बा डॉ0 राजेश सिंह	01376–255273, 9411103678
3	स्मृति नर्सिंग होम, घनसाली, डॉ. के.भट्ट	01379–258443, 9412940430
4	शर्मा क्लीनिक घनसाली, डॉ. मनोज शर्मा	9412409293

पशु चिकित्सा विभाग

विभाग आपदा से प्रभावित पशुओं के राहत एवं बचाव के साथ–साथ पशुओं के मरने से किसानों को हुई आर्थिक क्षति का आंकलन करने, आपदा के दौरान मृत पशुओं को हटाने तथा सुरक्षित स्थल पर चारे की व्यवस्था करने में मदद करता है।

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
6	**पशुपालन विभाग** मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नरेन्द्रनगर 01378227296 कुल पशुचिकित्सालय–32 सचल पशु चिकित्सालय–01 पशु चिकित्सा केन्द्र–38	पशु चिकित्सा सेवा पशुधन विकास एवं प्रसार कार्य कुक्कुट पालन कृत्रिम गर्भाधान एवं पशु नस्ल सुधार	सूखे एवं आपदा की स्थिति में पशुओं की सहायता एवं चिकित्सा पशुचारा एवं पशुओं हेतु आश्रय स्थलों की स्थापना एवं संचालन पशु महामारी नियंत्रण उपाय करना आपदा/सूखे से मृत पशुओं का निवारण/पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करना	पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधार केन्द्र/उपकेन्द्र आपात पशु चिकित्सा दल आपातकालीन दवाईयां

नागरिक आपूर्ति विभाग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल संचालन हेतु जनपद में कुल 29 राजकीय अन्न भण्डार कार्यरत हैं, जिनमें से स्थान नई टिहरी, घनसाली, जामणीखाल, कीर्तिनगर, थत्यूड़ एवं कैम्पटी में विभागीय अन्न भण्डार निर्मित हैं तथा जनपद के शेष 25 स्थानों पर अभी किरायेदारी में अन्न भण्डारों का संचालन किया जा रहा है। इन सभी अन्न भण्डारों की कुल संग्रहण क्षमता 80886 बोरे है। इन अन्न भण्डारों को बेस गोदाम ऋषिकेश, श्रीनगर, देहरादून एवं विकासनगर से खाद्यान्न/चीनी की आपूर्ति अनुबन्धित ढुलान ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है। इसी प्रकार जिले में कुल 1058 सस्ते गल्ले की दुकानें भी हैं। जिला योजना के अन्तर्गत जनपद के स्थान नैनबाग में 300 मै0टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है। साथ ही स्थान सुनहरीगाड़ में 200 मी0टन क्षमता का विभागीय भण्डार निर्माणाधीन है।

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
7	**नागरिक आपूर्ति विभाग** जिला पूर्ति अधिकारी, नई टिहरी 0137232160	जनपद में खाद्यान्न एवं ईंधन की आपूर्ति करना जनपद में ग्राम स्तर तक नियमित सस्ते गल्ले की दुकानों का संचालन गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, वृद्ध एवं आश्रय हीन जन समुदाय हेतु	यात्रा एवं मानसून काल के दौरान खाद्यान्न एवं ईंधन की पर्याप्त/अग्रिम आपूर्ति करना आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए खाद्यान्न एवं ईंधन की पूर्ति करना	खाद्यान्न गोदाम, पेट्रोल पम्प, मिट्टी तेल विक्रेता एजेंसियां, खाद्यान्न परिवहन हेतु कॉन्ट्रेक्टर,

		खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजनाएं एवं कार्ड उपलब्ध कराना विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के अन्तर्गत अन्य सुरक्षा एवं पोषण आहार वितरण कार्यों में सहयोग व समन्वयन	अस्थाई आश्रय स्थल राहत केन्द्रों में खाद्यान्न की पूर्ति एवं व्यवस्था करना पेट्रोल पम्पों पर फस्टएड बॉक्स किट की व्यवस्थाओं हेतु प्रोत्साहित करना	रसोई गैस एजेंसियां, ग्रामीण अनाज बैंक विकासखण्ड थत्यूड

जनपद में राजकीय अन्न भण्डारों का विवरण/उनसे सम्बद्ध राशन कार्ड/कुल यूनिटों का विवरण

क्र0	खाद्यान्न भण्डार का नाम	संग्रहण क्षमता (बोरों में)	जनपद मुख्यालय से औसतन दूरी (किमी में)
1	नई टिहरी	11970	00
2	चम्बा	8645	11
3	घनसाली	3000	85
4	चमियाला	4932	95
5	धोपड़धार	3397	86
6	कीर्तिनगर	4000	87
7	चौकी	672	84
8	जामणीखाल	10000	48
9	14 बीघा	2848	69
10	मरोड़ा पुल	1752	60
11	छाम	4136	49
12	देवप्रयाग	1000	66
13	धारकोट	2819	55
14	काण्डाखाल	675	72
15	सुनहरीगाड़	1159	84
16	मन्दार	720	90
17	नैनबाग	3000	80
18	थत्यूड़	7000	90
19	भवान	2100	75
20	कैम्पटी	3000	77
21	गूलर	1318	78
22	लम्बगांव	2077	95
23	ओनालगांव	1120	105
24	भैंतलाखाल	1040	110
25	गजा	2203	32
26	हुलाणाखाल	1173	80
27	धमातोली	1170	85

पूर्ति निरीक्षकों का विवरण

क्र0	नाम	क्षेत्र	मोबाईल नम्बर
1	श्री सुनील प्रसाद बडोनी	रा0अ0भ0 चम्बा	9411370249
2	श्री संतोष कुमार भट्ट	रा0अ0भ0 चौदहबीघा	8449030522
3	श्री मनोज कुमार डोभाल	रा0अ0भ0 गूलर	9568336947
4	श्री ललित मोहन कठैत	रा0अ0भ0 कीर्तिनगर	8979816491
5	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी	रा0अ0भ0 घनसाली	8171589249
6	श्री विजय बहुगुणा	रा0अ0भ0 कण्डीसौड़	9412936139

जनपद में स्थापित गैस सर्विस सुविधा का विवरण

क्र0	घरेलू गैस एजेन्सी का नाम	स्थान	सम्पर्क नं0
1	नई टिहरी गैस सर्विस	नई टिहरी	01376–232655
2	टिहरी गैस सर्विस	छाम	01376–288022
3	घनसाली गैस सर्विस	घनसाली	01379–258530
4	चन्द्रबदनी गैस सर्विस	अंजनीसैण	01376–247470
5	अनमोल गैस सर्विस	चम्बा	01376–255111
6	सुन्दर गैस सर्विस	खाड़ी	01378–230261
7	बिजेन्द्र गैस सर्विस	लम्बगांव	01379–264724
8	ऋषि गैस सर्विस	ऋषिकेश	0135–431044
9	श्रीनगर गैस सर्विस	श्रीनगर	01346–252266
10	अलकनन्दा गैस सर्विस	श्रीनगर	01346–253898
11	मसूरी गैस सर्विस	मसूरी	0135–26332984
12	शिवालिक गैस सर्विस	बौराड़ी	01376–234544
13	चम्बा इण्डेन गैस सर्विस	चम्बा	01376–255411
14	धारी गैस सर्विस	कीर्तिनगर	9411330404
15	ओम भारत गैस सर्विस	मसूरी	7055666699
16	शिवशक्ति इण्डेन ग्रामीण वितरक	नन्दगांव	9798856111
17	श्री साईं भारत गैस सर्विस	नैनबाग	9458330657
18	अवन्तिका गैस सर्विस	लम्बगांव	01379–262211

जनपद में स्थापित डीजल/पेट्रोल पम्पों का विवरण

क्र0	पम्प का नाम	स्थान	टेलीफोन नम्बर
1	मै0 भागीरथी पेट्रोलियम कम्पनी	मुनिकीरेती	0135 2434299
2	मै0 आर्शीवाद फिलिंग स्टेशन	चम्बा	01376 255444
3	मै0 धनोला फिलिंग स्टेशन	चम्बा	01376 255251
4	मै0 यातायात और पर्यटन विकास सं0संघ	नई टिहरी	01376 233958
5	मै0 राधाकृष्ण फिलिंग स्टेशन	घनसाली	01379 258341
6	मै0 मोटर राईडर्स फिलिंग प्वाईंट	देवप्रयाग	01378 266218
7	मै0 शहीद दलवीर सिंह राणा फिलिंग स्टेशन	मलेथा	9412922174 9411748033
8	मै0 जसपाल राणा वुलआई सर्विस स्टेशन	नैनबाग	9411513877
9	मै0 रावत फिलिंग स्टेशन	भागीरथीपुरम	01376 236613
10	मै0 पंवार फिलिंग स्टेशन	गडोलिया	8755331443
11	मै0 दिनेश फिलिंग स्टेशन	तपोवन मुनिकीरेती	9411144476
12	मै0 रोबिन फिलिंग स्टेशन	नागणी	01376 257100
13	मै0 हमारा पम्प एश्वैर्य फिलिंग स्टेशन लम्बगांव	लम्बगांव	—
14	मै0 दीपक फिलिंग स्टेशन	घनसाली	01379 258657
15	मै0 शिवपुरी फिलिंग स्टेशन	शिवपुरी	9412056521
16	मै0 कण्डारी फिलिंग स्टेशन	आगराखाल	9412935300
17	मै0 कैम्पटी फीलिंग स्टेशन	कैम्पटी	9997741385
18	मै0 सुरकुण्डा फ्यूल्स	चम्बा	9927157134
19	मै0 स्टार पैट्रोलियम	ढालवाला	9837069402
20	मै0 श्रीराम फिलिंग स्टेशन	बगवान	9761305570
21	मै0 आदित्य फिलिंग स्टेशन	चमियाला	9761142666
22	मै0 गंगोत्री फिलिंग स्टेशन	चम्बा–उत्तरकाशी मार्ग	9410327951
23	मै0 भवानी फिलिंग स्टेशन	डोलसी भवान	9759074771
24	मै0 चारधाम फिलिंग स्टेशन	जाख चौरा पुरानी टिहरी मार्ग	9411186960

कृषि विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन

8	**कृषि एवं उद्यान्न विभाग** मुख्य कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, नरेन्द्रनगर 01378227501 जिला उद्यान्न अधिकारी 01376232156 जलागम विकास सहकारिता सहायक निबन्धक सहकारिता 01378227159	कृषि उत्पादन विकास भूमि विकास कृषि विपणन उद्यान्न विभाग उर्वरक संरक्षण बागवानी विकास जलागम विकास एवं भूमि सुधार एवं संरक्षणकार्य कृषि एवं औद्योगिकी कार्यों में कृषिकों की वित्तीय सहायता	सूखा नियंत्रण सूखा राहत सहायताएं भूस्खलन, भूकटाव क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपाय सूखा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों को अनुदान, ऋण एवं ब्याज में छूट प्रदान करना	कृषि बीज एवं उपकरण वैयक्तिक सहायताएं स्वयं सहायता समूह कृषि एवं उद्यान्न में संलग्न कार्मिक ग्राम एवं विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध हैं। उन्नत रक्षा सचल दल खाद, बीज एवं क्रय विक्रय हेतु सहकारी समितियां

वन विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
9	**वन विभाग** प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, नई टिहरी 01376232077	आरक्षित, पंचायती एवं सिविल स्थल वनों का प्रबन्धन वनीकरण, पौधरोपण, नर्सरी, प्राकृतिक पुनरोत्पादन, वन संरक्षण वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव उद्यान्न का विकास, वन उपज विदोहन एवं विपणन ईंधन एवं इमारती लकड़ी का उत्पादन/विपणन लीसा उत्पादन वनाग्नि नियंत्रण का कार्य	वनाग्नि नियंत्रण एवं जंगलों में आग बुझाना आपातकालीन परिस्थितियों में आपदा प्रभावितों हेतु ईंधन, लकड़ी उपलब्ध कराना प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, वनाग्नि के दौरान नियंत्रण कक्षों से सूचना एवं सम्पर्क स्थापित करना वज्रपात, वन क्षेत्र दुर्घटनाओं एवं चौकियों के निकट दुर्घटना/आपदाओं के दौरान सहयोग प्रदान करना। वन क्षेत्रों में भू–कटाव सुरक्षा हेतु निर्माण एवं उपाय जंगली जानवरों के आतंक/नरभक्षी जानवरों से सुरक्षा एवं तत्सम्बन्धित कार्य	वनाग्नि नियंत्रण कक्ष वनाग्नि बुझाने हेतु उपकरण एवं टीमें वायरलैस नेटवर्क मोबाइल टीम एवं वाहन

शिक्षा विभाग

जनपद में इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल/प्राईमरी विद्यालय लगभग सभी ग्रामों के आसपास स्थित हैं। उक्त विद्यालयों में समुचित स्थान व मैदान है, अतः आपदा के समय इन विद्यालयों का उपयोग राहत शिविरों हेतु किया जा सकता है।

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
10	**शिक्षा विभाग** जिला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्रनगर 01378227244	प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	विद्यालयों में आपदा सुरक्षा सम्बन्धी अभ्यास नियत पाठ्यक्रम एवं	राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयां राष्ट्रीय कैडेड कोर

	परियोजना अधिकारी सर्वशिक्षा अभियान, टिहरी खण्ड शिक्षा अधिकारी कीर्तिनगर 01370260453 नरेन्द्रनगर 01378223988 प्रतापनगर 01379264686 घनसाली 01379258404 चम्बा 01376255100 थत्यूड 01376246300 थौलधार 01376288145 जाखणीधार 01376238610 देवप्रयाग 01378225206 प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 01376232352	उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना कन्या शिक्षा प्रोत्साहन	कार्यक्रमों में आपदा प्रबन्धन विषय का अध्ययन शिक्षण एवं अनुप्रयोग उपयुक्त विद्यालयों को वृहत्त आपदाओं के दौरान अस्थाई शरणालय, आश्रय स्थलों हेतु उपलब्ध कराना सेवा डेस्क के अन्तर्गत ऐसे केन्द्रों पर प्रभावितों की सहायता हेतु कार्य करना पुराने स्कूल भवनों को भूकम्प सुरक्षित बनानें हेतु कार्यवाही करना	इकाईयां सर्वशिक्षा अभियान के सुचारू संचालन हेतु संयुक्त संचालन केन्द्र, इण्टर कालेज, हाईस्कूल, प्राइमरी, जूनियर स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्राम, कस्बा, नगर, विकासखण्ड, जिला सभी स्तर पर शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक

समाज कल्याण विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
11	**समाज कल्याण** जिला समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग, नरेन्द्रनगर 01378227236 जिला सेवायोजन अधिकारी, नई टिहरी 01376232497	समाज कल्याण सम्बन्धी योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजनाओं का संचालन विकलांग लोगों को कृत्रिम अंगों एवं सहायक उपकरणों का वितरण वृद्धाश्रम, महिला आश्रम एवं अनाथालयों का संचालन एवं प्रबन्धन रोजगार हेतु पंजीकरण एवं सूचना विज्ञापन	आपदा प्रभावितों को समाज कल्याण के अन्तर्गत योजनाओं में उन्हें सहायता प्रदान करना समाज कल्याण में सहयोगी संस्थाओं, संस्थानों, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करना। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सहायता, आश्रय स्थल हेतु सहयोग प्रदान करना आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं तत्सम्बन्धित सहयोगात्मक कार्य	वृहत्त कल्याणकारी एवं प्रोत्साहन योजनाएं

विकास विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
12	**विकास विभाग** मुख्य विकास अधिकारी नई टिहरी 01376232603 जिला विकास अधिकारी नई टिहरी 01376232150 परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण,	जनपद में विकास कार्यक्रमों योजनाओं एवं परियोजनाओं का निर्माण, संचालन एवं क्रियान्वयन विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुकरण, मूल्यांकन	विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में आपदा सुरक्षा एवं न्यूनीकरण सम्बन्धी मापदण्डों का समावेश सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य	ग्राम, विकासखण्ड व जिला स्तर पर कार्मिकों एवं अधिकारियों की उपलब्धता सूचना समन्वयन एवं क्रियान्वयन हेतु संसाधन एवं

	नई टिहरी खण्ड विकास अधिकारी	इन्दिरा आवास योजना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना स्वयं सहायता समूह प्रोत्साहन विकास एवं जन कल्याण से सम्बन्धित विभागों एवं विभागीय समितियों से समन्वयन व्यवस्था	सम्बन्धी कार्यों का मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में संचालन आपदा प्रभावितों की सेवा राहत केन्द्र, अस्थाई आश्रय स्थल, भोजन व्यवस्थाओं हेतु सहयोग	विभागीय व्यवस्थाएं पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों से समन्वयन ग्राम, क्षेत्र स्तर पर कार्य करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी

लोक निर्माण विभाग

नई टिहरी, चम्बा, नरेन्द्रनगर, घनसाली, कीर्तिनगर व थत्यूड में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय स्थापित है तथा विभाग के पास अपने सब्बल, गैंती फावडों के अतिरिक्त जीप/टैक्सी व ट्रक भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आपदा राहत हेतु किया जा सकता है। मानसून सत्र के दृष्टिगत् उपलब्ध मशीनरी, जेसीबी इत्यादि के मय ऑपरेटर नाम/मो0नं0 की सूची जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध है।

क्र. सं.	**विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर**	**विभाग के मुख्य कार्य**	**आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य**	**उपलब्ध संसाधन**
13	**लोक निर्माण विभाग** अधीक्षण अभियन्ता, नई टिहरी 01376232073 अधीशासी अभियन्ता, नई टिहरी 01376233312 अधिशासी अभियन्ता, कीर्तिनगर 01370260070 अधिशासी अभियन्ता, नरेन्द्रनगर 01378227229 अधिशासी अभियन्ता थत्यूड 01376246321 अधिशासी अभियन्ता घनसाली 01379258327 अधिशासी अभियन्ता चम्बा 01376254062 अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री सड़क योजना, नई टिहरी 01376234594	सड़क निर्माण, सुधार, मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य सरकारी/विभागीय निर्माण कार्य जनपद में संचालित निर्माण कार्यों का भूकम्पीय सुरक्षा के मानकों के अनुसार पर्यवक्षण, निरीक्षण	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क एवं सम्पर्क मार्गों का सुचारीकरण आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलुवा निस्तारण आपदा में फंसे लोगों, टूटे भवनों में फंसे लोगों की निकासी हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना	तकनीकी कार्मिक एवं अधिकारी वाहन, ट्रक, बुलडोजर, जे0सी0बी0 मशीन, तकनीकी उपकरण, रेस्ट हाउस

जे0सी0बी0/मशीन उपलब्धता

खण्ड	विभागीय जेसीबी	प्राईवेट जेसीबी
लोनिवि प्रांतीय खण्ड–	5	4
लोनिवि चम्बा–	–,	6
लोनिवि थत्यूड़	1	4
लोनिवि घनसाली	2	2
लोनिवि कीर्तिनगर	2	2
लोनिवि नरेन्द्रनगर	4	4

जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
14	**जल संस्थान एवं सिंचाई विभाग** अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी 01376232154 अधिशासी अभियन्ता सिंचाई01378227282, 01376232072 अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई 01376234134	सिंचाई सुविधाएं, नहरें, नलकूप निर्माण एवं व्यवस्थाएं वोरिंग सेट, हाइड्रम, पम्पिंग, तालाबों द्वारा सिंचाई बाढ़ नियंत्रण एवं तत्सम्बन्धित निर्माण	बाढ़ नियंत्रण कार्य वर्षा एवं जल स्तर सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन एवं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषण भूस्खलन, बादल प्रफोस्ट, भूकटाव, जल भराव की स्थितियों पर नियंत्रण सिंचाई संसाधनों का मरम्मत कार्य, निर्माण, अस्थाई निर्माण, मलुवा निस्तारण एवं विविध संचालनात्मक कार्यों में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना	नहरें, हौज, गूलें, तकनीकी स्टाफ एवं अधिकारी, वाहन

पेयजल विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
15	**पेयजल विभाग** अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी 01376232154 अधीक्षण अभियन्ता जलनिगम 01376232881 परियोजना प्रबन्धन स्वजल	ग्राम, शहर, संस्थानों में जलापूर्ति अभावग्रस्त क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था के तहत जल आपूर्ति जल आपूर्ति हेतु निर्माण जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन रख–रखाव पेयजल स्वच्छता हेतु जन सहयोग द्वारा प्रबन्धन हैण्डपम्पों की स्थापना नलकूपों की स्थापना	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करना सूखा प्रभावित क्षेत्र में पेयजल की टैंकरों/घोड़े खच्चरों द्वारा आपूर्ति करना अस्थाई आश्रय स्थल, राहत कैम्प, चिकित्सा कैम्पों में पेयजल की आवश्यक आपूर्ति करना	तकनीकी कार्मिक एवं अधिकारी उपकरण एवं सामग्री टैंकर एवं टैंक पंजीकृत कान्ट्रेक्टर एवं सप्लायर हैण्डपम्प–232

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन

जिले में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में तार व पोल के अतिरिक्त लाइन मैन व तकनीशियन कार्मिक उपलब्ध हैं। जनपद क्षेत्रान्तर्गत पावर हाउस एवं सब डिविजनों के कार्मिकों की सूची मय सम्पर्क नम्बर के जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध है।

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
16	**विद्युत विभाग** अधिशासी अभियन्ता विद्युत/उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, नई टिहरी	विद्युत उत्पादन विद्युत वितरण विद्युत लाइनों का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति हेतु मरम्मत, रख–रखाव कार्य अस्थाई आश्रय स्थल,	तकनीकी कार्मिक एवं अधिकारियों की उपलब्धता

	01376233117 वैकल्पिक ऊर्जा विभाग परियोजना निदेशक, उरेड़ा 01378227260	कार्य वैकल्पिक ऊर्जा/सौर ऊर्जा का प्रसार कुटीर ज्योति कनैक्सन	राहत केन्द्र, चिकित्सालय, आपातकालीन कार्यों हेतु विद्युत आपूर्ति बनाये रखना ट्रांसफार्मर, विद्युत दुर्घटनाओं का न्यूनीकरण एवं खतरों का निराकरण आकाशीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक लगाना/मार्गदर्शन प्रदान करना राहत केन्द्रों, आपातकालीन केन्द्रों में सौर ऊर्जा उपकरण उपलब्ध कराना	वाहन उपकरण सामग्री

दूरसंचार विभाग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
17	**दूरसंचार विभाग, नई टिहरी** 01376233777 डाक विभाग पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर नई टिहरी–01376233130 अधीक्षक डाकघर 01376233127	दूरभाष सेवाएं प्रदान करना मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करना इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करना डाकघर सेवा डाकघरों से दूरभाष सेवा टेलीग्राफीक सर्विस बचत योजनाएं	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सूचना एवं संचार हेतु दूरभाष सेवाओं का सुचारीकरण आपातकालीन फोन नं0 जैसे 100, 101, 102, 1077, 108 का सुचारीकरण पुलिस चिकित्सालय प्रसाधन के फोनों का सुचारीकरण राहत केन्द्रों/स्थलों में अस्थाई फोन स्थापित करना वृहत्त आपदाओं की स्थिति में डाकघर अपने आस–पास की स्थित ग्रामों की सूचनाओं को जिला प्रशासन, तहसील एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना	तकनीकी कार्मिक एवं अधिकारी वृहद दूरभाष नेटवर्क एसटीडी केन्द्र एवं क्षेत्र स्तर पर दूरभाष केन्द्र–46 ग्राम स्तरीय स्टाफ, पोस्टमास्टर

महिला एवं बाल विकास

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
18	**जिला कार्यक्रम अधिकारी** **महिला एवं बाल विकास** 01378227185	महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का संचालन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषाहार योजनाओं का संचालन	आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां ग्राम स्तर पर आपदाओं के दौरान विशेषतः महिला एवं बचाव की सहायता प्रदान करना	आंगनवाड़ी कायकत्रियां आंगनवाड़ी केन्द्र

जिला होमगार्ड

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
19	**होमगार्ड जिला कमाण्डेन्ट नरेन्द्रनगर** 01378227270	पुलिस, राजस्व आबकारी एवं आपदा प्रबन्धन विभाग को आवश्यकतानुसार होमगार्ड कार्यकर्ता उपलब्ध कराना	खोज–बचाव प्राथमिक सहायता कार्य जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पुलिस नियंत्रण कक्ष, तहसील नियंत्रण कक्षों के संचालन में सहायता	जनपद में कुल 369 होमगार्ड्स

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
20	**युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, नई टिहरी** 01376234104	युवा कल्याण, युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन पुलिस, राजस्व आपदा प्रबन्धन एवं तत्सम्बन्धित विभागों को आवश्यकतानुसार पीआरडी स्वयं सेवक उपलब्ध कराना	खोज–बचाव प्राथमिक सहायता कार्यों में सहयोग	पी0आर0डी0 जवान

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
21	**जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, नई टिहरी** 01376234145	भूतपूर्व सैनिक, सैनिक आश्रित एवं सैनिक विधवाओं के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु कार्य	ग्राम स्तरीय खोज–बचाव एवं प्राथमिक सहायता कार्यों में भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग राहत एवं आश्रय स्थलों के संचालन में सहयोग	जनपद में भूतपूर्व सैनिक

जिला उद्योग, श्रम प्रर्वतन, खादी एवं ग्रामोद्योग

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
22	**महाप्रबन्धक जिला उद्योग विभाग, नरेन्द्रनगर** 01378227297 **श्रम प्रर्वतन अधिकारी, नई टिहरी** **जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी** 01376–234092	ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग कारखानों का पंजीकरण एवं स्थापना हेतु प्रोत्साहन खादी ग्रामोद्योग की स्थापना एवं प्रोत्साहन	रासायनिक एवं खतरनाक प्रकृति के उद्योगों, कारखानों का चिन्हिकरण उद्योगों को श्रमिक सुरक्षा एवं औद्योगिक दुर्घटना सुरक्षा हेतु निरीक्षण एवं मार्गदर्शन/निर्देशन टैण्ट, कम्बल, तिरपाल, पॉलीथीन निर्माण कर्ताओं/विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराना	कार्मिक

पर्यटन विभाग, जिला क्रीड़ा

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
23	**जिला पर्यटन विभाग, नई टिहरी** 01376227059 **जिला क्रीड़ा अधिकारी** 01378–227275 **जिला नेहरू युवा कल्याण अधिकारी** 01376233085	पर्यटन स्थलों का विकास पर्यटन आवास गृह, रैन बसेरा, पर्यटक होटलों का निर्माण/प्रोत्साहन प्रबन्धन पर्यटकों के आंकड़े संकलित करना साहसिक खेल गतिविधियों का संचालन पर्यटन विकास योजनाओं का संचालन करना	आपदा एवं आपातकालीन स्थितियों में निवास हेतु आवास गृह उपलब्ध कराना दुर्गम स्थिति में पर्यटन साहसिक पर्यटन हेतु जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना एवं सुरक्षात्मक कार्यवाही करना साहसिक खेल विभगा द्वारा वृहत्त खोज बचाव सहायता कार्यों में आपदा प्रबन्धन जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना	रेस्ट हाऊस टी0आर0सी0,रेनबसेरा होटल सराय, धर्मशालाएं खेल स्टेडियम बौराड़ी एक बहु उपयोगी स्थल है।

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	विभाग का नाम/ कार्यालय/स्थान/फोन नं0/स्तर	विभाग के मुख्य कार्य	आपदा प्रबन्धन में भूमिका/कार्य	उपलब्ध संसाधन
24	**टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन भागीरथीपुरम** मुख्य प्रबन्धक भागीरथीपुरम 01376–236312 अपर महा प्रबन्धक कार्मिक एवं प्रशासन 01376–236322 कन्ट्रोल रूम (सुरक्षा) सीआईएसएफ डिप्टी कमान्डेंट 01376–236346 01376–236562 वरिष्ठ प्रबन्धक सेफ्टी 01376–235445 प्रबन्धक पब्लिक रिलेशन एवं मीडिया 01376–235426	विद्युत उत्पादन पेयजल पम्पिंग सिंचाई सुविधाएं बांध कैम्पमैंट क्षेत्र में सामुहिक विकास योजनाएं	आपदा एवं विशिष्ट स्थितियों में प्रशासन द्वारा वांछित सहायता उपलब्ध कराना	हैवी ड्यूटी, अर्थ मूवर्स, क्रेन्स, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, कन्ट्रोल रूम, फायर सर्विस, मोटर बोट, पर्याप्त कार्मिक एवं अधिकारी

संकट प्रबन्धन कार्ययोजना–पुलिस विभाग

जनपद में पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर

1.	पुलिस अधीक्षक	–	01376–232162 / 232399
2.	पुलिस उपाधीक्षक टिहरी	–	01376–232162 / 232015
3.	पुलिस उपाधीक्षक नरेन्द्रनगर	–	01378–227245 /
4.	जिला नियन्त्रण कक्ष	–	01376–234500 / 234007
5.	निरीक्षक स्था0अभि0इकाई	–	01376–232155 / 233196
6.	फायर स्टेशन नई टिहरी	–	01376–233611
7.	फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर	–	01378–227255

जनपद टिहरी गढवाल पर्वतीय जनपद होने के कारण प्राकृतिक आपदा जैसे– भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, एवं मानवजनित आपदा जैसे– सडक दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील है। भौगोलिक परिस्थितियों, आपदा प्रवृत्ति व संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर पुलिस विभाग द्वारा आपदाओं से निपटने एवं प्रभावितों/घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन केन्द्र क्यूआरटी आदि का गठन कर स्थानों पर नियुक्त किया जायेगा। संचार हेतु इनको वायर लैस सेट उपलब्ध कराये जायेंगे।

किसी प्रकार की आपदा घटित होने पर पुलिस का प्रमुख कार्य भीड नियन्त्रण तथा बचाव एंव राहत कार्य है। अतः आपदा प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के उदेद्ष्य से जनपद की पुलिस लाईन चम्बा एवं सात थानों पर आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध कराये गये है तथा किसी प्रकार की आपदा घटित होने पर सम्बन्धित तत्काल राहत एवं बचाव कार्य हेतु मय् उपकरणों के घटना स्थल पर पहुंचते है।

आतंकवादी आक्रमण में रेडियो ऐक्टिव पदार्थो व रासायनिक हथियारों, बम के प्रयोग से उत्पन स्थिति से निपटने के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना

जनपद टिहरी गढवाल एक हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र है और आंतकवादी/अलगावबादी व माओवादी गतिविधियों से अछूता है। जनपद की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 604747 है। इसके प्रमुख कस्बे नई टिहरी, चम्बा, नरेन्द्रनगर, मुनिकीरेती, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, घनसाली, प्रतापनगर, लम्बगांव, गजा, जाखणीधार, कमान्द आदि है। जिनमें जनसंख्या एवं आवासीय भवनों का घनत्व बढता जा रहा है। यद्यपि अभी तक ऐसे किसी सम्भावना का कारण सामने नही आया है जिससे ऐसी सम्भावना बने कि इन उपरोक्त विकसित हो रहे कस्बों मे निकट भविष्य मे आतकवादी आक्रमण हो और ऐसे आक्रमण मे आतंकवादियों द्वारा रेडियों एक्टिव पदाथों एवं रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया जाय फिर भी देश व दुनिया मे आंतकवाद के वीभत्स कृत्यों को देखते हुये जनपद मे भविष्य मे आतंकवादी घटनाओं की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है।

ऐसी आतंकवादी घटनाओं की सम्भावनाओं को मध्यनजर रखते हुये गृह मंत्रालय भारत सरकार (राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन डिविजन) के पंत्राक संख्या 31–3/2006– एनडीएम–।। दिनॉक 3–6–2006 द्वारा आंतकवादी आक्रमण मे रेडियों एक्टिव पदाथों एवं रासायनिक हथियारों के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये एसओपी मे सुझाये गये तौर तरीकों/निर्देषों के अनुरूप पुलिस उप महानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र के पंत्राक सीए–61/2006–7–5052 दिनॉक 1–7–2006 के अनुपालन मे जनपद की योजना निम्न प्रकार तैयार की जाती है–

कानून/व्यवस्था की दृष्टि से जनपद टिहरी गढवाल का लगभग 80 प्रतिशत राजस्व क्षेत्र व 20 प्रतिशत भू–भाग नियमित पुलिस के अधीन है। अतः आंतकवादी आक्रमण के समय रेडियो एक्टिव पदार्थों/रासायनिक हथियारों के उपयोग के बाद की स्थिति से निपटने के लिये जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्यवाही के लिये योजना तैयार की जाती है। जिसमें जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी जिला प्रभारी आपदा प्रबन्घन, होमगार्ड, परिवहन विभाग, जिला पषुपालन विभाग, समाज कल्याण, नरेद्रनगर मे स्थित सेना एवं टिहरी बांध की सुरक्षा में नियुक्त सीआईएसएफ के कमाण्डेन्ट का समन्वय किया गया है। इस समन्वय मे जिले के सिविल डिफेन्स, होमगार्डस, स्वंय सेवी संस्थाओं, जिला पंचायत व विभिन्न राजनैतिक दलों के अध्यक्षों/मंत्रियों को भी आपदा से निपटने के लिये सहयोग व सलाह के लिये सम्मिलित किया गया है। जिन्हें वक्त जरूरत पर उनके टेलीफोन नं0 पर सूचना देकर किसी भी आपात स्थिति मे सहयोग हेतु बुलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थिति से निपटने हेतु विद्युत, जल निगम, जलसंस्थान, लो0नि0वि0, जिला पंचायत, नगर पालिका व नगर पंचायतों के दायित्व का भी निर्धारण किया गया है।

उक्त प्रकार के आक्रमण की सम्भाव्यता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद के निम्नलिखित संवेदनषील क्षेत्र चिहिंत किये गये है।

1– जिला मुख्यालय नई टिहरी
2– कस्बा चम्बा
3– कस्बा मुनिकीरेती
4– कस्बा देवप्रयाग
5– कस्बा कीर्तिनगर
6– कस्बा घनसाली
7– कस्बा प्रतापनगर/लम्बगांव (राजस्व पुलिस क्षेत्र)
8– कस्बा भागीरथी पूरम (बांध क्षेत्र)

घटना की सूचना प्राप्त होने पर नियन्त्रण कक्ष प्रभारी द्वारा तत्काल निम्न कार्यवाही की जायेगीः–

1. जिले के सभी उच्चाधिकारियों एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी को तुरन्त अवगत करायेंगें।
2. ऐसे अवसरों पर अफवाओं का बाजार गर्म रहता है। जिससे आम जनता में भय के कारण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः प्रेस को कोई सूचना न दी जाए।
3. सम्बन्धित थाने पर एक मिडिया सेल प्रभारी नियुक्त किया जायेगा जो जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से समपर्क कर घटना के सम्बन्ध में प्रेस को सूचना उपलब्ध कराएगें।
4. थानाध्यक्ष सूचना मिलने पर ऐसी आतंवादी घटनाओं के घटित होने हेतु बनाये गयी रैस्क्यू टीम को मय् आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों, दवाओं, आदि के साथ तत्काल पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचेगे। पुलिस बल भी आवश्यक उपकरण जैसे हैलमेट, टार्च, चैक लिस्ट आदि लेकर घटना स्थल पर पहुंचेगें। रैस्क्यू टीम घटना स्थल की स्थिति का मूल्यांकन कर जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को सूचित करेंगें तथा दिये गये निर्देशों का पालन करेगें। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
5. भीड़ को घटनास्थल से दूर हटाने की कार्यवाही करेंगें।
6. किसी बम विस्फोट की घटना के सफल अनावरण हेतु घटना स्थल का संरक्षण आवश्यक है। अतः घटना स्थल को रस्से, टैप आदि द्वारा सुरक्षित किया जायेगा।
7. जिला नियन्त्रण कक्ष द्वारा देहरादून स्थित ''स्पेषल इन्वेस्टीगेटिंग टीम'' को घटना के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा।
8. एफएसएल के सदस्यों द्वारा विस्फोटों में प्रयोग किये गये रसायनों/वस्तुओं/घटना स्थल पर पडें कपड़ों/खून आदि साक्ष्य कब्जे में लेकर उसके परीक्षण की कार्यवाही करवायगें।
9. जिन्दा बम प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष उसके चारों ओर सुरक्षात्मक घेरा बनाने तथा उसके आस–पास रेत की बोरियों को रखवाने की कार्यवाही करेंगें।
10. एसआईटी के साथ नियुक्त हरिद्वार का बम डिस्पोजल स्क्वाड़, बोम ट्रैलर से बम को दूर ले जाकर निष्क्रिय करेगें।
11. विस्फोट की घटना होने पर एसटीएफ संदिग्धों के कॉल इलैक्ट्रोनिक सर्विलांस में लेंगे।
12. थानाध्यक्ष/पुलिस बल द्वारा घायलों/मृतकों को अस्पताल पहुंचाया जायेगा।
13. आतकंवादियों की तलाश हेतु सभी मार्गों को तुरन्त चैकिंग करवाना/संदिग्ध लोगों की तलाष करना सुनिष्चित करेगें।
14. अफवाओं पर नियन्त्रण रखने हेतु जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस को निरन्तर ब्रीफ किया जायेगा ताकि जनता में भय उत्पन्न न हों।
15. जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आंकलन कर कानून व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को बनाये रखने हेतु उचित निर्णय लेगें।
16. नियन्त्रण कक्ष में उपस्थित क्षेत्राधिकारी एवं होम कन्ट्रोल, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, गढवाल आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक गढवाल

परिक्षेत्र/स्पेषल इन्वेस्टीगेटिंग टीम को टेलीफोन/फैक्स के माध्यम से तुरन्त सूचित करेंगे।

17. प्रतिसार निरीक्षक इमरजैंसी अलार्म बजा कर सभी रिर्जव अधिकारी/कर्मचारियों को हैलमेट, डण्डे, बॉडी प्रोटेक्टर, अश्रु गैंस, टार्च, रस्से, लाउड स्पीकर आदि के साथ घटना स्थल के लिये रवाना करेंगें।

18. अग्निशमन अधिकारी तत्काल फायर टैन्डर एवं गैस मास्क के साथ बचाव दल को घटना स्थल पर भेजेंगें।

19. अभिसूचना कर्मी घटना घटित होने के उपरान्त घटना के कारण, अफवाओं, घटना के परिपेक्ष में होने वाली प्रतिक्रिया एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने सम्बन्धि अभिसूचनाओं का संकलन करके सर्व सम्बन्धित एवं उच्चाधिकारी को सूचित करेगें।

आतंकवादियों द्वारा अपने आक्रमण में रेडियो ऐक्टिव पदार्थो/रासायनिक हथियारों के प्रयोग करने के बाद की स्थिति से निपटने के लिए एस0ओ0पी0 के अनुसार सर्च एवं रेस्क्यू टीम का जनपद में गठन इस प्रकार किया गया हैः–

<u>खोज एवं बचाव दल</u>–

1. टीम कमाण्डर–	प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन चम्बा।	
2. डिप्टी टीम कमाण्डर–	उपनिरीक्षक, सषस्त्र पुलिस, पुलिस लाईन चम्बा ।	
3. एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टीम–	हेड कान्स0 ना0पु0– 1 कान्स0 ना0पु0– 3	
4. सिक्योरिटी टीम–	हेड कान्स0 सशस्त्र पुलिस– 1	
	कान्स0सशस्त्र पुलिस– 3	
5. सूचना अधिकारी–	निरीक्षक एलआईयू टिहरी	
6. सेफ्टी आफिसर–	आर0एस0ओ0 नई टिहरी	
7. तकनीकी सपोट टीम–	आर0एस0ओ0– 1	आपरेटर– 1
	एच0ओ0(मै0)–1	एच0ओ0(इलै0)– 1
1. डिटेक्शन एण्ड ऐसिसटेन्स एण्ड इवैक्यूवेषन टीम–	उप0 निरीक्षक ना0पु0– 1, कान्स0 ना0पु0–5	
9. रेस्क्यू एवं इवेक्युवेषन टीम–	हेड कान्स0 सषस्त्र पुलिस–1	
	कान्स0 सषस्त्र पुलिस– 5	
10. रेस्क्यू एवं इवेक्युवेषन टीम–	हेड कान्स0 सषस्त्र पुलिस– 1	
	कान्स0 सषस्त्र पुलिस– 5	
11. डिकनटामिनेषन टीम–	उप निरीक्षक ना0पु0– 1	कान्स0 ना0पु0– 5
12. मेडिकल यूनिट–	डाक्टर– 1 पैरामेडिकल– 5 नर्स– 2	

यह टीम यूनिफाइड कमाण्डर के निर्देश में काम करेगी। यूनिफाइड कमाण्डर 'संयुक्त कमान अधिकारी' जिलाधिकारी व उनकी अनुपस्थिति में पुलिस अधीक्षक होंगे। सर्च एवं रेस्क्यू टीम घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए एस0ओ0पी0 के अनुसार संयुक्त कमान अधिकारी से निर्देष लेकर मौके पर रवाना होंगे। आतंकी आक्रमणों में रेडियो ऐक्टिव पदार्थो व रासायनिक हथियारों के प्रयोग से हुये विकिरण के कारण घायलों/मृतकों के लिए संलग्न परिषिष्ट '2' के अनुसार उल्लिखित स्थानों में बनाये गये शरणालयों में उन्हें आम जनता से विकिरण फैलने से बचाने के उद्देश्य से अलग रखा जायेगा। घटना में मृतकों को शवगृह में प्लास्टिक कवर में रखा जायेगा तथा प्रशिक्षित टीम के निर्देषन में उनका निस्तारण होगा। घटना के आसपास विकिरण न फैले इससे उस स्थल पर आवाजाही बन्द करने के लिए भी अलग से पुलिस सुरक्षा टीम गठित की गई है। साथ ही घटना स्थल पर कार्डन के लिए इंसिडेंट कमाण्डर को घटना स्थल क्षेत्र के थानाध्यक्ष द्वारा पर्याप्त पुलिस बल दिया जायेगा।

उक्त संदर्भ में संभावित संवेदनशील स्थल पर रेडियोधर्मी विकिरण का आतंकी आक्रमण होनें की स्थिति में नजदीकी पुलिस चौकी/थाना/पटवारी चौकी के कर्मचारियों द्वारा उक्त स्थल पर आम आवाजाही बन्द कर दी जायेगी तथा प्रभावित व्यक्तियों/पषुओं/वस्तुओं को आम पहुंच से अलग रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में तत्काल सूचना यूनिफाइड कमाण्डर को दी जायेगी।

नई टिहरी में ऐसे आक्रमण के बाद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नई टिहरी के नेतृत्व में एक टीम बनायी जायेगी जो सर्च और रेस्क्यू टीम तथा रेडियो धर्मी पदार्थो के विकिरण से निपटने में दक्ष टीम के घटना स्थल पर पहुंचने से पूर्व उस पर लगभग 100 मीटर दूर से कार्डन डालकर आवाजाही बन्द करेंगे। इसी प्रकार का आक्रमण कीर्तिनगर/चम्बा/मुनिकीरेती /देवप्रयाग/घनसाली में होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष के नेतृत्व में तथा प्रतापनगर/लम्बगांव में पटवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही की जायेगी तथा घटना घटित होने पर उक्त स्थलों पर कंट्रोल रूम खोला जायेगा जो जिला नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा तथा जिस पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए क्रमषः एक उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 व एक एच0ओ0 पुलिस संचार नियुक्त होंगे जो सूचनाओं को इंसीडेन्ट कमाण्डर, जो जिले में उपजिलाधिकारी सदर व उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्राधिकारी पुलिस होंगे, को देंगे। जो यह सूचना निर्देषानुसार यूनिफाइड कमाण्डर के माध्यम से प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर 'पीला' 'नीला' 'लाल' की सूचनाओं की कैटेगिरि के अनुसार उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा।

बम विस्फोट की सूचना पर पुलिस के सामान्य एवं आवश्यक दायित्वः–

1. पुलिस विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रभावी क्षेत्रों में वायरलैस सेट स्थापित किया जाये ताकि वहॉ की परिस्थितियों के सम्बन्ध में अधिकारियों को सूचित किया जा सके।
2. शांति व्यवस्था स्थापित करना।
3. बम विस्फोट के कारण घायल एवं फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालना।
4. मृतक व्यक्तियों के शवों को बाहर निकालकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम के लिए तुरन्त कार्यवाही करना।
5. घायलों तथा आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करना तथा मार्गदर्शन हेतु राहत शिविर की स्थापना करना।
6. जन–धन की हानि तथा आपदा के सम्बन्ध में जानकारियां देने हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
7. प्रभावित क्षेत्र में आवागमन पर नियन्त्रण रखते हुये प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर निकालना तथा बाहर से किसी भी वाहन एवं व्यक्ति को प्रभावित क्षेत्र में न जाने देना।
8. राजमार्गों तथा अन्य मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था करना।
9. चिकित्सा सामग्री वितरण तथा राहत कार्य में जुटी हुयी अन्य गतिविधियों में प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
10. आपदा से प्रभावित क्षेत्र की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
11. राहत सामग्री ले जा रहे वाहनों की सुरक्षा करना।
12. आपदा से प्रभावित स्थल पर नियन्त्रण करते हुये शांति स्थापित करना तथा प्रभावित क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश न करने देना।
13. मृतकों के परिजनों द्वारा प्रस्तुत दावा प्रमाण–पत्रों के सत्यापन में उनकी सहायता करना।
14. राहत में लगे अर्द्धसैनिक बलों (भा0ति0सी0पु0, एस0एस0बी0, सी0आई0एस0एफ0, पी0ए0सी0 आदि) तथा सेना/सीमा सडक संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
15. प्रभावित क्षेत्र के दूरस्थ स्थलों में राहत दलों तथा विशिष्ठ व्यक्तियों के भ्रमण के लिए क्षेत्र में प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना।

16. विदेशी/स्वयं सेवी संगठनों, जो कार्य करना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए गाईड नियुक्त करना।
17. जिस क्षेत्र में बम विस्फोटक घटना हुई है, उसका मानचित्र होना अत्यन्त आवश्यक है। इस मानचित्र का भौतिक सत्यापन भी पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कराना अत्यन्त आवश्यक है।
18. पुलिस कर्मियों को रेस्क्यू उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री एवं संचार व्यवस्था से सुसज्जित होना आवश्यक है।
19. पुलिस के हर स्तर के प्रभारी अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पुलिस ड्यूटी शिफ्ट वार अवश्य परिवर्तित होती रहे।
20. पुलिस के लिए राहत सामग्री शिविरों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसे सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक होगा।
21. पुलिस की टुकड़ियों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण प्रतिदिन जिला नियन्त्रण कक्ष को भेजा जाय। इसके अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुयी हो तो उसे भी जिला नियन्त्रण कक्ष की जानकारी में लाना महत्वपूर्ण होगा। ताकि राहत/चिकित्सा सामग्री उन स्थानों पर पहुॅच सके।
22. पुलिस कर्मियों का आचरण विवेकपूर्ण, संवेदनशील तथा न्यायपूर्ण होना चाहिये। राहत कार्य क्षेत्र में यह प्रयास किया जाये कि राहत की सामग्री वास्तविक रूप से प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।
23. पुलिस नियन्त्रण कक्ष में मृतकों, घायलों, लापता व्यक्तियों तथा दूषित जलाशयों आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये।
24. पुलिस की प्रत्येक टुकड़ी का दायित्व है कि वह उपरोक्त बिन्दुओं पर सूचना एकत्रित करके तत्काल जिला नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध कराये।
25. एक पुलिस अधिकारी को अलग से ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किया जाय जो ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की ड्यूटी अदला–बदली व खाने आदि का प्रबन्ध करेगा। जिन व्यक्तियों को ड्यूटी पर लगाया जाय उनकी जाने से पहले उपस्थिति ली जाय। कोई भी कर्मचारी बिना बताये ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होना चाहिये।
26. राहत कार्य के समय ही विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन हो सकता है, इस व्यवस्था को अलग से अधिकारी को देखना चाहिए।
27. बहुत से डॉक्टर व नर्सिंगहोम सहायता देने को तैयार रहते हैं, उनकी भी सहायता ली जाय।

<u>आपातकालीन कर्तव्यः</u>–

1. जनपद में प्रतिसार निरीक्षक चम्बा की देख–रेख में Q.R.T. का गठन किया गया है। जनपद के किसी भी स्थान पर घटना गठित होने पर घटना स्थल के लिए तत्काल रवाना किया जाएगा।
2. घायलों को घटना स्थल से तत्काल सुरक्षित स्थान में ले जाना।
3. घटना की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक आपातकाल से निपटने हेतु 07 डेस्क सिस्टम स्थापित करेगें।
4. विस्फोट स्थल पर बाहरी व्यक्तियों के आगमन को रोकना। घटना स्थल का कॉर्डन ऑफ करना।
5. भगदड होने पर भगदड को नियंत्रित करने के तात्कालिक उपाय करना।
6. बम विस्फोट के लिये जिम्मेदार असामाजिक तत्वों को पकड़ने हेतु सभी डियूटी स्थलों पर श्रद्धालुओं की सघन तलाशी व ऐसे स्थान जहां आतंकवादी घटना घटित करने के बाद लम्बे समय तक शरण ले सकते हैं और आशंका के आधार पर पूर्व से चिन्हित किये गये हैं, पर सघन तलाशी अभियान चलाया जाना।
7. जनपद के समस्त चैक पोस्टो पर आने–जाने वाले वाहनों की सघन चैकिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों से टीम गठित कर पूछताछ की जाएगी।

भूकम्प, चक्रवात, बवण्डर, तूफान, सुनामी , सडक/नाव दुर्घटना आदि से निपटने के लिए तैयार की गयी कार्ययोजनाः–

जनपद टिहरी गढवाल प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। प्राकृतिक या अन्य किसी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु राज्य/जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा किसी भी सम्भावित आपदा से निपटने हेतु तहसील/ थानास्तर पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये है। जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र द्वारा राज्य/जिला आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र के दूरभाष नम्बरों को प्रचारित किया गया है जिससे आपदा की सूचना तत्काल यहां पर उपलब्ध हो सके और तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ किया जा सके। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर जनपद मुख्यालय पर स्थापित नियन्त्रण कक्ष सम्बन्धित सभी सूचनाओ का आदान प्रदान जिला स्तर पर इस नियन्त्रण कक्ष के द्वारा किया जायेगा यहां पर सूचना लेने व देने के लिए सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। जनपद टिहरी गढवाल भूकम्प के जौन 4 व 5 में आता है। भूकम्प एक ऐसी दैवीय आपदा है जिसका पूर्वानुमान लगाया जाना सम्भव नही भूकम्प की दृष्टि से सम्पूर्ण जनपद संवेदनशील है। जनपद में बहने वाली मुख्य नदियों का जल स्तर आबादी वाले क्षेत्रो से काफी निचे है गंगा नदी से मुनिकीरेती क्षेत्र के शीशम झाडी नामक स्थान को बाढ के खतरे की सम्भावना बनी रहती है। परन्तु अब वहां पर संचाई विभाग द्वारा आबादी की ओर तटबन्ध बनाये जाने से बाढ से क्षेत्र में कोई क्षति होने की सम्भावन कम ही है। बरसात के दिनों मे भूस्खलन एंव बादल फटने भी जन–धन की हानि होने की सम्भावना बनी रहती है। जनपद के भूस्खलन व बादल फटने से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र तहसील घनसाली, धनोल्टी, नरेन्द्रनगर व तहसील के अन्तर्गत आते है। इसी प्रकार जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण समय–समय पर सडक दुर्घटनाऐं होने की भी प्रबल सम्भावनाऐं बनी रहती है।

जनपद में कही पर भी किसी प्रकार की आपदा की घटना घटित होने पर निम्नानुसार कार्ययोजना बनाई जाती हैः–

जिला नियन्त्रण कक्ष के कार्य

1. दैवीय आपदा की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष में जिलाधिकारी द्वारा 7 डेस्क सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जिसमें सम्बन्धि विभागों के अधिकारीयों द्वारा आवश्यक बचाव एवं राहत कार्यों के लिए उचित निर्देश जारी किये जा सकेगें।
2. घटनास्थल पर स्थिति का मूल्याकंन करने के बाद जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करेंगें।
3. क्षेत्राधिकारी मुख्यालय एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित एक मजिस्ट्रेट तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष में पंहुचकर इन्चार्ज कन्ट्रोलरूम के रूप में कार्य करेगें।
4. नियंत्रण कक्ष से प्रेस या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी न दी जाय।
5. नियंत्रणकक्ष में लॉग बुक लिखने का कार्य वर्तमान प्रभारी नियंत्रण कक्ष करेंगें।
6. नियंत्रणकक्ष प्रभारी तुरन्त अग्निशमन अधिकारी को सूचित करायेगें कि सभी फायर स्टेशनों को सतर्क कर दें और एक फायर टेन्डर तत्काल घटनास्थल पर भेजे दें।
7. प्रभारी नियंत्रण कक्ष तत्काल सभी थानों एवं पुलिस लाईन को अवगत करायेगें कि सभी पुलिस कर्मचारियों के नाईट पास व अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं। अतः सभी पुलिस कर्मी तुरन्त अपने नियुक्ति स्थल पर पंहुचना सुनिश्चित करें।
8. सभी सम्बन्धित विभागों की आपदा प्रबन्धन टीमो को तत्काल घटना स्थल पर आवश्यक उपकरणों, दवाओं व सामग्री के साथ रवाना किया जाएगा तथा घटना स्थल पर ही अलग से एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा जिसका सीधा सम्पर्क आपदा परिचालन केन्द्र से होगा।

जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के कार्य

1. मौके पर पंहुचकर स्थिति नियंत्रण हेतु हर सम्भव कदम उठायेगें।
2. इस योजना को लागू करने अथवा न करने का निर्णय लेगें तथा तद्नुसार नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगें।
3. नियंत्रण कक्ष को यथा सम्भव अतिशीघ्र घटना से सम्बन्धित वस्तुस्थिति से अवगत करायेगें।
4. निरीक्षक एलआईयू व अन्य माध्यमों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर नियंत्रण कक्ष में बैठे क्षेत्राधिकारी मुख्यालय व सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को उन तथ्यों से अवगत करायेगें, जिन्हें होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल/अभिसूचना मुख्यालय/आयुक्त गढ़वाल मण्डल/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र को टेलीफौन अथवा फैक्स के माध्यम से तुरन्त सूचित करना है।
5. प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट/ मुख्य चिकित्साधिकारी/ अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/अधिशासी अभियन्ता विद्युत/लोनिवि आदि अधिकारियों को निर्देश देगें।
6. प्रेस को समय–समय पर ब्रीफ करने का कार्य करेगें।

क्षेत्राधिकारी मुख्यालय के कार्यः–

1. तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष पंहुचकर प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगें।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र/आयुक्त गढ़वाल मण्डल से फोन अथवा वायरलेस से निरन्तर सम्पर्क में रहेगें और उन्हें समय–समय पर स्थिति से अवगत कराते रहेगें।
3. पुलिस अधीक्षक से आदेश प्राप्त कर पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र को जनपद में आवश्यक अतिरिक्त फौर्स राजपत्रित अधिकारी/फायर सर्विस की गाड़ी/वाहनों की मांग आदि प्रस्तुत करेगें।
4. फोन/फैक्स से तत्काल होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल/अभिसूचना मुख्यालय/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र को अवगत करायेगें।
5. घायलों को घटना स्थल पर ही प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर उपचार हेतु जिला अस्पताल नई टिहरी, सुमन चिकित्सालय नरेन्द्रनगर, मैडिकल कालेज जौली ग्राण्ट आदि चिकित्सालयों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
6. आपदा से प्रभावित लोगो के लिए घटना स्थल पर ही बैस कैम्प बनाकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी तथा उनके रहने, खाने आदि की व्यवस्था की जाएगी।
7. अन्य ऐसा कार्य करेगें जो जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया जाय।
8. कन्ट्रोल रूम में प्रत्येक दो घण्टे में प्रभावित क्षेत्र की स्थिति के बारे में रिपोर्ट संकलित कर जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को अवगत कराकर उनके अनुमोदन के बाद ही डीजीपी/होम कन्ट्रोल/अभिसूचना मुख्यालय/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र/आयुक्त गढ़वाल मण्डल को तद्नुसार अवगत करायेगें।

सम्बन्धित थाना प्रभारी के कार्य

1. जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी थाने पर एक जिम्मेदार उपनिरीक्षक को छोडकर कुछ पुलिस बल के साथ तत्काल अपने साथ रस्सा/स्ट्रेचर/हेलमेट/टार्च और चैक एवं आदि आपदा प्रबन्धन की सामग्री लेकर पर्याप्त पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पंहुचेगे।
2. घटना स्थल पर पंहुचकर शीघ्रातिशीघ्र वहां की स्थिति से अवगत होकर वहां एकत्र भीड को घटना स्थल से हटायेगें आवश्यकतानुसार उपयुक्त फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते है। वहां पर अपने स्तर से प्रयास कर स्थिति को सुधारने का व नियंत्रित करने मे

महत्वपूर्ण योगदान देगे।

3. नियंत्रण कक्ष से या सीधे निर्देश प्राप्त होते ही जिस थाना क्षेत्र मे यह घटना घटित हुई है उस थाना प्रभारी को छोडकर शेष सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में वापस आयेगें।
4. हेड मोहर्रिर व थाना कार्यालय मे नियुक्त अन्य स्टाफ को निर्देशित करेगें कि जी डी मे किसी भी पुलिस कर्मी की अवकाश, साक्ष्य या विवेचना मे क्षेत्राधिकारी की अनुमति के बिना रवानगी नही करेगें चाहे सम्बन्धित कर्मचारी का अवकाश पहले ही स्वीकृत हो चुका हो अथवा साक्ष्य/विवेचना मे जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो।
5. थाना व चौकी पर नियुक्त अन्य सभी पुलिस कर्मियो को एकत्र कर उन्हे स्थिति से अवगत करायेंगे। थाना व चौकी के समस्त पुलिस बल तथा उपलब्ध सीपीओ/होमगार्ड व पीआरडी को ब्रीफ कर संवेदनशील व मिश्रित आवादी वाले व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रो मे पिकेट/गश्त ड्यूटी मे नियुकत करेगें। ऐसे स्थलो /क्षेत्रो की सूची थाना प्रभारी पहले से ही अपने क्षेत्राधिकारी से विचार विमर्श कर तैयार कर ले तथा एक एक प्रति पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी को भी दें।
6. समस्त ड्यूटी नामवार लगायी जाय व ड्यूटी चार्ट थाने पर रखा जाय तथा ड्यूटी पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को ड्यूटी स्थल पर थाना प्रभारी ब्यक्तिगत रूप से ब्रीफ करेगे।
7. यह सुनिश्चित करेगें कि उनके थाना के सभी चौकी प्रभारी व चौकी का फोर्स अपने अपने चौकी क्षेत्र मे शान्ति एवं कानून ब्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी व ब्यवस्थित तरीके से कार्य करे।
8. प्रभारी अधिकारी पुलिस कर्मियो के खाने हेतु पुलिस मेस मे व्यवस्था करेगे।

प्रतिसार निरीक्षक के कार्य

1. तत्काल पुलिस लाइन मे इमरजेंसी अलार्म बजा कर उपलब्ध समस्त फोर्स सशस्त्र/नागरिक पुलिस/पी0ए0सी0 व अन्य पुलिस बल को तैयारी कर कमरबन्दी की स्थिति मे रखेंगे। इससे पूर्व आपदा प्रबन्धन टीम को तत्काल समस्त आवश्यक उपकरणों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना करेगें।
2. तत्काल 10 मिनट के अन्दर एक उ0नि0 (ए0पी0) को इन्चार्ज बनाकर उसके साथ लाइन से 2 हे0का0 तथा 10 का0 को आपदा स्थल के लिये रवाना करेंगे। रात के समय टार्च भी फोर्स के साथ भेजना सुनिश्चित करेगे। सभी अधिकारी/कर्मचारी हेलमेट, डण्डे एवं बॉडी प्रोटेक्टर के साथ रहेगें।
3. पुलिस बल को टोलियो मे विभाजित करके टोली इन्चार्ज नियुक्त करेगे। पुलिस बल की नामवार सूची तैयार रखेगे।
4. पुलिस लाइन मे उपलब्ध सभी छोटी/बडी गाडियो को चालक सहित तैयारी हालत मे रखेगे।
5. टेलीफोन पर एक आरएसआई या एसआई एपी नियुकत करेगे जो टेलीफोन से प्राप्त संदेशो को वहीं रख रजिस्टर मे अकिंत करेगे और निर्देशो से प्रतिसार निरीक्षक को अवगत करायेगे ताकि उनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
6. पुलिस लाइन से बाहर रहने वाले सशस्त्र/सीपी लाइन के कर्मचारियो को शीघ्रता से लाइन मे एकत्र करेगे।
7. आवश्यक ड्यूटियो को छोडकर समस्त पुलिस बल को कमरबन्दी मे रखेगे। विभिन्न गार्दो को तोड़ने व संख्या कम करने के सम्बन्ध मे भी पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेगे।
8. किसी भी पुलिस कर्मी की अवकाश, साक्ष्य या विवेचना मे क्षेत्राधिकारी की अनुमति के बिना रवानगी नही करेगें।
9. आंसू गैस, टार्च, रस्से, लाउडस्पीकर आदि पर्याप्त संख्या मे तैयार रखेगें।
10. कुछ एपी गार्द तैयारी की स्थिति मे रखेगे ताकि अवश्यकता पडने पर उन्हे शीघ्रता से रवाना कर सके।

11. निरन्तर पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक व जिला नियंत्रण कक्ष के सम्पर्क मे बने रहेगें।

<u>निरीक्षक एलआईयू के कार्य :</u>

1. जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त होते ही निरीक्षक एलआईयू अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे तथा तत्काल आवश्यकतानुसार सम्बन्धित क्षेत्र में कर्मचारी नियुक्त करेगें जो कि घटित घटना के कारण, अफवाहों, घटना के विषय में चल रही चर्चा, चल/अचल सम्पति के नुकसान, घायल व मृत व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेगें और उससे जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को अवगत करायेगें।
2. अन्य समस्त सम्वेदनशील स्थानों पर सम्भावित प्रतिक्रिया की जानकारी करके जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक को अवगत करायेगें।
3. क्षेत्र में प्रचलित चर्चा/अफवाहों के बारे में तत्काल सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/उप जिलाधिकारी/ थाना प्रभारी/जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को अवगत करायेगें।

<u>अग्निशमन अधिकारी के कार्य</u>

1. आतंकवादी घटना/आपदा के घटित होने पर समस्त फायर स्टेशनों को सूचित कर सतर्क कर देगें।
2. मौके पर तत्काल एक फायर टेण्डर भिजवायेंगें। हाई टेन्शन वायर को काटने वाली कैंची साथ अवश्य भेजी जाय।
3. सभी कर्मचारियों को कमर बन्दी में रखेगें।
4. अपने पास फायर हाईड्रेण्ट की सूची रखेगें तथा मौके पर जाने वाले अधिकारी के पास भी यह सूची उपलब्ध करायेगें।
5. घटना स्थल के पास के सभी हाईड्रेण्ट में पानी का प्रेशर बनाये रखने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण से सम्पर्क स्थापित करेगें।
6. आग लगने पर तुरन्त बुझाने का प्रयास करेगें।
7. जिला नियंत्रण कक्ष से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेगें।
8. यदि आगजनी अथवा बम विस्फोट के कारण मकान ध्वस्त हुए है और लोग उसमें फंस गये हैं तो बचाव दल तुरन्त मौके पर भेजेगें तथा लोगो को प्रभावित क्षेत्र से यथाशीघ्र निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुचाने का कार्य करेंगे। बचाव दल के पास गैस मास्क भी होना चाहिये।

जिला स्तर पर संस्थागत उपाय

आपदा प्रबन्धन में कई प्रकार के संगठनों की संलिप्तता आवश्यक है। तीन मुख्य स्तर राज्य, जिला व घटना का स्थान हैं। राज्य स्तरीय एजेन्सियों की भूमिका नीतिगत निर्णय, संसाधन वितरण व कार्यों के प्राथमिकीकरण, बजट वितरण व आपात परिचालन दल व आपदा प्रबन्धन व न्यूनीकरण केन्द्र के द्वारा निरीक्षण में है।

जिला आपदा प्रबन्धन समिति एक उच्च नियोजन तंत्र है जिसकी पूर्व तैयारी व न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला स्तरीय प्रतिक्रिया जिलाधिकारी महोदय के दिशानिर्देश में संयोजित होगी।

माननीय जिलाधिकारी महोदय की भूमिका

1. जनपदीय आपदा प्रबन्धन समिति के सहयोग से जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण।
2. जिला आपदा प्रबन्धन दल का गठन।
3. जिलाधिकारी आपात परिचालन दल के अभिन्न अंग होंगे।
4. आपदा के स्थान पर, आपदा प्रबन्धन हेतु विशिष्ट कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
5. जिलाधिकारी स्थान परिचालन केन्द्रों से सहायता प्राप्त करेंगे।
   - ➢ स्थान परिचालन केन्द्र के मुखिया स्थान प्रबन्धक होगें।
   - ➢ स्थान प्रबन्धक विभिन्न शिविरों, स्थान, व प्रभावित क्षेत्रों के संयोजक होगें।
   - ➢ स्थान परिचालन केन्द्र जिला आकस्मिक परिचालन दल को रिपोर्ट करेगा।
6. जिलाधिकारी सभी स्थान प्रतिक्रियाओं को संयोजित करेगें।
   - ➢ स्थान प्रतिक्रिया के अन्तर्गत ट्रांजिट शिविर, राहत शिविर, खाद्यान्न केन्द्रों तथा पशु शिविरों की स्थापना है।

आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी केन्द्रीय प्राधिकारी होंगे व अपनी आकस्मिक शक्तियों से सभी विभागों को आकस्मिक अनुक्रिया सेवा हेतु निर्देशित करेंगे। आवश्यकता पडने पर वे विभिन्न सेवाओं जैंसे रक्षा सेवायें, अग्नि शमन, डाक एवं तार, लो0नि0वि0, विद्युत कार्पोरेशन, परिवहन निगम, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण रेलवे राज्य सरकार हवाई सेवा व हैलीकाप्टर, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय दाता एजेन्सियों, गैर सरकारी संगठनों आदि का समन्वयन व निर्देशन करेंगे।

जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य विकास अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धक की शक्तियों का उपयोग व जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

जिला स्तर पर संयोजन तंत्र

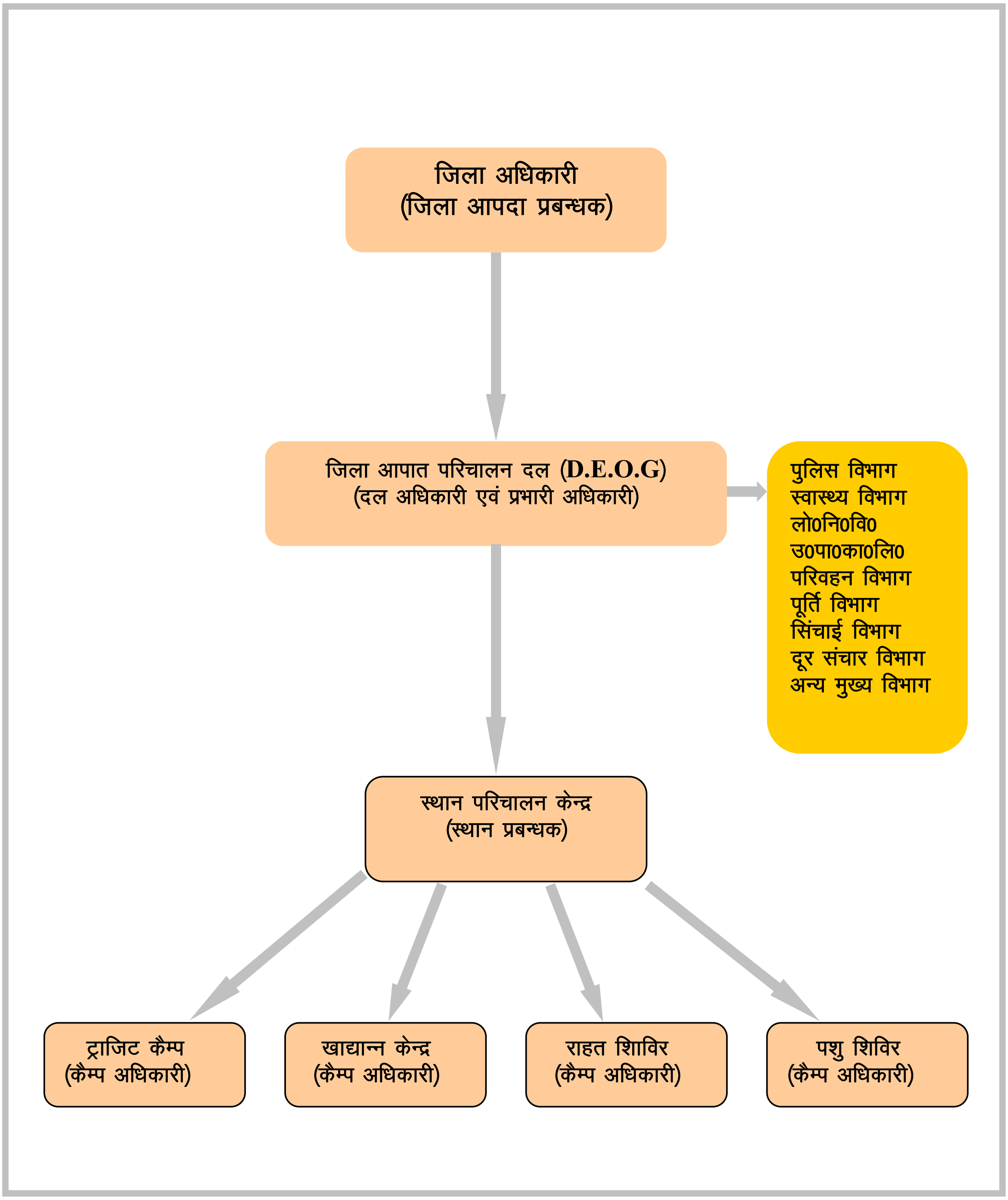

जिला आपदा प्रबन्धन समिति :

जिला आपदा प्रबन्धन समिति मा0 जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धक को निम्न कार्यों में सहायता देगीः–

- खतरों का विश्लेषण व खतरों का पुनरीक्षण।
- जोखिम विश्लेषण।
- घातकता विश्लेषण व पूर्ण तैयारी स्तर का आंकलन।
- आकस्मिक प्रबन्धन।
- प्रबन्धन रणनीतियां।
- जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में सुधार हेतु सुझाव।

जिला आपदा प्रबन्धन समिति, टिहरी गढ़वाल

क्र0 सं0	पदनाम	समिति में पद	अभ्युक्ति
1	जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	अध्यक्ष	पदेन
2	पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	सदस्य	पदेन
3	मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	उपाध्यक्ष	पदेन
4	प्रभारी अधिकारी (दै0 आ0) टिहरी गढ़वाल	सचिव	पदेन
5	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल	सदस्य	पदेन
6	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	सदस्य	पदेन
7	समस्त उप जिलाधिकारी, टि0ग0	सदस्य	पदेन
8	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, नरेन्द्रनगर	सदस्य	पदेन
9	मुख्य कृषि अधिकारी, टि0ग0	सदस्य	पदेन
10	महाप्रबन्धक, टी0एच0डी0सी0 लि0, नई टिहरी	सदस्य	पदेन
11	सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,. ऋषिकेश	सदस्य	पदेन
12	जिला दूरभाष प्रबन्धक, टि0ग0	सदस्य	पदेन
13	जिला सूचना अधिकारी, टि0ग0	सदस्य	पदेन
14	जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	सदस्य	पदेन
15	जिला शिक्षा अधिकारी, टि0ग0	सदस्य	पदेन
16	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) टि0ग0	सदस्य	पदेन
17	अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी	सदस्य	पदेन
18	अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थान, नई टिहरी	सदस्य	पदेन
19	अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पावर कार्पो0 लि0, नई टिहरी	सदस्य	पदेन
20	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी	सदस्य	पदेन
21	अपर मुख्याधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य	पदेन
22	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, टिहरी	सदस्य	पदेन
23	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टि0ग0	सदस्य	पदेन
24	जिला कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवायोजना, टि0ग0	सदस्य	पदेन
25	जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य	पदेन
26	कमाण्डेन्ट होमगार्ड, नरेन्द्रनगर	सदस्य	पदेन
27	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य	पदेन

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग
अधिसूचना
04 दिसम्बर, 2007 ई0

संख्या 1504/XVIII(2)/07–3(6)/2007–आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, वर्ष 2005) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विभिन्न कार्यों तथा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन के लिए एक जिला स्तरीय, अर्थात् टिहरी गढ़वाल, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नवत् रूप में संरचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

1. जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल	अध्यक्ष
2. जिला पंचायत अध्यक्ष, टिहरी गढ़वाल	सहअध्यक्ष
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	सदस्य
4. मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	सदस्य
5. प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/ अपर जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल	सदस्य एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल	सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0), टिहरी गढ़वाल जिसे जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य

जनपद के समस्त विधायकगण, प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमंत्री होंगे यथा आवश्यकता, प्राधिकरण की बैठकों में निम्नांकित को भी आमंत्रित किया जा सकेगा–

1. जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. परिवहन विभाग के जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु नियत प्रभारी अधिकारी।
3. अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग), टिहरी गढ़वाल।
4. अन्य अधिकारी, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष उचित समझें।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह विभाग
संख्या–405 / XX(2) / 232 / सुरक्षा / 2009
देहरादून दिनांक–09 मार्च, 2010

अधिसूचना

जनपदों में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नियंत्रित न हो सकने वाली असामान्य स्थितियों का सामना करने तथा त्वरित व प्रभावी प्रतिवाद सुनिश्चित कर नियंत्रण पाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद में निम्नवत् संकट प्रबन्धन समूह गठित की जाती है–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष।
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	सदस्य।
3.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य।
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य।
5.	जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य।
6.	अधिशासी अभियन्ता (लो.नि.वि.)	सदस्य।
7.	अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई)	सदस्य।
8.	परिवहन विभाग के जनपद में नियत प्रभारी अधिकारी	सदस्य।
9.	प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन / अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य, सचिव।
10.	प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय सैन्य बल / अर्द्ध सैनिक बल	सदस्य।
11.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	सदस्य।
12.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य।

जनपद स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह के दायित्व–

1. अपने–अपने जनपदों के लिए संकट प्रबन्धन योजनाएं एक माह के भीतर तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।
2. राज्य स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।
3. सदस्य सचिव, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति उक्त समूह के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे।

(अनूप बधावन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. जनपद स्तरीय संकट प्रबन्धन समूह के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
2. उपनिदेशक, राजकीय प्रेस रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

आपदा की स्थिति में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य

<u>आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अनुसार</u>–

1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश।
2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध।
3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध।
4. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य।
5. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था।
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन (emergency) संचार व्यवस्था की स्थापना।
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था।
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने हेतु निर्देश।
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से सम्पर्क।
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुरूप वांछित सामग्री की आपूर्ति।
11. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त (demolish) किया जाना।
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यों का सम्पादन।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अनुसार–

1. जनपद प्रतिवादन योजना (response plan) को समावेशित करते हुए जनपद आपदा प्रबन्धन योजना का विकास।
2. राष्ट्रीय नीति (policy), राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद योजनाओं (plans) के क्रियान्वयन (implementation) हेतु समन्वयन (coordianation) व परिवीक्षण (monitoring)।
3. जनपद में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन।
4. जनपद स्तर पर समस्त सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिवादन (response) हेतु निर्गत मार्ग–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. जनपद व स्थानीय निकायों एवं प्राधिकारियों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश।
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाये जाने हेतु मार्गनिर्देश।
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन (implementation) के स्तर का अनुश्रवण (monitoring)।
8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशानिर्देश व आवश्यक तकनीकी सहायता।
9. उपरोक्त का क्रियान्वयन (implementation) सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण (monitoring)।
10. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्षमताओं (capacity) की समीक्षा (review) व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण (upgradation) हेतु दिशा–निर्देश।
11. पूर्व तैयारी (preparedness) के स्तर की समीक्षा (reviẹ) एवं सम्भावित आपदाओं का सामना करने के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को दिशा–निर्देश।
12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों व स्वयं सेवी बचाव कार्मिकों (voluntary rescue workers) के लिए विशिष्ट प्रशिक्षणों (specialized training programmes) का आयोजन।
13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक क्षमता विकास व जन जागरूकता कार्यक्रमों (community training and awareness programmes) का आयोजन।
14. आपदा चेतावनी तंत्र (warning mechanism) व जन सूचना तंत्र (public information system) विकसित किया जाना एवं इसका रख–रखाव व उच्चीकरण।
15. जनपद स्तरीय प्रतिवादन (response) योजना व मार्गनिर्देशिकाओं (guidelines) विकास, समीक्षा तथा उच्चीकरण।
16. आपदा की स्थिति में प्रतिवादन (response) कार्यों का समन्वयन (coordination)।
17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिवादन (response) योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये।
18. आपदा की परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिवादन (response) सुनिश्चित किये जाने हेतु मार्गनिर्देशों का विकास एवं जनपद के सम्बन्धित सरकारी विभागों एवं अन्य निकायों को इनके अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश।

19. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों में लगे सभी जनपद स्तरीय सरकारी विभागों, निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यों में समन्वयन।

20. आपदा रोकथाम (prevention) एवं न्यूनीकरण (mitigation) उपायों के त्वरित (prompt) एवं प्रभावी (effective) क्रियान्वयन हेतु जनपद में अवस्थित स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वयन व आवश्यक दिशा–निर्देश।

21. स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना।

22. विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं की समीक्षा (review)।

23. आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं मानकों की अवहेलना (non-compliance) पाये जाने पर सम्बन्धितों को आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश।

24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एवं इनमें पानी, साफ–सफाई व अन्य आवश्यक व्यवथायें करना।

25. राहत व बचाव सामग्रियों का भण्डारण या फिर उपयुक्त पूर्व तैयारी के सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना।

27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं (social welfare institutions) को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना।

28. सुनिश्चित किया जाना कि संचार तंत्र (communication systems) कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अभ्यास किये जा रहे हैं।

29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यों का सम्पादन।

जिलाधिकारी, टिहरी की उपस्थिति में प्रतिक्रिया प्लॉन हेतु बैठक

(अ) जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक कर निम्न कार्यकारी दलों का गठन किया गया है–

1. जिला आपदा परिचालन दल
2. खोज एवं बचाव दल
3. स्वास्थ्य एवं प्राथमिक उपचार दल
4. खाद्य एवं अस्थायी आवास दल
5. कानून व्यवस्था दल
6. निस्तारण दल– मृत मनुष्य एवं मवेषी
7. यातायात दल
8. सूचना एवं संचार दल

निम्नलिखित के साथ कार्य करने वाला जिला स्तर पर एक नियन्त्रण कक्ष–

– टेलिफोन/फैक्स (01376–233433, 234793)

– टोल फ्री नं0– 1077

– सैटेलाइट फोन नं0–8991112032

– वायर लैस– ''आपदा कन्ट्रोल''

– मोबाइल

(ब) जनपद टिहरी गढ़वाल में आपदा प्रबन्धन प्रणाली, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की सक्रियता एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के सक्रिय एवं सुचारू संचालन हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण/बैठक में प्रस्तुत एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा संस्तुत जिला आपातकालीन परिचालन समूह का गठन किया गया है।

जिला आपदा परिचालन दल (DEOG)
अधिन्यास एवं कर्तव्य

1. परिचालन दल (Operation Team)

दल के सदस्य
1. जिलाधिकारी
2. पुलिस अधीक्षक
3. उप जिलाधिकारी (प्रभारी अधिकारी, दैवी आपदा)/उप पुलिस अधीक्षक
4. स्वास्थ्य अधिक्षक, जिला अस्पताल
5. प्रमुख – पी. डब्ल्यू. डी./ग्रामीण अभियन्त्रिकी
6. अध्यक्ष जिला पंचायत
7. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका

कार्य
- सूचना प्राप्त करना
- नियन्त्रण कक्ष की निगरानी
- विभिन्न आपदा कार्यदलों के बीच समन्वय स्थापित करना
- आवश्यकतानुसार दल की नियुक्ति, क्षेत्र आवंटन आदि
- प्रारम्भिक आंकलन
- खोज एवं बचाव दल/उपकरणों हेतु आवेदन
- बाहर से सुरक्षा एवं बचाव दल की प्राप्ति का प्रयास
- राहत एवं बचाव कार्यदलों का वितरण
- सेना व अर्ध सैनिक बल की आवश्यकता का आंकलन
- कार्यरत दलों हेतु नकदी, भोजन एवं पानी की व्यवस्था करना
- राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट देना
- राज्य मुख्यालय के साथ हॉटलाइन द्वारा सम्पर्क बनाये रखना
- संचार सुविधाओं एवं उनका वितरण
- मीडिया ब्रीफिंग
- अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों की देखभाल।

2. खोज एवं बचाव दल (Search and Rescue Team)

दल के सदस्य
1. उप जिलाधिकारी/ प्रभारी अधिकारी देवी आपदा/उप पुलिस अधीक्षक
2. उप विभागीय अधिकारी
3. जिला पंचायत सदस्य
4. अग्नि, पुलिस, यातायात व स्वास्थ्य के अधिकारी
5. पी. डब्ल्यू. डी./वन/कृषि/शिक्षा/बागवानी/मत्स्य विभाग में ए. ई व एस. ई स्तर के अधिकारी
6. सिविल डिफैन्स व होमगार्ड के लोग
7. गैर सरकारी व स्थानीय जनता के स्वैच्छिक कार्यकर्ता
8. शहरी कार्य दल

कार्य

- संक्षिप्त जानकारी देना व कार्यस्थल पर सदस्यों को प्रशिक्षण
- गठित किये गये 6 दलों को दल नायक द्वारा कार्य वितरण
- प्रत्येक दल में लगभग 20 सदस्य हों
- जीवित एवं मृत प्राणियों की खोज
- स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्र की सफाई करना
- उपकरणों जैंसे यातायात, प्राथमिक सहायता, संचार, कैमरा इत्यादि की जांच
- रोढ़, आवाजाही, मौसम इत्यादि की सूचना
- अभिलेखीकरण एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- जीवित व्यक्तियों को –
  - ➢ प्राथमिक चिकित्सा देना
  - ➢ कीमती सामानों व दस्तावेजों की सुरक्षा
  - ➢ फोटोग्राफ व पहचान चिन्हों को सुरक्षित रखना
  - ➢ आवश्यकतानुसार सुरक्षित घरों, स्थलों अथवा अस्पताल में पहुंचाना
- मृत प्राणियों को–
  - ➢ कीमती सामानों व दस्तावेजों की सुरक्षा
  - ➢ फोटोग्राफ व पहचान चिन्हों को सुरक्षित रखना
  - ➢ पंचनामा करना
  - ➢ पहचान करवाना
  - ➢ सम्बन्धियों को सौंपना अथवा
  - ➢ मोरचरी या केन्द्रीय स्थलों पर लाना तथा धर्मानुसार निस्तारण करना
- जीवित पशु
  - ➢ मालिक को सोंपना या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना
- मृत पशुओं का निस्तारण
- दल सदस्यों हेतु भोजन एवं अवास की व्यवस्था करना
- सभी उपकरणों जैंसे जनरेटर, कुल्हाडी, टॉर्च, पानी का टैंक, पौली बैग इत्यादि के सुचारू क्रियाशीलता की जांच
- बचाव एवं राहत शिविरों तक लोगों को पहुंचाने हेतु यातायात के साधनों का उपयोग
- नकदी, भोजन एवं जल की व्यवस्था करना
  सडक, मलवा तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने के लिये उपकरणों की व्यवस्था

3. स्वास्थ्य एवं प्राथमिक उपचार दल (Medical and First Aid Team)

दल के सदस्य

1. एक या दो चिकित्सा प्रभारी
2. स्वास्थ्य सेवक / नर्स
3. पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य
4. नगरपालिका कर्मचारी
5. स्वयं सेवी संस्था एवं रेड क्रास के सदस्य

कार्य

- पर्याप्त दवाईयां एवं जीवन रक्षक प्रणालियों की आपूर्ति
- संक्रमण रोकथाम अभिकर्मक
- जीवन रक्षक घोल (ओ. आर. एस.)
- मरीजों अथवा घायलों का पंजीकरण
- प्राथमिक उपचार देना व सकुशल घर पहुंचाना

- अस्पताल व अस्थायी शरणालयों तक पहुंचाना
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखना – डी.डी.टी छिडकाव आदि

4. भोजन एवं अस्थायी आवास दल (Food and Shelter Team)

दल के सदस्य

1. खण्ड विकास अधिकारी / पी.डी. डी.आर.डी
2. आपूर्ति निरिक्षक
3. बाजार के प्रतिनिधि
4. स्वयं सेवी संस्थाएं

कार्य

- कैम्प ऑफिस की स्थापना
- वैकल्पिक आवास की व्यवस्था–
  - सभी सामुदायिक भवन
  - धर्मशालाएं
  - स्कूल भवन
  - घरेलु किट सुविधायें
  - कपडे
- सभी स्थानीय संसाधनों से विस्तर एवं कम्बल
- बचाये गये लोगों को उठाना एवं सुरक्षित वैकल्पिक आवासों तक पहुंचाना
- बचाये गये लोगो हेतु भोजन की व्यवस्था करना
- स्थानीय सस्ते गल्ले की दुकान, बाजार व खाद्य गोदामों से अनाज इकटठा करना

5. कानून व्यवस्था दल (Law and Order Team)

दल के सदस्य

1. उप जिलाधिकारी
2. पुलिस अधिकारी
3. होमगार्ड
4. प्रान्तीय रक्षक एवं सेना –उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार

कार्य

- आवश्यक केन्द्रों जैंसे अस्पताल, मोरचरी, गैस, पैटोल पम्प, गोदाम, सस्ते गल्ले की दुकान, खाद्य बाजार, मिटटी तेल की दुकान इत्यादि की पहचान करना
- पुलिस को नियुक्त करना
- सचल दल की व्यवस्था
- भीड को आपदा ग्रस्त क्षेत्र से दूर रखना व राहत कार्य में व्यवधान को रोकना
- राहत में लगे अधिकारियों व राहत सामग्री के सुचारू आवागमन को बनाये रखना
- भोजन एवं पानी साथ लाने पर सम्बन्धियों एवं मित्रों को कैम्प ऑफिस तक आने देना

6. निस्तारण दल–मृत मनुष्य एवं मवेशी (Disposal Team)

दल के सदस्य

1. खण्ड विकास अधिकारी
2. सफाई कर्मचारी / नगर पालिका के अधिकारी

3. पंचायत/जिला पंचायत सदस्य
4. बीमा अधिकारी
5. स्वयं सेवी कार्यकर्ता

कार्य

- मृत प्राणियों का पंजीकरण करना
- पहचान करवाना व फोटो लेना (यदि पहले न हुआ हो)
- शवों का पंचनामा करना
  - ➢ सम्बन्धियों को सोंपना
  - ➢ अज्ञात शवों को मोरचरी/पंचायत/नगरपालिका को सोंपना
  - ➢ केन्द्रिय स्थल की पहचान करना
  - ➢ धर्मानुसार शवों का दाहसंस्कार/निस्तारण करना
  - ➢ जीवित मवेशियों को मालिक के सुपुर्द करना अथवा पशु शरणालयों में पहुंचाना
  - ➢ मृत मवेशियों को हटाना व जलाकर अथवा दबा कर निस्तारण करना
  - ➢ लोगों के साथ उपरोक्त कार्यो के सही निष्पादन हेतु समन्वय स्थापित करना

7. यातायात दल (Transport Team)

दल के सदस्य

1. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
2. विभाग के कर्मचारी

कार्य

- मार्गो की स्थिति का आंकलन करना
- आपदा स्थल पर सभी उपलब्ध वाहनों/परिवहन की व्यवस्था करना
- प्रभावित व्यक्तियों के उपचार, राहत सामग्री हेतु अवागमन सुगम बनाना।

8. सूचना एवं संचार दल (Information and Communication Team)

दल के सदस्य

1. पुलिस अधिकारी
2. रेडियो अधिकारी
3. जनसंचार से जुडे स्थानीय लोग

कार्य

- उपलब्ध संचार सुविधाओं द्वारा घटना की जानकारी सम्बन्धित विभागों व अधिकारीयों तक प्रेषित करना
- आपदा ग्रस्त क्षेत्र की संचार प्रणाली को बहाल करना
- पुलिस वायरलैस, टेलिफोन, फैक्स, हैम रेडियो, व्यक्तिगत मोबाइल के माध्यम से जिला आपदा प्रबन्धक की ओर से सूचनाओं का प्रेषण
- जिले की समस्त जानकारी व दूरभाष नम्बरों के साथ आंकडा बैंक के रूप में कार्य
- सामाजिक कार्यकर्ताओं व स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

–:: जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र ::–

- जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (जिला नियन्त्रण कक्ष–DEOC) आपदा प्रबन्धन का मुख्य केन्द्र होगा और आपदा प्रबन्धन के कार्यो की जांच, समन्वयन व कार्यो का क्रियान्वित करेगा।
- जिला आपदा प्रबन्धक के नेतृत्व में आपातकालीन परिचालन केन्द्र में प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु प्रवर सहायक–ड्यूटी प्रभारी, डेडा इन्ट्री ऑपरेटर व अनुसेवक नियुक्त किये जायेंगे।
- केन्द्र यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी चेतावनी सूचक, संचार नैटवर्क व यंत्र भली भांति कार्य कर रहे हैं।
- केन्द्र का सूचना तंत्र विभिन्न विभागों से जानकारी प्राप्त कर सम्भावित आपदाओं से प्रभावित जिले के विभिन्न स्थानों तहसीलों/थानों व गांवों की जानकारी संकलित करेगा।
- केन्द्र जिला स्तर के विभिन्न विभागों से उनकी आपदा पूर्व तैयारियों पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उनके प्रशिक्षण या अन्य आवश्यक संसाधनों सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- केन्द्र बदलते परिवेश में जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में सुधार करता रहेगा।
- केन्द्र जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों की एक सूची तैयार करेगा।
- वास्तविक एवं नवीन सूचना उपलब्ध करवाना केन्द्र का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। माननीय जिलाधिकारी (जिला आपदा प्रबन्धक) के निर्देशन में केन्द्र आपदा प्रबन्धन समिति व आपदा परिचालन दलों के सदस्यों को सूचना उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त मांगे जाने पर केन्द्र जनता को तत्काल सूचना उपलब्ध करवायेगा।
- आपदा के समय केन्द्र मीडिया के सम्पर्क में रहकर आपदा की वास्तविक स्थिति और प्रशासन के कार्यो की सूचना त्वरीत रूप से प्रेषित करेगा।
- केन्द्र आपदा के दौरान एवं पश्चात स्थापित क्षेत्रिय केन्द्रों तहसील/थानों के सम्पर्क में रहकर खोज, राहत, बचाव एवं पुनर्निमाण में मदद करेगा।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल

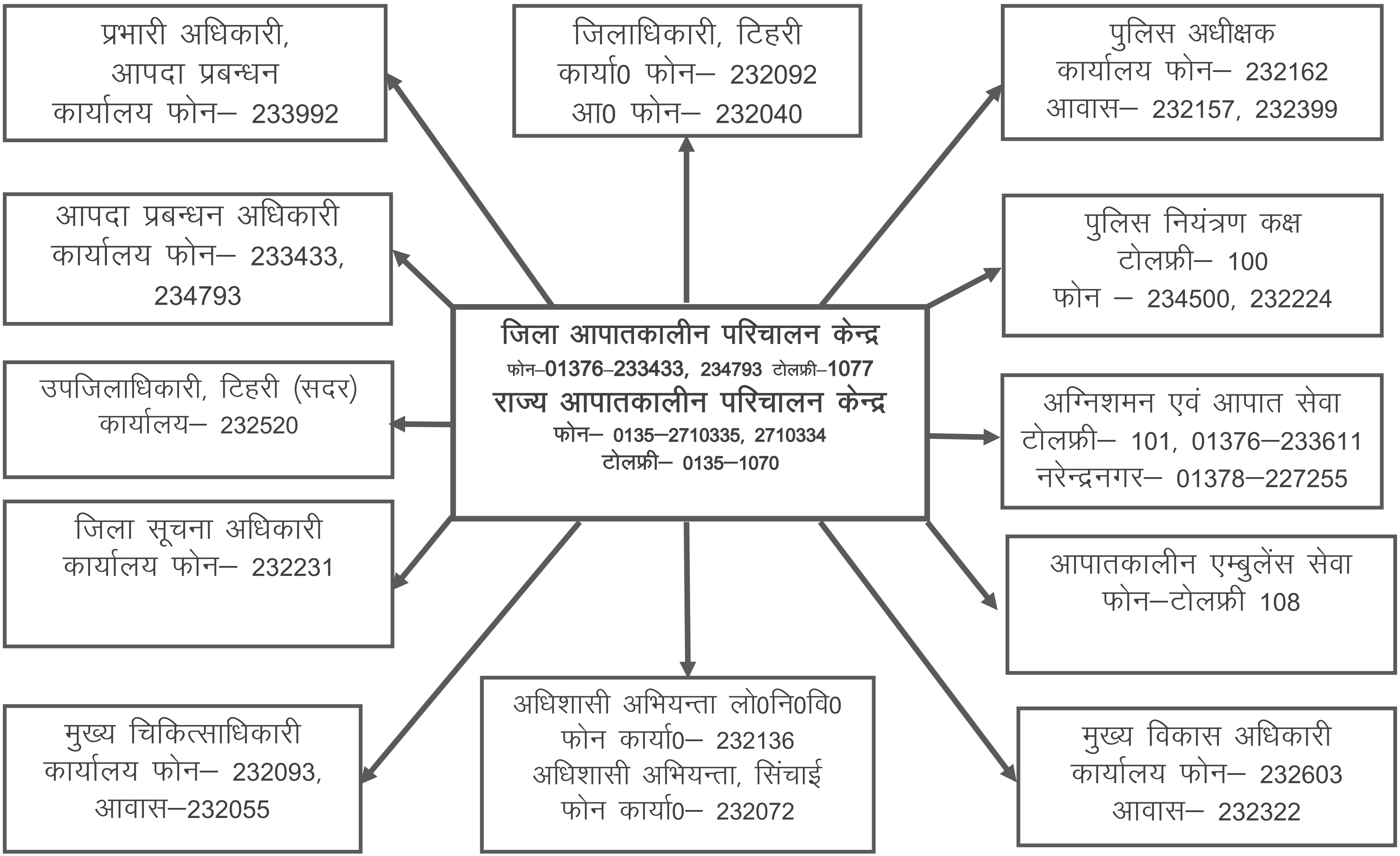
जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
फोन–01376-233433, 234793 टोलफ्री–1077
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
फोन– 0135–2710335, 2710334
टोलफ्री– 0135–1070
प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबन्धन
कार्यालय फोन– 233992
जिलाधिकारी, टिहरी
कार्या0 फोन– 232092
आ0 फोन– 232040
पुलिस अधीक्षक
कार्यालय फोन– 232162
आवास– 232157, 232399
आपदा प्रबन्धन अधिकारी
कार्यालय फोन– 233433,
234793
पुलिस नियंत्रण कक्ष
टोलफ्री– 100
फोन – 234500, 232224
उपजिलाधिकारी, टिहरी (सदर)
कार्यालय– 232520
अग्निशमन एवं आपात सेवा
टोलफ्री– 101, 01376–233611
नरेन्द्रनगर– 01378–227255
जिला सूचना अधिकारी
कार्यालय फोन– 232231
आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा
फोन–टोलफ्री 108
मुख्य चिकित्साधिकारी
कार्यालय फोन– 232093,
आवास–232055
अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0
फोन कार्या0– 232136
अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई
फोन कार्या0– 232072
मुख्य विकास अधिकारी
कार्यालय फोन– 232603
आवास– 232322

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष में
कार्यरत कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

- ✓ आपदा सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त होने पर विनम्रता से स्थिति का विवरण पूछें।
- ✓ आपदा घटित होने का स्थान, राजस्व ग्राम, पटवारी क्षेत्र तथा वहां की मुख्य सम्पर्क स्थानों से दूरियां आदि की सूचना प्राप्त करें।
- ✓ आपदा घटित होने का समय एवं तिथि तथा आपदा का स्वरूप कैसा है। उदाहरणार्थ– आपदा पहाड़ी से पत्थर या मलवा गिरने, अतिवृष्टि से भवन की छत गिरने, भूमि के कटाव होने या नदियों के बहाव से हो सकती है।
- ✓ सूचना देने वाले का नाम, पता, सम्पर्क टेलीफोन नम्बर ज्ञात कर नोट करें।
- ✓ यदि आपदा वृहत्त हो तो सम्भावित मृतक, गम्भीर रूप से घायल आदि का संख्यात्मक जानकारी ली जाये।
- ✓ इसी प्रकार आवासीय भवनों की क्षति के बारे में जानकारी ली जाये।
- ✓ इसी प्रकार भू–क्षेत्रों में मलुवा फैले होने या पशु हानि के बारे में जानकारियां पूछकर नोट की जाये।
- ✓ मानसून में आधारभूमि संरचनाएं जैसे– आपदा ग्रस्त क्षेत्र की पेयजल, विद्युत, संचार, सड़क, पैदल मार्ग, नहरें, पुल आदि अवरोधित हो जाते हैं। अतः उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर रजिस्टर में अंकित करें।
- ✓ सूचनाएं प्राप्त होने के पश्चात उन्हें तहसील नियंत्रण कक्ष, उपजिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/पुलिस नियंत्रण कक्ष/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0–सिंचाई/जिला परियोजना अधिकारी को इसकी सूचना दें।
- ✓ वृहत्त आपदा एवं विशेष परिस्थितियों में जिला अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, जिला चिकित्सालय, जिला सूचना अधिकारी को सूचना करें।
- ✓ जिला नियंत्रण कक्ष में विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर उपलब्ध हैं। आवश्यकतानुसार उनका उपयोग करें।
- ✓ टेलीफोन व्यवस्था बाधित होने पर वॉयरलैस/संदेशवाहक के माध्यम से सूचना अग्रसारित करें।
- ✓ ड्यूटी बदलते समय अपने से पहले ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारी से जानकारियां लें तथा अपने बाद आने वाले कर्मचारी को सूचना दें।
- ✓ ड्यूटी के दौरान विभिन्न नियंत्रण कक्षों जैसे– तहसीलों, थानों, फायर ब्रिगेड नियंत्रण कक्षों आदि से आवश्यकतानुसार सम्पर्क करते हुए प्राप्त सूचनाओं को रजिस्टर में दर्ज करें।

प्रभारी अधिकारी
आपदा प्रबन्धन
जिला कलक्ट्रेट, टि0ग0

जिला प्रतिक्रिया योजना

भूकम्प

भूकम्पीय घटनायें बिना किसी पूर्व चेतावनी या लक्षण के अचानक घटित होती हैं तथा इनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अलग–अलग तीव्रता के भूकम्प कम ज्यादा नुकसान के साथ समाज और पर्यावरण पर विशाल सामयिक प्रभाव छोड जाते हैं और जीवन को पुन व्यवस्थित करने में अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जिला आपदा प्रबन्धक में निहित आपातकालीन शक्तियां उन्हें इन संसाधनों की त्वरित तैनाती में समर्थ बनाती हैं।

सम्भावित प्रभाव

- भवनों, गौशालाओं तथा अन्य अन्तर्संरचनाओं का नष्ट होना जिससे मानव व पशुओं की मलवे में दबकर मृत्यु हो जाती है अथवा घायल हो जाते हैं।
- लोगों पर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव।
- यातायात एवं संचार के साधनों का छतिग्रस्त होना।
- भूकम्प के पश्चात मृत अवशेषों के कारण महामारी का फैलना।
- भूस्खलन होने से खेतों व गांव को नुकसान पहुंचना।
- आग लगना।
- टिहरी बांध का क्षतिग्रस्त होना अथवा झील के पानी का रिसाव बढ़ना।

अग्रणी एजेंसियां

✓ भूकम्प के प्रबन्धन में अग्रणी एजेंसियां, पुलिस, स्वास्थ्य एवं अग्निशमन हैं।

✓ अभिसंरचना को विस्तृत क्षति होने की दशा में दूरसंचार, विद्युत कार्पोरेशन व लोक निर्माण विभाग की भूमिका इस आपदा के प्रबन्धन में महत्वपूर्ण हो जाती है।

✓ भूकम्प के परिणामस्वरूप भूस्खलन व महामारी भी हो सकती है। अतः सिंचाई व स्वास्थ्य के बीच बेहतर सामंजस्य के उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए।

प्रतिक्रिया योजना

- जिला आपदा प्रबन्धक महोदय आपातकालीन परिचालन केन्द्र की मदद से तत्काल सूचना प्राप्त कर आपदा परिचालन दल के साथ बैठक करेंगे व स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये सम्बन्धित कार्यदलों जैंसे खोज एवं बचाव व राहत दल आदि को निर्देश जारी करेंगे।
- सभी कार्यदलों के सदस्य अपने विभागानुसार क्षेत्रिय स्तर पर मौजुद कर्मचारियों को दिषा निर्देष देकर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने का आदेष जारी करेंगे व स्वयं भी उपस्थित होंगे।
- संचार व्यवस्था के छतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में घटना स्थल के नजदीकी क्षेत्र से सम्पर्क कर कर्मचारियों को भेजने का आदेष जारी किया जायेगा, एवं सर्वप्रथम संचार सम्पर्क बहाली का प्रयास किया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी दूरसंचार तथा पुलिस विभाग की होगी।
- इस बीच खोज एवं बचाव दल अपने उपकरणों सहित अतिशीघ्र घटना स्थल पर पहुंच जाना चाहिये और राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ हो जाने चहिये।
- तदुपरान्त घटना स्थिति के अनुरूप प्रत्येक दल पूर्व अध्याय में उल्लिखित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, स्थान परिचालन दलों द्वारा षिविर स्थापित किये जायेंगे और दल नायक प्रत्येक स्थिति की जानकारी आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रेषित करेगा।

- आपातकालीन परिचालन केन्द्र स्थिति पर नजर रखते हुये सूचना संप्रेषण के साथ ही राहत एवं बचाव सम्बन्धी संसाधनों में आ रही कमी को अन्य सम्बन्धित विभागों, प्राइवेट दुकानों/संस्थानों या स्वैच्छिक संस्थानों या बाहरी ऐजैन्सियों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेगा।
- अस्पताल, स्कूल भवन, पेयजल एवं अन्य जन सुविधाओं के क्षतिग्रस्त होने से सेवा अस्त–व्यस्त हो सकती है। इस दशा में अस्थाई व्यवस्था द्वारा सुविधाओं का पुर्नस्थापन पहली प्राथमिकता होगी।
- जीवन क्षति, सम्पत्ति क्षति व पशु क्षति होने पर परिचालन दल क्षति मूल्यांकन कर जिला आपदा प्रबन्धन समिति के सहयोग से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवायेगा।

पूर्व में घटित भूकम्पीय घटनाओं तथा भावी सम्भावनाओं को देखते हुये यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाय कि क्या–

- भूकम्प सम्बन्धी पूर्व जानकारी भूकम्प संवेदनशील एवं भूगर्भीय अस्थिर क्षेत्रों के मानचित्र सहित उपलब्ध है।
- भूकम्प से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तथा अनुमानित हानि का अनुमान लगाया गया है।
- नये बनने वाले सरकारी अथवा व्यक्तिगत भवनों के भूकम्परोधी निर्माण हेतु नियम तय किये गये है तथा उनका पालन हो रहा है।
- मिस्त्रियों तथा इंन्जिनियरों को भूकम्परोधी भवनों के निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- वर्तमान में मरम्मत किये जाने वाले भवनों की रिट्रोफिटिंग की जा रही है तथा लोगों को रिट्रोफिटिंग की जानकारी व सुविधा उपलब्ध हो पा रही है।
- जिले में उपस्थित सरकारी, गैरसरकारी, प्राइवेट, स्वैच्छिक संस्थानों व ग्राम स्तरीय समूहों के बीच संचार व तालमेल बना हुआ है।

भूकम्प के झटकों का अनुभव– (सूक्ष्म, मध्यम, तीव्र, वृहत्त)

<u>प्राथमिक अनुक्रिया</u>

तात्कालिक अनुक्रिया– तत्परता से सुरक्षित होना।

- व्यक्तिगत सुरक्षा।
- पारिवारिक सुरक्षा।
- कार्यालयी सुरक्षा।
- विद्यालयी सुरक्षा।
- सार्वजनिक सुरक्षा।
- औद्योगिक सुरक्षा।

➢ तत्काल सुरक्षित स्थानों जैसे भवनों के कोनों की तरफ जाना।

➢ मेज के नीचे चले जाना।

➢ घर के दरवाजों/देहलीजों पर खड़े होना।

➢ सबसे मजबूत दीवार, जिनमें दरवाजे खिड़की नहीं हों या कम से कम हों, का सहारा लेना।

➢ भवनों / घरों / विद्यालयों / कार्यालयों के बाहर सुरक्षित स्थल पर पहुंचना।

स्थितिगत अवलोकन

भूकम्प के झटकों के उपरान्त प्रत्येक अधिकारी / नियंत्रण कक्ष कर्मचारी, अध्यापक, व्यवसायी, विद्यार्थी अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों तरफ एवं निकट स्थितिगत अवलोकन करेंगे–

1. भवन / घर
2. जन–धन सामग्री
3. संसाधन / उपकरण
4. मार्ग / सीढ़ीयां
5. विद्यालय
6. कार्यालय / कार्यशाला
7. सार्वजनिक भवन
8. होटल
9. चिकित्सालय
10. पशुधन / पशुशाला

विशेष ध्यान देने योग्य बातें–

➢ धैर्य सहयोग एवं विश्वास बनाये रखें

➢ भगदड़ एवं अफवाओं से बचें

➢ वृहत्त भूकम्प के उपरान्त छोटे झटके एवं मध्यम भूकम्प के उपरान्त वृहत्त झटके आ सकते हैं।

भूकम्प तीव्रता / परिमाण अभिकेन्द्र तथा सम्भावित नुकसान का अनुमान

भूकम्प के झटकों की तीव्रता एवं अवधि (Duration) के अनुसार उससे हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। 5.5 तीव्रता / परिमाण रिएक्टर स्केल से कम के भूकम्प से जनपद में वृहत्त नुकसान की सम्भावना नहीं है, किन्तु भगदड़ की स्थिति में अनावश्यक नुकसान हो सकता है।

सूचनाओं का आदान–प्रदान एवं प्रसार

- आवाज।
- सीटी।
- सायरन।
- मोबाइल फोन।
- वायरलैस।
- रेडियो / टेलीविजन।
- सैटेलाईट फोन।
- SMS

1. पुलिस, आपदा नियंत्रण, राजस्व एवं वन विभाग सहित सभी वायरलैस प्वाइंटों से सूचना तत्काल प्रसारित की जाये।
2. विभागीय अधिकारी मोबाइल से भी "Occurance of an Earthquake be safe and respond with your team" का मैसेज प्रसारित करें।
   सभी अधिकारी उक्त मैसेज अपने मोबाइल में पहले ही लिखकर सेफ कर लें।
3. मोबाइल/टेलीफोन को मात्र तात्कालिक सूचना हेतु सम्यक उपयोग ही करें, ताकि लाइन ओवर इंगेज न हो।
4. नियंत्रण कक्षों में **''बैटरी चार्जिंग व्यवस्थाएं''** हमेंशा तत्पर बनाये रखें।
5. फोन–मोबाइल नेटवर्क में उत्पन्न अवरोधों को तत्परता से ठीक करने को प्राथमिकता दी जाय।

भूकम्प की तीव्रता एवं अभिकेन्द्र सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान

भूकम्प की तीव्रता एवं उसके अभिकेन्द्र की स्थिति की जानकारी हेतु निम्नलिखित से सम्पर्क किया जाये–

1. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, (DEOC-DMMC) देहरादून।
   0135–2710334, 2710335
   डॉ. पियूष रौतेला, अधिशासी निदेशक,
   मोबाइल नं0– 9412054085
2. भारत मौसम विभाग (IMD) देहरादून।
   0135–2654269
   0135–2714143
3. भारत मौसम विभाग (IMD) नई दिल्ली।
   कार्यालय– 011–24619943
   फैक्स– 011–2765097
4. डिप्टी डाइरेक्टर सीज्मोलॉजी, नई दिल्ली।
   कार्यालय– 011–24697473
   आवास– 011–24652934
5. डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, रूड़की।
   कार्यालय– 01332–285592
   आवास– 01332–276899

जनपद स्तर पर भूकम्प की तीव्रता एवं अभिकेन्द्र की स्थिति की पुष्टि एवं विषयक सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र/जिला नियंत्रण कक्ष को ही दी जाय, ताकि स्पष्ट सूचना प्रसारित हो सके।

प्राथमिक सहायता खोज–बचाव निकासी व्यवस्थाएं, सूचनाओं का समन्वयन कार्य

1. जिलाधिकारी जो कि मुख्य आपदा प्रबन्धक हैं, द्वारा आपातकालीन निर्देश।
2. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, पुलिस नियंत्रण कक्ष, तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष एवं सभी विभागीय नियंत्रण कक्षों द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान।
3. विभागीय नोड़ल अधिकारी/सहायक अधिकारियों द्वारा आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा परिचालन समूह डेस्क प्रणाली के अनुसार सूचना, समन्वयन एवं अपेक्षित कार्यों का संचालन।
4. सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जिलाधिकारी कार्यालय/निवास पर भी उपलब्ध करायी जायें।
5. पुलिस, राजस्व, प्रशासन, चिकित्सा, संचार, लोक निर्माण/ अभियन्त्रण सेवाओं अभियन्ताओं, सैन्य/अर्द्धसैन्य बल, आपूर्ति, फायर ब्रिगेड, पशुधन, विद्यालयी शिक्षा, परिवहन, विद्युत आदि सभी विभागों द्वारा सक्रियता से क्षेत्र भ्रमण।
6. तद्नुसार प्राथमिक सहायता, खोज–बचाव सुरक्षित निकासी कार्यों का संचालन, घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु कार्यवाहियां।

विशेष अनुक्रियात्मक कार्यवाहियां

1. प्राथमिक सहायता कार्य	प्राइमरी हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति सदस्य, भूतपूर्व सैनिक, अध्यापक, स्वैच्छिक कार्यकर्ता आदि।
2. अस्थाई चिकित्सा कैम्प	चिकित्सा विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।
3. गहन चिकित्सा	मुख्य चिकित्साधिकारी, उपमुख्य चिकित्साधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जनपद में उपलब्ध प्राइवेट चिकित्सक।
4. विशेष स्वास्थ्य सहायता	घटनास्थल के निकटस्थ जनसमुदाय, भूतपूर्व सैनिक, आशा कार्यकर्ता, ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति सदस्य, हेल्थ वर्कर, पीएचसी, सीएचसी, प्राईवेट डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एम्बूलेंस सेवाएं।
5. पशु सहायता केन्द्र	पशुपालन विभाग।
6. मृतक मुनष्यों का निस्तारण	चिकित्साधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, बीमा अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संस्थाएं।
7. मृतक पशुओं का निस्तारण	पशु चिकित्साधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, पंचायत प्रतिनिधि, बीमा अधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाएं।
8. वृहत्त खोज–बचाव कार्य	पुलिस, अग्निशमन, राजस्व विभाग, प्रांतीय रक्षक दल, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, सीमा सड़क संगठन।
9. हैलीपैड व्यवस्था	लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं प्रशासन।
10. बाहरी सहायता	जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी–आपदा प्रबन्धन।

11. कानून व्यवस्था	उपजिलाधिकारी–सम्बन्धित क्षेत्र, पुलिस उपाधीक्षक–सम्बन्धित क्षेत्र।
12. आपातकालीन निकासी	पुलिस, प्रशासन, प्रधानाचार्य, विभागीय अधिकारी, इंजीनियर।
13. सड़क–पुल सम्पर्क मार्ग व्यवस्थाएं	लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, वन विभाग।
14. आपातकालीन परिवहन	परिवहन विभाग, आपूर्ति विभाग।
15. अस्थाई आश्रय समन्वयन व्यवस्थाएं	पंचायत राज, पर्यटन, शिक्षा विभाग, वन विभाग, होटल एसोसिएशन, गढ़वाल मण्डल विकास निगम।
16. राहत केन्द्र	शिक्षा विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार, आपूर्ति अधिकारी।
17. राहत सहायताओं का वितरण	प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी। अतिरिक्त सहयोग–मुख्य कृषि अधिकारी, पशुपालन अधिकारी, चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी।
18. सूचना सम्पर्क एवं दूरसंचार	जिला सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी दूरसंचार, महाप्रबन्धक दूरसंचार, रेडियो एवं वायरलैस अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी।
19. स्वैच्छिक संगठनों से समन्वयन	उपजिलाधिकारी (सदर) उपजिलाधिकारी (सम्बन्धित क्षेत्र) जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी।

भूकम्प आने पर क्या करें:–

1– जहां हैं वहीं रहें, संतुलित रहें। हड़बड़ी घातक हो सकती है।
2– यदि घर के अन्दर हैं तो गिर सकने वाली भारी वस्तुओं से दूर रहें।
3– खिड़कियों से दूर रहें, शीषे के टुकड़े क्षति पहुंचा सकते हैं।
4– मजबूत मेज के नीचे छुपे या अन्दरूनी दीवार या स्तम्भ के सहारे खड़े रहें।
5– चेहरे व सिर को हाथों की सुरक्षा प्रदान करें व कम्पन रूकने तक सिर को हाथों की सुरक्षा में रखें।
6– अगर घर से बाहर हैं तो खुली जगह तलाषें। भवनों, पेड़ों, बिजली के खम्भों व तारों, खाई और तीव्र ढ़ाल वाली चट्टानों से दूर रहें।
7– अगर वाहन में हैं तो रूकें और अन्दर ही रहें।

भूकम्प सुरक्षा और हमारी तैयारी:–

1– सुनिष्चित करें कि परिवार का प्रत्येक सदस्य जानता है कि भूकम्प के समय क्या करना है।
2– घर के हर कमरे में सुरक्षित स्थान तय करें।
3– बचने और सिर बचाने का अभ्यास करें।
4– घर के अन्दर खतरनाक स्थानों को चिन्हित करें और भूकम्प के समय स्वयं को इन स्थानों से दूर रखें।
5– बाहर सुरक्षित स्थान तय करें।
6– घर छोड़ने के मार्ग में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।
7– आपको व आपके परिवार के समस्त सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए व कुछ जरूरी दवाईयां सदैव पास रखी जानी चाहिए।
8– परिवार के सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि भूकम्प के बाद कहां मिलना है।
9– जानवरों के असंतुलित व्यवहार, बेचैनी व आक्रामकता को खतरे की पूर्वसूचना के रूप में लें एवं सतर्क रहें।

घरों को अधिक सुरक्षित बनाएं:–

1– भूकम्प अवरोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करें व पुराने घरों का नवीनीकरण भी इसी तकनीक से करें।
2– घर के अन्दर भारी अलमारी व अन्य सामान रखने की रैकों को दीवार के साथ सुरक्षित रखें, ताकि वह गिर कर किसी को चोट न पहुंचा सके।
3– भारी वस्तुएं अलमारी के निचले खाने में रखें।
4– ज्वलनषील पदार्थों (खाना बनानें की गैस, पैट्रोल, मिट्टी तेल इत्यादि) का घर के अन्दर अधिक मात्रा में भण्डारण न करें।
5– भारी टांगने वाला सामान लेटने व बैठने के स्थानों से दूर रखें।
6– बिस्तर के नजदीक की खिड़कियों पर पर्दे डाल कर रखें।
7– आवष्यक वस्तुएं अलग से रखें।

भूकम्प के बाद क्या करें:–

1– सुनिष्चित करें कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।
2– भूकम्प के दौरान टूट गया सामान नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सावधानी बरतें व जूते पहन कर रखें।
3– आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्गों को अवरोधमुक्त रखें।
4– उन अवसंरचनाओं को चिन्हित करें, जहां लोगों के फंसे होने की सम्भावना हो।
5– बिजली के उपकरणों व खाना पकाने की गैस को बन्द कर दें।
6– पास–पड़ोस में चोट खाये व्यक्ति की सहायता करें और उसके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें।
7– भूकम्प के पष्चात प्रायः काफी समय तक छोटे भूकम्पों का आना स्वाभाविक है। अतः सुनिष्चित करें कि आपका घर सुरक्षित है और आने वाले भूकम्प के झटकों को झेल सकता है।
8– बैटरी चलित रेडियो से सूचनायें लें।
9– सुनिष्चित करें कि खाना बनों की गैस का रिसाव नहीं हुआ है, तभी माचिस जलायें या बिजली के बटन दबायें।
10– अगर कोई ज्वलनषील पदार्थ फेल गया है, तो तुरन्त उसे साफ करें।
11– अगर बहुत जरूरी न हो तो टेलीफोन का इस्तेमाल न करें। किसी और को इस सेवा की ज्यादा जरूरत हो सकती है।
12– बाहरी सहायता पहुंचने में देर हो सकती है, अतः संयम बनाये रखें।

भूकम्प के बाद न क्या करें:–

1– क्षतिग्रस्त अवसरंचनाओं के समीप भीड़ न लगायें।
2– पानी बरबाद न करें।
3– गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने का प्रयास न करें।
4– अफवाह न फेलायें, यह दण्डनीय अपराध है।
5– खोज–बचाव एवं राहत कार्यों में बाधा न पहुंचायें। यह दण्डनीय अपराध है।

वर्ष 1991 एवं 1999 के भूकम्प के पश्चात पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास कार्यों को करने वाले महत्वपूर्ण संस्थान/विभाग

क्र. सं.	संस्थान/विभाग का नाम	जनपद जहां कार्य किया गया	प्रमुख कार्य Road, Bridge, Construction, Medical, Buildings
1	लोक निर्माण विभाग	उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली	संरचनात्मक परीक्षण, मार्गों, पुलों एवं सार्वजनकि भवनों का पुननिर्माण
2	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की	उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली	संरचनात्मक परीक्षण, मार्गों, पुलों एवं सार्वजनिक भवनों का पुर्ननिर्माण
3	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली	स्कूल भवनों का पुर्ननिर्माण
4	गढ़वाल मण्डल विकास निगम	उत्तरकाशी, चमोली	स्कूल, चिकित्सालय भवनों का पुर्ननिर्माण
5	उत्तरप्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 (पैक्सफेड)	उत्तरकाशी, चमोली	प्राइमरी स्कूल
6	पेयजल संस्थान	उत्तरकाशी, चमोली	पेयजल व्यवस्था, टैंक, जलागम
7	HUDCO हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	चमोली, रूद्रप्रयाग	अस्थायी आश्रय स्थल
8	सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग	उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली	सिंचाई गूल, नहरें
9	सीमा सड़क संगठन	उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली	सड़के, पुल
स्वैच्छिक संगठन			
10	भुवनेश्वरी महिला आश्रम, उत्तरकाशी एवं अंजनीसैंण, टि0ग0	उत्तरकाशी, चमोली	राहत सहायता
11	टाटा रिलीफ कमेटी, जमशेदपुर	उत्तरकाशी, चमोली	राहत सहायता
12	पुर्ननिर्माण समिति, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	भूकम्प निर्माण सामग्री
13	निर्मित केन्द्र, श्रीकोट, जनपद पौड़ी	रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी	भूकम्प निर्माण सामग्री
14	सेंटर फार डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, सी0डी0आई0, रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	जनजागरूकता कार्यक्रम
अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग– 1999 भूकम्प के पश्चात			
15	भारत सरकार–यू0एन0डी0पी0–डी0आर0एम0 कार्यक्रम, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र DMMC देहरादून	चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़,नैनीताल	जल सहभागी आपदा जोखिम प्रबन्धन प्रशिक्षण, खोज–बचाव उपकरण जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन कार्य।
विश्व बैंक द्वारा सहयोग– 1991 भूकम्प के पश्चात			
16	द्वारा वित्तीय सहायता, उत्तर प्रदेश नगरीय विकास परियोजना के माध्यम से 1991 से 1995	उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल	वित्तीय सहायता

त्वरित बाढ़/मेघ विस्फोट

पहाडी क्षेत्रों में बादल फटने या प्राकृतिक बांध के टूटने से त्वरित बाढ़ का खतरा बना रहता है। टिहरी जिले में भिलंगना ब्लॉक इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, किन्तु अत्यधिक वर्षा के कारण यह घटना जिले के दूसरे क्षेत्रों में भी सम्भव है। यह घटना अक्सर पूर्व चेतावनी के साथ घटित होती है और इससे जन–धन की अपार हानि होती है।

सम्भावित प्रभाव

- बस्तियों के समीप त्वरित बाढ़ आने पर मनुष्य एवं पशुओं की मृत्यृ एवं लापता होना।
- खेतों को अपार क्षति पहुंचना या पूर्ण रूप से उनका नष्ट होना।
- अभिसंरचनाओं जैंसे–सरकारी भवनों, बांध, पुल, सड़क, विद्युत केन्द्र, जलापूर्ति लाइनें व टैंक आदि का क्षतिग्रस्त होना।
- पर्यावरणीय प्रभाव–भू–अपरदन, गाद का जमा होना, जल प्रदूषण, भू–अनावृत्तिकरण आदि।

अग्रणी एजेंसियां

✓ अग्रणी एजेंसियां सिंचाई, अग्निशमन व स्वास्थ्य विभाग होंगे।
✓ अभिसंरचना एवं जन सुविधाओं को वृहत क्षति सम्भावित होती है, अतः सर्पोटिंग एजेंसियों की भूमिका जैसे कि पावर कारपोरेशन, दूरसंचार व लोनिवि आदि महत्वपूर्ण होती हैं।
✓ फसलों या वृक्षारोपण को क्षति से कृषि विभाग की संलिप्तता की आवश्यकता होगी।
✓ पशुधन को क्षति से पशुपालन विभाग की भूमिका भी होगी।
✓ इस प्रकार की आपदाओं के प्रबन्धन में आपात परिचालन दल/आपदा प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण केन्द्र की सहायता व अन्तराक्षेपण की जिला प्रशासन की सहायता हेतु आवश्यक होगी।
✓ अतिरिक्त रूप से द्वितीयक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन, त्वरित बाढ़ के फलस्वरूप हो सकते हैं इनका लोनिवि द्वारा आवश्यक रूप से निरीक्षण करना चाहिए।

प्रतिक्रिया योजना

- त्वरित बाढ़ अधिकांशतः अत्यन्त बर्षा के पष्चात आती है। ऐसे में आपातकालीन परिचालन केन्द्र बरसात के दौरान क्षेत्रिय वर्षा मापक केन्द्रो से जानकारी प्राप्त कर जिला आपदा प्रबन्धक (जिलाधिकारी महोदय) को सूचित करता रहेगा। किसी क्षेत्र विषेष में त्वरित बाढ़ की सम्भावनाओं के मद्देनजर जिलाधिकारी महोदय आपदा परिचालन दल की आपात बैठक कर सम्बन्धित क्षेत्र में लोगों को चेतावनी व सूचना प्रेषित करने के निर्देष देंगे।
- आपदा परिचालन दल स्थान परिचालन दल (खोज एवं बचाव दल) का गठन कर आपदा सम्भावित क्षेत्र में पहुंचने व लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ कर देगा। इससे आपदा के घटित होने से पूर्व ही आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- आपदा के पष्चात क्षति का आंकलन कर प्रत्येक सम्बन्धित विभाग स्थान परिचालन दलों के सहयोग से राहत, बचाव एवं मुहावजा/बीमा के कार्यो में संलिप्त रहेगा।
- सूचना एवं संचार दल नायक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्थिति की सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र तक पहुंच रही है।

बरसात से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि क्या–

- जिले के वर्षा मापी केन्द्र भली भांति कार्य कर रहे हैं।
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र की सूचना प्रणाली सही प्रकार से कार्य कर रही है।
- सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं पशु विभाग के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।
- वर्षा जल के एकत्र होने वाले स्थलों की पहचान कर ली गई है, तथा त्वरित बाढ़ के पूर्व के आंकडों सहित सम्भावित घटना स्थलों एवं गांवों की स्थिति मानचित्र में दिखा दी गई है।

भूकम्प, त्वरित बाढ़ एवं भू–कटाव हेतु प्रतिवर्ष माह जुलाई में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त बैठक कर व्यवस्थापरक एवं अनुक्रियात्मक कार्यवाही हेतु विशेष कार्ययोजना बनायी जाती है।

बाढ़ पूर्व तैयारीः–

1– सुनिष्चित करें कि बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में निवास कर रहे समुदाय बाढ़ से उत्पन्न हो सकने वाले खतरों को भली–भांति समझते हैं।

2– अपने क्षेत्र में पूर्व में आयी बाढ़ सम्बन्धी जानकारियां एकत्र करें।

3– चेतावनी सूचक संकेतों को समझें और अपने क्षेत्र विषेष के सन्दर्भ में इन संकेतों को रूपान्तरित करते हुए बाढ़ के सम्भावित स्तर को ध्यान में रखें।

4– ऊंचे क्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारियां याद रखें।

5– अत्यधिक वर्षा या लम्बे समय तक वर्षा होने की स्थिति में प्रसारित की जा रही चेतावनियों को ध्यानपूवर्क सुनें और इनका अक्षरषः अनुपालन करें।

6– बाढ़ सुरक्षा के दृष्टिगत आवष्यक वस्तुयें पास रखें।

7– समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ बाढ़ से उत्पन्न हो सकने वाली स्थिति के विषय में चर्चा करें व सहभागिता से बाढ़ जोखिम का मानचित्रीकरण करें।

8– सामान्य परिस्थितियों में क्रमबद्ध रूप से बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें।

9– बाढ़ की स्थिति में निकासी के लिए योजना बनायें और प्रत्येक सदस्य के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करें।

10– नौकायें उपलब्ध होने पर उनका उचित रख–रखाव करें और उन्हें पेड़ या अन्य स्थिर वस्तु से दृढ़ता से बांधें।

11– सामाजिक जल आपूर्ति स्रोतों का संरक्षण करें।

12– बाढ़ से पहले किसी भी प्रकार की सम्भावित क्षति के दृष्टिगत निकासी मार्गों व घरों का निरीक्षण करें। कहीं भी संषय होने पर बाढ़ के पानी से सुरक्षा हेतु बालू से भरे बोरों से सुरक्षा दीवार बनायें।

13— समुदाय के त्वरित बाढ़ से प्रभावित हो सकने की सम्भावना होने पर जल स्तर पर लगातार नजर रखे जाने के लिए दल बनायें और चेतावनी के समुदाय में त्वरित प्रसारण हेतु परस्पर विचार—विमर्ष करें।
14— समुदाय के अन्तर्गत खोज एवं बचाव दल का गठन करें/ बाढ़ की स्थिति में अलग—थलग पड़ सकने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करें व स्पष्ट खोज व बचाव कार्ययोजना/रणनीति विकसित करें।
15— समुदाय के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा दल का गठन करें व सुनिष्चित करें कि इस दल के पास आवष्यक चिकित्सकीय आपूर्तियां उपलब्ध हैं।

आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपायः—

आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपायों को अत्यधिक तत्परता से क्रियान्वित किया जाना आवष्यक होता है। बालू से भरी बोरियों की सहायता से जल अवरोध का निर्माण किया जाना सर्वाधिक प्रचलित आपातकालीन बाढ़ सुरक्षा उपाय है। तटबन्ध बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले बोरों में बहुत ज्यादा रेत नहीं भरी जानी चाहिए। जल रिसाव को न्यूनतम किये जाने के लिए बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आने वाले तटबन्ध के छोर को मजबूत प्लास्टिक की चादर से ढका जाना जाना चाहिए।

बाढ़ के समयः—

1— अपनी आपातकालीन आपूर्तियों को सुरक्षित व सूखा रखें।
2— बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आयी खाद्य सामग्रियों का उपयोग न करें।
3— बाहरी स्रोतों से प्राप्त व खराब हो गये भोजन का उपभोग न करें।
4— मर गये पशु—पक्षियों के मांस को भोजन के रूप में उपयोग न करें।
5— साफ पानी की आपूर्ति होने तक बरसात का पानी एकत्रित करें और उबालने के बाद ही पीने के लिए उपयोग में लाएं।
6— औपचारिक रूप से सुरक्षित घोषित किये जाने तक कुओं का पानी उपयोग न करें।
7— बाढ़ से प्रभावित खाना बनानें की गैस, बिजली व विद्युतीय उपकरणों का उपयोग न करें।
8— बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने या तैरने न दें।
9— विषैले प्राणियों जैसे सांप, बिच्छू आदि के प्रति सतर्क रहें।
10— बाढ़ के पानी के सम्पर्क में आने से चर्म रोग होने की सम्भावना बनी रहती है। पानी में उतरना अनिवार्य होने की स्थिति में उपयुक्त जूते पहनें।
11— वाहन द्वारा कहीं भी बाहर जाने से पहले सुरक्षित मार्गों से सम्बन्धित सूचना लें व पानी की गहराई एवं वेग का आंकलन किये बिना पानी में कदापि न उतरें।
12— पैदल होने पर पानी के बीच से कभी न जायें और नजदीकी ऊंचे स्थान में आश्रय लें।
13— बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नदी तटों से दूर रहें।
14— बाढ़ के पानी में फंस जाने की स्थिति में वाहन को छोड़ दें और ऊंचे स्थान में शरण लें।
15— स्थानीय समाचार प्रसारणों के सम्पर्क में रहें और प्रसारित की जा रही चेतावनियों व सलाहों पर अमल करें।
16— बाढ़ का खतरा पूर्णतः समाप्त हो जाने तक स्थिति के विषय में प्रषासन, सामुदायिक नेतृत्व व समाज के साथ विचार—विमर्ष करें।

घर छोड़ने की सलाह दिये जाने परः–

1– समुदाय द्वारा पूर्व में बनायी गयी कार्ययोजना के अनुरूप प्रतिक्रिया करें।
2– व्यक्तिगत रूप से घर छोड़ कर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लिये जाने पर पड़ोसियों व समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को सूचित करें व उन्हें अपने गन्तव्य का पता दें।
3– अपनी बहुमूल्य वस्तुओं, अभिलेखों व अन्य को इकट्ठा कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
4– फर्नीचर व अन्य निजी वस्तुओं का बाढ़ के सम्भावित स्तर से ऊपर रखें।
5– रसोई गैस, बिजली व पानी की आपूर्ति स्रोत बन्द कर दें।
6– घर के सभी दरवाजे व खिड़कियां मजबूती से बन्द कर दें।
7– समस्त विद्युतीय उपकरणों को बाढ़ के सम्भावित स्तर से ऊपर सुरक्षित स्थान पर रखें।
8– रेफ्रिजरेटर व फ्रीजर खाली कर दें। इन उपकरणों की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दें व इनका दरवाजा खुला रहने दें।
9– आपातकालीन आपूर्ति साथ ले जाना न भूलें।
10– दरवाजों पर ताले लगायें।
11– निकासी के लिए सुझाये गये सुरक्षित मार्ग का ही उपयोग करें।

बाढ़ में डूबे व्यक्ति की सहायताः–

1– पानी में डूब रहे व्यक्ति के ज्यादापास न जायें।
2– ऐसे व्यक्ति को रस्सी, लकड़ी आदि पकड़ने को दें।
3– प्रषिक्षित होने पर ही तैर का डूबते व्यक्ति को बचाने का प्रयास करें।
4– पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दें।
5– सांस लेना आरम्भ करने पर पीड़ित को पुनः रिकवरी पोजिषन में रखें।
6– गीले कपड़े निकाल दें।
7– पीड़ित को गर्म रखें व उसका अतिषीत के लिए उपचार करें।
8– चिकित्सकीय परामर्ष लें।

बाढ़ के बादः–

1– वापस लौटने का निर्णय लेने से पहले पड़ोसियों के साथ इस विषय में विचार– विमर्ष करें।
2– मार्ग में चेतावनी सूचक संकेत दिखाई देने पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें।
3– समाचार प्रसारणों के माध्यम से ताजा स्थिति से स्वयं को अवगत रखें।
4– बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भ्रमण न करें। बाढ़ के कारण आपकी जानी पहचानल स्थलाकृति में परिवर्तन हो सकता है।
5– बाढ़ द्वारा पीछे छोड़े गये मलबे में खतरनाक जन्तु शरण ले सकते हैं व इसमें अधिक कांच एवं नुकीली, धारदार वस्तुओं से चोट लग सकती है।
6– बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भ्रमण किया जाना आवयष्क होने पर यथासम्भव सूखी व स्थिर जमीन पर बने रहें। पानी में क्षतिग्रस्त विद्युत आपूर्ति तंत्र से खतरा हो सकता है।
7– सोने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें।

8– नदी के किनारों, भूस्खलन सम्भावित क्षेत्रों व सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराये गये क्षेत्रों से दूर रहें।

9– जब तक बाढ़ प्रभावित भवनों का वयस्कों द्वारा निरीक्षण न किया जाय, बच्चों को उनमें प्रवेष न करने दें।

10– बाढ़ प्रभावित घर में विद्युत आपूर्ति तंत्र की सुरक्षा सुनिष्चित होने एवं घर के कुछ समय तक सूख जाने तक विद्युत आपूर्ति आरम्भ न करें।

भविष्य में बाढ़ व इसके प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित करेंः–

1– बाढ़ के समय और उसके बाद की घटनाओं की विवेचना के लिए समुदाय में चर्चा करें व अगली बाढ़ का सामना करने के लिए बनायी जा रही कार्ययोजना में सभी सुझावों का समावेष करें।

2– समुदाय के सभी व्यक्तियों को पास–पड़ोस की सफाई में हाथ बंटाने के लिए प्रोत्साहित करें।

3– भू–क्षरण को कम करने के लिए सामुदायिक स्थानों व घरों के आस–पास उपयुक्त प्रजाति के वृक्ष लगायें।

4– पेड़ काटे जाने पर सामुदायिक प्रतिबन्ध लगाएं व लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें।

5– जंगलों में आग न लगायें और दूसरों को भी ऐसा न करने दें।

6– कूड़ा, करकट व मलबा नदी, नालों एवं नहरों में न फेंकें।

7– प्लास्टिक पदार्थों व थैलियों का निस्तारण जलधाराओं में न करें।

8– जलधाराओं में अतिक्रमण न करें।

बाढ़ / डूब क्षेत्र के निकटतम स्थल जहां अपेक्षित सावधानी आवश्यक है–

1. भल्डियाना।
2. बैलगांव।
3. कमान्द।
4. जलवालगांव।
5. कंगसाली।
6. रिण्डोल।
7. चोपड़ा।
8. अगलाड़ एवं हेंवल नदी, जौनपुर।
9. ग्राम गोना, घनसाली।
10. बुढ़ाकेदार क्षेत्र, घनसाली।

भूस्खलन

बरसात में अत्यन्त वर्षा होने अथवा पहाडी से तीव्र गति से बहने वाले बरसाती नालों के कारण पहाडों से मिट्टी व भू–खण्ड गिरने की घटनायें पूरे जिले भर में आम हैं। इसके साथ ही सढ़कों के किनारे भू–स्खलन होने से यातायात बाधित हो जाता है। भू–स्खलन के समय जल के साथ मिट्‌टी, पत्थर, पेड आदि भी गिरकर नीचे आ जाते हैं और धन–जन की हानि का कारण बनते हैं। इस घटना के कारण सढक, मानव बस्तियां, खेती की जमीन, जंगल आदि प्रभावित होते हैं और इनके पुर्नउद्वार पर ही बहुत अधिक सरकारी धन प्रतिवर्ष ख्ार्च करना पड़ता है।

सम्भावित प्रभाव

- बस्तियों के समीप भू–स्खलन होने पर मनुष्य एवं पशुओं की मृत्यृ एवं लापता होना।
- खेतों को अपार क्षति पहुंचना या पूर्ण रूप से उनका नष्ट होना।
- अभिसंरचनाओं जैंसे–सरकारी भवनों, बांध, पुल, सड़क, विद्युत केन्द्व, जलापूर्ति लाइनें व टैंक आदि का क्षतिग्रस्त होना।
- पर्यावरणीय प्रभाव–भू–अपरदन, गाद का जमा होना, जल प्रदूषण, भू–अनावृत्तिकरण आदि।

अग्रणी एजेंसियां

✓ अग्रणी एजेंसियां लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य, सिंचाई विभाग होंगे।
✓ अभिसंरचना एवं जन सुविधाओं को क्षति पहुंचने की स्थिति में पावर कारपोरेशन, दूरसंचार आदि अपना कार्य निभायेंगे।
✓ फसलों या वृक्षारोपण को क्षति से कृषि विभाग की संलिप्तता की आवश्यकता होगी।
✓ पशुधन को क्षति से पशुपालन विभाग की भूमिका भी होगी।

प्रतिक्रिया योजना

- भू–स्खलन की घटनायें अधिकांषतः बरसात के मौसम में वर्षा होने के दौरान या पष्चात देखने को मिलती हैं। अतः बरसात के दौरान वर्षा मापन के आंकडों के साथ ही आपातकालीन परिचालन केन्द्र भू–स्खलन की घटनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत या पटवारी स्तर से प्राप्त करता रहेगा।
- घटना की गम्भीरता को देखते हुये आपदा प्रबन्धक महोदय आपदा परिचालन दल से विचार विमर्ष कर सम्बन्धित विभागों को निर्देष जारी करेंगे। यदि पूर्व चेतावनी मिल जाती है और जनहानि की सम्भावना व्यक्त की जाती है तो परिचालन दल स्थानीय स्तर पर स्थल परिचालन दल गठित कर राहत एवं बचाव के कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।
- आवास दल की जिम्मेदारी होगी कि वह गांवो से हटाये गये लोगों के लिये अस्थायी शरणालायों की स्थापना करे व पुनर्वास हेतु आपदा प्रबन्धन समिति के सहयोग से आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करे।
- सढ़कों को किनारे हुये भू–स्खलन से याता यात के अवरूद्ध होने पर लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी होगी कि तत्काल मलवे को हटाकर यातायात को बहाल करे। स्थानीय ग्राम प्रधान या पटवारी की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना होने पर व तत्काल आपात कालीन परिचालन केन्द्र अथवा सम्बन्धित विभाग को सूचित करे।

- भू–स्खलित क्षेत्र के पुनर्उद्यार हेतु वन विभाग वृक्षारोपण कर वनस्पतिक उपचार का कार्य करेगा।

बरसात के मौसम से पूर्व यह सुनिष्चित किया जाय कि क्या–

- जिले के वर्षा मापी केन्द्र भली भांति कार्य कर रहे हैं।
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र की सूचना प्रणाली सही प्रकार से कार्य कर रही है।
- वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य एवं पषुपालन विभाग के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।
- सम्भावित भू–स्खलन वाले स्थलों की पहचान कर ली गई है।
- ऐसे क्षेत्रों में वनस्पतिक उपचार द्वारा भू–स्खलन की घटना को रोकने का प्रयास किया गया है।

जनपद में सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र–

1. ग्राम गोजमेर, तह0 टिहरी।
2. ग्राम आगर, तह0 नरेन्द्रनगर।
3. ग्राम जिजली, तह0 धनोल्टी।
4. ग्राम मंजकोट/बखोरी, तह0 धनोल्टी।
5. ग्राम अगुण्डा, तह0 घनसाली।
6. ग्राम मेड़, तह0 घनसाली।
7. ग्राम मरवाड़ी, तह0 घनसाली।
8. ग्राम कोट विशन, तह0 घनसाली।
9. ग्राम जखन्याली।
10. ग्राम भटवाड़ी।
11. ग्राम चखैरा।
12. ग्राम जमोइना।
13. ग्राम भाटगांव।
14. ग्राम चांठी।
15. ग्राम रमोलसारी।
16. ग्राम रत्नौ मल्ला।
17. ग्राम इन्द्रौला।
18. ग्राम बरसाड़ी।
19. ग्राम मैंडू सिंदवाल गांव।
20. ग्राम सौड़।
21. ग्राम कोटी।
22. ग्राम कोर्दी।
23. ग्राम सजवांण काण्डा।
24. ग्राम दीवाल गांव।
25. ग्राम कोटी।
26. ग्राम भ्वींट।
27. ग्राम दनसारा।

28. स्यांसू पुल–रतवाड़ी–नकोट खोली मो0 मार्ग के किमी0 2.0 क्रास से0 1/32 से 1/34 मे हिल साइड श्री शुरवीर सिंह के भवन के नीचे।
29. स्यांसू पुल रतवाड़ी नकोट खोली मो0 मार्ग के किमी0 2.0 क्रा0 से0 1/17 से 1/18 में खड साइड प्रा0वि0 के ऊपर ।
30. स्यांसू रतवाड़ी कमान्द–ज्वारना मोटर मार्ग के किमी0 13 क्रा0से0 12/17 में हिल साइड।
31. धुधती ढुंगा धमाड़ी मैण्डखाल मो0 मार्ग के किमी0 8.0 क्रा0से0 7/13 से 7/17 तक खड साइड।
32. ग्राम त्यूरी।
33. ग्राम बंगा।
34. ग्राम भादोली।
35. ग्राम छाम।
36. बुढ़ाकेदार।

ध्यान देने योग्य बातें:–

1– जहां तक सम्भव हो बिना उपयुक्त तकनीकी परामर्ष के पहाड़ी ढ़ाल के साथ छेड़छाड़ न करें।
2– वन कटान न करें और ज्यादा घास के लालच में जंगलों में आग लगाने से बचें।
3– क्षेत्र में आए भू–स्खलनों का लेखा जोखा रखें व छुटपुट पत्थर गिरने की घटनाओं को नजरअन्दाज न करें।
4– मलबे के ऊपर बसने से बचें।
5– भू–स्खलनग्रस्त ढाल के आस–पास एवं नीचे बसने से बचें।
6– भवन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए निकाले गये मलबे को ढ़ाल पर नहीं फेकें।
7– निर्माण कार्य के लिए भराव की आवष्यकता होने की स्थिति में पहले उपयुक्त पुष्तों का निर्माण करें।
8– निर्माण कार्य के लिए ढाल पर स्थित बड़े पेड़ों को न काटें।
9– बरसाती पानी को भू–स्खलन क्षेत्र में घुसने से रोकें।
10– मकान को पहाड़ी ढ़ाल से एकदम से चिपका कर न बनायें।

भूस्खलन कुछ सावधानियां:–

1– भू–स्खलन सम्भावित क्षेत्र में बरसातों में सावधान रहें। पहाड़ी ढ़ाल में हुये किसी भी सतही परिवर्तन की सूचना यथाषीघ्र सम्बन्धित अधिकारी को दें।
2– मानसिक रूप से घर छोड़ने के लिए तैयार रहें और खतरा भांपते ही या फिर चेतावनी मिलते ही सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्णय लें।
3– पत्थर गिरने, चट्टानों व पेड़ों के टूटने और मलबा खिसकने की आवाजों के प्रति संवेदनषील रहें।
4– कभी भी सक्रिय भू–स्खलन क्षेत्र को पार करने की चेष्टा न करें।
5– लुढ़कते पत्थर, मलबा आदि दिखायी देने पर तुरन्त बड़ी चट्टानों व पेड़ों के पीछे सुरक्षा तलाषें।

6— भूकम्प के पष्चात भू—स्खलन की जरा भी सम्भावना होने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जायं।

7— सुरक्षा के लिए ऊपरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करें।

8— नदी द्वारा किये जो रहे कटाव पर नजर रखें।

9— नदी नालों के बहाव में अचानक आयी कमी को किसी गम्भीर खतरे की पूर्वसूचना समझें।

10— पानी बहने की अस्वाभाविक आवाजों के प्रति संवेदनषील रहें।

11— जंगली जानवरों का अस्वाभाविक रूप से नीचे, बस्तियों की ओर पलायन ऊपरी क्षेत्र में बाढ़ का सूचक हो सकता है।

भू—स्खलन के पष्चातः—

1— भू—स्खलन से उत्पन्न मलबे में काफी मात्रा में पानी रहता है और इसके कई भाग दलदली हो जाते हैं। अकेले इस मलबे के ऊपर विचरण करना खतरनाक हो सकता है।

2— जहां तक सम्भव हो पानी को भू—स्खलन क्षेत्र में घुसने से रोकें।

3— भू—स्खलन के पष्चात एकदम से इस क्षेत्र में न लौटें।

4— बचाव कार्य में मलवा हटाने के लिए भारी उपकरणों का उपयोग प्रषिक्षितों के निर्देषन में करें।

महामारी

मौसम परिवर्तन, वर्षा न होने के कारण वातावरण के दूषित होने अथवा बरसात के उपरान्त पेयजल के दूषित होने से महामारी फैलती हैं। यह महामारी मनुष्यों एवं पशुओं दोनो में फैल सकती है। इसके अतिरिक्त भूकम्प या त्वरित बाढ़ जैसी आपदाओं के पश्चात मृत मनुष्यों एवं पशुओं के अवशेष पडे होने पर भी महामारी फैल सकती है। इन बीमारियों में हिपेटिटिस, टायफायड, डिफ्थीरिया, मलेरिया, हैजा, इन्फुल्येन्जा, पेचिस, त्वचा रोग, भोजन विषाक्तता आदि प्रमुख हैं।

सम्भावित प्रभाव

- मनुष्य एवं पशुओं की अकाल मृत्यु।
- सामाजिक दुष्प्रभाव, आर्थिक नुकसान
- दूरगामी मनोवैज्ञानिक प्रभाव एवं घबराहट

अग्रणी एजेंसियां

- ✓ महामारी के समय आपदा प्रबन्धन में संलग्न मुख्य ऐजेंसी स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग एवं स्वास्थ्य सेवाएं होंगी।
- ✓ महामारी की दशा में जल संस्थान, सिंचाई विभाग सर्पोटिंग एजेंसियां होंगी।
- ✓ इन सर्पोटिंग एजेंसियों के अतिरिक्त पुलिस एवं होमगाडर्स, राज्य परिवहन व मीडिया की मदद की आवश्यकता होगी।

प्रतिक्रिया योजना

- किसी भी महामारी के फैलने पर ग्राम प्रधान, पटवारी एवं स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जिम्मेदारी होगी कि वह तत्काल महामारी फैलने की सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र तक प्रेषित करे।
- आपदा प्रबन्धक महोदय आपदा परिचालन दल से विचार विमर्ष कर सम्बन्धित विभागों को आवश्यक निर्देष जारी करेंगे।
- स्वास्थ्य एवं प्राथमिक उपचार दल का कर्तव्य होगा कि तुरन्त घटनास्थल पर षिविर स्थापित कर रोगियों का उपचार प्रारम्भ कर दे।
- यातायात दल बचाव दल की मदद से गम्भीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य करेंगे।
- आपात कालीन परिचालन केन्द्र सूचना प्राप्त होने पर अन्य विभागों से सम्पर्क स्थापित कर यह सुनिष्चित करेगा कि षिविर में पर्याप्त सेवाओं, दवाओं, बिस्तर आदि की व्यवस्था हो रही है।
- जल संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि व प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये।
- निस्तारण एवं स्वच्छता दल मृत मनुष्यों एवं पषुओं को हटाने का कार्य करेगा।
- आपदा प्रबन्धन समिति महामारी से होने वाली क्षति का आंकलन कर पीडित लोगों को मुफ्त इलाज तथा क्षतिपूर्ति की सिफारिस करेगी। इसके साथ ही राहत दल मृत मनुष्यों एवं पषुओं पर बीमा (यदि बीमित हैं) उपलब्ध करवाने में मदद करेगा।

महामारी की घटनायें होने व फैलने से रोकने के लिये यह सुनिश्चित किया जाये कि क्या–

- जल गुणवत्ता जांच एवं वैक्टर नियंत्रण कार्यक्रम सुचारू रूप से किये जा रहे हैं।
- जिले के पैथोलॉजिकल व परीक्षण प्रयोगशालायें ठीक से कार्य कर रही हैं।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास आधारभूत दवाओं की उपलब्धता है।
- जिले में पूर्व में घटित महामारी की घटनाओं की जानकारी व अध्ययन उपलब्ध हैं।
- जल संस्थान, नगरपालिका तथा ग्राम पंचायतों द्वारा संक्रमित जल संरचनओं में क्लोरीन गोलियों, चूना अथवा दवाओं का छिडकाव नियमित रूप से किया जा रहा है।
- मीडिया द्वारा महामारी फैलने से बचाव हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
- महामारी के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता, मल निस्तारण व व्यक्तिगत स्वच्छता के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक प्रयासों के संचालन में गैर सरकारी संगठनों की संलिप्तता सुनिश्चित की जा रही है।

सड़क दुर्घटना

पहाडी मार्गों पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकडों का विष्लेषण करने से पता चलता है कि 83.5 प्रतिषत सढ़क दुर्घटनाओं में चालक की गलती होती है। इसके अतिरिक्त सढ़क दुर्घटनाओं के अन्य महत्वपूर्ण कारणों में वाहन में तकनीकी खराबी (3.0 प्रतिशत), पैदल यात्रियों की लापरवाही (2.3 प्रतिषत), सवारियों की गलती (2.4 प्रतिषत), खराब मार्ग (1.1 प्रतिषत), खराब मौसम (0.9 प्रतिषत) तथा अन्य कारण (6.8 प्रतिषत) जैंसे मवेषी, गिरे हुये पेड, मार्ग अवरोध, ब्रेक फेल, प्रतिबिम्ब प्रेषितों को अभाव, सिग्नलों का कार्य न करना आदि। स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया तंत्र की कमजोरी के कारण समय पर सहायता उपलब्ध न होने से अधिकांष यात्रियों की घबराहट के कारण मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटनाओं में जनहानि के साथ ही धन की अपार हानि भी होती है।

सम्भावित प्रभाव

- जनहानि।
- ट्रोमा केयर।
- चोटें जिन्हें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होगी।
- जलना।
- विषाक्त पदार्थ के रिसने से जहर फैलना।
- वाहन एवं सामग्री की क्षति
- वायु प्रदूषण, यदि वाहन खतरनाक रसायन ले जा रहा हो।
- सड़क यातायात एवं संचार तंत्र का बाधित होना।

अग्रणी एजेंसियां

✓ अग्रणी एजेंसियां पुलिस एवं सम्भागीय परिवहन विभाग होगा।

✓ किसी बड़ी सड़क दुर्घटना में भारी मात्रा में जनहानि एवं लोगों को चोट लगने पर अग्निशमन एवं स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवायें देगा।

✓ दुर्घटनाग्रस्त वाहन के नदी में गिरने पर राहत, खोज एवं बचाव परिचालन हेतु गोताखोरों की सेवाओं की आवश्यकता होगी।

प्रतिक्रिया योजना

- घटना की सूचना प्राप्त होने पर आपातकालीन परिचालन केन्द्र तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेषन तथा स्वास्थ्य इकाई को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देष देगा। पुलिस विभाग का कर्तव्य है कि वह अपने प्रषिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को रस्से व अन्य आवष्यक उपकरणों के साथ घटना स्थल पर भेजे। साथ ही वह किसी प्रषिक्षित डॉक्टर या उसकी अनुपस्थिति में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किसी प्राइवेट डॉक्टर को अपने दल के साथ शामिल कर ले।
- बचाव दल वाहन में फंसे लोगों को निकालने के साथ ही घायलों को उपचार हेतु नजदीकी चिकित्सालय में भेजने की व्यवस्था करेगा। इस कार्य हेतु वाहन की व्यवस्था घटना स्थल के पास से गुजर रहे वाहनों अथवा आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सुनिष्चित की जायेगी।

- पुलिस एवं परिवहन विभाग जीवन क्षति, सम्पत्ति क्षति व सामग्री क्षति होने पर संयुक्त रूप से क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिग्रस्त समाग्री एवं मृत मनुष्यों की सूची तैयार करेंगे, तथा साथ ही कानूनी वाद–विवाद, राहत व क्षतिपूर्ति में अनावश्यक देरी को रोकने का प्रयास करेंगे।

जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये यह सुनिष्चित किया जाना आवष्यक है कि क्या–

- वाहन दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर चेतावनी सूचक या नोटिस लगाया गया है।
- जिले में वाहन चालन सम्बन्धी नियमों का पालन किया जा रहा है।
- रात्री में प्रतिबन्धित मार्गो पर वाहन रोकने के नियम का पालन किया जा रहा है।
- ओवर लोडिग की घटनाओं को रोका जा रहा है।
- यातायात मार्गो के समीप पुलिस चौकियों में खोज एवं बचाव उपकरण उपलब्ध हैं।
- विशेष रूप से यात्रा व बरसात के सीजन में ट्रैफिक संचालन सही ढंग से हो रहा है, तथा इसी समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा चिकित्सालयों में डॉक्टर एवं जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता है।

दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों की सूची

क्र0 सं0	संवेदनशील मोटर मार्ग/स्थल
1	सिलक्यारा बनगांव चापडा सरोट मार्ग (क्यारी) किमी0 8.5 तथा 91.0 में स्लाइड जोन
2	कमान्द–थौलधार मोटर मार्ग के किमी0 1.0 क्रास से0 0/30 से 0/31 पर हेयर पिन बैण्ड स्लाइड जोन
3	ऋषिकेश–श्रीनगर राष्ट्रीय राज मार्ग (तोताघाटी, बछेलीखाल, सौडपानी, मूल्यागांव, भ्वीटं चुंगी)
4	ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (धौलापानी, बेमुण्डा, बेमुड, ताछला, थान गांव, डोभाल गांव)
5	चम्बा–मसूरी मार्ग (आराकोट एवं ज्वारना)
6	घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग
7	घनसाली–मूलगढ़–हुलाणाखाल मोटर मार्ग
8	चम्बा–धनौल्टी मोटर मार्ग
9	नैनबाग–कैम्पटी–मसूरी मोटर मार्ग
10	चम्बा–धरासू मोटर मार्ग– चम्बा से 13 किमी.(चम्बा–रामगढ़ के मध्य) तथा चम्बा से 22 किमी. दूर (चम्बा–अलेरू के मध्य)
11	स्यांसू पुल रतवाड़ी नकोट खोली मोटर मार्ग के किमी0 2.00 क्रा0 से0 1/32 से 1/34 में हिल साइड श्री शुरवीर सिंह के भवन के नीचे।
12	स्यांसू पुल रतवाड़ी नकोट खोली मो0मार्ग के किमी0 2.00 क्रा0से0 1/17 से 1/18 में खड साइड प्रा0वि0 के ऊपर।
13	स्यांसू रतवाड़ी कमान्द–ज्वारना मोटर मार्ग के किमी0 13 क्रा0 से 12/16 से 12/17 में हिल साइड।
14	धुधती ढुंगा धमाडी मैण्डखाल मो0 मार्ग के किमी0 8.00 क्रा0से0 7/13 से 7/17 तक खड साइड।

ध्यान रखें:–

1– 50 सी0सी0 तक की इंजन झमता वाले दुपहिया वाहनों का लाईसेंस केवल 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ही अनुमन्य है।

2– 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दुपहिया या चार पहिया वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
3– नाबालिगों (18 साल से कम आयु) को वाहन न चलाने दें।
4– सड़क चलने के लिए है, सड़क पर बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई खेल न खेलने दें।
5– सुनिष्चित करें कि आपके बच्चे को स्कूल ले जाने वाली बस/ऑटोरिक्षा/विक्रम चालक वाहन में निर्धारित संख्या में ही बच्चों को बैठा रहा है। आपका यह जानना आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए आवष्यक है।
6– जिन बस/ऑटो/विक्रम वाहनों का प्रयोग स्कूल के बच्चे लाने/ले जाने के लिए किया जा रहा है, उनमें बच्चों की सुरक्षा का उचित प्रबन्धन होना आवष्यक है।

सड़क सुरक्षा/यातायात के नियमः–

दुपहिया वाहन चालकों के लिएः–

1– व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टिगत दुपहिया वाहन चालकों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो आईएसआई द्वारा प्रमाणित हैल्मेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।
2– साईकिल सवारों को यह याद रखना चाहिए कि अन्य वाहन उनकी तुलना में अधिक तीव्र गति से चल रहे हैं। अतः साईकिल मोड़ने से पूर्व उनके द्वारा पर्याप्त अवधि तक स्पष्ट संकेत दिये जाने चाहिए।

पैदल चलने वाले यात्रियों के लिएः–

1– पैदल यात्रियों द्वारा जेबरा क्रॉसिंग (सड़क पर बने काले–सफेद धारियों वाले स्थान) से ही सड़क पार की जानी चाहिए।
2– पैदल यात्री द्वारा सड़क पार करने से पूर्व दायें तथा बांये देख कर सुरक्षा के प्रति स्वयं को आष्वस्त किया जाना आवष्यक है।
3– रात्रि में हल्के रंग के कपड़े पहनना सुरक्षा की दृष्टि से वांछित है।
4– पैदल पार पथ (सब–वे) सुविधा के उपलब्ध होने पर सड़क पार करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिये।
5– कभी भी दौड़कर सड़क पार न करें।
6– चलते वाहन में चढ़ने तथा उतरने का कदापि प्रयास न करें।

ओवरटेकिंग के सम्बन्ध मेंः–

1– ओवरटेक करने से पूर्व हार्न दें तथा आगे चल रहे वाहन के चालक द्वारा उचित संकेत दिये जाने पर ही सावधानीपूर्वक ओवरटेक करें।
2– कभी भी मोड़ों पर ओवरटेक करने का प्रयास न करें।
3– बांयी ओर से ओवरटेक करने का प्रयास न करें। ओवरटेक हमेषा दाहिनी ओर से ही किया जाना चाहिए।
4– स्वयं ओवरटेक कर रहे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास कदापि न करें।

वाहन चालकों के लिए निर्देषः–

1– चौराहों पर यातायात संकेतों (सिग्नल) का पालन करें।
2– अपने आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाकर रखें।
3– वाहन को अत्यधिक तेज गति से न चलायें।
4– मोड़ों पर तथा चौराहों पर वाहन की गति धीमी करें।
5– बांये तथा दांये मुड़ने से पूर्व उचित संकेत दें व गति धीमी करें।
6– अधिकांष चौराहों पर बांये मुड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। यह सुनिष्चित करें कि पीछे आ रहे वाहनों के लिए बांये मुड़ने हेतु समुचित स्थान उपलब्ध है।
7– अपने पीछे आ रहे वाहन को आगे जाने हेतु इंडीकेटर से (प्रकाष संकेत) संकेत न दें।
8– चार पहिया वाहन में सामने की ओर मुंह करके बैठने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा पेटी (बैल्ट) का पहनना कानूनन अनिवार्य है।
9– वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग न करें।
10– वाहनों के फुटबोर्डों पर लटककर यात्रा न करें।
11– वाहन में इधर–उधर निकला हुआ बोझा न ले जायें। यदि वाहन में माल बाहर की तरफ निकला हो तो दिन में वाहन के पीछे लाल कपड़ा लगायें तथा रात्रि में लाल बत्ती का उपयोग करें।
12– अग्नि शमन (फायर ब्रिगेड) एवं रोगी (एम्बुलेंस) वाहनों को पहले जाने के लिए रास्ता दें।
13– वाहन में खराबी होने पर उसकी मरम्मत कराने के उपरान्त ही संचालन करें।
14– नषीले पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलायें।
15– दुर्घटना में आहत व्यक्ति को डॉक्टर के पास या निकटतम अस्पताल पहुंचाने में सहायता करें।
16– दुर्घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेषन को देना आपका कर्तव्य है।
17– वाहन में वीडियो/टेलीवीजन का उपयोग चालक कक्ष में नहीं किया जाना चाहिए तथा इन्हें इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि इनसे वाहन चालक का ध्यान भंग न हो।
18– वाहन में मल्टीटोन अथवा प्रेषन हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
19– ''वन–वे'' पर विपरीत दिषा में वाहन चलाया जाना वर्जित होता है, ऐसा न करें।
20– वाहनों में यात्रियों को चढ़ाने व उतारने के लिए इस हेतु निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें।
21– चालक केबिन में अधिक व्यक्ति न बैठायें।

पहाड़ी मार्ग पर अतिरिक्त सावधानी आवष्यक हैः–

1– निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन न चलायें।
2– मोड़ों पर पास न मांगे और न ही ओवरटेक करने का प्रयास ही करें।
3– पर्वतीय मार्गों पर चढ़ाई पर चढ़ते हुए वाहन को पहले जाने देना सुनिष्चित करें।
4– ढ़लान में न्यूट्रल गियर पर वाहन का संचालन न करें तथा वाहन की गति धीमी रखें।
5– पर्वतीय मार्गों पर चढ़ायी पर चढ़ते हुए जिस गियर का प्रयोग किया जाये, उस मार्ग पर उतरते हुए भी उसी गियर का प्रयोग किया जाना चाहिए।
6– मोड़ों पर हॉर्न का प्रयोग किया जाना सुनिष्चित करें।
7– रात्रि में पर्वतीय मार्गों पर मोड़ों पर डिप्पर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।
8– वाहन की यात्रिक दषा सही रखें। खराब दषा वाले वाहन का प्रयोग न करें।

9– वाहन में प्राथमिक चिकित्सा पेटी (फस्ट एड बॉक्स) तथा वाले वाहन का प्रयोग न करें।
10– वाहन चालक द्वारा लगातार 08 घण्टे से अधिक वाहन नहीं चलाना चाहिए।
11– वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री नहीं बैठने चाहिए।
12– शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ चालक द्वारा वाहन नहीं चलाया जाना चाहिए।
13– चप्पल पहनकर वाहन का संचालन नहीं किया जाना चाहिए।
14– वाहन चलाते समय वाहन चालक से बातचीत न करें। ऐसा करने से चालक का ध्यान भंग हो सकता है, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है।
15– कोहरा होने पर फॉग लाईट का प्रयोग करें।
16– वर्षा के दौरान पानी हटाने के लिए वाईपर्स का प्रयोग करें।

पानी भरे रास्ते से गुजरते समय ध्यान रखें:–

1– पानी भरे रास्ते पर प्रवेष करने से पहले वाहन को पहले या दूसरे गियर में लें।
2– जब वाहन गहरे पानी में हो तो गियर न बदलें। अपनी स्पीड को क्लच से नियंत्रित करें और एक्सीलेटर दबा कर रखें ताकि एक्जॉस्ट पाइप से पानी न घुस सके।
3– पानी पार करने के बाद ब्रेक पैडल को कई बार दबायें ताकि ब्रेक व ब्रेक–षू सूख जायें।

दुर्घटना की सूचना, अनुक्रिया एवं प्रबन्धन प्रणाली
जनपद टिहरी गढ़वाल

जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष
DCR- 100, 234500

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
आपदा नियंत्रण कक्ष–DEOC
1077, 234793, 233433

आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा
EMRI- 108

सूचनाओं का तत्काल परस्पर अग्रसारण

- पुलिस थाना, पुलिस चौकियों, पुलिस लाइन एवं अग्नि व आपात सेवा द्वारा खोज–बचाव उपकरणों एवं टीमों सहित प्रस्थान
- तहसील से तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित पटवारी, कानूनगो, पटवारी अनुसेवक, सुरक्षा प्रहरी, सहायक कर्मियों एवं उपलब्ध उपकरणों सहित प्रस्थान
- स्वास्थ्य सेवाएं– निकटतम जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा द्वारा एम्बुलेंस स्ट्रेचर एवं मेडिकल टीमों सहित प्रस्थान
- प्रशासन–प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन, उपजिलाधिकारी–सम्बन्धित क्षेत्र, आपदा प्रबन्धन अधिकारी–DPO द्वारा तहसील एवं DEOC में उपलब्ध उपकरणों सहित प्रस्थान एवं अतिरिक्त आवष्यकता का आंकलन

1– सूचना मिलते ही निकटतम थानें, चौकियों तहसीलों, चिकित्सालयों एवं प्रशासनिक इकाईयों से सम्बन्धित अधिकारियों एवं टीमों द्वारा खोज–बचाव उपकरणों सहित घटना स्थल की तरफ प्रस्थान किया जायेगा।

2– पुलिस नियंत्रण कक्ष, आपदा नियंत्रण कक्ष एवं सम्बन्धित थानें/तहसील द्वारा सूचनाओं का सतत आदान–प्रदान किया जायेगा।

3– घटना स्थल पर सम्बन्धित टीम एवं अधिकारीगण अधिक से अधिक संख्या में स्ट्रेचर एवं लाइटें अवष्य ले जायें।

4– दुर्घटना के सूचनादाता, निकट ग्रामों की आपदा प्रबन्धन समितियों, सुरक्षा समितियों, पंचायत प्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों, पुलिस चौकियों, पटवारी चौकियों से घटना स्थल की स्थिति, सम्पर्क मार्ग एवं विषेष आवश्यकताओं से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाये।

5– घटना स्थल पर स्थानीय लोगों के सहयोग से खोज–बचाव कार्य संचालित किये जांय।

दुर्घटना सूचनाओं का अग्रसारण एवं अतिरिक्त कार्यवाही

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
फोन–01376–233093
01376–232040

पुलिस अधीक्षक
टिहरी गढ़वाल
फोन–01376–232162
01376–232399

मुख्य चिकित्साधिकारी
टिहरी गढ़वाल
फोन– 01376–232093
01376–232055

सम्भागीय परिवहन अधिकारी
नई टिहरी
फोन– 01376–232240
0135–2430623 (RTO)
0135–2431086 (ARTO)

सम्बन्धित
उपजिलाधिकारी
राहत सहायता एवं
जांच सम्बन्धी
कार्यवाही

सीमा सड़क संगठन,
नरेन्द्रनगर–9456145429
व्यासी–9410716979
सड़क मार्ग की स्थिति के
अनुसार कार्यवाही

अधिषासी अभियन्ता,
लो0नि0वि0, नई टिहरी
सड़क मार्ग की स्थिति के
अनुसार कार्यवाही
फोन– 01376–233312

विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त/बाहरी सहायता हेतु कार्यवाही
जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुमति के अनुसार

आई0टी0बी0पी0
मातली
फोन–01374–235413

आई0टी0बी0पी0
मसूरी
फोन–0135–2632667

हिमालयन इन्स्ट्यूट,
जौलीग्राण्ट
फोन–0135–2471200
0135–2471300

आपदा प्रबन्धन गोताखोर टीम
द्वारा कीर्तिनगर थाना–01370–260042
द्वारा श्रीनगर थाना–01346–252102
द्वारा मुनिकीरेती थाना–0135–2430041

जल पुलिस, कोटेश्वर
द्वारा टिहरी थाना
फोन–01376–232773

राज्य स्तर पर सूचनाओं का अग्रसारण

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
SEOC/DMMC देहरादून
0135–2710334, 2710335,
0135–1070

गृह नियंत्रण कक्ष
सचिवालय
देहरादून
0135–2712800

अग्निकाण्ड (आवासीय एवं वन)

गर्मियों में अक्सर आग लगने की घटनायें होती है। शहरों में स्टोव व गैस सिलेण्डर के फटने व ग्रामीण क्षेत्रों में आला (खेतों का कबाड) जलाने के कारण अक्सर आग लगने की घटनायें होती हैं। इसके अतिरिक्त लोग गलती से अथवा जानबूझ कर वनों में आग लगा देते हैं जिससे प्रतिवर्ष करोडों की वन सम्पदा जल कर राख हो जाती है। वन क्षेत्रों में अग्नि काल प्रारम्भ होने से पूर्व अपेक्षित व्यवस्थायें की जाती हैं। वनाग्नि सामान्यतः चार वर्ष के अन्तराल से लगती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षो से एक वर्ष से भी कम अवधि के अन्तराल से वनाग्नि का घटित होना वन विभाग कर्मचारियों के लिये चिन्ता का विषय है।

सम्भावित प्रभाव

- जलना
- चोटे जिन्हें शल्य चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होगी।
- जनहानि
- भवन को क्षति पहुंचना
- व्यक्तिगत सम्पत्ति
- जीविका की क्षति
- बाजार में अस्त–व्यस्तता
- उत्पादन में क्षति
- पषुओं (घरेलु एवं जंगली) की मृत्यु

अग्रणी एजेंसियां

✓ आपदा प्रबन्धन में संलग्न प्रमुख एजेंसियां स्थानीय अग्निशमन सेवा (स्थानीय पुलिस, नगर पालिका), स्वास्थ्य सेवाएं (अस्पताल) व पुलिस (स्थानीय पुलिस स्टेशन) होंगी।

✓ भीषण अग्निकाण्ड की दशा में आग फैलने से रोकने हेतु स्थानीय अग्निशमन सेवा पावर कॉरपोरेशन व जलापूर्ति विभाग से सहायता लेगा।

✓ बड़े निष्कासन की दशा में जनपदीय आपात परिचालन दल की सहायता आवश्यक होगी।

प्रतिक्रिया योजना

- अग्नि काण्ड की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग अग्निषमन सेवा सहित तुरन्त घटना स्थल की ओर कूच कर जायेगा तथा साथ ही सुनिष्चित करेगा कि घटना की सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र की मदद से आपदा प्रबन्धक महोदय तक प्रेषित की जा चुकी है।
- आपदा प्रबन्धक महोदय स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये आपदा परिचालन दल की बैठक कर आवश्यक निर्देष देंगे।
- स्थिति के अनुसार स्थान परिचालन केन्द्र के माध्यम से षिविरों की स्थापना कर राहत एवं बचाव के कार्य संचालित किये जायेगे।
- सभी आपदा परिचालन दल के सदस्य मौके पर पहुंच कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
- आपदा प्रबन्धन समिति क्षति का आंकलन कर मुहावजा /बीमा दिये जाने की सिफारिष करेगी।
- वनाग्नि के दौरान वन विभाग कर्मचारी स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबु पाने का प्रयास करेंगे। यदि आग पर काबु पाना मुष्किल हो तो आपातकालीन परिचालन केन्द्र की मदद से और अधिक संसाधनों की मांग प्रस्तुत करेंगे।

गर्मियों का मौसम प्रारम्भ होने से पहले यह सुनिष्चित कर लिया जाय कि क्या–

- अग्निषमन दल के पास आग पर काबु पाने वाले उपकरणों से सुसज्जित वाहन उपलब्ध है।
- आपातकालीन परिचालन केन्द्र के साथ ही अग्निषमन दल का स्थानीय तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों से सम्पर्क एवं संचार सुलभ हो पा रहा है।
- मीडिया के द्वारा जन जागरण का कार्य किया गया है।
- वन विभाग ने आग से बचाव हेतु रणनीति तैयार कर ली है।
- आग लगने की सम्भावित घटनाओं एवं क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, बिजली गिरने, पषुओं की बीमारी आदि से होने वाले नुकसान पर आपात परिचालन केन्द्र के माध्यम से आपदा प्रबन्धन समिति नजर रखेगी व क्षति का आंकलन कर मुहावजा दिये जाने की सिफारिश करेगी। सभी सम्बन्धित विभागों को सुझाव दिया जाता है वि व्यक्तिगत रूप से प्रतिवर्ष विभागीय कार्य विशिष्ट आपदा से निपटने के लिये अपनी कार्ययोजना निर्मित कर आपातकालीन परिचालन केन्द्र अथवा आपदा प्रबन्धन समिति को सौंप दे। इस प्रकार जिले की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में निरन्तर गुणात्मक सुधार लाने में मदद मिलेगी व आपदाओं के प्रभावों के न्यूनीकरण में मदद मिलेगी।

घरेलू आग

1— भवन के हर तल में धुवें का पता लगाने उपकरण स्थापित करें।
2— आग की स्थिति का सामना करने के लिए स्पष्ट निकासी योजना बनायें।

शयन कक्ष में:—

1— बिस्तर में बीड़ी/सिगरेट न पियें।
2— कपड़े सुखानें के लिए हीटर का उपयोग न करें व हीटर को ज्वलनषील वस्तुओं से कम से कम 03 फीट दूर रखें।
3— हीटर चलाने के लिए बिजली के विस्तारित तारों का उपयोग न करें।
4— बिना निगरानी के हीटर को खुला न छोड़े और हीटर चला कर न सायें।
5— हीटर को बन्द करने के बाद प्लग निकाल दें।

बैठक में:—

1— राखदान (एस्ट्रे) को कुर्सी या सोफा के हत्थों पर न रखें।
2— राखदान में जलती बीड़ी/सिगरेट न छोड़ें।
3— बिजली के तारों को दरी या गलीचे के नीचे या फिर चलने—फिरने के स्थान से न गुजारें।

रसोई में:—

1— खाना बनाते समय रसोई न छोड़ें। यदि रसोई छोड़नी आवश्यक हो तो स्मरण पत्र की तरह कोई बरतन साथ ले जायें।
2— ढीले, लटकने वाले और कृत्रिम रेषों से बने कपड़े पहन कर खाना न बनायें।
3— खाना पकाने की गैस के बर्नर पर चिकनायी न जमने दें।
4— बिजली के एक ही प्लग पर कई उपकरण न लगायें।
5— खाना पकाने की गैस के समीप लटकने वाले पर्दे न लगायें।

6– रात को सोने से पहले खाना पकाने की गैस हमेंशा रेगुलेटर से बन्द किया जाना सुनिश्चित करें और लम्बे समय के लिए बाहर जाने पर रेगुलेटर को सिलेण्डर से निकाल कर अलग रखें।

7– ध्यान रहे कि आपकी खाना पकाने की गैस के बटन को बच्चे आसानी से न घुमा पायें।

8– खाना पकाने की गैस के ऊपर रखे पतीलों के हैण्डल हमेंशा बीच की ओर रखें ताकि यह बच्चों की पहुंच से अपेक्षाकृत दूर रहे व छेड़े जाने पर एकदम से न गिरे।

9– खाना बनाते समय बाल बांध कर रखें।

10– दियासलाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

11– गर्म बर्तन पकड़ने व बर्तन पोछने के लिए प्रयुक्त होने वाले कपड़ों को खाना पकाने की गैस के बर्नर से दूर रखें।

12– खाना बनाते समय गैस के ऊपर न झुकें।

13– खाना पकाने की गैस के स्थान के ऊपर बनी अलमारियों में चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट आदि न रखें, इन तक पहुंचने के प्रयास में बच्चे खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं।

14– खाना बनाने की गैस के बर्नर के ऊपर रखे गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए कपड़े का प्रयोग न करें, इसमें प्रायः आग लग सकती है।

15– तेल या घी में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग न करें। इसके लिए खाने का सोड़ा, नमक या फिर बन्द ढक्कन का प्रयोग करें।

16– खाना पकाने की गैस के रिसाव होने की आशंका होने पर बिजली के बटन न ही खोलें और न ही बन्द करें, दियासलाई न जायें और न ही फोन का प्रयोग करें।

17– गैस की गन्ध अति तीव्र होने पर तुरन्त घर से बाहर चले जायें और पड़ोसी के फोन से गैस कम्पनी या अग्निशमन बल को फोन करें।

18– गैस का प्रयोग पुनः आरम्भ करने से पहले अपनी गैस कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।

19– अपने पारिवारिक चिकित्सक के साथ–साथ पुलिस व अग्निषमन बल के फोन नम्बर सदैस साथ रखें।

आग की स्थिति में क्या करें:–

1– किसी भी तरह से आग को बुझायें। पानी से आग बुझाने के साथ–साथ तापमान कम होता है और आग से जले व्यक्ति को भी आराम मिलता है।

2– कपड़ों में आग लगी हो तो न दौड़ें। इससे आग और ज्यादा फैलेगी।

3– कपड़ों में लगी आग से प्रभावित व्यक्ति को कम्बल, मोटे कपड़े में लपेटें और जमीन पर लिटायें। कम्बल को अच्छी तरह से शरीर से लपेटें और कम्बल पर हाथ की थपकियों से आग को बुझायें।

4– यदि आग शरीर के पिछले भाग की ओर लगी हो तो आग से जले व्यक्ति को पेट के बल लिटायें, अन्यथा पीठ के बल लिटायें।

5– आग से घिरे कमरे में साफ हवा जमीन के नजदीक उपलब्ध होगी, अतः लेट कर आगे बढ़ें।

6– चेहरे को गीले रूमाल से लपेट लें। इससे सांस लेने में सुविधा होगी।

7– आग से घिरे कमरे में खिड़की–दरवाजे न खोलें। बाहरी हवा आग को और भड़कायेगी।

8– जल गये भाग को ठण्डे पानी में डुबोयें।

9– जल गये शरीर के भाग में रूई या चिकनाईयुक्त मरहम का प्रयोग न करें।

10– शरीर के जले भाग को ऊंचा उठा कर रखें।

11– छालों से छेड़छाड़ न करें।

12– पीड़ित व्यक्ति को गर्म पेय पदार्थ पीने को दें।

13– जल गये स्थान पर सूखी पट्टी का प्रयोग करें या साफ कपड़े से ढ़कें।

14– पीड़ित व्यक्ति को शान्त रखें।

15– यथाशीघ्र चिकित्सकीय परामर्ष लें।

16– आपातकालीन निकासी मार्गों को अवरोधमुक्त रखें और इनसे सम्बन्धित जानकारी सदैव ध्यान में रखें।

<u>वनाग्नि</u>

याद रखें:–

1– ज्वलनशील पदार्थों की सहायता से आग का फैलना स्वाभाविक है।
2– ज्वलनशील पदार्थ के गर्म सतह के सम्पर्क में आने पर या फिर सूर्य की किरणों के ज्वलनषील पदार्थ पर केन्द्रित होने पर स्वतः प्रज्वलित होगी।
3– अन्य पर्यावरणीय कारकों (जैसे कि वायु एवं ऊष्मा प्रवाह) की सहायता से आग एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेलेगी या फिर पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण बल का उपयोग कर ज्वलनशील पदार्थ तक पहुंच जायेगी।
4– आग प्लास्टिक, रबर व कृत्रिम कपड़ों को तेजी से गला देगी।
5– आग आपके अनुमान से कहीं तेज एवं अप्रत्याषित दिशा में फेल सकने में सक्षम है, अतः सतर्क रहें।
6– उचित स्थितियों की उपलब्धता होने तक (ज्वलनशील पदार्थ, ऑक्सीजन एवं उष्मा) आग लम्बे समय तक सुशुप्त रह सकती है।
7– आग से उत्पन्न सह–उत्पादन भी आग जितने ही खतरनाक हो सकते हैं।

खुले स्थानों पर आग जलाने पर सुनिश्चित करें कि इस हेतु आपके पास चयनित स्थान तीव्र ढाल पर न हो और न ही इस स्थान के आस–पास ऊपर से लटक रही डालियां, सूखी लकड़ियां, घास व पत्तियां हों। कई बार खुले में जलायी गयी आग वनाग्नि का कारण बन जाती है। अतः खुले में आग जलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए:–

1– अतिरिक्त लकड़ियों को सुरक्षित दूरी पर रखा जाना चाहिए।
2– आग बुझाने के लिए आवश्यक मात्रा में पानी व बेलचा साथ में होना चाहिए।
3– आग जलाने के लिए आरम्भ में छोटी सूखी टहनियों का प्रयोग किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी लकड़ी को सबसे बाद में लगाया जाना चाहिए।
4– आग को बहुत ज्यादा बड़ा न बनायें। उपयुक्त मात्रा में अंगारे होने पर छोटी आग से भी काफी उष्मा मिल जाती है।
5– आग को जलता छोड़ कर अन्यत्र न जायें। हल्की सी हवा आग को भड़का सकती है।
6– स्थान को छोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आग पूरी तरह से बुझ गयी है।
7– जलते हुए कोयलों को बुझाने के लिए कभी भी सीधे जमीन में न दफनायें। उपयुक्त परिस्थितियां होने पर यह कुछ समय बाद पुनः आग भड़का सकते हैं।

निम्नलिखित बिन्दुओं को सदैव ध्यान में रखें:–

1– हवा तेज होने पर आग न जलायें।
2– सौन्दर्य प्रसाधनों व अन्य में प्रयुक्त होने वाले स्प्रे आदि को आग में न डालें। गर्म होने पर यह फट भी सकते हैं।
3– इस्तेमाल की गयी बैटरी आग में न डालें। कुछ विशिष्ट प्रकार की बैटरी आग के सम्पर्क में आने पर विस्फोट कर सकती हैं।
4– जलती बीड़ी–सिगरेट न फेंकें।
5– बीड़ी–सिगरेट को जमीन पर रगड़ कर बुझायें। इन्हें लकड़ी पर रगड़ कर नहीं बुझाना चाहिए।
6– दुबारा ईंधन भरे जाने से पहले सुनिष्चित करें कि लालटेट, पैट्रोमैक्स व स्टोव पूर्णतः ठण्डे हो गये हैं। ईंधन के बाहर छलक जाने की स्थिति में उपकरण को जलाने से पहले दूर ले जायें।
7– वाहन एवं टैण्ट के अन्दर लालटेन व स्ओव न जलायें।
8– वाहन को ज्वलनशील पदार्थों एवं सूखी पत्तियों व घास से दूर रखें।
9– घास में आग लगाने से बचे व दूसरों को ऐसा न करने के लिए प्रेरित करें।
10– वनाग्नि से होने वाली क्षति के प्रति दूसरों को जागरूक करें।

11– झाड़ियां साफ करने के लिए आग का प्रयोग किये जाने पर आग के फैलाव को नियंत्रित करने व उस पर नजर रखने के लिए प्रयाप्त संख्या में लोगों को जुटायें व आग बुझाने के लिए बेलचा इत्यादि साथ में रखें।

12– आग से वन सम्पदा को बचाने के लिए विचार–विमर्ष करें व आवश्यक प्रतिबन्ध लगायें।

13– वन विभाग द्वारा किये जा रहे वनाग्नि सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में सहयोग दें।

14– वनाग्नि सम्बन्धित सूचना यथाशीघ्र वन विभाग को दी जानी सुनिश्चित करें।

SOP for Floods

बाढ़ की स्थिति में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र व अन्य सम्बन्धित स्तरों द्वारा अपनाये जाने वाले क्रियान्वयन का विवरण

बाढ़ की सूचना प्राप्त करनाः–

- सूचना किस माध्यम से प्राप्त की गयी है, का स्पष्ट ब्यौरा रखना, यथा– पुलिस नियंत्रण कक्ष, 108 सेवा या अन्य किसी अन्य स्तर से।
- सूचना देने वाले का नाम अथवा मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करना।
- सूचना का विवरण यथा–स्थान, प्रकार इत्यादि का स्पष्ट रूप से पंजिका में उल्लेख करना।
- पूर्ण सूचना प्राप्त न होने पर अन्य स्तरों से भी पूर्ण सूचना प्राप्त करने का प्रयास करना यथा–स्थानीय परिचित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि।

सूचना का अग्रसारणः–

- प्राप्त सूचना प्रथमतः जिलाधिकारी महोदय (मुख्य आपदा प्रबन्धक) को अग्रसारित करते हुए प्राप्त निर्देशों का पालन करना।
- पुलिस अधीक्षक/निकटवर्ती पुलिस थाना को खोज–बचाव दल की मय खोज–बचाव उपकरणों के रवानगी हेतु सूचना अग्रसारित करना।
- अपर जिला अधिकारी को सूचना अग्रसारित करना।
- स्वास्थ्य विभाग/मुख्य चिकित्साधिकारी सहित 108 सेवा, सिंचाई विभाग तथा समीपस्थ स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करना।
- सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को घटना की पूर्ण जानकारी दें, ताकि तहसील स्तर पर कार्मिक खोज–बचाव उपकरणों के घटना स्थल की ओर रवाना हो सकें।
- सम्बन्धित क्षेत्रीय तहसीलदार सहित क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक को भी इस सम्बन्ध में सूचना अग्रसारित करना।
- यदि बाढ़ स्थल तक पहुंच में कोई अवरोध है तो इस विषयक लोक निर्माण विभाग/ सीमा सड़क संगठन को सूचित करना अथवा वैकल्पिक पैदल मार्ग का आवश्यकतानुसार उपयोग करना।
- प्राप्त विवरण राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रेषित करना।

बाढ़ स्थल हेतु पुलिस व राजस्व आपदा टीम की रवानगीः–

पुलिस/गोताखोर व राजस्व विभाग की आपदा प्रबन्धन टीम द्वारा उपलब्ध खोज–बचाव उपकरणों को लेकर मय वाहन स्थल पर पहुंचेंगे–

- कैरावीनर– यह ऐंकर लेने के काम आता है। यह एक अटैच डिवाइज है।
- डिसेण्डर–यह उपकरण चट्टानों पर रस्सी की मदद से नीचे उतरने में प्रयोग होता है।
- हैलमैट– सिर को सुरक्षित रखने के लिए।
- रोप– रोप बांधने, नीचे उतरने, ऊपर खींचने में प्रयोग होती है।

- सीट हार्नेस– चढ़ने उतरने में बैल्ट की जगह बांधी जाने पर व्यक्ति को सुरक्षित रखती है।
- मनीला रोप– जूट कॉटन की बनी मोटी रस्सी होती है, जो बहुउपयोगी होती है। (कैरी मैट)– बिछाये जाने के काम आती है।
- रॉक पिटोन– चट्टान में हैमर की सहायता से बनावटी एंकर बनाया जाता है।
- फ्रैण्ड्स और चॉकनट– चट्टानों में बनावनी ऐंकर बनाये जाने के काम आता है।
- स्ट्रैचर– घायलों को लाने लेजाने के काम आता है।
- लाईफ जैकेट– पानी वाले स्थलों पर खोज–बचाव कार्य करने के लिए।
- पंचू– बरसात में पानी से बचते हुए राहत कार्य में काम आता है।
- जुमार व माउण्टेन पुली– स्ट्रेचर पर घायलों को ऊपर लाने में काम आता है।
- टेप सीलिंग– स्ट्रेचर या सीट हार्नेस को बांधने में काम आती है।
- टॉर्च– अंधेरे में रोशनी हेतु काम आती है।
- मिटन– ग्लब्स रस्सियों की रगड़ से हाथों को बचाते हैं।
- मल्टीपरपज नाईफ– मल्टी परपज चाकू में स्वीजर, स्क्रू ड्राईवर, ऑपनर का कार्य भी किया जाता है।
- लाईफ ब्वाय– डूबते व्यक्ति को बचाने के काम आता है।
- बोट– पानी में आने–जाने के काम आती है।
- क्रेन– वाहनों को खाई से निकालने में प्रयोग की जाती है।

राहत व खोज–बचाव कार्यः–

- प्रभावित व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित रखने के प्रयास करना।
- प्रभावित व्यक्तियों का इस प्रकार चयन करना कि किस को स्थल पर ही उपचार दिया जाना है तथा किसको उपचार हेतु चिकित्सालय रैफर किया जाना है।
- प्रभावितों में बच्चों, महिलाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को प्राथमिकता में राहत पहुंचाना।
- समस्त खोज–बचाव व राहत कार्य के दौरान सड़क मार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए सुचारू/बिना किसी अवरोध के रखना अथवा यदि आवागमन के लिए अन्य सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो, अन्य यातायात को उस मार्ग की ओर से डायवर्ट करना तथा सुनिश्चित करना कि मार्ग सुरक्षा की दृष्टि से सही है।
- प्रभावित स्थल पर उचित सुरक्षा प्रदान करना।
- घायलों को समीवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाना तथा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था रखना।
- स्थल पर स्थापित अस्थाई संचार केन्द्र का निरन्तर समीपवर्ती चौकी/थाने व चिकित्सालय से सम्पर्क में बना रहना।
- राहत कार्य में लगी सेना अथवा एस0डी0आर0एफ0 के साथ सामन्जस्य से कार्य करना।
- समस्त खोज–बचाव कार्य तथा स्थिति की समीक्षात्मक आख्या तैयार करते हुए जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करना तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा प्रबन्धन से निरन्तर सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।

- स्थल पर वीवीआईपी/वीआईपी के स्थलीय निरीक्षण के लिए आने पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था रखना।
- घायलों एवं मृतकों के नाम, पता, उम्र इत्यादि का विवरण रखना।
- मृतकों के पोस्टमार्टम हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सहायता करना।
- किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकता को पुस्तांकित कर अग्रसारित करना।

शान्ति व्यवस्था कायम रखनाः–

- स्थल पर पुलिस कार्मिकों के द्वारा खोज–बचाव में व्यवधान न हो, के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना। इस हेतु होमगार्ड, पीआरडी व स्थानीय स्वयंसेवकों की सहायता ली जा सकती है।

पुलिस/राजस्व/सिंचाई विभाग कार्मिकों द्वारा अनुक्रियात्मक कार्यवाहीः–

- समस्त अधिकारी एवं कार्मिक द्वारा जिला अधिकारी महोदय के नियंत्रण में कार्य करना।
- लेबर कार्य हेतु अतिरिक्त मजदूरों की व्यवस्था करना।
- खोज–बचाव कार्य की समीक्षा करते रहना।
- समस्त विभागीय/आपातकालीन/आवश्यक वाहनों में डीजल–पैट्रोल पूर्ण रूप से भर कर निर्धारित स्थलों पर तैयार रखना।
- स्थल पर आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण/आपूर्ति केन्द्र को सुरक्षा प्रदान करना।
- यदि जिला अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित तहसील/ब्लाक/थाना अथवा विशेष क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय तो कार्मिकों द्वारा कार्य योगदान हेतु आदेश पारित करना।
- यथा आवश्यकता आपातकालीन परिस्थितियों हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा धनावंटन यथा–टीआर–24 से।
- यदि बाहरी सहायता की आवश्यकता हो तो जिला अधिकारी महोदय इसकी समीक्षा कर एस0डी0आर0एफ0, सैन्य अथवा अर्धसैन्य बलों की आवश्यकता से उच्चाधिकारियों/राज्य स्तर पर सूचित कर सकेंगे।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक क्रियाएंः–

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा प्रबन्धन अथवा अन्य किसी भी स्तर से बाढ़ की सूचना प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नोडल अधिकारी होंगे तथा समस्त कार्यवाहियों की जानकारी समय–समय पर जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराते रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग हेतु अनुक्रियात्मक मानक प्रणालीः–

- सिविल सर्जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- ऐसी सभी मेडिकल किट/औषधियां उपलब्ध रखी जांय, जिनका बाढ़ स्थल पर प्रभावितों के प्राथमिक उपचार/चिकित्सा में उपयोग होना है तथा आवश्यकतानुसार औषधियों का अतिरिक्त भण्डारण हुआ हो।
- स्थल पर उपलब्ध अथवा उपलब्ध हो सकने वाले वाहनों में डीजल–ईंधन पूर्ण रूप से भरा गया हो।

- स्वास्थ्य विभाग की टीम मय औषधियों/मेडिकल किट/जीवन रक्षक उपकरणों के मय वाहन स्थल पर तुरन्त पहुंचेगी।

स्थल पर उपकरणों की उपलब्धता एवं आपूर्तिः–

- Collecting Bag
- Collecting forms
- Mouth or battery powered aspirators
- Tea strainer
- Flashlight and spare batteries
- Grease pencil
- Memo Pad
- Sweep net
- Pencil
- Tweezers
- White enameled dipper
- Key and other references
- Labels
- CDC light traps (optional)
- Collecting vials
- Aedes aegypti ovitraps (optional)
- Bulb syringe or medicine dropper
- Fl grill
- Mirror
- Teching aids
- Transfer bags
- Plastic bags
- Vials
- Plastic cups
- Alcohol
- Rubber Bands
- Forceps
- Scissors
- Insecticide dusting pan
- Snap Traps
- Formaldehyde
- Live traps
- Acute rodenticides
- Gloves
- Anticoagulant rodenticides
- Flashlights and batteries

सामग्री एवं उपकरणः–

स्थल से स्पष्ट सूचना प्राप्त न होने पर आपातकालीन चिकित्सा दल द्वारा घटना स्थल की ओर निम्न सामग्री एवं उपकरणों की कम से कम मात्रा की किट ले जायी जायेगी–

- Equipment for pediatric intravenous use- 36
- Tensiometers for children and adults- 12
- Assorted ferrules- 2 boxes
- Tracheal cannulae- 36
- Set of laryngoscopes for infants, children, and adults- 1 of each
- Endotracheal tubes, No. 7 Murphy- 36
- Endotracheal tubes, No. 8- 36
- Nasogastric probes- 36
- Oxygen masks, for adults and children- 3
- Large scissors for cutting bandages- 3
- Plastic linings- 60
- Phonendoscopes- 15
- Trancheotomy set- 6

- Thorachotomy set- 6
- Venous dissection set- 6
- Set for small sutures- 12
- Bottles for drainage of thorax- 10
- Hand scissors, No. 4- 6
- Syringes (disposable) x 2cc- 60
- Syringes (disposable) x 10 cc- 90
- Syringes (disposable) x 50 cc- 60

एम्बुलेंस में उपलब्धताः—

मौके की ओर रवाना होने वाली एम्बुलेंस में निम्न औषधियों/सुविधाओं का बाढ़ स्थल की आवश्यकता के अनुसार होना आवश्यक हैः—

- Oxygen, Oxygen mask, and manometer
- Stretchers and blankets
- Emergency first aid kit
- Suction equipment supplies for immobilizing fractures
- venoclysis equipment
- Drugs for emergency use
- Minimal equipment for resuscitation maneuvers
- Power sprayers
- Hand pressured sprayers capacity 20-30 litres
- Dusters (Hand operated, plunger type)
- Dusters, Power-operated
- Space sprayer

प्रभावितों हेतु व्यवस्थाः—

एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रभावितों हेतु पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गयी है तथा पानी का भण्डारण उचित तरीके से किया गया है।

घटना स्थल पर प्राथमिकतायें—

स्थल पर टैगिंगः—

लाल— चिकित्सकीय दल द्वारा लाल टैग प्रथम वरियता वाले वाले घायलों को लगाया जायेगा, जिनकी स्थिति नाजुक और प्रमुख अंग अस्थिर हो गये हैं। ऐसे घायलों को तुरन्त चिकित्सा प्रदान करेंगे। चिकित्सकीय दल द्वारा ऐसे घायलों के घावों से बह रहे खून को नियंत्रित करना चाहिए तथा उन्हें सदमें की स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। बेहोश पडे व्यक्ति को होश में लायेंगे तथा तुरन्त अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जायेगी। प्रथम वरियता में ऐसे घायलों को रखा जायेगा, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तथा आपदा स्थल पर उपचार सम्भव न हो, बहुत अधिक खून बह चुका हो।

हरा— पीला टैग दूसरी वरियता वाले घायलों को लगाया जायेगा, जिनकी स्थिति चिन्ताजनक परन्तु प्रमुख अंग काम कर रहे हैं। ये वो घायल होते हैं, जिन्हें तात्कालिक जोखिम नहीं है परन्तु उन्हें तुरन्त इलाज की आवश्यकता है और बिना सहायता के उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है। तुरन्त अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जायेगी। द्वितीय प्राथमिकता में ऐसे घायलों को भी सम्मिलित किया जायेगा जो तीस फीसदी से अधिक जले हों, खून बह रहा हो, नाक या कान के रास्ते तरल पदार्थ का निकलना, उल्टियां होना, 60 से कम नाडी का चलना, आंखों में सूजन या आंखों के नीचे चोट लगना, जो कमजोर प्रतिक्रिया दे रहे हों।

पीला— हरा टैग ऐसे घायलों को लगाया जायेगा जिन्हें हल्की फुल्की चोट लगी है और चलने की स्थिति में होते हैं।

काला– काला टैग मृत व्यक्ति को लगाया जायेगा।

राहत एवं घायलों को रैफर करनाः–

वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा स्थल पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि घायलों को उचित तरीके से प्राथमिकता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा रहा है।

- गम्भीर घायलों को रैफर करना। यदि सड़क मार्ग अवरूद्ध हों तो लोक निर्माण विभाग व पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वैकल्पिक मार्ग का चयन करना अथवा हॉलिकाप्टर हेतु आपदा प्रबन्धक जिला अधिकारी महोदय को अविलम्ब सूचित करना।
- समीपवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ऐसे केन्द्र / हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों / कार्मिकों को तत्काल बाढ़ की जानकारी देना तथा समस्त औषधियों / जीवन रक्षक दवाओं को अद्यतन रखने हेतु सूचित करना।
- घायलों के उपचार के दौरान उनकी यथा सम्भव पूर्ण जानकारी तथा दी गयी स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण रखना।
- पुलिस कार्मिकों के सहयोग से घायलों को सुरक्षा प्रदान करना।
- उपलब्ध सूचनाओं को पुलिस खोज–बचाव दल के साथ सांझा करना।
- स्थल से ऐसे प्रभावितों को तत्काल उनके गन्तव्य की ओर रवाना किया जाय, जिन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सेवा की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य शिविर स्थापित करना–

- बाढ़ स्थल के समीप सुरक्षित स्थल पर स्वास्थ्य शिविर स्थापित करना।
- शिविर में जीवन रक्षक दवाओं, औषधियों सहित पूर्ण व्यवस्था रखना।
- शिविर में दक्ष स्वास्थ्य दल का रहना।
- शिविर में रखे गये प्रभावितों का नाम, पिता का नाम, ग्राम, उम्र इत्यादि का विवरण रखना तथा घायलों हेतु उचित व्यवस्था करना।
- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य टीम के साथ शल्य चिकित्सक का होना।
- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक समस्त सेवाओं की उपलब्धता रखना।
- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर डिस्पोजल किये जाने वाली दवाओं / सुईयों को डिस्पोज किये जाने की उचित व्यवस्था करना।
- गन्दे पानी के ठहराव की स्थिति में महामारी न फैले इस हेतु छिडकाव पावडर व इस उपचार हेतु आवश्यक औषधियों का उपयोग करना।

समीपवर्ती / मुख्य चिकित्सालय / अस्पताल पर प्राथमिकतायें–

- प्रबन्धक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के सम्पर्क में बना रहना।
- बाढ़ स्थल पर आवश्कता पड़ने पर दवाईयां अथवा अन्य स्वास्थ्य सामग्री भिजवाना।
- अतिरिक्त खून की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- आवश्यकता पड़ने पर वाहन अथवा स्वास्थ्य उपकरणों को भिजवाना।
- आपातकालीन जनरेटर को चैक कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें ईंधन प्रयाप्त मात्रा में भरा / स्टोर किया गया है। यदि जनरेटर न हो तो तत्काल इसकी व्यवस्था कर ली जाय।

- डॉक्टर्स, नर्स, ड्रैसर्स की टीम व आपातकालीन स्टाफ हर समय उपस्थित रहे।
- स्थल से जिन गम्भीर घायलों को चिकित्सालय के लिए रैफर किया गया हो, उन्हें चिकित्सालय में भूतल पर ही समुचित सुविधाओं वाले सुरक्षित कक्ष में भर्ती किया जाय।
- ऐसे कक्षों में मोमबत्ती, माचिस, लालटेन सहित अतिरिक्त कपड़े की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- कक्ष में सर्जिकल पैक सहित डिस्पोजल की जाने वाली औषधियों के डिस्पोजल की उचित व्यवस्था हो।
- चिकित्सालय में सदैव आगामी 5–6 दिनों तक प्रयोग हेतु समुचित मात्रा में औषधियां/मेडिकल किट/जीवन रक्षक दवाओं के भण्डारण हेतु उचित व्यवस्था हो।
- चिकित्सालय में सभी आपातकालीन मशीनों जैसे एक्स–रे मशीन इत्यादि की उचित सुरक्षा व रखरखाव हो तथा सभी उपकरण सही व चालू स्थिति में रहें।
- यदि घायलों की शल्य चिकित्सा की जानी हो तो आपातकालीन गैस (आक्सीजन) इत्यादि की उचित व्यवस्था हो।
- अस्पताल में पानी के संरक्षण के टंकियों की व्यवस्था हो तथा पानी निकासी का भी उचित प्रबन्धन होना चाहिए। पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।
- यदि मृतकों की संख्या अधिक हो तो अस्पताल में शवों को रखे जाने का उचित स्थान व प्रबन्धन होना चाहिए।
- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों/अधिकारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए कार्मिकों को कार्य योगदान हेतु आदेश पारित करते हैं तो ऐसे कार्मिकों द्वारा तत्काल कार्य पर लौटना।
- स्वास्थ्य सेवाओं में यदि अतिरिक्त धनावंटन की आवश्यकता हो तो जिला अधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना।

<u>सूचनाओं का आदान–प्रदानः–</u>

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सभी सम्बन्धितों से सूचनायें प्राप्त करते/सुनते हुए दुर्घटनास्थल पर चलाये जा रहे खोज बचाव एवं राहत कार्य की जानकारी प्राप्त करते हुए स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सूचनाओं से जिला अधिकारी महोदय/अपर जिला अधिकारी/राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र सहित सम्बन्धित राजस्व विभागीय अधिकारियों को अवगत कराते हुये सूचनायें पुस्तांकित करना। (जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में ड्यूटी से जाने व ड्यूटी पर प्रतिस्थानी के आने पर उसे पूर्व सूचनाओं की जानकारी देकर जाना)

सिंचाई विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक प्रणालीः–

नियोजन–

- विभाग द्वारा मरम्मतीकरण व सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखी जाय।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन प्रणाली तैयार रखी जाय।
- क्रियान्वयन प्रणाली में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो।

- आपदाओं के दौरान की जाने वाली क्रियान्वयन प्रणाली का विभागीय स्तर पर समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के साथ निरन्तर अभ्यास किया जाय।
- बाढ़ से सुरक्षा हेतु आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुझाये गये उपायों पर कार्यवाही करना।

सामान्य समय में की जाने वाली क्रियाएंः–

- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों/नदी तटों की पहचान करना, निरन्तर निरीक्षण करना।
- ऐसे बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में मानसून सत्र प्रारम्भ होने पर सूचक यंत्र लगाना।
- नदी तटों, बांधों सहित जल संग्रहण टैंकों पर जल भराव सूचक लगाना।
- क्षेत्र विशेष के अधिकारी को क्षेत्रीय आपदाओं, परिस्थितियों सहित आपातकालीन कार्यों की जानकारी हो।
- प्रत्येक तकनीकि सहायक को आपदा की परिस्थितियों हेतु निर्देशित किया गया हो।
- बाढ़ की स्थिति हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार करना।

बाढ़ की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय क्रियाएंः–

- एक अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।
- विभागीय वाहनों में आपातकालीन आवश्यकता के मध्यनजर पूर्ण ईंधन भरा हो तथा टीम का मय संसाधन उपकरणों व अस्थाई लेबर के प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना।
- बांधों की मेड़ों, सिंचाई चैनलों, पुलों, पुलियाओं, नियंत्रण फाटक सहित ओवरफ्लो चैनलों का नियमित निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य करना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में तकनीकि सहायक मय किट यथा–घिरनी ब्लाक, जंगल चाकू, फावड़ा, सीमेंट बैग, कंक्रीट बैग, चटाई बैग, टोकरियां इत्यादि के तैनात रहना।
- नदी जल स्तर में वृद्धि पर क्षेत्रीय अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे। यदि भारी वर्षा की सम्भावना हो तो अतिरिक्त सतर्ककता बरतते हुए अधिक पानी निकासी की स्थिति में नीचले स्थलों के लोगों को ससमय सतर्क करते हुए उनकी सुरक्षित निकासी को राजस्व, पुलिस विभाग से भी समन्वय स्थापित करेंगे। शांति सुरक्षा हेतु इस कार्य में समुदाय के प्रधान व्यक्ति की सहायता भी लेना।
- वर्षा या पानी से खराब होने वाली सामग्री यथा–सीमेंट बैग, विद्युत उपकरण, अभिलेख इत्यादि को प्लास्टिक सीट से ढक कर किनारे सुरक्षित स्थान पर रखना।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकि सहायक के साथ सुरक्षात्मक उपकरणों सहित सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा करना।
- निमार्णाधीन कार्य अथवा मरम्मतीकरण कार्यों को रेत के बोरों अथवा कंक्रीट बोरों से तटबन्ध कर सुरक्षित करना।
- वॉटर टैंकों के निर्माण के सम्बन्ध में सुनिश्चित करना कि टैंकों के प्रवेश व निकासी मार्ग पर पेड़ या अन्य वनस्पतियां न हों।
- पम्पों, जनरेटरों, मशीनरी उपकरणों एवं स्टेशन भवनों का नियमित निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य करना।

- सिंचाई चैनलों की सफाई करते रहना कि पानी के रास्ते में किसी प्रकार के पेड़ या अन्य व्यवधान न हो।
- प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाओं को जिलाधिकारी महोदय सहित विभागीय उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करना।

मुख्य कार्यालय की प्राथमिकताएंः–

- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वाहन, मशीनरी तथा उपकरण भेजना।
- अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों से पानी की निकासी व चेतावनी विषयक सूचनाओं हेतु समन्वय स्थापित रखना।

पशुपालन विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक प्रणालीः–

नियोजन–

- विभाग द्वारा किसी भी आपदा की स्थिति में विभागीय अनुक्रियात्मक कार्य प्रणाली तैयार करते हुए सामान्य समय में इस पर अभ्यास करना।
- विभागीय स्तर पर यह अध्ययन कर लेना चाहिए कि समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन में समुदाय की सहभागिता हो।
- पूर्व तैयारी के मध्यनजर विभागीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया योजना तैयार करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु स्पष्ट निर्देशों का उल्लेख करना।
- विभागीय आपदा प्रतिक्रिया योजना में विभागीय क्षमता के साथ–साथ योजना का समय–समय पर अद्यतीकरण करना।
- सुनिश्चित करना कि पशु अस्पतालों के भवन सुरक्षित हैं तथा इसके प्रति विभागीय अधिकारी/कर्मचारी जागरूक हैं।
- पशु चिकित्सालय में जनरेटर की व्यवस्था हो तथा पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भण्डारण किया गया हो। जनरेटर उपलब्ध न होने पर तत्काल इसकी व्यवस्था कर ली जाय।
- प्रत्येक केन्द्र पर पशु चिकित्सक, सहायक चिकित्सक व स्टाफ तैनात हों तथा आवश्यक दवाओं/औषधियों के सुरक्षित भण्डारण हेतु रैफ्रीजरेटर की व्यवस्था हो।
- पशु अस्पताल में बडी संख्या में पशुओं को रखे जाने हेतु उचित स्थान व उचित व्यवस्था हो।

आपदा की स्थिति में नियोजन–

- घायल मवेशियों का उपचार करना।
- आवारा अथवा खो गये मवेशियों की सुरक्षा व देखभाल करना।

बाढ़ की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय क्रियाएंः–

- समस्त अधिकारी एवं कार्मिक जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करते हुए महोदय को रिपोर्ट करेंगे।
- एक अधिकारी नोडल अधिकारी–पशुपालन सेवा नामित किया जायेगा।
- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अधिकारी पशुपालन सेवा के रूप में कार्य करेंगे।

- विभागीय वाहनों को आपातकालीन आवश्यकता के मध्यनजर पूर्ण ईंधन भरा गया हो तथा इन्हें सुरक्षित स्थानों पर खड़ा रखा गया हो।
- मय चिकित्सक टीम व उपकरणों/दवाओं के प्रभावित क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर पशु चिकित्सा कार्य करना।
- सुरक्षात्मक उपकरणों सहित सुरक्षात्मक उपायों को अमल में लाना।
- सर्जिकल संसाधनों की उपलब्धता रखना तथा इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गयी हो।
- आगामी 4–5 दिवसों तक के लिए दवाओं/औषधियों का भण्डारण किया गया हो।
- आपातकालीन परिस्थितियों हेतु बेहोश की जाने वाली दवाओं को सुरक्षित रखा जाय।
- समस्त विद्युत उपकरण आवश्यकता न पड़ने पर अनप्लग कर रखे जायं।
- अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय से अतिरिक्त दवाओं तथा उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करवाना।
- पशु अस्पताल एवं पशु चिकित्सा शिविर में पीने के स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो तथा पानी का उचित तरीके से सुरक्षित भण्डारण करना।
- रखे गये पशुओं का पूर्ण डाटाबेस/विवरण तैयार करना।
- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं तो ऐसे कार्मिकों द्वारा तत्काल कार्य पर लौटना।
- अतिरिक्त धनावंटन की आवश्यकता हो तो जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराना।

राहत एवं पुनर्वासः–

- गम्भीर घायल मवेशियों को पशु चिकित्सा केन्द्र अथवा समीपस्थ पशु चिकित्सालय को रैफर करना।
- स्थल पर पशु शिविर तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पशु चिकित्सा शिविरों की स्थापना कर प्रत्येक शिविर के लिए अधिकारी नामित करना।
- पशु शिविरों हेतु पीने के पानी तथा पशु चारे की व्यवस्था करना।
- शिविरों अथवा अस्पतालों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था हो कि किसी भी प्रकार की महामारी न फैले।
- सूचनाओं का पूर्ण विवरण रखना।
- आम जन सामान्य हेतु उपयोगी सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
- पुलिस विभाग व खोज बचाव दलों को पशु चिकित्सा शिविर तथा पशु अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों/सेवाओं से अवगत कराना।
- समस्त व्यवस्थाओं का अनुश्रवण किया जाना व जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से समन्वय बनाये रखना।

पशु/मवेशी शिविरः–

- एक पशु शिविर में कम से कम 100 तथा अधिकतम 500 मवेशियों को रखा जाय।
- शिविर ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जांय, जहां पर पानी व अन्य आवश्यक आपूर्ति आसानी से हो सके।
- पशु शिविर इस प्रकार से स्थापित हो कि प्रत्येक पशु के लिए प्रयाप्त जगह हो।

- हर सम्भव कोशिश हो कि शिविर सड़क मार्ग के समीप स्थापित हो।
- प्रभावित ग्राम की शिविर से अधिक दूरी न हो।
- एक पशु को 1 दिन में लगभग 6 किग्रा चारे तथा 1 से 1.5 किग्रा गुड की आवश्यकता होगी।
- प्रत्येक पशु शिविर में एक शिविर प्रबन्धक, दो मजदूर तथा 2 सफाई कर्मी रहें।

विद्युत विभाग हेतु आपदा अनुक्रिया मानक प्रणालीः–

नियोजनः–

- सामान्य समय में सेवाओं का उच्चतम स्तर बनाये रखा जाय तथा निरन्तर सेवाओं हेतु मशीनों का मरम्मतीकरण किया जाता रहे।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान काफी हद तक समुदाय की सहभागिता को अमल में लाते हुए विभाग द्वारा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों/विद्युत लाईनों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
- प्रभावी पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विभाग द्वारा आपदा अनुक्रिया योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें समस्त विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु स्पष्ट निर्देशों का उल्लेख हो।
- विभागीय स्तर पर तैयार आपदा अनुक्रिया योजना की जानकारी समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को दी जाय तथा इस पर अभ्यास किया जाय, ताकि आपदाओं के दौरान विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा विशेष कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
- विभागीय योजना में उल्लिखित ऐसे उपाय, सुझाव जो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाये जाने से सम्बन्धित हो पर अमल किया जाना चाहिए।

सामान्य काल की क्रियाएंः–

- विभागीय तैयारियों का स्तर तथा आख्या प्रत्येक छः माह में अद्यतन की जाय।
- प्रत्येक उपखण्ड पर आवश्यक सामग्री यथा–कम्प्रेशिव केबल कटर, पुली ब्लॉक्स, जंगल चाकू, हथौड़ा, सब्बल, रस्सा, आरी, कामगारों हेतु टैण्ट इत्यादि की व्यवस्था हर समय उपलब्ध रखते हुये इन्हें चैक भी करना।

आपदा की स्थिति में कार्ययोजना का उद्देश्यः–

- विद्युत व्यवस्था बहाल करना तथा यह सुनिश्चित करना कि समस्त क्षेत्रों, सेवाओं को निरन्तर विद्युत आपूर्ति हो।

आपदा की सूचना अथवा आपदा की स्थिति में अनुक्रियात्मक कार्यवाहीः–

- विद्युत आपूर्ति हेतु एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जायेगा।
- महत्वपूर्ण विभागों यथा–अस्पताल, जल संस्थान, कलक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन, दूरसंचार में जनरेटर की व्यवस्था हो।
- अस्थाई कामगारों/मजदूरों, आवश्यक उपकरणों सहित प्रभावित क्षेत्र/क्षेत्रों में पहुंचना।
- हाईटेंशन लाईन, टावर, उपखण्डों, ट्रांसफार्मर, ईंसुलेटर, पोल तथा अन्य उपकरणों को चैक करना।

- बाधित विद्युत व्यवस्था व विद्युत लाईनों की पुर्नबहाली का कार्य करना।
- अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ विद्युत आपूर्ति हेतु किये जा रहे सुरक्षात्मक कार्य, कार्यवाहियों व आपदा के पश्चात किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना।
- जिला अधिकारी महोदय अथवा अधिकारी विद्युत विभाग द्वारा यदि निर्देशित किया जाय तो क्षेत्र विशेष की सप्लाई डिस्कनैक्ट कर प्रभावित क्षेत्र/लाईन में पुर्नबहाली कार्य।
- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए कार्मिकों को कार्य योगदान हेतु आदेश पारित करें, तो अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तत्काल कार्य योगदान देना।

राहत एवं पुनर्वासः–

उपखण्ड की प्राथमिकताएंः–

- फील्ड कर्मचारियों सहित अस्थाई मजदूरों को आपदा की स्थिति में क्षतिग्रस्त पोलों को हटाने सहित विद्युत कन्डक्टर्स व इन्सुलेटर्स को सुरक्षित रखने हेतु भेजना।
- बाधित क्षेत्र में मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य किया जाय।
- यदि आवश्यक हो तो अस्पतालों की विद्युत बहाली का कार्य प्राथमिकता में किया जाय।
- स्थापित अस्थाई शिविरों, आपूर्ति केन्द्रों, नियंत्रण कक्षों, राहत सामग्री भण्डारण केन्द्रों सहित जनसुविधाओं सम्बन्धी विभागों यथा–पेयजल हेतु अस्थाई/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना।
- क्षति का विवरण प्राप्त कर मुख्य कार्यालय को प्रेषित करना।

मुख्य कार्यालय की प्राथमिकताएंः–

- विद्युत आपूर्ति बहाली हेतु केबल, पोल, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरण भेजना।
- आवश्यकता के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराना यथा–वाहन, उपकरण।
- अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता से जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराना।

SOP for Road Block

सड़क मार्गों के अवरूद्ध होने की स्थिति की जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र व लोक निर्माण विभाग/पीएमजीएसवाई/एडीबी द्वारा अपनाये जाने वाले क्रियान्वयन का विवरण

1–सड़क मार्ग अवरूद्ध पूर्व नियोजनः–

- सड़क मार्गों को सामान्य समय में नियमित रूप से मरम्मत करते रहना।
- विभागीय स्तर पर मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में की जाने वाली क्रियाओं का चरणबद्ध विवरण तैयार रखना।
- सड़क मार्गों को खोले जाने में सहायक ऐजेंसियों/संस्थाओं/ठेकेदारों इत्यादि का पूर्ण विवरण रखना।
- सड़क मार्गों को खोले जाने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों के उत्तरदायित्वों का पूर्व निर्धारण करना।
- जे0सी0बी0, लोडर्स, भारी वाहन व अन्य वाहनों में पर्याप्त मात्रा में ईंधन भरा हो।
- मार्गों को खोले जाने के निमित्त तैयार विभागीय कार्ययोजना को समय–समय पर अद्यतन करना।

2–सड़क अवरूद्ध होने की सूचना प्राप्त करनाः–

- सूचना किस माध्यम से प्राप्त की गयी है, का स्पष्ट ब्यौरा रखना, यथा–पुलिस नियंत्रण कक्ष, लोक निर्माण विभाग, राजस्व अथवा अन्य किसी अन्य स्तर से।
- सूचना देने वाले का नाम अथवा मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करना।
- सूचना का विवरण यथा–स्थान, मार्ग अवरूद्ध होने का कारण, फंसे वाहनों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट रूप से पंजिका में उल्लेख करना।
- पूर्ण सूचना प्राप्त न होने पर अन्य स्तरों से भी पूर्ण सूचना प्राप्त करने का प्रयास करना।

3–सड़क अवरूद्ध होने की सूचना का अग्रसारणः–

- प्राप्त सूचना प्रथमतः जिलाधिकारी महोदय (मुख्य आपदा प्रबन्धक) को अग्रसारित करते हुए प्राप्त निर्देशों का पालन करना।
- अपर जिला अधिकारी को दुर्घटना की सूचना अग्रसारित करें।
- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/पीएमजीएसवाई/एडीबी को सूचित करते हुए सम्बन्धित क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता को सूचना अग्रसारित करना।
- सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को मार्ग अवरूद्ध की पूर्ण जानकारी दें, ताकि तहसील स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर राजस्व उपनिरीक्षक को सूचना अग्रसारित करना।
- मार्ग अवरूद्ध का विवरण राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रेषित करना।
- सड़क मार्ग अवरूद्ध होने की स्थित में विभाग का प्रथम उद्देश्य सड़क मार्ग को आवागमन की दृष्टि से सामान्य बनाना है।

4– सड़क मार्ग अवरूद्ध की सूचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

- समस्त अधिकारी एवं कार्मिक जिला अधिकारी महोदय के नियंत्रण/निर्देशन में कार्य करेंगे।

- अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवरूद्ध मार्ग को खोले जाने हेतु समीक्षा करना।
- मार्ग अवरूद्ध होने वाले स्थल हेतु एक नोडल अधिकारी–लोनिवि तैनात करना।
- यातायात के दृष्टिगत् सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण करते हुए वाहनों को पुलिस विभाग, होमगार्ड व पी0आर0डी0 की सहायता से वैकल्पिक मार्ग की ओर डायवर्ट करना तथा यातायात व सुरक्षा बनाये रखना।
- अवरूद्ध मार्ग स्थल के समीपस्थ उपलब्ध जे0सी0बी0, भारी वाहन/लोडर्स, अतिरिक्त लेबर, आवश्यक उपकरण व मशीनों को अवरूद्ध मार्ग को खोले जाने हेतु भेजना।
- यथा आवश्यकता जे0सी0बी0 व अन्य मशीनों हेतु निकटवर्ती ऐजेंसियों, ठेकेदारों व संस्थानों से सम्पर्क कर मार्ग सुचारीकरण हेतु भेजना।
- अवरूद्ध मुख्य मार्ग पर कार्यरत अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा तत्परता से मार्ग सुचारीकरण की कार्यवाही करना।
- मार्ग सुचारीकरण के दौरान मलबे का उचित निस्तारण करना।
- सभी तकनीकि अधिकारी द्वारा कार्यरत फील्ड कर्मियों से निरन्तर समन्वय बनाये रखना।
- मार्ग सुचारीकरण के दृष्टिगत् यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें तो कार्मिकों द्वारा कार्ययोगदान।
- मार्ग सुचारू होने पर तत्काल इसकी सूचना जिला अधिकारी महोदय, नोडल अधिकारी–लोनिवि को अग्रसारित करना।
- मार्ग सुचारीकरण की सूचना अपर जिलाधिकारी, पुलिस विभाग, उपजिलाधिकारी व जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अग्रसारित करना।
- प्रभारी अधिकारी लोनिवि द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आपदा के पश्चात मार्ग पर वाहनों का सुरक्षित आवागमन हो सके।
- पुनः मार्ग अवरूद्ध होने की संवेदनशीलता के दृष्टिगत् जे0सी0बी0, भारी वाहन व मशीनें समीपस्थ सुरक्षित स्थान पर रखना।
- आपदा के पश्चात मार्गों पर तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य करना।
- ऐसे स्थल जहां पर कार्य चल रहा हो, को प्लास्टिक सीट इत्यादि से भलीभांति ढकना।

SOP for Road Accident

सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र व अन्य सम्बन्धित स्तरों द्वारा अपनाये जाने वाले क्रियान्वयन का विवरण

सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त करनाः–

- सूचना किस माध्यम से प्राप्त की गयी है, का स्पष्ट ब्यौरा रखना, यथा– पुलिस नियंत्रण कक्ष, 108 सेवा अन्य किसी अन्य स्तर से।
- सूचना देने वाले का नाम अथवा मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करना।
- सूचना का विवरण यथा–स्थान, वाहन प्रकार, व्यक्तियों की संख्या इत्यादि का स्पष्ट रूप से पंजिका में उल्लेख करना।
- पूर्ण सूचना प्राप्त न होने पर अन्य स्तरों से भी पूर्ण सूचना प्राप्त करने का प्रयास करना।

सड़क दुर्घटना सूचना का अग्रसारणः–

- प्राप्त दुर्घटना की सूचना जिलाधिकारी महोदय (मुख्य आपदा प्रबन्धक) को अग्रसारित करते हुए प्राप्त निर्देशों का पालन करना।
- पुलिस अधीक्षक/निकटवर्ती पुलिस थाना को खोज–बचाव दल की मय खोज–बचाव उपकरणों के रवानगी हेतु सूचना अग्रसारित करना।
- अपर जिला अधिकारी को दुर्घटना की सूचना अग्रसारित करना।
- नदी तट के समीप अथवा दुर्घटना में वाहन के नदी में डूबने पर निकटस्थ जल पुलिस/गोताखोर दल को सूचित करना।
- स्वास्थ्य विभाग/मुख्य चिकित्साधिकारी सहित 108 सेवा तथा समीपस्थ स्वास्थ्य केन्द्र को दुर्घटना स्थल पर मय औषधियों व जीवनरक्षक दवाओं के तुरन्त रवानगी हेतु सूचित करना।
- सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व उप निरीक्षक को घटना की पूर्ण जानकारी देना तथा तहसील स्तर पर कार्मिक खोज–बचाव उपकरणों के घटना स्थल की ओर रवाना होना।
- यथा आवश्यकता निकटस्थ सेना, अथवा एसडीआरएफ को सूचित करना।
- यदि घटना स्थल तक पहुंच में कोई अवरोध है तो इस विषयक लोक निर्माण विभाग/सीमा सड़क संगठन को सुचारीकरण हेतु सूचित करना तथा यथा आवश्यकता वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना।
- परिवहन विभाग को तद्नुसार वाहन विषयक सूचनाओं की जानकारी हेतु सूचित करना।
- प्राप्त दुर्घटना का विवरण राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रेषित करना।

दुर्घटना स्थल हेतु पुलिस व राजस्व आपदा टीम की रवानगीः–

पुलिस व राजस्व विभाग की आपदा प्रबन्धन टीम द्वारा उपलब्ध खोज–बचाव उपकरणों को लेकर मय वाहन घटना स्थल पर पहुंचना–

- कैरावीनर– यह ऐंकर लेने के काम आता है। यह एक अटैच डिवाइज है।
- डिसेण्डर–यह उपकरण चट्टानों पर रस्सी की मदद से नीचे उतरने में प्रयोग होता है।
- हैलमैट– सिर को सुरक्षित रखने के लिए।

- रोप– रोप बांधने, नीचे उतरने, ऊपर खींचने में प्रयोग होती है।
- सीट हार्नेस– चढ़ने उतरने में बैल्ट की जगह बांधी जाने पर व्यक्ति को सुरक्षित रखती है।
- मनीला रोप– जूट कॉटन की बनी मोटी रस्सी होती है, जो बहुउपयोगी होती है। (कैरी मैट)– बिछाये जाने के काम आती है।
- रॉक पिटोन– चट्टान में हैमर की सहायता से बनावटी एंकर बनाया जाता है।
- फ्रैण्ड्स और चॉकनट– चट्टानों में बनावनी ऐंकर बनाये जाने के काम आता है।
- स्ट्रैचर– घायलों को लाने लेजाने के काम आता है।
- लाईफ जैकेट– पानी वाले स्थलों पर खोज–बचाव कार्य करने के लिए।
- पंचू– बरसात में पानी से बचते हुए राहत कार्य में काम आता है।
- जुमार व माउण्टेन पुली– स्ट्रेचर पर घायलों को ऊपर लाने में काम आता है।
- टेप सीलिंग– स्ट्रेचर या सीट हार्नेस को बांधने में काम आती है।
- टॉर्च– अंधेरे में रोशनी हेतु काम आती है।
- मिटन– ग्लब्स रस्सियों की रगड़ से हाथों को बचाते हैं।
- मल्टीपरपज नाईफ– मल्टी परपज चाकू में स्वीजर, स्क्रू ड्राईवर, ऑपनर का कार्य भी किया जाता है।
- लाईफ ब्वाय– डूबते व्यक्ति को बचाने के काम आता है।
- बोट– पानी में आने–जाने व खोज बचाव काम में उपयोगी।
- क्रेन– वाहनों को खाई से निकालने में उपयोगी।

<u>राहत व खोज–बचाव कार्यः–</u>

- घटना स्थल पर खोज बचाव कार्य करते हुए प्रभावित व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित रखने के प्रयास करना।
- प्रभावितों में बच्चों, महिलाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को प्राथमिकता में राहत पहुंचाना।
- समस्त खोज–बचाव व राहत कार्य के दौरान सड़क मार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए सुचारू/बिना किसी अवरोध के रखना।
- स्थल पर भण्डारण व अस्थाई केन्द्र सहित उचित सुरक्षा प्रदान करना।
- स्थल पर स्थापित अस्थाई संचार केन्द्र का निरन्तर समीपवर्ती चौकी/थाने व चिकित्सालय से सम्पर्क में बना रहना।
- राहत कार्य में लगी सेना अथवा एस0डी0आर0एफ0 के साथ सामन्जस्य से कार्य करना।
- समस्त खोज–बचाव कार्य तथा स्थिति से जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करना तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
- स्थल पर वीवीआईपी/वीआईपी के स्थलीय निरीक्षण के लिए आने पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था रखना।
- किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकता को पुस्तांकित कर अग्रसारित करना।

<u>शान्ति व्यवस्था कायम रखनाः–</u>

- दुर्घटना स्थल पर पुलिस कार्मिकों के द्वारा खोज–बचाव में व्यवधान न हो, के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखी जायेगी। इस हेतु होमगार्ड, पीआरडी व स्थानीय स्वयंसेवकों की सहायता ली जा सकती है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक क्रियाएंः–

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा प्रबन्धन अथवा अन्य किसी भी स्तर से सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नोडल अधिकारी होंगे तथा समस्त कार्यवाहियों की जानकारी समय–समय पर जिला अधिकारी महोदय को अवगत करायेंगे।

- सिविल सर्जन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- ऐसी सभी मेडिकल किट/औषधियां उपलब्ध रखी जांय, जिनका स्थल पर प्रभावितों के प्राथमिक उपचार/चिकित्सा में उपयोग होना है तथा आवश्यकतानुसार औषधियों का अतिरिक्त भण्डारण हुआ हो।
- स्थल पर उपलब्ध अथवा उपलब्ध हो सकने वाले वाहनों में डीजल–ईंधन पूर्ण रूप से भरा गया हो।
- स्वास्थ्य विभाग की टीम मय औषधियों/मेडिकल किट/जीवन रक्षक उपकरणों के मय वाहन स्थल पर तुरन्त पहुंचेगी।

स्थल पर उपकरणों की उपलब्धता एवं आपूर्तिः–

- Collecting Bag
- Collecting forms
- Mouth or battery powered aspirators
- Tea strainer
- Flashlight and spare batteries
- Grease pencil
- Memo Pad
- Sweep net
- Pencil
- Tweezers
- White enameled dipper
- Key and other references
- Labels
- CDC light traps (optional)
- Collecting vials
- Aedes aegypti ovitraps (optional)
- Bulb syringe or medicine dropper
- Fl grill
- Mirror
- Teching aids
- Transfer bags
- Plastic bags
- Vials
- Plastic cups
- Alcohol
- Rubber Bands
- Forceps
- Scissors
- Insecticide dusting pan
- Snap Traps
- Formaldehyde
- Live traps
- Acute rodenticides
- Gloves
- Anticoagulant rodenticides

- Flashlights and batteries

सामग्री एवं उपकरणः–

स्थल से स्पष्ट सूचना प्राप्त न होने पर आपातकालीन चिकित्सा दल द्वारा घटना स्थल की ओर निम्न सामग्री एवं उपकरणों की कम से कम मात्रा की किट ले जायी जायेगी–

- Equipment for pediatric intravenous use- 36
- Tensiometers for children and adults- 12
- Assorted ferrules- 2 boxes
- Tracheal cannulae- 36
- Set of laryngoscopes for infants, children, and adults- 1 of each
- Endotracheal tubes, No. 7 Murphy- 36
- Endotracheal tubes, No. 8- 36
- Nasogastric probes- 36
- Oxygen masks, for adults and children- 3
- Large scissors for cutting bandages- 3
- Plastic linings- 60
- Phonendoscopes- 15
- Trancheotomy set- 6
- Thorachotomy set- 6
- Venous dissection set- 6
- Set for small sutures- 12
- Bottles for drainage of thorax- 10
- Hand scissors, No. 4- 6
- Syringes (disposable) x 2cc- 60
- Syringes (disposable) x 10 cc- 90
- Syringes (disposable) x 50 cc- 60

एम्बुलेंस में उपलब्धताः–

मौके की ओर रवाना होने वाली एम्बुलेंस में निम्न औषधियों/सुविधाओं का बाढ़ स्थल की आवश्यकता के अनुसार होना आवश्यक हैः–

- Oxygen, Oxygen mask, and manometer
- Stretchers and blankets
- Emergency first aid kit
- Suction equipment supplies for immobilizing fractures
- venoclysis equipment
- Drugs for emergency use
- Minimal equipment for resuscitation maneuvers
- Power sprayers
- Hand pressured sprayers capacity 20-30 litres
- Dusters (Hand operated, plunger type)
- Dusters, Power-operated
- Space sprayer

प्रभावितों हेतु व्यवस्थाः–

एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रभावितों हेतु पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गयी है।

घटना स्थल पर प्राथमिकतायें–

दुर्घटना स्थल पर चिकित्सकीय कार्य प्रारम्भ करना।

स्थल पर टैगिंगः–

लाल– चिकित्सकीय दल द्वारा लाल टैग प्रथम वरियता वाले वाले घायलों को लगाया जायेगा, जिनकी स्थिति नाजुक और प्रमुख अंग अस्थिर हो गये हैं। ऐसे घायलों को तुरन्त चिकित्सा प्रदान करेंगे। चिकित्सकीय दल द्वारा ऐसे घायलों के घावों से बह रहे खून को नियंत्रित करना चाहिए तथा

उन्हें सदमें की स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। बेहोश पडे व्यक्ति को होश में लायेंगे तथा तुरन्त अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जायेगी। प्रथम वरियता में ऐसे घायलों को रखा जायेगा, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तथा आपदा स्थल पर उपचार सम्भव न हो, बहुत अधिक खून बह चुका हो।

हरा– पीला टैग दूसरी वरियता वाले घायलों को लगाया जायेगा, जिनकी स्थिति चिन्ताजनक परन्तु प्रमुख अंग काम कर रहे हैं। ये वो घायल होते हैं, जिन्हें तात्कालिक जोखिम नहीं है परन्तु उन्हें तुरन्त इलाज की आवश्यकता है और बिना सहायता के उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है। तुरन्त अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जायेगी। द्वितीय प्राथमिकता में ऐसे घायलों को भी सम्मिलित किया जायेगा जो तीस फीसदी से अधिक जले हों, खून बह रहा हो, नाक या कान के रास्ते तरल पदार्थ का निकलना, उल्टियां होना, 60 से कम नाडी का चलना, आंखों में सूजन या आंखों के नीचे चोट लगना, जो कमजोर प्रतिक्रिया दे रहे हों।

पीला– हरा टैग ऐसे घायलों को लगाया जायेगा जिन्हें हल्की फुल्की चोट लगी है और चलने की स्थिति में होते हैं।

काला– काला टैग मृत व्यक्ति को लगाया जायेगा।

राहत एवं घायलों को रैफर करनाः–

- गम्भीर घायलों को रैफर करना। यदि सड़क मार्ग अवरूद्ध हों तो लोक निर्माण विभाग व पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वैकल्पिक मार्ग का चयन करना अथवा हॉलिकाप्टर हेतु आपदा प्रबन्धक जिला अधिकारी महोदय को अविलम्ब सूचित करना।
- समीपवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ऐसे केन्द्र/हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों/कार्मिकों को समस्त औषधियों/जीवन रक्षक दवाओं को अद्यतन रखने हेतु सूचित करना।
- घायलों के उपचार के दौरान उनकी यथा सम्भव पूर्ण जानकारी तथा दी गयी स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण रखना।
- पुलिस कार्मिकों के सहयोग से घायलों को सुरक्षा प्रदान करना।
- उपलब्ध सूचनाओं को पुलिस खोज–बचाव दल के साथ सांझा करना।
- स्थल से ऐसे प्रभावितों को तत्काल उनके गन्तव्य की ओर रवाना किया जाय, जिन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सेवा की आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य शिविर स्थापित करना–

- यथा आवश्यकता सुरक्षित स्थल पर स्वास्थ्य शिविर स्थापित करते हुए चिकित्सा कार्य करना।
- शिविर में जीवन रक्षक दवाओं, औषधियों सहित पूर्ण व्यवस्था रखना।
- शिविर में दक्ष स्वास्थ्य दल का रहना।
- शिविर में रखे गये प्रभावितों का नाम, पिता का नाम, ग्राम, उम्र इत्यादि का विवरण रखना तथा घायलों हेतु उचित व्यवस्था करना।
- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य टीम के साथ शल्य चिकित्सक का होना।
- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक समस्त सेवाओं की उपलब्धता रखना।
- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर डिस्पोजल किये जाने वाली दवाओं/सुईयों को डिस्पोज किये जाने की उचित व्यवस्था करना।

समीपवर्ती/मुख्य चिकित्सालय/अस्पताल पर प्राथमिकतायें–

- दुर्घटना स्थल पर आवश्कता पड़ने पर दवाईयां अथवा अन्य स्वास्थ्य सामग्री भिजवाना।
- अतिरिक्त खून की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- आवश्यकता पड़ने पर वाहन अथवा स्वास्थ्य उपकरणों को भिजवाना।
- हायर सेन्टर रैफर होने वाले घायलों को तत्काल रैफर करना।
- आपातकालीन जनरेटर को चैक कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें ईंधन प्रयाप्त मात्रा में भरा/स्टोर किया गया है। यदि जनरेटर न हो तो तत्काल इसकी व्यवस्था कर ली जाय।
- डॉक्टर्स, नर्स, ड्रैसर्स की टीम व आपातकालीन स्टाफ हर समय उपस्थित रहे।
- स्थल से जिन गम्भीर घायलों को चिकित्सालय के लिए रैफर किया गया हो, उन्हें चिकित्सालय में भूतल पर ही समुचित सुविधाओं वाले सुरक्षित कक्ष में भर्ती किया जाय।
- ऐसे कक्षों में मोमबत्ती, माचिस, लालटेन सहित अतिरिक्त कपड़े की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
- कक्ष में सर्जिकल पैक सहित डिस्पोजल की जाने वाली औषधियों के डिस्पोजल की उचित व्यवस्था हो।
- चिकित्सालय में सदैव आगामी 5–6 दिनों तक प्रयोग हेतु समुचित मात्रा में औषधियां/मेडिकल किट/जीवन रक्षक दवाओं के भण्डारण हेतु उचित व्यवस्था हो।
- चिकित्सालय में सभी आपातकालीन मशीनों जैसे एक्स–रे मशीन इत्यादि की उचित सुरक्षा व रखरखाव हो तथा सभी उपकरण सही व चालू स्थिति में रहें।
- यदि घायलों की शल्य चिकित्सा की जानी हो तो आपातकालीन गैस (आक्सीजन) इत्यादि की उचित व्यवस्था हो।
- अस्पताल में पानी के संरक्षण के टंकियों की व्यवस्था हो तथा पानी निकासी का भी उचित प्रबन्धन होना चाहिए। पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।
- मृतकों के शवों को रखे जाने व पोस्टमार्टम की कार्यवाही करना।

सूचनाओं का आदान–प्रदानः–

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सभी सम्बन्धितों से सूचनायें प्राप्त करते/सुनते हुए दुर्घटनास्थल पर चलाये जा रहे खोज बचाव एवं राहत कार्य की जानकारी प्राप्त करते हुए स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सूचनाओं से जिला अधिकारी महोदय/अपर जिला अधिकारी/राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र सहित सम्बन्धित राजस्व विभागीय अधिकारियों को अवगत कराते हुये सूचनायें पुस्तांकित करना।

SOP for Departments

1- Power Corporation

विद्युत विभाग हेतु आपदा अनुक्रिया मानक प्रणाली

नियोजनः–

- सामान्य समय में सेवाओं का उच्चतम स्तर बनाये रखना तथा निरन्तर सेवाओं हेतु मशीनों का मरम्मतीकरण करना।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान काफी हद तक समुदाय की सहभागिता को अमल में लाते हुए विभाग द्वारा ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों/विद्युत लाईनों को सूचीबद्ध करना।
- प्रभावी पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विभाग द्वारा आपदा अनुक्रिया योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें समस्त विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु स्पष्ट निर्देश हों।
- विभागीय स्तर पर तैयार आपदा अनुक्रिया योजना की जानकारी समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को देना तथा इस पर अभ्यास करना, ताकि आपदाओं के दौरान विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
- विभागीय योजना में उल्लिखित ऐसे उपाय, सुझाव जो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाये जाने से सम्बन्धित हो पर अमल किया जाना चाहिए।

सामान्य काल की क्रियाएंः–

- विभागीय तैयारियों का स्तर तथा आख्या प्रत्येक छः माह में अद्यतन की जाय।
- विभागीय वाहन मय ईंधन के तैयार रखे जांय।
- प्रत्येक उपखण्ड पर आवश्यक सामग्री यथा–कम्प्रेशिव केबल कटर, पुली ब्लॉक्स, जंगल चाकू, हथौड़ा, सब्बल, रस्सा, आरी, कामगारों हेतु टैण्ट इत्यादि की व्यवस्था हर समय उपलब्ध रखना।

आपदा की स्थिति में कार्ययोजना का उद्देश्यः–

- विद्युत व्यवस्था बहाल करना तथा सुनिश्चित करना कि समस्त क्षेत्रों, सेवाओं को निरन्तर विद्युत आपूर्ति हो।

आपदा की सूचना अथवा आपदा की स्थिति में अनुक्रियात्मक कार्यवाहीः–

- विद्युत आपूर्ति हेतु एक प्रभारी अधिकारी नामित करना।
- फील्ड कर्मचारियों सहित अस्थाई मजदूरों को आपदा की स्थिति में मय वाहन एवं उपकरणों के बाधित क्षेत्र में भेजना।
- हाईटेंशन लाईन, टावर, उपखण्डों, ट्रांसफार्मर, ईंसुलेटर, पोल तथा अन्य उपकरणों को चैक किया जाय।

➢ क्षतिग्रस्त पोलों को हटाने सहित विद्युत कन्डक्टर्स व इन्सुलेटर्स को सुरक्षित रखने व बाधित क्षेत्र में मरम्मत/पुर्नबहाली कार्य करना।

➢ समस्त खण्डों व उपखण्डों से पूर्ण क्षति का विवरण प्राप्त किया जाय।

➢ आवश्यक हो कि अस्पतालों की विद्युत बहाली का कार्य प्राथमिकता में करना।

➢ अन्य जनसुविधाओं सम्बन्धी विभागों यथा–पेयजल हेतु वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करना।

➢ स्थापित अस्थाई शिविरों, आपूर्ति केन्द्रों, राहत शिविरों, नियंत्रण कक्षों, राहत सामग्री भण्डारण केन्द्रों में अस्थाई/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना।

➢ समस्त विवरण को मुख्य कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

➢ क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों व कामगारों हेतु रहने की व्यवस्था करना।

➢ यथा आवश्यकता यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए कार्मिकों द्वारा तत्काल कार्य योगदान।

➢ विद्युत आपूर्ति व मरम्मतीकरण कार्य की सूचना से जिला अधिकारी महोदय व जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करना।

➢ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ विद्युत आपूर्ति हेतु किये जा रहे सुरक्षात्मक कार्य, कार्यवाहियों व आपदा के पश्चात किये गये कार्यों की समीक्षा करना।

➢ पुर्नबहाली के पश्चात समस्त उकपरणों को चैक कर सुरक्षित रखना।

➢ जिला अधिकारी महोदय अथवा अधिकारी विद्युत विभाग द्वारा यदि निर्देशित किया जाय तो क्षेत्र विशेष की सप्लाई डिस्कनैक्ट की जाय तथा तत्काल फील्ड कर्मचारियों को मय उपकरणों के प्रभावित क्षेत्र/लाईन की ओर जाना।

मुख्य कार्यालय की प्राथमिकताएंः–

➢ जिलाधिकारी महोदय अथवा नोडल अधिकारी के निर्देश पर विद्युत आपूर्ति बहाली हेतु वाहन, केबल, पोल, ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरण भेजना।

➢ व्यय विवरण अथवा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता विषयक विवरण जिला अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करना।

चैक लिस्टः–

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
Standby arrangements for temporary electric supply or generators made for- Hospitals Jal Sansthan Collectorate Police Stations Post and Telegraph Transit Camp Control Rooms Feeding Centres Relief camps		

Godown for storing relief materials Access road		
Inspection and repairs if indeed, carried out for- High tension lines, Towers Substations Transformers Insulators Poles		
Clearing of damaged poles carried out		
Salvage of conductors and insulators done		
Emergency accommodations undertaken for staff from outside the area		
An itemised damage assessment carried out		

2- Police Dept.

पुलिस विभाग हेतु आपदा अनुक्रिया मानक प्रणाली

नियोजनः–

- प्रभावी पूर्व तैयारी के दृष्टिगत पुलिस विभाग द्वारा आपदा अनुक्रिया योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें समस्त विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु स्पष्ट निर्देशों का उल्लेख करना।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान समुदाय की सुरक्षा निहित करना।
- अधिकारियों एवं कार्मिकों को आपदाओं के दौरान किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रदान की जाय व समय–समय पर इस विषयक अभ्यास करना।
- विभागीय स्तर पर तैयार आपदा अनुक्रिया योजना की जानकारी समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को दी जाय तथा इस पर अभ्यास करना, जिससे आपदाओं के दौरान विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा विशेष कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
- विभागीय योजना में उल्लिखित ऐसे उपाय, सुझाव जो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाये जाने से सम्बन्धित हो पर अमल किया जाना।

सामान्य समय की क्रियाएंः–

- आपदा सम्भावित स्थलों का चिन्हांकन करना।
- कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखना।
- विभागीय वाहनों को मय ईंधन के सुरक्षित स्थानों पर रखना।

आपदा की सूचना अथवा आपदा की स्थिति में अनुक्रियात्मक कार्यवाहीः–

- घटना स्थल पर संचार तंत्र/वायरलैस सेट की स्थापना करना, जो जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के सम्पर्क में रहना।
- अस्थाई कामगारों/मजदूरों की व्यवस्था, आवश्यक उपकरणों व अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता से जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराना।
- आपदा पश्चात किये जाने वाले कार्यों की विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों के साथ समीक्षा करना तथा समस्त उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- खाद्य सामग्री भण्डारण व वितरण केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रखना।
- असामाजिक तत्वों की पहचान करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना तथा महत्वपूर्ण भवनों व संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करना।
- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित थाना अथवा विशेष क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें तो कार्मिकों द्वारा कार्ययोगदान।

निकासीः–

जिला अधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के पालन में आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित मार्ग/वैकल्पिक मार्ग द्वारा क्षेत्र विशेष से समुदाय की निकासी करना, जिसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त करना।

राहत एवं पुनर्वासः–

- आपदा घटित होने के पश्चात तत्काल क्षेत्र विशेष के जन समुदाय की जीवन सुरक्षा व सहायता के लिए अधिकारियों व कार्मिकों को मय खोज बचाव उपकरणों के भेजना।
- गम्भीर घायलों को चिकित्सकीय सहायता के लिए वाहन व्यवस्था कर चिकित्सा केन्द्र के लिए रैफर करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आपदा के पश्चात तत्काल सभी पुलिस स्टेशन सक्रिय रहें।
- अवरूद्ध सड़क मार्गों को खोले जाने हेतु की जा रही कार्यवाही में सहायता प्रदान करना।
- बाहर से आये हुये वाहन यात्री अथवा क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों को आपदा ग्रस्त क्षेत्र से न गुजारते हुए अन्य सुरक्षित मार्ग की ओर डायवर्ट करना।
- ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपदा क्षेत्र में जाम की समस्या समाप्त करना। इस सम्बन्ध में आपदा क्षेत्र के बन्द व वैकल्पिक मार्गों की जानकारी रखना।
- राहत शिविरों, प्रभावित गांवों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों को सुरक्षा प्रदान करना।
- क्षेत्र में आने वाले वीवीआईपी व वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना।
- आपदाग्रस्त क्षेत्र में जमाखोरों, काला बाजारी करने वालों पर नियंत्रण करना।
- अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ सामन्जस्य बनाते हुए क्षेत्र विशेष में सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावितों का विवरण, मृतकों का विवरण, शिकायतों का निवारण करना, अफवाओं पर नियंत्रण व आमजनमानस को सुरक्षा प्रदान करना।
- शवों के पोस्टमार्टम इत्यादि कार्य में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना।
- सैन्य व अर्द्ध सैन्य बलों के साथ सामान्जस्य से राहत कार्य करना।
- आख्या सहित अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता यदि हो तो विवरण जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत करना।

चैक लिस्टः–

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
An officer appointed as Officer in charge Police		
Police Stations are functioning immediately after the disaster at all required locations as requested by Control Room		
Anti social elements identified. Precautionary measures for confidence building taken		
Community assisted in organising emergency transport of seriously injured to medical treatment centres		
Community assisted in road clearing operations		
Overall traffic management and patrolling on all highways and other access roads to disaster site being carried out		

The following roads have been identified- to be made on way to be blocked alternative routes		
Transport carrying transit passengers (that is, passengers travelling through trains or buses and passing through the affected district), are diverted away from the disaster area		
Security being provided in- transit camps feeding centres relief camps cattle camps affected areas hospitals and medical centres Areas to be cordoned off identified		
Guards provided for supply depots such as cooperative food stores and distribution centres		
Security arrangements provided for visiting VVIPs and VIP		
District authorities assisted for taking necessary action against voarders, black marketers and those found manipulating relief meterial		
A public information centre activated		
Officers made avialable to inquire into and record deaths		
Coordination with military and para military personnel in the area being carried out		

3- Health Dept.

स्वास्थ्य विभाग हेतु आपदा अनुक्रिया मानक प्रणाली

1–नियोजनः–

- सामान्य समय में सेवाओं को अद्यतन रखा जाय तथा उपकरणों को चालू स्थिति में रखा जाय, ताकि आपदाओं के दौरान उचित प्रतिवादन हो सके।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान समुदाय की सुरक्षा निहित करना।
- विभागीय स्तर पर तैयार आपदा अनुक्रिया योजना की जानकारी समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को दी जाय तथा इस पर अभ्यास करना, ताकि आपदाओं के दौरान विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा विशेष कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
- अधिकारियों एवं कार्मिकों को आपदाओं के दौरान किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रदान की जाय व समय–समय पर इस विषयक अभ्यास करना।
- आपदाओं की स्थिति में प्रत्येक अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवाओं विषयक स्पष्ट निर्देश उपलब्ध हों तथा सुविधाओं, उपकरणों सहित इसकी जानकारी समस्त कार्मिकों को होना।
- विभागीय योजना में उल्लिखित ऐसे उपाय, सुझाव जो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाये जाने से सम्बन्धित हो पर अमल किया जाना।
- प्रत्येक अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र पर मय ईंधन के जनरेटर स्थापित रखना।
- प्रत्येक अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं के सग्रहण हेतु रेफ्रीजरेटर उपलब्ध होना।

2–आपदा अनुक्रिया योजना का उद्देश्यः–

- तत्काल प्रभावी चिकित्सा सेवा प्रदान करना।
- महामारी के प्रकोप को रोकना।

3–सामान्य काल की क्रियाएंः–

- अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के कार्मिक जागरूक हों कि उनके स्वास्थ्य केन्द्र का भवन/संरचना सुरक्षित है।
- अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों की औद्योगिक क्षेत्रों के निकट होने की स्थिति में विभिन्न उद्योगों से रासायनिक डाटाशीट प्राप्त करना।
- स्थल पर उपलब्ध अथवा उपलब्ध हो सकने वाले विभागीय वाहनों में डीजल–ईंधन पूर्ण रूप से भरा गया हो।
- सभी मेडिकल किट/औषधियां उपलब्ध रखना, जिनका आपदा के पश्चात प्राथमिक उपचार/चिकित्सा में उपयोग होना है।
- औषधियों का अतिरिक्त भण्डारण करना ,जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध कराना।

आपदा प्रबन्धन द्वारा चेतावनी जारी होने पर स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा अनुक्रियात्मक कार्यवाहीः–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं के नोडल अधिकारी तथा सिविल सर्जन प्रभारी अधिकारी होंगे तथा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों का पालन करना।
- यदि स्वास्थ्य सेवा कार्यों हेतु अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी की आवश्यकता हो तो, जिला अधिकारी महोदय को इस सम्बन्ध में अवगत कराना।
- स्वास्थ्य विभाग की टीम मय औषधियों/मेडिकल किट/जीवन रक्षक उपकरणों के स्थल पर मय वाहन तुरन्त पहुंचेगी तथा जिला अधिकारी महोदय द्वारा जानकारी चाहने पर अवगत कराना।
- समीपवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ऐसे केन्द्र/हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों/कार्मिकों को तत्काल घटना की जानकारी देना तथा समस्त औषधियों/जीवन रक्षक दवाओं को अद्यतन रखे जाने हेतु निर्देशित करना।
- यदि जिला अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों/अधिकारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं तो कार्मिकों द्वारा कार्य योगदान।

स्थल पर उपकरणों की उपलब्धता एवं आपूर्तिः–

- Collecting Bag
- Collecting forms
- Mouth or battery powered aspirators
- Tea strainer
- Flashlight and spare batteries
- Grease pencil
- Memo Pad
- Sweep net
- Pencil
- Tweezers
- White enameled dipper
- Key and other references
- Labels
- CDC light traps (optional)
- Collecting vials
- Aedes aegypti ovitraps (optional)
- Bulb syringe or medicine dropper
- Fl grill
- Mirror
- Teching aids
- Transfer bags
- Plastic bags
- Vials
- Plastic cups
- Alcohol
- Rubber Bands
- Forceps
- Scissors
- Insecticide dusting pan
- Snap Traps
- Formaldehyde
- Live traps
- Acute rodenticides
- Gloves
- Anticoagulant rodenticides
- Flashlights and batteries

सामग्री एवं उपकरणः–

स्थल से स्पष्ट सूचना प्राप्त न होने पर आपातकालीन चिकित्सा दल द्वारा घटना स्थल की ओर निम्न सामग्री एवं उपकरणों की कम से कम मात्रा की किट ले जाना–

- Equipment for pediatric intravenous use- 36
- Tensiometers for children and adults- 12
- Assorted ferrules- 2 boxes
- Tracheal cannulae- 36
- Set of laryngoscopes for infants, children, and adults- 1 of each
- Endotracheal tubes, No. 7 Murphy- 36
- Endotracheal tubes, No. 8- 36
- Nasogastric probes- 36
- Oxygen masks, for adults and children- 3
- Large scissors for cutting bandages- 3
- Plastic linings- 60
- Phonendoscopes- 15
- Trancheotomy set- 6
- Thorachotomy set- 6
- Venous dissection set- 6
- Set for small sutures- 12
- Bottles for drainage of thorax- 10
- Hand scissors, No. 4- 6
- Syringes (disposable) x 2cc- 60
- Syringes (disposable) x 10 cc- 90
- Syringes (disposable) x 50 cc- 60

एम्बुलेंस में उपलब्धताः–

मौके की ओर रवाना होने वाली एम्बुलेंस में निम्न औषधियों/सुविधाओं का बाढ़ स्थल की आवश्यकता के अनुसार होना आवश्यक हैः–

- Oxygen, Oxygen mask, and manometer
- Stretchers and blankets
- Emergency first aid kit
- Suction equipment supplies for immobilizing fractures
- venoclysis equipment
- Drugs for emergency use
- Minimal equipment for resuscitation maneuvers
- Power sprayers
- Hand pressured sprayers capacity 20-30 litres
- Dusters (Hand operated, plunger type)
- Dusters, Power-operated
- Space sprayer

प्रभावितों हेतु व्यवस्थाः–

एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रभावितों हेतु पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गयी है तथा पानी का भण्डारण उचित तरीके से किया गया है।

घटना स्थल पर प्राथमिकतायें–

स्थल पर टैगिंगः–

आपदा स्थल पर टैगिंग किये जाने से घायलों को रैफर किये जाने की प्राथमिकता तय होती है। टैगिंग से यह सुनिश्चित होता है कि किस घायल को प्राथमिकता में रैफर किया जाना है, किसे प्राथमिकता में तत्काल स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है, किसे उसके पश्चात स्वास्थ्य सेवा दी जानी है।

लाल– चिकित्सकीय दल द्वारा लाल टैग प्रथम वरियता वाले वाले घायलों को लगाया जायेगा, जिनकी स्थिति नाजुक और प्रमुख अंग अस्थिर हो गये हैं। ऐसे घायलों को तुरन्त चिकित्सा प्रदान करेंगे। चिकित्सकीय दल द्वारा ऐसे घायलों के घावों से बह रहे खून को नियंत्रित करना चाहिए तथा उन्हें सदमें की स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। बेहोश पडे व्यक्ति को होश में लायेंगे तथा तुरन्त अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जायेगी। प्रथम वरियता में ऐसे घायलों को रखा जायेगा, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तथा आपदा स्थल पर उपचार सम्भव न हो, बहुत अधिक खून बह चुका हो।

हरा– पीला टैग दूसरी वरियता वाले घायलों को लगाया जायेगा, जिनकी स्थिति चिन्ताजनक परन्तु प्रमुख अंग काम कर रहे हैं। ये वो घायल होते हैं, जिन्हें तात्कालिक जोखिम नहीं है परन्तु उन्हें तुरन्त इलाज की आवश्यकता है और बिना सहायता के उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है। तुरन्त अस्पताल भेजने की व्यवस्था की जायेगी। द्वितीय प्राथमिकता में ऐसे घायलों को भी सम्मिलित किया जायेगा जो तीस फीसदी से अधिक जले हों, खून बह रहा हो, नाक या कान के रास्ते तरल पदार्थ का निकलना, उल्टियां होना, 60 से कम नाडी का चलना, आंखों में सूजन या आंखों के नीचे चोट लगना, जो कमजोर प्रतिक्रिया दे रहे हों।

पीला– हरा टैग ऐसे घायलों को लगाया जायेगा जिन्हें हल्की फुल्की चोट लगी है और चलने की स्थिति में होते हैं।

काला– काला टैग मृत व्यक्ति को लगाया जायेगा।

राहत एवं घायलों को रैफर करनाः–

वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा स्थल पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि घायलों को उचित तरीके से प्राथमिकता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा रहा है।

- गम्भीर घायलों को रैफर करना। यदि सड़क मार्ग अवरूद्ध हों तो लोक निर्माण विभाग व पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वैकल्पिक मार्ग का चयन करना अथवा हॉलिकाप्टर हेतु आपदा प्रबन्धक जिला अधिकारी महोदय को अविलम्ब सूचित करना।
- समीपवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ऐसे केन्द्र/हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों/कार्मिकों को तत्काल बाढ़ की जानकारी देना तथा समस्त औषधियों/जीवन रक्षक दवाओं को अद्यतन रखने हेतु सूचित करना।
- घायलों के उपचार के दौरान उनकी यथा सम्भव पूर्ण जानकारी तथा दी गयी स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण रखना।
- पुलिस कार्मिकों के सहयोग से घायलों को सुरक्षा प्रदान करना।
- उपलब्ध सूचनाओं को पुलिस खोज–बचाव दल के साथ सांझा करना।
- स्थल से ऐसे प्रभावितों को तत्काल उनके गन्तव्य की ओर रवाना किया जाय, जिन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सेवा की आवश्यकता नहीं है।

यथा आवश्यकता स्वास्थ्य शिविर स्थापित करना–

- स्थल के समीप सुरक्षित स्थल पर स्वास्थ्य शिविर स्थापित करना।
- शिविर में जीवन रक्षक दवाओं, औषधियों सहित पूर्ण व्यवस्था रखना।
- शिविर में दक्ष स्वास्थ्य दल के साथ शल्य चिकित्सक का होना।
- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक समस्त सेवाओं की उपलब्धता रखना।

- अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर डिस्पोजल किये जाने वाली दवाओं/सुईयों को डिस्पोज किये जाने की उचित व्यवस्था करना।
- गन्दे पानी के ठहराव की स्थिति में महामारी न फैले इस हेतु छिडकाव पावडर व इस उपचार हेतु आवश्यक औषधियों का उपयोग करना।
- शिविर में रखे गये प्रभावितों का नाम, पिता का नाम, ग्राम, उम्र इत्यादि का विवरण रखना तथा घायलों हेतु उचित व्यवस्था करना।

<u>समीपवर्ती/मुख्य चिकित्सालय/अस्पताल पर प्राथमिकतायें</u>–

- प्रबन्धक द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी के सम्पर्क में बना रहना।
- आवश्कता पड़ने पर दवाईयां अथवा अन्य स्वास्थ्य सामग्री भिजवाना।
- अतिरिक्त खून की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- आवश्यकता पड़ने पर वाहन अथवा स्वास्थ्य उपकरणों को भिजवाना।
- डॉक्टर्स, नर्स, ड्रैसर्स की टीम व आपातकालीन स्टाफ हर समय उपस्थित रहना।
- स्थल से जिन गम्भीर घायलों को चिकित्सालय के लिए रैफर किया गया हो, उन्हें चिकित्सालय में भूतल पर ही समुचित सुविधाओं वाले सुरक्षित कक्ष में भर्ती किया जाय।
- ऐसे कक्षों में मोमबत्ती, माचिस, लालटेन सहित अतिरिक्त कपड़े की भी व्यवस्था रखना।
- कक्ष में सर्जिकल पैक सहित डिस्पोजल की जाने वाली औषधियों के डिस्पोजल की उचित व्यवस्था रखना।
- चिकित्सालय में सदैव आगामी 5–6 दिनों तक प्रयोग हेतु समुचित मात्रा में औषधियां/मेडिकल किट/जीवन रक्षक दवाओं के भण्डारण हेतु उचित व्यवस्था रखना।
- चिकित्सालय में सभी आपातकालीन मशीनों जैसे एक्स–रे मशीन इत्यादि की उचित सुरक्षा व रखरखाव हो तथा सभी उपकरण सही व चालू स्थिति में रखना।
- अस्थि/हड्डी भंग से सम्बन्धित चिकित्सकीय उपकरण तैयार रखना।
- यदि घायलों की शल्य चिकित्सा की जानी हो तो आपातकालीन गैस (आक्सीजन) इत्यादि की उचित व्यवस्था रखना।
- कटे घावों और हड्डी टुटने से सम्बन्धित दवाओं यथा–toxoid, analgesics and antibiotics, डायरिया, प्रदूषित जल, फ्लू से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु दवाओं, जलने व संक्रमण को रोकने से सम्बन्धित दवाओं, सांस लेने सम्बन्धी उपकरणों सहित दवाओं, घावों पर लगाई जाने वाली दवा, सर्जिकल ड्रेसिंग, पट्टी, प्लास्टर रोल, डिस्पोजेबल सुंई और सीरिंज को आवश्यक मात्रा में रखना।
- अस्पताल में पानी के संरक्षण के टंकियों की व्यवस्था हो तथा पानी निकासी का भी उचित प्रबन्धन होना चाहिए तथा पीने के साफ पानी की व्यवस्था रखना।
- यदि मृतकों की संख्या अधिक हो तो अस्पताल में शवों को रखे जाने का उचित स्थान व प्रबन्धन होना।
- यदि अतिरिक्त धनावंटन की आवश्यकता हो तो जिला अधिकारी महोदय को अग्रसारित करना।

सूचनाओं का आदान–प्रदानः–

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा सभी सम्बन्धितों से सूचनायें प्राप्त करते/सुनते हुए दुर्घटनास्थल पर चलाये जा रहे खोज बचाव एवं राहत कार्य की जानकारी प्राप्त करते हुए स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए सूचनाओं से जिला अधिकारी महोदय/अपर जिला अधिकारी/राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र सहित सम्बन्धित राजस्व विभागीय अधिकारियों को अवगत कराते हुये सूचनायें पुस्तांकित करना।

(जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में ड्यूटी से जाने व ड्यूटी पर प्रतिस्थानी के आने पर उसे पूर्व सूचनाओं की जानकारी देकर जाना)

चैक लिस्टः–

Checklist for Hospitals-

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
The Civil surgeon designated as Officer in Charge Health Services		
The following emergency medical equipment are stocked- Drugs used in treatment of cuts and fractures, such as tetanus toxoid, analgesics and antibiotics. Drugs used for the treatment of diarrhoea, water borne diseases and flu (including oral rehydrating supplies). Drugs required to treat burns and fight infections Drugs needed for detoxication including breathing equipments		
Discharge of all ambulatory patients whose release does not pose a health risk to them carried out		
Non-ambulatory patients relocated within the hospital to the safest areas		
Equipment supplies such as candles, matches, lanterns and extra colothing provided for the comfort of the patients.		
Emergency Generator available		
adequate supplies of anesthetic gases for surgery cases available		
The hospital water stroage tanks were filled		
An Area of the hospital designated for receiving large numbers of casualties		
Emergency admissions- Procedures developed records maintained work sehedules to ensure theat adequate staff		
In house emergency medical teams to ensure that adequate saff available at all times to handle		

emergency casualties		
Emergency accommodations for medical personnel from outside the area provided for		
Security arrangements made at hospitals		
Public information centre established at the hospital		
The local police, rescue groups, and ambulance teams were aware of the resources of each hospital		

Checklist for Field Centers-

Action taken	Y/N	Details/Remarks
surgical packs assembled and sterilized		
Field staff knew tagging procedures		
Emergency admission- procedures developed records maintained work schedules to ensure that adequate staff		
Teams of doctors, nurses and dressers for visiting disaster sites set-up		
Transport for the transfer of seriously injured patients from villages and peripheral hospital to general hospitals available.		
Health facility and treatment centers established at disaster sites		
Water quality monitoring done at- transit camps relief camps feeding centers sources of water affected areas Epidemic surveillance is being done at- transit camps relief camps affected areas feeding centers		

4- Irrigation Dept.

सिंचाई विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक प्रणाली

नियोजन—

- विभाग द्वारा मरम्मतीकरण व सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखी जाय।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन प्रणाली तैयार रखी जाय।
- क्रियान्वयन प्रणाली में विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो।
- आपदाओं के दौरान की जाने वाली क्रियान्वयन प्रणाली का विभागीय स्तर पर समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के साथ निरन्तर अभ्यास किया जाय।
- बाढ़ से सुरक्षा हेतु आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुझाये गये उपायों पर कार्यवाही करना।

सामान्य समय में की जाने वाली क्रियाएंः—

- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों / नदी तटों की पहचान करना, निरन्तर निरीक्षण करना।
- ऐसे बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में मानसून सत्र प्रारम्भ होने पर सूचक यंत्र लगाना।
- नदी तटों, बांधों सहित जल संग्रहण टैंकों पर जल भराव सूचक लगाना।
- क्षेत्र विशेष के अधिकारी को क्षेत्रीय आपदाओं, परिस्थितियों सहित आपातकालीन कार्यों की जानकारी हो।
- प्रत्येक तकनीकि सहायक को आपदा की परिस्थितियों हेतु निर्देशित किया गया हो।
- बाढ़ की स्थिति हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार करना।

बाढ़ की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय क्रियाएंः—

- एक अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।
- विभागीय वाहनों में आपातकालीन आवश्यकता के मध्यनजर पूर्ण ईंधन भरा हो तथा टीम का मय संसाधन उपकरणों व अस्थाई लेबर के प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना।
- बांधों की मेड़ों, सिंचाई चैनलों, पुलों, पुलियाओं, नियंत्रण फाटक सहित ओवरफ्लो चैनलों का नियमित निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य करना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में तकनीकि सहायक मय किट यथा—घिरनी ब्लाक, जंगल चाकू, फावड़ा, सीमेंट बैग, कंक्रीट बैग, चटाई बैग, टोकरियां इत्यादि के तैनात रहना।
- नदी जल स्तर में वृद्धि पर क्षेत्रीय अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करेंगे। यदि भारी वर्षा की सम्भावना हो तो अतिरिक्त सतर्ककता बरतते हुए अधिक पानी निकासी की स्थिति में नीचले स्थलों के लोगों को ससमय सतर्क करते हुए उनकी सुरक्षित निकासी को राजस्व, पुलिस विभाग से भी समन्वय स्थापित करेंगे। शांति सुरक्षा हेतु इस कार्य में समुदाय के प्रधान व्यक्ति की सहायता भी लेना।
- वर्षा या पानी से खराब होने वाली सामग्री यथा—सीमेंट बैग, विद्युत उपकरण, अभिलेख इत्यादि को प्लास्टिक सीट से ढक कर किनारे सुरक्षित स्थान पर रखना।

- अधिशासी अभियन्ता द्वारा तकनीकि सहायक के साथ सुरक्षात्मक उपकरणों सहित सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा करना।
- निमार्णाधीन कार्य अथवा मरम्मतीकरण कार्यों को रेत के बोरों अथवा कंक्रीट बोरों से तटबन्ध कर सुरक्षित करना।
- वॉटर टैंकों के निर्माण के सम्बन्ध में सुनिश्चित करना कि टैंकों के प्रवेश व निकासी मार्ग पर पेड़ या अन्य वनस्पतियां न हों।
- पम्पों, जनरेटरों, मशीनरी उपकरणों एवं स्टेशन भवनों का नियमित निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य करना।
- सिंचाई चैनलों की सफाई करते रहना कि पानी के रास्ते में किसी प्रकार के पेड़ या अन्य व्यवधान न हो।
- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं तो कार्मिकों द्वारा कार्ययोगदान।
- प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाओं को जिलाधिकारी महोदय सहित विभागीय उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करना।

मुख्य कार्यालय की प्राथमिकताएंः–

- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वाहन, मशीनरी तथा उपकरण भेजना।
- अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों से पानी की निकासी व चेतावनी विषयक सूचनाओं हेतु समन्वय स्थापित रखना।

चैक लिस्टः–

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
An officer appointed as Officer in Charge Irrigation		
Emergency tool kits for all technical assistants prepared		
Water level gauges on minor tank structures not having level gauges marked		
Repairs/under construction activity are well secured		
Round the clock inspection and repair being carried out of- bunds of dams irrigation channels bridges culverts control gates overflow channels as may be necessary		
Round the clock inspection and repair being carried out of- pumps generators motor equipment station buildings		
Level of impounding in the water body reduced. coordination of this action with other districts is done		
Inlet and outlet to water body are cleared		

5- Agriculture Dept.

कृषि विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक प्रणाली

नियोजन–

- विभिन्न आपदाओं के दौरान समुदाय आधारित विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन प्रणाली तैयार रखी जाय।
- क्रियान्वयन प्रणाली में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो।
- आपदाओं के दौरान की जाने वाली क्रियान्वयन प्रणाली का विभागीय स्तर पर समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के साथ निरन्तर समन्वय तथा अभ्यास किया जाय।
- उपलब्ध कृषि उपकरणों व सामग्री को चैक कर रखना, जिसका आपदा के उपरान्त उपयोग होना है।
- सुरक्षा हेतु आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुझाये गये उपायों पर कार्यवाही करना।

उद्देश्य–

- विभागीय क्रियान्वयन प्रणाली का उद्देश्य कृषि कार्य सहित को मृदा की गुणवत्ता हेतु सुरक्षा प्रदान करना है।
- फसलों को सुरक्षा प्रदान करना।
- बाजारों में कृषि उपज को बहाल करना।

आपदा की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय क्रियाएंः–

- एक अधिकारी नोडल अधिकारी कृषि नामित करना।
- मुख्य कृषि अधिकारी प्रभारी अधिकारी होंगे, जिनके द्वारा आकस्मिक मजदूरों की भर्ती, आवश्यक आपातकालीन उपकरणों की व्यवस्था तथा अतिरिक्त आपातकालीन व्यवस्थाओं का विवरण रखना।
- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं तो कार्मिकों द्वारा कार्ययोगदान व महोदय के नियंत्रण में कार्य करना।
- जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क बनाये रखा जायेगा।
- सुरक्षात्मक उपकरणों सहित आपदा के पश्चात सुरक्षात्मक उपायों को अमल में लाया जा रहा है।
- विभागीय वाहनों को आपातकालीन आवश्यकता के मध्यनजर पूर्ण ईंधन भरा गया हो तथा इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया हो।
- क्षतिग्रस्त फसलों, वृक्षों/पेड़ों तथा आपदा की सूचना सम्बन्धितों/ आमजनमानस को देना।
- आपदा की सूचना प्राप्त होने पर अथवा आपदा की पूर्व चेतावनी मिलने पर विद्युत उपकरणों को स्विचों से अलग करना।
- आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कार्मिकों एवं सहायकों की रवानगी हो।

राहत एवं पुनर्वास–

- वाहन की व्यवस्था कर प्रभावित स्थल पर पहुंचना तथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक व संसाधन उपलब्ध करवाना।

- मिट्टी, फसल, वृक्षारोपण, छोटी–छोटी सिंचाई प्रणाली, भण्डारण की सुविधा की आवश्यकता का आंकलन करना।
- मिट्टी व पानी की जांच की कार्यवाही करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी स्थल पर अनावश्यक जल भराव न हो रहा हो।
- अन्य विभाग यथा–सिंचाई, डीआरडीए, आपदा नियंत्रण कक्ष से समन्वय स्थापित रखना।
- अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करना कि खतरे की सम्भावनाओं को नियंत्रित कर लिया गया है।
- क्षेत्र में गये कृषि दल व स्टाफ के आवास की व्यवस्था करना।
- विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र का पूर्ण विवरण जिला अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करना।
- आमजन सामान्य की सहायतार्थ सूचना केन्द्र की स्थापना करना, जिसके द्वारा प्रभावितों व अन्य लोगों को जानकारी व सूचनाओं सहित अन्य सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी प्रदान की जाय।
- क्षेत्रीय व इस कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों को विभाग में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्रदान की जाय।
- कृषि बाजार में प्रभावित किसानों की पुर्नबहाली हेतु सहायता प्रदान करना।
- राहत एवं पुर्नस्थापन कार्य में व्यय धनराशि अथवा अतिरिक्त धनराशि की मांग से जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराना।

चैक लिस्टः–

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
The District Agriculture officer designated as Officer In Charge Agriculture		
Agricultural equipment which may be required stocked		
Contact established with soil and water testing laboratories		
Extent of damage assessed for - soil crop plantation micro-irrigation systems storate facilities Requirements for salvage or re-plantation assessed		
Information provided to all concerned about the disasters, likely damages to crops and plantations, and information about ways to protect the same		
Organize transport, storage and distribution of- seeds fertilizers pesticides labour		
cleaning operations carried out to avoid water-logging and salinity		

surveillance for pest and disease being carried out		
Public information center established		
NGOs and otehr relief organizations informed of the resources of the department		
Farmers assisted to reestablish their contacts with agriculture produce market		
Adequate facilities provided to field teams		

6- Animal Husbandry Dept.

पशुपालन विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक प्रणाली

नियोजनः–

- सामान्य समय में सेवाओं व दवाओं को अद्यतन रखा जाय तथा उपकरणों को चालू स्थिति में रखा जाय, ताकि आपदाओं के दौरान उचित प्रतिवादन हो सके।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान मवेशियों/पशुओं की सुरक्षा निहित की जाय।
- विभागीय स्तर पर तैयार आपदा अनुक्रिया योजना की जानकारी समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को दी जाय तथा इस पर अभ्यास किया जाय, ताकि आपदाओं के दौरान विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा विशेष कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
- अधिकारियों एवं कार्मिकों को आपदाओं के दौरान किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रदान की जाय व समय–समय पर इस विषयक अभ्यास किया जाय।
- आपदाओं की स्थिति में प्रत्येक पशु अस्पताल/पशु चिकित्सा केन्द्र में सेवाओं विषयक स्पष्ट निर्देश उपलब्ध हों तथा सुविधाओं, उपकरणों सहित इसकी जानकारी समस्त कार्मिकों को हो।
- पशु अस्पताल/पशु चिकित्सा केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी इस विषयक जागरूक हों कि उनका विभागीय भवन सुरक्षित हो।
- विभागीय योजना में उल्लिखित ऐसे उपाय, सुझाव जो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाये जाने से सम्बन्धित हो पर अमल किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक पशु अस्पताल/पशु चिकित्सा केन्द्र पर एक जनरेटर स्थापित हो।
- प्रत्येक अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं के सुरक्षित सग्रहण हेतु रेफ्रीजरेटर उपलब्ध हो।

उद्देश्य–

- घायल पशुओं/मवेशियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
- खो गये अथवा आवारा पशुओं को सुरक्षा प्रदान करना।
- मृत पशुओं/मवेशियों के डिस्पोजल की उचित व्यवस्था करना।

आपदा की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय क्रियाएंः–

- एक अधिकारी नोडल अधिकारी–पशुपालन सेवा नामित किया जायेगा।
- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अधिकारी पशुपालन सेवा के रूप में कार्य करेंगे।
- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हैं तो कार्मिकों द्वारा कार्ययोगदान।
- समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्मिक जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करते हुए महोदय को रिपोर्ट करेंगे व परिचालन केन्द्र से समन्वय बनाये रखना।

- विभागीय वाहनों को आपातकालीन आवश्यकता के मध्यनजर पूर्ण ईंधन भरा गया हो तथा मय टीम, आवश्यक दवाओं, उपकरणों के प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना।
- यह सुनिश्चित किया जाय कि मवेशी किस प्रकार चोटिल/घायल हुये हैं।
- सुरक्षात्मक उपकरणों सहित सुरक्षात्मक उपायों को अमल में लाया जाना।
- समस्त पशु चिकित्सा केन्द्रों को आपदा की सूचना देते हुए यथा आवश्यकता आवश्यक दवाओं व उपकरणों की पूर्ति हेतु सूचित करना तथा केन्द्रों में आगामी 4–5 दिवसों तक के लिए दवाओं/औषधियों का सुरक्षित भण्डारण हो।
- गम्भीर घायल मवेशियों को पशु चिकित्सा केन्द्र में रैफर करना।
- पशु अस्पताल में बडी संख्या में पशुओं को रखे जाने हेतु उचित स्थान व व्यवस्था होना।
- शिविरों अथवा अस्पतालों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था हो कि किसी भी प्रकार की महामारी न फैले।
- आपातकालीन परिस्थितियों हेतु बेहोश की जाने वाली दवाओं को सुरक्षित रखना।
- सर्जिकल संसाधनों की उपलब्धता तथा इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था करना।
- समस्त विद्युत उपकरण आवश्यकता न पड़ने पर अनप्लग कर रखना।
- रखे गये पशुओं का पूर्ण डाटाबेस/विवरण तैयार किया जाय।
- सूचनाओं का पूर्ण विवरण तैयार रखना व आम जन सामान्य हेतु सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
- पुलिस विभाग व खोज बचाव दलों को पशु चिकित्सा शिविर तथा पशु अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों/सेवाओं से अवगत कराया जाय।
- आपदा के तुरन्त पश्चात दवाओं तथा उपकरणों को चैक कर सुरक्षित रखना।

पशु/मवेशी शिविरः–

- हर सम्भव कोशिश हो कि शिविर सड़क मार्ग के समीप स्थापित हो।
- स्थल पर पशु शिविर तथा अतिरिक्त पशु चिकित्सा शिविरों की स्थापना कर प्रत्येक शिविर के लिए अधिकारी नामित किये जांय। पशु चिकित्सा शिविर में दवाओं/औषधियों का भण्डारण कर सुरक्षित रखना।
- एक पशु शिविर में कम से कम 100 तथा अधिकतम 500 मवेशियों को रखा जाय।
- पशु अस्पताल एवं पशु चिकित्सा शिविर में पीने के पानी व चारे की व्यवस्था रखना।
- पशु शिविर इस प्रकार से स्थापित हो कि प्रत्येक पशु के लिए 20 स्क्वायर फीट से अधिक की जगह न हो।
- शिविर में पशुओं के आराम की पर्याप्त जगह हो।
- एक पशु को 1 दिन में लगभग 6 किग्रा चारे तथा 1 से 1.5 किग्रा गुड की आवश्यकता होगी।
- प्रत्येक पशु शिविर में एक शिविर प्रबन्धक, स्टाफ, दो मजदूर तथा दो सफाई कर्मी रहें।

चैक लिस्टः–

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
The district Animal Husbandry Officer designated as Officer in Charge Veterinary Services		
Emergency medical equipment that is required are stocked		
All veterinary hospitals and centres staff informed about the disasters, likely damages and effects, and way to protect life, equipment and property		
Emergency electrical generator arranged		
Emergency supplies of anesthetic drugs arranged		
Hospital water storage tanks filled		
An area of the hospital prepared for receiving large numbers of livestock		
Emergency admission procedures developed (with adequate record keeping)		
Transfer of serioulsy injured livestock from villages to veterinary aid centres and hospitals organized established at disaster site- Cattle camps Additional veterinary aid centres		
Organized for cattle camps- water fodder animal feed		
Adequate sanitary conditions maintained cleaning operations being carried out epidemiological survillance is being undertaken		
Emergency accommodations available for veterinary staff from outside the area		
Public information center established		
The local police and rescue groups informed of the resources of each veterinary aid centre and hospital		

7- Jal Sansthan.

जल संस्थान द्वारा अनुक्रियात्मक प्रणाली

नियोजनः—

- विभाग द्वारा मरम्मतीकरण व सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखी जाय।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन प्रणाली तैयार रखी जाय।
- क्रियान्वयन प्रणाली में विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो।
- आपदाओं के दौरान की जाने वाली क्रियान्वयन प्रणाली का विभागीय स्तर पर समस्त अधिकारी / कर्मचारियों के साथ निरन्तर अभ्यास किया जाय।
- आपातकालीन परिस्थितियों में जलापूर्ति हेतु वाटर टैंकरों की व्यवस्था हो।
- अतिरिक्त जनरेटर व ईंजन सही व चालू स्थिति में रखना।
- आपदाओं से सुरक्षा हेतु सुझाये गये उपायों पर कार्यवाही करना।

उद्देश्यः—

- प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की पुर्नबहाली करना।

आपदा की सूचना प्राप्त होने पर विभागीय क्रियाएंः—

- एक अधिकारी नोडल अधिकारी नामित करना।
- विभागीय वाहनों को आपातकालीन आवश्यकता के मध्यनजर पूर्ण ईंधन भरा गया हो तथा मय टीम, आवश्यक उपकरणों, लम्बे पाईप, इन्हें जोडने हेत संसाधन तथा ब्लीचिंग पाउडर के प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना।
- जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था रखना व आमजनसामान्य को सूचित करना कि आपातकालीन जलापूर्ति से पीने के पानी को संरक्षित करना।
- क्षतिग्रस्त पानी आपूर्ति का तत्काल मरम्मत कार्य करना।
- सुनिश्चित करना कि सुरक्षात्मक उपकरणों सहित सुरक्षात्मक कार्यों / उपायों को अमल में लाया जा रहा है।
- समस्त शिविरों, राहत कैम्पों, प्रभावित ग्रामों और पशु शिविरों में पानी की पूर्ति करना।
- सुनिश्चित करना कि अस्पतालों में पानी उपलब्ध है तथा पानी का पूर्ण संग्रहण किया गया है।
- उपलब्ध कुओं, झीलों, तालाबों, उपयोगी संरचनाओं, पम्पिंग स्टेशनों, पम्पिंग साधनों का निरीक्षण करना।
- आपदा के पश्चात डीजल पम्पों, मोटरों, जनरेटरों व ईंधन को सुरक्षित व ढककर रखना।

राहत एवं पुनर्वासः–

क्षेत्रीय कार्यालय की प्राथमिकताएंः–

- पीने योग्य पानी के उचित स्रोतों की पहचान के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रदूषित जल स्रोतों से पानी की सप्लाई न हो। इसे टेप कर बन्द कर दिया जाय अथवा कोई इस पानी का उपयोग न करें इसके लिए विभागीय अथवा पीआरडी, होमर्गाड से गार्ड को तैनात करना।
- समस्त राहत शिविरों, आपूर्ति शिविरों, राहत कैम्पों, पशु/मवेशी राहत शिविरों तथा प्रभावित क्षेत्र में पानी की आपूर्ति तथा संग्रहण सुनिश्चित करना जब तक जलापूर्ति सेवा सामान्य न हो जाय।
- सम्पूर्ण आख्या से मुख्य कार्यालय को अवगत कराते रहना।

मुख्य कार्यालय की प्राथमिकताएंः–

- प्रभावित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वाहन, वॉटर टैंकर, मशीनरी तथा उपकरण भेजना।
- अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता से जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराना।

5–चैक लिस्टः–

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
One Officer appointed as Officer in Charge- Water Supply		
Ensured that the hospital storage tank is full and the hospital is conserving water		
Informed people to store emergency supply of drinking water		
Continuous monitoring carried out for- Wells intake structures pumping stations buildings above the ground pumping mains treatment plant		
Standby diesel pumps or generators installed in damage proof buildings		
Provision for standby water supply made		
Procedures were established for the emergency distribution of water if existing supply was disrupted		
provisions to acquire tankers and establishing other temporary means of distributing water on an emergency basis carried out		
provisions to acquire containers and storage tanks required for storing water on an emergency basis carried out		
Water distributed to- all transit camps relief camps affected villages cattle camps		

Buffer stock of fuel for the motors acquired		
Emergency repairs of damages to water supply systems carried out		
Appropriate sources of potable water identified		
Unacceptable water sources identified.		
Necessary precautions taken to see that no water is accessed from such sources		
Alternate water supply arranged in- feeding centres all transit camps relief camps cattle camps the affected areas		
Drinking water supply is disinfected as per the standards and procedures		
Emergency accommodations for staff from outside the area provided		

2- PWD

लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुक्रियात्मक प्रणाली

नियोजनः–

- विभाग द्वारा मरम्मतीकरण व सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखी जाय।
- विभिन्न आपदाओं के दौरान विभागीय स्तर पर क्रियान्वयन प्रणाली तैयार रखी जाय।
- क्रियान्वयन प्रणाली में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण हो।
- आपदाओं के दौरान की जाने वाली क्रियान्वयन प्रणाली का विभागीय स्तर पर समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के साथ निरन्तर अभ्यास किया जाय, ताकि आपदाओं के समय में समय व श्रम की बचत हो।
- आपातकालीन उपकरण किटयथा–Crosscut saws, Axes, Power chain saw with extra fuel oil, Sharpening files, Chains and tightening wrenches, Pulley block with chain and rope प्रत्येक खण्ड/उपखण्ड पर स्थापित हो।
- आपदाओं से सुरक्षा हेतु आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुझाये गये उपायों पर कार्यवाही करना।

उद्देश्यः–

- मार्गों के सुचारीकरण हेतु मरम्मतीकरण कार्य कर सामान्य करना।
- जन सामुदायिक भवनों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण का कार्य करना।

आपदा की सूचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

- यदि जिला अधिकारी महोदय सम्बन्धित विशेष क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें तो कार्मिकों द्वारा कार्ययोगदान।
- समस्त अधिकारी एवं कार्मिक जिला अधिकारी महोदय के नियंत्रण/निर्देशन में कार्य करेंगे व महोदय को सूचनाएं अग्रसारित करना।
- मार्ग अवरूद्ध होने वाले स्थल हेतु एक प्रभारी अधिकारी–लोनिवि तैनात किया जायेगा।
- प्रभावित स्थल पर आपदा की प्रकृति के अनुसार लेबर, डोजर, जे0सी0बी0, भारी वाहन, उपकरण व मशीनरी towing vehicles, earth moving equipment, cranes, चैन फ्रैम ट्रैक्टर मय ईंधन के भेजना।
- अवरूद्ध मार्ग पर अधिकारियों व कार्यरत कार्मिकों द्वारा मार्ग सुचारीकरण की कार्यवाही करना।
- एक से अधिक मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में यह सुनिश्चित करना कि सर्वप्रथम किस आवश्यक मार्ग को खोला जाना है तथा तत्पश्चात किसे। सर्वप्रथम मुख्य मार्गों तथा आवश्यक सेवा व अस्पताल के मार्गों का सुचारीकरण करना।
- समस्त तकनीकि अधिकारी कर्मचारियों के साथ मार्गों की स्थिति की समीक्षा करना।
- अवरूद्ध मार्ग के अतिरिक्त सुरक्षित निकासी हेतु वैकल्पिक मार्गों पर पुलिस, होमगार्ड व पीआरडी की सहायता से यातायात डायवर्ट करना।

- मरम्मत/सुचारीकरण के दौरान खाईयों की तरफ कार्य, घास झाडियों की कटिंग, मलबा हटाया जाना तथा खतरे का कारण बने सड़क किनारे के पेड़ों को काटना।
- आपदा राहत शिविरों व अस्थाई निर्माणों तक पहुंच मार्ग तैयार करना।
- यथा आवश्यकतानुसार यदि हैलीपैड़ की आवश्यकता हो तो उचित स्थल पर स्थाई/ अस्थाई हैलीपैड़ तैयार करना।
- सड़क खोले जाने वाले समय में आम जनसमुदाय से सामन्जस्य बनाये रखना।
- सभी तकनीकि अधिकारी कार्यरत फील्ड कर्मचारियों से निरन्तर समन्वय बनाये रखना।
- अस्पतालों सहित समस्त सरकारी भवनों एवं अवसंरचनाओं अथवा ईंगित संरचना का वरिष्ठ अभियन्ता द्वारा सुरक्षात्मक निरीक्षण किया जाय।
- समस्त सड़क मार्गों, तकनीकि ईजीनियर द्वारा पुलों तथा पानी के अन्दर फाउण्डेशन व बुनियाद सहित समस्त कंक्रीट व स्टील कार्य का निरीक्षण करना।
- अधिक समय तक सुचारीकरण की कार्यवाही चलने पर स्थल पर कार्मिकों इत्यादि हेतु कैम्पिंग की व्यवस्था रखना।
- सुनिश्चित करना कि आपदा के पश्चात मार्ग पर वाहनों का सुरक्षित आवागमन हो।
- मार्ग सुचारू होने पर तत्काल नोडल अधिकारी–लोनिवि को सूचित करें, जिनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना जिला अधिकारी महोदय एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अग्रसारित करना।
- मार्ग सुचारीकरण के पश्चात ट्रांसपोर्ट/भारी वाहन, जे0सी0बी0, लोडर्स, मय ईंधन के सुरक्षित स्थान पर रखना।
- आपदा के पश्चात आपदाग्रस्त क्षेत्रों में मार्गों पर तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य करना तथा ऐसे स्थल जहां पर कार्य चल रहा हो, को प्लास्टिक सीट इत्यादि से भलीभांति सुरक्षित कर्वड रखना।

चैक लिस्टः–

Action taken	Y/N	Details/Remarks
Communication System established with control Room		
An officer appointed as Officer in Charge PWD		
Extra transport vehicles dispatched from HQ		
Work under construction secured		
Heavy equipment, such as front end loaders, have been secured		
All work teams issued two way communication link		
inspection and emergency repairs, if necessary, carried out for all- roads road bridges underwater inspection of foundations and piers concrete and steelwork		
Inspection and emergency repairs, if necessary, carried out for all buildings and structures of the government (including hospital buildings)		
Emergency inspection by mechanical engineer of all plant and equipment in the District workshop carried out		
Emergency tool kits assembled for each division		
Routes strategic to evacuation and relief marked		

Adequate orad signs installed to guide and assist the drivers		
Proiority listing made for which roads to be opened first		
Essential equipment such as- towing vehicles earth moving equipment cranes etc		
Begin clearing roads		
Community assistance mobilized for road clearing		
The following activities were undertaken- cleaning of ditches grass cutting the burning or removal of debris the cutting of dangerous trees along the roadside in the affected area		
The following repair works were undertaken for- all paved and unpaved road surfaces pothole patching any failure of surface foundations in the affected areas		
Construction work undertaken for temporary roads to serve as access to- temporary transit camps relief camps Medical centres		
Construction work undertaken for temporary structures required for organizing relief work such as- relief camps feeding centres medical facilities cattle camps		
An up to date report of al damage and repairs kept in record		

Disaster Management Cycle

एक कार्ययोजना तभी प्रभावित व उपयुक्त हो सकती है जब नियमित रूप से उसका नवीनीकरण व उस पर अभ्यास होता रहे।

आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन प्रकोष्ठ, जनपद टिहरी गढ़वाल
जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(फोन– 01376–233433 टोलफ्री नं0– 1077)

प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु कृपया निम्न विषयों पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें–

- मजबूत बुनियाद पर, कोनों को मजबूती प्रदान करते हुए अटूट क्षैतिज कंक्रीट बैण्ड तथा छत को परस्पर एक इकाई के रूप में जोड़ते हुए सन्तुलित आकार के भूकम्प सुरक्षित भवनों का निर्माण करें।
- घर, गौशाला, दुकान, कार्यालय, स्कूल को नदी–नालों के समीप और सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र के पास न बनाएं।
- जंगलों को आग से बचाएं तथा उनके प्राकृतिक संवर्द्धन के उपाय करें।
- पर्वतीय मार्गों पर दुर्घटनाओं से सुरक्षित एवं बचाव हेतु जितना सम्भव हो सके, उतनी धीमी गति से वाहन चलाएं। क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाएं तथा मोड़ों पर सावधानी रखें।
- अपने घर, खेत, रास्ते, सड़क, कार्यालय, वाहन और आसपास के क्षेत्रों का, आपदाओं से सुरक्षा हेतु सतत निरीक्षण करें।
- आपदा एवं दुर्घटना के समय तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचें व तत्परता से घायलों, पीड़ितों की सहायता करें।

प्रभारी अधिकारी
आपदा प्रबन्धन, टि0ग0

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

–:: संलग्नक ::–

संलग्नक 1– तत्काल सूचना प्रेषण हेतु विभागीय अधिकारियों का विवरण एवं सम्पर्क नम्बर।

संलग्नक 2– खोज बचाव उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धता।

संलग्नक 3– आपदा के सन्दर्भ में विभिन्न तात्कालिक प्रकृति के कार्यों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण।

संलग्नक 4– आपदा की स्थिति हेतु विशिष्ट निर्णय–निर्धारण (decision making) व दिशा–निर्देशन (direction) नियमावली।

संलग्नक 5– आपदाओं की सूची।

संलग्नक 6– जनपद एवं तहसील नियंत्रण कक्ष।

संलग्नक 7– आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थलों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले स्थानों/खुले स्थानों/गेस्ट हाऊस/होम–स्टे की उपलब्धता।

संलग्नक 8– जनपद के प्रमुख हैलीपैड़ों के को–आर्डिनेट्स।

संलग्नक 9– पैदल वन मार्ग, वन विभाग, नई टिहरी।

संलग्नक 10– जनपद क्षेत्रान्तर्गत की सूची।

संलग्नक 11– अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थ।

(संलग्नक–1)

जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रमुख विभागीय अधिकारियों के सम्पर्क नंम्बर

राजस्व विभाग dmtehri@gmail.com/ **dm-the-ua@nic.in**

क्र	नाम एवं पदनाम	कोड	कार्यालय	आवास	मोबाइल
1.	डा0 वी0 षणमुगम, जिला अधिकारी फैक्स–	01376 01376	232092 232233	232040 232354	**9458997766**
2.	श्री शिव चरण द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी,	01376	233992		**9411188666** **7500757070**
3.	श्री खुशाल सिंह रावत सी0पी0ओ0 डीएम	01376	232092 232601		**8979861119** **9412113564**

विकास विभाग cdotehri@gmail.com

4.	श्री अभिषेक रूहेला, मुख्य विकास अधिकार श्री नेगी जी– वैयक्तिक सहायक–9410178426	01376	232603	232322	**9412018088**
5.	श्री बी0सी0 चौहान नाजिर जिला विकास कार्यालय				**9411576637**
6.	श्री आनन्द सिंह, जिला विकास अधिकारी pdtehrigarhwal@gmail.com	01376	233907		**9411735051**
7.	श्री भरत चन्द्र भट्ट, पी0डी0–डीआरडीए श्री यतीश पुण्डीर–9105900020 / 8532065704	01376	233907		**8449994000** **9412352165**

पुलिस विभाग sp-teh-ua@nic.in

8.	श्री योगेन्द्र रावत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	01376	232162	232399	**9411114544**
9.	श्री धन सिंह तोमर पुलिस उपाधीक्षक, सदर	01376	232162	232015	**9997248800**
10.	श्रीमती जूही मनराल, पुलिस उपाधीक्षक, टिहरी	01376	232162	232015	**9411112776**
11.	श्री प्रमोद कुमार शाह, पुलिस उपाधीक्षक, नरेन्द्रनगर।	01378	227245	227392	**9411112788**
12.	श्री बीरबल सिंह, अग्निशमन अधिकारी, टिहरी	01376	232162	233611	**9458197883** **7579241569**
13.	श्री उमा प्रकाश कान्ती, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी द्वितीय नरेन्द्रनगर	01378	227255		**9458197884** **9997077322**
14.	पुलिस लाईन चम्बा	01376	254052		
15.					

उप जिला अधिकारी

16.	श्री फिचाराम चौहान, टिहरी (अतिरिक्त प्रभार–त0कण्डीसौड़ / प्र0अधि0, कारागार / पुनर्वास)	01376	232520		**7579276222** **9411181108**
17.	श्री फिचाराम चौहान, कण्डीसौड(चार्ज)	01376	288040		–तदैव–
18.	सुश्री युक्ता मिश्र, नरेन्द्रनगर	01378	227283		**9457087051** **8006509340**
19.	सुश्री युक्ता मिश्र, पावकी देवी				–तदैव–
20.	सुश्री युक्ता मिश्र, गजा	01378	221230		–तदैव–
21.	श्री रविन्द्र जुवांटा, धनोल्टी	01376	226236		**9760976336** **9410554490**
22.	श्री रविन्द्र जुवांटा, नैनबाग (चार्ज)	01376	226236		–तदैव–
23.	श्री संदीप तिवारी, कीर्तिनगर	01370	260045		**6280269428**

24.	श्री रज्जा अब्बास, देवप्रयाग (चार्ज)	01378	266004		–तदैव–
25.	श्री अजयवीर, घनसाली वाहन चालक श्री बलवीर सिंह 9412142754	01379	258511		**9634228827**
26.	श्री अजयवीर, बालगंगा				–तदैव–
27.	श्री संदीप तिवारी, प्रतापनगर	01379	262230		**6280269428**
28.	श्री संदीप तिवारी, जाखणीधार (चार्ज)	01376	238864		–तदैव–
29.	श्री संदीप तिवारी, मदननेगी (चार्ज)				–तदैव–

तहसीलदार

30.	**नरेन्द्रनगर** श्रीमती मंजू राजपूत, दिनेश 9639215301	01378	227283	7060746077 9719818237
31.	**टिहरी** श्री यशवीर सिंह रावत,	01376	232520	**9690803057**

नायब तहसीलदार

32.	**टिहरी** श्री माधवा नन्द उनियाल, तहसील कन्ट्रोल रूम मो न0 **7351228267**	01376 232520	**7895514754**
33.	**जाखणीधार** श्री मोहन लाल आर्य, तहसील कन्ट्रोल रूम मो न0	01376- 238864	**8755075185 9411142642**
34.	**प्रतापनगर** श्री शंकर दास चौरसिया,	01379-262230	**8474992722**
35.	**मदननेगी** श्री विरेन्द्र भट्ट, भानु पुण्डीर WBN **9411777642**		**9568244233 9528943126**
36.	**धनोल्टी** श्रीमती त्रिपरा वर्मा	01376- 226236	**9634759713**
37.	**नैनबाग** श्री जालम सिंह राणा, तहसील कन्ट्रोल रूम मो न0 **7088245652**	01376–228800 **9419748516**	**7895907070**
38.	**कण्डीसौड़** श्री उपेन्द्र बहुगुणा, तहसील कन्ट्रोल रूम मो न0 **7960206279**	01376-288040 7248330857 7668669659	**9412984241**
39.	**घनसाली** श्रीमती रेनू सैनी रणवीर रावत **8449819290**	01379–258511	**8126481137**
40.	**बालगंगा** श्री राजेन्द्र सिह रावत, संतोष WBN 9410189085, 7457818288		**9411144167 8630813467**
41.	**देवप्रयाग** श्री सब्बल सिंह कठैत, राजपाल WBN 9690780310	01378–266004	**8958839576 8755030343**
42.	**कीर्तिनगर** श्रीमती साक्षी उपाध्यय, विकस बिष्ट WBN **9410185615**	01370–260045	**8279820697**
43.	**गजा** श्री हरिहर उनियाल	01378-221230	**9411504300**
44.	**पावकी देवी** श्री अयोध्या उनियाल सुनील दिखोला Com.Op **9639785736**	7409710091	**9761039145**

वर्षा की सूचना

45.	टिहरी	01376 232520	**9410107494**
46.	नरेन्द्रनगर **8006507509**	01378—227283	**9412983725**
47.	देवप्रयाग **9639940076**	01378—266004	**9639617506**
48.	कीर्तिनगर **9410185615**	01370—260045	**7351735520**
49.	धनोल्टी **6396958716**	01376- 226236	**9675211034**

राजिस्टार कानूनगो

50.	धनोल्टी	श्री विशाल असवाल	**9411523548**
51.	जाखणीधार	श्री धर्मवीर प्रकाश	**8126088964,9412026864,8475026864**
52.	घनसाली	श्री धनीराम ड़गवाल	**9411143552,8954315519**
53.	कण्डीसौड़	श्री गंगाराम पेटवाल	**9411330137,897948440**
54.	देवप्रयाग	श्री मनोहर सिंह नेगी	**7500318672**
55.	नैनबाग	श्री हर्षमणी नौटियाल	**9412178652**
56.	प्रतापनगर	श्री महेशा शाह	**7895436844**
57.	नरेन्द्रनगर	श्री बालम सिंह रावत	**9012747967,9411144474**
58.	टिहरी	श्री राजेन्द्र गुनसोला	**9557275434,9412138529**
59.	गजा	श्री सुरेश मोहन डोगरा	**9897637401,7455859486**
60.	कीर्तिनगर	श्री उपेन्द्र दत्त पाण्डेय	**9410185684**
61.	बालगंगा	श्री राजेन्द्र रावत	**9411144167**
62.	पावकी देवी	श्री टीकाराम रतुडी चार्ज में	**9760373949,7830091451**

खण्ड विकास अधिकारी

63.	BDO's Name	Mobile No.	Mail	ABDO's Name	Mobile No.
64.	**चम्बा** श्री ध्यान सिंह रावत 01376—255254	9634460455	bdochamba.tehri@gmail.com	श्री कुंवर सिंह रावत	7895307411
65.				श्रीमती सरोज कठैत	6395761194
66.	**नरेन्द्रनगर** श्री जयेन्द्र सिंह राणा 01378—223749	9897985090 9412369743	bdofakot@gmail.com	श्री जयपाल सिंह पयाल	9458926030
67.				श्री जयेन्द्र सिंह राणा	9412369743
68.	**थौलधार** श्री विनोद सिंह रावत 01376—288932	7455947168	bdothauldhar@gmail.com	श्री दुर्गा प्रसाद थपलियाल	9410378239
69.				श्री विनोद सिंह रावत	
70.	**प्रतापनगर** 01379—262436		bdopratapnagar@gmail.com	श्री जसवन्त पंवार	8191094641
71.				श्री रजनी रावत	9410128770
72.	**जाखणीधार** श्री राकेश मोहन नयाल	9411717533	blockjakhnidhar@gmail.com	श्री कीर्ति सिंह पंवार	8979108051
73.				श्री राकेश मोहन नयाल	9411717533
74.	**देवप्रयाग** कु0 सोनम गुप्ता0 1378—225312	7821855330	blockdevprayag@gmail.com	श्री दिनेश चन्द्र चमोला	9456755326
75.				श्री विरेन्द्र सिंह कठैत	7618365928

76.	**भिलंगना** श्री कीर्तिबल्लभ सिंह 01379—258552	7060209963	bhilanganabdo@gmail.com	श्री गोपाल सिंह चमियाल	7351227544
77.				श्री सतीश प्रसाद बडोनी	9411141557
78.	**जौनपुर** श्री पुष्कर सिंह बिष्ट	9634957085	bdojaunpur@gmail.com	श्री ध्यान सिंह रावत	9927665011
79.				श्री पुष्कर सिंह बिष्ट	9634957085
80.	**कीर्तिनगर** श्री राजपाल सिंह 01370—260109	9412356285 7251817374	bdokirtinagar@gmail.com	श्रीमती आशा देवी	9760991005
81.				श्रीमती सुशीला बिष्ट	7895745460

थाना चौकियों के सर्म्पक न0

1	थाना टिहरी T-01 01376—232773	थानाध्यक्ष— श्री चन्दन सिंह चौहान	9411112840, 9412968897
		एस आई रमेश कुमार सैनी	9719122338
		हे0का0प्रो0 युवराज सिंह	9411504419
	चौकी कोटी O –01	चौकी प्रभारी टिकम सिहं नेगी	8393881616
		एस आई जगदीश प्रसाद	7088681208
		का0 सुभाष रयाल	8057285442
	चौकी बी0पुरम O –02	चौकी प्रभारी एस आई मनवर सिह नेगी	9775278038
		हे0का0प्रो0सुभाष चन्द्र	9411188439
	चौकी पिपलडाली O –03	चौकी प्रभारी एस आई मंयक कुमार त्यागी	7830303007
		का0 82 किशन	9568271476
	चौकी ढुंगीधार O –12	चौकी प्रभारी एस आई मोहन सिह नेगी	7252852438
		का0 किशन सिह	9410551785
	चौकी कोटेश्वर O –15	चौकी प्रभारी सुधाकर नौडियाल	9758181673] 9411113114
		का0. छत्रपाल	8958763084
		का0 सचिन	8410740712
	चौकी काण्डीखाल O –21	चौकी प्रभारी हे0का0प्रो0 यशवंत सिंह	9927872999
		का0 298 सुरेन्द्र मेहरा	8006227592
		का0 293 कुलदीप पौखरियाल	9761046195
2	थाना कीर्तिनगर T-02 01370—260042	थानाध्यक्ष— श्री जवाहर लाल	9411112845 9997797735
		एस.आई जयप्रकाश कोहली	8958891628
		एस.आई रेखा दानु	9897931096
		एस.आई विपिन कुमार	7599084924
	चौकी चौरास O –24	एस.आई राकेश चौधरी	7535016446
		हे0का0प्रो0 331 राजेन्द्र भट्ट	7500231302
3	थाना देवप्रयाग	थानाध्यक्ष— श्री महिपाल सिहं	9411112844

	T-03 01378–266052	एस.आई कौशिक	9897800720
		एस.आई मदन सिंह	8126128768
		हे0का0प्रो0 मनोज रावत	7830303046
	चौकी बछेलीखाल	एस.आई. विक्रम लाल	9759283921
4	थाना चम्बा T-04 01376–255270	थानाध्यक्ष– श्री सुन्दरम शर्मा	9411112841 9411117700
		वरिष्ठ उप नि0 जितेन्द्र कुमार	8755781913
		हे0का0 कान्ताप्रसाद	9837376318
	चौकी नागणी O-10	चौकी प्रभारी एस.आई इन्द्र सिंह गडिया	9458391539
		का0 260 विजय प्रताप	7417117711
		का0 05 अनिल कुमार	9410747457
	चौकी कुमाल्डा O-18	एस.आई. बलदेव सिहं	8273127600
		हे0का0 सुशील वलोनी	7830600415
		का0 मनीष रावत	7906820170
	चौकी सत्यौं	एस.आई. शिव मोहन	8057222233
		का0 0167 निशान्त रमोला	8141060589
		का0 0167 जगवीर	7409261990
5	थाना नरेन्द्रनगर T-05 01378–227248	थानाध्यक्ष– श्री मनीष उपाध्याय	9411112843 941111320
		वरिष्ठ उप0नि0 धीरजमणी बलूनी	8126592600
		एस.आई. सदानन्द पोखरियाल	9639931544
	चौकी प्लास्डा O-05	चौकी प्रभारी– एस.आई. कर्म सिंह चौहान	7060187565
		का0 330 अजयराज	9458915770
		का0 305 परवेश पालीवाल	9410178583
	चौकी आगराखाल O-06	चौकी प्रभारी– एस.आई मनोहर लाल जखमोला	9410745035 8868944559
		हे0का0 139 गजेन्द्र	7830211466
	चौकी जाजल O-011	चौकी प्रभारी– एस.आई अमित कुमार	9634241480
		हे0का0 योगेन्द्र	7830157888
		का0 260 जयपाल	9410967375
6	थाना मुनिकीरेती T-06 0135–2430041	थानाध्यक्ष– श्री आर0 के0 सकलानी	9411112842, 917111125
		एस.आई. सजिव कुमार	9917489999
		हे0का0प्रो0 शान्ती प्रसाद	7830211728
		हे0का0प्रो0 अनिल शर्मा	8449600590
	चौकी भद्रकाली O-23	का0 18 राजु पंवार का0308 माया सिंह	960004272 7830906888
	चौकी तपोवन सीजनल पुलिस चौकी	चौकी प्रभारी एस.आई. निरंज रावत	9412972773
		हे0का0प्रो0 राजकुमार शर्मा	9835184890
		का0 300 पुष्पेन्द्र	8755722196
	चौकी गुलर O-17	का0 234 अमित गौड का0 313 उपेन्द्र भण्डारी	9456531426 9720656014

	चौकी शिवपुरी O-19	चौकी प्रभारी एस.आई. अन्शुल अग्रवाल	9557506138
		का0 234 अमित गोड	9456531426
		का0 313 उपेन्द्र भण्डारी	9720656014
	चौकी व्यासी सीजनल पुलिस चौकी	चौकी प्रभारी एस.आई. धर्मेन्द्र राठी	9690144246
		का0 07 धर्मेन्द्र	8979220010
7	थाना घनसाली T-07 01379—258690	थानाध्यक्ष— श्री प्रदीप रावत	9410558799 7830211710
		एस आई आशिष भट्ट	9634998139
		एस आई विजय थपलियाल	8954866774
	चौकी चमियाला सीजनल पुलिस चौकी	उ0नि0 ना0पु0 आशीष भट्ट	9410564803
		का0 111 ना0पु0 दीपक डोभाल	7895923803
		का0 165 ना0पु0 नरेन्द्र नेगी	9456518650
	चौकी चिरबटिया सीजनल पुलिस चौकी	हे0का0प्रो0 ना0पु0 जयकुमार 9412914179	
		का0 233 ना0पु0 सूरज	9568492290
		का0 19 मो0 कासिम	9456357826
8	थाना कैम्पटी T-08 01376—224222	थानाध्यक्ष— S.I कविता रानी	9412077640
9	थाना हिण्डोलाखाल T-09	थानाध्यक्ष— श्री महिपाल सिंह रावत 01378—225275	9412077638 8057945239
10	थाना लम्बगांव T-10 01379—264666	थानाध्यक्ष— श्री प्रकाश पोखरियाल	7063331016 9639247414
11	थाना थत्यूड T-11 01376—246346	थानाध्यक्ष— श्री किशन कुमार टम्टा	9412077634 8126353976
	चौकी धनोल्टी O-13	चौकी प्रभारी सुनिल पंत	9411723344
		हे0का0प्रो0 नरेश चन्द्र लखेडा	9412936288
		का0 कौशल राठौर	8958450473
	एल0आई0यू0 टिहरी	श्री आजम अली खान	9719252591
	पुलिस लाईन, चम्बा	श्री सुशील सिह रावत (आर0 आई0) **01376-254052**	9917127744 9412354124
	आर0आई0,पी0टी0सी0 नरेन्द्रनगर	श्री हरीश चन्द्र भट्ट	7500243799 8057806208
	जेलर जिला कारागार 013762-32007	श्री रामेश्वर राणा,	7534011372
	जिला नियान्त्रण कक्ष DCR—टोल फ्री—100, 01376—232224	महिला हैल्प लाईन— 01376 234500,1090,	9411112975 9411198280
		यांन्त्रिक रेडियो कन्ट्रोल रूम श्री प्रवीन कुमार—	9456312156
		सहा0 रेडियो प्रभारी ARO श्री विपिन कुमार—	8445669450 9412077330 84770531150

		रेडियो प्रभारी श्री मनीष मंमगाई– RO DCR	9412936288
	जल पुलिस	एस.आई. महेन्द्र सेमवाल	9412941779
		ना0 राकेश रावत	8755527101
		ना0 शैलेन्द्र चमोली	9897063862

स्वास्थ्य विभाग idsp.tehri@gmail.com

82.	डा0 मीनू रावत मुख्य चिकित्साधिकारी	01376	232093		**9411362810**
83.	डा0 मनोज कुमार वर्मा, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	01376	232093		**9634242111**
84.	श्री विनय डियूड़ी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	01376	232093		**9411312926**
85.	डा0 रुवाली, उप मुख्य चिकित्साधिकारी	01376	232093		**9997618592**
86.	—————— अधीक्षक, सुमन चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर	01378	227240		**9758392151**
87.	डॉ अमित राय, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, टिहरी	01376	232280		**9719680328**
88.	डा0 मनोज कुमार वर्मा, डी0टी0ओ0, नरेन्द्रनगर	01378	227521		**9634242111**
89.	श्री रजत उनियाल, जिलाकॉर्डिनेटर, टिहरी/उत्तरकाषी, 108 आपातकालीन एम्बूलेंस सेवा				**7895362404**
90.	श्री सुधीर बिजल्वाण, लोक सूच0 अधि0, 108, देहरादून				**8859001108**
91.	डॉ0 रमेश नैथवाल, रेडक्रॉस, सचिव, भागीरथीपुरम				**9084066769**
92.	श्री संजीव पांगती जिला चिकित्सालय बौराड़ी				**9412977766** **8859862190**
93.	डा0 आर0 पी0 जोशी जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी टिहरी गढ़वाल	01376	234728		**9759798162**
94.	108 सेवा, देहरादून	0135	7151112		

मोबाईल मेडिकल यूनिट MMU

क्र	नाम	पदनाम	मो0न0
95.	डा0 विनोद	चिकित्साधिकारी	7745963896
96.	श्री अरूण सिंह	फार्मासिस्ट	7302193637
97.	श्री मोहित नेगी	लैब टैक्नीशियन	8755618901
98.	श्रीमती इन्दु रावत	ए0एन0एम0	8171653372
99.	श्री धनवीर सिंह	वाहन चालक	7830453481

जिला आर्युवैदिक यूनानी अधिकारी टि0ग0 नरेन्द्रनगर omsemwal123@gmail.com

100.	डा0 कृष्ण लाल– जिला आर्युवैदिक यूनानी अधिकारी टि0ग0 नरेन्द्रनगर	01378 01378	227574 227521		9411109410 9837017300

सार्वजनिक चिकित्सालयों /CHC/ PHC की सूची

Emergency 01376-232831

1	**जिला संयुक्त चिकित्सालय** 01376–232280 mstehri@gmail.com श्री प्रशान्त बिष्ट, कोर्डिनेटर पी0पी0पी0 मोड 8392847418 सीएमएस श्री अमित राय 9634232415 (02 एम्बुलेंस) वाहन चालक बृजमोहन जोशी 9456717850, आर0पी0 रतूड़ी 7500603762
2	**सुमन चिकित्सालय नरेन्द्रनगर** 01378–227240 श्री बी0एस0 राणा, फार्मासिस्ट 8477919027 श्री राजेन्द्र सिंह मेहरा, फार्मासिस्ट 9411380091 एम्बुलेंस चालक– वीरू लाल 9634990422
3	**स्वास्थ्य ईकाई MRP मुनीकीरेती** श्री भागवती कोठारी, फार्मासिस्ट 8171196879 श्रीमती पुष्पा, फार्मासिस्ट 8535079582 श्री रोशन प्रसाद भट्ट, कक्ष सेवक 9761295072
4	**सब सेन्टर हिण्डोलखाल–** श्रीमती सरोजनी गौड़, ए0एन0एम0 9410789814
5	**सब सेन्टर दुआधार–** श्री हरीश कोठियाल, फार्मासिस्ट 9412933433 श्रीमती सावित्री नेगी, ए0एन0एम0 9410789820
6	**प्रा0स्वा0केन्द्र, फकोट** 01378–223853 डा0 श्रुति धूलिया 9760709434 श्री गजेन्द्र सिंह रावत, फार्मासिस्ट 6395120086 श्रीमती उषा, ए0एन0एम0 9456154622 डा0 जगदीश– 9557624849,73108801365 (01 एम्बुलेंस) वाहन चालक दिनेश रमोला 9410923577
7	**सीएचसी खाडी**– डा0 स्मृति थपिडियाल 8192853085 श्री जयपाल सिंह चौहान,फार्मासिस्ट 9412312270
8	**सब सेन्टर नागणी–** श्रीमती शोभावती डोभाल, ए0एन0एम07310901716
9	**सब सेन्टर जाजल** श्रीमती जगदेई पयाल, ए0एन0एम09410789817
10	**प्रा0स्वा0केन्द्र0चम्बा** 01376–255926 डा0 पुखराज सिंह–8865019878,7310801360 डा0 शादाब अली 9719894504 श्री सुरेन्द्र सिंह मखलोगा,फार्मासिस्ट 9456326412 (01 एम्बुलेंस) वाहन चालक चमन सिंह चौहान–9410108802
11	**मसीहा अस्पताल चम्बा** 01376–255279 डा0 राजेश सिंह– 9412076273 डा0 आकाश 9758008484 डा0 पारूल 9922450307
12	**सब सेन्टर धारकोट** श्रीमती मीना उनियाल, ए0एन0एम0 9410910384

13	**टी0एच0डी0सी0 हॉस्पिटल**–01376–236304 / 284537 **THDC-CMO** 01376–236353 डा0 प्रमोद कुमार 8954894892 डा0 नमिता डिमरी, पैथोलॉजिस्ट 9412076536 श्री पी0डी0 जोशी, फार्मासिस्ट 8755631878
14	**सामु0 स्वा0केन्द्र छाम** 01376–288003 डा0 धर्मेन्द्र उनियाल 9411169818 7310801367 डा0 मोईन खान 9410594030 श्री रवि कुमार, फार्मासिस्ट 8194012426 (01 एम्बुलेंस) वाहन चालक श्री भगवान सिंह 8449733402
15	**अति0प्रा0स्वा0केन्द्र कमान्द** डा0 रिंकी देवी 9634147105 श्री भानु प्रकाश नौटियाल, फार्मासिस्ट 8979524206 श्रीमती कल्पना सेमवाल, ए0एन0एम0 7351331619
16	**प्रा0स्वा0केन्द्र नन्दगांव** 01379–277420 डा0 आशू 8057614237 7310801362 श्री रतन लाल, फार्मासिस्ट 7500503093 श्रीमती माया कलूड़ा, ए0एन0एम0 9917893116
17	**सामु0स्वा0 केन्द्र बेलेश्वर**–01379–253337 डा0 श्याम विजय सिंह–9720658690
18	**प्रा0स्वा0केन्द्र, पिलखी** 01379–258491 डा0 श्याम विजय सिंह–9720658690 / 7310801359
19	**सी.एच.सी. प्रतापनगर 01379–262321** डा0 धर्मवन्ती भारती 7579030011, (01 एम्बुलेंस) वाहन चालक महावीर सिंह 7409334969
20	**अति0प्रा0स्वा केन्द्र दीनगांव** डा0 मोहित कुमार 8650395127 दुर्गा प्रसाद नौटियाल 7409108200
21	**सामु0स्वा0केन्द्र, थत्यूड. 01376–246344** डा0 मनोज डोगरा–9411553040
22	**अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र भवान** श्रीमति सुनीता लोधी 7017304319, 9917405933
23	**सामु0स्वा0 केन्द्र, हिण्डोलाखाल 01378–225560** डा0 अमित चौहान–9997206352 / 7310801361
24	**प्रा0स्वा0 केन्द्र कीर्तिनगर** 01370–260315 डा0 विनय शर्मा 9410798643, 7310801364 डा0 रविन्द्र सिंह राणा 8449881988 श्रीमती रीना खत्री, , ए0एन0एम0 7895085822 (01 एम्बुलेंस) वाहन चालक विरेन्द्र पुण्डीर 7551368377
25	**सामु0स्वा0केन्द्र, देवप्रयाग** डा0 सतीश कुमार 9456728809 श्री सन्दीप रयाल, कोर्डिनेटर पी0पी0पी0 मोड 7579064423 श्री दिनेश चन्द्र नौटियाल, फार्मासिस्ट 7579188033

26	**सब सेन्टर बगवान** श्रीमती सरोजनी देवी, ए0एन0एम0 7895763400
27	**सब सेन्टर लक्षमोली** श्रीमती सुषमा मैठाणी, फार्मासिस्ट 7895760107 श्रीमती रेनू रतूड़ी, ए0एन0एम0 7500279456
28	**सब सेन्टर मलेथा** श्रीमती बीना उनियाल, फार्मासिस्ट 9997404106 श्रीमती माया भद्री,ए0एन0एम0 9897921603
29	**अति0प्रा0स्वा0 गजा** डा0 अमित डोबरा 8979312326 सुनीता सिंह 9411148268
30	**अति0प्रा0स्वा0 नैनबाग डा0 रीतिका गुप्ता 8941040970**
31	बेस अस्पताल, श्रीनगर 01346–244701 9412040359
1	**108 सेवा लम्बगांव** वाहन चालक दिनेश 9675586744
2	**108 सेवा नैनबाग** वाहन चालक दीपक सिंह 7310747473
3	**108 सेवा जौनपुर** वाहन चालक सूरज सिंह बिष्ट 7895658447 राजेन्द्र 9758869362
4	**108 सेवा कीर्तिनगर** वाहन चालक संजय–7088085741सुनील–7247829425
5	**108 सेवा देवप्रयाग** EMT प्रमोद 8126705633
6	**108 सेवा व्यासी** आदित्य–9719397797 प्रदीप राणा–7830319077
7	**108 सेवा कोटी कलोनी (जिला अस्पताल)** वाहन चालक राजपाल सिंह 7500214934 स्वेता 9012752610 **वोट एम्बुलेंस 108 सेवा** ऑपरेटर लाखी लाल 9758129747 किशनान्द सकलानी 9528795127
8	**108 सेवा थौलधार** वाहन चालक राकेश रावत 9897374260 EMT अशुतोष पंवार 7455068517
9	**108 सेवा चम्बा** वाहन चालक उदय सिंह 9761141114 मान सिंह 9761408842
10	**108 सेवा फकोट** वाहन चालक नवीन जगधारी 7895842890
11	**108 सेवा फकोट घनसाली** वाहन चालक बलवीर सिंह 9410537785 प्रदीप सिंह 893895815
12	**108 सेवा फकोट नन्दगांव** वाहन चालक जितेन्द्र सिंह 7060459418 जयवीर सिंह 9917579585

बाहरी सहायता मेडिकल हैल्प

1– हिमालय इंस्टियूट, जौलीग्रान्ट– 0135–2471100,2471110, 2471225 2471200, 2471300

2– दून चिकित्सालय, देहरादून– 0135–2659355

3— सिनर्जी अस्पताल देहरादून— 0135—2226222
4— ऐम्स अस्पताल ऋषिकेश— 0135—2452941, 2462929 Emerg. 0135-24625031 9911858702
5— सरकारी अस्पताल एसपीएस ऋषिकेश— 0135—2430096 9837033930
श्री थपलियाल जी डायरेक्टर (पीआरओ)— 9869111948
6— जिला अस्पताल चिन्यालीसौड़— 01371—237805
7— बेस चिकित्सालय, श्रीनगर गढ़वाल— 01346—244701 (कॉलेज)01346—244707 (इमरजेंसी)
श्री जैन (मेडिकल अधीक्षक)—9412087654 श्री एम एस रावत—9412040359
8— सुरसिंगधार नरसिंह कॉलेज प्रधानाचार्य—श्री राज कुमार शर्मा—9634149294

पशुपालन विभाग cvotehri1@gmail.com

101.	श्री पी0एस0 रावत, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नरेन्द्रनगर।	01378	227296		**9412362107 8979059510**
102.	श्री डा0 आर के उप मुख्य पशु चिकित्साअधिकारी				**9719850007**
103.	डा. मनीष कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, (छाम) थौलधार।				**9759555821**
104.	डा. तनुषा, पशु चिकित्साधिकारी काण्डीखाल				**9410360749**
105.	डा. राहुल सिंह, पशु चिकित्साधिकारी मैण्डखाल				**7055654080**
106.	डा. पारूल, पशु चिकित्साधिकारी कमान्द				**9897142446**
107.	डा. प्रीती पन्त, पशु चिकित्साधिकारी, कीर्तिनगर।	01370	260114		**9756613520**
108.	डा. अमनदीप, पशु चिकित्साधिकारी न्यूली				**9639629770**
109.	डा. सूरज बलूनी, पशु चिकित्साधिकारी बडियारगढ़				**8476812906**
110.	डा. राकेश कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, (थत्यूड) जौनपुर।				**9412303513**
111.	डा. दुर्गा सिंह मोल्फा, पशु चिकित्साधिकारी, (घनसाली) भिलंगना।				**9412018060**
112.	डा. आर0पी0 शुक्ला, पशु चिकित्साधिकारी, फकोट	01378	223522		**9412938262**
113.	डा. गब्बर सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, जाखणीधार	01376	238890		**9759839210**
114.	डा. अमित वर्मा, पशु चिकित्साधिकारी, प्रतापनगर / लम्बगांव				**9456141876 9012957812**
115.	डा. पी0के0 सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, चम्बा				**8449241904**
116.	डा. गब्बर सिंह पशु चिकित्साधिकारी, हिण्डोलाखाल				**9759839210**
117.	डा. अर्चना भदोरिया चमियाला				**7060783907**
118.	डा. श्रीवास्तव, पशु चिकित्साधिकारी टिहरी				**8126209249**

सूचना विभाग informationofficetehri@gmail.com

119.	श्री विक्रम दास जिला सूचना अधिकारी (चार्ज)	01376	232231		**9410101956 9760917889**
120.	कु0 जानकी अति0 जिला सूचना अधिकारी	01376	232231		**7409502419**
121.	श्री सुनिल तोमर	01376	232231		**9410946050**

शिक्षा विभाग ceo.tehri@gmail.com

1	श्री एस0 पी0 सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी (चार्ज)	01378 227244	9758502569 ceo.tehri@gmail.com
2	श्री एस0 पी0 सेमवाल जिला शिक्षाधिकारी (माध्यमिक)	01378 227244	9758502569 deo.tehri.dir@gmail.com
3	श्री सुदर्शन सिंह विष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	01376 233436	9412971307/7055715226 deoee.tehri@gmail.com
4	श्री शशिकान्त अंथवाल, खण्ड शिक्षाधिकारी, भिलंगना	9720986205 beobhilangana@gmail.com	
5	श्री एस0एस0 चौहान, खण्ड शिक्षाधिकारी, चम्बा	9568118749 beochamba@gmail.com	
6	श्री रमेश तोमर, खण्ड शिक्षाधिकारी, देवप्रयाग।	9410365310 beodevprayag1@gmail.com	
7	श्री धनवीर बिष्ट, खण्ड शिक्षाधिकारी, जाखणीधार।	7500568129 beojakhnidhar4509@gmail.com	
8	श्री यशवीर रावत, खण्ड शिक्षाधिकारी, जौनपुर	9411575905 beojaunpur@gmail.com	
9	डॉ0 एस0एस0 नेगी, खण्ड शिक्षाधिकारी, कीर्तिनगर	7055712531 beokirtinagar@gmail.com	
10	श्री ओ0पी0 वर्मा, खण्ड शिक्षाधिकारी, नरेन्द्रनगर	9737016188 beonarendranagar@gmail.com	
11	श्री सत्यपाल शर्मा, खण्ड शिक्षाधिकारी, प्रतापनगर	9410943430 beopratapnagar@gmail.com	
12	श्रीमती विनीता कठैत, खण्ड शिक्षाधिकारी, थौलधार	9412948449 beothauldhar@gmail.com	

122	डा0 अशोक कुमार, प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी	01376	234964	**9411531788**
123	प्रधानाचार्य गौतम अग्रवाल, राजकीय पॉलिटैक्निक, नई टिहरी			**9557151039**
124	प्राधानाचार्य जी0जी0आई0सी0 बौराड़ी सगुप्ता प्रवीन	01376	232352	**9557151039**
125	एस0आर0टी0सी0 बादशाहीथौल	01376	254079	
126	DIET प्राचार्य श्री आशोक कुमार			**9410597740**
127	रा0पॉ0कॉलेज, नई टिहरी प्र0अधि0 सुदामा लाल			**9411126780**
128	श्री ए0के0 सिंह पी0जी0 कॉलेज **एन0एस0एस0**			**9412138159**
129	श्री सुरेश कुमार **एन0सी0सी0**			**9412138531**
130	श्री आर0एस0 सतवाण **एन0सी0सी0 बौराड़ी**			**9411521636**
131	श्री मंमगाई, **एन0सी0सी0 कमाण्डेन्ट नरेन्द्रनगर**			**9458309041**

132.	श्री नरेन्द्र पाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, लोनिवि, **नई टिहरी।**	01376	232073	232086	**9412435659**
133.	श्री टम्टा, बडे बाबू, लोनिवि नई टिहरी, 8वां वृत्त				**9456339440**
134.	श्री कमल सिंह नेगी, अधिशासी अभियन्ता, **लो0नि0वि0, प्रांतीय खण्ड, बौराड़ी।**	01376	233312	233317	**9411154657** **7500340747**
	इं0 डी0 क0 अग्रवाल सहा0 अभि0 इं0 पी0 एस0 बुटोला सहा0 अभि0 टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग व्यासघाट बिलखेत मो0 मार्ग, टिपरी रोडधार राज्य मार्ग	01376	233312	233317	**9412911812** **9412931724**
	इं0 नीरज नौटियाल सहा0 अभि0 लम्बगांव मोटणा रजाखेत घनसाली सैन्दूल राज्य मार्ग	01376	233312	233317	**7830778019**
	इं0 सुरेन्द्र कुमार सहा0 अभि0	01376	233312	233317	**8449210234**
	इं0 लखेश चन्द्र भट्ट सहा0 अभि0 इं0 अनूप रावत सहा0 अभि0 लम्बगांव मोटणा रजाखेत घनसाली सैन्दूल राज्य मार्ग	01376	233312	233317	**9412976128** **9411717532**
135.	श्री एन0 एस0 खोलिया, अधिशासी अभियन्ता, **लो0नि0वि0, चम्बा।**	01376	254062		**7895455269** **9557823200**
	अमित रूसिया सहा0 अभि0 देवेश कुमार सेमवाल अ0सहा0अभि शैलेन्द्र पण्डे अ0सहा0अभि चम्बा क्षेत्र के समस्त मार्ग				**9410786130** **9410131952** **94111172918**
	मुनेन्द्र राजपूत सहा0 अभि0 पंकज तिवारी अ0सहा0अभि0 नागणी क्षेत्र के समस्त मार्ग				**9758111200** **9557947876**
	अमित त्यागी सहा0 अभि0 अशीष पंवार क0 अभि0 रानीचौरी नकोट क्षेत्र के समस्त मार्ग				**9927015337** **9997692956**
	राय सिंह रौतेला सहा0 अभि0 महेश कोठारी क0 अभि0 डोबरा क्षेत्र के समस्त मार्ग				**9410766130** **9759000611**
	किशोर कुमार सहा0 अभि0 देवेश मोहन सेमवाल अ0सहा0अभि कमान्द,सरोट क्षेत्र के समस्त मार्ग				**9897163389** **9897310224**
136.	श्री मो0 आरीफ खान, अधिशासी अभियन्ता, **लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर।**	01378	227225		**7895715175**
	इं0 डी एन तिवारी सहा0 अभि0	01378	227225		**9412116822**
	इं0 मनमोहन सिंह सहा0 अभि0 पौडी देवप्रयाग गजा जाजल राज्य मार्ग–31 किमी 50–80	01378	227225		**7252872212**
	इं0 रत्नेश सक्सेना सहा0 अभि0 पौडी देवप्रयाग गजा जाजल राज्य मार्ग–31 किमी 81–119	01378	227225		**7533944842**
	इं0 एस0 एल0 गोयल सहा0 अभि0 **लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर।**	01378	227225		**9410801246**

137.	श्री रजनीश सैन, अधिशासी अभियन्ता, **लो0नि0वि0, थत्यूड़।**	01376	246321		**7830291398**
	इं0 रीना नेगी सहा0 अभि0 सुवाखोली अलमस भवान, नगुण राज्य मार्ग–30				**9997672184**
	इं0 निरजन रावत, सहा0 अभि0 इं0संजय नवानी सहा0 अभि0 इं0 धर्मेन्द्र चौहान सहा0 अभि0 अगलाड,थत्यूड,अलमस बैण्ड मो0 मार्ग(एमडीआर)				**8630776194,** **9536623213** **9411735731**
	इं0 निरजन रावत, सहा0 अभि0 इं0 प्रशान्त भट्ट सहा0 अभि0 रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल राज्य मार्ग–19				**8630776194,** **8630152274**
	इं0 दीपक रावत सहा0 अभि0 इं0 प्रशान्त भट्ट सहा0 अभि0 बडेथी बनचौरा राज्य मार्ग–16				**9634346378** **8630152274**
	इं0 संजय नवानी सहा0 अभि0 इं0 अशोक सैनी सहा0 अभि0 थत्यूड ककडू मो0 मार्ग,थत्यूड पपरा मो0मार्ग				**9536623213** **9759994210**
138.	श्री अधिशासी अभियन्ता, **लो0नि0वि0, घनसाली**	01379	258327		
	श्री केशव लाल आर्य, सहा0 अभि0 चमियाला बुढाकेदार,अगुण्डा, विनयखाल, धातीकोट–घण्डीयालसौड तितुर्णा मो0 मार्ग				**9411125509**
	इ0 कपिल सहा0 अभि0 उत्तरकाशी घनसाली तिलवाडा राज्य मार्ग–15 (किमी 67–100) घनसाली घत्तु मो0 मार्ग				**9412608841**
	इ0 बृजेश कुमार नेगी सहा0 अभि0 उत्तरकाशी घनसाली तिलवाडा राज्य मार्ग–15 (किमी100–129)				**8979869905**
	इ0 बिरेन्द्र सिंह बसेडा सहा0 अभि0				**9012475006**
139.	श्री विनोद राणा, अधिशासीअभियन्ता, **लो0नि0वि0, कीर्तिनगर।**	01370	260070		**9410782448**
	इ0 सतीशचन्द्र भट्ट सहा0 अभि0 टिहरी हिण्डोलाखाल देवप्रयाग किमी 40–65				**8979898402**
	इ0 पी एस बर्त्वाल सहा0 अभि0				**9412006064**
	इ0 जे पी थपलियाल सहा0 अभि0				**9410527957**
	इ0 हर्षवर्धन मैठाणी सहा0 अभि0				**9412111438**
140.	श्री कुंवर सिंह असवाल, अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण खण्ड, नई टिहरी।**	01376	232136		**9412983660**
141.	श्री नवनीत पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता **एनएच–507 बड़कोट खण्ड**				**9997976809**
	श्री मनोज रावत सहा0 अभि0				**7895042809**
	श्री विरेन्द्र नेगी सहा0 अभि0				**9456754987**
	श्री पंकज शर्मा सहा0 अभि0				**9456317850**
	श्री नवीन चौहान सहा0 अभि0**एनएच–507**				**9411505894**

	बडकोट खण्ड				
142.	श्री जीत सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता **एनएच–707 A** देहरादून खण्ड (eenhddn@gmail.com) बाटाघाट से नई टिहरी।				**9412054234**
	श्री पुष्कर सिंह नेगी सहा0 अभि0				**9412051762 7983639915**
143.	श्री दिनेश कुमार विजल्वाण अधि0 अभि0 एनएच– **707 A रा0 मा0 खण्ड़ लो0नि0वि0 श्रीनगर** नई टिहरी से मलेथा।	01346	250711		**9458135631**
	मोहम्मद तहसीन सहा0 अभि0				**9411158962**
144.	श्री इं0 ओ0पी0 सिहं अधि0 अभि0 एनएच–**707 A** **रा0 मा0 खण्ड़ लो0नि0वि0 डोईवाला** यमुना पुल से मंसूरी बैण्ड किमी 134 से 162	0135	2695884		**9412988879**
	श्री इं0शिव सिहं रावत सहा0 अभि0				**9412920434**
	श्री इं0 शिवराज लोधियाल अ0सहा0 अभि0 यमुना पुल से मंसूरी बैण्ड किमी 134 से 162				**9412908868**
145.	श्री दिनेश कुमार विजल्वाण अधि0 अभि0 एनएच–58 **रा0 मा0 खण्ड़ लो0नि0वि0 श्रीनगर**	01346	250711		**9458135631**
	श्री दिपक कोहली कानि0सहा0 ऑफिस नम्बर				**8126972910**
	मृत्युंजय शर्मा सहा0 अभि0 एनएच–58 ब्रहमपुरी से कौडियाला किमी0 235 से 268				**9412109459 8126298676**
146.	बी0 एन0 द्विपेदी सहा0 अभि0 एनएच–58 कौडियाला से देवप्रयाग किमी0 268 से 300				**9997633626**
147.	मो0 तहसीन सहा0 अभि0 एनएच–58 देवप्रयाग से कीर्तिनगर किमी0 300 से 328				**9411158962**
148.	श्री के0एस0 असवाल, डोबरा चांठी पुल अधिशासी अधिकारी निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि नई टिहरी				**9412983660**
149.	श्री सौरभ सिंह, परियोजना निदेशक, पीआईयू एन0 एच0 खण्ड				**9643890525**
150.	श्री कैलाश जोशी, ऋषिकेश–आगराखाल पीआईयू एन0 एच0 खण्ड				**9411793992**
151.	PIU M.G. Contractors Pvt.Ltd परवेश पचोरिया सेफ्टि ओफिसरएन.के. यादव				9456536352
	रणजीत कुमार deputy Project Manager				7088020225
	एडमिन ओफिसर				7088020231

	रोहित राणा सेक्सन इन्चार्ज		9816904068	9456536352	7088020233
	ऐ.के.गुप्ता सेक्सन इन्चार्ज				9760668612

सीमा सड़क संगठन (BRO) 1442bcc@gmail.com

152.	लै0 कर्नल सुनील श्रीवास्तव नरेन्द्रनगर	01378	227244		**9418008965**
153.	शिवानी मल्होत्रा AEE NH 94 आगराखाल से धरासू				**8447928756**
154.	अनूपम व्यास जी, JE **कण्डीसौड से धरासू**				**7895868178** **7895997701**
155.	अभिषेक देव JE **हडमतल्ला से कमान्द किमी 65—110**				**9690530050**
156.	श्री हरेन्द्र ओझा JE चम्बा से आगराखाल				**9774242747** **7668147139**
157.	श्री पी0एस0 मण्डल, चम्बा से रामगढ़				**9774242747**
158.	श्री जे0ई0राव, आगराखाल से नरेन्द्रनगर				**9458179553** **7040930411**
159.	कमान अधिकारी, तेखला, 56 ए पी ओ, उत्तरकाशी 01374—222079 श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव	01374	222076		**8257019500**
160.	रोड इंचार्ज बीआरओ	01374	222268		

निर्माण खण्ड ए0डी0बी0/विश्व बैंक लो0नि0वि0

161.	श्री अशोक कुमार, अधियक्षण अभियन्ता	01376	234236		**9412988870**
	श्री संजीव राठी, अधिशासी अभियन्ता	01376	234236		**9412645076**
	शीतल असवाल, ए.ई. टिहरी सर्किल, एडीबी टिहरी				**7895826250**
	लोकेश कुमार सारस्वत सहायक अभियन्ता मनु सिंह कनिष्ठ अभियन्ता **9997139457** रामपुर—श्यामपुर, सुलिया—रामगांव, चम्बा— रानिचौरी				**9690758807** **9634177116**
	अशोक चौहान सहायक अभियन्ता भूपेंन्द्र रावत 8394088411 नैनबाग—एन्दी, कमान्द—थौलधार रानीचौरी—डंडाचली				**8394088411** **8126186710**
162.	श्रीमती रचना थपलियाल, अधिशासी अभियन्ता **लो0नि0वि0 विश्व बैंक**	01376	232198		**9761285313**
163.	अशोक कुमार अधिक्षण अभियन्ता **लो0नि0वि0 विश्व बैंक**	01376	234236		**9412988870**

सव रजिस्ट्रार कार्यालय सम्पर्क न0—अमित कपूर—9997510837

पी0एम0जी0एस0वाई0

164.	श्री एस0 एस0 तोमर, अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 मसूरी	0135	2636907		**9412053142**
165.	श्री संजय श्रीवास्तव, अधिशासीअभियन्ता, प्रतापनगर, घनसाली, जाखणीधार, टिहरी।	01376	234594		**9411502025** **7055613644**
166.	श्री आशीष कुमार सिहं एई घनसाली				**9450380457** **7251999477**
167.	श्री संजीव कुमार यादव एई घनसाली				**9837190496**
168.	श्री अविनाश सैनी एई जाखणीधार भिलंगना				**8954501501**
169.	श्री एस. एस. भण्डारी एई जाखणीधार				**9634606226**
170.	श्री रोहित श्रीवास्तव एई टिहरी, प्रतापनगर				**7251999475**
171.	शीशपाल जेई				**9536816553**

172.	श्री आर0पी0 पन्त, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वितीय। थत्यूड, थौलधार, चम्बा।	01376	232321		**9412346853 7055613645**
173.	श्री रमेश चन्द कोठारी सहा0 अभि0 चम्बा				**8954652424**
174.	श्री विनय बोहरा एई थत्युड				**8919705646**
175.	श्री गीतेश गौरव सैनी एई थौलधार				**9458178386**
176.	श्री जी0सी0 नैनवाल एई थौलधार				**9410789114**
177.	कु0 पूनम जेई चम्बा भिलंगना				**8394038975**
178.	श्री अजय पुण्डिर जेई वम्बा थौलधार				**812692129**
179.	श्री जे0पी0 रतुड़ी, अधिशासी अभियन्ता, कीर्तिनगर।	01370	260461		**9977232566**
180.	श्री संजीव कौशीक एई				**941019100**
181.	श्री कुलदीव रावत एई				**9412983942**
182.	श्री जगन्नाथ पटवाल एई				**9634967929**
183.	श्री प्रदीप जेई				**9458106116**
184.	श्री आर0 वी0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, नरेन्द्रनगर।	01378	227082		**9219592707**
185.	श्री राजू अधिकारी एई				**9759175420**
186.	श्री डी0एम0 गुप्ता				**9897062274**
187.	कु0 राखी जेई				**9761309492**

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा eerestehri@gmail.com

188.	श्री नवीन चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता।	0135	2789747		**9412406953**
189.	श्री युवराज सिंह, अधिशासी अभियन्ता, टिहरी।	01376	232152		**9639333569**
190.	श्री गीता उनियाल, अधि0 अभि0 टिहरी।				**9997561866**
191.	श्री डी0पी0 जोशी, अधिशासी अभियन्ता, घनसाली।	01379	258428		**9411358150**

उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नई टिहरी setehripeyjal@gmail.com

192.	, अधीक्षण अभियन्ता। विजयपाल बाबू 9536781398	01376	232881	233911	
193.	**श्री अनुपम रतन, अधि0अभि0 निर्माण शाखा नई टिहरी।** eepeyjaltehri@gmail.com	01376	232167		9411535862
	इं0 रविन्द्र बिष्ट सहायक अभियन्ता				**8126688287**
	इं0 भीमदास निराला अपर सहायक अभियन्ता				**9410591442**
	इं0 मुकेश कुमार अपर सहायक अभियन्ता				**9412960356**
194.	इं0 एस0सी0 सेमल्टी कनिष्ठ अभियन्ता				**9411142809**
	श्री सुधीर कुमार अधिशासी अभियन्ता **निर्माण शाखा मुनिकीरेती।** eepayjalmkr@yahoo.co.in	0135	2430816		**9412047797**
	श्री एस0एन0 सिंह सहायक अभियन्ता				**7830500850**
	श्री सौरभ कुमार शर्मा सहायक अभियन्ता				**9411336701**
	श्री रवेन्द्र कुमार सहायक अभियन्ता				**9719431290**
	श्री भूषण सिंह अपर सहायक अभियन्ता				**9411130196**
	श्री अशोक कुमार अपर सहायक अभियन्ता				**9411387370**
	श्री रविन्द्र सिंह अपर सहायक अभियन्ता				**8384819479**
	श्री दिनेश दंवाण अपर सहायक अभियन्ता				**7830600047**
	श्री मौहित जैन अपर सहायक अभियन्ता				**9760720704**
	श्री सुबोध प्रसाद कनिष्ट अभियन्ता				**9634402008**
195.	श्री नवनीत कटारिया प्रभारी अधिशासी अभियन्ता **निर्माण शाखा घनसाली** eepeyjalghansali1@gmail.com	01379	258459		**7579116777**
	श्री आशीष कुमार मिश्रा, सहायक अभियन्ता				**9997239032**
	श्री योगेश जंगपांगी, अपर सहायक अभियन्ता				**9412117078**

	श्री तारा चन्द शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता				**9411748289**
196.	इं0 राजेश सिह, अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण शाखा** **देवप्रयाग** |eepayjaldevprayag77@yahoo.com	01378	266006		**8755397432**
	श्री कान्ता प्रसाद सहायक अभियन्ता				**9412120405**
	श्री लक्ष्मी नारायण चन्दोला सहायक अभियन्ता				**9412954929**
	श्री रमाकान्त सहायक अभियन्ता				**7830500871**
	श्री अजयपाल सिह तोमर अपर सहायक अभियन्ता				**9760171255**
	श्री प्रदीप पयाल अपर सहायक अभियन्ता				**7060331568**
	श्री प्रदीप सिह अपर सहायक अभियन्ता				**9412960647**
	श्री चन्द्र प्रकाश ध्यानी अपर सहायक अभियन्ता				**7830600189**
197.	श्री आलोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, **निर्माण शाखा चम्बा |** eechamba@gmail.com	01376	255230		**9411110044**
	इं0 अजयपाल सिह सहायक अभियन्ता				**9412114627**
	श्री प्रभात कुमार कंसल सहायक अभियन्ता				**9456377686**
	श्री राजवीर सिह राणा अपर सहायक अभियन्ता				**9411143448**
	श्री विनोद कुमार अपर सहायक अभियन्ता				**9458326939**
	श्री अमजद खान अपर सहायक अभियन्ता				**7037918186**
	श्री नवल नौटियाल अपर सहायक अभियन्ता				**9410712033**
	श्री कृष्ण कुमार कण्डवाल कनिष्ठ अभियन्ता				**9412964139**
	श्री प्रकाश चन्द्र आर्य कनिष्ठ अभियन्ता				**7088574116**

जल संस्थान

198.	श्री सुबोध कुमार, अधीक्षण अभियन्ता				**9412072077**
	श्री सतीश नौटियाल, अधिशासी अभियन्ता, **नई टिहरी**	01376	232154	232175	**9410071076**
	श्री प्रवीन मंमगाई (अपर सहायक अभियन्ता) श्री विपिन कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता) **जलकल नई टिहरी,**				**9457643739** **9758243475**
	श्री महावीर सिंह राणा (कनिष्ठ अभियन्ता) नई टिहरी जलोत्सारण (सीवर)				**9411719344**
	चम्बा श्री नीरज त्रिपाठी (अपर सहायक अभियन्ता) श्री मुनेन्द्र सिंह (कनिष्ठ अभियन्ता)				**9412383106** **8171109436**
	थौलधार श्री गिरीशचन्द्र सेमवाल (अपर सहायक अभियन्ता)				**9412922841**
	नैनबाग श्री राकेश जोशी (अपर सहायक अभियन्ता)				**7579287780**
	श्री महावीर सिंह राणा (कनिष्ठ अभियन्ता)				**9411719344**
	प्रतापनगर श्री अभिषेक शाह (कनिष्ठ अभियन्ता)				**8755969748**
	श्री राजकिशोर पोखरियाल (कनिष्ट अभियन्ता)				**9997741014**
	जाखणीधार श्री विनय बगियाल (कनिष्ट अभियन्ता)				**7088526113**
199.	श्री राजीव सैनी अधिशासी अभियन्ता **देवप्रयाग**	01378	266524		**9897598019**
	श्री जी0सी0 भट्ट सहायक अभियन्ता				**9412051390**
	कु0 अनुराधा चौहान अपर सहायक अभियन्ता				**8384862017**

	श्री तेजपाल सजवाण (कनिष्ट अभियन्ता)				**9719656533**
200.	श्री आनंद सिंह नेगी **हिण्डोलाखाल**				**9690394117**
201.	श्री तेजपाल सजवाण क0अभि0 **नरेन्द्रनगर (चाका क्षेत्र)**				**9719656533**
202.	श्री विजय सिंह (कनिष्ट अभियन्ता) **नरेन्द्रनगर** (गूलर क्षेत्र)				**7895245153**
203.	श्री अनीश पिल्लई सहायक अभियन्ता **जाखणीधार / कीर्तिनगर**				**7500005717**
	श्री अमित रतूड़ी क0अभि0 **कीर्तिनगर**				**8449366399**
	श्री तेजपाल सजवाण क0अभि0 **जाखणीधार**				**9719656533**
204.	श्री अभिषेक वर्मा, सहायक अभियन्ता, **घनसाली**	01379	258348		**9412436778**
	चमियाला श्री दिवाकर डंगवाल(कनिष्ट अभियन्ता) श्री ब्रहमपाल (कनिष्ट अभियन्ता) चमियाला				**7500947026** **9897471066**
	श्री पंकज नेगी (कनिष्ट अभियन्ता) घनसाली श्री सुमित गुनसोला (कनिष्ट अभियन्ता)				**8392996858** **8979198519**

आपूर्ति विभाग dsotehri111@gmail.com

205.	श्री एम0 एन0 जोशी, **जिला अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा,**				**9412021606**
206.	श्रीमती शारदा शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,				**7895200144**
207.	श्री मुकेश जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी	01376	232160		**9899852996**
208.	श्री अमित भण्डारी वरिष्ठ सहायक जिला पूर्ति टिहरी	01376	232160		**9456119002**
209.	श्री यशपाल रावत आशुलिपिक जिला पूर्ति टिहरी	01376	232160		**8958717055**

टी0एच0डी0सी0

210.	अधिशासी निदेशक, भागीरथीपुरम,टिहरी कॉम्प्लैक्स	01376	236312	236816	
211.	श्री बीर सिंह, अपर महाप्रबन्धक, भागीरथीपुरम	01376	236322	235457	**9319001417**
212.	श्री यू0के0 ठाकुर, एजी0एम प्लानिंग	01376	236110		**9412077998**
213.	श्री एम0के0 सिंह ए0जी0एम प्लानिंग	01376	236031		
214.	श्री बी0के0 गुप्ता, डी0जी0एम0				**9411103556**
215.	श्री के0पी0 सिंह, (पी0एस0पी0)				**9412076324**
216.	यूनिट कंट्रोल रूम	01376	236346		
217.	श्री शुक्ला, डी0जी0एम0 डैम	01376	235204		**9411103540**
218.	श्री मोहर मनी				**9411106931**
219.	श्री सिन्हा				**9412970514**
220.	डॉ0 प्रमोद कुमार, टीएचडीसी चिकित्सालय				**9411103698**
221.	श्री डी0बी0 सिंह, सी0एम0डी0,ऋषिकेश				**9411103546**
222.	श्री भराज ऋषिकेश	0135	2431464	2430409	**9411103634**
223.	श्री विजय गोयल, जी0एम0 (P&A) ऋषिकेश	0135	2430753		
224.	श्री डी0जी0एम0 प्रशासनिक ऋषिकेश	0135	2473452		
225.	इंचार्ज टीएचडीसी गेस्ट हाऊस ऋषिकेश	0135	2473581		
226.	श्री एस0 आर0 मिश्रा, जनरल मैनेजर, सामाजिक एवं पर्यावरण	0135	2439415		**9412051370**
227.	श्री पी0के0 अग्रवाल, जी0एम0 प्रोजेक्ट, कोटेश्वर	01370	237300	—	**9411108741**
228.	ए0जी0एम0 कोटेश्वर बांध	01376	236343	236344	

229.	श्री सतबीर सिंह असवाल, उप कमाण्डेन्ट, C.I.S.F. श्री महेन्द्र पाल सिंह, उप कमाण्डेन्ट, C.I.S.F.	01376	236562	236561	**9411103626** **8171788216** **9412078824**
230.	श्री जगत सिंह जंगपांगी, सहायक कमाण्डेन्ट, C.I.S.F.	01376	236456		**9412077125** **7579205473**
231.	श्री पी0डी0 स्वामी, निरीक्षक C.I.S.F.				**9412077137** **7060452810**
232.	श्री संतोष, सब–इंस्पेक्टर, C.I.S.F.				**7042129816**
233.	सी0एम0ओ0, टी0एच0डी0सी0	01376	236304	236306	
234.	टी0एच0डी0सी0 पावर हाऊस, डैम	01376	235251	236321	
235.	श्री अतुल कपूर, ए जी एम, टिहरी झील कन्ट्रोल रूम	01376	236148		**9411112475**
236.	CISF Commandend बी0 पूरम सुरेन्द्र कुमार				**9411103626**
237.	डॉ0 प्रमोद कुमार, टी0एच0डी0सी0 चिकित्सालय				**9411103698**
238.	श्री अमरदीप सी0एस0आर0 टी0एच0डी0सी0				**9412059955**
239.	CC Tv Control Room	01376	235513		
240.	Fire Station THDC	01376	235511		**9411103561**
241.	GVK कीर्तिनगर				**9675799999**
242.	NHPC श्री जगाडियाल जी				**7500044488**
243.	Gunsola Hyadroproject घुत्तु				**9412051219**

पुनर्वास

244.	डॉ0 वी0 षणमुगम, पुनर्वास निदेशक, टिहरी	01376	232057	232040	**9458997766**
245.	प्रेम सिंह पंवार, अधीक्षण अभियन्ता, पुनर्वास	0135	2658035		
246.	श्री प्रसिद्ध नारायण राय, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, खण्ड–22, पुनर्वास	01376	232429		**9412901945**
247.	श्री रामगोपाल यादव, अधिशासीअभियन्ता, अनुसंधान खण्ड, खारा, ऋषिकेश	0135	2450142		**9897075179**

सूचना विज्ञान केन्द्र uateh@nic.in

248.	श्री सौरभ रतूड़ी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी, नई टिहरी।	01376	232059		**9458150733**
249.	श्री मनीष उनियाल, एनआईसी केन्द्र, नई टिहरी	01376	232059		**9412909056**
250.	श्री नितिन डोभाल, स्वान, नई टिहरी				**8791415403**
251.	श्री पीताम्बर बडोनी, एनआईसी केन्द्र, नई टिहरी	01376	232059		**9411552402**

कोषागार treas-teh-ua@nic.in

252.	श्री रोमिल चौधरी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी	01376	232237 232612		**9411291568**
253.	श्री बालकराम, कोषाधिकारी, नई टिहरी				**9219736164** **7060108586**
254.	श्री भगत सिंह पुण्डिर नई टिहरी				**941296065**
255.	श्री टी0एस0रमोला, प्रतापनगर				**9410753932**
256.	श्री राधा कृष्ण गैरोला, कोषाधिकारी, नरेन्द्रनगर	01378	227267		**7060108781**

वन dfotehri.ua@rediffmail.com

257.	श्री कोकोरेसी, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग	01376	232077	232078	**9412076133**
258.	श्री वी0के0 सिंह , प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम	01376	232074	232014	**9412050051**

	वन प्रभाग				
259.	श्री धर्म सिंह मीणा, प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती	0135	2442052		**9411110116 9456709081**
260.	सुश्री कहकंसा नसीम, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी	0135	2631765		**8755967898**
261.	श्री विजय बहादुर भूमि संरक्षण वनप्रभाग उत्तरकाशी				**9415064667**
262.	श्री, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीचौरी				**9412050051**
263.	श्री आशीष डिमरी, रेंज अधिकारी, टिहरी				**9411135887**
264.	श्रीमती लक्की शाह, रेंज अधिकारी, लम्बगांव				**8439566654 9012392736**
265.	श्री ओम प्रकाश, रेंज अधिकारी, पौखाल				**9412027044**
266.	श्री पूजा पयाल, रेंज अधिकारी, बालगंगा				**7579031993**
267.	श्री शरत सिंह नेगी, रेंज अधिकारी, भिलंगना				**9456116185**
268.	श्री प्रभोद पाण्डेय, रेंज अधिकारी, कीर्तिनगर				**9760465812**
269.	श्री महेश रावत, (फॉरेस्टर) नैनबाग				**8979211470**
270.	श्री राजेन्द्र रावत, रेंजर, नैनबाग भद्रीगाड				**9410194755**
271.	टोलफ्री, वन विभाग, नई टिहरी				**9208008000**
272.	श्री बुद्धि प्रकाश रेंज अधिकारी सकलाना और सूरकण्डा				**9412027319**

वन निगम 013762320088@gmail.com

273.	श्री वी0के0 नौटियाल प्रभागीय लौगिक अधिकारी	01376	232088		**9568003222**

सिंचाई

274.	श्री कमल सिंह, अधिशासीअभियन्ता, सिंचाई खण्ड, द्वितीय, नरेन्द्रनगर।	01378	227282	id2narendranagar2009@gmail.com	**9720661239 7579211821**
275.	श्री नितेश रावत, ड्रा0मैन सिंचाई खण्ड, द्वितीय, नरेन्द्रनगर।				**9410519638**
276.	श्री एम पी शर्मा, पी0ए0 सिंचाई खण्ड द्वितीय	01378	227282		**8126883208**
277.	श्री बृजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, नई टिहरी।	01376	232072	exen.id1tehri@gmail.com	**9634069999**
278.	श्री मदन सिंह विष्ट, सहा0 अभि0, प्रथम, नई टिहरी				**9557804650**
279.	श्री अनिल कुमार, सहा0अभि0, द्वितीय, घनसाली				**9411138460**
280.	श्री लोकेन्द्र राणा सहा0अभि0, तृतीय, घनसाली				**9411122449**

लघु सिंचाई eemidntt@gmial.com/ddraturi@gmail.com

281.	श्री ऐके पाठक , अधिशासीअभियन्ता	01376	234134		**9458387937**
282.	श्री अब्दुल जामीर बेग, अपर सहायक अभियन्ता, टिहरी/घनसाली	01376	234134		**9997110479**
283.	श्री ए0के0 शुक्ला सहा0 अभि0, टिहरी				**9410977451**
284.	श्री वी0के0 चौहान, सहायक अभियन्ता, घनसाली				**9412032804**

285.	श्री एम0एस0 फरसोन, सहायक अभियन्ता, नरेन्द्रनगर				**9897121530**

मत्स्य विभाग adftehrigarhwal@gmail.com

286.	श्रीमती अल्पना हल्दिया, सहायक मत्स्य अधिकारी।				**8126981281**
287.	श्री साकेत, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक।				**9411159580**

अल्प बचत

288.	श्री पुरी जिला अल्प बचत अधिकारी, नई टिहरी	01376	232096		8449099990
289.	श्री एस0एस0 पाल अपर जिला अल्प बचत अधिकारी नई टिहरी	01376	232096		9412348652

सैनिक कल्याण zsk.ntt2009@gmail.com

290.	श्री चन्द्र सिंह बिष्ट (से0नि0) सैनिक कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	01376	234145		**8126447790**
291.	श्री कैप्टन डी0एस0 बागड़ी सहा0 सैनिक कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	01376	234145		**9410352066**

महिला सामाख्या ms.tehri@rediffmail.com

292.	रीना पंवार, महिला सामाख्या, जिला समन्वयक	01376	233283		**9410180233**

जिला अर्थ एवं संख्या/नियोजन dstotehri@gmail.com

293.	श्री निर्मल शाह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	01376	232075		**8449066660**
294.	श्री धारा सिंह, अपर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	01376	232075		**9634392170**

परिवहन artoteh-trans-uk@nic.in

295.	श्री निखिल कुमार ओझा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	01376	233623		**9411035573** **8394836300**
296.	श्री अनिल भारती वरिष्ठ सहा0 नई टिहरी	01376	233623		**9410912026**

उद्यान्न dhotehri@yahoo.com

297.	श्री डा0 डी0 के0 तिवारी, जिला उद्यान्न अधिकारी	01376	232156		**9412027820**
298.	श्री डी एस नेगी, सहा0 उद्यान	01376	232156		**9411746130**

डेयरी

299.	श्री प्रेम लाल, सहायक निदेशक, दुग्ध विकास	01376	232071		**9411370897**
300.	श्री ए0के0सिंह0 मैनेजर आंचल डेयरी	01376	232042		**9411188561**

पर्यटन dtdotehri@gmail.com

301.	श्री सुरेश सिंह यादव, पर्यटन विकास अधिकारी	01376	233240		**9412998518**
302.	श्री सोबत सिंह राणा, जिला साहसिक अधिकारी	01376	233240		**7300799202** **9410342577**

टिहरी झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

	श्री नवीन नेगी, विपणन अधिकारी।	01376	232795		9627000376

	श्री दर्शन सिंह पंवार, कनिष्ठ सहायक।	01376	236794		9758435842
	श्री सुरेन्द्र दत्त, पैन्यूली, वोट ऑपरेटर कोटी कॉलोनी				9719253691

आपदा प्रबन्धन, आपातकालीन परिचालन केन्द्र deoctehri@gmail.com

303.	श्री बृजेश भट्ट, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	01376	233433		**9411399080**
304.	आपदा परिचालन केन्द्र में संचालित मोबाईल नम्बर	01376.234793 **8126268098, 9761380930, 7465809009, 9456533332**			
305.	श्री राजेन्द्र उनियाल, सी0आर0ए0, जिला कार्यालय	01376	233433		**9456555549**
306.	श्री प्रकाश लाल, ए0सी0आर0ए0, जिला कार्यालय	01376	233433 234793	(टोल फ्री 1077)	**9412964106**

श्रम विभाग

307.	श्री सिरताज सिंह श्रम प्रर्वतन अधिकारी			**890984028**

युवा कल्याण/खेलकूद/नेहरू युवा कल्याण youthwelfaretehri@gmail.com

308.	श्री मुकेश डिमरी, जिला युवा कल्याण अधिकारी चार्ज में	01376	234104		**9412030757**
309.	श्री कृष्ण कुमार, जिला खेलकूद अधिकारी, नरेन्द्रनगर	01378	227275		**9719238967**
310.	श्री दिनेश उपध्याय, जिला नेहरू युवाकल्याण अधिकारी	01376	233085	nyktehrigarhwal@gmail.com	**9411769263**

समाज कल्याण dswotehrigarhwal@yahoo.com

311.	श्री अभिनाष भदोरिया, जिला समाज कल्याण अधिकारी	01376	232130		**7579218617**

बाल विकास

312.	श्री संदीप अरोड़ा, जिला कार्यक्रम अधिकारी	01376	232213		**9808244742**

सहकारिता

313.	श्री, सहायक निबन्धक, सहकारिता, नरेन्द्रनगर	01378	227159		

कृषि cao.tehri@gmail.com

314.	श्री जे0 पी0 तिवारी, मुख्य कृषि अधिकारी, नरेन्द्रनगर	01378	227501		**9454768810**
315.	श्री अरविन्द कुमार कृषि एवं भूमि सरंक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर	01378	227501		**9411703500**

होमगार्ड dchgtehrigarhwal@gmail.com

316.	डा0 राहुल सचान, जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड, नरेन्द्रनगर	01378	227270		**9415262010**
317.	श्री विजयपाल जि0 सहा0 कमाण्डेन्ट होमगार्ड, नरेन्द्रनगर	01378	227270		**9997240574**

स्वजल dpmu_ntehri@rediffmail.com

318.	श्री भरत चन्द्र भट्ट (चार्ज में), परियोजना प्रबन्धक, स्वजलअ0 मेनेजर श्री राणा जी	01376	233948		**8449994000 9412352165**

आबकारी

319.	श्रीमती रेखा जुयाल जिला आबकारी अधिकारी	01376	234796		**7017375607**
320.	श्री प्रेरण बिष्ट, आबकारी निरीक्षक, टिहरी, नरेन्द्रनगर कीर्तिनगर				**7579098304**

उद्योग dicteh@doiuk.org

321.	श्री महेश प्रकाश, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर।	01378	227297		**9410102074**
322.	श्री उत्तम मेहरा सहा0 प्रबन्धक	01378	227297		**9458342910**

निर्वाचन

323.	श्री शान्तिलाल शाह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। श्री चौहान, एस0ए0ओ0–**9410379429**	01376	232164		**7060378198**
324.	श्री विजय बिष्ट, प्रभारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानी चुनावालय टिहरी।	01376	232884		**7534820762 9411735853**

मनोरंजन

325.	श्री सुभाषचन्द्र शर्मा जिला मनोरंजन अधिकारी	01376	234300		9411395259

उरेडा ureda.tehri@gmail.com

326.	श्री मनोज कुमार, परियोजना अधिकारी, नरेन्द्रनगर	01378	227260		**9411079047**
327.	श्री सुरेन्द्र रावत, उरेड़ा नरेन्द्रनगर	01378	227260		**9410079873**
328.	श्री दलवीर सिंह रावत कनि0सहा0				**7895869395**

दूरसंचार sdeutk@gmail.com

329.	श्री राहुल रस्तोगी, महा प्रबन्धक, दूरसंचार	01376	233777		**9412000255**
330.	श्री बलवन्त सिंह नेगी, सहायक महाप्रबन्धक, नई टिहरी		232900		**9412077666**

अभियोजना

331.	श्री श्याम सिंह तोमर, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	01376	232339		**9411775158**
332.	श्री राजीव डोभाल, सहायक अभियोजन अधिकारी				**9997809700**

सेवायोजन विभाग

333.	श्री विक्रम दास, जिला सेवायोजन अधिकारी	01376	232497		**9410101956**
334.	श्री देवेन्द्र सिंह रावत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01376	232497		**9412969692**

पंचायतराज dpronewtehri@gmail.com

335.	श्री रनवीर सिंह असवाल, जिला पंचायतराज	01378	227263		**8006528370**

	अधिकारी, नरेन्द्रनगर				**9105906036**
336.	श्री कर्णचन्द रमोला, सहा0जि0पं0अधि0				**9458345497**
337.	श्री गजेन्द्र प्रसाद, बड़े बाबू	01378	227263		**7060215460**

जिला पंचायत dtdotehri@gmail.com

338.	श्रीमती सोना सजवाण , जिला पंचायत अध्यक्षा, टिहरी	01376	232342		**9412077100**
339.	श्री संजय खण्डूरी, अपर मुख्य अधिकारी	01376	232342	233342	**9456347273**

निर्माण ईकाई

340.	श्री चतरेश कुमार सेन, परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम	01376	232030		**8630693357**
341.	श्री कमल कुमार नौटियाल उप अभियान्ता	01376	232030		**9412076233**

नगर निकाय

342.	श्री राजेन्द्र सजवाण, अधिशासी अधिकारी, टिहरी (न0पा0)	01376	233323		**9411185348**
343.	श्री डी0पी0 भट्ट, चार्ज में नरेन्द्रनगर (न0पा0)	01378	227237		**9412972924** **8218063261**
344.	श्री एस.सी. जोशी, अधिशासी अधिकारी, चम्बा (न0पा0)	01376	255308		**9627118066**
345.	श्री कृष्ण प्रसाद सेमवाल (लिपिक) चम्बा (न0पा0)	01376	255308		**9411147979**
346.	श्री बद्री प्रसाद, अधिशासी अधिकारी, मुनिकीरेती ढालवाला (न0पा0)	0135	2430148		**9412921134**
347.	श्री कल्याण सिंह नेगी (लिपिक) मुनिकीरेती ढालवाला (न0पा0)	0135	2430148		**9412994128**
348.	श्री बलवन्त सिंह, अधिशासीअधिकारी, देवप्रयाग (न0पा0)	01378	266250		**9412407363**
349.	श्री सुरेश पन्त (लिपिक) देवप्रयाग	01378	266250		**8865048919**
350.	श्री बासुदेव डंगवाल, अधिशासीअधिकारी, कीर्तिनगर न0पं0	01370	260439		**9411363579** **9411743492**
351.	श्री गोवर्धन प्रसाद जोशी (लिपिक) कीर्तिनगर	01370	260439		**9411743492**
352.	श्री कुलदीप प्रसाद नैथानी, अधिशासी अधिकारी, घनसाली(न0पा0)				**8192889363**
353.	श्री विरेन्द्र सिंह पंवार चमियाला (चार्ज में)				**9411145838**
354.	श्री ताजवीर सिंह गजा (चार्ज में)				**9411370270**
355.	श्री उपेन्द्र दत्त तिवारी, लम्बगांव (चार्ज में)				**9719636073**

अग्निशमन fsotwl.ukfs@gmail.com

356.	श्री बीरबल सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, टिहरी	01376	233611	233611	**9458197883** **7579241569**
357.	श्री उमा प्रकाश कान्ती, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी द्वितीय नरेन्द्रनगर	01378	227255	fsonnr.ukfs@gmail.com	**9458197884** **9997077322**

विद्युत विभाग eddteh@yahoo.com

358.	श्री राकेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी EE EDD Tehri	01376	233117		**9412078666**

359.	श्री अमित तोमर, सहायक अभियन्ता, नई टिहरी	01376	233117		**9412078859**
360.	श्री अनुज कुमार, उपखण्ड अधिकारी, नई टिहरी	01376	233737		**9412077019**
361.	श्री अस्वानि कुमार उपखण्ड अधिकारी, घनसाली श्री रविन्द्र प्रताप जे0ई	01379	258638		**9412078017** **7830241410**
362.	श्री सरोज कुमार गौतम, उपखण्ड अधिकारी, प्रतापनगर	01379	262425,		**9837018419**
363.	श्री अमित तोमर, उपखण्ड अधिकारी, चम्बा	01376	255225,255480		**9412078011**
364.	श्री स्वर्ण सिंह रावत, उपखण्ड अधिकारी, नरेन्द्रनगर	01378	227667		**9837018249**
365.	श्री सौरभ चमोली, उपखण्ड अधिकारी, मुनिकीरेती	0135	2442112		**9412077423**
366.	बिजली घर नई टिहरी	01376	232050		
367.	अधि0अभि0, एस.के. सहगल, श्रीनगर डिवीजन रजनी				**7351382118** **9412079921** **9410394641**

खान अधिकारी भूगर्भवेता भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, नई टिहरी

368.	श्री दिपेन्द्र चन्द्र, उपनिदेशक भू–वैज्ञानिक				**9412032803** **8192802331**
369.	श्री अनन्तराम बंगवाल, नई टिहरी				**9412964955**

ई ड्रिस्ट्रीक

370.	श्री हरेन्द्र शर्मा	8476009292, 9760321121

टिहरी झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

371	श्री अजयवीर सिंह, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी।				**9634228827**
372	श्री नवीन नेगी, विपणन अधिकारी।	01376	232795		**9627000376**
373	श्री दर्शन सिंह पंवार, कनिष्ठ सहायक।	01376	236794		**9758435842**
374	श्री सुरेन्द्र दत्त, पैन्यूली, वोट ऑपरेटर कोटी कॉलोनी				**9719253691**

आई0टी0बी0पी0

375.	आई. टी. बी. पी. मातली	01374	235366		**9411113971**
376.	आई. टी. बी. पी. महीडाण्डा रवि शंकर	01374	222169		**9411576441**
377.	आई. टी. बी. पी. गौचर सीओ	01363	247099		**9410394883**
378.	आर्मी फॉर हैल्प, नरेन्द्रनगर				**9410750528**
379.	श्री अर्जुन जी आर्मी फॉर हैल्प, नरेन्द्रनगर				**7060401411**

एस0डी0आर0एफ0 जौलीग्राण्ट/ देहरादून

380.	श्री संजय गुंज्याल पुलिस महानिरीक्षक, एसडीआरएफ, देहरादून	0135	2412197	फैक्स 0135–2712080	**9411112945**
381.	पोखरियाल जी बडा बाबू, एसडीआरएफ, देहरादून राजेन्द्र सिंह बिष्ट				**9917154301** **9411363190**
382.	एसडीआरएफ जौलीग्राण्ट, जगदीश चन्द्र पंत, इन्सपेक्टर	0135	2410197	cosdrf-police-uk@nic.in cosdrf_police_uk@nic.in	**9456596188**
383.	श्री भूपेन्द्र सिंह गुसांई SI				**9456596192**
384.	एसडीआरएफ ढालवाला कैम्प	0135	2719792	फैक्स 0135–2412197	
385.	जितेन्द्र जोशी इंसपेक्टर एसडीआरएफ ढालवाला			jitendrajoshi6559@gmail.com	**9412382696**

					9012028817
386.	कविन्द्र सजवाण, एस.आई. एसडीआरएफ, ढालवाला	0135	2410197		**9411340751 8979274569**
387.	अनूप रमोला, एसडीआरएफ, टीम लीडर घनसाली।				**9627405251**
388.	सुभाष तोमर, एसडीआरएफ, घनसाली।				**9719012821**
389.	एसआई ललित कुमार, पुलिस लाईन चम्बा				**9760385727**

एन0डी0आर0एफ0

390.	एन0डी0आर0एफ0 दिल्ली	011	24363261		
391.	एनडीआरएफ गाजियाबाद (फैक्स–0120–2766012)	0120	2766618		**9412221035**
392.	एनडीआरएफ अल्मोडा				**9412221042**
393.	एनडीआरएफ गौचर				**9412221051**
394.	एनडीआरएफ उत्तरकाशी				**9412221056**
395.	एनडीआरएफ देहरादून				**9412221057**

आर्मी नरेन्द्रनगर

396.	LT col Dilip 199		**9429908897**
397.	LT col Dilip2/C 199		**9898921199**
398.	LT Sahoo 199		**9473615594**
399.	MAJ Sahoo 199		**9998271659**

अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लि0 01346–244339 / 244340 / 244336
जी0वी0के0 कीर्तिनगर– 9675799999 / 9758063600
भिलंगना हाइड्रो पावर लि0, घुत्तू– 01379–245615
गुनसोला डैम घुत्तू– 9412051219
हिन्दुस्तान कम्पनी, खाण्डखाला– 7055056688 (राठौर जी)
एनएचपीसी देवप्रयाग– श्री जगडिया जी– 7500044488, 753501580

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून

0135–2710334, 2710081, 2710335(फैक्स)
मो0–9557444486, 8266055524, 8266055523, टोल फ्री 1070
सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन– 0135 2711474 फैक्स–0135 2712809
सचिव, आपदा प्रबन्धन, देहरादून– 0135 2711439, 2719925 मेल आईडी– amitnegi.gov@gmail.com
उप सचिव आपदा– फैक्स– 0135 2710598
अनु सचिव, आपदा प्रबन्धन– 0135 2712058

आपदा अनुभाग– 0135 2712058

डी0एम0एम0सी0, देहरादून

400.	Dr. Piyoosh Rautela, Executive Director	0135	2710232	2710233	**9412054085**
401.	Dr. K.N. Pande, Junior Executive (Cartography)		–तैदव–		**9412972764**
402.	Maj.(Retd.) Rahul Jugran, Junior Executive (Operation)		–तैदव–		**9152443853**
403.	Mr. Bhupendra Bhaisora, Manager Technical		–तैदव–		**9152443471**
404.	Mr. Govind Rautela, Data Entry Operator		–तैदव–		**9152443856**
405.	Mr. Mohan Rathor, Data Entry Operator		–तैदव–		**8192031100**
406.	Mr. Ghanshyam Tamta, Technical Assistan		–तैदव–		**8192032200**

मौसम विभाग, देहरादून

श्री विक्रम सिंह, निदेशक–9412056025, 0135–2660434, 2661986, 2660900

मौसम विज्ञान नई टिहरी

श्री के0एस0सिद्ध–01376 236726, 9457189139

केन्द्रीय जल आयोग

श्री आशीष कुमार सिंगल, अधिशासी अभियन्ता, 9555986777
हिमालयन गंगा डिविजन, केन्द्रीय जल आयोग, 7–बी, सेवक आश्रम रोड़, देहरादून।
फोन–0135–2745882, फैक्स– 0135–2742418
सर्किल ऑफिस–0135–2761562
फैक्स–0135–2760631
अधीक्षण अभियन्ता श्री सुधीर कुमार–9711999674

जिला न्यायाधीश

श्रीमती मीना तिवारी, जनपद न्यायाधीश। 01376–232356 (कार्यालय), 232357 (आवास)
सुश्री गीता चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 9456596986

जनपद में उपलब्ध सैटेलाइट फोनों का विवरण

(सैटेलाईट फोनों का उपयोग सामान्य स्थिति में न किया जाय, यह संचार सेवा बाधित होने की स्थिति में उपयोग किया जाय)

क्र.	उपलब्धता / आवंटन	सैटेलाईट फोन नम्बर	क्र.	उपलब्धता / आवंटन	सैटेलाईट फोन नम्बर
1	जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	8991119854	9	तहसीलदार–नैनबाग	8991118150
2	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा प्रबन्धन–नई टिहरी	8991112032	10	उपजिलाधिकारी–नरेन्द्रनगर	8991119855
3	उपजिलाधिकारी–कीर्तिनगर	8991118153	11	तहसीलदार–देवप्रयाग	8991119856
4	उपजिलाधिकारी–प्रतापनगर	8991118152	12	तहसीलदार–जाखणीधार	8991119857

5	उपजिलाधिकारी–धनोल्टी	8991112965	13	तहसीलदार–पावकीदेवी	8991119778
6	उपजिलाधिकारी–घनसाली	8991112973	14	तहसीलदार–कण्डीसौड़	8991119779
7	उपजिलाधिकारी–घनसाली	8991118154	15	तहसीलदार–गजा	8991119780
8	तहसीलदार–बालगंगा	8991118151			

मा0 विधायकगण–जनपद टिहरी गढ़वाल।

विधायक टिहरी– श्री धन सिंह नेगी(भाजपा) 9412312386
विधायक धनोल्टी– श्री प्रीतम सिंह (निर्दलीय) 9412077574
विधायक देवप्रयाग– श्री विनोद कण्डारी, (भाजपा) 9412992703
विधायक प्रतापनगर– श्री विजय सिंह पंवार (भाजपा) 9412026384
विधायक नरेन्द्रनगर– श्री सुबोध उनियाल (भाजपा कैबिनेट मंत्री) 941207790
विधायक घनसाली – श्री शक्ति लाल शाह (भाजपा) 9639943831

(संलग्नक–2)

जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्रान्तर्गत खोज–बचाव उपकरणों की उपलब्धता स्थल

थाना ::–

1– लम्बगांव।
2– घनसाली।
3– टिहरी।
4– चम्बा।
5– कीर्तिनगर।
6– देवप्रयाग।
7– हिण्डोलाखाल।
8– मुनिकीरेती।
9– नरेन्द्रनगर।
10– कैम्पटी।
11– थत्यूड़।

फायर स्टेशन ::–

1– नई टिहरी।
2– नरेन्द्रनगर।

तहसील ::–

1– प्रतापनगर।
2– घनसाली।
3– टिहरी।
4– नरेन्द्रनगर।
5– कण्डीसौड़।
6– नैनबाग।
7– गजा।
8– देवप्रयाग।
9– धनोल्टी।
10– पावकीदेवी।
11– कीर्तिनगर।
12– मदननेगी।
13– बालगंगा।
14– जाखणीधार।

–:: वन विभाग के पास अग्निशमन सम्बन्धी उपकरण ::–

1– टिहरी वन प्रभाग।
2– नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

पुलिस थाना/फायर स्टेशन/पुलिस लाईन में उपलब्ध खोज–बचाव उपकरण

S.No.	Name of Equipment	Thana N.Nagar	Thana Munikireti	Thana Devprayag	Thana Chamba	Thana Tehri	Thana K. nagar	Thana Ghansali	Thana Kempty	Thana Hindolakhal	Thana Thatyud	Thana Lamb gaon	F.S Tehri	F.S N. Nagar	Police Line	TOTAL
1	गैंती मय हत्था	2	10	9	2	27	7	4	5	3	6	4	13	14	12	**118**
2	पुलास्की		20	6		24	6	1	3	3	5	6	28	1	8	**111**
3	बेलचा मय हत्था	6	8	9	2	27	7	8	5	3	6	2	23	44	11	**161**
4	फावड़ा मय हत्था	5	10	9	2	27	7	4	5	3	7	3	33	48	14	**177**
5	सब्बल	3	12	12	4	27	8	5	7	3	8	3	11	6	2	**111**
6	हैमर हथौडा मय हत्था/हथौड़ा		2	6				3	3	3	5	4	6	8	5	**45**
7	कुल्हाड़ी मय हत्था	2	6	9	2	25	7	4	4	3	6	3	8	10	10	**99**
8	दरांति			6	1	24	6	3	3	3	5		22		7	**80**
9	डांगरी	8	10	3	12	3	3		3				28	38	20	**128**
10	कम्बल	3	6	3						15			2	1	60	**90**
11	नायलोन टरपोलेन		4	3	2	1	1	1			2	5				**19**
12	टॉर्च बड़ा पांच सेल		1		2	2	4	7	4	2			1	4	5	**32**
13	रेनसूट			5		3	2	7	5		8	2	10			**42**
14	दस्ताने सफेद			1							1					**2**
15	सर्च फिटेट हैलमेट		4	7	10		5			2					7	**35**
16	रॉक पिटन	10	4	3	38	8	8		10			7				**88**
17	रॉक हैमर	3		5	10		3		2							**23**

18	क्लाईमिंग रोप/ रॉक क्लाइमिंग		8	1	12	1	2	5	2		1		4		2	**38**
19	रॉक क्लाइमिंग बूट			4	10	1	2	4	2						6	**29**
20	पुली		6	2	8	2	2	3	4	1	1	1	2	4	2	**38**
21	सीट सिलिंग			10	4	4	5	23							1	**47**
22	हार्सनेस ⁄कम्बाइंड	2		3			5		1			2				**13**
23	रोप लैडर		18	2	2	1	1	2				2	1	4		**33**
24	रैपलिंग रोप 250 मी0	1	4		4	1	1	5		2	1				1	**20**
25	रैपलिंग रोप	3											4		1	**8**
26	टैंट होम सैफर्ड	2	2	1	6				2							**13**
27	आईस एक्स	3	6	2	6	2			2							**21**
28	चाकनेट	23	25	3	8				2							**61**
29	फैण्डस	1	30	1	9		1		1							**43**
30	चैस्ट हार्नेस	5	4	2	14	5		5	9	5	5		5	10	1	**70**
31	स्ट्रेचर सामान्य	1	4			1	2	2	1	3		2	3	2	5	**26**
32	स्ट्रेचर फोल्डिंग	1	4	2		1	2	2		1	2	3	1	4	2	**25**
33	रस्सा मनीला जूट			1		2		1		2	1			10	7	**24**
34	बक्सा लोहे का	1	2		2	1	1	2						2		**11**
35	एक्सटेंशन बार्ड	1	2	1	2					3						**9**
36	वायर कटर	2	6	3	6				1				1			**19**
37	वाइनाक्लूर		6			1									2	**9**
38	मल्टी परपज नाईफ	2	6	3	6	1	2	2	2	1	1		2	4		**32**
39	रॉक ड्रिल	1	2	1	2								1			**7**

40	एंकर स्टील रैपल प्लैट						2									**2**
41	सर्च लाईट			1		2	1	2			1	2	19	2	3	**33**
42	ट्रैकिग सूज	5	6	2	10		2	4	4			5	35			**73**
43	हैण्ड लैम्प	4	72	5		1			4							**86**
44	सरवाईवल कम्बल	1	2	1						4					10	**18**
45	स्नो शॉल		1	1												**2**
46	टॉर्च चार्जेबल							2			2		1	36		**41**
47	एवलान्चर प्रो	1	2													**3**
48	स्नो एंकर	1	2	1												**4**
49	वैक्यूम स्ट्रेचर मय पम्प	2			2											**4**
50	बेल्चा स्नो	1	2	1		27		5			5					**41**
51	सीलिंग	6					2						1			**9**
52	कैराविनर						1	4			1					**6**
53	हैड लाईट			8				3			3					**14**
54	बॉडी हार्नेस	1					1	1	1	1	2		1	1		**9**
55	तालवार घास काटने की	4												4	10	**18**
56	स्टेचर क्लाथ	1														**1**
57	मल्टी परपज हैमर	1														**1**
58	सीट हार्नेस		18	11	18		4	9	2	1			4		1	**68**
59	छेनी		2								2				1	**5**
60	गैस कटर												2	2		**4**
61	स्कू लॉक										1					**1**
62	नायलोन रोप						1						3	4		**8**

63	विडियो कैमरा										1	2				**3**
64	मल्टीपरपज रोप	1				2		1	1	1	1		1	1		**9**
65	ब्रीदींग ऑपरेटर												6	4		**10**
66	कोबार	2				3				1		1	3	2		**12**
67	ड्रेगन लाईट	1			2	2			1		1	1	2	2		**12**
68	फैयर मैन एक्स			2									3	30		**35**
69	न्यूमैट्रिक एयर प्रेशर बैग											3	1	2		**6**
70	रबर दस्ताना					2										**2**
71	बोल्ड कटर			1									1	8	1	**11**
72	रेसक्यू कांटा			1				1	1		1		2	4		**10**
73	वूडन कटर शो	1		1				1					2	2		**7**
74	आस्का लाईट											1	2	2		**5**
75	जनरेटर मय उपकरण							1					1	2	2	**6**
76	सैफ्टी हुक													1	1	**2**
77	डोर ब्रेकर												1	1		**2**
78	सैफ्टी नेट प्लास्टिक												1	1		**2**
79	एक्सटेशन लैडर												1	2		**3**
80	पोर्टेबल पम्प	1	20													**21**
81	लॉउड हैलर				1	2		1							5	**9**
82	नॉयलोन रसा					1		1	3				1		1	**7**

83	बॉडी बैग			4				1		20		3	1	2	10	**41**
84	बी ई मल्टीपरपज इंजन												1	1		**2**
85	सरकुलर शा												1	1		**2**
86	हाइड्रोलिक रेसक्यू कटर												1			**1**
87	हाइड्रोलिक स्पाइडर										1		1	1		**3**
88	फायर वैक													1		**1**
89	फेस मास्क												25			**25**
90	टार्च								2	2	2					**6**
91	फायर रैक												50			**50**
92	हांटर सूज					1										**1**
93	फायर विटर												25			**25**
94	लॉउड स्पीकर						1		1		1					**3**
95	वॉयर लैडर	1					1		1							**3**
96	टेप सिलिंग						2		2	2	5					**11**
97	चेन पूली			1				1								**2**
98	तारपेड चेन							1								**1**
99	पैट्रोल पावरड							1								**1**
100	चारपाई							6								**6**
101	स्पेनर			1												**1**
102	मल्टीपरपज रोप			3												**3**
103	ड्रोन कैमरा			1												**1**

104	पीठ वाला छांटा बैग												23			**23**
105	तसला		4	3	2	1	1	4			2	3				**20**
106	आरी लोहा काटने की	1	2	4		16	5	2	2	2	5	1	2	4		**46**
107	आरी लकड़ी काटने की	6	1	1		6	1	1	1	1	2			1		**21**
108	हैलमेट **ACME**	6	16	10		40		5	7	15	14	5	5	46		**169**
109	हैलमेट टार्च फिटेड		12			4		8	2			1				**27**
110	फायर हैलमेट												23	46		**69**
111	सोलर लैलटेन	2	2	2	2	2	2	4								**16**
112	विंड पुफ़ जैकेट	5	24	4	6	1	2	4	4	10						**60**
113	विंड पुफ़ टाउजर	2	24	4	6	1	2	4	4	3						**50**
114	फस्ट एड बॉक्स **St. Johns**	1	2	1	2	4	2	2	2	1	1	1	10	20	1	**50**
115	जुमार **CAMP**		6	4	6	4	4	4	4	1	2	5	4		1	**45**
116	कैराविनर प्लेन	4	8	8	16	4		1	5	1	3		12	4	5	**71**
117	कैराविनर स्क्रू	6	22	2		4	8	11	3	3	3	4	3	6	1	**76**
118	गिरीगिरी	2	4	2		1	1	1				2				**13**
119	स्टीच प्लेट	2		2				2								**6**
120	सैफटी नेट	1	2	1												**4**
121	लाइफ बॉय			5			2						3	4		**14**
122	कैरीमेट	2	2	9		2		7	1		4					**27**
123	डिसेण्डर **Petzel**	2		5	4	5	5	4	2	1	1	1	4			**34**

तहसीलों में उपलब्ध खोज–बचाव उपकरण

S.No.	Name of Equipment	Tehasil Tehri	Tehasil NNagar	Tehasil Pawkidevi	Tehasil Gaja	Tehasil Devprayag	Tehasil Kirtinagar	Tehasil Pratapnagar	Tehasil MadanNegi	Tehasil Ghansali	Tehasil BaalGanga	Tehasil Jakhanidhar	Tehasil Kandisour	Tehasil Dhanolti	Tehasil Nainbaag	ToTal
1	गैंती मय हत्था	3	3	3	3	3	6	1	3	4		3	3	3	3	41
2	पुलास्की	3	3	3	3	3	6		3	3	3	3	3	3	3	42
3	बेलचा मय हत्था	3	3	3	3	3	6	2	3	3	3	3	3	3	3	44
4	फावड़ा मय हत्था	3	3	3	3	3	6	2	3	3	3	3	3	3	3	44
5	सब्बल	3	3	3	3	3	6	2	3	3	3	3	3	3	3	44
6	हैमर हथौडा मय हत्था	3	3	3	3	4	6	3	3	11	3	3	3	3	3	54
7	कुल्हाड़ी मय हत्था	3	3	3	3	3	6	1	3	3	3	3	3	3	3	43
8	दरांति	4	4	4	4	4	6		5	4	5	4	4	4	4	56
9	दस्ताने				3			2		12		4		3	2	26
10	आरी लोहा काटने की	2	2	2	2	2	4		2	2	2	2	2	2	2	28
11	आरी लकड़ी काटने की		1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	11
12	तिरपाल कपड़े का 10'X10'	4	4	4	4	5	4	3	4	9	4	4	4	5	4	62
13	तिरपाल टैंट 8–10	2			1					4	3	3				13
14	प्लास्टिक टैंट 8–10		8									2				10
15	टैण्ट नॉयलोन		1		1	1				1		1	1	1	1	8
16	पैट्रो मैक्स							2		2						4
17	टैण्ट 8–10 व्यक्तियों की क्षमता 12'X12' समस्त सहायक सामग्री खूंटे, डण्डे, रस्सी आदि सहित	2	3	2	2	4	3	2	2	3	3	2	3	2	2	35
18	दरी 10'X10'	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	26
19	छाता बडा	4	4	4	4	3	4		4	4	4	3	4	4	4	50
20	टार्च 03 सेल वाली सेल सहित–एवरेडी	2	8	2	10	2	2		2	2	3	2	3	4	4	46

21	हैड सर्च लाईट मय सेल	1	1		2	2		1		11			0			18
22	हैलमेट ACME	5	5	5	5		5		5	17	5	5	5	7	8	77
23	सोलर लैलटेन		1													1
24	लाइफ जैकेट							4		12		2			2	20
25	सार्ट सिलिंग	2	2		5	2	2	2	2	2	2	2		2	2	27
26	रूकसैक बैग EQUIPPERS	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	12
27	स्ट्रैचर हार्डबोर्ड ASI-238	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	26
28	स्ट्रैचर		1		2			1		3		2		1	1	11
29	फस्ट एड बॉक्स St. Johns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	15
30	जुमार CAMP				2					8		4			1	15
31	कैराविनर	2	2		2			2		6					2	16
32	गिरीगिरी							1								1
33	कैरीमेट									12				4	2	18
34	डिसेण्डर Petzel				3			2		8					2	15
35	इन्फ्लामेंटेबल टावर लाईट ASKA									1						1
36	ड्रेगन लाईट हैबी ड्यूटी				1											1
37	मल्टीपरपज रोप Gipfel and Todi mills. per Rope Length 50mtr.	1	2	1	1		1		1	3	1	1	1	1	2	16
38	नॉयलोन रोप	2			5					4				1		12
39	वायर/आयरन लैडर									2				1		3
40	मनीला/जूट रसा									2		2		2		6
41	रेन सूट	2	2	8	8			2		3		4		2	2	33
42	सर्च ड्रैगन लाईट		1													1
43	एलईडी टार्च	1	1		1			1		1		1	1	1	1	9
44	सिलिंग				3							2				5
45	मिटन				3			2								5
46	पुली	4	1	1	2	1	1		1	2	1	1	1	1	1	18
47	सीट हार्नेस				3					5				1	1	10
48	बॉडी बैग प्लास्टिक	3	3	3	3		3		3	3	3	3	3	3	3	36

49	माल्टीपरपज नाईफ	1	1		1	1		1		1		1		1	1	9
50	नायलोन टारकोलीन									2				1		3
51	वॉकिंग स्टीक				1			1		1		1		1	1	6

वन विभाग के पास उपलब्ध अग्निशमन यंत्र/संसाधन

क्र0	सामग्री/यंत्र/संसाधन	उपलब्ध संख्या
1	पाठल	436
2	दूरबीन	4
3	फावडा	163
4	टार्च	459
5	फायर टूल्स किट	415
6	पिट्ठु	42
7	डिजिटल हाईग्रोमीटर	47
8	फायर पंजी/फायर रैक	1135
9	बुश हुक	119
10	साबेल/सुम्मा	184
11	रेन गेज	13
12	जी0पी0एस0 डिवाईस	114
13	पावर चेन सॉ	1
14	हैण्ड सा (आरा)	5
15	वाटर बॉटल	940
16	थर्मस/थमलेट	151
17	मुछानी आरा	3
18	फस्ट एड बॉक्स किट	19
19	डांगरी	36
20	कुल्हाड़ी/गैंती	52
21	फायर बीटर	170
22	पुलास्की	79
23	हैलमैट	146
24	बैलचा	74
25	फेस मास्क	88
26	हंटर सूज	45
27	कुल्हाडी	9
28	ब्लोवर	2
29	मैक लाइड	137
30	गमछा	60

IDRN Portal

विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों को IDRN पोर्टल में अद्यतन किया गया है, जिसकी सूची पोर्टल पर लॉग कर देखी जा सकती है। निम्नलिखित विभाग इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है:–

District Departments in IDRN Portal

S. No.	Department Name	S. No.	Department Name
1	Agriculture Department	28	National Information Center (NIC)
2	Bharat Sanchar Nigam Ltd.	29	Nirman Khand ADB
3	Bhilangana Hydro Power Ltd.	30	PMGSY Div. PWD Kirtinagar
4	Block Development Office	31	PMGSY Irrigation Department 1st
5	Block Development Office Chamba	32	PMGSY Irrigation Division-II New Tehri
6	Block Development Office Jaunpur	33	Police Department (All Thana, Fire, Police Line)
7	Chief Development Office (DDO)	34	Revenue (All Tehsil)
8	Chief Medical Officer	35	Rural Work Dept.
9	Cont. Division PWD Chamba	36	Rural Engineering Service
10	Cont. Division PWD New Tehri	37	Tehri Forest Division new Tehri
11	Department Of Animal Husbandry	38	Forest N.Nagar
12	Department Of rural development	39	Lok Nirman Vibhag PWD
13	District Development Officer	40	Minor Irrigation Dep.
14	District Industries Center	41	Nagar Palika Munikireti
15	District Rural Development Agency	42	Nagar Palika Parisad
16	District Supply Department	43	Nagar Panchayat Devprayag
17	District Youth welfare and PRD Dept.	44	Nagar Panchayat Kirtinagar
18	Forest N.Nagar	45	Temporary Div. PWD Kirtinagar
19	Lok Nirman Vibhag PWD	46	Temporary Div. PWD Thatyur
20	Minor Irrigation Dep.	47	Temporary Div. PWD Narendra Nagar
21	Nagar Palika Munikireti	48	Temporary Div. PWD New Tehri
22	Nagar Palika Parisad	49	THDC
23	Nagar Panchayat Devprayag	50	Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
24	Nagar Panchayat Kirtinagar	51	Uttrakhand Jal Sansthan
25	Uttrakhand Jal Sansthan New Tehri	52	uttarakhand power corporation Ltd. New tehri
26	Uttrakhand Peyjal Nigam Baurari		
27	Zila Sainik kalyan Evam punarvas		

स्वैच्छिक संगठन जिनके पास आपदा प्रबन्धन खोज–बचाव एवं सहायता उपकरण उपलब्ध हैं

क्र0 सं0	स्वैच्छिक संगठन	सम्पर्क नं0	संसाधन
01	माउण्टेन फोरम,उत्तराखण्ड जन जागृति संस्थान, खाड़ी, तहसील नरेन्द्रनगर, नरेन्द्रनगर–चम्बा रोड़, टि0ग0।	9412964003	खोज–बचाव उपकरण
02	श्री मां भुवनेश्वरी आश्रम, अंजनीसैंण, जाखणीधार–हिण्डोलाखाल– देवप्रयाग मार्ग, टि0ग0।	01376–247448 01376–247698 9412076422	खोज–बचाव उपकरण
03	हिमालयन एडवेंचर इन्स्ट्यूट, कैम्पटी (मसूरी), धनोल्टी–कैम्पटी–मसूरी मोटर मार्ग, टि0ग0।	01376–213806 9412052641 9219978894	खोज–बचाव उपकरण
04	नव ज्योति जन कल्याण समिति, मुख्य बाजार कण्डीसौड़,थौलधार	9927881456, 7060246975	खोज–बचाव उपकरण
05	सोशन अपलिफ्टमेंट फॉर रूरल यूथ एसोसिएशन, (सूर्या), बादशाहीथौल	9411328228	खोज–बचाव उपकरण
06	हिमालयन पर्वतीय विकास समिति, गजा, टि0ग0	8126067051, 9456555891	खोज–बचाव उपकरण
07	हिमालयन पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, हिल व्यू पैलेस, अंजनीसैंण, टि0ग0	8958904535, 9412142800	खोज–बचाव उपकरण
08	लोक कल्याण समिति, रानीचौरी, टि0ग0	9411576871, 7830914022	खोज–बचाव उपकरण
09	हिमालयन एजुकेशन एण्ड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी, धर्मपुर डाण्डा, देहरादून	8191073792	खोज–बचाव उपकरण
10	सूर्य सामाजिक सेवा समिति, रूड़की, हरिद्वार	7830506013, 7830506012	खोज–बचाव उपकरण

आपदा कार्यो में सहयोग प्रदान करने हेतु इच्छुक NGOs का विवरण

S. N.	Name of NGOs	Adderss	Cont.Person	Contact No.	Area of Coverage
1.	नव ज्योति जन कल्याण समिति	काण्डीखाल पट्टी जुवा थौलधार टिहरी गढ़वाल	श्री परशुराम डोभाल	9411519798	थौलधार,थत्युड़
2.	भारतीय तकनीकी शोध एंव विकास संस्था	बादशाहीथौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल	श्री गोविन्द प्रसाद	9412946970 9412960435	चम्बा
3.	रैका विकास एवं जन कल्याण समिति	छेपरधार, पो0 छेपरधार, प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल	श्री कीर्ति सिंह राणा	9412420917 9411771296	प्रतापनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर
4.	माउण्ट वैली डेवलपमेन्ट ऐंसोशिएशन	दोणी पो0 मैगाधार, घनसाली टिहरी गढ़वाल	श्री अवतार सिंह नेगी	9412079206	भिलंगना
5.	पर्वतीय क्षेत्रीय एवं संस्कृतिक पर्यावरण सुरक्षा संस्थान (हाकसी)	शाखा–कुड़ियाल भवन लम्बगांव प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल	श्री हरीश डोभाल	9927499461	प्रतापनगर
6.	लोक कल्याण सेवा समिति	रानीचौरी चम्बा टिहरी गढ़वाल	श्री सुशील कुमार	9411576871	चम्बा
7.	सोशल अपलिफ्टमेंट फॉर रूलर यूथ एसोशियसन (सूर्या)	सौन्दकोटी, चम्बा, टिहरी गढ़वाल	यशपाल सिंह नेगी	9411328228	चम्बा
8.	श्रीकालिंका विद्या मन्दिर समिति	घनसाली, टिहरी गढ़वाल	श्री सत्ये प्रकाश	9411330144	भिलंगना

9.	राड्स समिति	रानीचौरी चम्बा टिहरी गढ़वाल	श्री सुशील बहुगुणा	9412027043	चम्बा
10.	स्वाति संस्था	अंजनीसैण, पो0 जाखणीधार टिहरी गढ़वाल	श्री भूपेश भट्ट	9411191506	जाखणीधार
11.	उत्तराखण्ड जन जागृति संस्थान	खाडी, पो0 जाजल टिहरी गढ़वाल	श्री अरण्य रंजन	9412964003	नरेन्द्रनगर
12.	वसुधैव कुटुम्बकम संस्था	नागणी, पो0 नागणी टिहरी गढ़वाल	श्री संजय मैठाणी	9760033526	चम्बा, नरेन्द्रनगर, भिलंगना
13.	हाक्सी लम्बगांव	लम्बगांव टिहरी गढ़वाल	श्रीमति गुप्ता विष्ट श्री हरीश डोभाल	9557010901	लम्बगांव
14.	हिमालय पर्यावरण एवं जीवन सरक्षण समिति	घण्डियालगांव टिहरी गढ़वाल	श्रीमति कृष्णा देवी श्री धनवीर सिंह	9927351060	लम्बगांव
15.	उवर्शी उत्तरांचल विकास एवं प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण समिति	मदननेगी, धारमण्डल, टिहरी गढ़वाल	श्री गजेन्द्र न्यूली	9412919630	प्रतापनगर
16.	मिशन फॉर अनाथ डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर सोसाइटी	लम्बगांव प्रतापनगर	केदार सिंह विष्ट	01379–264682 01379–264753 9411328195	प्रतापनगर
17.	अंकित सामाजिक संस्थान	शाहभवन चवासेरा वाया घनसाली भिलंगना टि0ग0	श्री जगतराम केयर ऑफ अनिता	9411147857	भिलंगना
18.	लोक पर्यावरण शिक्षा संस्थान	सीताकोट गोनगढ पो0 सौप भिलंगना वाया पिलखी टि0ग0	श्री श्यामलाल निराला	01379–277735 01379–253466 9411184850	भिलंगना
19.	जन विकास संस्थान	चिरबटिया वाया तिलवाडा रूद्रप्रयाग	श्री बैशाखीलाल	01379–217560 9412076948	भिलंगना
20.	सत्य खादी ग्रामोद्योग एवं जन विकास संस्थान	सत्य भवन ग्राम व पो0 डांगी नैलचामी टि0ग0	श्री कनक पाल बंगारी	9012676947	भिलंगना
21.	ग्राम सेवा संस्थान	ग्राम धोपड़ गोनगढ़ भिलंगना	श्री शेरीलाल भाई	9837383842	भिलंगना
22.	हिमालयन डेवलपमेंट एसोशिएसन	हुलानाखाल घनसाली टि0ग0	श्री देवीलाल शाह	9412922562	भिलंगना
23.	माउन्ट वेली डेवलपमेंट एसोशिएशन	ग्राम दोणी पट्टी ग्यारहगांव भिलंगना	श्री अवतार सिंह नेगी	9412079206 9627271962	भिलंगना

जनपद में स्थित टैण्ट हाऊसों की सूची

क्र.सं.	टैण्ट हाऊस का नाम व पता	दूरभाष	मानव क्षमता	अतिरिक्त सुविधाएं
1	सतीश टैण्ट हाऊस बस अड्डा, नई टिहरी	01376234315	2500	हलवाई है
2	सुरकण्डा टैण्ट हाऊस बस अड्डा, नई टिहरी	9412420883	2000	हलवाई है
3	गढ़वाल टैण्ट हाऊस माल रोड़, नई टिहरी	01376232168	2000	हलवाई है
4	चौहान टैण्ट हाऊस बौराड़ी	01376233853	500	हलवाई है
5	मूनलाईट टैण्ट हाऊस बौराड़ी स्टेडियम के पास	9412026911	1000	हलवाई है
6	चौहान टैण्ट हाऊस बौराड़ी	01376233646	1000	हलवाई है
7	राजहंस टैण्ट हाऊस बौराड़ी	9412970307	2000	हलवाई है
8	सुहेब टैण्ट हाऊस बौराड़ी	9412970322	2000	हलवाई है
9	दुर्गे टैण्ट हाउस गजा रोड़, चम्बा	9412312315	500	हलवाई है
10	सम्राट टैण्ट हाउस गजा रोड़ चम्बा	01376255394	500	हलवाई है
11	दुर्गा टैण्ट हाउस ब्लॉक रोड़, चम्बा	01376255264	200	हलवाई है
12	उत्सव टैण्ट हाउस ब्लॉक रोड़, चम्बा	01376255468	800	हलवाई है
13	उत्तराखण्ड टैण्ट हाउस ब्लॉक रोड़, चम्बा	9412076565	400	हलवाई है
14	शिव शक्ति टैण्ट हाउस मसूरी रोड़, चम्बा	9412380032	500	हलवाई है
15	शिव शक्ति टैण्ट हाउस मसूरी रोड़, चम्बा	01376255559	400	हलवाई है

(संलग्नक–3)

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
D.E.O.C.
फोन–01376–233433, 234793 टोलफ्री–1077
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
फोन– 0135–2710335, 2710334
टोलफ्री– 0135–1070

प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबन्धन
कार्यालय फोन– 233992

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल
कार्यालय फोन– 232092
आवास फोन– 232040

पुलिस अधीक्षक
कार्यालय फोन– 232162
आवास– 232157, 232399

जिला आपदा प्रबन्धन
कार्यालय फोन– 01376–233433
01376–234793

पुलिस नियंत्रण कक्ष
टोलफ्री– 100
फोन – 234500

उपजिलाधिकारी, टिहरी (सदर)
कार्यालय– 232520

अग्निशमन एवं आपात सेवा
टोलफ्री– 101, 01376–233611
नरेन्द्रनगर– 01378–227255

जिला सूचना अधिकारी
कार्यालय फोन– 232231

आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा
फोन–टोलफ्री 108, 0135–2527627

मुख्य चिकित्साधिकारी
कार्यालय फोन– 232093,
आवास–232055

अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0
फोन कार्या0– 232136
अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई
फोन कार्या0– 232072

मुख्य विकास अधिकारी
कार्यालय फोन– 232603
आवास– 232322

(संलग्नक–4)

1–जिलाधिकारी (मुख्य आपदा प्रबन्धक) द्वारा आपातकालीन दिशा निर्देश– Coarse of Action by District Magistrate (Chief Disaster Manager District Tehri Garhwal-

A-जनपद स्तर से आपातकालीन डैस्क प्रणाली के अनुसार सभी नोडल अधिकारियों / सहायक अधिकारियों एवं नियन्त्रण कक्षों का सक्रियकरण–Activation of all line Departments and D.E.O.C., Control rooms etc and Nodal Officers of line departments.

B-खोज–वचाव प्राथमिक सहायता टीमों का सक्रियकरण एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु प्रस्थान– Activation of Search & Rescue and First Aid teams/Response Teams/Movement of Teams

C-सूचना संचार एवं योजनानुसार निर्धारित / तात्कालिक प्रणाली के अनुसार कार्यवाहियों का सक्रियकरण– Activation of Information, Communication and Response plan.

D-टीएचडीसी / पावर परियोजनाओं से सुरक्षा एवं बचाव हेतु जानकारी व सूचनाओं का समन्वयन

E-मण्डल एवं राज्य स्तर पर सूचनाओं का अग्रसारण–

F–**बाहरी सहायता हेतु अनुरोध–**

I- कमान्डैन्ट, आई.टी.बी.पी. मातली – 01374–235413

II- कमान्डैन्ट, आई.टी.बी.पी. मसूरी – 0135–2632667, 0135–2632873

III- सीमा सड़क संगठन, नरेन्द्रनगर– 01378–227244

V- सीमा सड़क संगठन, कमान अधिकारी, गौचर– 01363–240605, 240612

VI- S.S.B श्रीनगर– 01346–250451

VII- S.S.B ऋषिकेष– 0135–2442347

G-**सेना से सहायता हेतु अनुरोध–**

I- गढ़वाल राइफल्स रेजीमेन्ट सेन्टर, लैन्सडाउन– 01386–262161

II- नेषनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स 6th आई.टी.बी.पी.

नई दिल्ली 011–24362844, 011–24362837

H-बाहरी सहायता प्राप्त करने हेतु हैलीपैड एवं कैम्पिंग स्थलों से सम्बन्धितों को अवगत कराना। उपलब्ध/प्रस्तावित हैलीपैड के निर्देषांक D.E.O.C में उपलब्ध हैं।

2–महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन–Collection of Important Informations–

A-

तहसील	**जनहानि**	**मृतक**		**गम्भीर घायल**		**सामान्य घायल**	
		महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
टिहरी							
नरेन्द्रनगर							
धनोल्टी							
घनसाली							
प्रतापनगर							
कीर्तिनगर							
देवप्रयाग							
उपतहसील गजा							
योग–							

समय............... दिनांक....................

B-

तहसील	**पषुहानि/पशु प्रजाति**	**मृत**	**घायल**
टिहरी			
नरेन्द्रनगर			
धनोल्टी			
घनसाली			
प्रतापनगर			
कीर्तिनगर			
देवप्रयाग			

उपतहसील गजा			
योग–			

समय............... दिनांक....................

C-

तहसील	**भवन क्षति**	**पूर्ण**	**गम्भीर**	**आंषिक**
टिहरी				
नरेन्द्रनगर				
धनोल्टी				
घनसाली				
प्रतापनगर				
कीर्तिनगर				
देवप्रयाग				
उपतहसील गजा				
योग–				

समय............... दिनांक....................

D-**संरचनागत नुकसान का विवरण–**

सूचना / तहसील	**सड़क का नाम**	**पुल संख्या**	**विद्यालय संख्या**	**चिकित्सालय नाम**	**व्यावसायिक प्रतिष्ठान संख्या**	**परियोजना का नाम**	**विद्युत / पेयजल**
टिहरी							
नरेन्द्रनगर							
धनोल्टी							
घनसाली							
प्रतापनगर							
कीर्तिनगर							
देवप्रयाग							
उपतहसील गजा							
योग–							

समय............... दिनांक....................

3–कृत कार्यवाहियों की समीक्षा एवं स्थितिगत सुधार हेतु नोडल अधिकारियों को निर्देश–

Briefing and Further Activation of Nodal Officers of line departments-

A-तहसील/क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारियों/सहायक अधिकारियों के समूहों/टीमों का सक्रियकरण एवं उक्त द्वारा क्षेत्र भ्रमण की सूचनाएं। **(Communication and Management Desk)**

B- खोज–बचाव निकासी कार्यों की समीक्षा। **(Operation Desk)**

C–संसाधनों को उपलब्ध कराना। Allocation and Mobilisation of Equipment/Men Power/Resources **(Resource Desk)**

D-प्राथमिक सहायता एवं गहन चिकित्सा कार्यों की समीक्षा। **(Health Desk)**

E-आवश्यक सेवा एवं अधिसंरचना सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा– सड़क, बिजली, पानी, संचार, हैलीपैड, सामुदायिक भवनों का स्थितिगत सुधार एवं सुचारीकरण। **(Infrastructure Desk)**

F-सेवागत/अस्थाई आश्रय स्थलों का संचालन एवं समीक्षा। **(Service Desk)**

G-कानून व्यवस्था,संसाधन उपलब्धता की समीक्षा एवं पुनः आवष्यकता का आंकलन**(Logistic Desk)**

4- अस्थाई आश्रय स्थल, राहत एवं सहायता हेतु समन्वयन–

प्रभावित क्षेत्रों के निकट स्थित उपयुक्त स्कूल, कालेज, पंचायतघर, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक सभागार आदि, जिनकी सूची सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं DEOC/भूकम्प कार्ययोजना में उपलब्ध है, में यथा आवश्यकता एवं उपयुक्तानुसार अस्थाई आश्रय स्थल, राहत एवं सहायता केन्द्र स्थापित कर सहयोग एवं समन्वयन।

A- स्थानीय जन सहयोग/सहायता

B- आपदा प्रबन्धन समितियां

C- पंचायत प्रतिनिधि/ ग्रामस्तरीय संगठन

D- अन्य/ NSS / NCC

E- **सरकारी/अर्धसरकारी कार्मिकों से सहयोग**

राहत आश्रय स्थल हेतु स्थानीय जनसहयोग एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कार्मिकों का

समन्वयन आवष्यक होगा।

राहत सहायताओं का विवरण–(Resource Desk)

आंकलन एवं उपलब्धता विवरण–(तहसीलों के अनुसार)

पशुपालन कैम्प–

पशुओं का प्रकार कैम्प का स्थान	गाय/बैल संख्या	भैंस	छोटे पशु	चारा उपलब्धता	आवष्यकता	दवाइयां

F-राहत सहायता कैम्पों की स्थापना एवं संचालन–
Establishment and Reactivation of Relief Camps.

1-पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार ☐ विषेष आवष्यकतानुसार ☐

2–आश्रय स्थलों पर तात्कालिक सामग्री / अग्रिम 24 घन्टों में आवष्यकता

☐ ☐☐☐☐

3–आश्रय स्थल पर भोजन– ☐ ☐ ☐

विशिष्ट आवष्यकता– पेयजल– ☐

सफाई– ☐

दवाइयां– ☐

प्रकाष– ☐

कपड़े बर्तन– ☐

4–आश्रय स्थल पर रह रहे प्रभावितों की संख्या –

पुरूष–महिलायें/गर्भवती महिलायें–बच्चे–विकलांग–बीमार

5–आश्रय स्थलों पर स्थानीय जनसहयोग–

6–आश्रय स्थल के निकटतम सड़क मार्ग/मैदान/हैलीपैड/जन सुरक्षा की स्थिति–

7–आश्रय स्थल पर उपलब्ध अधिकारी/टीम–सम्पर्क नं0–

8–संचालन में आ रही गम्भीर कठिनाई/कमियां–

5–परीक्षण एवं समीक्षा हेतु चैकलिस्ट/चिन्हित विषय–

तहसील	**अस्थाई आश्रय स्थल/राहत केन्द्रों के नाम**						
टिहरी							
नरेन्द्रनगर							
धनौल्टी							
घनसाली							
प्रतापनगर							
कीर्तिनगर							
देवप्रयाग							
उपतहसील गजा							
योग–							

क्र. सं.	कार्य	प्रगति की स्थिति	संसाधन उपलब्ध / कार्यरत	अतिरिक्त आवश्यकता	बाहरी सहायता	विषेष
1	खोज–वचाव Search-Rascue					
2	निकासी, खोज–वचाव उपकरण Evacuation/Equipments					
3	प्राथमिक सहायता First Aid					
4	चिकित्सा सहायता					
5	गहन चिकित्सा					
6	एम्बुलैंस					
7	अस्थाई आश्रय सामग्री–टैन्ट / तिरपाल / कम्बल / भोजन / कपड़े					
8	सड़क / सम्पर्क मार्ग / पुल					
9	वैकल्पिक ब्यवस्था					
10	सूचना / दूरसंचार नियन्त्रण कक्ष					
11	विद्युत आपूर्ति					
12	ईधन आपूर्ति					
13	खाद्यान्न आपूर्ति					
14	पेयजल आपूर्ति					
15	राहत सहायता					
	राहत राषि					
	राहत सामग्री					
	अन्य					
16	परिवहन					
	बस					
	जीप					
	ट्रक					
17	हैवी ड्यूटी मशीनरी					
	अर्थ मूवर्स					
	डोजर / मषीन					
	क्रैन					
	टिप्पर					
18	बाहरी सहायता					
19	हैलीपैड					
20	विशिष्ट जनों से सम्पर्क					
21	मीडिया ब्रीफिगं					
22	मण्डल / राज्य स्तर पर रिपोर्टिंग					

(संलग्नक–5)

आपदाओं की सूची (उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम, 2005)

आपदाओं की सूची

1. जल और जलवायु सम्बन्धी आपदाएं :

क) बाढ़ और जन निकास प्रबन्ध
ख) चक्रवात
ग) तूफान/हवा एवं हरीकेन
घ) बादलों का फटना
ड.) भू–स्खलन
च) बिजली का गिरना
छ) गर्म और ठण्डी लहरें
ज) सूखा
झ) बर्फीले तूफान (एवलांच)
ञ) ओलावृष्टि

2. भूगर्भ सम्बन्धी आपदाएं :

क) भूकम्प
ख) बांध टूटना
ग) खान में आग लगना

3. रासायनिक, औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदाएं :

क) रासायनिक, औद्योगिक और न्यूक्लीय आपदाएं
ख) दावाग्नि

4. दुर्घटना सम्बन्धी आपदाएं :

क) सड़क/रेल दुर्घटना
ख) भवन का ढहना
ग) विद्युत सम्बन्धी दुर्घटना
घ) शहर/गांव में आग लगना/वनाग्नि
ड.) त्यौहारों से जुड़ी आपदाएं
च) बम विस्फोट
छ) यांत्रिकी खराबी (मेकेनिकल फेल्योर)
ज) पहाड़ से पत्थर गिरकर मृत्यु होना अथवा घायल होना

5. जैविकीय आपदाएं :

क) मानव और पशु महामारी
ख) भोजन विषाक्तता।

(संलग्नक–6)

जनपद नियंत्रण कक्ष

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र,
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल।

दूरभाष– 01376–234793, 233433
मोबाइल नम्बर–9761380903, 8123268098,
9456533332, 7465809009
ई मेल आईडी–deoctehri@gmail.com

तहसील नियंत्रण कक्ष

1.	तहसील प्रतापनगर–	01379–262230
2.	तहसील धनोल्टी–	01376–226236
3.	तहसील जाखणीधार–	01376–238864
4.	तहसील घनसाली–	01379–258511
5.	तहसील नरेन्द्रनगर–	01378–227283
6.	तहसील टिहरी–	01376–232520
7.	तहसील देवप्रयाग–	01378–266004
8.	तहसील गजा–	01378–221230
9.	तहसील कण्डीसौड–	01376–288040
10.	तहसील नैनबाग–	01376–226220
11.	उप तहसील पावकीदेवी–	सम्बन्धित नरेन्द्रनगर।
12.	तहसील बालगंगा–	सम्बन्धित घनसाली।
13.	तहसील कीर्तिनगर–	01370–260045
14.	उप तहसील मदननेगी–	सम्बन्धित प्रतापनगर।

तहसील नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुचारीकरण एवं संचालन कर सूचनाओं का संकलन एवं आदान–प्रदान किया जाये।

List of Satellite Phones (Portable/ISat Phone[2] installed & Activated in Uttrakhand under department of Disaster Management

आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रत्येक जनपद सहित राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा एसडीआरएफ को आपातकालीन परिस्थितियों के मध्यनजर समन्वयन बनाये रखने के दृष्टिगत् सैटेलाईट फोन आवंटित किये गये हैं। इसमें उपलब्ध टॉक टाईम की वैधता अवधि 01 वर्ष होती है। अतिरिक्त टॉक टाईम लेने हेतु AO (Cash) BSNL, Gaziabad से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियों हेतु श्री डी0एन0 सहाय, जी0एम0 सैटेलाईट, बीएसएनएल गाजियाबाद मो0नम्बर 09412739215 या ई–मेल आईडी sahai@bsnl.co.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जनपद में उपलब्ध सैटेलाईट फोनों का विवरण

(सैटेलाईट फोनों का उपयोग सामान्य स्थिति में न किया जाय, यह संचार सेवा बाधित होने की स्थिति में उपयोग किया जाय)

क्र.	उपलब्धता / आवंटन	सैटेलाईट फोन नम्बर	क्र.	उपलब्धता / आवंटन	सैटेलाईट फोन नम्बर
1	जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल	8991119854	9	तहसीलदार–नैनबाग	8991118150
2	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा प्रबन्धन– नई टिहरी	8991112032	10	उपजिलाधिकारी–नरेन्द्रनगर	8991119855
3	उपजिलाधिकारी–कीर्तिनगर	8991118153	11	तहसीलदार–देवप्रयाग	8991119856
4	उपजिलाधिकारी–प्रतापनगर	8991118152	12	तहसीलदार–जाखणीधार	8991119857
5	उपजिलाधिकारी–धनोल्टी	8991112965	13	तहसीलदार–पावकीदेवी	8991119778
6	उपजिलाधिकारी– घनसाली	8991112973	14	तहसीलदार–कण्डीसौड़	8991119779
7	उपजिलाधिकारी–घनसाली	8991118154	15	तहसीलदार–गजा	8991119780
8	तहसीलदार–बालगंगा	8991118151			

-:: Satellite Phone Number Other District ::-

Sl. No.	Location	Number
1	District Magistrate, Almora	8991112022
2	District Magistrate, Bageshwar	8991112023
3	District Magistrate, Champawat	8991112024
4	District Magistrate, Chamoli	8991112025
5	District Magistrate, Dehradun	8991112026
6	District Magistrate, Haridwar	8991112027
7	District Magistrate, Nainital	8991112028
8	District Magistrate, Pauri	8991112029
9	District Magistrate, Pithoragarh	8991112030

10	District Magistrate, Rudraprayag	8991112031
11	**District Magistrate, Tehri**	8991119854
12	District Magistrate, Uttarkashi	8991112033
13	District Magistrate, USNagar	8991112034
14	SEOC-Dehradun	8991112035
15	SDRF JollyGrant	8991114101, 8991114102, 8991114103, 8991114104, 8991114105, 8991114106, 8991114107, 8991114108

(संलग्नक–7)

अस्थाई आश्रय स्थलों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले खुले स्थानों की उपलब्धता

तहसील जाखणीधार :– (01376–238864)

1. गडोलिया।
2. नन्दगांव।
3. टिपरी।
4. जाखणीधार।
5. खण्डोगी।
6. अंजनीसैंण।
7. रौड़धार।
8. पौड़ीखाल।
9. गौमुख।
10. कपरियालीसैंण।
11. छेटी (गन्देनीधार)।
12. खन्दीसैंण।

नोट– ग्राम खण्डोगी में अस्थाई भूकम्परोधी टिन–सैड उपलब्ध हैं।

तहसील देवप्रयाग :– (01378–266004)

1. राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग।
2. रामलीला मैदान (खुला मैदान), कीर्तिनगर।
3. राजकीय इण्टर कालेज, कीर्तिनगर।
4. पंचायत चौक, बुढकोट।
5. राजकीय इण्टर कालेज, पलेठी।
6. जूनियर हाईस्कूल, मालू–मरोड़ा।
7. राजकीय इण्टर कालेज, चिलेड़ी।
8. राजकीय इण्टर कालेज, डांगचौरा।
9. राजकीय इण्टर कालेज, डांगचौरा।
10. राजकीय इण्टर कालेज, थाती डागर।
11. राजकीय इण्टर कालेज, मुन्नाखाल।
12. प्रा0विद्यालय, ग्राम सौड़।
13. रा0इ0का0 हिंसरियाखाल।
14. नगर पालिका, बारातघर, कीर्तिनगर।
15. सामुदायिक भवन, निकट गंगादर्शन मन्दिर।
16. अम्बेडकर धर्मशाला, कीर्तिनगर।
17. विकासखण्ड सभागार, कीर्तिनगर।
18. इन्दिरा पार्क, कीर्तिनगर (खुला मैदान)।
19. सामुदायिक केन्द्र, बाल्मिकी कालोनी, वार्ड संख्या–1, देवप्रयाग।
20. सामुदायिक केन्द्र, धर्मपुर, वार्ड संख्या–1, देवप्रयाग।

वृहत्त प्राकृतिक आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थल हेतु उपयुक्त स्थलों की सूची
(तहसील नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल)

क्र.सं.	स्थल का नाम	क्र.सं.	स्थल का नाम
1	पहिचान देवी मन्दिर, ग्राम नाई।	16	प्राइमरी स्कूल, ग्राम आमपाटा।
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप ग्राम नाई लग्गा मानघेरा।	17	प्राइमरी स्कूल, ग्राम गंगस्यार गांव।
3	पूर्णानन्द इण्टर कालेज, ढालवाला।	18	जूनियर हाईस्कूल, अदवाणी।
4	राजकीय इण्टर कालेज, देवलधार।	19	प्राइमरी स्कूल, रामपुर।
5	कुंजापुरी मन्दिर का मैदान एवं धर्मशालाएं।	20	राजकीय इण्टर कालेज, फकोट।
6	पुलिस चौकी, तपोवन।	21	राजकीय इण्टर कालेज, भैस्यारौं।
7	राजकीय इण्टर कालेज, नरेन्द्रनगर।	22	राजकीय इण्टर कालेज, जाजल।
8	पावकीदेवी मन्दिर का मैदान, पटवारी क्षेत्र पजैगांव।	23	दीनदयाल पार्क, मुनिकीरेती।
9	राजकीय इण्टर कालेज, गूलर।	24	इन्द्रमणी बडोनी पार्क, मुनिकीरेती।
10	टी–सीरीज मिनरल वाटर फैक्ट्री का मैदान, शिवपुरी।	25	सुमन पार्क, मुनिकीरेती।
11	भूकम्परोधी भवन, ग्राम सैंण, आगर, पटवारी क्षेत्र फकोट।	26	इन्दिरा प्रियदर्शनी पार्क, मुनिकीरेती।
12	प्राइमरी स्कूल, ग्राम नौर।	27	नगर पालिका पर्यटन अतिथिगृह, नरेन्द्रनगर।
13	प्राइमरी स्कूल, ग्राम कुडी।	28	सामुदायिक भवन, रामलीला मैदान, नरेन्द्रनगर।
14	प्राइमरी स्कूल, ग्राम मौण।	29	महिला मिलन केन्द्र, निकट नगर पालिका सभागार, नरेन्द्रनगर।
15	प्राइमरी स्कूल, ग्राम अटारी मल्ली।	30	नेहरू पुस्तकालय भवन, झण्डा मैदान नरेन्द्रनगर।

वृहत्त प्राकृतिक आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थल हेतु उपयुक्त इण्टर कालेजों की सूची
(राजस्व निरीक्षक, उदयपुर तहसील टिहरी, टि0ग0)

क्र0सं0	पटवारी क्षेत्र	इण्टर कालेज	मुख्य सड़क मार्ग	सड़क मार्ग से दूरी	कक्षों की संख्या	हॉल का आकार	मैदान का आकार	पेयजल की उपलब्धता	शौचालय व्यवस्था
01	बयाड़गांव	रा0इ0का0 नागराजधार नगुण	अकमस भवन मोटर मार्ग	100 मीटर	12 कमरे	15′ X 20′	50 X 210	उपलब्ध है	उपलब्ध है
02	छाम	रा0इ0का0 कण्डीसौड़ (छाम)	चम्बा, धरासू मोटर मार्ग	600 मीटर	12 कमरे	15 X 10 वर्ग मी0	30 X 20 वर्ग मी0	पाईप लाईन है	उपलब्ध है
03	भैण्डरवाल	रा0इ0का0 भैण्डखाल	चम्बा कण्डी भैण्डखाल मोटर मार्ग	01 किमी	7 कमरे	10 X 12 वर्ग मी0	30 X 20	उपलब्ध है	उपलब्ध है
04	वंगियाल	रा0इ0का0 वंगियाल	भैण्डखाल वंगियाल मोटर मार्ग	5 किमी	13 कमरे	18 X 24 वर्ग मी0	50 X 45 वर्ग मी0	उपलब्ध है	उपलब्ध है
05	कमान्द	रा0इ0का0 कमान्द	चम्बा धरासू मोटर मार्ग	50 मी	24 कमरे	20 X 30	50 मीटर	उपलब्ध है	उपलब्ध है
06	थौलधार	रा0इ0का0 थौलधार	चम्बा धरासू मोटर मार्ग	87 किमी	20 कमरे	30 X 15 फीट	50 X 40 फीट	उपलब्ध है	उपलब्ध है
07	काण्डीखाल	रा0इ0का0 काण्डीखाल	चम्बा धरासू मोटर मार्ग	1 किमी	12 कमरे	15 X 12	315 X 202	उपलब्ध है	उपलब्ध है

08	पाली	रा0इ0का0 बेरगणी पाली	चम्बा धरासू मोटर मार्ग	4 किमी	11 कमरे	8/9 X 6 2/6 X 4 1/4 X 3 वर्ग मी0	55 X 30 30 X 20	उपलब्ध है	उपलब्ध है
09	काफलपानी	रा0इ0का0 काफलपानी	चम्बा धरासू मोटर मार्ग	3 किमी	16 कमरे	15 X 12	30 X 10 वर्ग मी0	उपलब्ध है	उपलब्ध है
10	सिरांई	रा0इ0का0 उप्पु पट्टी जुवा	चम्बा, जाख डोबरा भल्डियाणा	1/2 किमी0	09 कमरे	16 X 18 फिट के 7 कमरे, 14 X 18 फीट 1 कमरा, 18 X 20 का 1 कमरा	25 X 15 फीट	उपलब्ध है	उपलब्ध है
11	पडियारगांव	टिहरी बांध परियोजना इ0का0 कोटी कालोनी	नई टिहरी, चम्बा, घनसाली मोटर मार्ग	शून्य किमी	10 कमरे	18 X 20	20 X 10	उपलब्ध है	उपलब्ध है

वृहत्त प्राकृतिक आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थल हेतु उपयुक्त इण्टर कालेजों की सूची
(राजस्व निरीक्षक चम्बा, तहसील टिहरी, टि0ग0)

क्र0 सं0	इण्टर कालेज	मुख्य सड़क मार्ग	सड़क मार्ग से दूरी	कक्षों की संख्या	हॉल का आकार	मैदान का आकार	पेयजल की उपलब्धता	शौचालय व्यवस्था
01	रा0इ0का0 चम्बा	चम्बा–नई टिहरी	1/2 किमी	20	6 X 5	100 X 200	उपलब्ध है	उपलब्ध है
02	रा0बा0इ0का0 चम्बा	चम्बा–नई टिहरी	1/2 किमी	19	6 X 5	15 X 10	उपलब्ध है	उपलब्ध है
03	विकासखण्ड कार्यालय चम्बा	चम्बा–नई टिहरी	1/2 किमी	9	15 X12 15 X12 15 X10	10 X 15	उपलब्ध है	उपलब्ध है
04	तहसील टिहरी	चम्बा–नई टिहरी	0 किमी	10+1	20 X15	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है
05	रा0इ0का0 बागी	चम्बा–ऋषिकेश	8 किमी	5 कमरे, 4 हॉल	26 X16	30 X 20	उपलब्ध है	उपलब्ध है
06	रा0इ0का0 नागणी	चम्बा–ऋषिकेश	1/2 किमी	18 कमरे, 2 हॉल	24 X12	25 X 12	उपलब्ध है	उपलब्ध है
07	रा0इ0का0 नकोट	नईटिहरी–नकोट	1/2 किमी	19	6 X 5	70 X 50	उपलब्ध है	उपलब्ध है
08	रा0इ0का0 बगासूधार	चम्बा–उत्तरकाशी	1/2 किमी	20	20 X 15	50 X 30	उपलब्ध है	उपलब्ध है
09	रा0इ0का0 ज्ञानसू	नईटिहरी–पांगर –नकोट	50 मीटर	10	6 X 5	15 X 30	सड़क में हैण्डपम्प	02
10	रा0इ0का0 पांगरखाल	नईटिहरी–पांगर –नकोट	50 मीटर	10	6 X 5	60 X 20	उपलब्ध है	04
11	रा0इ0का0 नागराजाधार	चम्बा–मसूरी	8 किमी	10	6 X 5	1200 वर्ग फीट	उपलब्ध है	उपलब्ध है

12	रा0इ0का0 छापराधार चोपडियालगांव	चम्बा–मसूरी	0 किमी	9	6 X 5	13000 वर्गफीट	उपलब्ध है	उपलब्ध है
13	रा0इ0का0 ढांगधार	चम्बा–मसूरी	0 किमी	8	6 X 5	1250 वर्गफीट	उपलब्ध है	उपलब्ध है
14	रा0इ0का0 नागदेव पथल्ड	नागणी–जड़धार गांव	300 मीटर	16	15 X 20 फीट	50 X 20 फीट	उपलब्ध है	उपलब्ध है
15	रा0क0उ0मा0वि0 नई टिहरी	नईटिहरी–मौलधार	0 किमी	4	8 X 10	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है
16	रा0इ0का0 मौलधार	नईटिहरी–मौलधार	0 किमी	2	7 X 10	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है
17	रा0इ0का0 बौराड़ी	कॉलेज रोड़	0 किमी	3	12 X 10	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है
18	रा0इ0का0 ढुंगीधार	नई टिहरी–जिला पंचायत	0 किमी	2	8 X 10	300 मीटर	उपलब्ध है	उपलब्ध है
19	नरेन्द्र महिला विद्यालय, बीपुरम	नई टिहरी–बीपुरम	1/2 किमी	2	12 X 10	200 मीटर	उपलब्ध है	उपलब्ध है
20	टिहरी बांध परियोजना इण्टर कालेज, बीपुरम	नई टिहरी–बीपुरम	1/2 किमी	3	12 X 12	–	उपलब्ध है	उपलब्ध है

वृहत्त प्राकृतिक आपदाओं/भूकम्प के दौरान अस्थाई आश्रय स्थल/राहत केन्द्रों हेतु अपयुक्त स्थलों की सूची

विकास खण्ड– कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।

क्र0 सं0	अस्थाई आश्रय स्थल/राहत केन्द्रों हेतु चयन स्थल का नाम	पटवारी क्षेत्र	मुख्य सड़क मार्ग का नाम एवं सड़क मार्ग से दूरी	उपलब्ध कक्षों की संख्या	हॉल का क्षेत्रफल/आकार	मैदान का क्षेत्रफल/आकार	पेयजल की उपलब्धता	शौचालय की उपलब्धता	फोन/सम्पर्क नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रा0इ0का0 कीर्तिनगर	पु0क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश–बद्रीनाथ	14	–	–	उपलब्ध है	–	01370260306
2	रा0इ0का0 डांगचौरा	डांगचौरा	टिहरी मुरादाबाद रा0राज मार्ग 100 मी0	12	36*18	48*16मी0	हां	हां	01368211692
3	रा0इ0का0 जाखीडागर	डागर	श्रीनगर टिहरी 20 किमी0	8	–	48*15/600 वर्ग मी0	हां	हां	9719562998
4	रा0इ0का0 न्यूली अकरी	मालूपानी	डुगड्डा पिपलीधार मोटर मार्ग	02	672 वर्ग फिट	875 वर्ग फिट	हां	हां	–
5	रा0इ0का0 किलकिलेश्वर	नौर, टि0ग0	कीर्तिनगर बडि0 मार्ग दूरी 500 मी0	24	ल0*चौ0 20*10	105*80 मी0	हां	हां	01370267455
6	रा0इ0का0 नाग0 कडा0	सिरसेड	सिल्काखाल 10 कि.मी0	–	–	स्थान प्रर्याप्त है मैदान बना हुआ नहीं है	हां	नहीं	9458036463
7	रा0इ0का0 आछरीखुंट	घण्डियालधार	कीर्तिनगर बडि0 मो0मार्ग	–	–	100वर्ग मी0	हां	हां	–
8	रा0इ0का0 नाग चिलेडी	चिलेडी	सौंराखाल चिलेडी मार्ग पर 300मी0	01	15*18	25*30	हां	नहीं	–
9	रा0इ0का0 जखण्ड	हल्का बारजूला	श्रीनगर से नई टिहरी मोटर मार्ग 01 किमी0	–	–	20*10	हाँ	हाँ	–

वृहत्त प्राकृतिक आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थल हेतु उपयुक्त इण्टर कालेजों की सूची
(राजस्व निरीक्षक, क्षेत्र चाका, उपतहसील गजा, टिहरी गढ़वाल)

क्र. सं.	पटवारी क्षेत्र	इण्टर कालेज	मुख्य सड़क मार्ग एवं सड़क मार्ग से दूरी	कक्षों की संख्या	हॉल का आकार	मैदान का आकार	पेयजल की उपलब्धता	शौचालय की व्यवस्था	फोन/सम्पर्क नम्बर
1	गजा	रा0इ0का0 गजा	खाडी–गजा	10	40X20 फुट	200X90 फुट	हां	हां	9410102555
2	ओडाडा	रा0इ0का0 बेरनी	खाड़ी–अदवांणी–बेरनी– 100 मी0	13	नहीं है।	150X100 फुट	हां	हां	9411340688
3	ओडाडा	रा0इ0का0 ओडाडा	खाड़ी–अदवांणी–बेरनी– 100 मी0	8	18X15	40X30 फुट	हां	हां	01378221327
4	नैचोली	रा0इ0का0 नैचोली	गजा–नकोट 4 किमी	3	10X5 व0मी0	25X10 व0मी0	100मी0दूर	हां	9410197309
5	नैचोली	रा0प्रा0वि0बगीद	गजा–नकोट 5 किमी	2	6X3 व0मी0	15X5 व0मी0	150मी0दूर	हां	9412931803
6	नैचोली	रा0प्रा0वि0 पलाम	गजा–नकोट 3 किमी	2	6X3 व0मी0	15X5 व0मी0	150मी0दूर	नहीं	9412922984
7	बमणगांव	रा0उ0मा0कन्या हाई. बमणगॉव	खाडी–चाका–देवप्रयाग 2 किमी	5	20X10 मीटर	30X10 मीटर	हां	नहीं	9410727200
8	बमणगांव	रा0उ0मा0वि0 फलसारी	खाडी–चाका–देवप्रयाग1.5 किमी	3	20X10 मीटर	–	हां	नहीं	–
9	बमणगांव	रा0प्रा0वि0 जयकोट	खाडी–चाका–देवप्रयाग 1.5 किमी	3	15X5 मीटर	–	हां	नहीं	–

10	पोखरी	रा0इ0का0 पोखरी	खाड़ी–चाका–देवप्रयाग 1 किमी	28	उपलब्ध नहीं	100X10दोमैदान 200X20एकमैदान	हां	हां	01378239302
11	क्वीली	जू0हा0 सैण	चाका कोटेश्वर 2 किमी	4	24 वर्ग मीटर	160 व0मी0	हां	हां	9410596943
12	चाका	रा0इ0का0 चाका	खाड़ी–गजा देवप्रयाग 0 किमी	12	22X14 फुट	35ग70 फुट	नहीं	हां	9411747331
13	पालकोट	रा0प्रा0वि0 नौघर	खाड़ी–गजा देवप्रयाग 0 किमी	3	12X15	30ग9	हां	हां	9411505534
14	श्रीकोट	रा0जू0हा0 पाली	गजा–लेसर–पाली 0.5 किमी	5	12X15	20ग10	हां	हां	9410178881
15	रणाकोट	रा0इ0का0 खरसाड़ा	गजा–देवप्रयाग 0 किमी	6	20X13 फुट	50ग4 मीटर	हां	हां	9997397038
16	मरोड़ागाड़	रा0प्रा0वि0 निगेर	गजा–देवप्रयाग 0 किमी	3	15X15 फुट	50ग30 फुट	हां	हां	9756235060
17	मरोड़ागाड़	उ0मा0वि0 खनाना	गजा–देवप्रयाग 5 किमी	4	15X15 फुट	40ग20 फुट	हां	हां	9412949750
18	मरोड़ागाड़	रा0प्रा0वि0गुंदाण गांव	गजा–देवप्रयाग 5 किमी	3	15X15 फुट	50ग30 फुट	हां	हां	9639126713

वृहत्त प्राकृतिक आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थल हेतु उपयुक्त इण्टर कालेजों की सूची
तहसील प्रतापनगर, टि0ग0

क्र. सं.	विकासखण्ड	पटवारी क्षेत्र	स्थान गांव/षहर	प्रस्तावित शरण स्थल की पहचान	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्धता	स्थल तक मुख्य मार्ग से दूरी	कितने व्यक्ति शरण ले सकते हैं
1	जाखणीधार	कोटचौरी	कोटचौरी	पंचायत भवन कोटचौरी	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध है	1 किमी	300
2	जाखणीधार	कठूली	सान्दणा	प्राथमिक विद्यालय सान्दणा	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	0 किमी	40
3			गणोली	प्राथमिक विद्यालय गणोली	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	0 किमी	40
4	जाखणीधार	मदननेगी	जलवालगांव मल्ला	प्राथमिक विद्यालय जलवालगांव मल्ला, राजकीय इण्टर कालेज मदननेगी	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	1/2 किमी	50, 100
5	प्रतापनगर	ओखला	ओखला	प्राथमिक विद्यालय–2 रा0इ0कालेज–1 पंचायत भवन–1	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	50 मी0	700
6	प्रतापनगर	छेरपधार	बसेली	प्राथमिक विद्यालय बसेली	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	1 किमी	200
7	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्रतापनगर	प्राथमिक विद्यालय प्रतापनगर	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	200 मी	50
8				रा0इ0क0 प्रतापनगर	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	—	300
9	प्रतापनगर	माजफ	शुक्री	बेसिक स्कूल भवन पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	300 मी	50 40
10	प्रतापनगर	सिलवालगांव	सिलवालगांव	स0वि0 भवन बे0स्कूल भवन पंचायत भवन–2 बे0स्कूल भवन सुनखेत	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	10 मी	60 40 40 50
11			मिश्रवांण गांव	बे0स्कू0भवन हाईस्कू0 भवन	पेयजल, शौचालय, उपलब्ध हैं।	3 किमी	50 60

12	प्रतापनगर	पिलानीधार	जाखणी	जू0हा0–1 प्रा0विद्यालय–2 पंचायत भवन–1	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध नहीं हैं।	100 मी 500 मी 500 मी	100 100 50
13	प्रतापनगर	कोठगा	कोठगा	प्रा0विद्या0 भवन	शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	0 किमी	50
14	प्रतापनगर	रौलाकोट	रौलाकोट	पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	8 किमी	50
15	प्रतापनगर	पुजारगांव	पुजारगांव	प्राथमिक विद्यालय केदारकुटी पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	200 मी	200 50 550
16	प्रतापनगर	कोटालगांव	कुड़ी	केदारकुटी प्रा0विद्या0 पंचायती भवन–निर्माणाधीन	गांव में पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	500 मी	40
17			कोटालगांव	केदारकुटी इण्टर कालेज	गांव में पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	350 मी	60
18	प्रतापनगर	गोदड़ी	गोदड़ी मय क्यार्की	बेसिक स्कूल जू0हाईस्कू0 पंचायती भवन	गांव में पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध नहीं हैं।	0 किमी	600
19	प्रतापनगर	लम्बगांव	जिवाला	रा0इ0का0 लम्बगांव बेसिक स्कूल भवन पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	1/2 किमी	टैण्ट में शरण
20			नौघर	बे0 स्कूल भवन पंचायत भवन	गांव में पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	0 किमी	टैण्ट में शरण
21	प्रतापनगर	सिलारी	कोर्दी	जू0हा0 प्रा0विद्या0 पंचायत घर केदारकुटी का निर्माण नहीं	गांव में पेयजल, विद्युत उपलब्ध हैं।	0 किमी	600

22			सिलारी	बे0स्कू0 पंचायत भवन केदारकुटी	पेयजल, विद्युत उपलब्ध हैं।	0 किमी	500
23	प्रतापनगर	खेतपाली	भैन्तला	केदारकुटी पंचायत घर प्रा0विद्या0 रा0इ0कालेज	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	70 मी	100
24	प्रतापनगर	पनियाला	पनियाला	प्रा0विद्या0 षिषुमन्दिर पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	500 मी	400
25	प्रतापनगर	बुडकोट	सिरवाड़ी	बे0स्कूल भवन	पेयजल, शौचालय उपलब्ध हैं।	3 किमी	टैण्ट की शरण
26	प्रतापनगर	कण्डियालगांव	कण्डियालगांव	केदारकुटी, रा0इ0का0–3 बे0स्कूलल–3	पेयजल, शौचालय उपलब्ध हैं।	3 किमी 5 किमी	700
27	प्रतापनगर	गरवांणगांव	गरवांणगांव	केदारकुटी, प्रा0विद्या0 राज0इ0का0	पेयजल, विद्युत उपलब्ध हैं।	1/2 किमी	टैण्ट की शरण
28	प्रतापनगर	दीनगांव	दीनगांव	केदारकुटी प्रा0विद्या0	पेयजल उपलब्ध हैं।	50 मी	90
29	प्रतापनगर	मुखेम	मुखेम	3कमरों का टीनसैड बे0स्कूल भवन रा0इ0का0 पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय, विद्युत उपलब्ध हैं।	20 किमी	600
30	प्रतापनगर	मुखेम	घण्डियालगांव	2कमरों का टीनसैड बे0स्कू0भवन पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय उपलब्ध हैं।	19 किमी	300
31	प्रतापनगर	मुखेम	पोखरी	केदारकुटी, बारातघर बे0स्कू0 भवन जू0हाई0 भवन पंचायत भवन	पेयजल, शौचालय उपलब्ध हैं।	21 किमी	500

वृहत्त प्राकृतिक आपदाओं के समय अस्थाई आश्रय स्थल हेतु उपयुक्त स्थलों की सूची
(तहसील देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल)

क्र. सं.	स्थल का नाम	पटवारी क्षेत्र	मुख्य सड़क मार्ग एवं सड़क मार्ग से दूरी	कक्षों की संख्या	हॉल का आकार	मैदान का आकार	पेयजल उपलब्धता	शौचालय व्यवस्था	फोन/सम्पर्क नम्बर
1	ओंकारानन्द महाविद्यालय, देवप्रयाग	महड़	देवप्रयाग–बद्रीनाथ मोटरमार्ग 1/4	11	9.15X7. 50मीटर 4 कमरे	50 10 मीटर	हां	हां	01378266231
2	सामुदायिक केन्द्र धर्मपुर वार्ड संख्या–1 देवप्रयाग	भटकोट	देवप्रयाग लो0नि0वि0 निरीक्षण भवन 0किमी	1	13X4 मीटर	–	हां	–	–
3	रा0इ0का0 मुन्नाखाल	कुर्न	ऋषिकेश–देवप्रयाग 3 किमी	18	9X6 मीटर	33.5X11. 45मी0	हां	हां	9927043005
4	रा0प्रा0वि0 सौड़	कुर्न	ऋषिकेश–देवप्रयाग 1.5 किमी	3	–	12X21 मीटर	हां	हां	9412902368 9457466167
5	पंचायत चौक बुडकोट	कुनडी	देवप्रयाग–टिहरी 2 किमी	2	20X18 फीट	–	नहीं	हां	–
6	रा0इ0भवन पलेठी बनगढ़	पलेठी	हिण्डोलाखाल–देवका 4 किमी	4	16X14 फीट	100X15 मीटर	हां	हां	9690852634
7	जू0हा0भ0 घोडियाधार	पलेठी	रौडधार–पौडीखाल 5 किमी	3	16X14 फीट	15X... मीटर	हां	हां	9012817015
8	रा0इ0का0 हिंसरियाखाल	हिंसरियाखाल	लक्ष्मोली–जामणीखाल 0 किमी	5	15X12 फीट	50X... मीटर	हां	हां	9056559720

9	विकासखण्ड सभागार कीर्तिनगर	मलेथा	कीर्तिनगर–डागधारी	1	15X10 मीटर	20X8 मीटर	हां	हां	11370260109
10	रामलीला मैदान कीर्तिनगर	मलेथा	कीर्तिनगर–डागधारी	–	–	70X40 मीटर	हां		01370260045
11	नगरपालिका बारातघर कीर्तिनगर	मलेथा	कीर्तिनगर–बडियारगढ़	3	20X10 फीट	20X18 मीटर	नहीं	हां	01370260439
12	सामुदायिक भ0 कीर्तिनगर निकट गंगा दर्शन मन्दिर	मलेथा	कीर्तिनगर–बडियारगढ़	1	25X15 फीट	–	नहीं	हां	01370260439
13	अम्बेडकर धर्मशाला कीर्तिनगर	मलेथा	कीर्तिनगर–बडियारगढ़	3	15X10 फीट	20X15 मीटर	नहीं	हां	01370260025
14	इन्दिरा पार्क कीर्तिनगर	मलेथा	कीर्तिनगर–बडियारगढ़	–	–	30X18 मीटर	नहीं	नहीं	01370260025
15	रा0इ0का0 कीर्तिनगर	मलेथा	कीर्तिनगर–डागधारी	30	20X15 फीट	30X15 मीटर	हां	हां	01370260306
16	रा0इ0का0 नागरजाधार बडियार	चिलेडी	कीर्तिनगर–बडियारगढ़	10	20X15 मी0	120X50 मीटर	हां	हां	–
17	रा0इ0का0 थातीडागर पिपलीधार	थातीडागर	चौकीखजरा–बैला 1 किमी	8	15X12 फीट	50X30 मीटर	हां	हां	9412019827
18	रा0इ0का0 डागचौरा	पाली डागचौरा	श्रीनगर–टिहरी 200 मीटर	12	22X18 फीट	70X30 मीटर	हां	हां	01378263618

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) को संचालित करने वाले विद्यालयों की सूची
विकास खण्ड– कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	तहसील / विकासखण्ड	पटवारी क्षेत्र	मुख्य सम्पर्क मार्ग एवं उससे दूरी		विद्यालय में कक्षों की संख्या	हॉल की उपलब्धता / साइज	मैदान का साइज	पेयजल उपलब्धता	शौचालय उपलब्धता	NSS/NCC स्वयंसेवक / कैडेट की संख्या	अध्यापकों की संख्या
				मुख्य सम्पर्क मार्ग	सम्पर्क मार्ग से दूरी							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रा0इ0का0 कीर्तिनगर	देवप्रयाग / कीर्तिनगर	पुलिस क्षेत्र	ऋषिकेष बद्रीनाथ रा0 मार्ग	500 मीटर	14	–	–	उपलब्ध है	–	100	01
2	रा0इ0का0 डांगचौरा	देवप्रयाग / कीर्तिनगर	डांगचौरा प0 क्षेत्र	टिहरी मुरादाबाद	100 मीटर	12	विद्यालय में हाल उपलब्ध है 36*18	ल0 48 मी0 चौ0 16 मी0	उपलब्ध है	उपलब्ध है	50	24
3	रा0इ0का0 किलकिलेश्वर	देवप्रयाग / कीर्तिनगर	नौर चौरास	कीर्तिनगर बडियागड मार्ग	500 मीटर	24	है	105*80 मी0	हाँ	हाँ	100	21

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) को संचालित करने वाले विद्यालयों की सूची
विकास खण्ड– चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	तहसील / विकासखण्ड	पटवारी क्षेत्र	मुख्य सम्पर्क मार्ग एवं उससे दूरी		विद्यालय में कक्षों की संख्या	हॉल की उपलब्धता / साइज	मैदान का साइज	पेयजल उपलब्धता	शौचालय उपलब्धता	NSS/NCC स्वयंसेवक / कैडेट की संख्या	अध्यापकों की संख्या
				मुख्य सम्पर्क मार्ग	सम्पर्क मार्ग से दूरी							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	रा0प्र0इ0का0 बौराड़ी	टिहरी–चम्बा	नई टिहरी	बौराड़ी	120 मी0	50	20 मी0 व्यास	71X65 मी0	हां	हां	225	32
2	रा0इ0का0 चम्बा, टि0ग0	टिहरी–चम्बा	चम्बा	चम्बा	1 किमी	11	30'X15'	70'X28'	हां	हां	120	28
3	रा0इ0का0 नकोट, टि0ग0	टिहरी–चम्बा	नकोट	चम्बा–नकोट	50 मी0	11	–	40'X75'	हां	हां	100	29

राहत केन्द्रों में सहायता हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) कार्यक्रम संचालित करने वाले शिक्षण संस्थानों की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	आवंटित छात्र संख्या	सम्पर्क नम्बर
1	एस0आर0टी0 परिसर बादशाहीथौल, टिहरी	600	01376 232116
2	राजकीय पी0जी0 कालेज, नई टिहरी	200	01376 234964
3	बालगंगा महाविद्यालय, सेन्दूल केमर	100	01379 258649
4	राजकीय महाविद्यालय, नैनबाग	100	01376 225529
5	राजकीय महाविद्यालय नेखटी, चन्द्रबदनी	100	1376 247015
6	ओ0स0रा0 महाविद्यालय, देवप्रयाग	100	01378 266231
7	राजकीय महाविद्यालय, धारमण्डल, अगरोड़ा	50	—
8	राजकीय पालीटेक्निक, नरेन्द्रनगर	50	01378 227256
9	राजकीय इण्टर कालेज, लम्बगांव	100	264797
10	राजकीय इण्टर कालेज, हिण्डोलाखाल	50	266397
11	राजकीय इण्टर कालेज, जाखणीधार	50	238913
12	राजकीय इण्टर कालेज, घुमेटीधार	50	260306
13	राजकीय इण्टर कालेज, कीर्तिनगर	100	288015
14	राजकीय इण्टर कालेज, छाम	50	285361
15	राजकीय इण्टर कालेज, पुजारगांव	50	253350
16	राजकीय इण्टर कालेज, चमियाला	100	—
17	राजकीय इण्टर कालेज, मुनिकीरेती	50	—
18	राजकीय इण्टर कालेज, विनकखाल	100	254490
19	राजकीय इण्टर कालेज, घण्डियालधार	50	—
20	राजकीय इण्टर कालेज, पौखाल	50	—
21	राजकीय इण्टर कालेज, डांगचौरा	50	263645
22	राजकीय इण्टर कालेज, चम्बा	50	252195
23	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, चम्बा	50	256024
24	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बौराड़ी, नई टिहरी	50	234541
25	राजकीय इण्टर कालेज, नई टिहरी	50	234624
26	राजकीय इण्टर कालेज, नैनबाग	50	—
27	राजकीय इण्टर कालेज, भैस्यारी (खाड़ी)	50	—
28	नरेन्द्र महिला विद्यालय, बी0पुरम, नई टिहरी	50	235126
29	सरस्वती विद्या मन्दिर, इण्टर कालेज, विश्वकर्मापुरम, टिहरी	100	—

30	राजकीय इण्टर कालेज, अंजनीसैंण	100	—
31	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, नरेन्द्रनगर	50	227489
32	राजकीय इण्टर कालेज, किलक्लेश्वर	100	267794
33	बालगंगा राजकीय इण्टर कालेज, केमरा केमर	100	253491
34	सु0 राजकीय इण्टर कालेज, थौलधार, टिहरी	100	—
35	राजकीय इण्टर कालेज, थत्यूड़, टिहरी	100	—
36	राजकीय इण्टर कालेज, बगासूधार, टिहरी	100	—
37	इण्टर कालेज घुत्तू, भिलंगना, टिहरी	100	—
38	राजकीय इण्टर कालेज, ठेला, नैलचामी	100	—
39	राजकीय इण्टर कालेज, ढुंगीधार, टिहरी	100	—

लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल के अधीनस्थ विश्राम गृह/विश्राम गृह भवनों की सूची

क्र.	भवन का नाम	मार्ग का नाम/कि0मी0 जिस पर स्थित है	प्रयोग हेतु विश्राम गृह की वर्तमान दशा		विश्राम गृह के								टिप्पणी
					अधिशासी अभियन्ता का		सहायक अभियन्ता का		कनिष्ठ अभियन्ता का		केयर टेकर का		
			उपर्युक्त	अनुउपर्युक्त	नाम	मोबाईल नं0	नाम	मोबाईल नं0	नाम	मोबाईल नं0	नाम	मोबाईल नं0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जनपद :– टिहरी गढ़वाल													
प्रान्तीय खण्ड, टिहरी													
1	अधीनस्थ विश्राम गृह बौराड़ी	प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कार्यालय भवन के समीप (बौराड़ी चौक से आन्तरिक सड़क)	उपर्युक्त	-	इं0 के एस0 नेगी	9411154657	इं0 दीपक अग्रवाल	9412911812	इं0 आशीष सेमवाल	9412006335	श्री गोपाल सिंह	9411184565	कार्यालय भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है ।
निर्माण खण्ड चम्बा													
2	अधीनस्थ विश्राम गृह चम्बा,	चम्बा हडमधार मार्ग किमी0 1.00		अनु उपर्युक्त	नारायण सिंह खोलिया	7895455269	अमित रूसिया	9410766130	नरेन्द कुमार बंष्वाल	9760693012	नहीं	नहीं	वर्णित विश्राम गृह जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है एवं रहने योग्य नही है।
3	अधीनस्थ विश्राम गृह रतनौगाड,	चम्बा धरासू मोटर मार्ग के किमी0 29		अनु उपर्युक्त	नारायण सिंह खोलिया	7895455269	राय सिंह रौतेला	9412955420	सुरेश भट्ट	9759750487	नहीं	नहीं	विश्राम गृह रहने योग्य बनाने के लिये बिजली एवं पानी का कनेक्शन और मरम्मत करायी जानी अतिआवश्यक है।

निर्माण खण्ड,नरेन्द्रनगर													
4	अधीनस्थ विश्राम गृह मुनिकीरेती	हरिद्वार–बद्रीनाथ मोटर मार्ग किमी0 18 पर		अनुउपर्युक्त	श्री मौ आरिफ खान	7895715175	श्री एस0एल0 गोयल	9410801246	श्री अनिल कुमार	9412903010			यह सभी भवन ऑलवेदर परियोजना से क्षतिग्रस्त हो चुके है।
5	विश्राम गृह गजा	जाजल गजा मोटर मार्ग किमी0 19 पर	उपर्युक्त				श्री रत्नेश सक्सेना	7533944842	श्री जय प्रकाश भट्ट	8755059813	–	–	
अस्थाइ खण्ड श्रीनगर													
6	अधीनस्थ विश्राम गृह हिण्डोलाखाल	टिहरी–हिण्डोलाखाल – देवप्रयाग मार्ग किमी0 47.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	कोई भी विश्राम गृह उपलब्ध नहीं है।
अस्थाइ खण्ड घनसाली													
7	अधीनस्थ विश्राम गृह घमातोली	घनसाली पांवली अखोड़ी मोटर मार्ग किमी0– 17	उपर्युक्त	–	श्री नवीन लाल वर्मा	8958611260	श्री बृजेश कुमार नेगी	8979869905	श्री प्रदीप शाही	8577013333	श्री गजे सिंह	7508296059	भवन आंशिक रूप से जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। जिसके मरम्मत की जाना आवश्यक है।
अस्थाइ खण्ड थत्यूड़													
8	अधीनस्थ विश्राम गृह, कद्दूखाल	चम्बा मसूरी मोटर मार्ग किमी0– 202	उपर्युक्त	-	श्री रजनीश कुमार	7830291398	श्री प्रशान्त भट्ट	9412924807	श्री सुनील रावत	9557429550	श्री मातवर	9411568100	-
9	अधीनस्थ विश्राम गृह, नैनबाग	नैनबाग घोड़ाखुरी ऐन्दी मोटर मार्ग किमी0– 1	उपर्युक्त	-	श्री रजनीश कुमार	7830291398	श्री प्रशान्त भट्ट	9412924807	श्री अमर सिह	6395844001	श्री गजेन्द्र,	7351574698	-
10	अधीनस्थ विश्राम गृह, थत्यूड़	अगलाड–थत्यूड़–अलमस मोटर मार्ग किमी0 45	उपर्युक्त	-	श्री रजनीश कुमार	7830291398	श्री संजय नवानी	9536623213	श्री अशोक कुमार सैनी	9759994210	–	-	-

11	अधीनस्थ विश्राम गृह, सूवाखोली	चम्बा मसूरी मोटर मार्ग किमी0– 44	–	–	–	-	–	-	–	-	–	–	अधि0अभि0, थत्यूड़ के पत्र सं0 2009/1सी0 दिनॉक 16.10. 2015 द्वारा उक्त मोटर मार्ग के साथ सुखाखोली का विश्राम गृह भी एन0एच0 डोईवाला को हस्तान्तरित।
12	अधीनस्थ विश्राम गृह, सत्यों	रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग किमी0–54		अनुउपर्युक्त	श्री रजनीश कुमार	7.83E+09	श्री प्रशान्त भट्ट	9412924807	श्री सुन्दर सिंह चौहान	7895072677	–	–	

वन विभाग, टिहरी गढ़वाल अन्तर्गत वन विश्राम भवनों का विवरण

क्र0	प्रभाग का नाम	वन विश्राम भवन का नाम	राजि का नाम	चौकीदार का नाम	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6
1	टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	वन चेतना केन्द्र, नई टिहरी	टिहरी राजि	श्री हरिराम डबराल	8534923416
2		वन विश्राम भवन, रानीचौरी		श्री विकास बहुगुणा	9410554652
3		वन विश्राम भवन, टिपरी	पौखाल राजि	श्री चिन्तामणी पेटवाल श्री बलवन्त बागड़ी	9193538400 9997134827
4		वन विश्राम भवन, पौखाल	पौखाल राजि	श्री धर्मानन्द जोशी	9012389572
5		वन विश्राम भवन, विनयखाल	बालगंगा राजि	श्री चन्दन सिंह बिष्ट	8476084001
6		वन विश्राम भवन, मुखेम	लम्बगांव राजि	श्री मोहन लाल	9105273640
7	टिहरी डैम वन प्रभाग–प्रथम, नई टिहरी	वन विश्राम भवन, घनसाली	चमियाला राजि	श्री प्रमोद कैन्तुरा	7466908606
8	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	वन विश्राम भवन, धनोल्टी	जौनपुर राजि	श्री मुकेश	7409275753
9		वन विश्राम भवन, नाली	मसूरी राजि	श्री नारायण रावत	9410578832
10		वन विश्राम भवन, कैम्पटी	कैम्पटी राजि	श्री रोशन	6396563032
11		वन विश्राम भवन, मगरा	जौनपुर राजि	श्री अमित कैन्तुरा	9897123474
12		वन विश्राम भवन, देवलसारी	देवलसारी राजि	श्री विरेन्द्र गौड़	8006485651
13	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,	वन विश्राम भवन, देवप्रयाग	माणिकनाथ राजि	श्री मुकेश	9756361257

14	**नरेन्द्रनगर**	वन विश्राम भवन, चम्बा	सकलाना राजि	श्री राकेश बिजल्वाण	9917744776
15		वन विश्राम भवन, मुनिकीरेती	शिवपुरी राजि	श्री राय सिंह	9758046547

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृह

क्र0सं0	पर्यटक आवास गृह का नाम	बैड की संख्या
01	पर्यटक आवास गृह बौराड़ी, टि0ग0।	30 बैड
02	पर्यटक आवास गृह, चम्बा टि0ग0।	20 बैड
03	पर्यटक आवास गृह, धनोल्टी टि0ग0।	40 बैड
04	पर्यटक आवास गृह घुत्तू, टि0ग0।	20 बैड
05	पर्यटक आवास गृह मुनिकीरेती टि0ग0।	108 बैड
06	पर्यटक आवास गृह (गंगा रिर्सोट) शीशमझाड़ी, टि0ग0।	80 बैड
07	पर्यटक आवास गृह, टूरिस्ट रॉफ्ट कैम्प कौडियाला टि0ग0।	16 बैड
08	पर्यटक आवास गृह, टिहरी लेक रिर्सोट कोटी कालोनी, टिग0	38 बैड
09	पर्यटक आवास गृह, ईको हट्स कोटी कालोनी टिग0।	14 बैड
10	पर्यटक आवास गृह, ईको फ्लोटिंग हट्स सिराई	40 बैड
11	पर्यटक आवास गृह, लॉग हट्स सिराई	20 बैड

पर्यटक सूचना केन्द्र

क0सं0	पर्यटक सूचना केन्द्र का नाम	संचालन
01	पर्यटक सूचना केन्द्र कौडियाला, टि0ग0।	गढ़वाल मण्डल विकास निगम

रैन बसेरा

क0 सं0	पर्यटक अतिथि गृह व रैन बसेरा का नाम	बैडों की संख्या
01	पर्यटक अतिथि गृह मुनिकीरेती, टि0ग0।	35
02	पर्यटक अतिथि गृह शिवपुरी टि0ग0।	30
03	पर्यटक अतिथि गृह देवप्रयाग टि0ग0।	30
04	पर्यटक अतिथि गृह रीह टि0ग0।	20
05	पर्यटक अतिथि गृह गंगी, टि0ग0।	20
06	पर्यटक अतिथि गृह कद्दूखाल, टि0ग0।	20

जनपद क्षेत्रान्तर्गत होम–स्टे का विवरण

NO.	Name Of The Home Stay	Location of Home stay	Owner name	Contact No	No. Of Room Rooms
1	2	3	4	5	7
1	Rakhi Home Stay	Tapovan	Smt. Rakhi	9897174995	6
2	Manas Kunj Home Stay	Tapovan	Surendar Dutt Bhatt	9411512858	6
3	Guru Kirpa Home Stay	Tapovan	Satyanarayan Murti	9758611424	6
4	Sarthak Home Stay	Tapovan	Dharmemdar Noutiyal	9837127290	4
5	Dharm Gayan Home Stay	Tapovan	Surendar Singh	9458967453	6
6	Kandari Home Stay	Tapovan	Jagdish Kandari	9410575660	6
7	Maithani Home Stay	Tapovan	Parshant Maithani	9897171422	4
8	Laxmi Home Stay	Tapovan	Lalit Tomar	0135-2442755	5
9	Auyar Pak Home Stay	Tapovan	Vishal Gupta	9897296399	4
10	Gungun Home Stay	Tapovan	Smt. Malti Khanduri	9412058891	4
11	Aakanksha Home Stay	Tapovan	Manoj Bhardwaj	8006341544	6
12	Trimurti Home Stay	Tapovan	Rajendar Dutt Noutiyal	9897174444	4
13	River View Home Stay	Tapovan	Manish Sharma	9897544472	5
14	Gangotri Home Stay	Tapovan	Madan Singh Rankawat	9897174995	4
15	Ashriwad Home Stay	Tapovan	Jagmohan Singh Negi	9412901341	5
16	Aditya Home Stay	Tapovan	Ramnarayan Rankawat	9897166271	6
17	Aathi Home Stay	Tapovan	Ravindar Negi	0135-3244999	4
18	Hill Nature Home Stay	Tapovan	Mohan Singh Bhandari	8410114214	5
19	Revathi Home Stay-Duadhar	Narendarnager	Renu Bajaj	9410135019	6
20	Jungle House Home Stay	Tapovan	Dinesh Pundir	8650865362	4
21	Himgiri Home Stay	Tapovan	Surendar Singh Bhandari	9411136831	4
22	Neha Home Stay	Chokhal, Khadikhal	Smt. Suman Pundir	9927307414	6
23	Himalaya Home Stay	Chokhal, Khadikhal	Smt. Manju Pundir	9411572654	5
24	Laxmi Home Stay	Shishamjhari	Smt. Laxmi Kuliyal	9411326063	6
25	Kirshna Home Stay	Tapovan	Rajendar Singh Kaintura	9997618461	6
26	Radhey Home Stay	Tapovan	Bhagat Singh Kaintura	9897865209	4
27	Karki Home Stay	Tapovan	Balwant Singh Rawat	7409298696	3
28	Govind Home Stay	Tapovan	Satpal Singh Rawat	895846619	6
29	Vinayak Home Stay	Tapovan	Smt. Sarojni Kothari	9719638520	6
30	Ankit Home Stay	Tapovan	Pyare Lal Kothari	9760057534	4
31	Sunsine Home Stay	Tapovan	Ragubir Singh	9997887794	6
32	Manglam Home Stay	Tapovan	Naveen Chand Thapliyal	9997460074	5
33	Milan Home Stay	Tapovan	Smt. Meenakshi Bhatt	9758442634	4
34	Sneha Home Stay	Tapovan	Sunil Kandwal	9058290030	4
35	Anjali Home Stay	Tapovan	Anusuya Parsad Pandye	9411580943	3
36	RD Home Stay	Muni Ki Reti	Smt. Kiran Lingwal	9756873440	6
37	Sri Ganesh Home Stay	Tapovan	Pardeep Singh Bhandari	9756623882	5
38	Yashodha Home Stay	Tapovan	Nand Kisore Sharma	7895195100	5
39	Chandra Home Stay	Tapovan	Smt. Shushila Kuliyal	9412964372	5
40	Shiva Home Stay	Tapovan	Shivparsad Raturi	9719745659	4
41	Rajniketan Home Stay	Tapovan	Smt. Sumitra Devi	9058523342	4
42	The Blue Home Stay	Tapovan	Smt. Seeta Devi	8410114214	4
43	Yash home Stay	Tapovan	Rajendra Singh	9997887794	5
44	Lucky Home Stay	Tapovan	Darmiyan Singh	8410114214	5

45	Vansh Home Stay	Tapovan	Rakesh De	9634799057	4
46	Ragee Home Stay	Tapovan	Darshan Lal	9627023176	6
47	Harihar Home Stay	Muni Ki Reti	Smt. Jasuwanti Panwar	9410529911	5
48	Kirishn Ananda Home Stay	Tapovan	Ravi Kumar	9897889162	2
49	Ridhi Sidhi Home Stay	Tapovan	Dinesh Singh Pokhriyal	8954520209	2
50	Varun Pal Home Stay	Mukhem	Varun Pal Singh	9634647444	2
51	Sohan Pal Home Stay	Mukhem	Sohan Pal Singh	9837738037	2
52	Shishpal Home Stay	Mukhem	Shispal Singh	9837890947	2
53	Bhandari Home Stay	Mukhem	Virendar Singh Bhandari	9456323038	2
54	Rajwar Home Stay	Mukhem	Balbir Singh Rajwar	8006221777	2
55	Himalayan Re Home Stay	Kanatal	Indarmani Saklani	9410723004	2
56	Kirshna Home Stay	Jwarna-Kanatal	Payare Lal Bhatt	9411147035	2
57	Himalaya Home Stay	Partapnager	Dinesh Singh	9997485925	2
58	Zero Home Stay	Jwarna-Kanatal	Soban Singh Rana	7579012497	2
59	Saraswati Home Stay	Dhaijar, Chawalkhet	Smt. Saraswati Devi	9719191883	5
60	Partham Home Stay	Kyarki-N nager	Uday Singh	9411326396	5
61	Yog Vidya Home Stay	Tapovan	Smt. Partima Rawat	9411381916	4
62	Sumit Home Stay	Tapovan	Sumit Bhandari	8057078826	3
63	Ganga Paradise Home Stay	Tapovan	Devendra Singh Bhandari	0135-2434707	4
64	Aarsharam Home Stay	Tapovan	Yogendra Pal Manucha	9368092686	3
65	Aarora Home Stay	Tapovan	Govind Ram Aarora		5
66	Dharohar Home Stay	Muni Ki Reti	Bheem Dutt Bahuguna	9458901856	4
67	Monal Home Stay	Partapnager	Kailash Chand Ramola	9410123208	6
68	The Kanatal Home Stay	Kanatal	Manjeet Singh Negi	9837319790	4
69	Vishwanath Home Stay	Tapovan	Smt. Manju Sharma	8859081888	4
70	Yogi Home Stay	Tapovan	Naveen Joshi	9997190167	4
71	Dev Bhumi Home Stay	Muni Ki Reti	Himanshu Noutiyal	9965239209	4
72	Bhandari Home Stay	Tapovan	Puran Singh Bhandari	8923723088	5
73	Pirya Darshani Home Stay	Tapovan	Natha Singh Pokhriyal	9727555197	3
74	Gourav Home Stay	Tapovan	Smt. Kamla Bhandari	9720852015	6
75	Gayatri Niwas Home Stay	Tapovan	Anand Noutiyal	9411339222	5
76	Magan Home Stay	Tapovan	Magan Singh Chauhan	9912563895	5
77	Risikesh Nest Home Stay	Tapovan	Uma Sankar	9557836595	3
78	Veda Home Stay	Tapovan	Ved Parkash Mathani	7983379351	5
79	Aatihi Himalayan Home Stay	Sour, Kanatal	Smt. Subhdye Rana	9759595482	3
80	Raythm Home Stay	Kutha	Vipul Raj	9980500440	4
81	Sri Mahesh Heritage Home Stay	Tapovan	Rajni Gupta	9761907274	6
82	Aman Home Stay	Tapovan	Vijendra Singh	9759570439	3
83	Shree Home Stay	New Tehri	Smt. Maha Laxmi Dangwal	9634071655	6
84	Shree Shyam Sunder Home Stay	Kandi Saud	Ravindar Gusain	8859046964	6
85	Dev Bhumi Garh Awas Home Stay	Kandi Saud	Lakhiram Uniyal	9411148894	8
86	Madhuvan Home Stay	Tapovan	Surendra Mohan Panday	9917863659	5
87	Hari Kirshna Home Stay	Tapovan	Vikash Kothari	9411761956	6

88	Guru Kirpa Home Stay	Tapovan	Swami Badam das	7500915031	5
89	Green House Home Stay	Muni Ki Reti	Chandi Parsad Bhatt	8279923697	4
90	Apple Farm Home Stay	Kanatal	Naveen Dabral	8958987909	4
91	Morning Brige Home Stay	Kanatal	Mukesh Dabral	7409899710	6
92	Tapovan School House H.Stay	Tapovan	ARVIND BHARDWAJ	9412997821	6
93	Yog Sadak Home Stay	Tapovan	Savita Panday	9410993180	4
94	Usha Home Stay	Sour, Kanatal	Kalam Singh Negi	9759472336	4
95	Mahendra Home Stay	Tapovan	Mahendra Singh	9897169830	6
96	Amritash Home Stay	Tapovan	Amit Singh Negi	8945910743	5
97	Sky Home Stay	Tapovan	Smt. Rani Verma	8218988960	4
98	Jai Raghu Shiv Home Stay	Tapovan	Smt. Vimla Devi	8410114214	4
99	Tapovan Home Stay	Tapovan	Chatar Singh		5
100	Rudrakash Home Stay	Tapovan	Smt. Uma Devi	8954693115	4
101	Payal Home Stay	Tapovan	Smt. Bhagwan dai Payal	9412056811	6
102	Ganga Home Stay	Tapovan	Shivam Gupta	9012633662	3
103	Ayushman Home Stay	Tapovan	Mohan Lal Kothari		4
104	Vedanshi Home Stay	Tapovan	Pramod Bisht	8077760138	6
105	Om Home Stay	Tapovan	Omprakash Kushwasha	9415455152	3

(संलग्नक–8)

हैलीपैड़ कॉर्डिनेट्स–जिला टिहरी गढ़वाल

क्र.	तहसील	डिवीजन	हैलीपेड का नाम	हैलीपेड कोर्डिनेट		समुद्र तल से दूरी मी0 मे	टिप्पणी
				आक्षान्तर	देशान्तर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टिहरी	प्रा0ख0, नई टिहरी	रा0प्र0इ0कॉलेज बौराडी	78^{0} 26’ 17” E	30^{0} 22’ 42” N	1666 मी0	अस्थायी
2.	टिहरी	प्रा0ख0, नई टिहरी	बौराडी स्टेडियम	78^{0} 26’ 36” E	30^{0} 22’ 50” N	1565 मी0	अस्थायी
3.	टिहरी	प्रा0ख0, नई टिहरी	सरस्वती शिशु मन्दिर नई टिहरी	78^{0} 26’ 04” E	30^{0} 22’ 23” N	1729 मी0	अस्थायी
4.	टिहरी	प्रा0ख0, नई टिहरी	बी0पूरम (गेस्ट हाउस के निकट)	78^{0} 28’ 27” E	30^{0} 22’ 47” N	1021 मी0	**स्थायी**
5.	टिहरी	प्रा0ख0, नई टिहरी	कोटी कालौनी (फील्ड में)	78^{0} 27’ 29” E	30^{0} 24’26” N	817 मी0	**स्थायी**
6.	टिहरी	प्रा0ख0, नई टिहरी	पुलिस लाईन चम्बा स्थित स्थाई हैलीपैड	78^{0} 24’ 12” E	30^{0} 20’ 51” N	1615 मी0	**स्थायी**
7.	कण्डीसौड़	निर्माण खण्ड चम्बा	ग्राम डोबरा विकास खण्ड प्रतापनगर स्थित हैलीपैड	78^{0} 25’ 52.42” E	30^{0} 26’ 48.49” N	914 मी0	अस्थायी
8.	टिहरी	निर्माण खण्ड चम्बा	बादशाहीथौल (चम्बा) स्थित एसआरटी कैम्पस में अस्थाई हैलीपैड आपातकालीन	78^{0} 24’ 16.62” E	30^{0} 19’ 57.17” N	1765 मी0	अस्थायी
9.	टिहरी	निर्माण खण्ड चम्बा	श्री देव सुमन इण्टर कॉलेज चम्बा स्थित प्ले ग्राउण्ड हैलीपैड	78^{0} 23’ 12.32” E	30^{0} 20’ 37.48” N	1560 मी0	अस्थायी
10.	नरेन्द्रनगर	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	काण्डाखेत पी0टी0सी0 के समीप	78^{0} 18’ 15.2” E	30^{0} 09’ 42” N	1350 मी0	**स्थायी**
11.	नरेन्द्रनगर	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	आनन्दा होटल हैलीपैड, नरेन्द्रनगर (किनवानी)	78^{0} 17’ 48” E	30^{0} 09’ 18” N	1110 मी0	**स्थायी**
12.	नरेन्द्रनगर	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	मुनिकीरेती (पूर्णानन्द इण्टर कॉलेज)	78^{0} 18’ 28” E	30^{0} 06’ 50” N	343 मी0	अस्थायी
13.	गजा	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	गजा गैस्ट हाऊस	78^{0} 25’ 28” E	30^{0} 16’ 17” N	1835 मी0	**स्थायी**
14.	धनोल्टी	अ0ख0, थत्यूड	रा0इ0का0 ढाणा (थत्यूड), खेल का मैदान	78^{0} 10’ 00” E	30^{0} 29’ 50” N	1161 मी0	अस्थायी
15.	धनोल्टी	अ0ख0, थत्यूड	कैम्पटी निकट बंगलो की काण्डी, ग्राम पंचायत मैदान	78^{0} 02’ 17.95” E	30^{0} 29’ 4.11” N	1508 मी0	अस्थायी
16.	कण्डीसौड	निर्माण खण्ड चम्बा	कमांद इंटर कॉलेज स्थित प्ले ग्राउण्ड हैलीपैड	78^{0} 21’ 54” E	30^{0} 28’ 21” N	1181 मी0	अस्थायी
17.	नैनबाग	अ0ख0, थत्यूड	निरीक्षण भवन लो0नि0वि0 नैनबाग परिसर	78^{0} 00’ 30” E	30^{0} 34’ 00” N	890 मी0	**स्थायी**
18.	नैनबाग	अ0ख0, थत्यूड	परोगी (निकट अगलाड–थत्यूड–अलमस बैण्ड मोटर मार्ग के कि.मी. 06) में प्राइवेट खेल मैदान	78^{0} 01’ 35.80” E	30^{0} 31’ 15” N	1065 मी0	अस्थायी
19.	नैनबाग	अ0ख0 थत्यूड	इण्टर कॉलेज जाखधार का खेल मैदान	78^{0} 03’ 24.20” E	30^{0} 35’ 18” N	1600 मी0	अस्थायी
20.	नैनबाग	अ0ख0 थत्यूड	इण्टर कॉलेज गढखेत का खेल मैदान	78^{0} 03’ 31.03” E	30^{0} 31’ 19.60” N	1340 मी0	अस्थायी
21.	धनोल्टी	अ0ख0 थत्यूड	राजकीय इण्टर कॉलेज सत्यौ का खेल मैदान	78^{0} 17’ 2.88” E	30^{0} 22’ 25.98” N	1626 मी0	अस्थायी
22.	नैनबाग	अ0ख0 थत्यूड	पन्तवाडी के निकट ग्राम–भटवाडी में खेल मैदान	78^{0} 07’ 41.40” E	30^{0} 37’ 3.30” N	1672 मी0	अस्थायी

23.	घनसाली	अ0 खण्ड, घनसाली	घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग के जगदीशिला (सिलासौड) नामक स्थान पर अस्थाई हैलीपैड (कि0मी0 40)	78^0 49' 34.9" E	30^0 27' 36.4" N	2200 मी0	अस्थायी
24.	बालगंगा	अ0 खण्ड, घनसाली	उत्तरकाशी –लम्बगॉव–घनसाली–तिलवाडा (राज्य मार्ग संख्या–15) राजकीय इण्टर कॉलेज ग्राम रगडी के निकट स्थित अस्थाई हैलीपैड (कि0मी0 72)	78^0 34' 03.2" E	30^0 32' 20.5" N	1860 मी0	अस्थायी
25.	घनसाली	अ0 खण्ड, घनसाली	जाखधार–पिलखी मोटर मार्ग के पिलखी (पिपलेश्वर मन्दिर के पास) मे अस्थाई हैलीपैड। (कि0मी0 12)	78^0 38' 00.10" E	30^0 24' 59.90" N	840 मी0	अस्थायी
26.	घनसाली	अ0 खण्ड, घनसाली	उत्तरकाशी–लम्बगांव–घनसाली–तिलवाड़ा मोटर मार्ग	78^0 35' 20.4" E	30^0 31' 28.9" N		अस्थायी
27.	बालगंगा	अ0 खण्ड, घनसाली	विनकखाल लिंक मोटर मार्ग (कि0मी0 7.00 खवाडा)	78^0 39' 31.20" E	30^0 22' 56.50" N	1720 मी0	अस्थायी
28.	बालगंगा	अ0 खण्ड, घनसाली	उत्तरकाशी–लम्बगॉव–घनसाली–तिलवाडा (राज्य मार्ग संख्या–15) के चंगोरा बैण्ड में किमी 77	78^0 35' 16.9" E	30^0 30' 55.2" N	1520 मी0	अस्थायी
29.	बालगंगा	अ0 खण्ड, घनसाली	घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग	78^0 45' 20" E	30^0 26' 35" N	1110 मी0	अस्थायी
30.	बालगंगा	अ0 खण्ड, घनसाली	छतियारा–खवाड़ा मोटर मार्ग	78^0 39' 37" E	30^0 31' 42" N		अस्थायी
31.	जाखणीधार	प्रा0ख0, नई टिहरी	लामरीधार स्टेडियम	78^0 30' 14" E	30^0 18' 52" N	1618 मी0	अस्थायी
32.	जाखणीधार	प्रा0ख0, नई टिहरी	जामणीखाल (रोड़धार) से 02 कि.मी. आगे	78^0 36' 30" E	30^0 16' 15" N	1536.00 मी0	अस्थायी
33.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	कपरियाणी सैण पटटी लामरीधार	78^0 33' 49" E	30^0 17' 53" N	1005 मी0	अस्थायी
34.	मदन नेगी	प्रा0ख0, नई टिहरी	मदन नेगी	78^0 29' 30" E	30^0 23' 08" N	773 मी0	अस्थायी
35.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	मुखेम मडवागीसौड (पार्किग)	78^0 27' 01" E	30^0 34' 41" N	2212 मी0	अस्थायी
36.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	सौडकुडी लम्बगॉव (केन्द्रीय विद्यालय के पास)	78^0 31' 37" E	30^0 30' 48" N	1706 मी0	अस्थायी
37.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	लम्बगॉव डिग्री कॉलेज	78^0 29' 51" E	30^0 31' 17" N	1211 मी0	अस्थायी
38.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	सेमण्डीधार (ढुंग मन्दार)	78^0 34' 32" E	30^0 26' 56" N	1611 मी0	अस्थायी
39.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	गरवाणगॉव (इण्टर कॉलेज के पास)	78^0 29' 45" E	30^0 34' 13" N	1652 मी0	अस्थायी
40.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	माजफ	78^0 30' 57" E	30^0 28' 16" N	1760 मी0	अस्थायी
41.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	भैतलाखाल (इण्टर कॉलेज के पास)	78^0 28' 16" E	30^0 30' 36" N	1721 मी0	अस्थायी
42.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	प्रतापनगर (राज महल के निकट)	78^0 28' 53" E	30^0 27' 15" N	2175 मी0	अस्थायी
43.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	ग्वाड, प्रतापनगर	78^0 26' 24" E	30^0 28' 04" N	1334 मी0	अस्थायी
44.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	देवल (प्रतापनगर)	78^0 30' 00" E	30^0 28 ' 54" N	1425.90 मी0	अस्थायी
45.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	देवल ओणेश्वर मन्दिर	78^0 29' 59.73" E	30^0 28' 53.73" N	1424 मी0	अस्थायी
46.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	खाण्ड (मा0 पूर्व विधायक प्रतापनगर, श्री विक्रम सिंह जी नेगी का आवास)	78^0 33' 4.76" E	30^0 22' 27. 04" N	944 मी0	अस्थायी
47.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	पाडिया	78^0 28' 50.90" E	30^0 26' 27.40" N	1265 मी0	अस्थायी
48.	प्रतापनगर	प्रा0ख0, नई टिहरी	बागीधार	78^0 27' 8" E	30^0 26' 54" N	1298.00 मी0	अस्थायी

49.	देवप्रयाग	अ0ख0 कीर्तिनगर	चन्द्रबदनी क्षेत्र नैखरी (उखरियाली तप्पड) 20X18 मी0 चन्द्रबदनी क्षेत्र)	78^0 36' 26" E	30^0 16' 57" N	1745 मी0	अस्थायी
50.	देवप्रयाग	अ0ख0 कीर्तिनगर	रा0इं0का0 प्रांगण 11 मीटर त्रिज्या हिण्डोलाखाल)	78^0 36' 27" E	30^0 13' 58" N	1531 मी0	अस्थायी
51.	देवप्रयाग	अ0ख0 कीर्तिनगर	डिग्री कॉलेज मैदान (देवप्रयाग)	78^0 36' 41" E	30^0 09' 02" N	508 मी0	अस्थायी
52.	कीर्तिनगर	अ0खण्ड, कीर्तिनगर	घण्टाकर्ण देवता के नजदीक घण्डियालधार 9.50 मी0 त्रिज्या का ग्राउण्ड (लोस्तु घण्डियालधार)	78^0 48' 42" E	30^0 19' 52" N	1814 मी0	अस्थायी
53.	कीर्तिनगर	अ0खण्ड कीर्तिनगर	मलेथा, चाहत होटल 12 मी0 त्रिज्या का प्रांगण (चाहत होटल)	78^0 43' 42" E	30^0 13' 37" N	544 मी0	अस्थायी
54.	कीर्तिनगर	अ0खण्ड कीर्तिनगर	सिल्काखाल (बागसैंण)	78^0 47' 41" E	30^0 17' 09" N		अस्थायी

(संलग्नक–9)

पैदल मार्गो की सूची

वन विभाग नई टिहरी

क्र0	मार्ग का नाम	मार्ग की कुल लंबाई (किमी० में)
1.	घनसाली–चमियाला पैदल मार्ग	8.00
2.	चमियाला–अमरसर पैदल मार्ग	11.00
3.	अमरसर–सेमा पैदल मार्ग	10.00
4.	अमरसर–सेमा पैदल मार्ग	4.00
5.	सुरां"ागाँव–सिल्यारा पैदल मार्ग	4.00
6.	कांगडा–हटकणी पैदल मार्ग	5.00
7.	गेंवाली–मोलनों पैदल मार्ग	10.00
8.	गेंवाली–कालव पैदल मार्ग	15.00
9.	झाला–पिनस्वाड़ा पैदल मार्ग	11.00
10.	झाल–मासरताल पैदल मार्ग	14.00
11.	थार्ती–मासरताल पैदल मार्ग	14.00
12.	वेलक–पिनस्वाड़ पैदल मार्ग	5.00
13.	भटवाड़ा–देवताधार लीसा बटिया	3.00
14.	गेंवाली–पिनस्वाड लीसा बटिया	11.00
15.	चमियाला–कांगडा लीसा बटिया	3.50
16.	केमरियासौड़–सीताकोट लीसा बटिया	4.00
17.	उप पैदल मार्ग चमियाला लीसा बटिया	4.00
18.	आर्स–कांगडा–19 लीसा बटिया	4.00
19.	बहेडी–कोटगागाड लीसा बटिया	3.00
20.	चमियाला–से बालगंगा नदी तट कांडीखाल	6.00
21.	सुरां"ागाँव–गनगर–8 लीसा बटिया	2.00
22.	द्वारी–गोनगढ़ लीसा बटिया	4.00
23.	पोखार–कांगडाधार लीसा बटिया	4.00
24.	घुत्तू–तोली लीसा बटिया	13.00
25.	घुत्तू–गंगी लीसा बटिया	25.00
26.	गेंवली–कांडीखाल लीसा बटिया	8.00
27.	घुत्तू–तोली लीसा बटिया	20.00
28.	कोटी–पंगरियाणा लीसा बटिया	25.00
29.	दोणी–पोखार लीसा बटिया	8.00
30.	रौसाल–कांडीखाल लीसा बटिया	4.00
31.	गौरिया–गोरियाखाल लीसा बटिया	4.00
32.	मल्याकोट–पांडवखाल लीसा बटिया	8.00
33.	सूरीखाल–जडीखाल लीसा बटिया	5.00
34.	गौरिया–द्वारी लीसा बटिया	6.00
35.	घनसाली–द्वारी लीसा बटिया	7.00

36.	गेंवली–हत्सी लीसा बटिया	5.00
37.	गेंवली–क्वालीखाल लीसा बटिया	5.00
38.	पांवली–तेमुण्डा लीसा बटिया	6.00
39.	जाख–मुयालगांव लीसा बटिया	13.00
40.	मुयालगांव–हुलाणाखाल लीसा बटिया	9.00
41.	देवट–गेंवली लीसा बटिया	8.00
42.	गेंवली–पोखार लीसा बटिया	2.00
43.	जाखन्याली–सेमल्थ लीसा बटिया	3.00
44.	ढाबसौड़–गैर लीसा बटिया	3.00
45.	फलेण्डा–तुनीगैर लीसा बटिया	3.00
46.	फलेण्डा–दोणीखाल लीसा बटिया	6.00
47.	जन्दरियाली–तामाखेड लीसा बटिया	3.00
48.	जन्दरियाली– पनकूराली लीसा बटिया	5.00
49.	जखन्याली–द्वारी लीसा बटिया	3.00
50.	पांवली–द्वारी लीसा बटिया	3.00
51.	पांवली–सिरोडधार लीसा बटिया	3.00
52.	मल्याकोट–वमोली लीसा बटिया	4.00
53.	मुयालगांव– क्वीडांग लीसा बटिया	9.00
54.	देवट–पंयाकोटी लीसा बटिया	7.00
55.	पोखार–चली लीसा बटिया	2.00
56.	दोणी–घत्तू लीसा बटिया	15.00
57.	टिहरी–चम्बा लीसा बटिया	16.00
58.	गजा–डांडाचली लीसा बटिया	6.00
59.	चोपडियालगांव– कोडिया	5.00
60.	प्रतापनगर– धनाईगांव लीसा बटिया	5.00
61.	कोट सांदण– पेन्दार्स लीसा बटिया	5.00
62.	पौखाल– द्वारी लीसा बटिया	24.00
63.	नन्दगांव–अखोडीसैंण लीसा बटिया	8.00
64.	पिलखी–द्वारी लीसा बटिया	5.00
65.	टिहरी–अखोडीसैंण लीसा बटिया	9.00
66.	भटवाडा–खैट लीसा बटिया	6.00
67.	दयाराबाग– पहुंचमार्ग	2.00
68.	चन्दे"वर–कोट लीसा बटिया	7.00
69.	पौखाल– अखोडीसैंण लीसा बटिया	16.00
70.	चापडा–द्वारीखोल लीसा बटिया	3.00
71.	चापडा– घोडियाला लीसा बटिया	13.00
72.	चिन्याली–लालूरी लीसा बटिया	3.00
73.	धरासू–चापडा घोडियाला लीसा बटिया	4.00
74.	लालूरी–मैण्डखाल लीसा बटिया	12.00
75.	स्यांसू–मैण्डखाल लीसा बटिया	14.50
76.	चुलीखेत–सेरा लीसा बटिया	1.00
77.	चौरंगी–मुखमालगांव लीसा बटिया	6.60

78.	रेका–घितरीखाल लीसा बटिया	8.00
79.	सेरा–मुखमालगांव सेरा–रैला लीसा बटिया	5.00
80.	सेरा–रैला लीसा बटिया	10.00
81.	देवलंग–रीह सेरा–रैला लीसा बटिया	4.00
82.	गेंवली–हिल्सटाप सेरा–रैला लीसा बटिया	8.00
83.	ओडु विजूला भौंट खटारी पैदल मार्ग	12.00
84.	कुडीं से कैमुण्डाखाल पैदल मार्ग	5.00
85.	लेखवारगांव– कैमुण्डाखाल पैदल मार्ग	3.00
86.	रोणियां– खीटा पैदल मार्ग	7.00
87.	माजफ– देतखाल पैदल मार्ग	3.00
88.	प्रतापनगर–भराडी पैदल मार्ग	12.00
89.	कोठार–मुखमालगांव पैदल मार्ग	5.00
90.	दीनयाली– मुखेम पैदल मार्ग	4.00
91.	माजफ–प्रतापनगर पैदल मार्ग	5.00
92.	सौंदी– मुखेम पैदल मार्ग	5.00
93.	आवकी–प्रतापनगर पैदल मार्ग	12.00
94.	धौंतरी–मुखेम पैदल मार्ग	8.00

(संलग्नक–10)

जनपद क्षेत्रान्तर्गत ATM की सूची

S.N	Bank	ATM Address	EMP MOB	EMP LAN
1.	SBI	Baurari Market New Tehri	9456594966	01376-234557
2.	SBI	Bhagirath puram Market	9456594916	01376-236375
3.	SBI	chamba	9456594921	01376-255239
4.	SBI	Gaja	9456594932	01378-221235
5.	SBI	Nakot	9456594949	01378-273063
6.	SBI	New Tehir TownShip	9458981697	01376-232158
7.	SBI	Dhalwala	9456594929	0135-2435291
8.	SBI	Fakot	9456594931	01378-223714
9.	SBI	Goller Dogi	9456594935	01378-269211
10.	SBI	Narendranagar	9456594955	01378-227225
11.	SBI	Anjanisain	9456594909	01376-247412
12.	SBI	jakhinidhar	9456594940	
13.	SBI	Phokhal	9456594959	01379-267605
14.	SBI	Chamiyala	9456594924	01379-253469
15.	SBI	Ghansali	9456594933	01379-258672
16.	SBI	Ghuttu	9456594934	01379-245532
17.	SBI	Baadiyar	9917590441	01370-268909
18.	SBI	Jakhand	9456594939	01378-273524
19.	SBI	Kirtinagar	9456594942	01370-260133
20.	SBI	Thapli	9456594967	01370-267135
21.	SBI	Lambgaon	9456594944	01379-264604
22.	SBI	Majaf	9456594946	01379-262315
23.	SBI	pratapnagar	9456594960	01379-262222
24.	SBI	Kandikhal	9456594941	01376-282257
25.	SBI	Nainbhag	9456594948	01376-228404
26.	SBI	satyon	9456594964	01376-246301
27.	SBI	Thathyur	9456594968	01376-246301
28.	SBI	Bagwan	9456594918	01378-264114
29.	SBI	Hindolakhal	9456594937	01379-229617
30.	SBI	Paurikhal	9456594958	01378-229617
31.	SBI	Akhori	9897345007	
32.	SBI	Tapovan	8979463169	
33.	PNB	Ghansali	7900305666	01379-258671
34.	PNB	New Tehri	8171112898	01376-232725
35.	PNB	Bhagrath puram	8171112928	01376-236375
36.	PNB	Chamba Tehri	8171112931	01376-256011
37.	PNB	Main Market Devprayag	8171112857	01378-266014
38.	PNB	Main Market Jamnikhal	8171166888	

39.	PNB	Narendra nagar	8171112941	01378-227040
40.	PNB	Main Market Chamiyala	7060509942	
41.	UBI	Main Market Ghansali	7055202628	01379-258392
42.	UBI	Main Market New Tehri	8126831321	01376-232718
43.	UBI	Main Market Chamba	7533904837	01376-255269
44.	UBI	Village Madannegi Tehri	7055618539	
45.	UBI	Kumalda Market Tehri	8477003200	0135-2684046
46.	UBI	Chaka Market Tehri	8937000754	01378-222220
47.	UBI	Main Market Munikireti	8937000824	0135-2430392
48.	UBI	Main Market Cham Tehri	9419199937	01376-288909
49.	BOB	New Tehri	8477009489	01376-233123
50.	BOB	Devprayag	8477009054	
51.	BOI	Baurari	9557902284	01376-232710
52.	Canara	New Tehri	9456591015	01376-232070
53.	Canara	Chamba Tehri Gharwal	9456591059	01376-255110
54.	Canara	Ghansali Tehri	9456591088	
55.	Canara	Village watkhe-Bhona	9456593224	
56.	CBI	Ghansali	8393882466	01379-258401
57.	CBI	Baurari	7456000310	01376-233500
58.	HDFC	Tehri	9927205700	
59.	IDBI	Main Market Baurari	9760264881 9837767333	01376-233601
60.	IOB	Munikireti	8192900666	0135-2435617
61.	OBC	New Tehri	9927252224	01376-232125
62.	SYN	Baurari	9675474518	01376-233064
63.	SYN	Tapovan	9410370833	0135-2442055
64.	DCB	Kirtinagar		
65.	DCB	Ghansali		
66.	DCB	Tehri Main Branch		
67.	DCB	Baurari	8192096530	01376-232730
68.	DCB	Munikireti		

(संलग्नक–11)

अंग्रेजी एवं इसके संक्षिप्त शब्दों का हिन्दी अर्थः–

BRGF	Backward Regions Grant Fund	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMO	Chief Medical Officer	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्य मंत्री राहत कोष
CSO	Civil Society Organization	नागर संस्था
DDMA	District Disaster Management Authority	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DDRF	District Disaster Response Force	जिला आपदा प्रत्युत्तर बल
DM	District Magistrate	जिला समाहर्ता / जिलाधिकारी
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
EOC	Emergency Operation Center	आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Essential Service Functions	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर टीम
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली
HFA	Hyogo Framework for Action	ह्योगो कार्रवाई निर्णय
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
HVCA	Hazard Vulnerability Capacity Analysis	खतरा, सम्वेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण
IAF	Indian Armed Force	भारतीय सशस्त्र बल
IAG	Inter-Agency Group	इन्टर एजेंसी ग्रुप
IAP	Immediate Action Plan	तात्कालिन कार्य योजना
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IMT	Incident Management Teams	घटना (आपदा) प्रबंधन टीम
IRS	Incident Response System	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर प्रणाली
IRT	Incident Response Team	घटना (आपदा)प्रत्युत्तर टीम
IYA	Indira Awas Yojna	इंदिरा आवास योजना

LSG	Lower Selection Grade	निम्न प्रवर कोटि
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
NCC	National Cadet Corps	राष्ट्रीय छात्र सेना
NDMA	National Disaster Management Authority	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/ Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
NGOs	Non- Government Organizations	गैर–सरकारी संगठन
NREGA	National Rural Employment Guarantee Act	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
NREGS	National Rural Employment Guarantee Scheme	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NRHM	National Rural Health Mission	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
NSV	National Service Volunteer	राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवक
NYK	Nehru Yuva Kendra	नेहरू युवा केन्द्र
OEOC	Onsite Emergency Operational Center	क्षेत्रीय घटना स्थल आपातकालीन परिचालन केन्द्र
PDS	Public Distribution Shop	जनवितरण दूकानें
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
Q&A	Quality and Accountability	गुणवत्ता एवं जवाबदारी
QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर टीम
SDMA	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/ Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
SHG	Self Help Group	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग/उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक परिचालन पद्धति
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक
SSA	Sarva Shiksha Abhiyan	सर्व शिक्षा अभियान

UN	United Nations	सयुक्त राष्ट्र
URS	Unified Response Strategy	एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति
VKC	Village Knowledge Center	ग्राम ज्ञान केन्द्र
WASH	Water Sanitation and Hygiene	जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

"एक कार्ययोजना तभी प्रभावी व उपयुक्त हो सकती है जब नियमित रूप से उसका नवीनीकरण व उस पर अभ्यास होता रहे।"

जिला मजिस्ट्रेट / अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
टिहरी गढ़वाल।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जनपद टिहरी गढ़वाल।
जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(फोन– 01376 233433, 234793, टोलफ्री–1077)